राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

बुधवार,

दिनांक 17 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री डूंगरराम पंवार।

रावतसर कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स हेतु तार की खरीद

333. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत नगरपालिका रावतसर, तहसील नोहर जिला श्रीगंगानगर ने बिजली विभाग के तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को रोड लाइट के लिए तार खरीदने हेतु करीब सत्ताइस हजार रुपये दिये थे? यदि हां, तो क्या तार खरीद लिये गए थे? यदि हां, तो तार कितना था तथा कहां से खरीदा गया, तथा कस्बा रावतसर के कौन-कौन से वार्डों में लगाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्रीमती कमला) : जी नहीं। प्रशासन शहरों की ओर अभियान से पूर्व नगरपालिका रावतसर द्वारा सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, हनुमानगढ़ को 26,490/- रुपये विद्युत व्यवस्था हेतु तार क्रय करने के लिये राशि जमा कराई थी। उक्त सामान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विभागीय स्तर पर क्रय किया गया था तथा कार्य भी विद्युत मण्डल द्वारा ही किया गया है। जिन वार्डों में तार लगाये गये, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, यह तार कितना खरीदा गया था, उसका वजन और लम्बाई कितनी थी और कौनसी कम्पनी से खरीदा गया है इसका कोई विवरण नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछने के बाद बैठ जायं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, तार कहां से खरीदा, किसने खरीदा कब खरीदा यह विद्युत विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है। नगरपालिका ने जितना पैसा जमा कराया था उसके पेटे जितना होना चाहिये था उतना काम विद्युत मण्डल ने कर दिया। उसका पूरा ब्यौरा दे दिया कि कितना-कितना काम किस-किस वार्ड में किया गया, उसके पेटे कितना पैसा खर्च किया गया।

श्री डूंगरराम पंवार : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कीमत में फर्क है मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि 26490/- और विवरण दिया है उसमें 27,658/- रुपये बताये हैं।

श्रीमती कमला : जो टोटल दिया है उसमें 27658/- रुपये हैं....

श्री डूंगरराम पवार : उत्तर में बताया है 26490/- रुपये।

श्रीमती कमला : हां, तो ज्यादा काम हुआ है, कम तो नहीं हुआ।

श्री डूंगरराम पंवार : आपने जो उत्तर दिया उसमें बताये 26490/- रुपये और विवरण दिया है उसमें 27658/- रुपये हैं?

श्रीमती कमला : जो राशि नगरपालिका द्वारा जमा कराई गई थी वह 26490/- रुपये थी और व्यय हुआ है वह 27658/ रुपये है।

श्री डूंगरराम पंवार : तार की नाप नहीं बताई गई, कितना तार था?

श्रीमती कमला : मैंने आपसे निवेदन किया कि तार कहां से खरीदा गया, कब खरीदा, कितना खरीदा और किसने खरीदा यह प्रश्न विद्युत विभाग से ताल्लुक रखता है। इस सम्बन्ध में आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायं। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आर्डर प्लीज। श्री अर्जुनसिंह देवड़ा।

जालौर जिले में ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

334. **श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ओ. बी. स्कीम के तहत 1984-85 में जिला जालोर करड़ा ग्राम में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उसकी स्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक लगा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा सब डिविजन में 33 के. वी. सब स्टेशन

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

निर्माण हेतु बड़गांव व मालवाड़ एवं कूड़ा की स्कीम बनाये करीब डेढ़ साल हो गया है ? यदि हां, तो ये योजनायें अभी तक किन कारणोंवश चालू नहीं की गई हैं, और अब कब तक चालू की जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जसवन्तपुरा में भी 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इसे कब तक बनाया जा सकेगा ?

ऊर्जा मंत्री (गुलाबसिंह शक्तावत) (1) वर्ष 1984-85 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में जिला जालोर की पंचायत समिति रानीवाड़ा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम करड़ा के लिये 33 के. वी. लाइन का टेपिंग 2 कि. मी. की लाइन खींचना एवं करड़ा पर 33/11 के. वी. का 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का सब स्टेशन निर्माण करने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु सीमित वित्तीय उपलब्धि के कारण उक्त कार्य को वर्ष 1984-85 में हाथ में नहीं लिया जा सका। अब अगले वर्षों में वित्तीय उपलब्धि पर यह कार्य संभव हो सकेगा ।

(2) वर्ष 1984-85 (माह दिसम्बर, 1984) में पंचायत समिति रानीवाड़ा क्षेत्र की एक एस. पी. ए. श्रेणी की योजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 33 के. वी. का सब स्टेशन बड़गांव व मालवाड़ पर स्थापित करने हेतु प्रस्तावित है । ग्राम कूड़ा पर 33 के. वी सब स्टेशन बनाया जाना उक्त योजना में सम्मिलित नहीं है । अगले वर्षों में वित्तीय उपलब्धि पर ग्राम बड़गांव व मालवाड़ पर 33/11 के. वी. के सब स्टेशन का निर्माण संभव हो सकेगा ।

(3) जी हां । स्वीकृत जसवन्तपुरा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत 15 कि. मी. मण्डावा से जसवन्तपुरा तक 33 के. वी. की लाइन खींचकर जसवन्तपुरा पर 1.6 एम. वी. ए. 33 के. वी. का सब स्टेशन निर्माण करना प्रस्तावित है जिसे भविष्य में वित्तीय उपलब्धि के अनुसार बनाना संभव हो सकेगा ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें यह बताया गया है कि मालवाड़, बड़गांव में प्रावधान होगा तो भविष्य में लिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि करड़ा ग्राम में जो विद्युत की लाइन खिंची हुई है 140 किलो मीटर लम्बी, उसमें हमेशा फाल्ट आ जाती है और हमें हफ्ते में दो दिन भी सप्लाई नहीं मिलती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछें ।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया है, कई सालों से प्रावधान था भविष्य का मतलब क्या है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब तक इसको पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लें । यह सवाल कर लें ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : भविष्य का नहीं, कब तक करेंगे ? भविष्य तो 10

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

साल भी हो सकते है, 5 साल भी हो सकते हैं इसका कोई निर्धारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमने अब तक जितने गांवों का विद्युतीकरण किया है उसका एवरेज 56.63 पर्सेन्ट है और जालोर जिले का जो विद्युतीकरण किया है अब तक, उसका एवरेज आता है 77.91 पर्सेन्ट राजस्थान के एवरेज से, अध्यक्ष महोदय, हमने जालोर जिले मे अधिक विद्युतीकरण का कार्य हाथ मे लिया है और उसको सम्पन्न किया है। अब तक स्वीकृत 4210 किलो मीटर 33 के. वी. की जो लाइन हमको खींचनी थी उसके अगेन्स्ट में जालोर में 175 किलोमीटर खींचनी थी उसके अगेन्स्ट में हमने 126 किलो मीटर लाइन को पूरा कर दिया है। बाकी बची हुई लाइन को अगले वर्ष में और उसके आगे आने वाले वर्ष में ज्यों ज्यों हमारे पास उपलब्धि होगी, हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जालोर को जैसलमेर से कम्पेयर किया है, यह तो उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि कब तक आप इसको पूरा कर देंगे? एक साल में, दो साल में, भविष्य में....

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :ज्यादा किया है उसका धन्यवाद दो कम से कम।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में चर्चा नहीं। आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि जालोर में 77.91 पर्सेन्ट विद्युतीकरण कर दिया, लाइन का प्रसार कर दिया। लेकिन उसके अनुपात में कनेक्शन कितने कर दिये, यह बतलायें?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लाइनों की बात की है 7 पंचायत समितियों के 611 गांवों में से 476 गांव हमने विद्युतीकृत कर दिये हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : कनेक्शन कितने दिये, मंत्री महोदय?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 476 गांव आपने विद्युतीकरण कर दिये लेकिन उसके अनुपात में सिंचाई के कुओं को कितने पर्सेन्ट कनेक्शन दिये गये? कितने कनेक्शन दिये गये?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो पूछा नहीं गया था कि कितने कनेक्शन दिये गये हैं, कितनों को नहीं इसलिये यह सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने कनेक्शन कितने दिये?

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सवाल पूछा नहीं गया है।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, 476 गांव आपने विद्युतीकृत बताये हैं, मंत्री महोदय, प्रत्येक गांव जो विद्युतीकृत किये गये हैं, कम से कम 10 कनेक्शन दिये जाने चाहिये, यह लाजिमी होता है, तो क्या 4760 कनेक्शन इन गांवों में दिये जा चुके हैं?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक लट्टू लगा दिया और लाइन खींच दी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, यह रानीवाड़ा के अन्दर मालवाड़ा में जो 33 के. वी. ए. स्टेशन बनाने की आर ई.सी. से मन्जूरी प्राप्त हो चुकी है उसके बावजूद भी निर्माण में देरी हो रही है, क्या इस वर्ष के फेज्ड प्रोग्राम के अन्दर इसको लिया जायगा। जसवन्तपुरा के 33 के. वी. स्टेशन का निर्माण नहीं होने की वजह से मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस कस्बे के अन्दर महीने में दो दिन भी बिजली नहीं मिलती है। क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते कि जसवन्तपुरा में 33 के. वी. सब स्टेशन शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाय?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, 84-85 दिसम्बर में पंचायत समिति रानीवाड़ा में एस. डी. ए. की एक स्कीम मन्जूर की गई थी जिसमें 400 कुओं को बिजली के कनेक्शन देने थे। उन में से हम 105 कृषि-कुओं को कनेक्शन दे चुके हैं और 19.83 लाख रुपये हमने खर्च किये। इस योजना में भी एक 33 के. वी. ए. की लाइन खींचने का प्रोविजन किया गया है, इस वर्ष तो यह संभव नहीं है, अगले वर्ष इस पर विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जसवन्तपुरा के अन्दर महीने के अन्दर केवल दो या तीन दिन बिजली मिलती है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि जसवन्तपुरा की जो लाइन साविया, आयमद होकर खींची गई है उसके बजाय आप समदरा से दो किलोमीटर एक अतिरिक्त लाइन खींच करके 33 के. वी. ए. सब-स्टेशन बरूड़ी के अन्दर बना हुआ है उसमें अगर उसको जोड़ दें, जो केवल 30 या 40 खम्भों का काम है, तो जसवन्तपुरा के इलाके के लोगों को जो बिजली महीने के अन्दर 28 दिन नहीं मिलती है उसका समाधान हो सकता है। क्या आप यह व्यवस्था करेंगे कि वहां 2 किलोमीटर लाइन खींच दी जाय जिससे जसवन्तपुरा इलाके के दोहड़ा वगैरह गांवों की जो समस्या है उसका निराकरण हो सके? केवल दो किलोमीटर लाइन खींचने का काम विद्युत विभाग को आप निर्देश देंगे तो आपका जो इस साल का प्रावधान है उसके हिसाब से उसको पूरा

(श्री सूरजपालसिंह)

नहीं कर पायेंगे। दो किलोमीटर खींचने से जसवन्तपुरा की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यदि किसी सब स्टेशन से दो किलोमीटर लाइन खीचने का प्रस्ताव है तो उस पर विचार किया जायगा लेकिन नया स्टेशन बनाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विचार कर रहे हैं। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय, से जानना चाहता हूं बालुगो, मादवाड़, वाडवा स्टेशनों पर कितना लोड है और क्या 11 के. वी. लाइन से उस लोड को ठीक रूप से चलाया जा सकता है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी जो रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से जो बिजली सप्लाई की जा रही है 11 के.वी. लाइन से, वह पर्याप्त मात्रा में की जा रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पर्टीकूलर सवाल मैंने इसलिए किया था, बिजली नहीं जा रही है लोड ज्यादा है....

श्री अध्यक्ष : उनका कहना है कि लोड उतना है कि जितना 11 के.वी. लाइन फीड करती है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए, विद्या पाठक का।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न ? अभी मैंने पुकारा ही नहीं है। किसको स्थगित कराना चाहते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : विद्या पाठक का।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सूचना है। इसको नैक्स्ट टर्न पर लिया जायगा। नैक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

रानीवाड़ा ग्राइडिल डेयरी

336. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा प्राइवेट ग्राइडियल डेयरी काफी समय से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(2) उक्त डेयरी के निर्माण में कुल कितनी धन राशि किसके द्वारा खर्च की गई है ? अब तक उक्त डेयरी में कुल कितना घाटा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सरकार उक्त डेयरी को अपने अधीन लेकर वापस शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? डेयरी वापस शुरू होने पर डेयरी के पुराने कर्मचारियों की क्या स्थिति रहेगी ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां, माह नवम्बर, 1983 से बन्द पड़ी है।

(2) इसके निर्माण में लगी धन राशि एवं घाटे की सरकार को जानकारी नहीं है। यह प्राइवेट संस्था है।

(श्री शीशराम ओला)

(3) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट संस्था है इसमें लाखों रुपया पब्लिक का, प्राइवेट कम्पनियों और बैंकों का लगा हुआ है, इस बारे में आपने जानकारी प्राप्त की या नहीं की ? नहीं की; तो क्या आप अब करने का कष्ट करेंगे?

श्री शीशराम ओला : 121 आदमी इस डेयरी पर कार्यरत थे जो डेयरी के बन्द हो जाने से बेरोजगार हो गये। चार हजार किसान पांच हजार लीटर दूध देते थे उनकी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है। यह प्राइवेट संस्था होने के नाते यह सही नहीं कहा जा सकता कि कितना इसमें घाटा लगा या नफा हुआ। इससे सरकार का सम्बन्ध नहीं है। फिर भी इस योजना को सरकार अपने अधीन लेने की चेष्टा कर रही है। अगर यह ठीक तरह से जिस पार्टी की है उससे नेगोसिएशन हो करके सरकार को मिल जाती है तो सरकार इसको खरीदने का विचार रखती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ की लागत आई है प्लान्ट में और टाटा कम्पनी ने इसको लिया था। अब डेयरी फैडरेशन द्वारा इसको लेने की कोशिश की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इसके कर्मचारी होंगे इसको टेक ओवर करने पर, उनकी क्या स्थिति होगी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से सवाल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से प्रश्न नहीं है। यह मैंने पूछा है कि कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ? मैंने जानकारी चाही है। नहीं तो भविष्य में वह खतरे में पड़ जायेंगे। क्या होगा इनका ? बहुत मुश्किल हो जायगी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सवाल तीन जिलों से सम्बन्धित है जालोर पाली और बाड़मेर। क्या यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से जो उनकी शर्त है उसके अनुसार अनुमति दी थी कि पांच लाख लोकल पशुपालक हैं उनके शेयर खरीदे जायेंगे ? क्या यह भी सही है कि इस स्कीम में उनके शेयर इन्वाल्व हैं ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, पांच लाख पशुपालकों ने शेयर खरीदे हैं या नहीं यह तो अलग से प्रश्न है, यह आपने पूछा नहीं है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं उस वक्त उनका क्या फैसला करना है, उनको हिसाब दे दिया गया या कोई लेना-देना बाकी है, यह उस वक्त विचार किया जायगा। यदि उन्होंने तय कर दिया होगा हिसाब देकर घर बैठा दिया होगा या उनका सम्बन्ध डेयरी से जुड़ा हुआ है और यह डेयरी ली जाती है तो निश्चित रूप से कम्पनी से क्या लेना देना है उस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये कर्मचारी तो लोकल हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं, खण्ड तीन में यह पूछा है कि

(श्री सूरजपाल सिंह)

क्या उक्त डेयरी को सरकार अपने अधीन लेकर वापस चालू करने का विचार रखती है? सरकार के उच्चाधिकारी आ कर के जांच करें इसकी लायबिलिटी कितनी है। कृषि उपज मण्डी के लाखों रुपया बकाया है। सरकार इसको लेने का विचार रखती है या नहीं, यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है या नहीं? और लेना चाहती है तो कब तक ले लेगी?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक प्रश्न इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया मैं आपको और मौका दूंगा। मैंने छंगाणीजी को पुकार लिया है।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, कि इस डेयरी की स्थापना हुई जब राजस्थान डेयरी फैडरेशन ने कोई प्लान्ट नहीं लगाया। सरकार कई सालों से विचार कर रही है कि डेयरी को लिया जाय ताकि वहां जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको फायदा हो और उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके। इसकी स्थापना हरियाणा के एण्टरप्राइजर ने की थी बाद में टाटा ने ले लिया। क्या सरकार इसको निश्चित रूप से लेने का विचार कर रही है? और नहीं, तो क्या फैडरेशन इसकी व्यवस्था करेगा?

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह डेयरी किन कारणों से बन्द हुई तथा जिस समय डेयरी बन्द हुई थी उस समय इस डेयरी में कितना दूध आ रहा था?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह डेयरी बन्द क्यों की गयी? यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब मन्त्रीजी के पास पूरी इन्फार्मेशन नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है। अगर इनके पास सूचना नहीं है तो अब यह सूचना मंगा लें।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि यह जो डेयरी है इसको करीब करीब लेना तय हो चुका है मन्त्रीजी को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि इण्डियन डेयरी फैडरेशन इसको ले रही है और इसका एग्रीमेन्ट हो चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी है इसको 15-20 दिन या एक महीने में वह लेकर चालू कर रहे हैं लेकिन पता नहीं मन्त्री जी के पास अधूरी जानकारी क्यों है मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा? उसकी फाइनेन्शियल हालत क्या है? इस सारे मामले को मन्त्री जी पता लगा कर विस्तृत जानकारी लें। कलेक्टर से आप जानकारी मंगाकर यहां बतावें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इसके लिये सरकार द्वारा भूमि अलाट की गयी थी?

दूसरा, क्या इस कम्पनी और राज्य सरकार के बीच में कोई अनुबन्ध हुआ था और उस डेयरी ने उस अनुबन्ध की पूर्णतया अवमानना की है, उल्लघन किया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री शीशराम श्रोला : माननीय अध्यक्षजी, यह अलग से प्रश्न है। कोई भी डेयरी या संस्था खुलती है तो उसको भूमि सरकार से ही लेनी पड़ती है या खरीदनी पड़ती है। अब इस मामले में क्या हुआ मुझे पता नहीं यह अलग से प्रश्न है। अब यह डेयरी क्यों बन्द की गयी? तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि उसमें टोटा हुआ होगा या वहां पर कोई अव्यवस्था हुई होगी इसलिये वह बन्द हो गयी। चूंकि यह बिल्कुल ही प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी थी इसलिये सरकार से इसका कोई संबध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस कम्पनी को सरकार ने जमीन दी है?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार ने उसको जमीन दी है तो सरकार इसमें कोई एक्शन लेना चाहे तो एक्शन ले सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें, जवाब दिया जा रहा है। मन्त्री जी।

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष जी, जहां तक डेयरी लेने की बात, यहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा कही गई है, सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। जहां तक माननीय सदस्यों ने जो जो जानकारी और चाही है उसके लिये मैं जानकारी लेकर आता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य, का एक रेलेवेन्ट प्रश्न था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी तो उत्तर दे नहीं रहे हैं आप उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं उत्तर दूंगा एक मिनट जैसा माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने कहा कि इण्डियन डेयरी फैडरेशन ने इसको लेने का फैसला कर लिया है और यह डेयरी एक महीने में चालू हो जायेगी। अगर मन्त्री जी यह बता दें तो यह मामला स्पष्ट हो जायेगा।

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष महोदय जो डेयरी लेना चाहते हैं उसकी सूचना निम्न प्रकार से है एक तो राजस्थान डेयरी फैडरेशन इसको चाहता है, दूसरा इण्डियन डेयरी फैडरेशन, लेना जिसका कि आपने यहां कहा, भी लेना चाहती है। तीसरा, गुजरात डेयरी फैडरेशन भी इसको लेना चाहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कम्पनी इसको लेना चाहती हैं पर हमारी सरकार राजस्थान डेयरी फैडरेशन को इसको देने के पक्ष में है और इस पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भरतपुर और रानीवाड़ा को छोड़कर बाकी समस्त जगहों पर राजस्थान डेयरी फैडरेशन का कन्ट्रोल है। रानीवाड़ा में एक्सी का थे। जहां तक मेरी जानकारी है, उसको गुजरात के पैटर्न पर पनपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस

(10)

(श्री] रामसिंह विश्नोई)

डेयरी प्लान्ट को लगाने के लिये परमीशन मांगी थी। उनको करोड़ों रुपये का लोन भी मिला था पर यह डेयरी सक्सेस नहीं हो सकी। फिर उन्होंने इस डेयरी को टाटा को बेच दिया। उसके बाद में टाटा भी इसको नहीं चला पा सका। तो उसने इसको बन्द कर दिया। इससे बहुत से लोग बेकार हो गये इस डेयरी में केन्द्रीय सरकार के पैसे भी बाकी हैं। अब राजस्थान डेयरी फैडरेशन के साथ इसको लेने की बात चल रही है और करीब तय सी है। राजस्थान डेयरी फैडरेशन इसके कर्मचारियों को ले लेगा।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, जैसा मैंने निवेदन किया आपके माध्यम से, उनके कर्मचारियों की क्या टर्म्स एण्ड कंडीशंस थी उन पर वह हीं लागू होंगी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन में मिनिस्टर साहब से जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूरी जानकारी उस संबंधित प्रश्न के बारे में नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। इस प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं है इस प्रश्न को आप अन्य प्रकार से....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब आपके प्रश्न की ही जानकारी मन्त्री महोदय के पास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में एक अन्य प्रकार से आप पूछ सकते हैं। मेरे पास एक जानकारी आई है उस वक्त आप इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं होता।

नेक्स्ट श्री राजकुमार जयपाल।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठे। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैंने कहा था कि इस पर और चर्चा होगी। कृपया बैठें। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के अन्दर एक ही तो उद्योग है। बाकी जिलों में कई उद्योग लगे हुए हैं। पर हमारे जिले में यह एक ही उद्योग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, मैंने कहा कि इस विषय पर और भी सूचना मेरे पास है जिसके ऊपर मैं मेरी व्यवस्था दूंगा तब माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर सकेंगे।

श्री राजकुमार जयपाल।

अजमेर सीवरेज योजना

337. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजकुमार जयपाल)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सीवरेज योजना की क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पाई है जिसके अभाव में काफी गन्दगी है ?

(2) इस योजना को राज्य सरकार कब तक चालू करना चाहती है ? इस वर्ष इस मद पर कितना व्यय किया जायेगा ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) तकनीकी उपयुक्तता के कारण एवं धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी। वर्ष 1985-86 में इस मद पर कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री राजकुमार जयपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि अजमेर सीवरेज स्कीम बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा से पहले बनी और इसके लिये वर्ल्ड बैंक ने सात करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी लेकिन कुछ राजनैतिक कारणों से इसको एक्सलूड कर दिया और बीकानेर को इसमें इन्क्लूड कर लिया ?

दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि इस वक्त अजमेर में भयंकर रूप से गन्दगी फैली हुई है जिससे वहां पर एपीडेमिक फैलने का खतरा है ? पिछले दो साल में वहां पर 11 प्रतिशत मलेरिया ज्यादा फैला और 15 प्रतिशत कीटाणुओं की वृद्धि होने से वहां बीमारी फैल रही है।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस सीवरेज स्कीम को इम्पार्टेन्स देकर युद्ध स्तर पर योजना में लेना चाहती है या इससे लेस इम्पार्टेन्स योजना तारागढ़, जो बेकार है, पर 20 लाख रुपया खर्च करेगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अजमेर सीवरेज योजना पहले ही तैयार कर ली गयी लेकिन उसके लिये न तो कोई पैसा स्वीकृत हुआ और न ही पैसा ही दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से योजना लागू हुई है। आइडा के तहत कुछ योजनायें स्वीकृत हुई हैं उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर आदि हैं जो कि एक लाख की आबादी से ऊपर के शहर हैं। वहां अन्तर्राज्यीय सेनीटेशन दशक के तहत मन्जूरियां हुई हैं। इसमें आइडा में पैसा मिलेगा। लेकिन वह पैसा तब मिलता है जबकि राज्य सरकार अपने पास से पहले पैसा खर्च करे। उसके बाद में उस पैसे का कुछ हिस्सा भारत सरकार से रिएम्बर्समेन्ट करते हैं, 30 प्रतिशत के करीब। जो पैसा मन्जूर हुआ है वह बहुत ही कम पैसा है। इसकी फर्स्ट स्टेज में जो योजना पूरी होगी उसके कम्पलीट करने के बाद सैकण्ड स्टेज में जो अजमेर का नम्बर आता है अभी इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस-किस साल में किस-किस क्षेत्रों के लिये कितना प्रावधान किया जायगा, इसका अभी उल्लेख नहीं

(श्रीमती कमला)

किया गया है इसलिये मैं इस बारे में अभी कुछ भी बता नहीं सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की पुष्कर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है। पृथक से प्रश्न है। यह अजमेर जिले का नहीं है, शहर का है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने फरमाया कि पहले जो फर्स्ट स्टेज की सिटीज हैं उनकी योजना पूरी होगी। तो माननीय मन्त्री महोदया, कृपया बतायें कि वह कौन-कौन सी सिटीज हैं जहां पर यह काम चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : सिटीज से मतलब शहर से नहीं है। सिटीज का मतलब फर्स्ट स्टेज की योजना से है।

श्रीमती कमला : मैंने अभी नाम बताये। दुबारा बता देती हूं—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। सीवरेज का काम हाथ में ले रखा है गवर्नमेन्ट ने और इसके लिए अभी काफी काम किया जाना बाकी है। उसके बाद दूसरे शहरों के लिए प्रोग्राम बनाया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय कोटा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सारा पैसा बरबाद हो गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं, एक लाख से ऊपर के शहरों के लिए जीवन बीमा निगम से और आइडा से बहुत बड़ी सहायता मिलती है और राज्य के अधिकांश शहरों में जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर यह योजना चल रही है। राजस्थान में 11 "ए" क्लास शहर हैं दुर्भाग्य से उनमें न तो जीवन बीमा निगम से और न आइडा से राज्य सरकार किसी प्रकार की सहायता लेती है क्योंकि आइडा में पहले राज्य सरकारों को पैसे जमा कराने पड़ते हैं और फिर लेना पड़ता है। जीवन बीमा निगम भी इसके लिए आसान शर्तों और कम ब्याज पर ऋण देता है, फिर भी आपने नहीं लिया। वास्तव में यह सारा काम स्वायत्त शासन संस्था का है लेकिन पी.एच.ई.डी सारा काम करती है। राज्य में यह बहुत बड़ी समस्या है इसलिए मन्त्री महोदया जवाब दें कि जीवन बीमा निगम और आइडा से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करके एक लाख से ऊपर शहरों में जल्दी से जल्दी कैसे व्यवस्था करेगी।

श्रीमती कमला : नहीं ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है। उदयपुर और कोटा के लिए एल. आई. सी. से लिया है और कोटा के अन्दर 2 करोड़ का काम हुआ है इसके

(श्रीमती कमला) :

तहत में और उदयपुर में ही इसके तहत लोन लिया गया है एल. आई. सी. से। 13 करोड़ आइडा से ले चुके हैं। जो भी सोर्सेज अवेलेवल हैं और हमारी वित्तीय स्थिति के अनुसार लोन लेने का हम सामर्थ्य रखते हैं उसको छोड़ा नहीं जाता है। ऐसी गवर्नमेन्ट लापरवाही नहीं कर सकती।

जो प्रावधान इसमें किया हुआ है उतना पैसा राज्य सरकार खर्च करती है और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जितना प्राव-धान किया जाता है उससे भी कहीं अधिक थोड़ा बहुत बढ़ाकर हर साल किया जाता है और उसके पेटे जितना मैक्जीमम राज्य सरकार ले सकती है लेती है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितनी चलने वाली स्कीम हैं उसमें कोटा को छोड़कर क्या और स्थानों पर नगर पालिका या नगर विकास न्यास का सहयोग लिया है या कोटा में नगर परिषद ने ही काम किया है और सरकार ने कुछ नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नीति-गत सवाल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में यह बात नहीं। माननीय सदस्य, स्पेसिफिक क्वेश्चन अजमेर के लिए दिया है। कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : न एल. आई. सी. ने काम किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि यह योजना प्रारम्भ कब हुई और आबादी जोधपुर शहर में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अजमेर के बारे में सवाल है। आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें। नेक्स्ट। आर्डर प्लीज, बैठें।

(व्यवधान)

नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपया बैठें। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, श्री हीरालाल आप मैं अलाऊ नहीं करूंगा माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज बैठें। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें शिवचरण सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत....

श्री अध्यक्ष : अजमेर से संबंधित प्रश्न। आगे नहीं बढ़ें।

(14)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अजमेर में जब यह स्कीम बनी दूसरे नम्बर का आबादी के लिहाज से राजस्थान में शहर था, इसको वर्ल्ड बैंक में या एल. आई. सी. में नहीं लेने का क्या कारण है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अजमेर न केवल राजस्थान में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है। वर्ष में दो बार ख्वाजा साहब का मेला और दो बार पुष्कर का मेला लगता है और हजारों यात्री, लाखों यात्री वहां आते हैं। ऐसे शहर को इस योजना में, जब कि कम्पेरेटिवली जनसंख्या के लिहाज से वह दूसरे नम्बर का शहर था, छोड़ने का क्या कारण था ?

तीसरा मेरा सवाल यह है, खैर छोड़िये आप ने इस योजना को नहीं लिया, तो एक और योजना जो कि दरगाह क्षेत्र के लिए बना कर पेयजल विभाग को भेज रखी है और विभाग के पास रखी है उस दरगाह के अलावा उस क्षेत्र को ही अगर सीवरेज की स्कीम में शामिल करने के लिए योजना आई है सरकार के पास उसके बारे में सरकार इस वर्ष कोई प्रावधान रखने का विचार रखती है ?

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : अध्यक्ष महोदय, एक नीति का सवाल है ...

श्री अध्यक्ष : नीति का सवाल नहीं है। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। केवल अजमेर के लिए पूछा गया है। आर्डर प्लीज कृपया बैठें। केवल अजमेर के लिए सवाल पूछा गया है। मंत्री महोदया के पास सारी सूचना सब जगह की नहीं हो सकती। आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ कोटा में ही म्यूनिसिपैलिटी ने पैसा दिया है ऐसा नहीं है अजमेर में, बीकानेर में भी म्यूनिसिपैलिटी ने पैसा दिया है। एल. आई. सी. से, जहां से भी पैसा लिया जाता है उसके प्रपोर्शनेटली राज्य सरकार को भी अपनी तरफ से पैसा देना पड़ता है तब एल. आई. सी. पैसा देती है एडवान्स में बिना किसी शर्त के पैसा नहीं मिलता है। इसी तरह से आइडा का पैसा आता है वह खर्च कर चुकने के बाद 35 पर्सेन्ट हमको मिलता है। तो राज्य सरकार के वित्तीय साधनों के अन्तर्गत जो शहर पहले लिए हुए हैं उनको छोड़कर अन्य शहरों पर चला जाये और पिछले भी अधूरे रह जायें और नये भी अधूरे रह जायें इस योजना से किसी तरह से लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जो काम हाथ में लिया हुआ है उसको पूरा करने के बाद में फिर और शहरों को लिया जयेगा।

श्री अध्यक्ष : सुश्री गिरिजा व्यास, श्री नवरंग सिंह।

उर्जा उत्पादन में आत्म-निर्भरता

338. **सुश्री गिरिजा व्यास** (उदयपुर)
श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़),
श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा),
श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा),
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) एवं
श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) राज्य में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता क्या है तथा अन्य राज्यों से व स्त्रोतों से कितना–कितनी यूनिट बिजली उपलब्ध होती है ? राज्य में कितने मेगावाट बिजली की कमी रहती है ?

(सुश्री गिरिजा व्यास)

(2) राज्य में इस समय कृषि एवं उद्योग व घरेलू काम हेतु उपयोग में आने वाली बिजली की कितनी आवश्यकता है तथा कितनी प्राप्त हो रही है ?

(3) अगले पांच वर्षों में बिजली की कितनी मांग होगी तथा इसके लिए सरकार ने कितना अनुमान लगाया है ? इसकी पूर्ति हेतु इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं ? तथा अगले हर वर्ष कितनी कितनी बिजली कहां कहां से प्राप्त होगी ? कृपया विभिन्न क्षेत्रानुसार विवरण सदन पटल रखें।

(4) पिछले पांच वर्षों में राज्य को विभिन्न स्रोतों से कितनी कितनी यूनिट बिजली प्राप्त हुई तथा कितनी बिजली का उपभोग उपभोक्ताओं द्वारा किया गया ?

(5) प्राप्त बिजली में से राज्य के कृषि कुओं के लिए कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया जा रहा है ? वह कुल प्राप्त बिजली का कितना प्रतिशत है ?

(6) राजस्थान राज्य में कृषि कुओं के लिए बिजली की कितनी कमी है ? क्या राज्य सरकार इस कमी को दूर करने के लिए निकट भविष्य में कोई स्रोतों की खोज कर रही है ?

(7) क्या विद्युत की कमी को दूर करने के लिए सरकार, प्राइवेट सैक्टर में विद्युत उत्पादन में छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

(8) क्या यह सही है कि राज्य ने नेशनल ग्रिड बनवाने का सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया था ताकि देशव्यापी स्तर पर विद्युत का समान वितरण हो सके ?

(9) राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

(10) क्या सरकार ने विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन में आत्म-निर्भर होने हेतु किसी योजना के बारे में सोचा है ?

(11) यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या प्रगति है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) वर्तमान में राज्य में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 1713.16 मेगावाट है। अन्य राज्यों व विभिन्न स्रोतों से (दिनांक 12-7-1985) को बिजली की उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

	(लाख यूनिट में)
1. भाखरा-व्यास	59.36
2. राजस्थान अणु विद्युत गृह-द्वितीय	40.79
3. चम्बल	24.72
4. मध्य प्रदेश	1.00
5. सिंगरोली	14.58
6. कोटा थर्मल पावर स्टेशन	20.72
	160.64

(16)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वर्ष 1984-85 में 579 मेगावाट बिजली की कमी रही थी व वर्ष 1985-86 में यह कमी 489 मेगावाट की होने की सम्भावना है।

(2) राज्य में वर्तमान में बिजली की जो आवश्यकता है वह निम्न प्रकार है :—

क्र. सं. श्रेणी	नियंत्रित सप्लाई (लाख यूनिट में)	अनियंत्रित सप्लाई (लाख यूनिट में)
1. घरेलू व वाणिज्य	34.00	34.00
2. छोटे व मध्यम उद्योग	20.00	20.00
3. स्ट्रीट लाइट व बल्क सप्लाई	6.00	6.00
4. अनिवार्य उच्च पारेषण भार	6.00	6.00
	66.00	66.00
उच्च पारेषण-उद्योग		
अ. अनिवार्य	15.50	
ब. सीमेंट	14.00	
स. अअनिवार्य	34.50	
	64.00 बेस यूनिट पर नियंत्रित सप्लाई बिना कटौती के	79.00 बेस यूनिट पर नियंत्रित के बिना
ग्रामीण आपूर्ति (कृषि सहित)	65.00 (12 घंटे प्रति दिन की सप्लाई देने पर)	85.00 (24 घंटे सप्लाई)
योग	195	230

वर्तमान में 12-7-85 को 160.64 लाख यूनिट विद्युत प्राप्त होती है।

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की 12 वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर अगले पांच वर्षों में राज्य में विद्युत की वर्षवार मांग व उपलब्धि (अनुमानित) निम्न प्रकार होने की सम्भावना है :—

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वर्ष	अनुमानित (मि यू) ऊर्जा		अनुमानित उच्च मांग (पीक डिमांड) मेगावाट में	
	मांग	उपलब्धि	मांग	उपलब्धि
1985–86	9133	6562.8	1738	1249
1986–87	10164	6780.2	1934	12.90
1987–88	11245	7589.0	2139	1444
1988–89	12391	8916 46	2357	1696
1989–90	13613	9943.04	2590	1892

इसकी पूर्ति के लिये राज्य में कई विद्युत परियोजनाओं का प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया है। इनमें कुछ मुख्य माही जल विद्युत कोटा तापीय, सिंगरोली तापीय व अनेक लघुपन विद्युत परियोजनायें हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आने वाली उपरोक्त परियोजनाएं व उनसे मिलने वाली बिजली का वर्षवार विवरण तालिका "क" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) पिछले पांच वर्षों में राज्य को विभिन्न स्रोतों से जो बिजली मिली उसका विवरण परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है। जितनी बिजली का उपभोग उपभोक्ताओं द्वारा किया गया वह भी उक्त परिशिष्ट में दर्शा दिया गया है।

(5) वर्तमान में (दिनांक 12-7-1985 को) प्राप्त बिलजी में से राज्य के कृषि कुओं के लिए प्रतिदिन लगभग 50 लाख यूनिट विद्युत उपभोग होने का अनुमान है जो कि कुल उपलब्ध बिजली का लगभग 31.2 प्रतिशत है।

(6) वर्तमान में राजस्थान में कृषि कार्य हेतु 15 से 20 लाख यूनिट बिजली की कमी आंकी गई है। इस कमी को दूर करने के लिए कई विद्युत परियोजनाओं का प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है जिसका विस्तृत तालिका "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(7) निजी क्षेत्र में जो कारखाने राज्य में कार्य कर रहे हैं उनकी मांग पर वे जो जेनरेटिंग सेट लगाना चाहते हैं उनको मण्डल उदारतापूर्वक स्वीकृति देता है। इसके अलावा सरकार संयुक्त क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन करने की सम्भावनाओं पर विचार रही है।

(8) जी नहीं। राज्य सरकार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया।

(9, 10 व 11) राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई नई विद्युत उत्पादन योजनाओं का प्रावधान है जिनका विवरण उपरोक्त तालिका "क" में दिया गया है। इनमें माही जल विद्युत, कोटा ताप विद्युत चरण II मुख्य योजनायें हैं जिन पर कार्य चालू है। इसके अतिरिक्त कुछ लघु विद्युत योजनाएं जैसे अनूपगढ़, सूरतगढ़, मांगरोल, रामगढ़ गैस आदि पर भी कार्य

(18)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चल रहा है। माही परियोजना (चरण-I) के माह, सितम्बर-अक्टूबर, 1985 में चालू हो जाने की सम्भावना है। कोटा ताप विद्युत केन्द्र चरण-II का कार्य भी प्रगति पर है और इसकी 210 मेगावाट की प्रथम इकाई के माह मार्च, 1987 में व 210 मेगावाट की द्वितीय इकाई के माह दिसम्बर, 1987 में आने की सम्भावना है। अन्य परियोजनाओं के चालू होने का सम्भावित माह/वर्ष तालिका "क" पर दर्शाया गया है। इनके अलावा कुछ और प्रस्तावित विद्युत परियोजनाऐं राज्य में स्थापित करने हेतु योजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से जांच करने हेतु भेजी गई हैं। ऐसी सभी परियोजनाओं का विवरण तालिका "ख" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। पलाना ताप विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर ली गई है और अभी वह योजना पूंजी विनियोजन की स्वीकृति के लिये योजना आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा, कृषि भूमि के लिए जो उन्होंने 15 से 20 यूनिट प्रति दिन की कमी बताई, निश्चित तौर पर कृषि के लिये बिजली देने का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि जो पलाना ताप घर के निर्माण की बात आज भी कही है, पहले भी कही है, इसके निर्माण में या इसकी स्वीकृति मिलने में इतनी दिक्कत क्यों हुई और क्या राज्य सरकार की लापरवाही के कारण से उसको स्वीकृति नहीं मिली और निर्माण कार्य नहीं चलने से बिजली की पूर्ति जितनी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है ? मन्त्री महोदय से मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि 12 घण्टे प्रति दिन बिजली देने का प्रावधान आपका बोर्ड करने जा रहा है, यह कब तक किया जायेगा ? इसकी क्या प्रक्रिया है, मुझे उत्तर में बताने का कष्ट करें।

इसके अलावा जो अतिरिक्त कनेक्शन बढ़ाये हैं इस साल या अगले साल में कनेक्शन की जो बीच में यूनिट बढ़ाई है उस यूनिट के लिए क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था आने वाले वर्षों में मन्त्री महोदय करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत पूछ लिया है।

श्री नवरंग सिंह : एक सवाल और पूछना चाहूंगा। सिंगरोली में जो बिजली ताप घर है उसमें राजस्थान के हिस्से की बात कहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कितना हिस्सा है और वह कब हमें मिलेगा ?

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले इसका मन्त्री महोदय का उत्तर आने दीजिये। मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कृषि क्षेत्र में माननीय सदस्य ने कमी की पूर्ति के बारे में जानकारी चाही है। मैंने जैसा सदन में निवेदन किया बिजली की कमी है और उसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन योजनाओं को हमने हाथ में लिया है

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उनके पूरा होने पर ही इस कमी को पूरा करना संभव है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसकी स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति के बिना करोगे क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप परिशिष्ठ 'क' को पढ़िये। पलाना के लिये आपने बताया था....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप परिशिष्ठ 'ख' पढ़िये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : परिशिष्ट 'क' में उन योजनाओं को दर्शाया गया है जो स्वीकृत योजनायें हैं और सब पूरी होने वाली हैं। यह कार्यक्रम भी परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिये शायद आपके पास नहीं हो, तो बताना चाहता हूं माही जल विद्युत गृह की 25 मेगावाट की दो इकाइयां अक्तूबर, 1985 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसी तरह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसको रिपोर्ट कर रहा हूं। उससे 1985 तक 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अनूपगढ़ लघु पन विद्युत गृह में अक्टूबर, 86 तक 4.50 मेगावाट उत्पादन होने की आशा है। इसी तरह से विद्युत गृह सैकण्ड से मार्च, 1987 तक 4.50 मेगावाट पैदा होने की संभावना है। इसी तरह कोटा तापीय चरण ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे अनूपगढ़ की बात कर रहे है। आर्डर प्लीज। आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसी तरह कोटा तापीय चरण सैकड की प्रथम इकाई मार्च, 1987 में आने की संभावना है जिससे 210 मेगावाट बिजली मिलेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : कहां मिलेगी?

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। कृपया बैठें ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 87-88 में जो योजनायें पूरी होने की संभावना है वे इस प्रकार हैं रामगढ़ गैस तापीय, कोटा तापीय चरण सैकण्ड, मांगरोल लघु पन विद्युत, सूरतगढ़ लघु पन विद्युत, दाई मुख्य नहर माही प्रथम, दाई मुख्य नहर माही सैकण्ड इटावा लघु पन विद्युत, जालूवाला लघु पन विद्युत, नाचना लघु पन विद्युत। सिंगरोली ...

श्री मानिक चन्द सुराणा : यह तो लिस्ट में हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने कहा पढ़ दूं, इसलिए पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वे जानना चाहते हैं, मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जायं।

(20)

श्री शिवचरण सिंह : चम्बल में नेचरल फाल है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण सिंह : चम्बल नदी 100 फीट पानी में गिरती है....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में कई जगह हो सकती है। आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य। आप नये नये प्रस्ताव दे रहे हैं। कई जगह हो सकती है। अभी जो स्थिति है वह बताई है। समझने की कोशिश करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इस सूची को पढ़ने में सारा समय निकल जायगा। सूची इन्होंने दी है, इस सूची पर रेलेवन्ट सवाल हैं इनके उत्तर दीजिये।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : हम सूची सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मानिक चंद सुराना : इस सूची को पढ़ने के अलावा माननीय मंत्री जी को जो जवाब श्री नवरंग सिंह जी का देना है वह दे दें ताकि हम लोग अन्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

-आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि 84-85 में 579 मेगावाट की कमी रही। मंत्री महोदय कृपया बताने का कष्ट करें कि 84-85 के अन्दर जो 579 मेगावाट की कमी बताई है उसमें 100 पर्सेन्ट पावर कट के कितने दिन रहे, इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर में 80 पर्सेन्ट, 75 पर्सेन्ट पावर कट के कितने दिन रहे और 50 पर्सेन्ट पावर कट के कितने दिन रहे ? यह कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री मानिक चंद सुराना : माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि तालिका 'क' में जो आपने सूची दी, जो सातवीं पचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जायेंगी, इसमें सातवीं योजना में कुल कितना विनियोजन करने का प्रावधान आपने रखा है ? क्योंकि आपने वर्षवार सूची दी है इसलिए वर्षवार जो आपका विनियोजन है वह कुल कितना है, बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान की डिमाण्ड और अवेलेबिलिटी के प्रश्न पर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने और राजस्थान सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्किंग ग्रुप ने जो फिगर्स दिये हैं उन दोनों में बड़ा भारी अन्तर है ? आपने यह बताया कि गत वर्ष 579 मेगावाट की कमी थी और इस वर्ष 85-86 में 479 मेगावाट की कमी रहेगी और इन एडीशन आपने बताया कि 50 मेगावाट का उत्पादन माही से अक्टूबर के अन्दर शुरू हो जायेगा लेकिन कमी रहती है 90 मेगावाट की। यह चालीस मेगावाट की पूर्ति कहां से होगी ? मैं तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पीक डिमाण्ड के अगेन्स्ट में कितनी कमी रहेगी, यह भी बता दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह भी बता दें....

श्री अध्यक्ष : आप ने पूछ लिया। एक एक मैम्बर बार-बार उठकर 10-10 सवाल पूछेगा तो बार-बार में कैसे....

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं एक सवाल इसलिये पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : मैंने सवाल किया था पलाना के बारे में, सिंगरोली के बारे में। अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी जवाब दे रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : उत्तर टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर जानना चाहते हैं तो बैठें। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कृषि क्षेत्र में जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि 12-7 को जो हम बिजली दे रहे हैं वह कुल बिजली का 31 पर्सेन्ट हम बिजली दे पा रहे हैं, 50 लाख यूनिट। लेकिन हमने पिछले वर्ष जो किसानों की मुख्य फसल रबी की है, उसमें जो बिजली उपलब्ध कराई है वह बिजली इससे अधिक दी है जो लगभग आती। हमारी अवेलेबिलिटी के आधार पर बताना चाहता हूं: नवम्बर 84 में 105 लाख यूनिट, दिसम्बर में 110 लाख यूनिट, जनवरी में 110 लाख यूनिट, फरवरी में 120 लाख यूनिट और मार्च में हमने 126 लाख यूनिट किसानों को बिजली उपलब्ध कराई है। कुल बिजली जो उस वक्त हमें उपलब्ध हुई थी वह 173 नवम्बर में, दिसम्बर में 168, जनवरी में 177, फरवरी में 171, मार्च में 183 इस तरह से जो हमने किसानों को बिजली उपलब्ध कराई उसका विवरण अभी मैंने आपको दिया। कृषि कार्य हेतु जो बिजली हमने पिछले नवम्बर से मार्च तक उपलब्ध कराई, कुल बिजली की उपलब्धि का 68 से 70 पर्सेन्ट बिजली हमने अलग अलग माह में उपलब्ध कराई है। इस तरह से बड़े उद्योगों पर जो हमने कट लगाया है वह 43 पर्सेन्ट से 65 पर्सेन्ट तक कट लगा कर के किसानों की आवश्यकताओं का पूरा करने का निर्णय करके उसके आधार पर बिजली सप्लाई की है।

जहां तक विपक्ष के नेता महोदय ने पूछा कि 90 मेगावाट की कमी को कैसे आप पूरा करोगे। माही के आने से 50 मेगावाट तो हमें वह मिलेगा। इस साल जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर में तो पानी कम आया है इसलिये बिजली की उत्पादन क्षमता हमारी कम होगी। जो हमारा हिस्सा कम मिला है उस संभावित हिस्से का पानी जो आगे हमें मिलेगा उससे हम मान कर चलेंगे कि यह 90 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पानी तो इस साल सबसे अधिक आया है।

22

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भाखड़ा में इस वर्ष जो पानी आया है, 33 फीट पानी कम आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिये बता दूं, भाखड़ा में पानी बिल्कुल कम है।

श्री अध्यक्ष : अभी थोड़ा बाकी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसीलिये कह रहा हूं। इसी तरह सिगरोली से जो हमारा हिस्सा है उसको पूरा लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा सोच रहे हैं जिस हिसाब से 90 मेगावाट....

श्री भैरों सिंह शेखावत : सतपुड़ा से और सिगरोली से आपको अपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं मिलेगी इस साल।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी कम मिली है जिसका विवरण भी मैंने सदन में रख दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कभी-कभी का नहीं यह तो टोटल का सवाल है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : टोटल कम नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर कैसे पूरा करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा मैंने कहा घाटे को पूरा करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा, जो तालिका आपने स्वयं दी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रावधान के लिये पूछा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अभी बहुत सवाल बाकी हैं।

श्री नवरंग सिंह : सरकार के पास से 12 घण्टे किसानों को बिजली दी जाये---

(12.00 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : सरकार के पास बिजली किसान को 12 घंटे दी जाये...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। अंकित न हो।

(व्यवधान)

कृपया बैठें। अभी मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वर्तमान बिजली की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में 12 घंटे बिजली दिया जाना किसानों को सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, एक सवाल वह पूछा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में....

श्री नवरंग सिंह : यदि किसानों को बिजली देना संभव नहीं है तो सरकार का रहना भी संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : योजना वाइज आंकड़े अलग-अलग साल में कितना खर्च होगा, मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, मैं माननीय सदस्य को सप्लाई कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। इस सम्बन्ध में प्रश्न....

(व्यवधान)

कृपया बैठें आसन पैरों पर है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं कि इस विद्युत के बारे में इस सदन में आगे वाले दिनों में विस्तार से चर्चा होगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : चर्चा आप करायें, मेरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठें। मेरी बात तो सुन लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सुन रहा हूं आप इसमें आगे का समय निर्धारित करेंगे, आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न। सब ने प्रश्न किये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें कृपया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय श्री चुन्नी लाल। आप इस तरह से करेंगे तो मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप एक-एक करके बोलेंगे तो समझ में आ सकती है। बैठें। पहले आप बैठें। माननीय सदस्य आज्ञा की अवहेलना न करें। पहले बैठें। क्या बात हुई यह। आर्डर प्लीज। बात नहीं करें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में आप व्यवधान डाल रहे हैं। श्री मानिक चन्द।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि तालिका दो के अनुसार यदि सारे प्रावधान आपके समाप्त हो गये सातवीं पंचवर्षीय योजना के, तो क्या आप जो यह तालिका 'ख' में पलाना ताप विद्युत केन्द्र को सबसे ऊपर ही ऊपर रखा है और जिसके लिये 297 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिसके लिये योजना आयोग के समक्ष पूंजी विनियोजन के लिए मामला विचाराधीन है, उस तालिका 'क' की प्राथमिकता को देखते हुए पलाना ताप बिजली घर पर इन पांच सालों में कितना धन खर्च करने का मन रखते हैं? यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये, बैठिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। ऐसी क्या जल्दी है। बहुत उतावले हो रहे हैं, कृपया बैठें।

(29)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक पलाना में लिग्नाइट पर आधारित बिजली उत्पादन करने का प्रश्न है, हमने नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन जो भारत सरकार का है, पलाना में कितने डिपाजिट्स हैं उस डिपाजिट के आधार पर ताप घर लगायेंगे वह कितने वर्षों तक इसकी क्षमता को पूरा कर सकेगा उसकी जांच के लिए कार्य उनको दे रखा है। उन्होंने अभी हमें बताया है और जो कपूरड़ी में लिग्नाइट के भण्डार हैं उसके बारे में भी हमने पता लगाया। उसमें बताया कि 80 लाख मिलियन टन. ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तो बहुत पुराना सवाल है। यह विद्युत प्राधिकरण ने योजना स्वीकृत कर दी है। योजना कमीशन के सामने पूंजी विनियोजन के लिए मामला विचाराधीन है, अभी आप सर्वे की बात कर रहे हैं। आप इस बारे में कितनी धनराशि व्यय करने का विचार रखते हैं ? देखिये, इस साल बजट में दो करोड़ का आपने प्रावधान किया है वह आखिर कहां जायेगा, कहां खर्च होगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सातवीं पंचवर्षीय योजना में पलाना पर 100 करोड़ खर्च करने का हमने प्रावधान किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में दो करोड़ का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : 100 करोड़।

(व्यवधान)

आप बैठें। श्री भैरूलाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : क्या यह सही है उद्योगों में जो कट लगाने की बात मन्त्री महोदय ने बताई है यह केवल आदेशात्मक कट है उनको कह दिया जाता है वह मीटर तो बन्द कर दें और बिजली उस लाइन में चालू रहती है और उद्योगपति बिजली की चोरी करता है और किसान की लाइन में बिजली काट दी जाती है ? क्या यह कट वाला मामला उद्योगों का बिजली काटने का जारी रखेंगे ?

दूसरा यह बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली के कार्य के महत्व को देखते हुए....

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया गया है, जवाब भी आ गया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : कहां जवाब आया है। मेरा प्रश्न ही दूसरा है। मैं यह कहता हूं कि क्या सरकार प्रतिशत कृषि का बढ़ायेगी ? जो 31.2 पर्सेन्ट जनरल है यानि दो बटा तीन बिजली किसानों को देगी ?

तीसरा पाइन्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि बिजली की कमी को देखते हुए जो उद्योगपतियों को जनरेटर के लिये सरकार अनुदान देती है, क्या किसानों को जेनरेटर लगाने के लिये सरकार अनुदान देगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य

श्री बिजेन्द्रपाल सिंह (ग्रासीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह जनरल क्वेश्चन है कि सी. ई. ए. ने क्या यह निर्णय किया है कि राजस्थान में 132 के. वी. की लाइन पावर प्लांट से न लगाकर 400 के. वी. की लाइन लगाई जावे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि सी. ई. ए. ने पलाना ताप घर की स्वीकृति कब दी थी, योजना आयोग के पास पूंजी विनियोजन के लिए आपने कितने वर्ष पहले भेजा, क्या उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को अपनी राशि लगाने के लिये तैयार रहना चाहिये और इस कारण से देरी हो रही है स्वीकृति देने में ?

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। 45 पर्सेन्ट और 65 पर्सेन्ट का कट, 100 पर्सेन्ट का कट, इरिगेशन में भी कट, सब जगह कट। मैं कहता हूं 80 दिन तो 100 पर्सेन्ट कट करके उद्योगों को देंगे। अभी मन्त्री महोदय ने बताया, हम यह मानकर चलते हैं कि पलाना, कोटा तापीय, माही वगैरह सारे के सारे शुरू हो जायें, अनहोनी होनी हो जाये, राजस्थान में जो-जो योजनायें इन्होंने स्वीकृत कराई, यह जो सोचते हैं वह सब हो जाय उसके बावजूद वर्किंग ग्रुप ने इनके लिये जो तय किये हैं 1985-86 के पीक पीरियड 1738 मेगावाट की मांग होगी और उपलब्धि होगी 1249 मेगावाट अध्यक्ष महोदय, लगातार 85-86, 86-86, 87-88 88-89, 89-90 में जो वर्किंग ग्रुप का फिगर था, इसमें आपने फिगर्स नहीं दिये हैं वह 159 मेगावाट की कमी महसूस करेगा। इसके बावजूद भी जबकि आपकी अनहोनी होनी मानकर चलें। आपने कहा कोटा तापघर का सैकण्ड फेज पूरा हो जायेगा। यह भी हम अनहोनी मान लें, कोटा का थर्ड फेज भी पूरा हो जायेगा, पलाना भी हो जायेगा। कपूरडी की बात कर रहे हैं बाड़मेर की वहां लिग्नाइट काफी है वह भी आ जाये, माही की भी आ जाये, सिंगरोली की भी आ जाये, सब कुछ आपका ठीक चलने लगे उसके बाद भी जो कमी आपकी रहेगी करीब 1150 मेगावाट की कमी रहेगी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक। तो इस सूरत में यह कमी आप कैसे दूर करेंगे ? इसके कोई आपके प्लान्स हैं ? किसी दूसरे स्टेट्स से लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, हम इसलिये मामला उठा रहे हैं कि राजस्थान सरकार की साख दूसरे स्टेट्स के बीच में काफी गिर चुकी है जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। इनको हिस्सा नहीं देते। अगर ऐसी स्थिति कायम रही तो राजस्थान में हमको लगातार बिजली का काल भुगतना पड़ेगा। एक भी योजना सम्पूर्ण नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग संख्या 9 के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1983 में राजस्थान सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार में दो अनुबन्ध हुए संजय विद्युत परियोजना और कोल विद्युत परियोजना के संबंध में उसकी क्या प्रगति हुई ?

(28)

श्री भैरोंसिंह शेखावत . उनको पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप अब तक तो पूछ नहीं रहे हैं अब याद आ गया। कृपया बैठें। अब तक आप खड़े हुए नहीं, एकदम कुछ याद आ गया आपको, कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री रमजान खां : मंत्री महोदय ने यह माना है कृषकों को बिजली 15 से 20 लाख यूनिट कम दी जायगी। तो इससे यह साफ जाहिर है कि जितनी बिजली चाहिये उतनी जला नहीं पायेंगे। ऐसी स्थिति में यह बताने की कृपा करेंगे, मिनिमम चार्ज खतम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? यह बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी ,प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा) : जो इण्डस्ट्रियल ऐरिया है उसमें तो जेनरेटर लगाने के लिये सरकार अनुदान देती है....

श्री अध्यक्ष : यह तो पूछ लिया।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान : क्या गांवों में जो उद्योग लगे हुए हैं उन को भी जेनरेटर लगाने के लिये सरकार अनुदान देती हैं या नहीं देती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : आपकी आज्ञा से मैं कुछ और नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इनका जो जवाब है धौलपुर ताप विद्युत केन्द्र में, परियोजना के वर्तमान हिस्से के बारे में लिखा हुआ है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। मेरी जानकारी में केन्द्रीय विद्युत अभिकरण ने इसकी स्वीकृति दे दी है या क्लियरेंस दे दी है। चूंकि हमारी सरकार का विशेष ध्यान नहीं था इसलिये इसके कार्यक्रम में आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकी। नम्बर-दो कई राज्यों में....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ कहां रहे हैं ? आप प्रश्न कहां पूछ रहे हैं ?

श्री मोहन प्रकाश : यह पूछ रहा हूं, क्या यह सही है यह जो सूचना दी गई है, यह गलत सूचना है। मेरे पास केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के एक पत्र की फोटो स्टेट कापी है, कहिये तो मैं इसे सदन में प्रस्तुत कर दूं या सदन की मेज पर रख दूं जिसमें यह स्पष्ट है कि जो सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने इसकी क्लियरेंस दे दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : नम्बर-दो, कई राज्यों में सुलभ ऊर्जा करके ऊर्जा का एक नया स्रोत काफी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। क्या राज्य सरकार या विद्युत विभाग या विद्युत मंत्री सुलभ ऊर्जा का, जैसे मैं पटना का उदाहरण दूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें आप, उदाहरण नहीं दें।

श्री मोहन प्रकाश : मैं उसके सदर्भ में बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संदर्भ न बतायें, आप पूछ लें।

श्री मोहन प्रकाश : जहां राज्यपाल रहते हैं वहां सुलभ ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करके पूरी स्ट्रीट लाइट जलाते है। क्या राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिये अन्य स्रोतों के साथ-साथ सुलभ ऊर्जा का प्रयोग करने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कि उद्योगपति और राजस्थान के जो उद्योगपति बाहर रहते हैं उन्होंने करोड़ों रुपया घर से और लेकर, और सब्सिडी प्राप्त करके यहां पर उद्योग लगाये जिनके ऊपर हण्ड्रेड पर्सेन्ट कट लगा देते हैं। जब बिजली देते रहते हैं, तब जो बिजली की बकाया है उसको वसूल करते हैं तो वह हाई कोर्ट से स्टे ले आते है क्योंकि उनको बिजली पूरी मिलती नहीं है। यह स्थिति उद्योगों की है। किसानों को सौ करोड़ रुपया लगाने के बाद भी मन्त्री महोदय का जवाब है, हम इससे ज्यादा बिजली देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। 100 करोड़ रुपया लगाने के बाद में अगले साल और क्या स्थिति होगी, इसमें भी आप मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हैं। किसानों की यह हालत है। पांच घण्टे उनको पूरे अच्छे वोल्टेज से बिजली नहीं मिलती। उद्योगपति जो बाहर से आये हैं वह रो रहे हैं, उनको बिजली नहीं दे रहे हैं। फिर इतना खर्चा करने के बाद आपकी क्या स्थिति है? आप कहां से बिजली लायेंगे, कैसे इसकी स्थिति सुधरेगी, आपका क्या प्रोग्राम है? या तो इस बिजली बोर्ड को ठेके पर दे दीजिये किसी आदमी को अगर आपसे कन्ट्रोल नहीं हो पाता है तो आपने इन बड़े बड़े मठाधीशों को बना रखा है...

(व्यवधान)

इन लोगों ने गुमराह कर दिया राजस्थान की जनता को। कम से कम इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। आखिर आपका क्या प्रोग्राम है? आपका राजस्थान को क्या गिरवी रखने का विचार है? क्या प्रोग्राम है जिसकी वजह से राजस्थान के किसान, यहां का उपभोक्ता, यहां के उद्योगपति को कोशिश करके बिजली दी जा सके।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में पूछें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इसके लिये क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूं मन्त्री महोदय से, पांच साल पहले धौलपुर के लिये एक सुपर थर्मल पावर प्लांट की घोषणा की गई थी। हर साल हम यह देखते जा रहे हैं कि आज लगता है, कल लगता है, परसों लगता है। इलेक्शन के पहले हमें एक जमीन बताई गई थी और बताया गया था कि अभी लगने जा रहा है। हम मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहते हैं, पांच साल हो गये हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमें और दस साल इसके लिये ठहराना पड़े। क्या हमें बता सकते हैं कि कितनी जल्दी यह सुपर थर्मल पावर प्लांट लग जाने वाला है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगों पर कटौती लगायी जाती है वह वास्तविक कटौती नहीं है एक वैसी कटौती बतायी है। यह बात सही नहीं है। कुछ उद्योग....

श्री रामसिंह बिश्नोई : सही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा, आप बोल लीजिये।

(व्यवधान)

मुझे कह लेने दीजिये। यह बात सही नहीं है......

श्री रामसिंह बिश्नोई : मंत्री महोदय, आप क्या फरमा रहे हैं, आप भाषा पर अंकुश रखिये हम अपने आप सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनिये तो सही आगे, क्या फरमा रहा हू।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठें, आपस में चर्चा नहीं। आप बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, कुछ उद्योग जो रूरल फिगर पर आते हैं, जिन पर एग्रीकल्चर लोड भी है और इण्डस्ट्रियल लोड भी है उस लोड को हम नहीं काट पाते क्योंकि हमको एग्रीकल्चर को बराबर पावर देना होता है। जब आठ घण्टे देते हैं तो आठ घण्टे वह पीरियड चलता है। तो ऐसे उद्योग जिनको रूरल फिगर कनेक्शन दिये जाते हैं वह निश्चित रूप से उस कट में नहीं आ पाते, यह बात सही है। लेकिन सब जो बाकी उद्योग हैं उन पर कट लगाया जाता है उसमें ऐसी बात नहीं है। यह भ्रांति है कि केवल 31 पर्सेन्ट काश्तकारों को बिजली दी जा रही है। मैंने कहा, इस महीने में हम जो बिजली दे रहें हैं वह केवल 31 पर्सेन्ट है बाकी जो पीरियड है एग्रीकल्चर लोड का पीरियड जिसे हम कहते हैं, वहां पर हमने, जैसा आपको निवेदन किया, 70 प्रतिशत तक लोड काश्तकारों के लिये दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो विवरण मेरे पास रबी का उपलब्ध है, जिसमें मैंने कहा 105 से 110, 120 और 126 तक हमने उनको उपलब्ध कराये हैं। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, बात सही है, जो हमने योजनाएं हाथ में ले रखी हैं यदि वह सब योजनाएं समय पर पूरी कर लेते हैं तब भी राजस्थान में कुल मांग की 26 प्रतिशत बिजली की कमी रहेगी। इसको हम स्वीकार करते हैं।

एक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शेम करने से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर प्लीज। अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। माननीय श्री नवरंग सिंह बैठें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह, मुझे आपको नाम से पुकारना होगा।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह, मैं नाम से पुकारता हूं.....

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह, आप सदन.....

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह....

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह कृपया सदन से....माननीय सदस्य, कृपया सदन से.....

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सदन से....माननीय सदस्य, कृपया सदन से बाहर तशरीफ ले जायें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन से बाहर तशरीफ ले जाय।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, --- माननीय सदस्य सदन से बाहर तशरीफ ले जायं।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट, सदन से बाहर तशरीफ करें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.... सदन से बाहर करें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सदन से बाहर करें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सदन से बाहर करें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : सदन से बाहर करें।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सदन से बाहर करें माननीय सदस्य को।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अब तो बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप बैठें। मेरी बात सुनें।

आर्डर प्लीज। मेरी बात सुने पहले।

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मेरी बात सुनें पहले एक बार।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । आप मेरी बात को सुनें । माननीय सदस्य, कृपया बैठें । कोई स्थगित प्रश्न नहीं है । आप बैठें । आर्डर प्लीज । मैंने माननीय सदस्यों को पूर्व में निवेदन किया कि इस प्रश्न के माध्यम से काफी जानकारी करने की कोशिश की है काफी जानकारी दी भी गयी है । कई माननीय सदस्यों के मन में है और भी अधिक जानकारी की । इसमें चर्चा की बात हो सकती है, जानकारी लेने की उनकी इच्छा भी हो सकती है । मैं इसको भी इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन मैंने यह कहा है कि इस सदन में बिजली के बारे में आने वाले दिनों में विस्तृत चर्चा होगी इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि उस दिन चर्चा हो....

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : इस सरकार की कोई इच्छा नहीं है । न इनके पास कोई जानकारी है न ही इनके पास कोई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें, आप जिद् न करें कृपया बैठें ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह गलत है ।

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें । सूची गलत है और गलत समझते हैं तो उसके लिए और माध्यम हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हैं, मुझे इत्तला कर सकते हैं । सूची गलत नहीं है । उसमें....

(व्यवधान)

आप लिख कर दे दीजिये, उस माध्यम को अपनायें । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगर प्रश्नों का उत्तर गलत है तो आप जानते हैं प्रोविजन है रूल्स में ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है ?

अध्यक्ष : रूल्स में जिसे आप कोट कर सकते हैं । अटेन्शन ड्रा कर सकते है और उसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों का उत्तर गलत है, एकदम गलत है तो उसके बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा कि रूल्स हैं, प्रोविजन हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा । अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि फलाना पर 100 करोड़ रुपया खर्च होगा । मैं कहता हूं यह बिल्कुल गलत है और इन्हीं के उत्तर से साबित कर दूंगा कि यह गलत उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष : 100 करोड़ का प्रावधान बताया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है, इन्होंने यह कहा है। यह बिल्कुल गलत है, इन्हीं के उत्तर से मैं बता दूंगा। जो एक अन-स्टार्ड क्वश्चन का जवाब है उसमें कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो भी है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री जयकृष्ण तोसावड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठें। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। मैं कह रहा हूं आप सुनने की कोशिश करें। श्री जयकृष्ण तोसावड़ा। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

34 स्थगित किया।

श्री मोहन प्रकाश : सदन में कितनी बार स्थगित होगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित माना है। मन्त्री महोदय ने स्थगित माना है।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह।

श्रीमती कमला : सुनिये, सुनिये, एक मिनट मेरी बात सुन लें तो अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर सही सवाल को ये फिर रिपीट करेंगे तो इस पर समय फिर बढ़ाना पड़ेगा। ये जिनको रिलीफ दिलाना चाहते हैं, इतना ही प्रश्न पूछें तो ठीक है। कब-कब, किस-किस, कितना-कितना, किस-किस बार दिया गया, इसके बजाय मुआवजा दिलाने वाले का पूछें तो जल्दी उत्तर आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपका सवाल है मेरे पास।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने तो केवल दीगोद तहसील के काश्तकारों, जिनकी आपने जमीन हड़प कर ली है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपका सवाल है मेरे पास। मैंने स्थगित कर दिया है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कहीं जवाब ही नहीं दे रही हैं माननीय मन्त्री महोदया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। पत्र लिख कर भिजवा दें, आप चिट्ठी लिख कर भिजवा दें।

श्रीमती कमला : कब-कब, कितना-कितना, किस-किस भाव बहुत लम्बा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 13 साल हो गये इस सरकार को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुआवजे की रकम नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : फुवामन पंचायत समिति के काश्तकारों को मुआवजा कब देंगे, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्रीमती कमला : इसका मैं अगली बार जवाब दूंगी इस सदन में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जवाब तो इसी सत्र में आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब यह स्थगित कर दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो इसी सत्र में आयेगा ना।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में आयेगा। बैठें आप। इसी सत्र में आयेगा। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार लिस्ट में क्यों लिया जा रहा है। जब राज्य सरकार को सचिवालय में सूचना मिली है, या तो पूर्व सूचना दें। लिस्ट में क्यों लेते हैं। दूसरे सदस्य हैं उनका चान्स मारा जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत है। आप इसको किसी प्रकार से टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप बैठें। आप क्यों बोलना चाहते हैं बीच में। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बाकोलिया (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : मेरे प्रश्नकर्त्ता ही नहीं आये इसलिए....

श्री देवीसिंह भाटी : बार बार स्थगित करने की परम्परा गलत है। आपके

(श्री देवीसिंह भाटी)

सचिवालय से बार बार राज्य सरकार को सूचित कर दिया है, आप लिस्ट में लगाने से पहले हमें सूचित करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें हमने जो प्रश्न दिया है वह लग नहीं पाता।

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह व्यवस्था मैं करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : व्यवस्था ये मानने वाले नहीं हैं। आप हाउस में इनको ताड़ना दीजिये।

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें। श्री नत्थीसिंह।

(व्यवधान)।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। इस प्रश्न का स्थगन मांगा है, पुनः स्थगित किया।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना निवेदन करना है, वहां तो ये कर रहे हैं वसूली और यहां मांग रहे हैं स्थगन। इसी सत्र में आ जायेगा, इसका आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में, इसी सत्र में।

श्री नत्थीसिंह : जब तक वसूली बिक्री का क्यों....

(व्यवधान)

बजट भाषण में बोला....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थगित बार बार सवाल कर दिया, कोई जवाब नहीं। जवाब देने के लिए मन्त्री नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में मंगवाया जाएगा। आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अब आ जायेगा फिर तो आप हाउस की कार्यवाही स्थगित कीजिये। अध्यक्ष महोदय, बार-बार तीन प्रश्न को स्थगित कर दिया और दो प्रश्न रेगुलर लिस्ट में स्थगित कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा बिल्कुल गलत है। हमारे प्रश्नों के तो वैसे ही यह राज्य सरकार जवाब नहीं देती और इस प्रकार हमारा हक मारा जाता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग करें। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय श्री तिवाड़ीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो सरकार की तरफ से जवाब देते हैं, गुलाबसिंहजी, जवाब इनके पास है नहीं और प्रश्न को स्थगित करवाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत है। हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था कर दी है। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सचिवालय से बार बार....

(व्यवधान)

इससे हमारे हक मारे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात को मैंने गम्भीरता से सुना है। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस में ही राज्य सरकार को ताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मजबूर न करें। कृपया बैठें। बैठें कृपया, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ताड़ना नहीं तो चेतावनी दे दें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय वसूली के लिए काश्तकारों को मुर्गा बना देते हैं। राज्य सरकार को मुर्गा बनायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है, इसी सत्र में उत्तर दे देंगे। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : बिजली की आंख-मिचौनी से काश्तकारों का नुकसान हो जाता है, पैसा बरबाद हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, डूंगरराम, कृपया बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह क्वेश्चन जो पूछा गया उनको तो आपने यह बतलाया दिया कि यह स्थगित किया गया लेकिन लिस्ट में और भी क्वेश्चन है जिनको स्थगित किया गया उनकी तो सदन को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो स्थगित किया गया था, पूछा नहीं जा सकता है और इन्होंने स्थगन मांगा है तो स्थगित दूसरे टर्न में आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे कहाँ से आयेंगे, वे आते ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आयेंगे, जरूर आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, केवल वे ही क्वेश्चन आते हैं जो सदन में पूछे जायें, जिनका स्थगन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आपको यह भ्रम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी बात सुनिये, मेरी व्यवस्था है इस पर। माननीय सदस्य, इस पर मैंने व्यवस्था दी है आप सुन लीजिए। जो प्रश्न का स्थगन उन्होंने इस सदन में कह कर मांगा है या जो उन्होंने लिख कर भिजवा दिया कि हमें स्थगित करवाना है, वे सब प्रश्न दुबारा

(श्री अध्यक्ष)

पूछे जायेंगे। स्थगन प्रश्नों की संख्या में वे आयेंगे। आर्डर प्लीज।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एन. जेड. और एन. पी. परमिट्स

412. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में कितने एन. जेड. और एन. पी. परमिट जारी किये गये? उनमें से कितने-कितने परमिट किन किन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को दिये गए?

(2) क्या इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों का कोटा रिजर्व्ड है यदि हां, तो रिजर्व्ड कोटा में किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को कितने-कितने परमिट दिये गये?

उत्तर

(1) आलोच्य अवधि में 150 एन. जेड. तथा 400 एन. पी के परमिट जारी किये गये हैं। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को एन. पी के 7 तथा एन. जेड के 4 परमिट जारी किये गये हैं। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% कोटा रिजर्व है किन्तु भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। केवल राष्ट्रीय परमिटों के लिए अन्य व्यक्तियों की तुलना में सभी शर्तें समान होने पर भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। आरक्षित कोटे में से 81 परमिट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा 53 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किये गये हैं। भूतपूर्व सैनिकों को दो परमिट जारी किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विश्व खाद्य कार्यक्रम से अनुबन्ध

413. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली):

क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के नये सिंचित क्षेत्रों में आबादी की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार व विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच कोई अनुबन्ध हुआ है यदि हां, तो इस अनुबन्ध के अनुसार राजस्थान को कब से किस-किस रूप में कितनी-कितनी सहायता प्राप्त हुई है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सहायता में से किन-किन वस्तुओं का कितना-कितना किस-किस प्रकार वितरण किया गया व अब कितना वितरण शेष है?

(3) क्या यह सही है कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रति परिवार को एक हजार रुपये बिना ब्याज ऋण दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक कितने परिवारों को कितना कर्जा दिया जा चुका है?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक निम्नलिखित सामानों की सहायता प्राप्त हो चुकी है:-

1. गेहूं	5091-052 मी. टन
2. तेल	779-553 मी. टन
3. दाल	902-780 मी. टन

(2) अब तक निम्नलिखित सामान का वितरण किया जा चुका है:-

1. गेहूं	5090-772 मी. टन
2. तेल	433-408 मी. टन
3. दाल	564 369 मी. टन

शेष वितरण योग्य सामग्री निम्न प्रकार है:-

1. गेहूं	0-280 मी टन
2. तेल	346-145 मी. टन
3. दाल	338-420 मी. टन

(3) जी हां, 3500 परिवारों को एक हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से ऋण दिया जा चुका है।

राज्य बीज निगम को बकाया

414. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बीज निगम की राजस्थान क्रय विक्रय संघ डीलर्स व बीज उत्पादकों में लाखों रुपये की लम्बे अर्से से बकाया चली आ रही है? यदि हां, तो कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(2) बकाया राशि वसूल करने के लिये किस स्तर पर क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम अपने बीजों की बिक्री क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा करवाता है। इन समितियों में काफी राशि बकाया चली आ रही है, जिनकी सूची वर्ष 1981-82 के बहीखातों के शेषों के अनुसार संलग्न की जा रही है। 1981-1982 से आगे के शेष, खाते पूर्ण नहीं होने के कारण तैयार नहीं की जा सकती है। बीज उत्पादकों में बकाया राशि के संदर्भ में विवरण संलग्न है।

(2) (अ) इन समितियों से बकाया राशि वसूल करने के लिये इन्हें समय-समय पर स्मरण पत्र दिये जाते हैं।

(ब) क्रय-विक्रय सहकारी समिति डूंगरपुर को वसूली का नोटिस भी दिया गया है।

(स) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी इस स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

इन सभी प्रकार के सम्मिलित प्रयासों से यह राशि वसूल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बीज उत्पादकों से बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जूनियर इंजीनियर, भरतपुर द्वारा जाली बिलों का भुगतान

415. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(38)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

(1) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग भरतपुर उपखण्ड 2 के जूनियर इंजीनियर द्वारा दो लाख रुपये के जाली बिल विभिन्न नामों से बनाये गये थे, तथा उनका भुगतान भी कर दिया गया ?

(2) क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ? अगर जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

धौलपुर में डाकू उन्मूलन हेतु प्रयास

418. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने धौलपुर जिले को डाकूग्रस्त घोषित किया है ? यदि हां, तो डाकू उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये, भविष्य में क्या योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) धौलपुर जिले में डाकू उन्मूलन हेतु क्या पर्याप्त एवं सुसज्जित पुलिस बल है ?

(3) डाकू उन्मूलन हेतु चम्बल के बीहड़ को सुगम बनाने हेतु सरकार कितनों व किन-किन सड़कों के निर्माण का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जिले के नियमित पुलिस बल के अलावा आर. ए. सी. की 3 कंपनियां डाकू उन्मूलन समस्या हेतु पदस्थापित हैं।

(3) राज्य सरकार ने डाकू उन्मूलन हेतु चम्बल के बीहड़ों को सुगम बनाने हेतु 107.00 करोड़ रुपये की योजना जिसके अन्तर्गत 2775.0 कि.मी. सड़क व पुल निर्माण की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है। जिसके अन्तर्गत 2110.0 किलोमीटर की सड़कें 90.00 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय सहायता मद में तथा 665.0 कि.मी. सड़कें 17.00 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा जिलों को शामिल किया गया है। यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

नागौर-लाडनूं सड़क

419. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर से लाडनूं वाया डेह सुरपालीया, निम्बी, जोधा सड़क को प्लान में शामिल किया था ? यदि हां, तो कब और अब तक इस को पक्का करने के लिए क्या-क्या कार्य कब-कब किये गये ?

(2) क्या यह जिले की एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो लाडनूं तहसील मुख्यालय को तो जोड़ती ही है, परन्तु जोधपुर जाने वालों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के लिये भी नजदीक का रास्ता है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्य जिस गति से होना था, नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इसी रोड पर निम्बी जोधा से भरनावा तक रोड को पक्का करने का सारा सामान साइड पर पड़ा है ? यदि हां, तो कब से तथा क्या गिट्टी सड़क पर डाल कर रोलर भी फेरा गया था ? यदि हां, तो कब और उस पर अभी तक डामर क्यों नहीं किया जा सका ?

(4) अब इस सड़क को पक्का करने का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा, और इस वर्ष इस पर कितना कार्य होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सड़क मार्ग 1984 में प्रस्तावित मास्टर प्लान में सम्मिलित है। नागौर से डेह तक का 20 किमी. डामर सड़क मार्ग इसी वर्ष अप्रेल, 1985 में पूरा हुआ है और लाडनूं से निबीजोधा का 13 किमी. 638 मार्ग 6-7 वर्ष पहले प्लान के मद में पूरा हुआ था बीच का 41 किमी. मार्ग ग्रेवल रोड है।

(2) जी हां, अधिक गति से कार्य नहीं होने का कारण धनाभाव है।

(3) सम्वत् 2038 एवं 2039 (वर्ष 82-83, 83-84) के सहायता कार्यों के अन्तर्गत डाला गया कुछ रोड मेटेरियल मौके पर पड़ा है इन सहायता कार्यों पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार डामर का कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(4) इस सड़क मार्ग के शेष भाग को योजना में आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पक्का कराया जाना संभव होगा।

कोयले की राख का निस्तारण

420. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा महल)

श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा थर्मल के चालू होने के बाद कोयले की राख का निस्तारण किस-किस प्रकार से किया गया ?

(2) कितनी राख किस प्रक्रिया से बेची गई, तथा कितनी राख को कहां डाला गया ?

उत्तर

(1) कोटा थर्मल के चालू होने के बाद कोयले की राख को पानी में मिला कर पम्प द्वारा पाइप लाइन में प्रवाहित कर के एक पुराने तालाब (जवाहर सागर तालाब) में छोड़ दिया जाता है।

(2) अभी राख बेची नहीं गई है अपितु बेचने की प्रक्रिया में है। करीब 4 लाख टन राख को एक पुराने तालाब (जवाहर सागर) में डाला गया है।

भ्रमणशील चिकित्सा इकाई अनूपगढ़ का वाहन

421. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हंसराज मोढ़ा)

क्या यह सही है कि भ्रमणशील चिकित्सालय, अनूपगढ़ के डाक्टर के पास गांवों का दौरा करने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो यह वाहन कब से उपलब्ध नहीं है ? इसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

जी नहीं, भ्रमणशील चिकित्सालय, अनूपगढ़ के पास 1972 से वाहन उपलब्ध है। जिसे इस क्षेत्र के परिवार कल्याण शिविरों के आयोजन हेतु भी उपयोग में लाया जाता है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर द्वारा हींग की खरीद

422. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर हेतु रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर से दिनांक 17-12-1984 को तीन लाख छब्बीस हजार पांच सौ बाणवे रुपयों के हींग डलीदार की खरीद की गई थी ? इस हींग को खरीदने हेतु कब-कब, किस-किस माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित करने का विज्ञापन व प्रकाशन किया गया, तथा किस-किस व्यापारी ने कब-कब किन-किन शर्तों पर निविदाएं प्रस्तुत कीं ? उन्हें किसके द्वारा खोला जाकर किस आधार पर रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. को कब तक माल सप्लाई करने हेतु कब आदेश दिया गया था ? कृपया विज्ञापन प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रसायनशाला को यह हींग प्राप्त होने पर इसमें से दिनांक 30-6-1985 तक कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग कर, कब-कब किस-किस रसायन अथवा औषधि का कितनी-कितनी मात्रा में निर्माण किया जाकर उनका कहां-कहां वितरण किया गया ? अब भण्डार में बाकी रही हींग का किस-किस रसायन व औषधि निर्माण में कब तक उपयोग कर लिया जायगा, एवं किस प्रकार ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या इस हींग के क्रय आदेश देने के पूर्व अथवा इसकी सप्लाई होने तक बाजार से हींग डलीदार के भावों का जायजा लिया गया था ? यदि हां, तो किसके माध्यम से व उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) हींग डलीदार (आई.पी. टैस्ट) तथा अन्य आइटम्स को खरीदने हेतु सदस्य सचिव एवं लेखाधिकारी निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर के द्वारा दिनांक 28-12-83 को निविदा विज्ञप्ति प्रसारित की गयी जिसे जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने हेतु भेजा गया। यह विज्ञप्ति जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 6158-83/32470-73 दिनांक 30-12-83 द्वारा निम्न समाचार पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजी गयी :—

1. राजस्थान पत्रिका, सयुक्त जयपुर।
2. नवभारत टाइम्स, दिल्ली।

(आयुर्वेद मन्त्री)

3. मा. इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता।

प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28-1-84 को उपस्थित व्यापारियों के समक्ष भण्डार क्रय समिति द्वारा खोली गयी थी। प्राप्त निविदाओं में मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. की हींग डलीदार (आई.पी. टैस्ट) की 315-00 रुपये प्रतिकिलो न्यूनतम दर होने के कारण भण्डार क्रय समिति के द्वारा उक्त व्यापारी की दरें स्वीकृत की गयी तथा क्रय समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि इसके क्रय हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर क्रय आदेश दिये जावें। राज्य सरकार ने क्रय करने की स्वीकृति पत्रांक एफ-15(12) आयु./84 दिनांक 4-8-84 के द्वारा दी।

हींग डलीदार (आई.पी. टैस्ट) की स्वीकृत दर पर व्यापारी द्वारा अनुबन्ध करने के बाद निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने आदेश क्रमांक 17487-91 दिनांक 23-8-84 के द्वारा मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर को माल दिनांक 30-9-84 तक सप्लाई करने के आदेश दिये गये थे। विज्ञापन प्राप्त निविदाओं, निविदादाताओं द्वारा दी गई शर्तें एवं क्रय आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) रसायनशाला में यह हींग प्राप्त होने के बाद दिनांक 30-6-85 तक इसका कौन कौन सी रसायन अथवा औषधि में कितनी कितनी मात्रा में कब कब उपयोग किया गया तथा औषधियां कितनी, कितनी मात्रा में निर्मित की गई एवं इससे निर्मित औषधियां जिन औषध वितरण केन्द्रों तथा जिला कार्यालयों को वितरित की गई इसका विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है। शेष रही हींग का उपयोग निम्नांकित औषधियों के निर्माण में चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जावेगा:—

1. हब्बे हाजिम
2. नमक सुलेमानी
3. अग्निसन्दीपन चूर्ण
4. हिंग्वष्टक चूर्ण
5. रसोनादि वटी

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

हज यात्रियों के साथ यूनानी चिकित्सक की व्यवस्था

423. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ एक यूनानी चिकित्सक भेजने का प्रावधान है, जिसके लिये निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान से नाम प्रस्तावित कर भेजने को कहा जाता है?

(2) क्या इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के साथ जाने के लिये निदेशक महोदय से नाम मांगे गये थे? यदि हां, तो निदेशक महोदय ने कौन से नाम कब प्रस्तावित कर राज्य सरकार को भेजे?

(3) प्रस्तावित नामों में से क्या किसी एक चिकित्सक को हज यात्रियों के साथ भेजा गया? यदि हां, तो किस चिकित्सक को? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीधे ही राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से हज यात्रा के अवसर पर सऊदी अरब में चिकित्सा सुविधा मिशन में नाम सम्मिलित करने हेतु डाक्टर एवं नर्स आदि के नाम मांगे जाते हैं किन्तु राजस्थान राज्य हज कमेटी ने इस वर्ष एक चिकित्सक कम करके उनके स्थान पर हकीम भिजवाने का निर्णय किया और इस निमित्त चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, विभाग द्वारा निदेशक, आयुर्वेद विभाग से सूचना चाही गई थी।

(2) जी हां। निदेशक आयुर्वेद द्वारा निम्न दो हकीमों के नाम प्रस्तावित किये गये :—

1—श्री अब्दुल रसीद, दवाखाना, बासनी (नागौर)

2—श्री फजलुल्लाह, दवाखाना "अ" श्रेणी, अजमेर।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा इस हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के कारण किसी भी यूनानी चिकित्सक को इस वर्ष भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका।

डीडवाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति की लीज पर दी गई भूमि

424. **श्री भंवराराम** (डीडवाना) : क्या सहकारिकता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति को सरकार ने लीज पर जमीन दी है ? यदि हां, तो कब व कितनी कितनी जमीन दी गई ?

(2) क्या लीज पर दी गई भूमि इस संस्था के कब्जे में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इसी संस्था से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों ने लीज पर दी गई जमीन को हड़पने की कोशिश की है ? यदि हां, तो विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 7-4-66 को भूमि आवंटित की गई जो 4856.22 वर्ग मीटर थी।

(2) आवंटित भूमि में से 1016 वर्ग-मीटर समिति के कब्जे में है। शेष पर अतिक्रमण किया गया है।

(3) जी हां। बाकी भूमि में कुछ पर सी. सी. बैंक का भवन बना हुआ है तथा कुछ पर अवैध रूप से तीन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

1. श्री ओम प्रकाश सदस्य
2. ,, डाल चन्द भण्डारी व
3. ,, नारायण राम

जिनमें से एक श्री नारायण राम वर्ष 1975 में संचालक मण्डल का सदस्य था। अतिक्रमण के मामले वर्तमान में सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट-मुख्यालय नागौर के यहां विचाराधीन है। अतिक्रमण की गई जमीन कुर्क कर उस पर थाना अधिकारी डीडवाना को यथा

(श्री सहकारिता मंत्री)

स्थिति बनाये रखने की दृष्टि से दि. 16-6-73 को धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत स्थिति पर नियुक्त किया है।

छबड़ा-छीपाबड़ोद, छबड़ा कुम्भराज सड़क की पुलियाओं का निर्माण

425. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)

श्री प्रभुलाल (नैनवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छबड़ा-छीपाबड़ोद व छबड़ा-कुम्भराज सड़क पर बनी हुई पुलियाओं का निर्माण कराने का क्या राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

छबड़ा छीपा बड़ौद सड़क पर रेतली एवं अन्धेरी नदियों पर तथा छबड़ा कुम्भराज सड़क पर रेतली नदी एवं एक बड़े नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव होगा।

अरावली पर्वतमालाओं हेतु योजना

426. **श्री राममाल सोलंकी** (सिरोही) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अरावली पर्वतमालाओं को भू-संक्षरण से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ?

(2) यदि हां, तो योजना की क्या रूपरेखा है और उस पर कितनी लागत का अनुमान है, और इसे कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

(3) क्या उक्त योजना में सिरोही की नग्न पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इस पर कब अमल किया जावेगा ?

उत्तर

(1) अरावली पर्वत मालाओं को भू-संक्षरण से बचाने के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। वन विभाग द्वारा—

1—सामाजिक वानिकी परियोजना (सोशल फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट)

2—सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.)।

3—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.) के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ अरावली पर्वत मालाओं पर भी वृक्षारोपण का कार्य कराया जावेगा।

(2) पृथक से कोई योजना नहीं है जिसकी लागत का अनुमान या क्रियान्वयन की समयावधि में बतलाई जा सके।

(3) सिरोही की नग्न पहाड़ियों पर भी वृक्षारोपण का कार्य सामाजिक वानिकी परियोजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जावेगा जो इसी वर्ष प्रारम्भ किया जाना है।

(44).

अकलेरा थाने द्वारा पकड़ी गई अफीम

427. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के अकलेरा थाने के थानेदार ने ग्राम सरेड़ी के श्री चांदमल पुत्र श्री शकर लाल को अफीम ले जाते हुए दिनांक 13-6-1985 को रात्रि 3.30 बजे पकड़ा था? यदि हां, तो अभियुक्त से कुल कितनी मात्रा में अफीम बरामद की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अभियुक्त ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अकलेरा के समक्ष यह स्वीकार किया है कि उसके पास 16 किलो 750 ग्राम अफीम थी ? यदि हां, तो क्या थानेदार ने माल-जब्ती कार्यवाही में 6 किलो 400 ग्राम ही अफीम दर्ज की है ? यदि हां, तो 10 किलो 350 ग्राम अफीम का क्या हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि 10 किलो 350 ग्राम अफीम थानेदार ने बेच दी है ? यदि हां, तो थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13-6-85 को एस. एच. ओ. अकलेरा ने ग्राम सरेडी के श्री चांदमल को 6 किलो400 ग्राम अफीम ले जाते हुए पकड़ा था।

(2) व (3) जी हां। न्यायालय के समक्ष अपराधी चांदमल ने खुद के पास 16 किलो 750 ग्राम अफीम होना बतलाया था। इस पर एस. एच. ओ अकलेरा के विरुद्ध वृत्तअधिकारी अकलेरा द्वारा जांच की जा रही है, जांच के पूर्ण होने पर ही सत्यता का पता चल सकेगा।

धौलपुर जिले का वन क्षेत्र

428. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) धौलपुर जिले में कितना वन क्षेत्र है ? कितने वन क्षेत्र में अनधिकृत खनन हो रहा है ?

(2) किन-किन कांग्रेस के नेताओं को वन क्षेत्र में खनन की छूट दे रखी है, व किस नियम के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह सत्य है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी व किरोड़ी लाल वीरेन्द्रपाल की सादी खानें वन क्षेत्र में चल रही हैं, व वन विभाग के लोग मिलकर रायल्टी की चोरी करने में सहायक हैं ?

(4) वन विभाग ने अब तक इस अनधिकृत खनन को रोकने के क्या-क्या प्रयत्न किए हैं, व क्या कानूनी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले कुल 592.85 वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्र है। इसमें से 1.15 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में अनाधि कृत खनन हो रहा है।

(2) वन विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति

(वन मन्त्री)

को वन क्षेत्र में खनन कार्य करने की छूट नहीं दी हुई है।

(3) धौलपुर जिले के वन क्षेत्रों में धौलपुर स्टोन कम्पनी की 3 खानें तथा किरोड़ी लाल वीरेन्द्रपाल की एक खान चल रही है। वन कर्मियों का रायल्टी की वसूली से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

(4) वन विभाग द्वारा अनाधिकृत खनन को रोकने हेतु वन अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रकरणों में न्यायालय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बाड़ी में चालान प्रस्तुत किये गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरीज के पास दवाइयों की दुकानें

429. **श्री मदनलाल** (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई ग्रामों में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिसपेन्सरी हैं वहां दवाइयां बेचने की दुकानें नहीं हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में केमिस्टों के लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका परिणाम घोषित कर प्रमाण-पत्र जारी कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक परिणाम घोषित कर प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जावेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे स्थानों, जहां दवाइयों के विक्रेता नहीं हैं, के नागरिकों को चिकित्सक द्वारा प्रस्तावित दवाइयां उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से केमिस्टों के साक्षात्कार का परिणाम घोषित कर, प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) जी हां, केमिस्टों के लिये साक्षात्कार किये गये थे, उनके परिणाम घोषित कर प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। इस हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त रपटों की मरम्मतें

430. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितनी रपट अतिवृष्टि से टूटी हुई पड़ी हैं ? कृपया उन रपटों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन टूटी हुई रपटों की लागत एक करोड़ रुपयों से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी भी योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर

(श्री रमजान खां)

इन टूटी हुई रपटों का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों की रपटें अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी वे निम्नलिखित हैं :—

अ–घगरा लाड़पुरा सड़क किमी. 3 में 2 रपटें।

ब–पीसांगन पिचोलिया सड़क किमी. 1 में। रपट व किमी. नं. 8 में 1 रपट 1

स–गोविन्दगढ़ अलानियावास सड़क किमी. न. 1 में एक रपट। इस प्रकार कुल 5 रपटें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

(2) जी नही। इन रपटों का पुनर्निर्माण योजना में धनाभाव के कारण सभव नपीं हैं।

जयपुर की कच्ची बस्तियों में अग्नि काण्डों से क्षति

431. **श्री कालीचरण सराफ** (जोहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन महीनों में जयपुर की विभिन्न कच्ची बस्तियों की कई झोपड़ियों में आग लगने से कई गरीब लोग बेघरबार हो गए ? यदि हां, तो कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी-कितनी, तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अग्नि कांड नियमों के तहत जिन लोगों को आर्थिक क्षति होती है तथा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो और खाने-पीने का सामान जल जावें, को सहायता दी जाती है। तीन माह में जिन लोगों को सहायता दी गई है, उनकी सूची संलग्न है। नियमानुसार सभी व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। ट्रांसपोर्ट नगर (मतदाता नगर), करतारपुरा रावजी का बाग के अग्नि पीड़ितों को सहायता नहीं दी गई है क्योंकि ये बस्तियां जांच में सर्वेशुदा नहीं होना पाया गया। जिससे वह सहायता के पात्र नहीं हैं। कचरा बस्ती घाटगेट के अग्नि पीड़ितों को सहायता दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ब्यावर-इन्दौर बस सेवा

432. **श्री माणक चन्द ढाणी** (ब्यावर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ब्यावर से इन्दौर के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री माणक चन्द ढाणी)

(2) क्या इस मार्ग पर बस चलाने का पूर्व में कोई आश्वासन एवं घोषणा की गई है ? यदि हां, तो इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उक्त मार्ग पर अब बस चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक बस सेवा शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी तक मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के मध्य इस अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस संचालन हित पारस्परिक परिवहन करार नहीं होने के कारण यह सेवा प्रारम्भ नहीं की गयी है।

मध्य प्रदेश शासन को इस प्रयोजनार्थ क्रमांक 156 दिनांक 6-7-85 द्वारा प्रसंग किया गया है।

(2) जी हां। दिनांक 21-9-84 को अजमेर में निगम की परिवहन व्यवस्था का जायजा लेने हेतु जिलाधीश, अजमेर के कक्ष में आयोजित जन प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में इस सेवा को प्रारम्भ किये जाने की मांग की गयी थी जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों के मध्य अन्तर्राज्जीय मार्ग पर पारस्परिक परिवहन करार के लिए आयोजित की जाने वाली बैठक में इस मार्ग पर भी विचार कर लिया जावेगा। अभी तक दोनों राज्यों के बीच इस प्रयोजनार्थ बैठक नहीं हुई है। अतः जब तक दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न नहीं हो जाता है तब तक इस सेवा का संचालन सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों के मध्य पारस्परिक करार सम्पन्न होने के बाद ही इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन सम्भव होगा।

बयाना की जल प्रदाय योजनायें

433. **श्री ब्रजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से 1985 तक राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र में कितनी जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई, और कहां-कहां ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार वर्ष 1985-86 में बयाना क्षेत्र में जल प्रदाय की अन्य योजनायें स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से 85 तक बयाना विधान सभा क्षेत्र में 96 जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार वर्ष 85-86 में योजनायें स्वीकृत की जा सकेंगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)।

मुन्सरी गांव की बेनामी सहकारी समिति

434. **श्री लाल चन्द** (भादरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील भादरा के मुन्सरी गांव में कोई बेनामी सहकारी समिति 165 बीघा जमीन पर काबिज है ?

(2) इस अपंजीकृत बेनामी सहकारी समिति के पास क्या उक्त भूमि आवंटित शुदा है ?

(3) यदि हां, तो यह आवंटन उसे किसके द्वारा किया गया ? क्या यह आवंटन कानून की परिधि में आता है ?

(4) यदि नहीं, तो आवंटन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त आवंटन को रद्द करवा कर जमीन का कब्जा लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील भादरा की मुन्सरी ग्राम में मनमोहन कृषि सहकारी समिति नोहर को आवंटित 165 बीघा भूमि पर समिति काबिज नहीं है।

(2) उक्त मनमोहन कृषि सहकारी समिति नोहर को उपरोक्त भूमि आवंटन शुदा है।

(3) यह आवंटन संचालक, भाखड़ा परियोजना, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 16-6-60 को किया गया था। उक्त आवंटन नियमानुसार होने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर गंगानगर से जांच कराई जा रही है।

(4) प्रश्न के भाग 3 के परिणाम अनुसार आवश्यक होने पर अधिकारी के विरुद्ध तथा कब्जा लेने की कार्यवाही की जावेगी।

नई धान मण्डी निर्माण के लिए भूमि का क्रय

435. **श्री केदार नाथ** (श्रीगंगानगर) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर कृषि उपज मण्डी समिति ने नई धान मण्डी के निर्माण के लिए कितनी जमीन खरीदी ?

(2) टाउन प्लानर के निर्देशानुसार कितनी जमीन और अवाप्त की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इसमें से एक मुरब्बा जमीन डीएक्वायर की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर द्वारा नई धान मण्डी वास्ते 132 बीघा भूमि क्रय की गई है।

(2) टाउन प्लानर के सुझावानुसार 2 मुरब्बा भूमि के मु. न. और 58/62 ली जानी थी, जिसमें से मु. न. 11 को अवाप्त कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। मु. नं 58/62 के मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अवाप्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

(कृषि मन्त्री)

(3) जी हां। स्थानीय निवासियों की मांग को ध्यान में रखकर की गई थी, परन्तु परियोजना के अन्तर्गत भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस मुरब्बे को अवाप्त करना ही उचित माना गया।

सांचोर क्षेत्र की जल प्रदाय योजनायें

436. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में गांव धमाणा की सियाकों की ढाणी, पवारों की ढाणी बस्ती एवं गांव धमाणा के कमालपुरा में अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं की गयी है? यदि हां तो क्यों?

(2) अब उक्त स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सत्य है कि गांव अरणाय की बस्ती, अरणाय का गोलिया में भी अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक पीने के पानी का बन्दोबस्त कर दिया जावेगा?

(4) ग्राम पीछावाडा में धना की ढाणी बस्ती में एवं गांव ढडूसरा में होला की ढाणी बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

(5) गांव लियादरा तहसील सांचोर में पीने के पानी का बन्दोबस्त कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम धामणा में लगाये हैण्ड पम्पों का पानी खारा होने से हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं, एवं ग्राम कमालपुरा अससमस्याग्रस्त होने के कारण पेयजल योजना नहीं बनाई गई है। ग्राम धामणा के लिए आगुमेन्टेशन योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। सियारों की ढाणी की पेयजल योजना स्वीकृत न होने के कारण पेयजल व्यवस्था नहीं है। पवारों की ढाणी में पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(2) धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। पवारों की ढाणी में शीघ्र ही पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(3) ग्राम अरणाय में जल वितरण व्यवस्था चालू है तथा अरणाय के गोलिया में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। धन उपलब्धि के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

(4) ग्राम पीछावाड़ी में धना की ढाणी में एवं ग्राम ढूडूसर में होला की ढाणी में तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वयन की जावेगी।

(5) गांव लियादरा में हैण्ड पम्प असफल रहने के कारण पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आगमेन्टेशन योजना बनाई जा रही है। धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जावेगी।

ग्राम लोहा (रतनगढ़) का ओवर हैड टैंक

437. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रतनगढ़ के गांव लोहा के क्षतिग्रस्त ओवर हैड टैंक की मरम्मत की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो मरम्मत में कितना समय लगेगा, और तब तक गांव वालों को पेयजल उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील रतनगढ़ के ग्राम लोहा में कोई उच्च जलाशय नहीं है, किन्तु ग्राम में स्थित भूतल जलाशय की मरम्मत कर दी गई है।

(2) भूतल जलाशय की मरम्मत करवा कर इससे ग्राम को पानी वितरित किया जा रहा है।

शेरगढ़ की पेयजल योजनायें

438. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जोधपुर में शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कितनी जलप्रदाय योजनाओं में सुचारू रूप से पेयजल वितरण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? इसकी सुव्यवस्था अब कब तक कर दी जावेगी ?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में कौन-कौन सी नई योजनायें शुरू करना प्रस्तावित है ? कृपया प्रत्येक स्कीम क्षेत्र में आने वाले गांव, लागत, क्षमता व डिजाइन की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर के शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पीड़ितों के बास एवं ग्राम सुरानी को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। धन उपलब्धि के अनुसार आवश्यक सुधार कर शीघ्र ही पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा।

(2) वर्ष 1985-86 में शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

अजमेर तहसील के ग्रामों की पेयजल योजनायें

439. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में 1981 की जनगणना के अनुसार कितने गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 2,000 से अधिक है ?

(2) उपरोक्त गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल के लिए पम्प एव टैंक स्कीम नहीं है ?

(3) इन गांवों में राज्य सरकार कब तक पेयजल हेतु पम्प एवं टैंक की योजना लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की अजमेर तहसील में 1981 की गणना के अनुसार 26 गांव

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री)

ऐसे हैं जिनकी आबादी 2,000 से अधिक है।

(2) उपरोक्त गांवों में से 11 गांव ऐसे हैं जहां पेयजल के पम्प एण्ड टैंक स्कीम नहीं है।

(3) जिन ग्रामों में पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है उनको हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत योजना में लाभान्वित किया जा चुका है। अतः इन ग्रामों के लिए पम्प एवं टैंक योजना वर्तमान में विचाराधीन है।

बाड़मेर के पेयजल स्रोतों का विकास

440. **श्री चम्पा लाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पेयजल के स्रोतों का विकास, विस्तार एवं निर्माण करने हेतु अकाल राहत मद में केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में एक करोड़ तीस लाख रुपयों के लगभग की राशि प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उक्त राशि को कब तक खर्च करनी थी, तथा अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि में से आधी राशि उदयपुर डिवीजन हेतु कटौती कर ली गई? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुनः विचार कर कटौती की गई राशि बाड़मेर जिले के जल स्रोतों के विकास के लिए वापिस लौटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पेयजल पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए 330.89 लाख, 1985-86 के लिए 1112.61 लाख रुपये अग्रिम आयोजन के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। इस राशि का जिलेवार ब्यौरा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। परन्तु इस राशि का विभिन्न जिलों हेतु आवंटन मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग के प्रस्तावानुसार किया गया है। तदनुसार बाड़मेर जिले में विभिन्न योजनाओं के लिए 131.75 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई हैं। राशि का व्यय 31.7.85 तक किया जाना है। मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रेषित व्यय विवरण पत्र के अनुसार जुलाई, 85 तक 73.60 लाख रुपये का व्यय किया जाना संभावित है।

(2) जी नहीं।

(3) बाड़मेर जिले को आवंटित राशि में कोई कटौती नहीं होने से वापिस लौटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

चूरू और बीकानेर के पोटास भण्डार

441. **श्री फूल चन्द** (नीम का थाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या चूरू और बीकानेर जिलों में पोटास के भण्डारों का पता चला है?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) यदि हां, तो यह भण्डार कितने विशाल हैं और किन-किन स्थानों पर पाये गये है ?

(3) क्या इन भण्डारों की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

(4) इन भण्डारों के उपयोग के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पोटास खनिज के भण्डार श्री गंगानगर जिले में सातीपुरा खन्जा, फन्डेवाली एवं मुकासर स्थानों पर करीब 500 मी. की गहराई पर पाये गये हैं। खनिज पट्टी की मोटाई लगभग 50 से. मी. है। पोटास हेतु अभी तक जो छेदन कार्य हुआ है उससे केवल उक्त चार स्थानों पर ही पोटास होने का पता चला है। पोटास खनिज चूंकि छोटे छोटे लेन्स (lenses) में रोक साल्ट के साथ मिलता है, इस कारण पूर्ण भण्डार का विवरण अभी तक के छेदन कार्य पर देना कठिन है, फिर भी इन चारों स्थानों पर करीब 68 लाख टन पोटास खनिज के होने का अनुमान लगाया जाता है

(3) जी नहीं । इन भण्डारों का व्यवसायिक खनन कम मात्रा व काफी गहराई में होने से सम्भव नहीं है।

(4) अभी सर्वेक्षण कार्य जारी है।

परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधार्थ व्यय राशि

442 श्री नाथू सिंह (टोडाराय सिंह) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना के समय यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने का लक्ष्य था ?

(2) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उक्त मद में कुल कितना खर्चा किया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) खर्च की गई राशि का मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1983-से 1985 की अवधि में निगम में निर्माण कार्य स्थगित थे। फलस्वरूप आगार स्तर से केवल उपलब्ध यात्री सुविधाओं के रख रखाव व नियमित रखने पर ही खर्चा किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में बस स्टेण्डों के निर्माण व मूल भूत यात्री सुविधाओं पर करीब रु. 116.13 लाख रुपये की राशि व्यय किये जाने का लक्ष्य है जिसमें से करीब रु. 10 लाख केवल शौचालय/मूत्रालयों रख रखाव व वृद्धिकरण पर व्यय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

उपनिवेशन विभाग द्वारा वन विभाग को दी गई भूमि

443. **श्री चुन्नी लाल इंदलिया** (नोखा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) बीकानेर जिले में उपनिवेशन विभाग द्वारा नहरी क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में कुल कितनी भूमि वन विभाग को दी गई ? कृपया उपनिवेशन, तहसील व ग्राम-वार कुल भूमि के रकबे का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपनिवेश विभाग ने अधिक ऊपजाऊ भूमि वन विभाग को दे रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि वन विभाग से वापस लेकर भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वन विभाग को बीकानेर जिले में उपनिवेशन विभाग द्वारा नहरी क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में 1.75 908 एकड़ अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि का विवरण उपनिवेशन तहसील एवं चकवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

श्री जी की मोरी जयपुर, स्थित ट्रक कम्पनी का कारखाना

445. **श्री मनफूल राम** (रायसिंह नगर): क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जी की मोरी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में मैसर्स राजस्थान ट्रक कम्पनी का कारखाना है ?

(2) क्या यह सही है कि इससे वहां के नागरिकों की शान्ती भंग होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने को वहां से हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर परिषद, जयपुर को इस विषय में शीघ्र जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

थाना कथून (लाडपुरा) में दर्ज प्रकरण

446. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा के थाना कैथून में कालीपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रोली उलटने के मामले में क्या माह अप्रेल-मई में कोई केस दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ट्रोली के उलटने से कितने व्यक्ति मारे गये ? कौन व्यक्ति अपराधी था, उसे कब पकड़ा गया व उसकी कब जमानत हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में मुख्य अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लाइसेन्स न होने से प्रस्तुत नहीं किया गया व इसकी शिकायत घायलों ने स्वयं एस.पी. साहब व जिलाधीश को की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हीरालाल आर्य)

यदि नहीं, तो क्यों ? अब क्या भविष्य में विभाग कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) समय पर प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न करने के क्या कारण रहे व किसकी लापरवाही रही ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2-4-85 को अभियोग क्रमांक 50/85 धारा 279, 337 304 ए आई. पी. सी. थाना कैथून जिला कोटा में दर्ज हुआ था। ट्राली उलटने से श्री सोहनलाल व भैरूलाल की मृत्यु हुई थी। दिनांक 2-5-85 को बालचन्द को व दिनांक 3-7-85 को नाथूलाल को गिरफ्तार कर बाद अन्वेषण उसी रोज जमानत पर छोड़ दिये गये।

(2) जी हां। नाथूलाल व बालचन्द के पास कोई लाइसेन्स नहीं पाये गये। ग्रामवासियों ने दिनांक 13-5-85 को पुलिस अधीक्षक, कोटा के समक्ष उक्त मामले के संबध में परिवाद पेश किया था। परिवाद की जांच वृत अधिकारी, प्रथम, कोटा द्वारा की जा रही है। अभियोग का अन्वेषण भी वृताधिकारी की निगरानी में किया जा रहा है। अभियोग में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 75, 112 भी जोड़ी गई है।

(3) जी नहीं। प्रार्थना पत्र की जांच प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दी गई थी। जांच जारी है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत परियोजनाएं

447. **श्री मोहन छंगानी** (फलौदी): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सातवी पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान के विद्युत उत्पादन की कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ?

(2) इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ? क्या मण्डल आवश्यक राशि का प्रबन्ध कर सकेगा ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र से और कितना-कितना ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजनाना के दौरानआने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विवरण तालिका "क" पर संलग्न है। इनमें वे सभी परियोजनाएं भी शामिल हैं जो राज्य में ही स्थित होंगी और वे परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जो राज्य के बाहर स्थित हैं और जिनमें राज्य का हिस्सा/आवंटन है। इसके अतिरिक्त पलाना ताप विद्युत परियोजना पर भी सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य होगा परन्तु इस योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता का लाभ इस योजना काल में प्राप्त नहीं होगा।

(2) राज्य में ही स्थित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान क्रियान्विति

(विद्युत मन्त्री)

हेतु करीब 630 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें कि पलाना ताप विद्युत परियोजना के लिये रु 10000 लाख भी सम्मिलित हैं। योजना आयोग द्वारा राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन शीर्ष के अन्तर्गत राज्य को कुल 552 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। प्रति वर्ष परियोजनाओं पर व्यय की सीमा राज्य सरकार एवं योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है एवं आय के स्त्रोत भी दर्शाये जाते हैं, जो अंशतया वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक, जीवनबीमा निगम, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से ऋण तथा शेष राशि भारत/राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जोधपुर नगर में विद्युत बिल जमा कराने के काउन्टर

448. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर)। क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या क्या है? इन उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की राशि जमा कराने के काउन्टर नगर में कहां-कहां पर है?

(2) क्या उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नगर में और भी काउन्टर खोलने की योजना है? यदि हां, तो यह काउन्टर नगर में कब तक कहां-कहां खोल दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 69.931 है। इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की राशि जमा करने हेतु निम्न 7 स्थानों पर व्यवस्था है।

क्र सं	स्थान	काउन्टरों की संख्या
1.	पुराना पावर हाऊस	6
2.	नया पावर हाऊस	1
3.	कचहरी	1
4.	नागौरी गेट	2
5.	उम्मेद अस्पताल	1
6	सरदारपुरा	1
7.	प्रताप नगर	1

(2) जी हां, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये नगर में और भी काउन्टर निम्न स्थानों पर खोलने की योजना है:

(1) लाल सागर, (2) सूर सागर, (3) जूनी मण्डी एवं (4) गिरदी कोट।

स्थान, भवन एवं कर्मचारियों की व्यवस्था होने पर इन केन्द्रों पर काउन्टर खोलना सम्भव हो सकेगा।

पंचायत समिति सलूम्बर के सरपंच के विरुद्ध दायरे प्रकरण

449. **श्री थान सिंह** (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत नोली, पंचायत समिति सलूम्बर में सरपंच श्री देवीलाल मीणा के खिलाफ थाना झल्लाड़ा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का मामला दर्ज हुआ है या और धारा मे दर्ज हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उक्त मामले में कौन--कौन मुल्जिम हैं ? कृपया एफ. आई. आर. की नकल सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एस. एच. ओ. थाना झल्लाडा ने उक्त मामले मे चालान नहीं किया है ?

(4) क्या उक्त संरपंच के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त सरपंच को निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्री देवीलाल मीणा सरपच ग्राम पंचायत नोली पंचायत समिति सलूम्बर के विरुद्ध धारा 307 भा. द. स. या अन्य धारा के अन्तर्गत थाना झल्वाडा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

(2–5 तक) प्रश्न ही नहीं उठता।

जगरामपुरा बांध की सिंचाई क्षमता

450. **श्री किरोड़ी लाल** (महुवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महुवा कस्बे के पास जगरामपुरा बांध की सिंचाई क्षमता कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि बांध के भराव की नहरों को तोड़ फोड़ दिया है जिससे बांध की सिंचाई क्षमता कम हो जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुये बांध की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या, और कब तक ?

उत्तर

(1) महुवा कस्बे के पास स्थित रूड-जगरामपुरा बांध की सिंचाई क्षमता लगभग 1072 एकड़ है।

(2) फीडर से प्रभावित कृषक तोड-फोड़ करते हैं परन्तु उस विभाग द्वारा ठीक कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं।

बाढ़ राहत के अन्तर्गत अनुदान

451. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में बाढ़ राहत अनाधिकृत व्यक्तियों को दिलाये जाने की शिकायत की जांच रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधीश ने अपने पत्र दिनांक 26-4-1982 द्वारा एक हफ्ते में तहसीलदार चाकसू से चाही थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों

(श्रीमती विद्या पाठक)

को यहां तक की नाबालिगों को भी टीन की चादरें, राशि दे दी गई है?

(3) क्या उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच हो चुकी है? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया और आगे दोषी अधिकारियों के बरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त प्रकरण की जांच हो चुकी है। जांच से उक्त बाढ़ राहत में सामग्री व राशि में कोई गलत राहत देना एवं आवंटन होना नहीं पाया गया। अत कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बस्सी परियोजना का मुख्य बांध

452. श्री अमरचन्द (संगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बस्सी परियोजना चित्तौड़गढ़ की नहरों का अलाटमेंट स्वीकृत ड्राइंग के हिसाब से उचित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) बस्सी परियोजना के मुख्य बांध का कार्य कब से चालू हुआ तथा बांध के नर्माण की प्रगति इतनी धीमी होने के क्या कारण हैं?

(3) बस्सी परियोजना के बांई पास की खुदाई का कितनी हार्डरोक को ठेकेदार का भुगतान किया गया तथा साइट पर खुदाई से हार्डरोक का कितना पत्थर पाया गया?

(4) क्या बस्सी परियोजना की नहरों के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अगर दिया गया है, तो किस दर से एवं कितना किस-किस को दिया गया? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मुख्य बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1981–82 में शुरू कराया गया था। आवंटित धनराशि और तकनिकी कठिनाइयों को देखते हुए बांध के निर्माण की प्रगति ठीक है।

(3) बस्सी परियोजना में बाइपास की खुदाई के कार्य में ठेकेदार को 63 हजार क्यूबिक मीटर हार्डरोक का भुगतान किया गया है जिसमें से 19 हजार क्यूबिक मीटर काम में आने योग्य पत्थर प्राप्त हुआ है।

(4) नहर के लिए कुल 46 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है जिसमें से 38 एकड़ भूमि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 8 एकड़ भूमि के भुगतान चुकाये जाने का कार्य प्रगति पर है। भूमि के मुआवजे का भुगतान अलग-अलग दर से भूमि की किस्म के अनुसार किया गया जो रु. 500/– प्रति बीघा तक है। किये गये भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राज्य कर्मचारियों के आवास गृह

453. श्रीमती सुधा देवी (मण्डावा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में राज्य कर्मचारियों के लिये आरक्षित आवास गृहों में राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कौन-कौन से व्यक्ति किस-किस तिथि से रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवास आवंटन नियमों के अनुसार राज्य कर्मचारी चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी आवासों के पात्र हैं। जयपुर स्थित चतुर्थ एव पंचम श्रेणी के किसी भी आवासगृह को कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को आवास हेतु आवंटित नहीं किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवानिवृत कर्मचारी जो सेवानिवृति के पश्चात भी राजकीय आवासों में निवास कर रहे हैं उनकी सूची संलग्न है। अनाधिकृत निवास के प्रारम्भ होने का दिनांक सूची में अंकित है।

सेवानिवृत कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाये जाने के लिये राजस्थान भू-ग्राहदि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम 1964 एक्ट नं. 2 सन् 1965 की धारा 5 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी व अन्य विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही जेरकार है। न्यायालयों से निर्णय होने पर कब्जा लेने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

नगर से पहाड़ी सड़क की मरम्मत

454. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर से पहाड़ी वाया सीकरी गोपालगढ़ सड़क पर विगत पांच वर्षों में मरम्मत पर कितनी धन राशि व्यय हुई ?

(2) डीग से सीकरी वाया खोह-पीपलखेड़ा सड़क पर मरम्मत हेतु कितनी धन राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) नगर पहाड़ी वाया सीकरी गोपालगढ़ सड़क पर विगत पांच वर्षों में मरम्मत पर कुल 10,53,806 रुपये की राशि खर्च की गई।

(2) डीग से सीकरी वाया खोहपीलखेड़ा सड़क पर पिछले 5 वर्षों में मरम्मत पर 6,62,337 रुपये की राशि खर्च हुई।

बानसूर (अलवर) थाने में दर्ज प्रकरण

455. श्री रघुवर दयाल (राजगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मई, 1981 में थाना बानसूर जिला अलवर में ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड अलवर के अधिशाषी अभियन्ता की एक रिपोर्ट पर धारा 467, 409, 420 व 120 बी के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया ? यदि हां, तो कृपया एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवर दयाल)

(2) इस मामले में कौन-कौन दोषी पाये गये और अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(2) श्री भगवान सहाय स्टोर कीपर, विद्युत विभाग बानसूर व श्री गोविन्दलाल उपाध्याय के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 19-7-83 को चालान प्रस्तुत किया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

करर्णीसिंह ब्रांच नहर के पास निर्मित एसकेप

456. **श्री सोपत सिंह** (हनुमानगढ़) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या करणीसिंह ब्रांच नहर में ढाबा गांव के पास एसकेप बना हुआ है तथा उसमें पानी छोड़ा जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि एसकेप का पानी छोड़े जाने से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या इन काश्तकारों को फसलों का मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

नवलगढ़ (झुन्झुनू) का कृषि विस्तार कार्यक्रम

458. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू में चल रहे कृषि विस्तार कार्यक्रम को हटाया जा रहा है ? क्या इस कार्यवाही के अन्तर्गत कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है ?

(2) क्या विभाग को इसके विरोध में शिकायती पत्र भी प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? कृपया शिकायती पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में चल रहे राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम को हटाया नहीं जा रहा है और न ही कृषि विभाग के कर्मचारियों को वहां से हटाया जा रहा है। विस्तार योजना के अन्तर्गत नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 12 ग्राम विस्तार कार्यकर्ता व 2 सहायक कृषि अधिकारी लगाए जावेंगे। वर्तमान में सिर्फ 2 ग्राम विस्तार कार्यकर्ता के पद ही भरे गए हैं। शेष इस वर्ष में भरे जावेंगे।

(2) जी हां। माननीय सदस्य श्री नवरंग सिंह जी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है। पहले से विभाग द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रम नवलगढ़ पंचायत समिति में सम्मिलित कर रखा है।

(पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दि. 3 जुलाई, 1985)

राज्य मोटर गैराज के वाहन

59. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या मोटर गैराज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के मोटर विभाग व उसके अन्तर्गत विभिन्न जिला पुलों में दिनांक 31-3-1985 को कुल कितने वाहन ट्रकें, कारें, जीपें, स्टेशन वैगन, मोटर साइकिलें आदि किस-किस वर्ष के मोडल की चल व अचल हालत में थी ?

(2) जो वाहन अचल होकर काम में नहीं लिए जा रहे हैं वे कितने समय से किस कारण से बेकार पड़े हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य मोटर विभाग व उसके अन्तर्गत विभिन्न जिला पूलों में दिनांक 31-3-1985 को कुल चल वाहनों की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

	ट्रक	कारें	जीपें	स्टेशन वैगन	मोटर साइकिलें	अन्य	कुल योग
(अ) मोटर गैराज	—	1–1938 1–1967 1–1971 1–1975 2–1976 2–1977 9–1978 6–1979 12–1980 12–1981 12–1982 16–1983 3–1984	—	1–1960	—	—	79
(ब) सेन्ट्रल पूल	1–1964 1–1973	1–1975 4–1976 4–1977 7–1978	1–1973 2–1976 1–1977 1–1981	–	–	1–1977 टेंकर 1–1977 मेटाडोर	

1	2	3	4	5	6	7
	1-1979					
	2-1980					
	3-1981					
	1-1982					
	3-1983					
	4-1984					
	1-1985					
(स) जिला पूल —	2-1973	7-1973	1-1954	—	1-1984	
	1-1974	1-1974			मेटाडोर	
	4-1975	7-1975				
	3-1976	35-1976				
	2-1977	61-1977				
	13-1978	2-1978				
	1-1979	9-1979				
	2-1980	11-1980				
	1-1981	24-1981				
	2-1982	14-1982				
	7-1983	3-1983				
	7-1984	52-1984				
	1-1985	2-1985			276	

जिला पूल जोधपुर की 1981 के मोडल की जीप दिनांक 31-3-85 को अचल हालत में थी।

(2) जो वाहन अचल होकर काम में नहीं लिए जा रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

जिला पूल	वाहन	मोडल	अचल होने का कारण एवं समय
सीकर	कार	1974	अनुपयोगी घोषित हो जाने के कारण अप्रेल, 85 से काम में नहीं ली जा रही है।
टोंक	कार	1975	अनुपयोगी घोषित हो जाने के कारण अप्रेल, 85 से काम में नहीं ली जा रही है।
जोधपुर	जीप	1981	दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दि. 13-2-1985 से।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

जयपुर में राजकीय आवासों का आवंटन

92. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आवंटन किस प्रणाली से किया जाता है ? कृपया आवंटन सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर में किस वर्ष तक के पंजीकृत राज्य कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आवंटन किया गया है ? कृपया अब तक इस हेतु पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची वर्षवार व विभागवार सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की मांग के अनुपात में राजकीय आवासों की संख्या नगण्य है ? यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों की आवास आवटन हेतु बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और कितने आवास गृह बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितने, कहां व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वरिष्ठता सूची का अधिलंघन कर गत 5 वर्षों में किसी कर्मचारी को उक्त आवासों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किन्हें व किन कारणों से ?

(5) क्या ऐसे भी कर्मचारी अभी तक उक्त आवासों में रह रहे हैं जो सेवा निवृत्त हो चुके है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ग के कौन-कौन से आवास गृहों में कौन-कौन कर्मचारी रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मे० पर रखें।

(6) सरकार ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उक्त आवासों को खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवटन राजकीय आवास आवटन नियम के अन्तर्गत किया जाता है। राजकीय आवास आवंटन नियम की प्रति संलग्न की जाती है।

(2) चतुर्थ श्रेणी के आवास सचिवालय कर्मचारियों व विभागाध्यक्ष कर्मचारियों को 1–3 के अनुपात में आवंटित किये जाते हैं। सचिवालय के अतिरिक्त अन्य कर्मचारिय को वर्ष 1964 की आवास प्रतीक्षा सूची की वरिष्ठता सूची के आधार पर आवंटित किये गये हैं तथा सचिवालय कर्मचारियों को आवास प्रतीक्षा सूची माह जून, 82 की वरिष्ठता सूची के आधार पर आवटित किये गये हैं पंचम श्रेणी के आवास सचिवालय कर्मचारियों व विभागाध्यक्ष कर्मचारियों को 1–1 के अनुपात में आवटित किये जाते हैं। विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारियों को वर्ष 1963 की वरिष्ठता सूची के आधार पर आवास आवंटित किये गये हैं व सचिवालय कर्मचारियों को वर्ष 71 की वरिष्ठता सूची के आधार पर आवास आवटित किये गये हैं। जयपुर में राजीय आवास आवटन हेतु पंजीकृत राज्य कर्मचारियो की वर्षवार संख्या की सूची साथ में संलग्न की जाती है।

(मुख्य मन्त्री)

(3) हां यह सही है कि राजकीय कर्मचारियों की मांग के अनुपात में राजकीय आवासों की संख्या कम है। आवास निर्माण की विभिन्न स्थानों पर आवास की मांग तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जिला/ उप खण्ड तहसील मुख्यालयों पर आवासों के निर्माण प्रस्तावित किये गये हैं:-

प्रथम श्रेणी		8
द्वितीय	,,	24
तृतीय	,,	244
चतुर्थ	,,	1534
पंचम	,,	96
		1906

आवास गृह जहां-जहां बनाने का प्रस्ताव है उसका विवरण साथ में संलग्न है।

(4) गत 5 वर्षों में बिना पारी के जिन कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित किये गये हैं उसकी सूची साथ में संलग्न है

(5) जी हां। सेवानिवृत कर्मचारी जो राजकीय आवास में रह रहे हैं उनकी सूची साथ में संलग्न की जाती है।

(6) कर्मचारियों के सेवानिवृत होने पर राजकीय आवास रिक्त कराने हेतु राजस्थान भू- गृहादि अनाधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम 1964 एक्ट नं. 2 सन् 1965 की धारा 5 के अनुसार सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जाता है। उक्त आवासों को रिक्त कराने की कार्यवाही संलग्न सूची में वर्णित है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

(नियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(व्यवधान)

माननीय श्री डूंगरराम, मुझे बार-बार कहना पड़ता है आपके लिए। बैठें कृपया। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : कहीं ये बीमार नहीं हो जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज। यह जरूरी है कि जीरो आवर्स में आप बोलें ही बोलें, आपका नाम आना ही चाहिए। क्यों?

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री बिरद मल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिसलपुर बांध में

(64)

(श्री अध्यक्ष)

30-5-85 की वर्षा से आये पानी को सिंचाई विभाग द्वारा निकाल देने के सम्बन्ध में।

2 श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही डेम की दाईं मुख्य नहर के मजदूरों को ठेकेदार द्वारा मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में।

3. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति महुआ व टोडाभीम के प्रधान व विकास अधिकारी द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में।

4. श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री यदुनाथ सिंह, सुश्री पुष्पा, श्री खंगारसिंह चौधरी, श्री रघुवर दयाल, श्री चुन्नीलाल मेघवाल, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री हरिशचन्द्र कुमावत, श्री चंपालाल बांठिया, श्री हंसराज मिढ़ा, श्री दिग्विजयसिंह और श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

5. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

1. श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा में ए. सी. एम. का पद स्थापित करने के सम्बन्ध में।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : एक सदस्य को अन्दर आने से रोका जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, मैंने कहा है कि सदन से बाहर ही रहेंगे।

2 श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर में पशु चिकित्सालय की कमी से पशुओं की मृत्यु के संबंध में।

3. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर से बलाडा प्राइवेट बस मालिक द्वारा मनमाना किराया वसूल करने के संबंध में।

4. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्षा पूर्व खोदे गये डूंगों का मुआवजा न देने के संबंध में।

5. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपलदा कस्बे के निवासी श्री मांगीलाल की पत्नी व बच्चों को सामान व गहने सहित भगाकर ले जाने के संबंध में।

6. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेरी गेट से घाट गेट तक गन्दे नाले के ऊपर संजय मार्केट के निर्माण से गटर लाइन का पानी रुक जाने के संबंध में।

7. श्री रमजान खां, श्री हरिशंकर भाभड़ा और श्री जगजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्याज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करने के संबंध में।

8. श्री ....सिंह दायमा, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से खानपुर में कृषि मंडी यार्ड न बनाये जाने के संबंध में।

9. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत बोल्पूवास तहसील सरदार शहर के जोहड़ निर्माण कार्य का भुगतान मजदूरों को न करने के संबंध में।

10. श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़ नगर परिषद् के 50 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को हटा देने के संबंध में।

11. श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेरी गेट से मोती डूंगरी क्षेत्र तक दूषित वातावरण के संबंध में।

12. श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनरल अस्पताल के डाक्टर द्वारा रिश्वत एवं दुर्व्यवहार के संबंध में।

13. श्री नवरंगसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवलगढ़ में राशन की चीनी की कालाबाजारी के संबंध में।

14. श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर के अस्पताल व मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में अव्यवस्था के संबंध में।

15. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब व गन्दे नाले की सफाई न होने के संबंध में।

16. श्री लक्ष्मीनारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र की जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति के बाद भी कार्य चालू न करने के संबंध में।

17. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) और श्री गिरधारीलाल भार्गव सदस्य, विधान सभा की ओर से मावे व दूध में बनी मिठाइयों पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में।

18. डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागतलाई के नाले से बस्तियों में कटाव के संबंध में।

19. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से शस्त्रों से लैस चोरों के रूप में घूम रहे व्यक्तियों के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री डूंगरराम पंवार सदस्य, विधान सभा की ओर से सीलिंग की जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है अतः अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की भी अनुमति नहीं होगी।

2. श्री हरिश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगोद नगर के पास उजाड़ नदी के ऊपर 5 व्यक्तियों पर हमला करने के सम्बन्ध में। यह स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः अस्वीकार किया जाता है। इस विषय पर आज वक्तव्य दिया जा रहा है। माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

को वक्तव्य के समय बोलने की अनुमति होगी।

3. श्री चुन्नीलाल इंदलिया सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नोखा ग्राम बनिवा का आम रास्ता रोके जाने के संबंध में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। विषय को देखते हुए अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

4. श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से संगमरमर की छोटी औद्योगिक इकाइयों पर उत्पादन शुल्क लगाने के भारत सरकार के निर्णय व राज्य सरकार द्वारा छोटी औद्योगिक इकाई की परिभाषा से संगमरमर उद्योग की परेशानी के संबंध में। यह केन्द्र सरकार से संबंधित विषय है। अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति खनिज की मांग पर चर्चा के समय होगी।

5. श्री हरिश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था समाप्त होने के सम्बन्ध में। सरकार ने सूचना दी है कि इन घटनाओं में हत्या के अभियोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूर्ण नियन्त्रण में है। यह मामला अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने स्वीकार किया है मैं उनको समय दूंगा बोलने के लिए वे कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दें और जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है और बोलने की अनुमति नहीं है वे माननीय सदस्य उस पर नहीं बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैंने स्थगन प्रस्ताव आज दिया है जिस पर इस सदन के कम से कम 30 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उसको....

श्री अध्यक्ष: उसको सरकार से जानकारी के लिए भेजा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: जानकारी देंगे, कोई बात नहीं है मगर....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: प्रतिबन्ध लगाने के बाद जो....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री मोहन प्रकाश : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री रमजान खां : × × ×

श्री भवरलाल शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बैठें। आपका स्थगन प्रस्ताव पहले इसी सदन में दे चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी। सदन में अस्वीकार किया है। आपको बोलने के लिए पुकारा है पर चूंकि गैर हाजिर थे, आप बोले नहीं इसलिए दुबारा स्थान प्रस्ताव को लिया नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने यह रेफर नहीं किया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : (रामगंज मण्डी) : मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में डिजायर के नाम की क्या बीमारी होती है, कर्मचारियों को परेशान किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : कुछ व्यवस्था तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कुछ रूलिंग तो दें इस पर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : 8-8 हजार रुपये खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह साढ़े तेरह करोड़

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

का नुकसान हुआ है उसका भार प्रदेश की जनता के ऊपर है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : और हम से पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स हर तरह से लग रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें देवी सिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : करोड़ों रुपये का टी.ए.डी.ए. दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, बैठें। मेरी बात सुनें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारे खून को इस प्रकार से ××× चलने देंगे। हम ××× कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। आप मेरी बात तो सुनें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो बैठ जायेंगे लेकिन ये ट्रान्सफर कैसे कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये ××× मन्त्री जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मेरी बात सुनें। इतनी तो रखिये गरिमा कि आसन कुछ कहना चाहता है उसको तो सुनें। माननीय सदस्यों को आसन की गरिमा का कुछ ख्याल नहीं। आपकी गरिमा के साथ सदन की गरिमा जुड़ी हुई है। सदन की गरिमा के साथ आपकी गरिमा जुड़ी हुई है। जिस बात को कहना है, संयम से कहें, तरीके से कहें तो बात समझ में आ सकती है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि व्यवस्था के ऊपर कुछ न कहें। आपने उसको इर्रिटेट किया। मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि अंकित नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि विधान सभा में माननीय सदस्य विचार रखें और वह अंकित न किये जायें। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाये तो क्या किया जा सकता है। माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को नहीं देखा और आप यह समझ लें कि मैंने इसको लाइटली ट्रीट, बाई पास कर दिया हो, अस्वीकार करा हो तो बोलें। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसकी जानकारी आ जाये। इसके बारे में जो भी स्थिति आ जाती तो मैं भी सदन में कहूंगा उस स्थिति के आधार पर, तब आप बोलेंगे, कहेंगे तो सारगर्भित होगा, कुछ बात सामने आयेगी तो। मैंने इसके महत्व को समझकर जानकारी के लिए भेजा है तो इतना तो संयम रखें, उस पर तो बात करें। मैंने आऊट राइटली कह दिया होता और बोलने की इजाजत नहीं देता या अस्वीकार कर देता। तो माननीय सदस्यों की बात समझ में आ सकती है। लेकिन जब अभी खुला है, अभी क्लोज नहीं हुआ है चैप्टर, मैंने अभी डिसीजन दिया नहीं है तो उसमें माननीय सदस्यों को इतना ऐजीटेशन करने की क्या आवश्यकता है।

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

माननीय सदस्य, बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं। आप बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आप जो जानकारी कर रहे हैं क्या हमें यह मिल जायेगी कि कितने अध्यापकों के, कितने डॉक्टरों के, कितने वैद्यों के, कितने कम्पाउन्डर्स के, कितने पुलिस के ये सारे स्थानान्तरण पिछले तीन माह में हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव की भाषा है और इसमें जिस आधार पर मैंने स्थगन प्रस्ताव सरकार को भेजा है उसके आधार पर जो भी जानकारी आयेगी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आयेगी ?

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं कह सकता कि क्या जानकारी आयेगी।

आर्डर, आर्डर। जो भी जानकारी राज्य सरकार देगी वह मैं सदन को....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सुनिये, आप मेरी बात सुनिये। मेरे पास आज इस तरह के 25 पत्र आये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुनिये, आप पहले मेरी बात। मैं उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रतनगढ़ जलदाय विभाग के एक्स.ई.एन. ने क़रीब 40 स्थानान्तरण किये हैं। वहां पर माहौल खराब हो रहा है। ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी बात तो सुनें। इसमें नहीं कह रहा हूं। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे पास इस तरह के 25 पत्र आये हैं, मैं एक पत्र बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है, मैंने ना नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा सवाल यह है कि....

श्री अध्यक्ष : बैठें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप इनको बोलने दीजिये कृपया।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। हम तो एक व्यवस्था चाहते हैं....

श्री शापत सिंह (हनुमानगढ़): पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री ग्रध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर चल रहा है। कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : हम तो यह व्यवस्था चाहते हैं कि जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह बहुत महत्व का है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : इसलिए जब तक, ग्रध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना नहीं ग्राती है हम जल्दी से जल्दी इस मामले को इसलिए लेना चाहते हैं कि जब ग्रखबारों में, समाचार पत्रों में ग्राया कि मुख्य मन्त्रीजी ने बेन लगा दिया ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बेन नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसके बाद 29 तारीख में बैक डेट में स्थानान्तरण हो रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य। दो दिन में सूचना मांगी है।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : ग्राप बैन लगायें—

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप कृपया बैठे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब तक जवाब नहीं ग्राये तब तक ग्राप बैन लगा दें।

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे समझ में नहीं ग्रा रहा है क्या बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : जब तक जवाब नहीं ग्राये तब तक सारे स्थानांतरण ग्राप रुकवायें, हमारा निवेदन यह है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। ग्रापने ग्रपनी बात कह दी।

श्री नाथूसिंह : शिक्षा विभाग में 22 हजार स्थानांतरण हुए हैं। दुकान खोल रखी है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। ग्रापने ग्रपनी बात कह दी। माननीय श्री नाथूसिंह, कृपया बैठें। माननीय मोहन प्रकाश, इस प्रकरण को समाप्त करें, कृपया। ग्रार्डर प्लीज। ग्रार्डर, माननीय सदस्य, बैठें। सुन लिया ग्रापका।

श्री भंवरलाल शर्मा : कितने दिन ? मेरा निवेदन यह है ...

श्री ग्रध्यक्ष : सुन लिया ग्रापका निवेदन। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्राप ट्रांसफर्स को रुकवाने की व्यवस्था कर दीजिये :

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापने स्वयं कहा है कि मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं कहा है....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य: श्री हीरालाल आर्य बैठें । कृपया बैठें, माननीय सदस्य । अंकित न हो ।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठें । आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य । आर्डर, माननीय श्री उम्मेदी लाल बैठें । बातें न करें ।

श्री शोपत सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

अध्यक्ष महोदय, हम जब से इस सदन में इस सत्र में बैठे हैं हम ऐसा अनुभव करते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । कृपया बैठें । माननीय सदस्य, नो पाइन्ट आफ आर्डर । पाइन्ट आफ आर्डर रूल आउट । कृपया बैठें । आर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

श्री शोपत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । पाइन्ट आफ आर्डर को रूल आउट कर दिया मैंने । आर्डर प्लीज....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । माननीय सदस्य, आपने स्वयं यह बात कही है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस पर बैन लगा रखा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कोई बैन नहीं लगाया गया है....

श्री अध्यक्ष : आपने यह बताया है अभी । आपने बताया मुख्य मन्त्रीजी ने बैन लगा रखा है । आर्डर प्लीज । तो उसके ऊपर और कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता रहती नहीं । और इतनी जब सदन में बात हुई है और दो दिन में इसका जवाब मैंने मांगा है कि दो दिन के अन्दर सदन के अन्दर जवाब दे दें, जानकारी आये या नहीं आये मैं इसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा । कृपया बैठें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय कालीचरण बैठें ।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल उठाया है कि सदन के नेता लगातार सदन की कार्यवाही की अवहेलना करते हैं । यहां पर रहते नहीं, बहुत कम आते हैं । यह पहला मौका है हिस्ट्री में....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री शोपत सिंह : यह पहला मौका है हिस्ट्री में कि सदन के नेता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शोपत सिंह : सदन की गरीमा को कम कर हैं । सदन में आ नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठें ।

श्री शोपत सिंह : मैं चाहता हूं कि सदन की इस बात को, सदन की इस मन्शा को मुख्य मन्त्री, सदन के नेता तक पहुंचाया जाय । उनको बताया जाय इस बात को ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें ।

श्री शोपत सिंह : मेरी बात को सारे अनुभव करते हैं कि लगातार टाल रहे हैं । कभी आते नहीं, आते भी हैं तो दर्शन देकर चले जाते हैं । सदन में कभी बैठते नही वे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, माननीय शोपत सिंहजी, आपकी भावना मेरी समझ में आ गई । आप बैठे कृपया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार को जानकारी नहीं है, ट्रांस्फर की नीति....

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री शोपत सिंह : तीन मन्त्री बीमार हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री शोपत सिंह : और ऐसी सूरत के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें आप । आर्डर प्लीज ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनने देते नहीं, क्या पाइंट आफ आर्डर है । सब के सब बैठें ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये । मैं बाअदब दरख्वास्त कर रहा हूं, आप सुन तो लीजिये, कृपया मुझे मुझे तो यह बड़ा डर है कि आपका स्वास्थ्य न खराब हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । कृपया बैठें आप ।

श्री अब्दुल अजीज : कृपया मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपको चिन्ता नहीं है इस बात की ।

श्री अब्दुल अजीज : आपने यह फरमाया....

श्री अध्यक्ष : आपको यह चिन्ता नहीं है ।

श्री अब्दुल अजीज : चिन्ता तो है हमको। हम शुभ चिन्तक हैं आपके, अध्यक्ष महोदय। आप हमारे मोअज्जिज आनरेबल हैं। कैसे नहीं हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा निवेदन सुनिये, अध्यक्ष महोदय। आपने यह फरमाया कि ट्रांसफर के रोकने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं यह चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान का पत्र आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सुनिये, आपको मैं अन्दाज देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया। माननीय श्री अब्दुल अजीज कृपया बैठें। माननीय मोहन प्रकाश, इशारा न करें। आप उनको उकसा रहे हैं। माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : 29 जून, 1985 का यह खत है....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अब्दुल अजीज, कृपया बैठें। आप बैठें कृपया। आर्डर प्लीज। इस चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया है। मैंने स्वयं कह दिया, इस सदन में माननीय सदस्यों ने स्वयं कहा है कि बैन लगा हुआ है फिर भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसी आर्डर को आप पढ़ रहे हैं इसमें को नई बात नहीं होगी इसलिये आप बैठें। कृपया बैठें। मैंने नहीं कहा जानकारी नहीं है। मैंने कहा आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन है। आप सुनिये इस बात को। मैंने यह कहा है कि दो दिन में जवाब आ जायेगा। राज्य सरकार से जवाब आयेगा। नहीं आयेगा तो मैं इस पर व्यवस्था दूंगा। मैं इस पर वयर व्यवस्था....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि दस तारीख को मैंने सदन के सामने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को आपने उसको सरकार की जानकारी के लिये, जवाब के लिये भेजा। 10 तारीख से आज हो गई 17 तारीख। हजारों ट्रांसफर हो गये, अब और हो रहे हैं। इन दो दिन में हो जायेंगे उनका कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वे बैठे हैं अस्पताल में। शिक्षा मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर कौन चला रहा है? पैसा खा रहा है, वहां तबादले हो रहे हैं। आप दो दिन रोक लगवा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे विशेषाधिकारों का हनन हो रहा। दो दिन के लिये....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है। जब से यह सत्र चला है मुख्य मन्त्री....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री देवी सिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मुख्य मंत्री को मजबूर करें कि वे इस हाउस में बैठें। जो भी चर्चा हो उसमें....

श्री अध्यक्ष : बात हो गई। यह बात कह दी, माननीय शोपत सिंहजी ने।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मुख्य मंत्री को मजबूर क्यों नहीं करते?

श्री अध्यक्ष : यह बात आ गई मेरे सामने। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने कहा सूचना मंगायेंगे। तो मेरी अर्ज यह है कि सूचना की कितने दिन की लिमिट है?

श्री अध्यक्ष : मैंने दो दिन के लिये कहा है अभी।

श्री नत्थी सिंह : हमारा दूसरा प्रस्ताव दस दिन से नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब के लिये मैंने कह दिया है। सबकी बात कही है।

श्री नत्थीसिंह : दूसरी मेरी अर्ज यह है, अभी एक बड़ा भावनात्मक प्रश्न था बिजली की दरों का और किसानों को 12 घण्टे बिजली सप्लाई करने का ना कर दिया मन्त्री महोदय ने। उस पर हमारे दल के एक माननीय सदस्य, जिनकी भावनायें उत्तेजित थीं, ने इसकी बाबत आपके सामने विरोध प्रकट किया। आपने सजा भी दे दी लेकिन मेरी आपसे अर्ज यह है कि वह सजा बहुत हो गई, अब दुबारा विचार कर लें। मेरा निवेदन है कि आप अपना जो आवेश है, उसको समाप्त कर पुनर्विचार करके श्री नवरंग सिंह को सदन में आने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : अनुमति देता हूं। कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है कि मैंने बीज निगम द्वारा किसानों....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो व्यवस्था दे दी गईहै....

श्री मोहन प्रकाश : जवाब आ गया है। उस दिन शुक्रवार को मैं उपस्थित नहीं था तो मैं यह चाहता हूं कि उस जवाब को आज आप देखें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं देख करके उस पर व्यवस्था दूंगा। आर्डर प्लीज। श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था वह राजस्थान में लंबित विवाद लगभग 30-30 साल से निपटारे में नहीं आ रहे हैं उसकी बाबत में था। उसी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि सरकार ने जो नये ए. डी. एम. के पद सृजित किये हैं वे निश्चित और उचित मापदण्डों के आधार पर तय नहीं किये हैं। मिसाल के तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को बताना चाहता हूं कि 11 साल की मेरी वकालत है 1956 का मेरा जन्म है, 1953 का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। 1953 से आज तक जो मुकदमें अदालतों में विचाराधीन हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह पूछना चाहूंगा 1953 से आज 1985 तक जो किसान मुकदमा लड़ रहा है इसका अर्थ साफ हो गया कि दादा मुकदमा दर्ज करा गया और पोते मुकदमा लड़ते रहें। इससे कानून का सिद्धान्त, न्याय का सिद्धान्त अपने आप बेमायने हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि आप....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): पाइंट आफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, अभी जब हो-हल्ला हो रहा था उस समय उधर बैठे हुए दो तीन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेस के विधायक पैसा ले करके ट्रांसफर करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अंकित न हो, कह दिया था। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आप भी उस वक्त मेरे साथ उत्तेजना में थे क्या ? आपने तो सुना होगा मेरी बात को कि मैंने उस समय कह दिया था कि अंकित न हो।

(1.00 म. प.)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर अंकित हो गया है तो ?

श्री अध्यक्ष : आप भी उस समय उत्तेजना में थे क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो शान्ति से सुन रहे थे।

श्री अध्यक्ष : हमारी बात आपने नहीं सुनी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। आपने मेरी बात नहीं सुनी, शान्ति से सुनने वाले माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। श्री जगमाल सिंह जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने जो कहा वह तो अंकित हो गया न।

श्री अध्यक्ष : वह तो अंकित होगा ही।

श्री दाऊदयाल जोशी : रघुनाथजी विश्नोई साहब, यह बात हण्ड्रेड पर्सेन्ट सही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दाऊदयाल जी, आप मुझे मजबूर न करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। अंकित न हो। अंकित नहीं होगा। कृपया बैठें। मैंने कह दिया उनसे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ××××

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : ×××

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय श्री हीरालाल, कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हुआ है। आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय श्री दाऊदयाल।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दाऊदयाल। आर्डर प्लीज। मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। आर्डर प्लीज, आपस में बातचीत नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भारद्वाज। आर्डर प्लीज। माननीय श्री भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ट्रान्सफर कराते हैं और जनता पार्टी के लोगों को। +++ करते हैं। यह तुमको वहम हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। +++ शब्द को एक्सपंज किया जाय। माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल: ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो। माननीय सदस्य। अंकित न हो।

भैरूंलाल भारद्वाज : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी मुझे मजबूर न करें आप। सदन की गरिमा को कृपया बनाये रखें।

माननीय श्री जगमाल सिंह।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर बीच में क्या, माननीय सदस्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे तसल्ली से सुन लें तो मेरी बात की गम्भीरता को आप स्वयं समझ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने जांच के लिये दिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आसन से इजाजत लेकर बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप आसन की ओर मुखातिब हों।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को देखते हुए कहना पड़ता है, अगर आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो 29 तारीख को कोटपूतली जांच कमीशन बन्द हो जायेगा। उनके पास कोई टाइप की व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा। माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

कृपया बैठें, माननीय सदस्या। आर्डर प्लीज, बैठें, कृपया।

श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लम्बित रेवेन्यू वाद हैं, रजिस्ट्री के जो जो मुकदमे हैं इनकी बाबत, अलवर, और भरतपुर की बाबत विशेष रूप से आप से कहना चाहता हूं कि वहां जो होल्डिंग है वह बहुत छोटी हो गयी। जमीन के भाव ज्यादा बढ़ गये।

(1.05 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कीमतें ऊंची हो गयी। जरा जरा सी बात को लेकर मुकदमे। जहां तक मुकदमों की संख्या बढ़ाने के कारणों का सवाल है, यह सरकार मुकदमे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। इन दोनों जिलों में सैटलमेण्ट हुआ। सैटलमेण्ट में बिना किसी आधार पर सैटलमैण्ट अधिकारी और कर्मचारी ने जो खातेदार लोग थे उनके इन्द्राज बदल दिये। इन्द्राज बदलने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि इन्द्राज बदलने के बाद वह कहें किसानों से कि यह जमीन तो सिवाय चक गयी या दूसरे के नाम गयी। इस तरह से

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सैटलमेण्ट में पहले किसानों को लूट लिया उसके बाद किसानों ने मुकदमे दर्ज किये। मुकदमे दर्ज होने के बाद अदालतों मे चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अभी स्थानान्तरण का मसला यहां उठा, इसका एक बड़ा कारण स्थानान्तरण भी है। आज जितने आर. ए. एस आफिसर हैं, जितने भी आर. ए. ए. आफिसर हैं, वह उन लोगों के रेवेन्यू के मुकदमों को 2-2 3-3 महीने तक भी सुनवाई नहीं करते। इस तरह से अदालतों में मुकदमों का भार बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है, यह मैंने अपने क्षेत्र तिजारा के लिए निवेदन किया है। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो हिन्दुस्तान के नक्शे मे एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है। वहां की आबादी लगभग एक लाख के लगभग हो गयी। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में चार थाने होने पर भी एक भी डी. वाई. एस. पी. नहीं है, एक भी ए. सी. एम की कोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ किशनगढ विधान सभा क्षेत्र मे मात्र दो थाने है वहां डी. वाई. एस. पी. भी नियुक्त है, वहां एस. डी. एम. की कोर्ट है, वहां ए. सी. एम. की कोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक ए. सी. एम. जो किशनगढ़ में बैठकर केवल तिजारा का काम देखता है उसका पदस्थापन तिजारा में ही क्यों नहीं कर दिया जाता। जहां तक भिवाड़ी क्षेत्र का सवाल है, बड़ी तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब है। विपक्ष के माननीय नेता महोदय, ने इस सदन में बताया था गृह मंत्रालय की मांग पर कि भिवाड़ी में अपराध बढ़ रहे हैं। हर साल गोली काण्ड हो जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह पाती। सरकार से मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में जो लम्बित रेवेन्यू वाद हैं उनके निपटारे के लिए किशनगढ़ में बैठा हुआ ए. सी. एम काम देखता है तो ऐसी कौनसी मजबूरी है सरकार के सामने कि किशनगढ़ से हटाकर उस ए. सी. एम. को तिजारा में पदस्थापित नहीं करे? तिजारा में पदस्थापन मत करो, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर किशनगढ़ में ज्यादा वर्क लोड है तो तिजारा के लिए नया एस. डी. एम. या नया ए. सी. एम. का पद निर्धारण करें ताकि तिजारा विधान सभा क्षेत्र में जो 30-30 साल से लम्बित वाद है उनका निपटारा हो सके, दूसरा वहां की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को वह ए. सी. एम., जो मजिस्ट्रेट की पावर लेकर बैठता है, सुधार सके। इस सरकार का कतई ध्यान नहीं है कि ए. सी. एम. का नया पद सृजित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से कहना चाहता हूं सरकार के सामने एक ही मापदण्ड होता है कि किसी कांग्रेसी सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में खोला जाय ताकि उसका नाम हो, उसको ग्लोरीफाई किया जा सके। मैं कहना चाहता हूं, अदालत खोलने का कोई निश्चित मापदण्ड होना चाहिये। जहां आवश्यकता हो वहां खोली जानी चाहिए। नयी अदालतें कायम करते वक्त यह नजरिया सरकार का होना चाहिए कि कौन सदस्य विपक्ष का है, कौन पक्ष का

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है। थोड़े शब्दों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि तिजारा की बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था को देखें तिजारा में 584 मुकदमे आज अदालतों में विचाराधीन हैं मिसाल के तौर पर जैसा मैंने बताया कि मेरे जन्म से पहले का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं इस तरह से न्याय का सिद्धान्त बेमाना हो जाता है। कानून व्यवस्था बनी रह सके इसलिए सरकार से मेरा पुनः अनुरोध है कि सरकार तिजारा विधान सभा क्षेत्र में एस. डी एम या ए. सी. एम का पद सृजित करे। भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में एक लाख की आबादी है, कानून व्यवस्था सम्भालने के लिए वहां पर सरकार नये डी. एस पी. का पद सृजित करे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्यारसी लाल।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर तहसील में ग्राम कूडेरा है वहां अभी कुछ समय पहले गया था। सरकार की जानकारी में हो तो वहां के विधायक श्री मोतीलाल मीणा का परसों एक्सीडेंण्ट हो गया था, टोंक से 7-8 किलोमीटर आगे आने के बाद उनकी जीप उल्ट गई थी, अतिरिक्त जिलाधीश महोदय बिराजे थे उसमें, वह टोंक शहादत होस्पीटल म भर्ती हैं। सरकार की जानकारी में नहीं हो तो मैं बता दूं, चोट लगी है, एडमिट है। उनके साथ मुझे जाने का मोका मिला था। उस गांव की आबादी करीब 8-10 हजार है। वहां चारों तरफ बहुत से मीणा-गूजर है। सबके पास काफी संख्या में जानवर हैं। वह ऐसा पहाड़ी इलाका है, काली मिट्टी है जिससे बरसात के समय में आदमी और जानवरों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, न कोई वहां पर कम्पाउन्डर है और न कोई चिकित्सक की व्यवस्था है। वहां मैंने आपर गांव के अन्दर देखा, कम से कम 2 सौ जानवर बहुत अच्छी किस्म के थे। कुछ जानवर तो ऐसे थे, परबतसर का जो मेला लगता है उसमें गये थे। 10 बैलों की जोड़ियां इस तरह से बीमार थीं शायद उनमें से 2 4 तो मर गये होंगे क्योंकि वहां पर कोई साधन नहीं है। पशु चिकित्सालय नहीं है, कम्पाउन्डर नहीं है, डाक्टर नहीं है। ऐसी हालात में जानवर को सवाईमाधोपुर में ले जाया नहीं जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि पशुपालकों का ध्यान रखते हुये कूडेरा गांव के आस-पास जितने गांव पड़ते हैं, जिनमें पशु चिकित्सालय नहीं हैं। वहां पर कोई छोटा पशु चिकित्सालय या डाक्टर या कम्पाउन्डर डेपुटेशन पर भेजा जाय ताकि वहां पर भी जानवरों की हिफाजत हो सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर में ब्यावर से भिलाड़ा बस चलती है। यह रूट आज से 50 साल पहले महाराजा जोधपुर के समय बना था। इस रूट पर, सड़क पर राजस्थान सरकार ने आज दिन तक डामर रोड बनाने की व्यवस्था नहीं की है जब कि इस रूट पर रायपुर तहसील की कम से कम 10 पंचायतें

(श्री हीरासिंह चौहान)

आती हैं जिसमें बड़े गांव भी हैं गिरी, मालवा, देवड़ा, चांद और इसके बाद में जैतारण तहसील के गांव बिलाड़ा तक बस जाती है। इस रूट पर कम से कम 30-40 हजार लोग रहते हैं। इस रूट पर जो बसें चलती हैं ब्यावर के पंडित दुर्गाप्रसाद की है जो मनमाने तरीके से बस चलाते हैं, बसें चलती हैं, दो उधर से चलती हैं शाम को और फिर दो बसें सुबह इधर से जाती हैं। प्रातःकालीन बस जो ब्यावर से निकलती है वह 12 बजे निकलती है। 12 बजे तक इस रूट पर लोगों के आने जाने के लिये कोई बस उपलब्ध नहीं है। जो बस चलती हैं उसमें भेड़ बकरियों की तरह आदमियों को भरा जाता है। मई—जून में मैंने यहां के परिवहन आयुक्त से मिलकर इस सम्बन्ध में उनको सारी जानकारी दी कि इस रूट पर जो बसें चलती हैं उनको अविलम्ब बदला जाय क्योंकि वह आउट डेटेड बसें है, 1970 के पहले के माडल की है, उनमें 35 सवारियों से ज्यादा बैठ नहीं सकतीं, सारे पैसेन्जर बसों के ऊपर बैठते हैं। एरिया के लोगों ने लिखित में शिकायत की लेकिन राजस्थान सरकार के इन सब अधिकारियों ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। आज दिन तक उस बस मालिक को रोक-टोक करने वाला कोई नहीं है। न बसों में टिकट दिये जाते हैं। एक तरह से उस पण्डित ने इस रूट पर अपना कब्जा कर रखा है, साम्राज्य कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस चलाने के लिये मैंने लिखित में सूचना दी है, यह बहुत आमदनी वाला रूट है, इस रूट पर रोडवेज की बसें आसानी से चलाई जा सकती हैं लेकिन इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिला कर के इस रूट पर 4 बसें चलती हैं दो बसों में एक कन्डेक्टर चलता है। दोनों ही बसें साथ साथ चलती है, एक ही कण्डेक्टर टिकट काटता है। एक के टिकट काटने पर दूसरी चलती है जब कि समय निर्धारित होना चाहिये बसों के आने जाने का। प्रातःकालीन बस प्रातःकाल ही चलनी चाहिये, उसके बाद में 12 बजे और उसके बाद में शाम को जानी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूट को राजस्थान राज्य पथ परिवहन के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये। वर्तमान में जो बसों की व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइवेट बस मालिक की बसों की चैकिंग करवाई जाय और इस पर किसी न किसी प्रकार की रोक लगाई जाय क्योंकि आउट डेटेड बसें हैं। आज से कम से कम 15-20 साल पहले की चल रही है। उनको बन्द करवाया जाय। नहीं तो जैसा मैं अभी 13 तारीख को ही गांव में गया था, गांव के लोगों ने कहा कि यह बसें हम नहीं चलने देंगे, इनकी बाडी तोड़ देंगे। इसलिए अगर किसी प्रकार का आन्दोलन खड़ा हो गया तो उसके लिये सरकार की जिम्मेदारी होगी। गांव वाले पूरी तरह से दुःखी हो चुके हैं। मनमाना किराया बस मालिक द्वारा लिया जा रहा है।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कि इस एडजोर्नमेंट मोशन पर श्री मांगीलाल जी साहब को समय दिया जा रहा है. मेरा भी इसी प्रश्न पर काल अटेन्शन मोशन है। मैंने 4 तारीख को दे दिया था इसलिए मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन, जो कि चम्बल कमाण्ड एरिया है, में पानी के भराव और सीपेज के समाधान हेतु सरकार द्वारा ड्रेनेजे खुदवाई गई है। वहां पर जो ड्रेनेज का काम किया गया है उससे किसानों को राहत तो हुई है परन्तु जो जमीन किसानों की उन ड्रेनेज में ली गई उनका मुआवजा वर्षों बाद भी आज तक नहीं दिया जा रहा है। ड्रेनेज का मुआवजा कितना बाकी है उसका छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक ड्रेन लाखेरी खुर्द-कून और केशोनगर बनी वहां 1 लाख 29 हजार रुपयां किसानों का बाकी है। इसी तरह से हजारों किसानों का लाखों रुपयां बाकी हैं। अडिला, कापरेन ऐसे कई गांव हैं। अड़िला मेरा गांव है। वहां पर कर्मचारी होने के नाते कई किसानों ने सम्पर्क किया। बार-बार अधिकारी बुलाते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करके वापस भेज देते हैं। उस किसानों का समय बर्बाद होता है, आने जाने में किसानों का पैसा बर्बाद होता है। अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं करके उनको इस तरह से परेशान करते हैं। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि कितने रकबा का कितना पैसा ड्रेन के मुआवजे में उसे मिलने वाला है। ड्रेनेज का जो भी मुआवजा किसानों का बनता है उसके संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये जायें और मुआवजा शीघ्र दिलवाने की व्यवस्था की जाय। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें आती हैं भड़ोच से कापरेन, पापली बना खेड़ा उस में भी जो कृषि भूमि किसानों की ली गई है उसके सम्बन्ध में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से विशेष अनुरोध करूंगा कि उन गरीब किसानों को उनकी जमीन का पैसा मिलना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इसमें नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने काल अटेन्शन दिया है 4 तारीख को।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग से आयेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, इसके साथ ही आयेगा। सदन की परम्परा भी रही है कि एडजोर्नमेंट मोशन अगर किसी ने मूव किया हो और उसी विषय पर किसी ने काल अटेन्शन मोशन मूव किया हो तो उनके साथ उनको भी बोलने का समय दिया जाता है इसलिये मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बोल लीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल कमाण्ड एरिया में ड्रेनेज बनाने के लिए काश्तकारों की भूमि आज से करीब 20 वर्ष पहले अवाप्त की गई थी परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिल रहा है और वह मुआवजा जब भी उनको प्राप्त होगा राज्य सरकार की ओर से उसका कोई ब्याज देने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके विपरीत जिन काश्तकारों से सिंचाई का पैसा बाकी है उन काश्तकारों से पैसों की वसूली की जा रही है। यह सही है कि यह पैसा वसूल किया जायेगा लेकिन मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों को ड्रेनेज का मुआवजा देना है उन पर इरिगेशन विभाग का कोई बकाया है, किसी भी प्रकार का ऋण बकाया है उसकी वसूली उनसे करनी है तो उनको जो मुआवजा देना है उसमें से एडजस्टमेंट किया जाना चाहिये ताकि उनको मुआवजा मिल जाय और सरकार की वसूली हो जाय।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि हर साल कुछ न कुछ राशि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने के लिये दी जाती है। वहां जो भूमि अवाप्ति अधिकारी है और जो वहां पर स्टाफ है वह जो होशियार काश्तकार हैं उनसे मिल जाते हैं। उनका तो अवार्ड वह बना देते हैं, उनका अवार्ड तो बनाकर तैयार रखते हैं और जैसे ही वहां से राशि जाती है वह राशि उनसे मिले हुए काश्तकारों को वितरित कर दी जाती है लेकिन जो भोले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं जो इन सारी व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं, जिनकी उन लोगों तक अप्रोच नहीं होती है उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। जिनकी भूमि उनसे पहले अवाप्त कर ली गई वह आज तक इन्तजार में है। तो, मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्रीजी से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाय और सिंचाई की वसूली जो भुगतान करना है उसमें से की जाय। वहां जो गड़बड़ी हुई है उसको दूर किया जाय और कुछ नीति-निर्देशक सिद्धान्त कर दिये जाय कि इस साल किन-किन लोगों को मुआवजा मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की पुलिस कितनी निकम्मी, निष्क्रिय, भ्रष्ट, जनता के हितों की अवहेलना करने वाली, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है इसका उदाहरण स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं और सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पर निश्चित रूप से वह कार्यवाही करें। कोटा की पुलिस की निष्क्रियता की वजह से आज पूरा कोटा शहर, पूरा जिला जिस तरह से धधक रहा है। और जिस तरह से वहां आये दिन घटनायें होती जा रही हैं इन चीजों से जाहिर है कि कहीं मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो जाय। कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के निवासी श्री मांगीलाल पुत्र सुखलाल, जो जाति से माली है, की पत्नी और एक छोटे बच्चे को इनके घर के गहने सहित वहां एक आदतन अपराधी है अब्दुल हमीद सन् आफ कासम खां, यह भी पीपल्दा का रहने वाला है, 21-6-85 को फरार कर भगाकर कहीं ले गया। इसकी सूचना मांगीलाल ने इटावा थाने में दी तो वहां का थानेदार कहता है कि इस प्रार्थना पत्र को तुम वापिस ले

(श्री हीरालाल आर्य)

जाओ। बड़े गन्दे शब्द कहे थे लेकिन वह मैं कहना नहीं चाहता हूं। उसने कहा कि तुम्हारी इनमें घुसा दो और उस गरीब व्यक्ति को वहां से भगा दिया। परेशान होकर उस व्यक्ति ने खुद उसको ढूंढना शुरू किया कि वह कहां पर है। खातोली में कहीं उसको छोड़कर आया था किसी गांव में। खातोली गांव में जाकर उसने उस अब्दुल हमीद को पकड़ा। पकड़ने के बाद वह भागने लगा। भागने लगा तो वहां इनके बीच मारपीट हुई। मारपीट हुई तो वहां बस स्टेण्ड पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये और खातोली थाने में उनको पकड़ कर ले गये। दोनों को अरेस्ट किया वहां थाने में। वहां थानेदार को कहने लगा कि साहब, इस तरह से यह मेरी पत्नी और बच्चे को जेवर और सामान के साथ ले गया और कहीं रखकर आ या है और यह भागने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़िये। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वहां की पुलिस कितनी निकम्मी है, उसको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया इस केस में गिरफ्तार नहीं किया और उसकी जमानत हो गई। मांगीलाल यह कहता रहा कि इससे मेरी पत्नी और बच्चे को बरामद कराइये लेकिन पुलिस ने गलत बयानी करके उस अब्दुल हमीद अपराधी को भगा दिया। इसकी जानकारी इस मांगीलाल ने एस. पी., जिलाधीश को दी कि इस प्रकार से यह अब्दुल हमीद नाम का जो व्यक्ति है मेरी पत्नी और बच्चे को भगा ले गया, इटावा का थानेदार और खातोली का थानेदार दोनों मेरे सूचना देने के बावजूद इस अपराधी को भगा रहे है यह आश्चर्य की बात है। इस मांगीलाल ने कहा कि अभी तक इसकी पत्नी और बच्चे किसी गांव में रखे हुए हैं। यह कहता है एम. पी. में जो कनापुर गांव है वहां पर कोई जलील और खलील नाम के व्यक्ति हैं। उनके वहां इनकी पत्नी और बच्चे को रखा हुआ है। एस. पी. और जिलाधीश को मांगीलाल ने शिकायत की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह कहता है कि मेरी पत्नी और बच्चे को फलां जगह ले जाकर रखा है और वहां पर वह बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोटा की पुलिस इतनी निकम्मी है कि वहां पर जाकर उसको बरामद नहीं कर रही है उल्टा अपराधी को भगा दिया है। इस से पीपल्दा में बड़ा आक्रोश है।

पीपल्दा की जनता ने जिलाधीश और वहां के एस. पी. को एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब्दुल हमीद आदतन अपराधी है, गांव में पहले भी इस तरह कई झगड़े कर चुका है। यह लड़कियों को छेड़ने का धन्धा करता है, भगाने का धन्धा करता है, बेचने का धन्धा करता है, पहले भी इसने राजी पुत्री सुखा गूजर, जो पीपल्दा की है, के साथ छेड़छाड़ की और गांव में झगड़ा हुआ। यह गांव वाले कहते है। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा है कि हमारी बहिन-बेटियों के साथ यह रोजाना अपराध करता रहता है। राजी पुत्री सुखा गूजर और पीपल्दा की अन्य लड़कियों के साथ वारदात की जिसे ग्राम बाजार पीपल्दा की और ग्राम जनता जानती है। अपराध करना तो इसका मामूली खेल है। शराब पीकर रात को हमारी बहिन बेटियों की इज्जत लूटना है। तारीख 21.6.85 को मांगीलाल वल्द सुखलाल माली, पीपल्दा की औरत को मय बच्चे, जेवर फरार कर ले गया। मालियों के अन्दर बहुत आतंक मचा रखा

(श्री हीरालाल आर्य)

है। पुलिस थाने में भी पुकार करता है। एक गरीब आदमी है अगर इस फरार का सरकार द्वारा इन्तजाम नहीं किया गया तो पीपल्दा में कुछ दिनों में शान्ति भंग होने का अन्देशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां की जनता ने जिलाधीश को और एस. पी. को प्रार्थना पत्र दिया कि इस प्रकार से हमीद नाम का अपराधी, जो आदतन अपराधी है, पहले भी आये दिन घटनायें करता रहता था।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय गृह मन्त्रीजी, सुन लीजिये, पीपल्दा में हमीद नाम का व्यक्ति है।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन थानेदार इसको छोड़ता है अब आप ही बताइये, पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पैसा खाकर अपराधियों को छोड़ती है अपराधियों को जब जनता पकड़ कर लाती है तो भगा दिया जाता है तो जनता किसके पास जाकर अपनी गुहार करे। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान विधान सभा को इस बात की सूचना दी है। आपने भी इसको लोक महत्व का नहीं समझा और रिजेक्ट कर दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जबकि आये दिन कोटा में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। पीपल्दा में किसी भी वक्त दंगा भड़क सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र यदि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, इसके बच्चे और पत्नी को सामान सहित बरामद नहीं किया तो वहां कभी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है कोई सुनने वाला नहीं है गृह मन्त्रीजी बिराज रहे हैं मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करूंगा कि इस अपराधी, जो आये दिन अपराध करता रहता है, और जिन थानेदारों ने इसको भगा दिया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें इसको पकड़कर उस गरीब मांगीलाल, जो मजदूर है की पत्नी और बच्चे को बरामद करें तभी जाकर वहां पर शान्ति हो सकती है। वहां पर कोई बुरी घटना हो जाय इसकी पूर्व में सूचना दे रहा हूं। कहीं ऐसा न हो जाय इसलिए अपनी पुलिस को सम्भालिये, गृह मन्त्री महोदय। नहीं तो कोटा की निष्क्रिय और निकम्मी पुलिस को बुला लें वहां से, हम अपने बूते पर सारी व्यवस्था कर लेंगे। इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालिचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान 1975 में लिये गये निर्णय, जिसके द्वारा घाट गेट से जौहरी बाजार तक नाले के ऊपर जो लोग बसे हुए थे उनको वहां से उजाड़कर मार्केट के बनाने की योजना थी, की ओर दिलाना चाहूंगा। 1977 में संजय मार्केट के नाम से घाट गेट और सांगानेरी गेट के बीच में नाले के ऊपर एक मार्केट बनाने की योजना सरकार ने प्रारम्भ की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मार्केट के बनने के कारण उस इलाके में नाले में होकर जो गटर लाइन जाती है वह रुक गई, कहीं टूट गई और कहीं अवरुद्ध हो गई। उसके अवरुद्ध होने के कारण संजय मार्केट की बाईं ओर तथा कुन्दीगरों भैरूजी के रास्ते की दाईं ओर जितना भी

(श्री कालीचरण सराफ):

हिस्सा है उसमें जो दस हजार व्यक्ति निवास करते हैं उन सबकी गटर लाइनें रुक गई। इसके कारण वहां पर सारी सड़कें गन्दगी से भरी रहती हैं। गन्दा पानी गटर के ऊपर बहता रहता है। नालियां रुक रही हैं। लोग बागों का ग्राना जाना नहीं हो सकता है। वहां पर बदबू के मारे लोगों का ग्रपने घरों पर रहना दूभर हो गया है। बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय इसके बारे में मैंने जब जब नगरपरिषद् या जयपुर विकास प्राधिकरण का ध्यान ग्राकर्षित किया तो उन्होंने ग्राश्वासन दिया कि जल्दी ही इसको ठीक कर दिया जायेगा परन्तु उपाध्यक्ष महोदय 4-5 महीने तो मुझे निर्वाचित होकर ग्राये हो गये हैं, ग्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने उनसे कहा कि बरसात ग्राने वाली है ग्रौर बरसात ग्राने के बाद वहां की हालत ग्रौर भी खराब हो जायेगी। पर कोई सुनता नहीं है। ग्राज स्थिति यह हो गयी है वहां पर गन्दगी बहुत हो गयी है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी ग्रोर जल्दी ही ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मटका कुग्रां सामरियों का चौक, पुचान्दी का ताजिया, खैरातियों की बस्ती ग्रौर पुरानी कोतवाली का जो इलाका है इसमें दस हजार लोग निवास करते हैं उन लोगों को इतनी गन्दगी में रहना पड़ रहा है कि उनका रहना दूभर हो गया है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह ग्रनुरोध है कि इसकी व्यवस्था करे।

साथ में, मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूं, यह सरकार इसको सन् 77 से टालती ग्रा रही है ग्रौर सन् 77 से लेकर ग्राज तक लोग सहन करते ग्रा रहे हैं। परन्तु ग्रब जनता इसको ज्यादा सहन नहीं करेगी ग्रौर....

श्री उपाध्यक्ष : कब से, सन् 77 से ?

एक माननीय सदस्य : पहले सन् 75 से कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सन् 77 से ?

श्री कालीचरण सराफ : यदि यह व्यवस्था सही नहीं की गयी तो इस गटर का पानी हम लोग बाल्टियों में भर कर नगर परिषद् ग्रौर जयपुर विकास प्राधिकरण के सामने डालेंगे ग्रौर फिर भी सरकार ने इस समस्या का सोल्यूशन नहीं किया तो जनस्वास्थ्य मन्त्री जी के सामने डालेंगे इस गन्दे पानी को।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी जिन्स के बारे में यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्याज का मसला है। प्याज ग्राज से दो वर्ष पहले नाफेड द्वारा न्यूनतम दर पर खरीदा जाता था ग्रौर उसके बाद उसको विदेशों में निर्यात किया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्याज के ऊपर एक एकड़ में करीब साढ़े चार हजार रुपये काश्तकार की लागत ग्राती है। ग्राज से दो वर्ष पूर्व काश्तकार को करीब नौ हजार रुपया प्रति हैक्टर मिलता था लेकिन ग्रब नाफेड ने इसको न्यूनतम दर से खरीदना बन्द कर दिया है। इस के कारण ग्राज ग्रजमेर तहसील में लाखों रुपये का प्याज खेतों में पड़ा हुग्रा है। ग्रगर इसको पांच दस दिन

(श्री रमजान खां)

में नहीं खरीदा गया तो बरसात आने पर यह प्याज खेतों में बरबाद हो जायेगा और काश्तकार बरबाद हो जायेगा। आज स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, यह हो गयी है कि दस रुपये मन प्याज बिक रहा है। इसका मतलब एक रुपये का चार किलो। अगर इस वर्ष इसके लिये काश्तकारों को नहीं सम्भाला गया तो आने वाले समय में काश्तकार प्याज नहीं बोयेंगे तो प्याज के भाव चार रुपये किलो हो जायेंगे। फिर यह प्रश्न विधान सभा और लोक सभा में उठेगा कि प्याज की कीमत बहुत बढ़ गयी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व नाफेड जब प्याज खरीद रही थी तो अब नाफेड ने प्याज खरीदना बन्द क्यों कर दिया? प्याज नाफेड यहां से विदेशों को निर्यात कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है कि आज भी अरब देशों में प्याज की बहुत मांग है। अगर अरब देशों मे नाफेड यहां से प्याज खरीद कर बेचता है तो उसके दो फायदे हैं। एक तो काश्तकार बच जायेगा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वह यह है कि आप विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि नाफेड को तुरन्त आदेश दिया जावे। इस वक्त काश्तकार जो प्रति एकड़ डेढ़ हजार रुपया घाटा उठा रहा है उसका कारण यह है कि काश्तकार ने बैंक से लोन लिया और अब प्याज खेतों में पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्याज की खेती कोई दो तीन महीनों में तैयार नहीं होती है। प्याज की खेती को तैयार करने में काश्तकार को आठ महीने लग जाते हैं। और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर जो प्याज सड़ रहा है उसको समय रहते बचा ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्याज को खरीदा जाय वरना प्याज बोने वाला कोई नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हरिशंकर भाभड़ा। माननीय सदस्य, तीन तीन जने बोलेंगे?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका ही समर्थन करने जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की असन्तुलित नीति के कारण प्याज महंगा हो गया सन् 80 में इसी कांग्रेस सरकार ने इसी आधार पर चुनाव लड़ा था तो सभी किसानों ने कांग्रेस सरकार की मदद की थी। इस बार प्याज ज्यादा पैदा हो गया और अब स्थिति यह हो गयी है कि जिन किसानों ने कांग्रेस की मदद की उन्हीं किसानों पर वज्रघात हो रहा है जिसके लिये अभी बताया कि प्याज दस रुपये मन बिक रहा है। आज जनता को चाहे सहूलियत हो सकती है पर काश्तकार मर रहा है। इसे सन्तुलित करने के लिये आज नाफेड को अधिक प्याज खरीदना चाहिये और यदि एक्सपोर्ट हो सकता है तो इसको एक्सपोर्ट किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल अजमेर का ही मामला नहीं है, नागौर जिले में भी यही स्थिति है। पूरे राजस्थान में प्याज काफी मात्रा में पैदा हुआ है। इसलिये किसान को राहत देने के लिये, कांग्रेस पार्टी की जिन लोगों ने मदद की थी उसको राहत देने के लिए व्यवस्था करें और एक्सपोर्ट अगर यह हो सकता है तो नाफेड द्वारा इसको खरीद कर इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जगजीत सिंह ।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा रमजान भाई ने बताया अजमेर के अन्दर आज लाखों रुपये का प्याज पड़ा है और अगर दस-पन्द्रह दिन में इसको सरकार ने बिगड़ने से नहीं बचाया, उसको नहीं खरीदा तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति खराब हो जायगी। प्याज हमारे यहां पर मण्डी के काम में आता है और इसकी विदेशों में भी बहुत डिमाण्ड है। इसलिये सरकार इसको विदेशों में निर्यात करके इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकती है। मेरा यह निवेदन है कि नाफड इसको जल्दी से जल्दी खरीदे और इसको विदेशों में भेजने का प्रबन्ध कराये ताकि हम इसको एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा :

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान मेरे हमारे बानसूर विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बानसूर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कृषि उपज मण्डी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो हमारे बानसूर विधान सभा क्षेत्र मे कृषि उपज मण्डी खैरथल लगती है। बानसूर से खैरथल करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। बानसूर तहसील के गांव खैरथल से करीब सौ-सौ किलोमीटर दूरी पर हैं। आज हालात ऐसे हो गये हैं कि किसान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जब उपज तैयार हो जाती है और कृषि उपज मण्डी में बेचने जाते हैं तो वह मण्डी वहां से बहुत दूर होने के कारण किसान को सही भाव नहीं मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी वहां पर दूर होने के कारण किसान को अपनी मेहनत का फायदा पूरा नहीं मिलता है। उसकी खेती को दलाल या छुटभैये कम कीमत पर खरीद लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको घना का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछली 20-21 अप्रेल को कुछ किसान अपने माल को ले जा रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है उस बात को कहना चाहता हूं। चार-पांच किसानों ने अपनी उपज गेहूं वगैरह की 105 बोरियां लाकर इकट्ठा कर के सड़क पर रखी और वह लोग ट्रक लेने के लिये चले गये। वहां का तत्कालीन तहसीलदार उधर से गुजरा। उसने अपना नाम कमाने के लिये कि मैंने ऐसा-ऐसा काम किया है उन 105 बोरियों को लावारिस बता कर जब्त कर लिया जब कि वहां पर एक व्यक्ति उनका खड़ा था और तहसीलदार ने उससे पूछा भी था कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं इनका रखवाला हूं और बाकी के लोग ट्रक लेने के लिये गये हैं। पर तहसीलदार ने नाम कमाने के लिये उन 105 बोरी जो गेहूं वगैरह की थी, को जब्त कर लिया।

(व्यवधान)

लावारिस कह कर तो क्या किसान लावारिस है? मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर कृषि उपज मण्डी होती तो यह घटना नहीं होती।

(श्री जगतसिंह दायमा)

मैं आपके मार्फत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा। अगर वहां पर मण्डी होती तो आज जो 105 बोरियां प्रशासन के हाथ में बन्द हैं और आज भी किसान बेचारे 105 बोरियों के लिए तरस रहे हैं, एड़ियां घिस रहे हैं वह नहीं घिसते। वह कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही होगी उसके बाद छूटेंगी। मैं यह बात आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि जो बानसूर कस्बा है उसके रास्ते ऊबड़-खाबड़ हैं, भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं कि कहीं पर नदियां हैं और कहीं पर नालियां हैं। बड़ी मुश्किल से वह अपना अनाज इकट्ठा करके गाड़ियों में भरकर लाते हैं और वहां सेठ लोग कहते हैं कि हम इस भाव से नहीं लेंगे जो मुकर्रर है। इसलिये एक क्विंटल के ऊपर 15 से 20 रुपये कम कीमत किसानों को मिलती है। सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि उपज का सही मूल्य किसानों को मिले। इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस तहसीलदार, जिसने 105 बोरियां किसानों की जब्त की हैं, को सस्पैण्ड किया जाय। एफ.आई.आर. दर्ज तो है, परन्तु उस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। तहसीलदार को सस्पैण्ड किया जाये और किसानों को राहत दिलाई जाये। जो 105 बोरियां बन्द हैं उनको जल्दी से जल्दी वापिस दिलायें। और जो झूठे मुकदमे बनाकर उनको सताया जा रहा है उसको बन्द किया जाय। मेरा सरकार से कहना है कि इस तरह की आगे पुनरावृत्ति न हो इसके लिये बानसूर में एक कृषि उपज यार्ड लगाया जाये। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर लाल (सरदारशहर)।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव कोई रस्म अदायगी नहीं है। ऐसे गम्भीर मामले में जब कि किसान अपना माल मण्डी में ले जा रहा है, तहसीलदार उसको जब्त करे, लावारिस घोषित करे और तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। हाउस में इस बात को रखा जाता है तो जो सम्बन्धित मन्त्री हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जानी चाहिए। आखिर स्थगन प्रस्ताव शौक के तौर पर नहीं रखते, बहुत गम्भीर मसला होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक फरमाते हैं। श्री भंवरलाल (सरदारशहर)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खड़ा हो गया तो क्या हो गया, मैं खड़ा ही हुआ हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार पर बड़ी चर्चा हुई थी और मन्त्रीजी को कल पंचायत राज पर कई साथी सदस्यों ने भी कहा। ग्राम पंचायत बिनवास रामपुरा में एन.आर.ई.पी. के नाम पर 99 हजार रुपये का गबन हुआ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। बिना किसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के नहीं होता उसके बिना....

(व्यवधान)

उपयोगिता प्रमाण पत्र जब तक नहीं दिया जाता है तब तक सैकण्ड किश्त उसको देय नहीं होती है। अतः इस प्रकार अधिकारियों ने अनदेखी करके 99 हजार रुपये का भुगतान तीन किश्तों में दे दिया। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी उपयोगिया प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कार्य पिछले साल 1983-84 में हुआ है, एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत और मजदूरों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। मस्टर रोल में मजदूरों के फर्जी नाम भर रखे हैं। ग्रामवासियों ने राज्य सरकार को, जिलाधीश को अनेकों बार शिकायतें कीं और उन शिकायतों की जांच भी हो गई, तहसीलदार के यहां से जांच होने के बाद वह पेंडिंग है और वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाना चाहता हूं, राज्य सरकार उन शिकायतों की जांच होने पर भी उन्हें दबाकर रखे हुए है, आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, न वसूली हो रही है, उल्टा सरपंच को समय मिल गया है उसने जो दीवार मिट्टी से चुनवाई थी वह गिर चुकी है। मैं पिछले दिनों गया मौके पर देखा कि सरपंच ने मजदूर लगा रखे हैं, एक साल के बाद में दुबारा मिट्टी की दीवारें चुनवा रहा है। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूं, आज भी काफी लोग आये हैं उन्होंने बताया है कि जो दीवारें मिट्टी से बनी हैं वह गिर चुकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मिट्टी की दीवार बनाकर उस राशि को हड़पने की योजना है, राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराये और उस राशि को वसूल करें।

जिस व्यक्ति ने उस राशि का गबन किया है उसके खिलाफ विभागीय जांच से कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ पुलिस कार्यवाही की जाये और एफ.आई.आर. दर्ज की जाये ताकि भविष्य में जो तहसीलदार की छवि इने-गिने व्यक्तियों की वजह से खराब हो रही है वह न हो और जो वास्तव में पंचायत राज के मूलभूत कर्तव्य हैं वह दूसरे सरपंच भी समझें। इस स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाये और जिन-जिन व्यक्तियों का उस राशि को दिलाने में हाथ रहा है, जांच होने के बाद वह दोषी पाये जाते हैं तो उनको दण्ड दीजिये और उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव हनुमानगढ़, नगर परिषद के करीब पचास कर्मचारी हरिजन हैं उनको हटा दिया गया है इस सम्बन्ध में दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ नगर परिषद् के....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री शो त सिंह : जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके खिलाफ चार महीने पहले 19 जनवरी को वहां के 17 नगर पार्षदों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। हमारे उन चेयरमैन महोदय के साथ में सात सदस्य हैं। मगर खैर ! वह लाडले हैं सरकार के, चेयरमैन चहेते हैं उनको कौन हटाये, कौन कार्यवाही करे। हनुमानगढ़ नगर परिषद् के 17 सदस्य जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, चेयरमैन के खिलाफ शिकायत पेश की और कहा कि मुख्य मन्त्रीजी इनके खिलाफ जांच की जाये, यह गम्भीर प्रश्न है। खैर ! बड़ी मेहरबानी की हमारे डिप्टी डायरेक्टर और कोई वहां के सम्बन्धित अधिकारी ने वहां पर जांच के लिए पहुंचे। उस जांच का अन्जाम क्या होगा, उसका असर क्या होगा मैं नहीं जानता। मगर एक करिश्मा जरूर दिखाया है हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने कि चेयरमैन तो हटे, न हटे जो पचास अस्थाई सफाई कर्मचारी लगे हुए थे उनको हटाने के जरूर आदेश दे आये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक सवाल पेश करना चाहता हूं आपके सामने वर्षा का मौसम है, गन्दगी का ढेर लगा हुआ है हमारे हनुमानगढ़ टाउन में चारों तरफ गन्दगी का आलम है, बुरी हालत है। वहां का चेयरमैन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। वहां के सदस्य बड़े परेशान हैं, अविश्वास का प्रस्ताव रखने के बाद जो सिर पर बैठा है वह ऐसी लाश के रूप में पड़ा है हमारा चेयरमैन कोई शहर का काम नहीं करता, डिमोरलाइज हो गया है। जिस चेयरमैन के साथ सात सदस्य हों और 17 खिलाफ हों वह चेयरमैन नगरपालिका का काम नहीं कर सकता। बाहर नहीं निकलता है, डिमोरलाइज हो गया है। ऐसी सूरत के अन्दर आपने उन पचास कर्मचारियों को इन ए लाट हटा दिया आप बातें करते है हरिजन उत्थान की। आप बात करते हैं हरिजनों की रक्षा करने की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि उन 50 लोगों को निकालने की वजह ? आज हनुमानगढ़ के अन्दर करोड़ों रुपये हैं। वहां का बजट करोड़ों रुपये का है। वहां बजट की प्राब्लम नहीं है। यह समझ में आ सकता है कि किसी म्यूनिसिपैलिटि या नगरपरिषद में पैसे नहीं हों, साधन नहीं हों वह स्टाफ को कम करे। यह तो समझ में आ सकता है। नगर परिषद हनुमानगढ़ में यह प्राब्लम नहीं है और मेरे खयाल से राजस्थान की सबसे रिजेक्ट नगर परिषद है। उसके अन्दर इस तरह से कोई अधिकारी जांच करने के लिए तो जाये चेयरमैन को और चेयरमैन का कुछ बिगड़े नहीं पर 50 कर्मचारियों को निकालने के आदेश दे आयें। यानी घोड़े को अगर सजा देनी है तो घोड़े को तो दे नहीं और गधे के लगा दो। तो यह बात ठीक नहीं है। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी बैठे हैं उनको बड़े नम्र शब्दों में अपील करना चाहूंगा कि अगर हरिजनों के प्रति आपके दिल में हमदर्दी है आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है तो इसको साबित कीजिये। लेना तो चाहिये कदम चेयरमैन के खिलाफ और हटाकर आये उन कर्मचारियों को। मैं आपकी मार्फत इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये कहना चाहूंगा कि कल को गन्दगी के आलम से परेशानी पैदा होगी, वर्षा का महीना है इसलिये महरबानी करके इस सवाल को गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्रीमती वसुंधरा राजे।

श्रीमती वसुंधरा राजे (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं धौलपुर के केसर अस्पताल की ओर। यह अस्पताल पहाड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर का प्राथमिक चिकित्सा का एकमात्र स्थान है। अगर आप वहां आकर उसकी हालत देखेंगे तो समझ जायेंगे कि वहां से लोग क्यों दूर दूर भागते हैं और अपने घरों में और अपने पलग पर क्यों मरना चाहते हैं। श्री जगदीश जी, जो हमारे पूर्व एम एल ए थे, की भी हत्या उसी अस्पताल में हुई। मैं तो हत्या ही कहूंगी उसको। आज भी वही हालत वहां है। हमने स्वास्थ्य मन्त्री जी के सामने यह बात रखी थी। उनके सामने आकर काफी कहा सुनी भी की और उन्होंने आदेश भी दिये थे, आश्वासन भी दिया था जिसके लिए हमने यह बात आगे नहीं छेड़ी। परन्तु आश्वासन देने के बावजूद भी आज वही श्री गोगुना, जो साढ़े तीन साल से वहां रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं जो भ्रष्ट हैं, को फिर से भेज दिया गया है। इसकी वजह से मैं आज खड़ी होकर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं इस पर। उन्होंने छोटे-छोटे कर्मचारियों के ट्रान्सफर्स के लिए पांच-पांच और दस-दस हजार रुपये लिये हैं। हमारे यहां इतने पद खाली हैं उन पदों पर आज भी उन्होंने कोई स्पेशलिस्ट नियुक्त नहीं किये हैं क्यों? क्योंकि वह पैसा बनाते है। आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी वही हैं और गायनोकालाजिस्ट भी वही हैं। सब वही हैं। मेरे पास तीन केसेज हैं अभी जिनके एक्सरे रखे हुये है। आर्थोपेडिक डाक्टर के केसेज थे परन्तु क्या हुआ। उनका हाथ जोड़ने के लिए 300 रुपये दिये उन्होंने गोगुना को और आज उनके हाथ सब बेकार हो गए। ग्वालियर में मैंने जांच करवाई उन लोगों की तो पता चला कि जब तक करेक्टिव सर्जरी नहीं होगी तब तक यह सब कुछ काम नहीं कर सकेंगे। अब आप जवान लड़कों की बात कर रहे हैं 25-26 साल की। कहां जायेंगे? किसके पास जायेंगे? कौन उनके बच्चों के, घरवालों के पेट भरेंगे अस्पताल के चार्जेज कहीं ग्वालियर गये, आगरा गये तो आप जानते हैं कितने ज्यादा हैं। फिर भी आश्वासन दिया है डाक्टर श्रीवास्तव को सी. एम. एच. ओ. वहां बनाकर भेजा जायेगा। ट्रान्सफर्स बैन हुए 1 जुलाई को और 6 जुलाई को इनके आर्डर्स पास होते हैं 29 जून की बैक डेट में। वह वापस आये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लेकर और आज फिर सी. एम. एच. ओ. के पद पर बैठे हुए हैं। किस को पैसा खिलाया उन्होंने? किस तरह से इतनी बात होने के बाद भी वह वापस आये हैं? बताया गया है कि टौंक के जो सदस्य हैं, टौंक भी वह भेजे जा रहे थे, वहां उनका ट्रान्सफर हो रहा था वहां भी कह दिया हमें नहीं चाहिये। फिर धौलपुर क्यों भेजे जाते हैं यह लोग जिनको कोई नहीं चाहता। क्या हमारे यहां के लोग हैं मरने के लिए? हम पूछना चाहते हैं इसके लिए क्या होने वाला है? यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहां ट्रान्सफर्स हुए हैं धड़ाधड़। इन्हीं डाक्टर गोगुना ने एक दिन में 50 कम्पाउन्डर्स के ट्रान्सफर्स किये हैं। यह कोई कम संख्या नहीं है। 50 कम्पाउन्डर्स के एक दिन में ट्रान्सफर किये हैं। इसका क्या होने वाला है? आज वापस गये हैं तो वही बात चली हुई है कि जल्दी जल्दी ट्रान्सफर करवाओ क्या पता कल हम

(श्रीमती वसुंधरा राजे)

होंगे या नहीं। 4 महीने हो गए हैं जब से इलेक्शन लड़े हैं हम, एम. एल. ए. चुनकर आये हैं तब से हमने तो यही देखा है कि ट्रान्सफर की पालिटिक्स के अलावा और कुछ काम हो ही नहीं रहा है। ट्रान्सफर सरकार बन चुकी है यह और मैं तो यह देख रही हूं, मेरे पास तो लिस्ट है कलेक्टर, एस. पी., डी. एस. पी, पी. डब्ल्यू., इरिगेशन, आर. एस. ई. बी., पी. एच. ई. डी. और कई जगह है सब में ट्रान्सफर्स। एक एक नहीं दो, दो और तीन, तीन जितने हो सकते हैं हुए हैं और अस्पताल में तो पूरे के पूरे ट्रान्सफर हो गये हैं जिसके साथ पैसा लिया गया है। मैं अपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहती हूं और मैं तो समझती हूं कि आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। हम तो चाहते हैं कि वहां उन्नति हो, तरक्की हो। धौलपुर इतना पिछड़ा हुआ रहा है 25 साल से कांग्रेस राज्य के बाद तो शायद आप हम लोगों की मदद करेंगे। हम लोग एक लक्ष्य लेकर आये हैं वही लक्ष्य आपका भी है। मदद कीजिए और इस ट्रान्सफर की पालीटिक्स में मत पड़िये। जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको स्थगित कीजिए। ऐसे गन्दे लोगों को हटाइये। हम चाहते हैं कि हमारे यहां कि जनता को राहत पहुंचायें और यह अकेले एक धौलपुर की बात नहीं है यह बाडी, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा चारों जगह की बात है।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : भरतपुर की भी यही है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : अब आप बतायें इसमें क्या होगा?

श्री शिवचरण सिंह : मंत्रीजी को बुलायें वह सुनें।

श्रीमती वसुंधरा राजे : मंत्रीजी बीमार है यही तो मुसीबत हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भागते-फिरते मंत्रियों की जरूरत नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्रीजी बीमार हैं, डाक्टर गोगुना को मंत्रीजी के स्वास्थ्य के लिए भेज दीजिए।

श्रीमती वसुंधरा राजे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात बताना चाहती हूं। हमें बताया गया था मुख्य मंत्री जी के द्वारा ट्रेजरी बैन्चेज के एम. एल. ए. को बुलाकर पूछा था कि आपकी डिजायर क्या है ट्रान्सफर के लिए। हम पूछना चाहते हैं कि हम भी एम. एल. ए. हैं कोई सैकण्ड क्लास सिटीजन तो नहीं हैं। हमसे यह बात क्यों नहीं पूछी गयी? हमसे तो कोई बात पूछते नहीं हैं धड़ाधड़ ट्रान्सफर हुए हैं। हम तो सौ, दो सौ बता दें कि वहां ट्रान्सफर्स हुए हैं। क्या बात है और फिर उसके बाद एक तारीख को बैन लगा दिया। ट्रान्सफर तो हो गए। अब न तो उनको निरस्त करवा सकते हैं और न कह सकते हैं कि उसको बदलो। कहेंगे कि बैन हो गया। मेरे पास एफेडेविट तक है वहां की नर्स का। वह कह रही है कि ऐसे डाक्टर को जल्दी से जल्दी हटायें जो रिश्वत ले रहे हैं। उसने लिखकर दिया है। चार पांच केसेज मेरे पास और हैं उनका क्या करेंगे आप? या तो हमें आदेश दे दो आप कि हम लोग कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही करें या फिर आप लोग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कुछ कार्यवाही करो । इतना ही मैं आपके सामने कहना चाहती हूं और पूरा विश्वास रखती हूं कि आप हम सब को एक मानकर इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह ।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के एफेडेविट दिये हैं । भ्रष्टाचार के एफेडेविट भरे पड़े हैं माननीय सदस्या के पास ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस लंगड़ी लूली सरकार के सामने यह कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 6 महीने से चीनी नहीं मिल रही है । बराबर वहां के लोग सरकार से और वहां के अधिकारियों से शिकायतें कर रहे हैं । 6 महीने से कतई लोगों को चीनी नहीं है । मेरे इलाके में, उपाध्यक्ष महोदय, कस्बे ज्यादा हैं । वहां दो नगरपालिकायें हैं और 32 ग्राम पंचायतें हैं । चीनी जो आई है वह अधिकारी लोग और अधिकारियों ने जिनको अपना एजेन्ट बना रखा है मिलकर खा जाते हैं । आम आदमी को, किसानों को और गरीबों को यह कहा जाता है कि चीनी आई नहीं है । एक तो, उपाध्यक्ष महोदय सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने चीनी वहां क्यों नहीं मिली ? जिन लोगों ने ब्लैक किया, जिन लोगों ने बेइमानी की, जिन अधिकारियों ने ऊपर की ऊपर सौदा करके उस चीनी को बिकवाया ब्लैक में उनके खिलाफ कार्यवाही हो । दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, सरकार से मांग है बहुत विनम्र शब्दों में कि वहां के

(2.00 म.प.)

लोगों को 6 महीने की चीनी बाकायदा से जल्दी दिलायी जाय । आज मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं, चीनी न मिलने से नवलगढ़ के बाजार में, मुकन्दगढ़ के बाजार में, चिराना के बाजार में, किरोड के बाजार में, परसरामपुरा के बाजार में, झांझड़ के बाजार में और झाखल के बाजार में 9-10 रुपये किलो चीनी गरीब आदमियों को खरीदने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है । जब बात कहते हैं तो सरकार यह महसूस करती है चीनी तो बहुत छोटी चीज है । आप बिजली की बात नहीं सुनना चाहते, आप चीनी की बात नहीं सुनना चाहते, कानून-व्यवस्था की बात नहीं सुनना चाहते । केवल सुन कर इधर से उधर बात करलो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक सरकार है, सदन एक है कोई अलग-अलग नहीं है । इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य एक हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं इसको छोटा मत मानिये चीनी जैसे मसले को । 6 महीने की चीनी खा गये गरीब की, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं । मेरे पीछे से आवाज आ रही है भादरा से आने वाले माननीय सदस्य की कि चार-साढ़े चार साल से वहां चीनी नहीं मिली । इसलिये मैं यही निवेदन करता हूं लोगों को, जनता को चीनी दिलाई जाय

(श्री नवरंग सिंह)

और जिन्होंने चीनी का नवलगढ़ क्षेत्र में ब्लैक किया है उसकी जांच करायी जाय।

(धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी न मिलने के सम्बन्ध में मैंने भी अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नम्बर होगा तो आयेगा। श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर नहीं आया इसमें। मुझे इत्तला दी गई थी कि सरकार इसकी सूचना भिजवायेगी। चार साल से हमें चीनी नहीं मिल रही है भादरा तहसील के अन्दर। आज यह इश्यू माननीय नवरंग सिंहजी ने उठाया है, मैं इस बारे में आपको अर्ज कर ....

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न आ गया। वह एक ही बात है।

श्री डूंगरराम पंवार : 6 महीने की तो बीच में खा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं माननीय सदस्य। सरकार तो आपकी नहीं सुनती और आप मेरी नहीं सुनते। कम से कम आप तो मेरी सुन लीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, चार साल से चीनी नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मेरी सुनिये कम से कम। आसन की सुन लिया कीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुना तो दूं सुन तो नहीं रही है।

चीनी नहीं आई चार साल से इसका कारण मैं बतलाऊं। वहां जो क्रय-विक्रय सघ चीनी के मामले को डील करता है उसने मिल कर वहां 8-10 लाख रुपये का गबन कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम नहीं बोला।

एक माननीय सदस्य : अब बोल दिया।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का जवाब देर से आया होगा। आज के में नहीं आया।

श्री डूंगरराम पंवार : एक मिनट के अन्दर सारा खतम कर दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक मिनट सब बोलेंगे फिर आसन की क्या आवश्यकता है।

श्री डूंगरराम पंवार : इतने में कर दिया होता, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सरकार को सुनाते हैं. सरकार कहते है सुनती नहीं, आप मेरी नही सुनते। यह मामला क्या बना है ?

एक माननीय सदस्य : इतनी चीनी खा गये अधिकारी लोग....

श्री डूंगरराम पंवार : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह तो स्वीकार किया कि सरकार सुनती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप कहते हैं उनसे, मैं कहता हूं आपसे। माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आज श्रीमाधोपुर अस्पताल की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमाधोपुर कस्बा करीब 30 हजार की आबादी का है। वहां पर एक चिकित्सालय है। चाहे वह चुनाव के दौरान हुआ हो....

श्री शोपत सिंह : राशन की चीनी ज्यादा खा गये तो शुगर की बीमारी हो जायगी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : चाहे राजनैतिक कारणों से बना हो, उसको रेफरल हास्पिटल में, 30 शैयाओं के हास्पिटल में जो परिवर्तित किया उसके लिये मैं खास तौर से उस समय के जो हैल्थ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने इसमें हमारी काफी मदद की, उनको और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद उस अस्पताल जो डाक्टर भेजे गये वह डाक्टर गुप्ता गये पहले जो डाक्टर सक्सेना थे वह उनसे सीनियर थे वह जो पहले कार्यरत थे उनको पहले इंचार्ज बना रखा था। उसके बाद सी. एम. एच. ओ. साहब ने राजनैतिक दबाव के कारण लिखित में फिर जूनियर डाक्टर सक्सेना को वहां का इंचार्ज बनाया। वहां आज यह हालत है कि मरीज जाना नहीं चाहता। गरीब आदमी की प्राइवेट डाक्टर लूट करते हैं। आप पट्टी बन्धाने के लिये वहां जायं तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जो सरकारी दवायें वहां मिलती हैं वह या तो पहले ही दुकानों पर बिकने के लिये आ जाती हैं या फिर हास्पिटल में पैसे लेकर दवायें दी जाती हैं। इसी तरह वहां एक प्रसूति गृह है उसमें भी उन्हीं सक्सेना साहब की औरत लेडी डाक्टर है। वहां डिलीवरी के पेशेंट आते हैं। कम से कम 100 रुपये फीस पर डिलीवरी केस अटेंड करने की, उनके हाथ लगाने की है। आप सोचें, एक गरीब औरत, गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के पास 100 रुपये कहां से हों ? वहां इस बात की शिकायत है कि डिलीवरी नहीं कराने पर परेशान होने पर उन गरीब लोगों ने अपना गहना रख कर सौ सौ, डेढ़-डेढ़ सौ रुपया लाकर दिया है तब डिलीवरी के केस को हाथ लगाया है। जो पसारी ट्रस्ट है उसके एक माननीय सेठ हैं जिनसे 8-10 लाख रुपया लगा कर वह अस्पताल बनाया था। उसका एक लेटर शिकायत का है, उसमें से दो लाइन ही पढ़ना चाहूंगा। यह स्वयं उनकी आत्मा की पुकार है।

"चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टरों की वरीयता के आधार पर पद स्थापना न होने से उनमें भी आपसी मनमुटाव है, जो मरीजों के हित में नहीं है। डा. निज रतन सक्सेना

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

व कुछ पुराना स्टाफ भी पुरानी शोषण नीति को नहीं सुधार रहा है इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाकर उक्त चिकित्सालय की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारा जावे ताकि गरीब जनता की आशायें निराशा में परिणत न होकर उनके कष्टों का निवारण किया जा सके। आशा है, प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर ध्यान दिया जाकर तुरन्त उचित कार्यवाही की जावेगी। मालीराम पसारी"।

इस मालीराम पंसारी ट्रस्ट ने उस अस्पताल के लिये 8-10 लाख रुपये लगा कर अच्छी अस्पताल की बिल्डिंग बनाई, डाक्टर और कम्पाउण्डर के लिये रेजीडेंस के क्वार्टर बनाये। उसकी यह रिपोर्ट आज से दो महीने पहले सरकार के मिनिस्टर के पास गई है, अधिकारियों के पास भी गई है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इससे ज्यादा क्या निवेदन करूं, मेरा निवेदन एक ही है, यह जो पंसारी जी ने रिपोर्ट दी है और मैं भी निवेदन कर रहा हूं, किसी उच्च अधिकारी को भेज कर वहां निष्पक्ष जांच कराई जाय। 50 हजार की आबादी प्रापर श्रीमाधोपुर की है। उसके आस-पास की आबादी में जो गरीब लोग बसते हैं उनको चिकित्सा सुविधा ढंग से उपलब्ध हो सके और दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जा सके, यही निवेदन करना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान फुलेरा क्षेत्र की उन जल योजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो स्वीकृत हो चुकी है लेकिन दलगत राजनीति की वजह से उनका काम नहीं हो रहा है, बन्द पड़ी हुई हैं। कई जगह योजनाओं में ऐसी हालत हो गई किसी के पाइप टूट गये हैं कहीं मिट्टी की वजह से पाइप चाक हो गये है। अगर कहीं कुआं बन गया है तो उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं कनेक्शन हो गया है तो उनको जोड़ा नहीं जा रहा है। इस प्रकार सरकार का रुपया लगते हुए जनता को पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकार का धन खर्च हो गया, दूसरी तरफ उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार की हालत फुलेरा तहसील में हुई है। इन चुनावों में कांग्रेस के हार जाने के बाद यह हालात पैदा हुए हैं, पहले काम हो रहा था। वहां के अधिकारियों को, जे. ई. एन., ए.ई.एन. को बुलाकर यह कह दिया गया फुलेरा क्षेत्र में जो जल योजनाएं स्वीकृत हैं चाहे कहीं टूट-फूट है अगर उनका काम किया गया तो आप फुलेरा क्षेत्र में नहीं रह सकोगे। यहां वे अधिकारी हैं जो इनके कांग्रेस के शासन में उनकी डिजायर पर आये, उनका यह कहना है। अभी थोड़े दिन पहले जे. ई.एन. का ट्रांसफर हुआ था उसको इस शर्त पर रखा गया कि तू काम नहीं करेगा चाहे कितना ही नुकसान हो कोई तुझे मुअत्तिल करने वाला नहीं। इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर वहां रखा है। इस तरह के हालात हैं। मैं उन योजनाओं के नाम बताऊं जिनकी ऐसी हालत है। बदाल योजना 8

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

साल पुरानी है, कुआं बना पड़ा है, कनेक्शन विद्युत विभाग देना चाहता है लेकिन लिया नहीं जा रहा। कनेक्शन ले लेते तो लोगों को पानी मिलता। इसी प्रकार बागावास 8 साल पुरानी योजना है उसमें दो कुए वहां भी बने पड़े हैं उनमें कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। विद्युत विभाग कनेक्शन देना चाहता है। रेनवाल 35 साल पुरानी योजना है वहां कुआ बना पड़ा है उसमें कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहां टंकी की स्वीकृति है उस टंकी बनाने के यहां से आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। हरसोली 10 साल पुरानी योजना है उसमें कुआं बना हुआ है और एक नए गांव मुडियागढ़ को जोड़ने के लिए कुआ बना हुआ है, कनेक्शन हो गया है, बोरिंग हो गई है लेकिन मुडियागढ़ को कुए की पाइप लाइन से जोड़ने के लिए सिर्फ दो नट नहीं कसे जा रहे हैं। अगर दो नट कस दे तो एक गांव, जिसकी आबादी 5 हजार है, पानी मिल जाय। लेकिन उनको महरूम रखा गया है। उनकी पाइप लाइनें सूखी पड़ी हैं उनको दीमक खा रही है। पानी छूटेगा तो निकल जाएगी और पाइप लीक हो जायेंगे। इसी प्रकार दूसरी लालासर है, वहं नई योजना है। वहां दो कुएं हैं जिनमें कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है। आधे पाइप जमीन में गाड़ दिये और आधे सड़कों पर पड़े हैं। लोग उठा कर ले जा रहे हैं, बच्चे तोड़ रहे हैं उनको। लाखों रुपये का सामान बरबाद हो रहा है। सिर्फ कनेक्शन नहीं लेने और आधे पाइप नहीं गाड़ने की वजह से सारा नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार डूंगरी खुर्द और डूंगरी कलां योजना है जिनमें कुए बने पड़े हैं। वहां पाइप सड़कों पर पड़े हैं। लाखों रुपये के पाइप सड़कों पर पड़े हुए हैं जिनको गाड़ने के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। उनके नट-बोल्ट, बच्चे और जानवर चराने वाले लोग उठा-उठा कर ले जा रहे हैं। इसी प्रकार डूंगरसी वास में प्लास्टिक के पाइप चार महीने से धूप में पड़े टूट रहे हैं, तड़क रहे हैं लेकिन उनको जमीन में गाड़ने के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार मोहन का बास और करणसर की योजना है जो स्वीकृत है लेकिन चालू नहीं की जा रही। कोई किसी काम के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। यह मोहन का बास एक ऐसा गांव है जहां एक आदमी 40 साल का हो जाय तो इस गांव का पानी पीने से आदमी कुबड़ा हो जाता है। इस प्रकार इन गांवों में यह हालत कर रखी है। इसी प्रकार एक मेसावा की योजना है वहां पाइप जमीन में गाड़ दिये हैं, कुआं बना पड़ा है सिर्फ कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। कनेक्शन विद्युत विभाग देना चाहता है। उसका कनेक्शन ले लिया जाय तो गांव को 8 हजार की आबादी को पानी मिले। सिर्फ कनेक्शन नहीं लेने की वजह से स्कीम पड़ी है। एक सिनोदा की स्कीम में स्वीकृति है, कुआं बन गया, कनेक्शन हो गया लेकिन वहां टंकी नहीं बनाई जा रही है। ठेके आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। पाइप लाइन गाड़ दी गई, रिंगों को दीमक खा रही है। उसका आधा सामान एक दूसरे गांव के बाहर पड़ा है। कितने ही पाइप बाहर पड़े हैं जिनको लोग उठा-उठा कर ले जा रहे हैं। इसी प्रकार भण्डा भीमसिंह की एक योजना है। यह योजना भी 15 साल पुरानी है। इसमें एक दूसरी ढाणी रावड़ों के बास में जी. एल. आर. बनाने की स्वीकृति होते हुए भी आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। जी. एल. आर बनाने का ठेका नहीं दिया जा रहा है। वहां एक व कुए की

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

स्वीकृति होने के बाद भी कुआं बनाने के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार भादुआ है। भादुआ में जाणियों का बास एक गांव है वहां 10 साल पुरानी योजना है। जाणियों के बास में एक मील लम्बी पाइप लाइन जाएगी। वहां स्वीकृत शुदा लाइन के लिए आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार सिनोदिया है। इस योजना में भी कुआं बना पड़ा है पर कुएं के लिए पाइप लाइन नहीं गाड़ी जा रही है। इसी प्रकार ड्योढ़ी जोगनेर से पानी जाता है, 8 कि. मी. लम्बी लाइन है, दो महीने से पानी के बिल जा रहे हैं लेकिन लाइन में जगह-जगह टूट कर कहीं मिट्टी फंस गई है, कहीं स्टाप हो गई है। दो महीने से पानी नहीं दिया जा रहा है, बिल बरकरार जा रहे हैं। यह हालत है।

इसी प्रकार काकदोदा ग्राम की योजना है उसमें भी सामोता का बास से पानी नहीं दिया जा रहा है। उस योजना का तखमीना और सारी प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद भी वह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। इसी प्रकार सांभर में 30 हजार की आबादी की किसी जमाने में योजना बनी थी आज वहां आबादी दुगुनी बढ़ गई है, वहां एक उच्च जलाशय स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है। एक कुएं की स्वीकृति होने के बाद भी वह नहीं बनाया गया। इससे वहां पानी की परेशानी हो रही है। एक जेनरेटर की मांग वहां कर रहे हैं वह नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार जैतपुरा एक ऐसा गांव है कि उसके आस-पास में पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बी लाइन हो गई, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : लेकिन आज योजना की प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद भी स्कीम नहीं बनाई गई क्योंकि स्कीम बनाते तो स्वीकृति हो जाती और जनता को पानी दिया जाता। इसी प्रकार नांगली और मींडी प्रतापपुरा स्कीम है जो स्वीकृति हो गई है लेकिन आज तक स्कीम नहीं बनाई गई। उस क्षेत्र में इतना खारा पानी है कि लोग 4-4 मील से लाकर पीते हैं लेकिन तखमीना बना कर पास नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार मुडोती और सुकालपुर में इतना खारा पानी है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आप लिख कर दे देना।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : वहां के जो अधिकारी हैं उनको आप बदलिये। सरकार का 10-15 लाख रुपये का सामान सड़कों पर पड़ा है लोग उसको उठा-उठा कर ले जा रहे हैं। सरकार का धन खर्च हो गया है और जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार का ध्यान फुलेरा क्षेत्र की इन योजनाओं की तरफ दिलवाइये जिनमें सरकार का धन खर्च होने के बाद भी जनता के उपयोग में नहीं आ रहा है और उन अधिकारियों को बदलिये जिन्होंने काम नहीं किया और छोटे अधिकारी, कर्मचारियों को कह दिया कि तुमको कोई काम नहीं करना चाहे पानी फूट कर लाइनें टूटती हैं तो टूटने दो,

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

कोई योजना बन्द है तो रहने दो। छोटे कर्मचारियों और गांव वालों के बीच आये दिन झगड़ा होता है। वे बेचारे छोटे कर्मचारी कहते हैं कि हमको ए. ई. एन./जे. ई. एन. ने मना कर रखा है। उनको कहते हैं तो कहते हैं हम को एक्स. ई. एन. साहब ने आदेश नहीं दिया। यह हालात हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो काम बन्द पड़े हैं जिनमें सरकार का धन खर्च हो गया है उसको चालू करवाया जाय। मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान फुलेरा तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार यहां पर धन खर्च करके भी राजनैतिक दबाव के कारण गड़बड़ी कर रही है और वहां के कर्मचारियों को मना किया जा रहा है। मेरा सरकार पर आरोप है आपकी मार्फत कि यह जान बूझकर किया जा रहा है, यह कांग्रेस वहां से हारने के बाद किया जा रहा है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव बहुत इम्पार्टेन्ट था जिसको अस्वीकार किया गया और अस्वीकार करने के बाद बोलने पर भी पाबन्दी लगा दी लेकिन यह जानकारी नहीं चाही कि यह है क्या। थोड़ा-सा बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको समाप्त कर लेने दें।

श्री डूंगरराम पंवार : फिर मेरे को मौका देंगे बोलने का ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको सुन लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के उस आदेश की तरफ आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे उनकी क्षमता का पता लगेगा। अभी दो दिन पूर्व राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है कि दूध से मावा बनाने पर पाबन्दी रहेगी। कोई भी व्यक्ति राजस्थान में दूध से मावा नहीं बना सकेगा। यह आदेश 15 जुलाई के आसपास आया। उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश उस सरकार का है जो यह दावा करती है कि वोट उसको दें जिसको राज करना आता है।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : वोट इसमें कहां आ गया, दूध और मावे में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बीकानेर का दूध तो बन्द हो जायगा। यह होगा कैसे ? सन् 79 में यह समझा गया कि दूध की कमी है इस कारण से दूध मंहगा हो रहा है- जनता बड़ी दुःखी है। बहुत गर्मी के दिनों में जब मई-जून का महीना होता है उस समय यह आदेश दिये थे कि मई-जून के महीने में मावे की मिठाई भले ही न मिले लेकिन बच्चों को, लोगों को पीने के लिये दूध खाने के लिए दही मिल जाये। इस भावना से यह आदेश सर्वप्रथम 1979 में निकाला गया।

(व्यवधान)

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश एक मई से 15 जुलाई तक होता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

था। अब हरिदेवजी जोशी की सरकार आयी तो उन्होंने कहा कि कुछ करके दिखाओ नहीं तो कुछ चलेगा नहीं। तो पहला आदेश निकाला, 37 साल के अन्दर कि भई कर्मचारी, मेरी लाज रखो कम से कम टाइम पर तो आ जावो, काम करो चाहे मत करो। पहला आदेश यह निकाला कि कर्मचारी टाइम पर ठीक 10 बजे आ जाया करो। बड़ी तत्परता दिखायी जैसे प्रशासन में बहुत ही चुस्ती लाने वाला यह एक कदम उठाया हो। फिर दूसरा आदेश क्या हुआ? दूसरा आदेश हुआ, पुराना काम भी निपटाओ, पुरानी फाइलों को निकालो। यह पुरानी फाइल निकाली गई। इस के बाद आदेश दिया जाता है कि मई में, जून में दूध का मावा न बने। वह फाइल निकली जुलाई में। पुरानी फाइलें निकालनी थीं। अपने को, पुरानी फाइल निकाली गयी। वह आई 15 जुलाई के बाद। तो आपने सोचा कि 15 जुलाई ही एक तारीख होती है और श्रीमान् वही होती है चालू करने की। 15 जुलाई को पुनः चालू कर दिया जाता है। पुरानी फाइलें निपटानी थी, पुरानी फाइलें निकाल रहे थे और वह फाइल निकाली गई। निकालने के बाद 15 जुलाई की तारीख समझ में आ गई फिर यह भूल गये कि 15 जुलाई बन्द करने की है या खोलने की और आदेश दे दिये यह कैसे हुआ। एक बार एक कांग्रेस के मन्त्री....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था करायें। मावा नहीं होगा तो आप और मेरा रहना मुश्किल हो जायेगा इस दुनिया में, यह देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय ऐसा है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात कैसे हुई? यह किस्सा ऐसे हुआ, एक बार कांग्रेस के मन्त्री आबू चले गये। पहली पहली बार गये थे। उन्होंने कहा कि यहां देखने के लिए क्या क्या स्थान है? उन्होंने कहा माउन्ट आबू देखने के अलावा यहां जो सूर्यास्त होता है वह देखने की चीज है।

एक माननीय सदस्य : जनता राज की बात हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको जब यह कहा कि सनसेट बड़ा रोचक होता है उसको देखना चाहिए तो उन्होंने कहा, हम देखेंगे। प्रोग्राम बन गया शाम का और जब शाम हुई तो कहा पधारो। तो उन्होंने कहा, आज तो मूड नहीं कल सुबह देखेंगे। दोपहर को आना था उनको वापस, तो उन्होंने कहा कि सनसेट आज नहीं देखेंगे कल सुबह देखेंगे। अब कई तो समझे ही नहीं होंगे। आप भी नहीं समझी होंगी। आप कोई नहीं समझे होंगे। अब समझे हैं आप भी।

सनसेट सुबह देखेंगे। सनसेट देखना जरूरी, दोपहर में वापस आना है तो कैसे देखेंगे। शाम का समय तो निकल गया, अब प्रातःकाल सनसेट देखेंगे। तो इसी तरह से आपने यह आदेश निकाला है। 15 जुलाई को जब मावे की रोक हट जाती है, तब आपने बंद किया इसको। क्योंकि आपको लगाना है, सनसेट देखना ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मई और जून में दूध बिल्कुल कम होता है, आवश्यकता अधिक होती है तब उस डिमाण्ड

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को मीट करने के लिए यह एक बुद्धिमानी का आदेश प्रसारित हुआ करता था वह तो आपने किया नहीं। अब क्या हुआ? आज दूध की आवश्यकता भी कम है, पानी बरस गया और दूध ज्यादा भी होता है उसकी आवश्यकता कम है बहुतायत हो गयी, उपयोग जब होना चाहिए तब आपने यह कह दिया कि इसका मावा नहीं बनेगा। दूध ज्यादा होगा तो दूध वाले क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, इस समय आप एक समझदार मंत्री हैं जो यहां बैठे हैं खैर! ज्यादा नहीं है मगर जितने हैं उनमें आप विराजमान हैं।

एक माननीय सदस्य : कौनसा है?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो पिछे बैठे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको भूल समझ में आ गई होगी।

एक माननीय सदस्य : आप तैयारी करके नहीं आये।

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे की तैयारी करनी थी। मावा, तो बनाना नहीं था तो, मंत्री महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात आपकी समझ में आई हो, कहीं भूल हुई हो तो यह आपकी कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। it is not a prestige issue. आप कृपया इस आदेश को वापस लीजिये और जो लोग दूध विक्रेता इस बात से दुखी हो गये हैं उनको राहत दीजिये। मैं विश्वास करता हूं कि आप यह घोषणा करेंगे, यह इसमें आप संशोधन करेंगे, प्रयत्न करेंगे। वरना यह आपके लिए बहुत ही हास्यास्पद होगा। इस प्रकार का आदेश कई बार भूल से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है और आपसे ज्यादा सम्भावना भूल की है। मेरा आपसे एक निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आप सहमत होंगे यदि आप सहमत नहीं हैं तो अपनी विवशता प्रकट कीजिये कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यह आदेश रहना चाहिए, दूध वाले दुखी होने चाहिए, हलवाई दुखी होने चाहिए, दूध की जो बिक्री है वह तो होगी, नहीं ज्यादा, बरसात का मौसम चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि यह 15 जुलाई चालू करने की नहीं है, यह बंद करने की थी इस भूल को आप सुधार करेंगे और जो एक तकलीफ पैदा हो रही है उसका समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप और यह good faith upon you के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बीज निगम पर...

(व्यवधान)

इससे ताल्लुक रखने वाली एक बात है। यह कोई दूध की कमी से नहीं लगाया गया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शायद लगाया कि सारे कांग्रेस विधायक हलवाइयों को आर्डर दे रहे थे मिठाई की तो मिठाई का अभाव हो गया। लोगों ने कहा कि अब सेशन के बाद मंत्री बनेंगे तो उनको इतने ज्यादा आर्डर दे दिये कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस के मित्रों को समर्थन करने वाले लोगों ने कि उससे अभाव पैदा हो गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर दिग्विजय अरोड़ा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : मेरा भी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : भार्गव साहब आपका तो नहीहै। आपका इसी में शामिल है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसी में शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिये। ladies first.

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) एक सन्दर्भजो चल रहा है उसका पूरी बात हो जाये, मैं बाद में कह दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह नागतलाई का है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, मेरा मावे का ही है। मैं तो यह चाह रहा था, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय बाहर जरा आपने मौसम देखा है या कमरे में ही बैठे हैं सावन का महीना है बादल उमड़ रहे हैं, पहाड़ की तरफ आप निगाह डालें। विचार यह चल रहा है कि जो विधायक हैं इनकी कहीं पर कोई पिकनिक जैसा कार्यक्रम बढ़िया सा हो जाय क्योंकि रोजाना आपस में थोड़ा बहुत होता रहता है, निकटता आयेगी। तो यह कह रहा था कि आपने शायद मावे की रोक जयपुर में ही लगाई होगी और आमेर में नहीं। साहब मालूम पड़ा कि अजमेर में मावा बनाना, मावे को मिठाई बनाना और दूध बेचने की रोक सम्पूर्ण राजस्थान में है। इसलिए इसमें सबसे विचार बिमर्श कर रहा हूं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर रोक हटानी चाहिए क्योंकि यह निर्णय बिना विचारे और नाराजगी में लिया गया है। जनहित में जनता को दूध सुलभ होगा और भावों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश होगा, यह बात नहीं है। इस बेसिस पर यह बात पूरी नहीं हो सकती है। ऑर्डर निकाला है तारीख 14 को और लागू कब से किया गया है डेट देखें, 16 जुलाई से 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। न मावा बनेगा, न मावे की मिठाई बनेगी, न दूध राजस्थान से बाहर जायगा। अब, भगवन, आप विचार करें गोठ का, तो अवसर है। चूरमा लोग बिना मावे के खायेंगे क्या? आप विचार करें गोठ होगी, सारे इस प्रकार के त्योहार हैं आप कलेण्डर उठा लें, 15 अगस्त का तो राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त को भी मावे की मिठाई नहीं मिलेगी तो? कितना अच्छा त्योहार है देश का। मैं समझता हूं कि 4 त्योहार जो हैं उनमें 15 अगस्त का त्योहार भी है। इस तरह से 27 अगस्त को इदुलजुआ का त्योहार है। 30 अगस्त को रक्षा बंधन है। 7 सितम्बर को जन्माष्टमी है। 26 को मुहर्रम है। मावण री तीज आ रही है। जरा विचार तो करें, ध्यान तो करें तीज का मौसम है, सावन की तीज है और मावे पर....

श्रीमती इकबाल कौर (करणपुर) : गेहूं की बात करो। लोगों को गेहूं खाने को नहीं मिलता है। मावे की छोड़ो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या बोल रही हैं? मावे की आवश्यकता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इनको। यह तो पहले ही ठीक हो रही हैं। क्यों साहब? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सावण री तीज और जयपुर के मावे के घेवर बड़े मशहूर हैं। एल. एम. बी. आपने देखा होगा लिखा रहता है कि मावे के घेवर ले जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : भार्गव साहब, आप जितनी ज्यादा बार नाम लेते हैं मावे का....

श्रीमती इकबाल कौर : आप को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि जैनियों का क्षमापन पर्व इसमें है। तो यह जनहित मे नहीं लगायी गई है। यह लगा दी गई है राजस्थान के 33 बड़े शहरों में और कस्बों में यानी सम्पूर्ण राजस्थान में रोक लगा दी। जनहित में नहीं लगाई गई। न दूध सस्ता हुआ, न जनता को दूध मुहैया हुआ क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसमें क्लाज डाल दिया दूध कौन बेच सकता है बाहर जाकर ? वह बेच सकता है राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन उसको दूध बेचने का अधिकार है। यानी राजस्थान का दूध कहां जाता है ? दिल्ली और यहां के आदमी को नहीं मिलता है। सस्ता नहीं मिलता है, फायदा नहीं मिलता है और राजस्थान डेयरी फैडरेशन को दूध बेचने का अधिकार दे दिया। यहां से दूध भर कर दिल्ली भेजने दो। मैं समझता हूं कि इसको अधिकार क्यों दिया ? यह एक प्रोविजो डाल दिया। जनता को आप बंद कर रहे हैं मावा बनाने पर, मिठाई बनाने पर और बाहर भेजने पर उसी क्लाज से आपके विभाग को आप कह रहे हैं कि वह बाहर भेज सकता है। मैं समझता हूं कि यह मंशा गलत है। यह डेयरी फैडरेशन को लाभ पहुंचाने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल से यह आर्डर नहीं निकल रहे हैं। तीन साल से आर्डर बन्द थे और उसके बाद अकस्मात यह एक प्रकार का प्रतिबंध लगना चाहिए था तो मई और जुलाई तक लगना चाहिए था। तीन साल से आर्डर नहीं हो रहे थे फिर अचानक तीन साल के बाद कहां से सपना आ गया कि मावे पर रोक लगानी पड़ी ? मेरा निवेदन है कि मई, और जुलाई के बीच लगाते। अब आपका चारा उपलब्ध है जानवरों के लिए, तो समझता हूं कि दूध की मात्रा काफी बढ़ गयी है। किसान आखिरकार अपने दूध को कहां बेचेगा ? वह हलवाई के पास लायेगा तो हलवाई कहेगा कि हमने तो मावा और मावे की मिठाई बंद कर दी है। मावा बनाना ही बंद कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार मावे का नाम नहीं लें। स्तीच देते जायें।

(व्यवधान)

बार बार मावे का नाम न लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं, यह सारे माननीय सदस्य विचार करें कि रामगढ़ में, सिसोदिया रानी बाग में, विद्याधर के बाग में...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बार बार इस मावे का नाम नहीं लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप व्यवस्था कर दें कि मावा ही यहां आ जाये। यह आपके हाथ की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी तो जुबान ही हिलेगी और मावा आ जायेगा।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : तबीयत खराब हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी तबीयत क्या खराब होगी, आपने थोडा बाहर जाकर मौसम देखा है। यदि आप नाहरगढ़ की ओर देखे लेते, जयगढ़ की ओर ध्यान देते, सारे विधायक यहां पर हैं मैं जयपुर नगर की ओर से उनका वेलकम करने के लिये तैयार था। मैं समझता था कि चूरमा दाल-बाटी हो जाये, बड़े प्रेम से लोग चलें, अच्छा है। लेकिन धन्य है यह सरकार। मैं विचार विमर्श कर रहा था उसी बीच में उन्होंने मावे पर रोक लगा दी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने....

श्री शोपत सिंह : चूरमे में मावे की क्या जरूरत है ?

श्रीमती कमला : अब तो मावे के घेवर मंगाओ तो यह रोक हटाने की बात हो सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मावे के घेवर भी मंगा दूंगा पर आपने मुझे लगता है कि रसोई तो कभी बनायी नहीं। ऐसा लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : दाली-बाटी चूरमा खावे सब नर शूरमा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब ऐसा लगता है कि आप हलवाई का काम करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महाराज, आपके तो बीकानेर वाले चिल्ला रहे हैं नीचे। मेरा निवेदन करना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि सरकार ने इस समय भयंकर भूल की है। चारा उपलब्ध है दूध ज्यादा उपलब्ध होगा। इससे जनता का कोई हितार्थ नहीं है। इसमें कोई जनता का लेना देना नहीं है। यह तो सरकार से भूल हुई है, राजस्थान डेयरी फैडरेशन को दूध बाहर भेजने की इजाजत दे करके लाभ उसको होगा, किसान को कोई लाभ नहीं होगा। वह दूध सस्ता बेचेगा और राजस्थान का दूध दिल्ली में जा करके बिकेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मेरा विचार नहीं करें तो एक मिनट मेरी ओर देखें हरी हरी पत्तल है, हरा हरा दोना है, इसमें दाल भरी हुई है नींबू आप उसमें निचोड़ रहे हैं और चूरमा पड़ा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : बस बस यहीं रुकें। अब आगे नहीं बोले। यही काफी है।

श्री डूंगरराम पंवार : मावा जैसी स्वादिष्ट चीज को बंद नहीं करना चाहिए। मावा न हो तो लोगों के मुंह में पानी कैसे चलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। आज तो आप उपाध्यक्ष महोदय, कुर्सी पर बैठे हैं आप राज्य सरकार को कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस पर वक्तव्य दे। राज्य सरकार माफी मांगे। गलत समय पर किसानों को परेशान करने के लिए राजस्थान की जनता को परेशान करने के लिए हलवाई को परेशान करने के लिए हिन्दू मुस्लिम और जैन भाइयों के, सब के ऐसे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार हैं इस अवसर पर जो पाबंदी लगायी है यह भयंकर गलती की है। सरकार को इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर मावे और मावे की बनी हुई चीजों और राजस्थान से दूध बाहर जाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है, निश्चित रूप से माफी मांगकर इस कदम को वापस लेना चाहिए।

श्री डूंगरराम पंवार : और किसान जैसे देश के अन्नदाता को परेशान नहीं करना चाहिए। वह अगर मक्खन मलाई दूध सब नहीं देवे तो सब के गाल पिचक जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब एक निवेदन और करता हूं कि आप यदि आज ही घोषणा कर दें तो सारे विधायकों की जयपुर नगर की ओर से दावत देने की जिम्मेदारी मेरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मावे की इतनी बड़ी पंचायत जो खड़ी है यह मावे से इतनी ज्यादा बीमारी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : अगर किसान दूध-मलाई-मक्खन पैदा करके नहीं देगा तो जो माल टमाटर जैसे रमेटमा रहे हैं वह सूख जायेंगे। वह बटन जैसे पिचक जायेंगे। अगर किसान दूध-घी-मक्खन पैदा नहीं करके देगा तो वह टमाटर जैसे गाल फीके पड़ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मावे पर बहस हाऊस ने बड़ी मिठास से सुनी, यह बड़ी खुशी की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दूध पीओ खूब।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में सन् 1981 में बाढ़ से सात बड़े नाले और पांच छोटे नाले टूटे थे।

श्री कालीचरण सर्राफ : मावे पर रोक हटाने की तो घोषणा करा देते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इन 7 नालों और 5 छोटे नालों का पानी आकर पहाड़ों के ऊपर से बहकर जयपुर के जो 9 रास्ते थे, 6 तो सीधे रास्ते थे और तीन उप मार्ग थे, सारे के सारे मार्ग बन्द हो गये थे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलें। देखिये मैं आपकी बात को कितना ध्यान से सुना करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यक यह इस तरह से जयपुर नगर का अन्य नगरों से उप नगरों से सम्पर्क वंचित हुआ था। यहां तक कि मुख्य मन्त्री भी जयपुर में उत्तर नहीं पाये और हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री भी जयपुर नगर में नहीं आ पाईं। रास्ते टूट गये थे उसमें नागतलाई का नाला एक था। नागतलाई का नाला टूटा, उससे न केवल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र पर मार की बल्कि अपने पीछे की तरफ मुंह खोला जो विश्वकर्मा का मन्दिर था घाट की गूनी की तरफ वह टूटा। 79 आदमी इसमें बह गये, लाशें बहीं। 3000 मकान तो मेरे इलाके के टूटे। जौहरी बाजार के टूटे उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। घाट की गूनी में इसके अवशेष अब भी हैं। अब यह जो नाला बनाने की बात कही गई थी, 81 में राज्य सरकार ने एक पत्रिका सब को भेजी। मेरी एक याचिका के उत्तर में इन्होंने बताया कि यह नागतलाई से लेकर गंगापोल तक 1480 मीटर है इसमें से 510 मीटर लंबाई का नाला पक्का बनाया गया। मेरा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह आरोप है कि उन्होंने 510 मीटर लंबा नाला भी पक्का नहीं बनाया। इसमें जो कुछ पुलियायें थी उनकी कुछ मरम्मत की थी। जो पुलियाओं में दोनों तरफ खात बनाये उसको इन्होंने नाला पक्का करना यहां माना है, न कि नाला पक्का किया है। अभी जो एक पुस्तिका थी जिससे हम बड़े आश्वस्त हुऐ थे यह जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित हुई पत्रिका है, जयपुर निर्माण का दौर। इसमें यह लिखा गया है कि यहां पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए तथा जलमहल तक वर्षा के पानी के निकास के लिए पक्के नालों का काम कराया जायगा जिसमें इतने-इतने रुपये खर्च होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक यह नाला नहीं बना। केवल मेरे इलाके में लगभग चालीस बस्तियां इसकी चपेट में हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी जो दो दिन की बरसात हुई उनमें यहां दशहरा कोठी के पास कटाव आ गया, बास बदनपुरा में कटाव आ गया, लक्ष्मीनारायणपुरी में कटाव आ गया। जहां से भी शुरू होता है वह नागतलाई का नाला कच्ची बस्ती और पुलिस लाइन्स जो हैं उन दोनों के बीच में है। उन दोनों में कटाव होना शुरू हो गया वहीं तक कटाव नहीं ठहरा। यह कटाव आ गया मंडी खटिकान में, उसके आगे मंडी जागो-ताली में। इससे कटाव ने मार की है बास बदनपुरा में, फकीरा की बस्ती, सीताराम-पुरी, दशहरा कोठी और गोविंदनगर में पूर्व की ओर सीतारामपुरी, बद्रीनारायणजी की डूंगरी, फकीरों की बस्ती में। इस नाले ने दोनों तरफ राजीव नगर में कटाव किया है। शान्ति कालोनी इसकी चपेट में आ गयी है यह पानी जो बह करके जा रहा है, इधर उधर मार करता जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो पुलिया बनाई थी उस पुलिया में पड़ी मिट्टी इन्होंने निकाली नहीं। जब पानी बहता है तो इधर को मार करता है, कभी उधर को मार करता है। इस तरह से लोग आशंकित हैं। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है यही बात हम कितने दिन से लेकर आज तक कहते आये हैं कि अगर बरसात आ गई तो फिर ये बस्तियां टूटेंगी और बह जायेंगी, आप इस पर काम कीजिये यहां कुछ देर पहले एक सेक्रेटरी साहब बैठे थे जो उन दिनों बाढ़ के सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप चलकर तो देख लीजिये। शायद मेरा तबादला हो जायेगा। वे वहां नहीं रहे, उसके बाद कहीं और तबादला हुआ। कहीं और तबादला हो लेकिन इस तरह से डर करके काम नहीं करें। मैं समझती हूं, निन्दनीय है सरकार जो घोषणा करती है, इधर एक दिन यह कहती है, हमारे मुख्य मंत्रीजी जो उस समय के थे वह बोले, बाढ़ पीड़ितों को सहायता में धन की कमी को बाधक बनने नहीं दिया जायेगा और बेघर हुए लोगों को सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर योजना बद्ध तरीके से बसाया जायेगा। इसी तरह की बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मंत्री जी से कहलाते हैं कि जयपुर एक सुन्दर नगर है जिसकी अपनी एक अलग ही शान है। नगर विकास न्यास यहां का एक आदर्श नाम है जिसके कारण शताब्दियों से इसके नागरिक सुविधापूर्वक ढंग से रहते आये हैं लेकिन आज की बाढ़ ने इसके स्वरूप को बहुत क्षति पहुंचायी है। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा और बहुत जल्दी काम शुरू किया है ताकि ये लोग जब बस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जायं और नया जीवन शुरू करें। हमारी जितनी क्षमता है हम उसको पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 45 करोड़ की क्षति हुई, पूरे बाढ़ का मैं यहां नहीं कहना चाहूंगी लेकिन मेरे यहां 35 हजार मकान गिरे हैं। दशहरा कोठी में उस समय के राजा-महाराजा मोतियों से दशहरे के दिनों में खेला करते थे उस जगह का हाल देखा नहीं जाता फिर जब मैंने उस कटाव को वहां से जाकर देखा तो यह लगा कि वह जो इधर की बस्ती है, गोविंदनगर पूर्व सारी बह जायेगी। अभी हमने सड़कें बनवायी थीं बद्रीनारायणजी, फकीरों की डूंगरी में, मुझे लगता है कि वे भी बाढ़ की चपेट में आयेंगी, बरसात की चपेट में आयेंगी। बाढ़ न आये लेकिन तेज बरसात आई तब भी वह नहीं बचेगी। जो दो करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट बना है मेरे यहां, जैसे दो साल पहले वहां था, उसी तरह से ट्रीटमेंट प्लांट में मिट्टी घुस जायेगी मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी दोनों ही मंत्री आपस में बात करें। सचिव भी संलग्न हैं। यहां बाढ़ की बात करें, विनाश की बात करें उपाध्यक्ष महोदय, उधर देखिये क्या हो रहा है। देखिये तो सही, एक मिनट नजर करके देखिये, कोई सुन ही नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वे नाले के बारे में बात कर रहे होंगे शायद। ऐसा ही लगता है। वे बहुत सीरियसली बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कफन चोरी वाली बात है। लोगों से पैसा ले करके पैसा नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस है इस बात का, जयपुर को बरबाद होने देने के लिए इनको रखा हुआ है मजाक समझ रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। हमारी तो जान पर बीत रही है। अगर कोई कल मर गया तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना क्योंकि पहले जो 79 मरे थे उनमें से कई की लाश आज तक नहीं मिली। मुझे दुख है कि सरकार ने नागतलाई के नाले पर कोई काम नहीं किया।

श्री डूंगरराम पंवार : जब सिविल लाइन में कटाव आ जाय और कोठियां जाने लगें, फिर सरकार फिक्र करेगी। लोगों की जान की क्या फिक्र है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें आश्वस्त किया, श्री शिवचरण माथुर ने कहा, इस बाढ़ को वरदान समझो। हमको वरदान नहीं हुई, बरदान तो उनके लिये हुई जो चन्दा खा गये। उपाध्यक्ष महोदय, आक्षेप और आरोप इतने मेरे पास हैं कि मैं जितने लगाना चाहूं वे कम पड़ेंगे। मेरे पास उतनी गालियां नहीं हैं और न मैंने सीखा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि दुख में पड़े लोगों की मदद हो जाय। सरकार ने नागतलाई के नाले के निर्माण के लिये पैसा सन् 1981 में रख लिया था। यह जन सम्पर्क निदेशालय की पत्रिका है, इसमें पढ़ लीजिये आप और देखें, कितना पैसा इसके लिये वहां निश्चित किया गया था। क्यों नहीं रखा? अगर वहां लगा हुआ दिखाया गया है तो उनकी जांच करायी जाय जिन्होंने पैसा खाया है लेकिन काम नहीं किया। चालीस बस्तियों के निवासियों के मन में यह आशंका है कि बरसात आई तो हम बह जायेंगे। बरसात आई तो हमारा कुछ नहीं बचेगा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, एक देवीनारायण ड्राइवर थे। उनका मकान दशहरा कोठी के पास से लगा हुआ था। जब पानी की मार पड़ी लोग चिल्लाये जरा बाहर तो आना देवीनारायणजी। वह अपने दस बच्चों के साथ बाहर आ गये। ड्राइवर थे, उनके मकान में एक सुई नहीं बची। नींव बह गयी। सब कुछ चला गया। इस-इस तरह के लोग बरबाद हुए हैं और उनको यह कहकर मुआवजा नहीं दिया कि आपका पक्का मकान था। आपका पक्का मकान था तो हम कुछ नहीं देंगे। वे बच्चों को क्या खिलायें? मेरा आरोप है इस सरकार ने बाढ़ के लिये उस समय में भी कुछ सहयोग नहीं किया, उसके बाद पांच साल में भी कुछ सहयोग नहीं कर सकी। अब हमारे सिर पर बरसात खड़ी है, कटाव बस्तियों में आ रहे हैं मैंने जिनके नाम बोले हैं। 40 बस्तियों के नाम बोले हैं उनके लोगों को बचाया जाय। यह आप इनको आदेश दीजिये कि ये आश्वस्त करें कि उनके लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे। जे.डी.ए. से कुछ नहीं हो तो मिट्टी के कट्टे तो दिलवाये जा सकते हैं। आपने बाढ़ का कन्ट्रोल रूम खोला है, जब लोग बह जायेंगे तब हम शिकायत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहिये कि वहां कार्यवाही शुरू करें। वहीं नहीं बल्कि सारे नालों पर काम अविलंब करायें और अपने आदमी भेजकर जांच करायें कि कहां-कहां नुकसान होने की सम्भावना है, वहां-वहां से लोगों को बचाया जा सके।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान अपने इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो समस्या यदि हाड़ौती से निकलकर प्रदेश के सभी अन्चलों में फैल गयी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छुट-पुट चोरी जंगल में लकड़ी की तो बहुत होती है यह बात अलग है किन्तु कोटा सम्भाग मे लकड़ी की डकैती करने वाले लोग पैदा हो गये हैं। कुछ असामाजिक तत्व शस्त्रों से लैस होकर ट्रकों पर चढ़कर ग्रुप बनाकर चार सौ की संख्या में जंगल चले जाते हैं और सरेआम लकड़ी काटते हैं। जो वन कर्मी हैं उनके पास लाठी रहती है। 2-3-4 वन कर्मी, चार लाठियां उनके पास रहे, जो डकैत जा रहे हैं जंगल में हरे वृक्षों की कटाई सरेआम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक 150-150 की संख्या में करते हैं, बन्दूकें उनके पास रहती हैं, कुल्हाड़ियां उनके पास रहती हैं किसी वन कर्मी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उनको टोक सके। एक दिन में हाड़ौती सम्भाग में 5 लाख रुपये की लकड़ी हरे वृक्षों की काटी जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस प्रकार के जो डकैत हैं, असामाजिक तत्व हैं ने, उन्होंने साधन बना लिया। जो वन कर्मी हैं वह कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ दिन पहले की घटना है। ट्रक में लकड़ी भरकर आये। सामने से दो पुलिस के लोग और वन कर्मी ने उनको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रोकने की कोशिश की उन डकैतों ने चाहा कि ट्रक को ही उनके ऊपर चढ़ा दें। भगवान की दया से बच गये। ट्रक एक खम्भे से टकराता टकराता बचा। किन्तु उन वन डकैतों का वहां कुछ भी नहीं हुग्रा। कोटा के ग्रन्चल में काला सीसा ग्रौर चन्दन के वृक्ष झालावाड़ के पास तहसील में बहुतायत में हैं। बून्दी से ग्राने वाले माननीय विधायक के चन्दन के पेड़ थे, ग्रब समाप्त हो गये। बून्दी के क्षेत्र में ग्राइये, कुल्हाड़ी लेकर लोग लगातार सागवान के पेड़ इस प्रकार सरेग्राम काट रहे हैं। कोई शंका नहीं है; किसी प्रकार का संकोच नहीं है उनको। कारण एक मात्र यही है कि वहां 50 वर्ष पुरानी जगंल की कार्य पद्धति है। जो वन कर्मियों की संख्या है, उनको जो साधन उपलब्ध हैं वे वही हैं जो पचास वर्ष पूर्व थे। दूसरी ग्रोर जो वन डकैत जा रहे हैं वे ट्रक्स ले जा रहे हैं, जीप्स ले जा रहे हैं, रिवाल्वर ले जा रहे हैं, बन्दूकें ले जा रहे हैं उन सब के माध्यम से ऐसी हालत हो रही है। हाड़ौती के ग्रन्दर ग्रगर पांच वर्ष तक यही क्रम चलता रहा, राजस्थान में हाड़ौती जंगल की दृष्टि से भण्डार कहा जाता है, तो वहां जंगल देखने को सारे स्थान पर नहीं मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, हाड़ौती की सीमा से लगा हुग्रा मध्य प्रदेश है। ग्राप जरा उधर घूमकर देखिये, वहां एक-एक, दो-दो मील पर ग्रारा मशीनें लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के जंगल की कटी लकड़ी वहां जाती नहीं। लकड़ी कट रही है यहां, इन डकैतों के द्वारा ग्रौर मध्य प्रदेश की ग्रारा मशीनें चल रही हैं जो मध्य प्रदेश ग्रौर राजस्थान की सीमा पर ग्रवस्थित हैं। हालत यह हो रही है। इस सम्भाग में चार मण्डल हैं कोटा, बारां, झालावाड़ ग्रौर बून्दी। वाहन पूछेंगे तो घिसी पिटी चार जीप-कार हैं उनके पास खस्ता हालत में। ग्रफसर चेज नहीं कर सकते, पीछा नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। प्रदेश की दृष्टि से स्थिति यह न रहे इसलिए मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों की बरसात का जो एवरेज है वह निकाल कर देख लीजिए 10-15-20 वर्ष पहले जो बरसात होती थी, एवरेज ग्राधा रह गया। हमको तो डर है, जगंल से परिपूरित हाड़ौती सम्भाग है इसकी हालत राजस्थान के शेष रेगिस्तान की तरह न हो जाय। मैं ग्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि यह जो व्यवस्था बनी हुई है उसकी दृष्टि से राज्य सरकार प्रयत्न करे। खामियाजा भुगत रहे हैं। मैंने पिछली बार ग्राप से निवेदन किया था, कभी नहीं हुग्रा होगा ऐसा इस क्षेत्र में, इस ग्रचंल में पीने के पानी के कारण पशु मरे हैं। मरेंगे क्यों नहीं जब बरसात नहीं होगी। उसका परिणाम यह होता है, हालत यह हो जाती है कि वहां डेढ़ रुपया, पौने दो रुपये किलो चारा मिल रहा है। जहां चारा बहुतायत से हो सकता है गेहूं के कारण, कभी स्टोर करने की पद्धति हमारी है नहीं, बरसात नहीं होगी तो क्या होगा। बरसात नहीं होने का एकमात्र कारण वन है। रामगज मण्डी से ग्राये माननीय विधायक बैठे हैं ग्राप उन से पूछ लीजिए। एक तरफ तो वन डकैत काम कर रहे हैं दूसरी तरफ ग्रवैध खनन का धन्धा करने वाले लोग लगे हुए हैं। कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लगी हुई है। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, निकाली जा रही हैं पट्टियां। जंगलों को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी खनिज विभाग का, नाजायज रूप से कौन काम कर रहा है उसकी देख रेख भी करने की स्थिति में नहीं है, चिन्ता नहीं करता। एक तरफ डकैत हैं दूसरी तरफ अवैध खनन का धन्धा करने वाले लोग हैं। अरावली बचाओ अभियान चल रहा है। वन सम्पदा को बचाने के लिए सब प्रदेशों में स्पेशल कोशिशें चल रही हैं। तमिलनाडु जैसे प्रदेश ने 66 करोड़ रुपये मुहैया किये हैं वन के विकास की दृष्टि से। हमारे यहां चर्चा तो बहुत हो रही है, वन लगाने की बात तो जरूर हो रही है किन्तु पहाड़ों के विकास की दृष्टि से पैसा राज्य को मुहैया कराने की बात पर विचार करेंगे तो इस बजट में कोई नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि एक हमारा प्रमुख अखबार है सम्भाग का, जिसका नाम है, "देश की धरती"। उसकी तीन लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, सब कुछ तो हो रहा है किन्तु ऐसे कितने बाकी और पेड़ हैं। उन्होंने बताया, जंगल में हरियाली बनाने के लिए क्षेत्र में प्रति वर्ष 15 लाख पौधे लगाये जाते हैं लेकिन बूंदी जिले में प्रति वर्ष पांच लाख पेड़ अवैध रूप से काट भी लिये जाते हैं। इस अवैध कटाई में बूंदी जिले का कांग्रेसी नेता भी शामिल है। मैं तो इसलिए चाहता हूं कि आये, लोग कहें। मैंने तो केवल एक प्रमुख अखबार है उसकी तीन पक्तियां पढ़ी हैं आपके सामने।

श्री शोपत सिंह : पर्सनल नालेज होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ठीक है आपका भी कहना। इसलिए एक प्रमुख अखबार का जिक्र किया। राज्य सरकार का ध्यान इस नाते से आकर्षित करना चाहता हूं वन डकैत, अवैध खनन करने वाले और वहां की व्यवस्था, इसको कुछ ठीक करने का प्रयत्न करिये। हाड़ोती के इस वन को बचाइये थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, बरसात हो रही है उसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। हाड़ोती का सम्भाग इसमे रेगिस्तान में न बदल जाय, इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके ऊपर शासन से व्यवस्था दी गयी थी कि बोलने का अवसर देंगे। मैं यह चाहता था कि राज्य सरकार की ओर से स्टेटमेंट हो। अब शासन की यही इच्छा हो गयी है तो मैं बोल ही देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। पहले वह बोलेंगे। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब आया है, खानपुर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही एक हत्या हुई राधेश्याम की। पुलिस ने पांच हत्यारों को गिरफ्तार किया, मान को छोड़ दिया। थानेदार ने भारी रिश्वत ली। इसके साथ दूसरा मामला बड़ा

(श्री हरीश शर्मा)

भयंकर उठ रहा है। पूरे क्षेत्र की इज्जत बिगड़ गयी। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस सरकारी वस्त्रों में, कपड़ों में, कानून के संरक्षण में गुण्डों को साथ लेकर जनता को गरीबों को लुटा रही है। जो रिपोर्ट कराने प्राते हैं उनको डण्डे मारती है प्रौर उनका माल ले जाती है। यह हुआ। प्राज जो मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब प्राया यह शर्म की बात है, सदन का अपमान है। अपमान है, गृह मन्त्री जी, प्रापका। वहां से जवाब प्राया है कि कारणवास गांव में कोई चोरी या डकैती नहीं हुई। पेन-कागज साथ में लेकर प्रा जाइये, मैं लिखकर दे देता हूं प्रभी, प्राप भी दे दीजिए प्रतिज्ञा के साथ, प्रगर चोरी नहीं हुई तो मेरा त्याग पत्र मंजूर कर लिया जाय प्रौर हो गयी है तो फिर प्राप दे दीजिए। प्रा जाइये, इधर प्रा जाइये। प्राप्रो, लिखो। उपाध्यक्ष महोदय, हुप्रा यह कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भीमराव नागर पुत्र श्री रामगोपाल नागर के यहां चोरी हुई 29 मई, 85 को। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद मुठभेड़ करके करण मीणा प्रादि को पकड़ा। उसके बाद पूछताछ हुई। फिर मोहन सिंह को पकड़ा। मोहन सिंह क्या करता था? उनको लूटता था। उसके यहां सामान मिला। डी. एस. पी. प्रकलेरा प्रौर थानेदार ने मिलकर क्या किया? सारा सामान जब्ती का रख लिया प्रौर उनको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। यह कह दिया सरकार को कि चोरी नहीं हुई है, डकैती नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राज मैं जवाब लेकर मानूंगा। चोरी हुई है, डकैती हुई है। थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिसने यह कह दिया कि वहां चोरी नहीं हुई? यह बहुत गम्भीर मामला है। इस सदन में यह जवाब दिया है कि वहां चोरी नहीं हुई है। यह जवाब दिया है।

(3.00 म. प.)

गृह मन्त्री जी प्राप लिखकर दे दीजिये। प्रापके विभाग के लोगों ने प्रापको गुमराह किया है। वहां पर कोई चोरी नहीं हुई, ऐसा सदन में जवाब प्राया है। यह गलत है। यह सरकार के साधनों का, एक-एक सदस्य का अपमान है। यह प्रापका प्रपमान है। यदि प्राप इतने पंगु हो गये हैं, प्रापमें शक्ति नहीं है, सरकार में शक्ति नहीं है तो प्रापको प्रौर सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं है। वरना कैसे हो सकता है कि कर्मचारी प्रापकी प्रवहेलना करें। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। मैं जानता हूं। But I am already ready. उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं लेकिन सवाल यह नहीं है। चोरी हुई है। गृह मंत्री जी से तीन बार लिखकर दिया है। जयपुर में मुख्य मन्त्री से मिला प्रौर वहां से जवाब प्राया कि मैं कार्यवाही करा रहा हूं। कोई कार्यवाही नहीं करते हैं प्रौर पंगु मुख्य मंत्री जी हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्राज मुझे दुख है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। इस बात के लिए गृह मन्त्रीजी, प्रापके ध्यान में हो मैं सबको परिवार मानकर चलता हूं। प्रापने कहा कि चोरी नहीं हुई, डकैती नहीं हुई प्रकलेरा गांव में चोरी हुई, दोषियों को मुक्त कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, प्राप ताज्जुब करेंगे, पुलिस ने मुठभेड़ करके लड़कर गिरफ्तार किया उन्हें। वहां सामान की जब्ती हुई। सरोड़ा थाना में लाकर उनको छोड़ दिया गया। जो सामान जब्त किया गया उस पर उनकी नीयत खराब है। उस

(श्री हरीश शर्मा)

11 तोला सोना और 52 तोला चांदी को हजम करने के लिये सरकार मुंह फेर बैठी है। मैं देखता हूं कि यह लोक कल्याणकारी सरकार, यह प्रजातांत्रिक मन्त्री, गृह मन्त्रीजी नौकरशाही का साथ देते हैं या हमारे साथ न्याय करते हैं, मैं आज इसका फैसला चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, माननीन सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : समय तो बहुत हो गया लेकिन मैं कहता हूं सदन का अपमान किया है यह कह कर कि चोरी नहीं हुई। इसका स्पष्टीकरण दें। मैं कहना चाहता हूं कि चोरी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर विषय है आप गम्भीरता से बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन को जो जानकारी दी है इनके स्थगन प्रस्ताव पर, वह यह दी गई है कि आपके यहां कोई चोरी डकैती नहीं हुई। जब कि इनका स्पष्ट चार्ज है वहां डकैती हुई है, लोगों को लूटा गया है। काफी सम्पत्ति जब्त की है और चोरों को पकड़ भी लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय से मिलकर स्पष्टीकरण कर लें।

श्री हरीश शर्मा : मैंने कई बार लिखा है, मिल चुका हूं। मुख्य मन्त्री से मिल लिया। और किनसे मिलूं? मैं कमजोर जरूर हूं लेकिन सही बोलूंगा। वहां पर चोरियां हो रही हैं, हत्यायें हो रही हैं और यह जवाब आया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति शान्ति पूर्ण है, नियन्त्रण में है। अभी तीन दिन पहले वहां साम्प्रदायिक दगा हुआ। यह कह रहे हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति है। आप इस चोरी के बारे में जवाब दें। गृह मन्त्रीजी, जवाब दें। आपके कहने में क्या बिगड़ जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री से निवेदन है कि जैसी यहां पर व्यवस्था दी थी उस पर सरकार की ओर से जवाब आया था कि वहां कोई चोरी या डकैती नहीं हुई। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चोरी डकैती हुई। क्या मन्त्री महोदय इस बात के लिये आश्वस्त करेंगे कि यह जो डिफरेंस दोनों में आया है उसकी जांच करायेंगे? जो सरकार से उत्तर आया है यह ठीक है या नहीं, जानकारी करके देख लेना। इतना कहने में मन्त्री महोदय का क्या जाता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय सदस्य किसी तथ्यों को चैलेंज करते हैं कि यह गलत है, तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री हरीश शर्मा : मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, विक्रम सिंह आदि का इसमें नाम आया है, इसलिये काम नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मतलब आ गया। माननीय देवी सिंहजी, अगर आप बोलना चाहें तो। सारी। Will you please? Please, Sorry Sir.

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : आप मना तो नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कायदा ऐसा ही है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप नई परम्परा डाल रहे हैं, मैं बट्टू करने गया था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बट्टू क्या होता है।

श्री देवीसिंह भाटी : शूशू, शूशू होता है। मुझे सदन में हाजिर होना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ गया। क्या करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रेशर तो आपके हाथ है, आप अफसोस जाहिर करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : हां निश्चित तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब और गन्दे नालों की काफी बरसों से सफाई नहीं होने से बीकानेर में थोड़ी सी बारिश होने के उपरान्त बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी महत्ता तो इतनी है कि राज्य सरकार को जानकारी के लिए निश्चित तौर पर जाना ही चाहिए था और राज्य सरकार उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करती। मैं आशा रखता हूं कि आज भी आवश्यक कार्यवाही के लिए वहां किसी को भिजवायेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मार्स्वयोट ब्रीडिंग सेंटर बना रखे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर शहर में सूरसागर तालाब और गन्दे नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सन् 1981 के अन्दर बीकानेर जैसे शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई थी जिसमें, उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में गरीब नागरिकों को आठ करोड़ रुपये की जन-धन की क्षति हुई। उपाध्यक्ष महोदय, उसके उपरान्त राज्य सरकार ने यहां से बाढ़ सहायता के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि मन्जूर की लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इनकी मिलीभगत से और अधिकारियों की सांठ-गांठ से वह एक करोड़ रुपये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में न लगाकर दूसरे क्षेत्रों में लगा दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह एक करोड़ रुपये इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में 1981 में लगा दिये जाते तो निश्चित तौर पर आज न तो मुझे सदन का समय लेना पड़ता और न ही आज यह स्थिति उत्पन्न होती। बीकानेर शहर बाढ़ से सड़ रहा है। थोड़ी-सी बारिश होती है तो चार-पांच मोहल्ले हैं जैसे मार्जिद शाह का बास, सूनोनी, हनुमान हत्था, रथ खाना, पब्लिक पार्क और कई जगह हैं जिनमें चारों तरफ तीन-चार फीट पानी भर जाता है, मकानों के अन्दर पानी घुस जाता है, सामान बहकर बाहर आ जाता है। उस स्थिति के लिये वहां के नागरिकों ने बार-बार प्रदर्शन किये, अधिकारियों का घेराव किया, आन्दोलन किये। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री शिवचरणजी माथुर ने यह घोषणा की अपने बीकानेर प्रवास के दौरान कि इसके लिये हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बैठेगी। उस कमेटी का गठन हो गया। उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सन् 1983 में प्रस्तुत करने के उपरान्त भी आज तक उसके ऊपर न तो पैसा खर्च किया है और न कोई उस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही हुई है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर के अन्दर स्टेट टाइम में ऐसी सुन्दर व्यवस्था ड्रेनेज की थी कि बारिश होने के तुरन्त पांच मिनट के बाद पानी बहकर नजर नहीं आता था। लेकिन इन निकम्मे अधिकारियों ने उस सिस्टम को खतम कर दिया उसके बाद में ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई। सूरसागर तालाब लोग नहाने के लिए जाते थे, पिकनिक के लिए जाते थे उस तालाब को गन्दे पानी के तालाब में परिवर्तित कर दिया। उसके साथ सटे हुए जो इनलेट और आउटलेट नाले वहां पर लगे हुए हैं व गन्दे नाले हैं, उनको वर्षों से न तो कभी साफ किया, न उसके पानी की निकासी के लिए कोई प्रयास किया है। वहां शहर के अन्दर पानी फैले नहीं, गन्दगी शहर के अन्दर फैले नहीं इसके लिए कतई उन्होंने प्रयास नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां चारों तरफ मोहल्लों के निवासी इस राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं कि राज्य सरकार तुरन्त इसके लिए कोई समाधान करेगी और इस गन्दगी से पीछा छुड़ायेगी लेकिन राज्य सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। हर साल, उपाध्यक्ष महोदय, इस सूरसागर तालाब और गन्दे नाले के ऊपर कभी लाख रुपया, कभी दो लाख रुपया, कभी तीन लाख रुपया आवंटित करती है। गत साल ही पांच लाख रुपया आवंटित किया लेकिन आप जानते हैं जो यह सफाई के नाम से पैसा मिलता है वह मस्टर रोल में हाजिरी लगा कर खतम कर दिया जाता है लाखों रुपया यों ही गंवा दिया। मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि एक साथ पैसा दे दे और इसको जो भी डाइवर्शन देना हो, जो भी आल्टरनेटिव निकालना हो, लोकल कमेटी की जो रिपोर्ट है उस आधार के ऊपर निश्चित तौर पर स्थाई समाधान करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय इसके लिए पूर्व में विधान सभा की एक कमेटी जो इसके लिए पिटीशन पूर्व में पेश की गई थी उस पर लोढाजी के नेतृत्व में बीकानेर गई। उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहां कोई आदमी आकर एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। चारों तरफ गन्दगी का वातावरण है। बीमारियां फैल रही हैं और मच्छर पैदा हो गये हैं। उस रिपोर्ट के उपरान्त भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के हर सत्र में यह बात आई है। यह बीकानेर की मूल समस्या है। इस सूरसागर तालाब और गन्दे नाले का स्थायी रूप से कोई न कोई समाधान होना चाहिये लेकिन राज्य सरकार इस ओर गौर नहीं कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि इसके स्थायी समाधान के लिए जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर तुरन्त ध्यान करके बजट अलाट करें और इसका स्थायी समाधान करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य, आप क्या फरमा रहे हैं? आपका किस चीज का स्थगन प्रस्ताव था?

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा स्थगन प्रस्ताव था ग्राम सामली, तहसील डोडी के जमीरकोट, धानकोट मुख्त्यारसिंह बलदेवसिंह वगैरह....

श्री उपाध्यक्ष : सीलिंग की जमीन के बारे में था?

श्री डूंगरराम पंवार : हां जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका एडमिट नहीं किया।

श्री डूंगरराम पंवार : एक करोड़ 21 लाख का मामला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय काफी डिस्कस हो चुका है।

श्री डूंगरराम पंवार : नहीं, इस पर नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर स्पीकर साहब ने व्यवस्था दे दी है।

श्री डूंगरराम पंवार : मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायगी। माननीय सदस्य, स्पीकर साहब खुद फैसला करते हैं। माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : बातें नहीं सुनना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पीकर साहब व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : 29 मुरब्बा में करोड़ों रुपयों की आमदनी है। वहां से लेकर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं नहीं कह रहा हूं कि किसानों की जमीन काट ली गई। मेरा कहने का मतलब यह है...

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि आपने लिखकर दिया उसको मान लिया जायगा। इस पर व्यवस्था हो चुकी है।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री डूंगरराम पंवार : उसकी ज़बान से खेलेंगे, गोली से मारेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। अंकित नहीं किया जाय।

श्री डूंगरराम पंवार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह हाउस माननीय सदस्य की इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किसी स्थगन प्रस्ताव को देने के पहले यह देखें कि हम किन नियमों के अन्तर्गत दे रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : नियम 50 के अन्तर्गत।

श्री उपाध्यक्ष : उसका फैसला कौन करता है? मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा नियम 50 में क्या है, क्या दे सकते हैं, क्या चीज दे सकते हैं, क्या बात है, यह बता सकते हैं? कौनसे विषय पर कैसे देते हैं, उस पर जानना चाहूंगा।

(व्यवधान)

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया। ×××

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपने दिया ठीक है लेकिन इसकी जो व्यवस्था है वह स्पीकर साहब देते हैं और उस व्यवस्था को हमको मानना चाहिये। इसलिए यह नहीं बोलना चाहिये। व्यवस्था दे दी, व्यवस्था देने के बाद आप बोलेंगे तो क्या व्यवस्था हुई। आपने तो कागज दे दिया और उस पर बोलेंगे। यह डिग्निटी आफ दी हाउस है, यह चेयर की डिग्निटी नहीं, आपकी डिग्निटी है।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : मैं व्यवस्था को तो मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मानता तो हूं लेकिन परनाले को वहीं डालता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : 28 मुरब्बा, 8 बीघा का चक होता है। पूरे एक चक की जमीन चोरी कर रखी है। एक करोड़ 31 लाख की चोरी कर रखी है। उसके साथ अपने रिश्तेदारों को शामिल करके, सीलिंग का फैसला है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जो नियम बने हुए हैं, यह हाउस से बने हुए हैं इसको स्वीकार करें, नियमों का पालन करें। अंकित नहीं करेंगे कृपया।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : अगला विषय लीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप हाउस के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह हाउस की अवमानना है। मैं कहूंगा। अगर ऐसी बात है। तो....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मन्त्रियों का वक्तव्य कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में साफ लिखा हुआ है कि हाउस की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं।

अब प्रतिवेदनों का उपस्थापन हो रहा है। श्री नरपतराम बरबड़, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1985-86 अनुसूचित जाति के छात्रावासों सम्बन्धी अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1978-79 के प्रथम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री नरपतराम बरबड़।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1978-79 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री नरपतराम बरबड़ (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति के छात्रावासों सम्बन्धी अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1978-79 के प्रथम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नरपतराम बरवड़)

सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब याचिकाओं का उपस्थापन हो रहा है। श्री हरीश शर्मा सदस्य, विधान सभा दो याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ पंचायत मुख्यालय में 200 कुए होने पर भी विद्युतीकरण नहीं करवाने एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने विषयक याचिकायें

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम धनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ पंचायत मुख्यालय में 200 कुए होने पर भी विद्युतिकरण नहीं करवाने एवं,

ग्राम धनावद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने विषयक दो याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिकायें उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों याचिकायें उपस्थापित कर दीं। श्री हरजीराम बुरड़क एक एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। श्री हरजीराम बुरड़क।

लाडनू तहसील मुख्यालय को नागौर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क लाडनू निम्बीजोधा, सुपालिया, डेह के अपूर्ण कार्यों को पूरा कराये जाने विषयक

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाडनू तहसील मुख्यालय को नागौर जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क लाडनू, निम्बोजोधा, सुपालिया, डेह के अपूर्ण कार्यों को पूरा कराये जाने विषयक दो याचिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

बालोतरा से मूंगड़ा तक अधूरी सड़क का डामरीकरण कराने विषयक

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बालोतरा से मूंगड़ा तक अधूरी सड़क का डामरीकरण कराने विषयक चार याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्ष- याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। गृह मन्त्रीजी सांगोद, जिला कोटा में तीन व्यक्तियों पर उजाड़ नदी की पुलिया पर हुए कातिलाना हमले के पश्चात् पुलिस की निष्क्रियता से हुए दंगे के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

सांगोद, जिला कोटा में तीन व्यक्तियों पर उजाड़ नदी की पुलिया पर कातिलाना हमले के पश्चात् पुलिस की निष्क्रियता से दंगा

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14-7-85

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

की रात्रि को 11-30 बजे मधुसूदन, परमेश्वर एवं बनवारी लाल एक मोटर साइकिल पर कस्बा सांगोद की ओर आ रहे थे। उजाड़ नदी के पुल पर करीब 20-30 व्यक्ति, जिनके पास तलवार, सरिये, लाठियां थीं, ने इनको घेर कर हमला किया जिसके कारण तीनों व्यक्ति मय मोटर साइकिल के नदी में गिर गये। हमलावार भी नदी में कूद गये और उन्होंने इन तीनों व्यक्तियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। मधुसूदन ने थानाध्यक्ष सांगोद को रात्रि 2-30 बजे अस्पताल सांगोद में अपना बयान दिया तथा हमलावारों में से तीन व्यक्तियों उस्मान, मास्टर लायक व शकील के नाम भी अंकित कराये। उसने अभियुक्तों द्वारा अपनी घड़ी व सोने की चैन भी छीन कर ले जाना बताया।

घायल मधुसूदन का सांगोद अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराकर उसे कोटा अस्स्पताल में भिजवाया गया जहां पर इलाज हेतु भर्ती है। इस घटना के संबंध में थाना सांगोद में अभियोग संख्या 128। 85 धारा 147, 148, 149, 394, 307 आई. पी. सी. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दिनांक 15-7-85 को प्रातः उजाड़ नदी से बनवारीलाल की लाश बरामद हुई। तीसरा व्यक्ति परमेश्वर चन्द्र घायल अवस्था में अन्य के स्थान पर मिला जिस पर धारा 302 ताजीराते हिन्द और बढ़ाई गयी। प्रातःकाल 8-30 बजे जब निसार अहमद अपने रिश्तेदार लायक, जो थाना सांगोद का हिस्ट्रीशीटर है और जिसके रात की घटना के समय चोट आई थी, के साथ ग्राम आकोडिया से सांगोद इलाज कराने हेतु आ रहा था तो सांगोद बाजार में कुछ व्यक्तियों ने उन पर तलवार, चाकुओं से हमला किया जिससे निसार की मृत्यु हो गयी। घायल अवस्था में लायक को इलाज हेतु कोटा अस्पताल भिजवाया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने गान्धी चौक सांगोद में एक प्राइवेट बस पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया तथा उसके ड्राईवर को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इन असामाजिक तत्वों ने लकड़ी की तीन थड़ों को भी आग लगा दी। दिन में कुन्दनपुर सड़क पर एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई जिसका नाम बाद में अतलाक निवासी अन्ता होना मालूम हुआ।

इन घटनाओं के संबंध में थाना सांगोद में अभियोग संख्या 129। 85 धारा 302 ताजीराते हिन्द अभियोग संख्या 130। 85 धारा 307। 436, 427, 302 ताजीराते हिन्द एवं अभियोग संख्या 131।85 धारा 324।323 ताजीराते हिन्द के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है और 27 व्यक्तियों को अपराधात्मक धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

सूचना मिलते ही उप निरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, कोटा देहात, मय जाप्ते के सांगोद पहुंचे और शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु उचित प्रबन्ध किये।

मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाकर उनके परिवारजनों को सौंप दिये गये हैं तथा इन घटनाओं में घायल हुए 9 व्यक्तियों को कोटा व सांगोद अस्पतालों में चिकित्सा हेतु भर्ती करा दिया गया है। जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जयपुर से महानिरीक्षक पुलिस (सी. आई. डी.) (इन्टेलीजन्स) एवं दो पुलिस अधीक्षक मय

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अतिरिक्त आर. ए. सी. की कम्पनियों के जिला प्रशासन की सहायतार्थ कल सांगोद पहुंच गये हैं। शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एस डी एम रामगन्ज मन्डी द्वारा सांगोद में दिनांक 15-7-85 से एक सप्ताह के लिये धारा 144 जाब्ता फौजदारी लागू कर दी गयी है तथा सभी शस्त्र लाइसेन्सधारियों को अपने हथियार तत्काल जमा कराने हेतु निर्देश प्रसारित कर दिये है इस समय स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी, अपना स्पष्टीकरण देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी का जो वक्तव्य आया है उसमें कई बातें तथ्यों से परे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि वह 6 लोग थे, दो मोटर साइकिलों पर आ रहे थे। वह राजा हरिश्चंद्र सागर से पिकनिक करके लौट रहे थे। वहां पर आगे उजाड़ नदी है जो सांगोद कस्बे के पास है। पहली मोटर साइकिल पर तीन लोग बैठे थे, मन्त्री महोदय, आपने इसकी चर्चा की। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मधुसूदन का जिक्र उन्होंने किया उस रात साढ़े दस बजे वह थाने में पहुंच गया। मन्त्री महोदय ने बताया कि साढ़े ग्यारह बजे घटना हुई। ढाई बजे मधुसूदन का अस्पताल में बयान लिया गया। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि घटना का समय साढ़े नौ बजे, पौने दस बजे या दस बजे का है। वह लोग पिकनिक से लौट रहे थे उस समय उन पर हमला हुआ। जो पीछे वाली मोटरसाइकिल थी उस पर तीन लोग बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि उजाड़ नदी पर तलवार संगिये चल रहे हैं, हमला हो गया है, उन्होंने लाइट से देखा तो उन्होंने अपनी मोटर साइकिल को वापस घुमा दिया और मधुसूदन साढ़े दस बजे थाने में पहुंचा। उन्होंने थानेदार को साढ़े दस बजे या पौने ग्यारह बजे सूचना दी जिसकी चर्चा माननीय मन्त्रीजी ने की। उसके बाद इन्होंने ढाई बजे एफ. आई. आर. अस्पताल में लिखने की बात की मेरा यह कहना है कि उसके बाद में तो वहां पर महानिरीक्षक पहुंच गये और बटालियन भी पहुंच गयी साढ़े दस बजे जब सूचना मिली तो सूचना मिलते ही वहां पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? वहां से जयपुर को सूचना क्या दी गयी थी? क्या उसकी रिपोर्ट आने पर थानेदार पुलिस को साथ लेकर घटनास्थल पर गये? मैं आरोप लगाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब सूचना हुई उस वक्त पुलिस फोर्स पहुंचती। मैं आरोप लगाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक व्यक्ति की मौत वहीं आन दी स्पोट होना बताया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उसी समय थानेदार महोदय पहुंच जाते अपने लवाजमे के साथ वहां तो शायद बनवारी लाल नहीं मरता उसको बचाया जा सकता था। वह आन दी स्पाट मरा या थोड़ी देर बाद मरा मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि पुलिस कि अकर्मण्यता, पुलिस की निष्क्रियता इस मौत के स्पाट पर प्रातःकाल साढ़े आठ-आठ बजे पहुंचना मन में शंका पैदा करती है। शायद हालात इस प्रकार के थे कि बनवारी लाल जो प्रातः बोल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मरा हुआ मिला. आपने कहा तीनों कूद गये किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं कि बनवारी लाल तो किनारे पर ही पड़ा हुआ मिला है, न कि पुलिया के किनारे नदी में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं यदि इस प्रकार के एक्शन लिए जाते, सारी सूचना अविलम्ब कोटा और जयपुर पहुंचाई जा सकती तो दूसरे दिन जो घटना शहर में हुई है जिसमें दो लोगों की मौत हुई है एक लाश मिली और एक बिलकुल मरना बताया गया है उसको टाला जा सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इतनी ही नहीं है, सांगोद क्षेत्र से 13 रिपोर्ट इस प्रकार की आपस में लड़ाई झगड़े की लिखाई जा चुकी हैं। यह दृथ है। यह तो आपने सच कहा कि इसको हिस्ट्रीशीटर बताया। दो साल के लिए जिला बदर किया जा चुका है यह व्यक्ति। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं जो हिस्ट्रीशीटर है, जो जिला बदर किया हुआ है वह व्यक्ति सांगोद में कोटा में कैसे रहता रहा? मालूम रहे, कौन जिम्मेदार है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मधुसूदन है 26 मई के दिन इसका बड़ा भाई कोटा आ रहा था शाम को वेयर हाउस के नजदीक हमला किया उस पर, बस से उतारा गया इसके बड़े भाई को और चाकुओं से हमला किया, लाठियों से हमला किया। गुमानपुरा थाने में नामजद रिपोर्ट कराई उनके नाम दिये हैं उसमें कि किस किस ने मुझ पर हमला किया। वह ही सारे नाम हैं। उनमें से अधिकांश लोग वही हैं जिन्होंने इस पुलिया पर हमला करना बताया है। 26 मई की नामजद रिपोर्ट, जिसमें एक वह व्यक्ति था जिसको जिला बदर किया हुआ है, करवाने के पश्चात् इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया जिसका परिणाम है यह हादसा, वहां के क्षेत्र के लोगों को देखने को मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा कोटा जिला जल रहा है सांप्रदायिकता की आग में। वहा के हिन्दू-मुस्लिम में प्यार नहीं है। आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, यह घटना इस नई सरकार के बनने के पश्चात की है। मैं कहना चाहता हूं शायद वहां 1947 में सांप्रदायिकता की आग लगी होगी लेकिन उसके बाद कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी जितनी इन पिछले सालों में बनी है। क्या सांगोद, क्या बारां क्या अन्ता, क्या मांगरोल, मैं तो फिर आगाह करना चाहता हूं कि कोटा में केशवपुरा क्षेत्र है वहां एक धार्मिक स्थान बनाने के लिये जमीन थी उस पर किसी प्रकार की इजाजत नहीं ली गई है, और नाजायज रूप से दुकान बनने की प्रक्रिया चल पड़ी तनाव पैदा हो रहा है केशवपुरा में। माननीय मंत्री महोदय, कान खोल कर सुन लें जो स्थिति बनती चली जा रही है बात बता रहा हूं, सुनाना यह है कि एक के बाद एक घटना सिलसिले में बनती चली जा रही है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था, बिल्कुल ठीक है यह है कि पुलिस की निष्क्रियता है, पहले दिन कोई घटना होती है, वारदात होती है उस पर किसी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं की जाती, रिएक्शन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता। उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करते

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करते आग सुलग रही है और कोटा जल रहा है। इस आग में जल रहा है। मांगरोल में फिर तनाव है। दरगाह के दिन मैं चर्चा कर रहा था कोटा-सम्भाग की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन की और उसी समय शायद घंटे-दो घंटे पश्चात् रात्रि को यह सारी घटना वहां हो रही थी। अब भी चेत जाइये, केवल आग पिक एण्ड चूज घटना हो गई और फिर पुलिस भेज दी और खतम हो गया। सेन्सिटिव जिला हो गया। यह जिला सारा सेन्सिटिव हो गया। यहां आग लगी है और शान्ति समिति बनाई है। वहां के चुने हुए लोगों को विश्वास में लीजिये केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से फायदा नहीं है। जैसा दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य दाऊदयाल ने कहा क्या हुआ एक के बाद एक एक्शन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस पर तेजाब फेंका था जिसको कोटा में अस्पताल में देखने कई लोग गये उन्होंने देखा उनके दिल में आग लगी, रिएक्शन हुआ। हाथ पैर काट दिये। उनको एक से चेन बनी हुई है। यह घटना हो रही है। लेकिन मैं राज्य सरकार किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था कर रही है, न पुलिस वहां की जागरूक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उसी दिन से पुलिस के अधिकारी भेजे। एक-दो के तबादले हो गये राजनैतिक दबाव से उनके तबादले कर दिये। वे हमारे साथ क्या क्या करते हैं उसको मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस आन्दोलन को तीन साल हो गये केवल राजनैतिक गोदेबाजी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है उसकी वहां चर्चा की जा रही है। हमने चर्चा की थी इसी विधान सभा में। उसका नाम लेकर कहना चाहता हूं लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी हो गई थी, हमने धन्यवाद दिया था मुख्य मन्त्री शिवचरण जी माथुर को कि उनका तबादला किया। मैंने कहा कि देखिये यह स्थिति है, उन्होंने सारी जानकारी करके इसको किया था तो समझ में आई थी बात, आज वह स्थिति नहीं है। इनसे राजनैतिक खेल पायेंगे। उनकी चर्चा हो सकती है कौन हमारी बात मानेंगे। लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है इसकी किसी को चिन्ता नहीं। सांप्रदायिकता की आग में झुलसता रहा कोटा जिला परन्तु इसकी चिन्ता नहीं। यह निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी सारी रिपोर्टस को निकलवाइये, नामजद रिपोर्ट है, भगवान की दया से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय लोगों को गिरफ्तार करिये। यह चिन्ता कीजिये। वहां इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वह दो समुदाय में घृणा फैलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मैं आज जीता हूं तो मुस्लिम वोटर्स के कारण कोटा में जीता हूं। इस बार ऐसी जोर की लड़ाई थी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्तु लगातार पुलिस की निष्क्रियता की कार्यवाही से लोगों में इस प्रकार की बात पैदा हो रही है और इसीलिये इस प्रकार की घटना होती चली जा रही है। इस घटना के बारे में मैं कहना चाहता हूं जो एफ आई आर की आपने यहां चर्चा की है, माननीय मन्त्री महोदय कहीं तथ्यों में पूरी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को घटना होने के बाद भी 8.30 बजे पुलिस क्यों नहीं गई, कितने लोग मरे इसके लिये जिम्मेदार पुलिस का अधिकारी है। बनवारी लाल की लाश मिली, शायद उसको बचाया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जा सकता था उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पुलिस विभाग की है। आप के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब तो कम से कम जो चुने हुये लोग हैं उनको विश्वास में लीजिये, लोगों को बैठायें, दोनों सम्प्रदाय के लोगों को बैठायें, चर्चा करवायें, पीस कमेटी बनवायें। कोटा जिले को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का जो प्रयास जो कोशिश लगातार पिछले कुछ समय से राजनैतिक कारण और पुलिस की निष्क्रियता के कारण हुई है उसको समाप्त करिये, यह मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन कर दूं, पहले जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं....

(व्यवधान)

इसलिये मैं कह रहा हूं कि स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ललित किशोर जी ने जो बात कही है उसको रिपीट नहीं करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आठवीं विधान सभा में दो सत्र चले, एक पहले और एक अभी चल रहा है। पहले वाले सत्र में भी मैंने कोटा में राजनैतिक हत्याओं, राजनैतिक हमलों, राजनैतिक हिंसा की घटनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। उसके पश्चात् इस सत्र में भी बजट की जनरल डिबेट में मैंने निवेदन किया था, पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर भी मैंने निवेदन किया था कि कोटा में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण, राजनैतिक दूषित वातावरण के कारण, दूषित मानसिकता के कारण जिस प्रकार से हमले किये जा रहे हैं उपद्रवियों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, हो सकता है उनको राजनैतिक संरक्षण हो। उनका ऐसे लोगों से ताल्लुक भी हो। हमारे कोटा में शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में, इस घटनाक्रम के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में जो घटनायें हुई उन व्यक्तियों को अगर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता और पुलिस उनको पकड़ लेती तो यह जो घटनायें आज हो रही हैं, मेरा अपना खयाल है कि शायद यह घटनाक्रम नहीं होता। जो राजनैतिक संरक्षण कोटा में इस प्रकार से फलता-फूलता चला आ रहा है और फल फूल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन मूक दर्शक के रूप में उसे देख रहा है। यह निश्चित बात है कि पुलिस प्रशासन अधिक सक्रियता चुस्ती और ईमानदारी के साथ काम करेगा, इन्हें रोकेगा तो ऐसे घटनाक्रम टाले जा सकते हैं। यह बात सही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं इन सारी बातों के पीछे, सारे घटनाक्रम के पीछे चाहे बारां का हो, चाहे मांगरोल का हो, चाहे सांगोद का हो, चाहे दूसरी जगह का हो, चाहे आगे आने वाले समय में कोटा में पैदा हो जाय, इन बातों के पीछे ऐसी कौनसी मानसिकता है जिनके कारण ये विवाद पैदा हो रहे हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मानसिकता को बदलो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जाय। आखिर इसकी जड़ क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जड़ को बदला गया तो मैं समझूंगा कि आगे आने वाले समय में कोटा जिले में और आस-पास के जिलों में ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन गुजार पायेंगे। मानसिकता क्या है? हम मानसिक रूप से भले ही धर्म निरपेक्षता की बात करते हों, दिखावटी रूप से भले ही हम धर्म निरपेक्षता के सम्बन्ध में भाषण सदन में या अपने राजनैतिक मंच पर ठोंकते हों, लेकिन जो मानसिकता पहले थी वर्ग विशेष को साथ में लेकर चलने की मानसिकता पैदा हुई थी, जिस प्रकार से धर्म-निरपेक्षता को लेकर राजनैतिक दल पैदा हुए थे उसके बाद में वर्ग विशेष को साथ में लेकर चलने वालों ने धर्म निरपेक्षता का नारा अख्तियार किया, उसके लिये चाहे राजघाट की समाधि पर क्यों न गये हों, उस राजनैतिक मानसिकता का पता लगाना राज्य सरकार का फर्ज क्या ही है? कोई राजनैतिक मानसिकता इस बात से जुड़ी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूक्ष्म में कह दें। और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। स्पष्टीकरण दे दें।

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सूक्ष्म में ही कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। कहीं कोई मस्जिद का कोना आगे निकल गया, कहीं सड़क पर कब्जा कर लिया, आज जो कोटा वाली बात आपके सामने माननीय ललितजी ने रखी, उसके सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन बातों के पीछे अगर आप और हम इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी से सोचे-समझें और सरकार का सक्रिय सहयोग हो, पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग हो तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोटा डिविजन में जो स्थिति पैदा हो रही है उसको रोका जा सकता है। हम राजनीति में हैं, राजनीति में अपने राजनैतिक विचार रखने वाले लोग हैं अभी कोटा का जिक्र करते हुए आपने जमीन वाली बात बताई लेकिन मेरी जानकारी में दूसरा किस्सा आया है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति बिना किसी इजाजत के बिना कोई प्लान स्वीकृत कराये, बिना किसी अधिकार के एक दरवाजा मस्जिद की ओर निकाल रहे हैं। कोई इजाजत नहीं है। उनको आप भी रोक सकते हैं आप भी अपना प्रभाव काम में ले सकते हैं कि इतनी छोटी सी भूल के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार की स्थिति अपने यहां पैदा हुई है उसको रोकें। अगर आपने और हमने नहीं रोका तो आगे आने वाला समय न आपको माफ करेगा, न हमको माफ करेगा और न सरकार को माफ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करेगा और देश की स्थिति खतरनाक हो जायेगी। इसलिये जैसी राजनैतिक विचार-धारा है सब अच्छी तरह से सोचे समझें। मुझे ऐसा लगता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा जहर हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है जो मानसिक रूप से इन सब झगड़ों को पैदा करता है। सामने वह आ नहीं पाता तो राज्य सरकार इन बातों की ओर ध्यान करके इन सब का पता लगाये।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय एक और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगन्ज मण्डी) : आप तो डिजायर भेजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरि मोहन शर्मा : डिजायर का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि अगर ईमानदार विधायक है, ईमानदार जनप्रतिनिधि है तो उसके क्षेत्र में उसकी पसन्द का आदमी रहे, मैं बेइमान होऊंगा तो बेइमान अफसर को ही ले जाऊंगा। इस बात के लिये कौन कह सकता है। इसलिये तबादले की बात को हटायें, सदन की गरिमा को बनाये रखें।

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म करें, माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण मांग लें। जो स्टेटमेंट दिया है उसका स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : सूक्ष्म ही कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सारे झगड़ों के पीछे कौनसी मूल भावनायें हैं, कौन सी मूल-भूत बातें हैं, कौन-कौन से राजनैतिक दलों के व्यक्तियों का उत्तरदायित्व है उनका भी पता लग यें ताकि जो असलियत है उसका पता लग सके। हमलावर चाहे किसी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, कहीं का भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिये। जैसे ही घटना होती है उनको गिरफ्तार करना चाहिये। उस घटना के अनुसार तत्काल शिकंजे में लेने की सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, कोटा में जो स्थिति बन रही है उसको अपनी मानसिकता से अलग होकर, राजनैतिक दुर्भावना से कभी जुड़ जाते हैं कभी हम अपने स्वार्थों की खातिर जुड़ जाते है, उससे अलग होकर यह सदन और सदस्यगण आगे आयेंगे आये तो कोटा की स्थिति ठीक हो सकेगी। मंत्री महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कोटा में आप अपनी पसन्द के राज-नैतिक, दलगत भावना से मैं नहीं कहता, राजस्थान सरकार अपनी पसन्द के सभी अधिकारी वहां पर लगा दे किसी को एत-राज नहीं है, हम इस बात के लिये आपके साथ हैं, चाहे जिसको लगा दें लेकिन आप सहयोग नहीं देंगे तब तक असंभव है। हम सबको सहयोग करना है इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले यह बोल लें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से 5-7 प्रश्न करना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि इन व्यक्तियों पर जो हमला हुआ उसके पूर्व रात्रि के साढ़े 9 बजे के लगभग चौधरी बस सर्विस वालों की बस पर हमला किया गया और उसी बस में बैठे हुए हरीप्रसाद सरपंच को लूटा गया, फिर राजेन्द्र मित्तल, जे.ई.एन. को लूटा गया, जिसकी रिपोर्ट आपके थाने में दर्ज है? क्या यह सही नहीं है कि उस बस को लूटने के बाद आदेश दिया कि बस एक कोने में खड़ी कर दो? जब ये तीनों व्यक्ति नदी में कूद गये और नदी के पानी में डुबकी लगाई तब उस बस वाले की गरदन पर तलवार रखकर, तलवार के बल पर कहा कि बस को सीधी करो और नदी में लाइट डालो? लाइटिंग के आधार पर नदी के अन्दर लगातार अपराधी गये, जिन्हें अभी तक आपने नहीं बताया। 3 अपराधी थे। रिपोर्ट में ही दर्ज 5 व्यक्ति अपराधी हैं और साइट पर थे 20 अपराधी, कोने पर खड़े थे 50 अपराधी। यह सारी बातें आपके वक्तव्य में नहीं हैं। कहीं नहीं आई। लेकिन उनको पानी के अन्दर ढूंढ-ढूंढ कर उनकी हत्यायें की गईं। जिस व्यक्ति ने थाने में जाकर कहा उसने अपने दानों हाथ इस प्रकार करके दया की भीख मांगी, प्राणों की भीख मांगी उसके बाद उसको छोड़ा गया और यह कहा कि अगर थाने में जाकर रिपोर्ट की तो तेरे और तेरे परिवार की हम हत्या कर देंगे। उसने साहस बटोरा। माननीय मंत्री महोदय आप बता रहे हैं ढाई बजे की बात है। घटना घटी 10 साढ़े 10 बजे। इसके बाद 3 व्यक्ति जो पिकनिक पर गये थे दो मोटर साइकिलों पर थे जिनके नाम हैं राजेन्द्र, किशन और दिनेश, इन तीन व्यक्तियों ने जाकर थाना कर्मवास में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मांगोद की पुलिया पर लोगों को मारा जा रहा है। सवा ग्यारह बजे के लगभग थाना कनवास में वायरलैस आया जिसकी रिकार्ड आपके पुलिस रिकार्ड में दर्ज है और आप कह रहे हैं कि ढाई बजे पुलिस को पता लगा। पुलिस को तो 11 बजे ही पता लग गया था। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप तथ्यों को छिपायें नहीं वस्तुस्थिति सदन के सामने प्रकट की जाय। कोई भी नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ललित किशोरजी ने बताया है छोटी सी घटना घटी थी जनता पार्टी के शासन में, एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रमशः इस प्रकार से हत्याओं के दौरदौरे पर चल रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा ललित किशोरजी ने बताया 26 मई की घटना इन्हीं अपराधियों की है जो आदतन अपराधी हैं, जो जिला बदर हैं, एक नैनवा में, एक बूंदी में, इन्हीं जिला बदर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने घटना को वेयर हाउस के पास कोटा में इसके बड़े भाई पर हमला किया। दूसरा जो शब्बीर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नाम का बदमाश था उसने सांगोद में इसी प्रकार भवानी शंकर नाम के छीपा पर पिस्तौल लगाकर कहा कि कल साढ़े ग्यारह बजे फलां दुकान पर दो हजार रुपये लेकर रख दो। यह रिपोर्ट दर्ज है। जब रिपोर्ट दर्ज कराने गये, एक हजार गालियां उसने भूतपूर्व एम. पी. श्री कृष्ण कुमार गोयल और दाऊदयाल को दी और पुलिस देखती रही, सुनती रही। उसने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि आने दो, दाऊदयाल को मैं गोली से सबसे पहले उड़ाऊंगा। पुलिस ने कुछ कार्यवाही की? रिपोर्ट दर्ज की? कहीं नहीं की। यह 13 आदतन अपराधी हैं। शब्बीर, रफीक, उस्मान, लाइक, शकील, उस्मान मास्टर आदतन अपराधी हैं। इनका श्री गणेश हुआ है सबसे पहले बस वालों की लूट से बस वालों को लूटने के बाद बस वालों से चौथ वसूल करना, चुंगी नाके के ऊपर और उसके बाद जो यात्री आते थे उनको लूटना। उसके बाद गांव के जो सेठ लोग थे उनको पिस्तौल के बल पर लूटना। क्रमशः इन सब की बकायदा आपके थाने में रिपोर्ट है।

मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं कि सांगोद नगर के थाने के अन्दर जितनी भी रिपोर्ट दर्ज हुई, यह जो नामजद रिपोर्ट थी क्या इसमें आपकी पुलिस ने कहीं किसी को पकड़ा? यह अपराधी तो थाने में बैठ कर चाय पीते हैं। दाऊदयाल को गोली से उड़ा देंगे सबसे पहले, यह कहा है। कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं और आप यहां गलत स्टेटमेंट लाकर, पुलिस ने अपनी मर्जी से जो स्टेटमेन्ट दिया, जो कहलवाना चाहा वह कह कर अपनी बात की इतिश्री करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जहां यह काण्ड हुआ वहीं कल दिन में जो आपने 27 लोग पकड़े हैं कृपा करके यह बतायें कि यह 27 आदमी क्यों पकड़े? इनकी मन्शा क्या थी? किस लिए पकड़े गये? माननीय मन्त्री महोदय, कल साढ़े नौ बजे 550 लोग हथियार बन्द "अल्लाह हो अकबर" का नारा लगाते हुए राइफल और भाले-बर्छी लेकर वहां जो मीणा जाति के लोग थे उनके ऊपर हमला करने के लिए तत्पर थे। निकल पड़े थे, मार डालो, काट डालो, जो होगा परिणाम देख लेंगे, पुलिस की परवाह मत करो। मेरा निवेदन है कि आर. ए. सी. के 4 लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी की, उन्होंने कहा कि लो राइफल लो कोने में से उठाकर उस कारण से वह रुक गये। एक व्यक्ति ने भागकर आकर थाने में रिपोर्ट दी उसके बाद आके आर. ए. सी. के लोग गये। उनमें से कुछ लोगों, जो भाग रहे थे, को जबरदस्ती से पकड़ा। आज भी सांगोद नगर जल रहा है। सांगोद नगर में आग लगी हुई है। कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। भले ही आपकी आर. ए. सी. वहां चली जाये और भले ही आपके आई. जी. पी. वहां चले जायें, सब तरह से आज वहां समशान जैसी शांति छाई हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस सन्निकट क्षेत्र को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता आपने एस. पी. लगा रखे हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। एक तो शाम को 7 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। एक ने कह रखा है कन्ट्रोल रूम को कि 6 बजे बाद मुझे मत कहो कि क्या घटना घट गयी। एक एस. पी. साहब इतने कायर, इतने डरपोक हैं कि मुसलमानों के

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ और पत्रकार जब गये तो उनकी घिग्घियां बंध गयी। एक जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि शायद ऐसी घटना उसके क्षेत्र में हो जाये तो जयपुर की तरफ मुंह कर ले। एक एस. पी. साहब दिन भर पीते हैं.....

एक माननीय सदस्य : क्या पीते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अच्छा नहीं है कहना। मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके कोटा जिले के इन जिम्मेदार अधिकारियों, जो आपने लगा रखे हैं, को अपचेन्ज कीजिए। मैं कहता हूं कि यह क्या करेंगे पुलिस वाले, आप कितनों को भी भेज दें। एक थानेदार पकड़ा गया है चोरी में। कहां? मन्दसौर में मध्यप्रदेश में पकड़ा गया। जब चोरी की तलाश करते करते पता लगा तो एक स्कूटर भी चोरी का वहीं पकड़ा गया। कोई पुलिस वाले प्राणों की रक्षा करने वाले हैं या चोट्टाई करने वाले हैं। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि कोटा वास्तव में सेन्सिटिव क्षेत्र है वहां बहुत गड़बड़ी हो रही है उसको आप बचाइये और मैंने जो प्रश्न किये हैं कि अपराधी 5 थे 3 नहीं जिनकी नाम जद रिपोर्ट हुई है साढ़े ग्यारह बजे तक वायर यहां वायरलेस आ गया था, तो साढ़े ग्यारह बजे से लेकर सवा आठ बजे तक आपकी पुलिस क्या करती रही ? उसने क्या क्या कार्यवाही की यह बताइये और साथ ही यह बताइये कि हरिप्रसाद और राजेन्द्र मित्तल ने जो रिपोर्ट की है उनका आपने कहीं कोई वर्णन क्यों नहीं किया ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हाड़ोती में इनकी आग है, मैं उस आग को शांत करने के लिये आपकी सरकार की सहायता करने के लिये तैयार हुआ हूं। पहली बार सरकार की सहायता कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीरता का विषय है लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल कर अपनी भावना कह दें।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें यूं हुई। एक निर्मल पर कोटा, लाडपुरा में तेजाब फेंक दिया, पूरा शरीर जल गया। उसका चेहरा, आंखें सब जल गई। इस पर वहां के हिन्दुओं को गुस्सा आया। दिन में जब उन्होंने इसका विरोध किया, पुलिस के पास गये तो रात को करबला के सारे मुसलमान हथियार, तेजाब, बम लेकर इकट्ठे हो गये। हिन्दुओं ने जाकर एस. पी. से कहा कि आज दंगा हो सकता है। एस. पी. मीणा बहुत समझदार था उन्होंने ऐसी बड़ी गार्ड लगाई वहां पर कि कोई हथियार का प्रयोग नहीं हो सका, कोई दंगा नहीं हो सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने फिर संजीव जैन, देश की धरती के सम्पादक को फंसाया, वह रिपोर्ट दर्ज कराने गये। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, वह मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक हमारे नगर परिषद झालरापाटन के उपाध्यक्ष हैं नासिर मोहम्मद जी। उन्होंने एक दिन वक्तव्य दिया था अखबार में कि इकबाल अहमद हथियार बांटता है, तेजाब बांटता है, दंगे भड़काता है। परिणाम यह हुआ कि इकबाल अहमद गुट के लोगों ने नासिर मोहम्मद को बताया कि ...

(श्री हरीश शर्मा)

दे नगर पालिका उपाध्यक्ष पद से और त्याग-पत्र दे मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष पद से वरना ईद पर तुझे कतल कर देंगे। तो नासिर मोहम्मद ने घबरा कर सारे मुसलमानों की मीटिंग की। वहां पर कहा कि मेरे पास यह पत्र आया है, मैं क्या करूं। सारे मुसलमानों ने उसमें विश्वास व्यक्त किया तो इकबाल अहमद के लोगों ने उस पर पत्थर फेंके मीटिंग हो रही। जब। तो उपाध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग के अन्दर से जब रिपोर्ट दर्ज कराने गया, तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की। उसका कारण प्रभावशाली लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी एक एक बात प्रस्तुत करता हूं ताकि सरकार को मदद मिलेगी। हुआ यह, उपाध्यक्ष महोदय, मांगरोल में रंगबाड़ी के बालाजी का मन्दिर है। वह देवस्थान विभाग द्वारा राजस्टर्ड मन्दिर है। उसमें सारे हिन्दु कार सेवा कर रहे थे अर्थात स्वयं मेहनत करके चबूतरे का निर्माण कर रहे थे। रात भर काम करते थे। बस स्टेण्ड पर हैण्ड पम्प था वहां पानी पीते थे। मांगरोल में दंगे के तीन दिन पहले उस हैण्ड पम्प में प्राणघातक जहर मिला दिया। तो वहां जब लोग पानी पीने आये काम करते करते तो दो लड़कों के वही झाग आ गये। उन्होंने कहा, यह आज क्या हो रहा है हैण्ड पम्प में, तो उस हलवाई ने भी पानी पीया और वह भी वहीं चित हो गया। कनवास थाने में रिपोर्ट कराई तो थानेदार ने कहा, नहीं यह सब बकवास करते हो। उसने बाल्टी भरवाकर पानी मगवाया। बाल्टी भर पानी मगाने के बाद उन्होंने क्या किया? ए. एस. आई. कुमान सिंह को दिया। तो एक गिलास तो उसने पीया और एक सिपाही भगवानसिंह तीन गिलास पी गया। कुमानसिंह को आधा घण्टे बाद बेहोशी आई और भगवानसिंह तो वहीं चित हो गया। उसकी नेत्र ज्योति चली गई, वहीं पड़ा रहा लेकिन इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसको बहुत देर तक होश नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांगरोल के दंगे के बाद देखिये यह कितनी जबर्दस्त घटनाएं हुई। गृह मन्त्री जी, आप हमारी हर बात पर ध्यान देना, आपको बहुत फायदा मिलेगा निष्पक्ष बात कर रहा हूं एकदम। मांगरोल दंगे के बाद बस स्टेण्ड वालों पर एक शब्बीर नाम के युवक को पकड़ा जो ठेले में एक बहुत बड़ा डिब्बा लेकर जा रहा था। चुंगी वाले ने उसको कहा, ठहर मैंया ठहर,

(4 00 म प)

इसको चुंगी चुका, चुंगी के रुपये दे। उसने कहा, नहीं, चुंगी वुंगी कोई नहीं लगेगी तू यह सौ रुपये रख ले जेब में, चुंगी काट लेना तू। वह बोला कि नहीं, नहीं चुंगी देकर जाओ। वह चिल्लाया तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गये। तो वह ठेला छोड़ कर भाग गया। लोगों ने उसके कार्टिज को खोला ता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 16 जिलेटिन एव डिलेटर्स बम्ब बरामद हुए। डी वाई. एस पी और एडीशनल एस. पी वहां आये, तो शब्बीर मोहम्मद को पकड़ कर। पूछा कि बोलो यह बम्ब कहां से लाये? और यह पैसे तुझे किसने दिये जो तू बम्ब लाया है? कहां से आये यह पैसे, कहां से बम्ब दिये गये तो शब्बीर मोहम्मद ने साफ कहा कि मैं बम्ब झालावाड़ से ला

(श्री हरीश शर्मा)

रहा हूं, यह बम्ब मुझे झालावाड़ से दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी को याद होगा, आपके दोषी अधिकारियों को पता है कि बारां में पहले बम विस्फोट हुआ, एक जान भाई, आपका एक माननीय वकील को गिरफ्तार किया उस बम काण्ड में लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में कोई कार्यवाही नहीं की, उसको छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा चाहे मैं होऊं, इसमें नैतिकता बरतनी पड़ेगी आपको, अगर आपको धर्म निरपेक्षता लानी है, एकता कायम करनी है, राष्ट्रीय एकता जागृत करनी है तो चाहे मैं साम्प्रदायिक हूं या और कोई हो उसको उतनी ही सजा दीजिये बराबर की। उपाध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। आज बारां की स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बारां में हर वर्ष राजस्थान का प्रसिद्ध मेला ढोला यात्रा हर साल वहां विमान निकलते हैं। ग्यारस का मेला होता है उसमें हजारों लोग जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, अब यह क्या क्या ईनाम देंगे, जहां बहुत सी तैयारी थी, व्यवस्था की हुई थी। मैंने आठ दिन पहले भी कहा था यहां गृह मन्त्री जी को याद होगा; बारां में दंगा होने की स्थिति छा गई थी। जहां से विमान निकलते हैं उस रास्ते पर मांगरोल गेट का बुर्ज है। वह बुर्ज सरकार के अधीन है, पुरानी घड़ी का है। एक मुसलमान ने उस बुर्ज पर मस्जिद बनाली ताकि वह कह दे, मैं यहां से नहीं निकलने दूंगा विमान और तालाब पर जहां....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सारांश आ गया। सभी इसकी गम्भीरता को समझते हैं। अभी हीरालाल जी और बोलेंगे।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां दंगा हुआ। जहां ढोले उतारे जाते हैं वहां उन्होंने हरा रंग पोत दिया। वहां ढोल कहां उतारेंगे, दंगा होगा कि नहीं होगा ? मैं कहना चाहता हूं इसको रोका जाय, हर बार क्या होता है। यह दो बातें और इम्पार्टेन्ट हैं, गृह मन्त्री जी मैं कहना चाहता हूं। जमीन दे दी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन सब पर गवर्नमेंट का चैक है लेकिन जो यह मुस्लिम, इस्लामिक स्कूल चलते हैं उन पर आपका कोई चैक नहीं है। कौनसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है यह आप जानते हैं। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है आपका उनमें कौनसा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं ? अगर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है वह इस चीज को थोड़ी पढ़ायेंगे ? दंगा पैदा करने की खास बात यह है। हाड़ौती में 52 रामलीला होती है हर साल आज मुस्लिम प्रापर्टी जो वहां है, वह वक्फ बोर्ड द्वारा संरक्षित है, उसके द्वारा उनकी रक्षा होती है लेकिन हिन्दुओं के जो रामलीला मैदान या रामलीला करने की जगह है उनको तो आज कोई प्रोटेक्शन किसी के द्वारा नहीं है।

(व्यवधान)

जयपुर में कहीं भी नहीं है।

(व्यवधान)

आप तो मिट्टी के माधो हो, नहीं तो क्या पहले पता नहीं था बारां में बम लाने वाला सफेद बम कहां से लाया था ? उसको पैसे कहां से मिले थे

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस में बिजनेस बहुत हैं।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि मधुसुदन ने जाकर सांगोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सांगोद थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की ? उसकी रिपोर्ट कनवास थाने में दर्ज हुई। उपाध्यक्ष, महोदय, यह सारे दंगे के कारण हैं। पुलिस और कुछ राजनैतिक नेता हैं जो जान-बूझकर अपनी राजनैतिक घोषणा के लिये इसको बढ़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज। दो दो मिनट।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे के ऊपर इस वक्त विचार ले रहे हैं यह इन्सानियत के कतल और गारत की बात है। इनसान, मैं समझता हूं, कोई जात नहीं रखता अगर इनसान है तो इसलिये यह कहें कि कौन किस जाति से है, तो सोचना होगा कि उनके क्या इरादे हैं ऐसे दंगों में, यह वह लोग नहीं जो मजहब में विश्वास रखते हैं या मालिक का नाम लेते हैं। जो वर्स्ट एलीमेंट्स हैं सोसायटी के, जो असामाजिक तत्व हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। मुल्क की गद्दारी के बाद अगर कोई जुर्म बनता है तो इनसान, इनसान को कतल करने का जरायम अजीम समझता हूं। ख्वाह कोई किसी को मारे, हमारे ताजीराते हिन्द में इस मुतल्लिक साफ बात है। प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान के कोटा जिले में सरकार को कहते कहते, चौकन्ना करते करते कुछ हालात गुजर गये, किस ने ज्यादती किस पर की, किस ने किस को डुबोया और कितने मासूम और बेगुनाह लोग इसमें तबाह और बर्बाद हुए जिनकी कोई आवाज यहां नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बदमाशों की कोई पैरवी नहीं करना चाहता चाहे ख्वाह वह किसी भी फिरके के हों, चाहे किसी का संरक्षण उनको हो। कोटा की सरहदों से मैं बहुत दूर हूं। चाहे वह मुसलमान ही क्यों न हो। मुझे आज तक सिवाय इस राजस्थान पत्रिका के कुछ किसी को ज्ञान नहीं है। या जो मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है और न ही मैं दिलचस्पी रखता हूं क्योंकि दिलचस्पी रखने का काम सरकार का है, वहां के बुद्धिजीवी लोगों का है। हम लोगों का नहीं है कि किस कोने में धार्मिक तौर पर या सियासी तौर पर या मजहबी तौर पर क्या मामले हो रहे हैं, यह मेरा सबजेक्ट नहीं है और न किसी माननीय सदस्य को इतनी गहराई में जाना चाहिये। चिन्ता तो जरूर करनी चाहिये अपने देश की ओर अपने सूबे की, अपने जिले की एक अच्छा माहौल, अच्छा, खुशगवार माहौल रखने के लिये हमारे देश की इज्जत के लिये इतनी चिन्ता तो होनी चाहिये लेकिन कहां क्या क्या गुजर गई बात उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं चाहिये, हां यह अलग बात है मन्त्री महोदय और सरकार या आई. जी. पुलिस यह चाहें कि वहां के मोतबिर आदमी कांफिडेन्स में लिया जाये, वहां के जो बराबर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं उनको एक जगह बैठाकर फिजां, माहौल को अच्छा किया जाये, यह तो किया जा सकता है लेकिन हर सियासी आदमी को वहां टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अखबारों, को भी मैं इस मुतल्लिक खबरदार करना चाहता हूं कि वे किसी के खरीददार नहीं हैं, किसी सियासी पार्टी के गुलाम नहीं

(श्री अब्दुल अजीज)

हैं और अगर कोई अखबार इस तरह की बेबुनियाद खबरें छापता है तो मैं समझता हूं वह अखबार ही नहीं है। वह एक वायलेन्स तरीके का अखबार है। मैं निवेदन करू, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामले सियासत से हमें अलग रखने होंगे अगर हम अपने देश की इज्जत को चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, इस समय कि जो बेगुनाह लोग हैं ऐसे मामलात में लोगों को रोटी नहीं मिलती, लोगों को अनाज नहीं मिलता, जिन्दगी की जरूरत की चीजें मुहैया नहीं होती। उन बदमाशों की एवज में हजारों इनसानों को, बेगुनाह मासूम औरतों और बच्चों को, मरीजों को, कारोबार करने वाले लोगों को, सब को पीड़ित होना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। तो मैं राज्य सरकार से आप के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा और कोटा से आने वाले साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे दयानतदारी और सच्चाई का सबूत दें माहौल को सुन्दर बनाने में। इस अच्छे काम के लिए हममें से किसी भी अच्छे दोस्त की जरूरत हो तो हम लोग भी हाजिर हैं आपकी सेवा के लिये। राज्य सरकार को भी ऐसे सेन्सिटिव मामलात में फौरी तौर पर कदम उठाने चाहिये। ऐसा न हो कि हम गुजरात की तरह से बदनाम होकर रह जायें। कितने ही अच्छे आप काम करें लेकिन अगर हमने इस तरह की बदनामी के काम किये और दामन को दाग लग या तो हमारा देश बदनाम होता है। हम एक देश की सन्तान हैं और एक ही मुकाम पर जाना है।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। बहुत हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में, बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण मांगिये, और तो सारा हो गया। भावना सब की आ गई।

श्री हीरालाल आर्य : स्पष्टीकरण ही मांगूगा, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता के कारण कोटा जिला आज जल रहा है आखिर हम उस इलाके से आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, निष्क्रियता शायद सौ बार आ गई होगी। अगर प्रश्न पूछने हों तो पूछें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके हिसाब से तो निष्क्रियता कोई नयी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार आ गई। वह भी उसको कहें कोई शंका-समाधान करना हो तो आप कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो लोग अपराधी हैं, जो इस नदी के किनारे घात लगाये बैठे थे जिनकी संख्या 25-30 के करीब थी क्या यह सही है कि यह लोग आदतन अपराधी हैं और इनकी कई मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है? यदि इनकी रिपोर्ट दर्ज थी, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

(श्री हीरालाल आर्य)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा आदतन अपराधी है जो वहां का जिला सदस्य है। वह वहां घूम रहा था। मधुसूदन ने इन लोगों को पहचाना है, इनके नाम पुलिस में दर्ज कराये हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जब यह सारी घटना यह लोग उन मोटर साइकिल सवारों के साथ कर रहे थे इसकी सूचना मधुसूदन ने भाग कर सांगोद थाने में दी। दूसरी मोटर साइकिल आ रही थी....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटिशन नहीं करें कृपया। वह सब कह दिया। पहले एक प्रश्न किया दूसरा और पूछ लीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाली मोटर साइकिल आ रही थी उसके पीछे दूसरी मोटर साइकिल आ रही थी। उनके साथ यह लोग घटना कर रहे थे वे मुड़ कर कनवास थाने में गये और वहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी इसके बावजूद पुलिस घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंची? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय इसका जवाब दें कि जो 25-30 लोग थे उनमें से कितने लोगों को पकड़ा? मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो सारे अधिकारी सांगोद में जाकर बैठ गये, व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन यह सारे के सारे वहां जाकर जिस तरह का वातावरण बनाते हैं यदि पहले यह लोग पहुंच जाते तो इस तरह की घटना नहीं होती जो सारे दिन वहां होती रही। मैं यह भी पूछना चाहूंगा, पुलिस वहां पहुंचने में क्यों विलम्ब करती है? इस बारे में जानकारी दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, वहां के जो एस. पी. हैं दूसरे स्थानों पर जो घटनायें होती हैं शहर में, उनमें उनका क्या रोल रहता है? अभी जैसे मांगरोल की चर्चा आयी थी, मांगरोल मेरे क्षेत्र में पड़ता है, मैं वहां गया था, एस. पी. से मैंने बात की कि जो लोग इस मामले में हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। वहां जो उस वक्त कलेक्टर लगाये हुए थे वह और एस. पी. कोई नाम बताने को तैयार नहीं हुए कि साहब, कहां क्या है, कहां नहीं है। हमने कहा, हमारी दोनों ग्रुप के लोगों से बात करा दो, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन वह मुझे, जो उस इलाके का प्रतिनिधि हूं, इसकी जानकारी देने में भी कतरा रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। आप खुद बता सकते हैं, आखिर यह पुलिस के लोग क्या चाहते हैं? किस तरह से वहां पर शान्ति स्थापित करना चाहते है? मैं चाहूंगा, यह सारी घटनायें हो रही हैं, कोटा जिला पूरा पुलिस की निष्क्रियता और निकम्मेपन की वजह से जल रहा है। जो मुख्य अभियुक्त थे उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, इसका स्पष्ट जवाब मुझे मन्त्री महोदय से चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। बहुत हो गया।

श्री रामकिशन वर्मा (लाड़पुरा) : मैं उनसे परे हट कर बोलूंगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हमें तो कोई बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्पष्टीकरण ले लें।

(व्यवधान)

आपकी बात मान ली गई।

श्री रामकिशन वर्मा : एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने और भी हमारे इलाके के माननीय सदस्यों ने, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की। सच्चाई तो यह है कि इस तरह की घटनायें जो घटती हैं, राज्य सरकार के लिये, इलाके के लिये और सब जन-जनियों के लिये बड़ी बुरी बात है। लेकिन उसके अन्दर बारबार यह दुहाई दी गई इधर से भी और उधर से भी कि राजनैतिक हस्तक्षेप भी इसके अन्दर मौजूद है। तो वह राजनैतिक हस्तक्षेप करने वालों के नाम भी स्पष्ट होने चाहिये। उनके नाम स्पष्ट होने चाहिये। अगर कोई पुलिस के अधिकारी अकर्मण्यता दिखलाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। सच्चाई सामने आनी चाहिये। चाहे उस ग्रुप के लोग हों, चाहे इस ग्रुप के लोग हों, किसी को बख्शा नहीं जाय। कई दफा इस तरह की चर्चाओं से सच्चाई तो रह जाती है और दूसरी बातों पर उसके कारण लीपापोती हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सारी घटनायें हुई हैं इनकी निष्पक्षता से जांच हो। बड़े बड़े अधिकारी यहां से जाते हैं, दत्ता साहब भी गये हैं दूसरे लोग भी गये हैं लेकिन सच्चाई के अन्दर जो भी सामने आयें उन्हें बख्शा नहीं जाय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री अमरचन्द चौधरी (गगरार) : यह जो कोटा जिला है उसकी माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है, मैं यह जानना चाहूंगा जो आदमी पिकनिक पर गये वह कितने आदमी थे? यह पिकनिक किसने रखी थी, किस समय रखी थी और निमन्त्रण किन किन को दिया गया था? यह माननीय सदस्यों ने बताया नहीं। यह बतायें कम से कम तो इस बात का पता चले। यह सही पता लगने पर पता लग जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी जवाब देंगे। माननीय मन्त्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृहमंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कुछ भी कोटा और कोटा के आसपास के क्षेत्र में घटनायें हो रही हैं वह निश्चित रूप से सदन के सब माननीय सदस्यों के लिये और सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह घटना दस बजकर बीस मिनट पर हुई है और मधुसूदन साढ़े दस बजे थाने पर पहुंच गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 11 बजे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने जो बोला है, उसको लिखा है, मैं शायद गलती नहीं कर रहा हूं तो।

फिर आपने कहा कि 10.45 पर घटना

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

की चर्चा हो गई उसके बावजूद भी यह एफ. आई. आर में ढाई और तीन बजे का समय कैसे उल्लेख किया गया है। यह मधुसूदनजी ने एफ. आई. आर लिखायी है उसकी मेरे पास कापी है। उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि घटना साढ़े ग्यारह बजे हुई। इसलिये 11.30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत कह चुके हैं, अब जो उनका उत्तर आता है उसको सुनियेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं एक एक बात पर आ रहा हूं। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, साढ़े ग्यारह बजे के करीब वह पिकनिक से लौट रहे थे तब यह घटना घटी और घटना घटने में भी वक्त लगा इसका उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद वहां पहुंचे हैं और जो एफ. आई. आर में समय लिखा है वह 3 बजे का समय दर्ज किया गया है।

श्री शोपत सिंह : पैदल चल कर गये या कैसे गये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पैदल। दो किलोमीटर की दूरी है। उन्होंने लिखा कि मेरे को एक व्यक्ति मिला, बागवान मिला उससे मेरी बातचीत हुए, उससे चर्चा करता रहा उसके बाद मैं आगे गया। यह उसमें सारा लिखा हुआ है, आप चाहें तो पूरी एफ. आई. आर. पढ़ सकता हूं लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि एफ.आई. आर. को समय पर लिखने में देरी हुई है तो मैं इसकी जांच करा सकता हूं। अगर कोई भी अधिकारी ने गलती की है तो तत्काल उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी सरकार रखती है। यह बात सही है मांगोद, अन्ता और आसपास के इलाके में पिछले दो-तीन सालों में कुछ घटनाएं होती रही हैं। उन घटनाओं का कारण आप और हम सब जानते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और किसी न किसी कारण को लेकर यह दंगे हुए हैं। मैं तो सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा, कोटा जिले में जो साम्प्रदायिक वातावरण बना हुआ है उससे सरकार तो सख्ती से निपटना चाहती है, उसके लिये सरकार तैयार है कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये लेकिन साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेहरबानी करके ऐसा वातावरण बनायें कि कोटा जिला में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे और सरकार को इन दोषियों के विरुद्ध आगे बढ़ने में कार्यवाही करने में सहयोग दें ताकि वह लोग जिन्होंने जान बूझ करके इस प्रकार वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है, उनको सजा दी जा सके।

श्री दाऊदयालजी जोशी ने कहा, एफ. आई. आर. में पांच नाम लिखे हैं। मेरे पास जो एफ. आई. आर. है उसमें तीन नाम अंकित है। इस एफ. आई. आर में 5 व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, 3 व्यक्तियों का ही उल्लेख है जो एफ. आई. आर. मधुसूदन ने लिखाई है। आपने जो बताया कि बस लूटी गई उसके पहले वह घटना हुई, यह सही है, मैं इन्कार नहीं कर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

रहा हूं। वह घटना करीब नौ साढ़े नौ बजे के आस पास हुई है। उस बस में एक जे. ई एन. पंचायत समिति का था, हरिप्रसाद सरपंच था। उन्होंने बस को रोक कर उनसे कुछ रुपये लिये और मारपीट की है और बस को वहीं डिटेन करके रखा, बस को वहां से नहीं जाने नहीं दिया। ये लोग जो पिकनिक से आ रहे थे साढ़े ग्यारह बजे के आस पास तब दुबारा यह दूसरी घटना घटी यह बात भी सही है। लेकिन वह बस रिलीज होकर चली गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर इत्तला दे दी हो, यह बात नहीं है। उन्होंने उनको वहीं रोक कर रखा और वे वहां नहीं जा पाये। आपने जिक्र किया शब्बीर, उस्मान, शकील आदि लोग, जो हैं, आदतन अपराधी हैं। मैंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि हिस्ट्रीशीटर हैं। जैसा मैंने स्वीकार किया है, अन्य व्यक्तियों की जानकारी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कोई भी हिस्ट्रीशीटर या गुण्डा एक्ट के तहत जिले से निकाला गया व्यक्ति उस जिले में रह कर अपराध करता है तो मैं सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए पुलिस को निश्चित रूप निर्देश दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अपराध कर रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पकड़ लेंगे, इस बात पर बजा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास ही आई. जी. कोटा की रिपोर्ट और एफ. आई. आर. इस वक्त मौजूद है इसमें वायरलैस का कहीं उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है कि कोई मोटर साइकिल उनके पीछे आ रही थी इस भय से वापस लौट कर थाने की ओर चली गई और उन्होंने इत्तला दी, इसकी मैं जानकारी करूंगा और यदि वायरलैस दिया गया है तो वायरलैस का तो रिकार्ड रहता है उसकी जांच करके अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसी भी पक्ष के लोग हों, बेगुनाह लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और उन्हें सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे सांगोद का मसला हो, चाहे बारां का मसला हो, चाहे और कहीं का मसला हो सरकार किसी बेगुनाह को फांसने का कोई काम नहीं करेगी। लेकिन मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार गुनाहगारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं रखेगी ताकि ये घटनाएं दुबारा नहीं घटें। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और चाहते हैं कि इस बीमारी का भी पता लगाएं जिसके कारण यह घटनायें कभी उठती हैं, कभी ठण्डी हो जाती हैं, कभी फिर उठती हैं और फिर चलती हैं। इसलिए हम इस बात की भी, पूरी व्यवस्था करेंगे कि घटनाओं के कारणों में जाकर उनका पता लगायें और उसका निदान करें। भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे इसका पूरा इन्तजाम करना चाहते हैं। इस बारे में मैं सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं रह गया है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जो मुख्य अपराधी हैं उनमें से कितनों को पकड़ा है, यह तो बता दीजिए आप।

श्री हरीश शर्मा : मुख्य अपराधियों में से कितने लोगों को पकड़ा ?

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका अभी उत्तर नहीं बताया। यह अकर्मण्यता की हद है, उपाध्यक्ष महोदय, घटना होती है, घटना के दूसरे दिन बाजार में आग लगाई जाती है, दुकानें जलाई जाती हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही थी ? आपकी जिम्मेदारी क्या है ? यह शर्मनाक बात है। इस तरह की घटना में आपको बहुत ही तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए। अगर पुलिस सक्रिय होती तो यह घटना नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मन्त्री, श्रीमती कमला, कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर के बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगी।

कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर के बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी

श्रीमती कमला (श्रम मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सन्दर्भ में कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर के बन्द रहने के सिलसिले में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वस्तु स्थिति निम्न प्रकार से है।

कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर के प्रबन्धकों ने मिल को होने वाली आर्थिक हानि व माल की बिक्री के न होने तथा बिजली की लगातार कटौती होने के कारण मिल को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ एफ ए) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.83 को बन्द करने का नोटिस दिया जिसकी अवधि 15.10.83 को समाप्त हुई और तभी से मिल बन्द है। जिस समय कृष्णा मिल्स, ब्यावर को बन्द करने का उक्त अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था उस समय औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान को बन्द करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान प्रभावी नहीं था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 (ओ) के इस प्रावधान को अवैधानिक घोषित कर दिया था और इसी कारण प्रबन्धकों द्वारा मिल को बन्द करने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने का कोई कार्य नहीं किया। इस मिल से श्रमिकों को जून, 1983 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। माह जून, 83 के वेतन के दावे वेतन भुगतान अधिनियम के तहत विभाग द्वारा अगस्त, 83 में संबंधित प्राधिकारी श्रम उपायुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे तथा श्रम संगठन ने भी जुलाई के वेतन के बाबत दावा किया और उपायुक्त महोदय ने अपने निर्णय सितंबर, 1984 के द्वारा श्रमिकों को माह जून तथा जुलाई के वेतन के संबंध में 23,36,749, 54 पैसे की डिक्री फैक्ट्री के ऊपर पारित

(श्रीमती कमला)

की इस डिक्री में वेतन तथा मुआवजा देने की राशि बराबर बराबर शामिल है जिसका मिल ने अभी तक भुगतान नहीं किया और मिल मालिक द्वारा उच्च न्यायालय में रिट कर रखी है जो मामला चल रहा है। जून व जुलाई, 83 एवं वर्ष 81-82 के बोनस का भुगतान न करने का एक दावा श्रम संगठन द्वारा प्राधिकारी अजमेर, के यहां अलग से प्रस्तुत किया गया था जिस पर वेतन भुगतान अधिनियम के तहत फैक्ट्री के माल का अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के आदेश दिनांक 1.9.83 के अनुसरण में दि. 6.9.83 से फैक्ट्री का माल कुर्क किया हुआ है तथा इस कारण माल अभी भी मिल में सील है। इस निर्णय के सन्दर्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उप श्रम आयुक्त के यहां पर इस बात का दावा किया कि माल उनके यहां पूर्व से ही गिरवी है अतः कुर्की निरस्त की जाए। किन्तु, उप श्रम आयुक्त ने इसे 17.4.84 के निर्णय के द्वारा गलत ठहराया और 1.9.83 के अपने निर्णय को बहाल रखा। इधर इस फैसले के खिलाफ मिल मालिकों ने उच्च न्यायालय में मिल को स्वयं द्वारा बेचने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.4.85 को आदेश दिया कि मिल मालिक कुर्क शुदा माल को स्टेट बैंक आफ इंडिया के रीजनल आफिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में 60 लाख रुपये में बेचा न रहे। इस पर मिल मालिक तुरंत ही उच्च न्यायालय में रिवीजन में गए। उनका कहना है कि माल 60 लाख के बजाय 26,56,834/- रुपये का है, अतः 60 लाख की पाबन्दी हटायी जाय। इस मिल को चलाने के लिए श्रम विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं आयोजित की गई लेकिन प्रायोजकों ने मिल को चलाने में काफी असमर्थता प्रकट की। नियोजकों ने मिल को चलाने के संबंध में राज्य सरकार को 50 लाख की राशि की मांग की तथा मिल को रिलीफ अण्डरटेकिंग घोषित करने का भी आग्रह किया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयास किए गए विभिन्न आर्थिक संस्थानों, प्रमोटर्स, बैंक के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर बातचीत की गई। दिसम्बर, 84 में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के साथ हुई बात में इस मिल को चलाने के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। जिन शर्तों पर उस बैंक के साथ बातचीत हुई उसमें मिल को पुनः प्रारम्भ करने के लिए एक शर्त यह भी थी कि मिल प्रारम्भ होने से पूर्व प्रबंधकों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच में रेशनलाइजेशन, वेतन तथा बोनस के संबंध में, तथा छटनी के संबंध में सम्मानजनक समझौता सम्पन्न कर लिया जाय। राज्य सरकार ने इस सन्दर्भ में कृष्णा मिल लि. ब्यावर के प्रबन्धकों से आग्रह किया वह विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर एक सम्मानजनक समझौता शीघ्र करने का प्रयास करेंगे ताकि मिल को प्रारम्भ करने के लिए तुरन्त ही सभी आवश्यक कदम उठाये जा सकें। इसके सन्दर्भ में दोनों पक्षों में वार्ता के कई और दौर हुए परन्तु अभी तक कोई भी समझौता सम्पन्न नहीं हो सका है और इसलिए मिल को चलाने के सन्दर्भ में जो निर्णय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया के साथ हुई बैठक दिसम्बर, 84 में लिया गया वह क्रियान्वित नहीं हो सका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णा मिल ब्यावर को चलाने की दृष्टि से

(श्रीमती कमला)

विभिन्न श्रमिक संगठनों इन्टक, एटक, बी. एम. एस. के द्वारा 15.7.85 से 5–5 श्रमिकों की क्रमिक भूख हड़ताल प्रारम्भ की गयी है तथा कोई हल नहीं निकलने की दशा में 23 तारीख को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने का कार्यक्रम भी बनाया गया उनका यह भी आह्वान है कि कि सन्तोषजनक हल नहीं निकलने पर वे इसके बाद राष्ट्रिय मार्ग पर मार्ग रोको अभियान भी प्रारम्भ करेंगे। राज्य सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि श्रम संगठनों तथा प्रबन्धकों के मध्य वेतन, बोनस, छटनी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सम्मानजनक समझौता सम्पन्न हो जाने के उपरान्त मिल को चलाने की कार्यवाही की जा सके। मिल के बंद हो जाने के उपरान्त श्रम विभाग द्वारा इस मिल को चलाने के संबंध में समझौता वार्ता प्रारम्भ की गई थी परन्तु समझौता सम्पन्न न होने के कारण समझौता अधिकारी द्वारा प्रेषित असफल वार्ता प्रतिवेदन पर विचार कर राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियोजन द्वारा लिये गये क्लोजर के विवाद को न्याय निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी दिनांक 8 जुलाई,85 को प्रेषित कर दिया है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाने, बोनस दिलाने की समुचित कार्यवाही समय समय पर की है और श्रमिकों को वेतन का भुगतान निश्चित अवधि में करने के लिए मिल के तैयार माल को कुर्क करने के आदेश भी इसी कारण दिलवाये गये हैं। चूंकि पेमेन्ट आफ वेजेज आथारिटी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका की हुई है अतः उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मिल को चलाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर आर्थिक संस्थाओं तथा बैंकों से समय समय पर वार्ता कर अथक प्रयास किए हैं और परिणामस्वरूप इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इसे चलाने के संबंध मे कुछ आगे कदम भी बढ़ाये हैं किन्तु यह शर्त होने के कारण कि इस प्रकार का समझौता हमको पूर्व में करना आवश्यक है, अभी उनका जो कदम है वह कारगार नहीं हो सका है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए यह प्रयास कर रही है कि दोनों पक्षों के मध्य संबंधित बिन्दुओं पर जल्दी ही कोई समझौता सम्पन्न हो जाय और आई. डी. बी. आई से इसके लिए जो फण्ड मिल कर के मिल को वापस चलाने का एक प्रस्ताव है उसको कारगार ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं इसलिए मैं एक एक को पुकारुंगा। श्री माणक चंद डाणी।

श्री माणक चंद डाणी (ब्यवर) : ब्यावर का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर की कृष्णा मिल के बारे में गत 14 अगस्त, 1983 को बंद कर दी गई। हम जिस रात्रि को भारत की आजादी का स्वप्न देखा करते थे और राज्य में यह सोचा करते थे कि सवेरे तिरंगा झंडा फहराया जायेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं वह रात कैसी थी, काली रात थी उन मजदूरों के लिए, मिल प्रबंधकों ने 14 अगस्त, 1983 क

(श्री माणक चन्द डागा)

बंद कर डाला और उन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। पता नहीं क्यों मजदूरों ने आन्दोलन नहीं किया, वेतन बढ़ा कर नहीं मांगा, बोनस के अन्दर अन्य कोई किसी प्रकार की मांगों को लेकर मांग पत्र पेश नहीं किया, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर क्या परिस्थिति पैदा हो गयी कि वहां के मिल के मालिकों ने उस मिल को बंद कर दिया और मजदूरों को बेरोजगार कर दिया? आज 1500–1600 वहां की लेबर है जो कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र से नहीं अपितु राजस्थान के कई क्षेत्रों से है। उनकी जिन्दगी वहां निकल गयी। उनकी कमाते खाते वहां उनकी पीढ़िया दर पीढ़ियां निकल गयीं लेकिन वे मजदूर आज बेरोजगार हो गये, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र भी नहीं है मकराना एक ऐसा क्षेत्र है जो चट्टानी क्षेत्र है। उन लोगों के पास इस कपड़े की मिल के अलावा और कोई साधन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार को इस बात के लिए आप कहें, मिल चाहे वह अपने हाथ में लें, चाहें वह मालिकों पर दबाव डालें लेकिन इस मिल को चलाने की कार्यवाही करें। मिल तो बन्द हो गयी लेकिन दो ढाई महीनों का पैसा, जो लगभग 25-30 लाख रुपये के आस पास होता है, भी आज तक मजदूरों को वेतन का नहीं मिला। आखिर उन मजदूरों ने क्या गुनाह किया जिन्होंने अपना तन-मन लगा कर उस मिल को चलाया और इस मिल के अन्दर उत्पादन किया। आखिर उनको अपना वेतन क्यों नहीं मिला? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिल चलेगी जब चलेगी, हो सकता है समझौते के अभाव में कुछ समय लग जाये लेकिन उन गरीब मजदूरों, ने जिनको एक वक्त की रोजी-रोटी नसीब नहीं होती, जितना काम किया है कम से कम उनको उतना, तो वेतन दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करें। सरकार ने पूरे प्रयास किए लेकिन दुर्भाग्य है कि मिल मालिकों और मजदूरों की यूनियन के मध्य समझौता नहीं हो पाया। 13-6-85 को हम लोग मुख्य मंत्रीजी से मिले, 17-6-85 को उद्योग सचिव की अध्यक्षता में, वार्ता हुई लेकिन वह वार्ता सफल नहीं हो पायी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में कि इस वार्ता का कोई आधार नहीं है क्योंकि इसके अन्दर इस बात की शर्त लगा दी गयी है कि श्रमिक यूनियन समझौता करे वेतन की नीति पर। श्रमिक यूनियन कभी भी वेतन की नीति पर समझौता नहीं कर सकती। अगर मजदूरों का वेतन जाम हो गया तो मजदूर कहां जायेगे इस महगाई के युग में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा आपसे कि राजस्थान सहायता उपक्रम, विशेष नियम अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जिस प्रकार जयपुर मेटल्स मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा, को सहायता उपक्रम घोषित किया गया है उसी प्रकार से ब्यावर की कृष्णा मिल लि. को सहायता उपक्रम घोषित कर दिया जाना चाहिए ताकि जो समझौता सरकार चाहती है वह हो सके। वहां की मजदूर यूनियन चाहती है कि हम प्राइवेट मिल मालिकों के मेनेजमेंट से ऐसा समझौता नहीं कर सकते इसमे देश में हमारी इज्जत खराब होती है। अगर यही उनकी इज्जत है तो सरकार अपने हाथ में ले।

(श्री माणक चन्द डागा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर वहां के मैनेजमेंट ने एक बात कही कि अगर हम यह समझौता कर लें तो पांच साल के अन्दर अपन लाखों रुपये के फायदे में आ सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस स्कीम को अपने हाथ में ले श्रम प्रतिनिधी मालिकों के समक्ष उद्योग सचिव की अध्यक्षता में यह बात कही है कि सरकार अगर इस मिल को सरकार हाथ में ले तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आई. डी. बी. आई. ने प्रोजेक्ट तैयार करके दिया है उससे मिल फायदे में आ सकती है। सरकार इसे अपने हाथ में लेकर चलाये तो मिल फायदे में जायेगी और मजदूरों की मिल चल जायेगी। मजदूरों को वेतन और बोनस मिल जायेगा। मजदूरों को तनख्वाह मिल जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मात्र इस मिल का सवाल नहीं है आज राजस्थान की तीन मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र के अन्दर कपड़ा निगम बना हुआ है, स्टेट के कार्पोरेशन बने हुए हैं उसी प्रकार राजस्थान के अन्दर राजस्थान कपड़ा निगम बनाया जाय और उस कपड़ा निगम के अन्तर्गत आपकी कृष्णा मिल जयपुर की मिल और मेवाड़ की टैक्सटाइल मिल, इन तीनों मिलों को ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण नहीं। स्पष्टीकरण देना है, जल्दी करें। पाइंट वाइज पाइन्ट दीजिये।

श्री माणक चन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी पर सजेशन दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपड़ा निगम बनाया जाय और कपड़ा निगम बना कर के इस मिल को अपने हाथ में लेकर राजस्थान सरकार चलाये। यदि इस व्यवस्था में दिक्कत आती है राजस्थान सरकार कोई परेशानी महसूस करती है, तो स्पष्टीकरण मांगना चाहती है तो उसको कपड़ा निगम रेफर करे। मजदूरों को वेतन का भुगतान करें। मिल को पहले चलाया जाय फिर समझौता करने की परिस्थिति पैदा करें। आखिर क्या परिस्थितियां हैं क्या नीति है कि यह मिल चालू नहीं हो पा रही है? ऐसी कौनसी बातें हैं जिसके कारण यह मामला अटका हुआ है। नया कपड़ा नीती घोषित हो चुकी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके तहत इस मिल की वायबेलिटी की जांच कर ली जाय कि यह मिल वायबल उद्योग होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उसके कारणों की जांच करें और होता है तो इसको चलायें। क्या जांच करायी जा चुकी है अगर ऐसी जांच करायी जा चुकी है और वायबल यूनिट है तो नयी कपड़ा नीति के अन्तर्गत इसको चलाने की कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में यह वेतन देना तो है परन्तु पहले समझौते का माहोल तैयार होना चाहिए। यह समझौते का माहोल नहीं है। राजस्थान सरकार समझौते का माहोल पैदा करे और एक बात की तैयारी करे कि समझौता करना है या नहीं करना है। यूनियन से भी इस बात की जानकारी ले ली जाय। राजस्थान सरकार ने कहा कि हड़ताल चल रही है, ब्यावर के अन्दर मिल मालिकों के

(श्री मानक चन्द डाणी)

घरों पर आकर श्रमिक भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हैं और 23 तारीख को विधान सभा पर प्रदर्शन है, रास्ता रोको आन्दोलन की तैयारी कर रहे है। बड़ी विचित्र स्थिति है। वहां पर मजदूर भूखों मर रहे हैं, वहां के मजदूर नेता कार्यभार बढाने के लिए तैयार हैं, मिल में छटनी करने को तैयार है, छटनी और सेवानिवृत्ति से जो रिक्त स्थान होगा उसके लिए भी वे मजदूर नेता तैयार हैं कि इसका फायदा मैनेजमेंट को पहुचे, 282 लोगों की छटनी होती है उनमें अगर वह मिल फायदे में आती है तो वहां के नेता छटनी के लिए तैयार हैं। लेकिन यह जो वेतन काम की नीति का प्रश्न है कम से कम उस पर उन्हें विचार करना चाहिये ऐसी व्यवस्था तो ढूंढी जाये जिससे उनको वेतन मिले। क्या ऐसी स्थिति है कि इस समझौते का पालन नहीं हो रहा है या समझौता नहीं हो पा रहा है? नयी व्यवस्था की स्थिति पैदा की है? इसके बारे में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के बारे में की हैं समझौते की उसके आधार पर समझौता हो सकता है उसके बारे में राजस्थान सरकार अध्ययन करे। आई.डी.बी.आई. साढ़े तीन करोड़ की सैंक्शन देने को तैयार है। मैं निश्चित रूप से एक बात के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शासन को सम्भालते ही सबसे पहले इस बात को हाथ में लिया, ब्यावर की कृष्णा मिल के कागजों पर हस्ताक्षर करके इस बात के कागज मुक्त किये और 190 लाख की गारंटी देने की बात कही। इस बात के लिए मुख्य मन्त्रीजी का जितने जोर शोर से आभार प्रकट करना चाहिए वह कम है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जो कार्यवाही की जा सकती थी और आज जो वह मिल चल नहीं पा रही है उसके कारणों को ढूंढे, ऐसी व्यवस्था करें जिससे मिल को चलाया जा सके।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची की समाप्ति हो, तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय से सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यसूची समाप्त होने तक का कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पारित होने तक, आज की कार्यसूची।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्यसूची में सब आ गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि कार्यसूची समाप्ति होने तक।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्यसूची में विधेयकों का पुरःस्थापन होगा और मांगें पारित होंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं समझ गया। लेकिन जो प्रस्ताव रखा है वह यह है कि आज की कार्यसूची समाप्त होने तक....

श्री नत्थीसिंह : कार्यसूची पर विचार विमर्श समाप्त होने तक।

श्री उपाध्यक्ष : आज का विचार-विमर्श समाप्त होने तक के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज कार्य-सूची तभी समाप्त होगी जब कि मांगें पारित होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पारित होने तक के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सूची समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कार्य सूची तब ही समाप्त होगी जब हमारी मांगें पारित होंगी। आज की सूची की मांगें पारित होने तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्रीमती कमला : कार्य-सूची का पारण समझ लें।

श्री नत्थी सिंह : कल्ला साहब को समझायें।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य-सूची का समझ लें। काफी देर हो गयी है अब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब प्रस्ताव तो यह है कि कार्य-सूची में जो कार्य करना है उस पर चर्चा न हो उस समय तक विधान सभा की कार्यवाही चालू रखी जाय। या कार्य-सूची समाप्त होने तक के लिए समय बढ़ाया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : आज का जो बिजनेस है, कार्य सूची है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज जो कार्य-सूची है, आज की कार्य-सूची में मांगों का पारण है....

श्रीमती कमला : आप इस बात को ऐसे समझते हैं क्या, बिजनेस पूरा हो तब तक के लिए? अंग्रेजी में समझते हैं, हिन्दी में नहीं समझते।

श्री शोपत सिंह : माननीय सचेतक महोदय, भोजन का आइटम है या नहीं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : है।

श्रीमती कमला : बिल्कुल भोजन है।

श्री उपाध्यक्ष : आज मावे का सवाल बहुत है।

श्री शोपत सिंह : यह पेट का सवाल है।

शासकीय वक्तव्य

कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर के बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी

श्री रमजान खां (पुष्कर) : ब्यावर की कृष्णा मिल बन्द है उसके लिए कृष्णा मिल के प्रबन्ध संचालक श्री मुकनदास जी राठी को बधाई दिये बगैर नहीं रहूंगा कि उन्होंने मिल बन्द करने की ऐसी तारीख

(श्री रमजान खां)

रखी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसको इस देश का बच्चा-बच्चा भी भूल नहीं सकता है। और वह तारीख रखी 15 अगस्त, 1983 जिस दिन हमारे देश के अन्दर आजादी का पर्व मनाया जा रहा था। लोग खुश हो रहे थे और सेठ राठी ने 1600 परिवारों के घर के अन्दर अन्धेरा कर दिया. उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है।

एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं। कृष्णा मिल प्राइवेट लि. में करीब 2 करोड़ और 14 लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है। 2 करोड़ रुपया तो सरकार की पूंजी लगी हुई है और केवल मात्र 14 लाख रुपया सेठ राठी का लगा हुआ है। 14 लाख की पूंजी उसकी लगी हुई थी। इस 14 लाख की पूंजी के बलबूते पर राठी ने 1600 परिवारों के बच्चों को स्कूल छुड़वा करके होटल के बरतन मंजवाने के लिए मजदूर बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सेठ राठी ने इस 14 लाख की पूंजी की वजह से 1600 परिवारों की औरतों को जंगल में जाकर बलीता बीनकर लाने और बुहारियां बेचने के लिए शहर के अन्दर आने को मजबूर कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी केवल 14 लाख रुपये की पूंजी इसमें लगी हुई है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मिल बन्द होने का कारण क्या है। मिल बन्द होने का एक मुख्य कारण यह है कि सेठ राठी ने धीरे-धीरे इस मिल का अधिकतर मुनाफा हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैला दिया। उस मुनाफे से जगह-जगह राठी भवन बनवा दिये, जगह-जगह राठी की फैक्ट्रियां खोल दीं और धीरे-धीरे यह मिल खोखली होती रही। इस सदन के अन्दर भूतपूर्व विधायक श्री वजारीजी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि सेठ मिल बन्द करने वाला है। परन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस सेठ ने मई-जून, जुलाई तीन महीने के अन्दर कम से कम 70 लाख का माल निकालकर बाहर बेच दिया उसका आज भी हिसाब नहीं है। न मजदूरों को तनख्वाह दी गयी, न एक्साइज ड्यूटी दी गयी और न आर.एस.ई.बी. का भुगतान किया गया है। उस माल का क्या हुआ. उपाध्यक्ष महोदय, इसका आज तक पता नहीं चला। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि करीबन ढाई महीने की मजदूरों की तनख्वाह, एक साल का बोनस और ग्रेचुएटी का पैसा, ऊपर आर.एफ.सी. का लोन, ई.एस.आई. का लोन, प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा, आर.एस.ई.बी. का पैसा सेठ के ऊपर बकाया है। सेठ पैसे को हजम कर गया और उस सेठ के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं की गयी, यह बड़े अचम्भे की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी 50 लाख का माल पड़ा हुआ है उसको स्टेट बैंक के अ सीज करवा दिया गया है जब कि होना तो यह चाहिये था ढाई महीने की गरीबों की तनख्वाह का उस माल को बेचकर के गरीबों को पेमेंट करते गरीबों की ढाई महीने की तनख्वाह दी जानी चाहिए उसके बाद बैंक को सीज करना चाहिए। बैंक को

(श्री रमजान खां)

सुपुर्द नहीं करके आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस माल को तुरन्त बेचे, गरीबों के बच्चे, भूखे-प्यासे तड़फ रहे हैं उनको ढाई महीने की बकाया तनख्वाह चुकायी जाय। अभी ब्यावर से आने वाले विधायक बात कह रहे थे कि कुछ समझौता हुआ। कुछ शर्तें तय हुई उस के अन्दर सेठ की तरफ से कुछ शर्तें आयीं.....

श्री शोपत सिंह : सेठ को मना रहे हैं।

श्री रमजान खां : वेतन जाम कर दिया जाय। मई, 85 के अन्दर जो वेतन कर्मचारी को दिया जाता था वह दिया जाय और मुनाफे के आधार पर वेतन दिया जाय। मैं अब आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि, क्या इस मिल को सरकार ने सेठ के हवाले कर दिया है?

सेठ के हवाले छोड़ दिया तो वह क्या आपको 100% के करीब मुनाफा बतायेगा? जब मुनाफा नहीं बतायेगा तो कैसे तो कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, कैसे यह बडी वेतन के जाम की बात कर रहे हैं? यह अफसोसजनक बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, शर्तें तो 20-21 हैं, उसको मैं यहां पर बोलूंगा तो एक घंटा लग जायेगा, मुख्य शर्त को दोहराना चाहता हूं सेठ ने उस समझौते के अन्दर एक शर्त न्यूनतम मजदूरी की रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी जो नया-नया सीखेगा उसको तो तीन-महीने तक 7.50 रुपये दी जायेगी और सीख लेने के बाद 9 रुपये दी जायेगी। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जो न्यूनतम मजदूरी है वह 7.50 रुपये और 9 रुपये है क्या? इसकी भी अवहेलना कर रहा सेठ। आज की न्यूनतम मजदूरी 11 रुपये है। 11 रुपये देने की मांग आपने इसमें किसी भी शर्त के अन्दर नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, और एक सबसे बड़ी मजेदार बात यह हुई कि शर्तों के बारे में मिल के अन्दर बैठ करके लेबर यूनियन के नेताओं के साथ सेठ के मुनीम ने बात की और जब लेबर यूनियन को यहाँ मुख्य मंत्री-जी ने बुलाया तो सेठ जी के मुनीम ने जो शर्तें रखी थीं, उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर के विधायक महोदय मुख्य मन्त्रीजी की तारीफ कर रहे थे मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं शर्तों को मुख्य मंत्री ने दोहरा दिया। वही 7.50 रुपये न्यूनतम मजदूरी 9 रुपये न्यूनतम मजदूरी की शर्त मुख्य मंत्री जी ने दुहरा दी। इससे बढ़करके मजदूरों के ऊपर और क्या अत्याचार हो सकता है। यह सरकार किस तरह से इस मिल को चालू करना चाहती है, मेरी तो समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं....

श्री माणक चन्द डाणी : मुख्य मंत्री जी तो समझौता ही करना चाहते थे, रमजान साहब....

श्री रमजान खां : 8-9-83 को मजदूर विधान सभा में आये, श्रम मंत्री जी से मिले और श्रम मंत्री जी, जो आज हमारे अध्यक्ष

(श्री रमजान खां)

हैं, हीरालालजी देवपुराजी, यह कहा था कि यह मिल बीमार नहीं है यह मिल घाटे की मिल नहीं है, इस मिल को यह सेठ आराम से चला सकता है। उन्होंने यह वादा किया था मजदूरों के साथ लिखित में वादा किया था, अखबार मेरे पास है, कि एक महीने के अन्दर वह सेठ मिल को नहीं चलायेगा तो सरकार उस मिल को चला देगी। वह वादा कहां गया ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 9-9-83 को ब्यावर के एस. डी. एम. कोर्ट के अन्दर बैठ करके जिलाधीश महोदय, अजमेर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई वहां पर सेठ मुकुन दास राठी को बुलाया गया, सब श्रमिक नेता भी इकट्ठे हुए और उनके दस्तखत लिये गये, उन्होंने दस्तखत किये, उस समझौते के ऊपर कि मैं एक महीने के अन्दर वेतन चुका दूंगा। उस समझौते का, उपाध्यक्ष महोदय क्या हुआ ?

मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय उपायुक्त हमारे अजमेर के हैं, श्रम विभाग के, उन्होंने 24-9-83 को जो फैसला दिया उस फैसले में कहा गया कि एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर सेठ को वेतन चुका देना चाहिये। उस फैसले का क्या हुआ ? इतनी बातें होते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, सेठ साहब ने किसी भी बात की परवाह नहीं की। न सरकार के श्रम मंत्री जी की बात मानी, न जिलाधीश की बात मानी, न अदालत की बात मानी। तीनों बातों को न मान करके आज भी वह सेठ एयर कंडीशन के अन्दर बैठा हुआ है और उन 1600 परिवारों के घर के अन्दर अन्धेरा है। इसका कौन जिम्मेदार है, यह मैं पूछना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिविल लायबिलिटीज एक्ट के तहत, क्रिमनल लायबिलिटीज एक्ट के तहत सेठ के ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिये। सेठ को फर्जी ठहराना चाहिये। सेठ को कठघरे में खड़ा करना चाहिये। सेठ की 14 लाख के आधार पर 1600 परिवारों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले करके इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोविडेंट फंड का रुपया कहां गया, इसका कुछ पता नहीं। बम्बई के अन्दर इसी हमारी केन्द्रीय सरकार ने 13 बीमार मिलों का राष्ट्रीयकरण करके उन मिलों को एन. टी. सी. के मार्फत चालू कराया है और यहां जयपुर के अन्दर जयपुर मैटल, जयपुर उद्योग को एन. टी. सी. के माध्यम से चलाया है, गत महीने में महाराष्ट्र की 22 बीमार मिलों को एन. टी. सी. के तहत लेने की केन्द्र सरकार ने घोषणा की है, उपाध्यक्ष महोदय, तो ब्यावर की कृष्णा मिल को यह सरकार केन्द्र के ऊपर दबाव डालकर एन. टी. सी. के माध्यम से नहीं चला सकती, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय एक और निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे विधायक महोदय यह कह रहे थे कि ब्यावर के अन्दर हड़ताल चल रही है, 23 तारीख को वहां पर धरना भी दिया जायेगा और धरने का कोई परिणाम नहीं निकला तो वहां तक नौबत आ जायेगी कि रास्ता रोको आन्दोलन हो जायेगा। इसमें राजनैतिक बात नहीं आयेगी, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कांग्रेस

(श्री रमजान खां)

और जनता पार्टी सब मिलकर रास्ता रोको आन्दोलन में हिस्सा लेंगे और अजमेर का हर विधायक उस आंदोलन में मरने के लिये तैयार खड़ा हो जायेगा और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, मैं आपको यह चेता देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं फिर मत कहना कि हमको चेताया नहीं, लॉ एण्ड आर्डर डिस्टर्ब हो गया। यहां पर राजनैतिक आधार नहीं चलेगा। यहां पर मजदूर का क्या हक है इसके प्रति बताना पड़ेगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह। माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : मेरे पास भी एक टेलीग्राम आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने पहले दिया....

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सबसे पुरानी कृष्णा मिल, जो 1889 में एस्टेब्लिश हुई थी, पिछले करीब दो वर्षों से बन्द पड़ी है। मजदूरों ने एक ज्ञापन दिया है कि अगर उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 26 तारीख से रास्ता रोको आन्दोलन प्रारंभ करेंगे। इस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिये हमें अभी से कारगर कदम उठाना चाहिये। यह विचार का विषय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मिल किस प्रकार से बन्द हुई। इस मिल के बन्द होने का एक आर्थिक कारण था, एक व्यापारिक कारण था उस प्राफिट को डाइवर्ट कर दिया अपने दूसरे वेंचर्स के लिये। इस मिल मालिक ने ब्यावर में एक जूता फैक्ट्री खोल दी, दिल्ली में एक जूता फैक्ट्री खोली और बम्बई के अन्दर कई नये व्यापार शुरू कर दिये। मजदूरों ने इस मिल को बन्द होने से रोकने के लिये भरपूर सहयोग किया। उन्होंने यहां तक किया कि 82-83 में समय समय पर वर्क लोड के कारण ओवर टाइम आदमी भी कम किये। इस मिल को बन्द होने में, उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों का कोई भी दोष नहीं है। 1983 में जब यह मिल बन्द हो गई थी उस समय न तो उनका कोई मांग पत्र था, न उनकी तरफ से कोई हड़ताल थी और न ही उनकी तरफ से कोई झगड़ा था। मिल मालिक ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस मिल को बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को जो बकाया राशि है वह भी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों की करीब दो करोड़ की राशि बकाया है। उनकी तनख्वाह के 30 लाख रुपये, बोनस के 17 लाख रुपये, ग्रेचुएटी के करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये और क्लोजर के करीबन 30 लाख रुपये बकाया हैं इस प्रकार करीबन दो करोड़ रुपये मजदूरों के बकाया हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले केन्द्रीय मंत्री माननीय चन्द्रशेखरजी ने अहमदाबाद में यह घोषणा की थी कि वहां की कुछ मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। अहमदाबाद की वे मिल्स सिक मिल्स डिक्लेयर हैं लेकिन यह कृष्णा मिल टेक्निकली सिक मिल डिक्लेयर्ड नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री लक्ष्मण सिंह)

चाहूंगा कि एक जांच कमेटी बैठायी जाय जो यह निर्णय करे कि क्या वास्तव में यह सिक मिल है या नहीं है। अगर सिक है तो किस के कारण से है? क्या यह मजदूरों की इनएफिशिएंसी के कारण से मिल बन्द हुई है? अगर मजदूरों का इसके अन्दर कोई दोष नहीं पाया जाता है तो इसकी सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि 14 अगस्त, 83 को मिल मालिक ने जो नोटिस दिया था मिल को बन्द करने का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ग्रेचुएटी एक्ट के अन्तर्गत ग्रेचुएटी, वेतन, सवेतनिक अवकाश का वेतन तथा कानून के अन्तर्गत देय राशि जो कि मिल का कार्य को बन्द कर देने से देय होती है उसे मजदूर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। लेकिन इस नोटिस देने के बाद में मिल मालिक की नीयत में परिवर्तन आ गया अब माननीय मन्त्री महोदया ने जो सम्मानजनक समझौते की बात कही, उस सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने के लिये मिल मालिकों ने जो शर्तें रखी हैं वे सबसे असम्मानजनक शर्तें हैं। अगर उन शर्तों का पालन किया जाय तो हमें वापस 19वीं या 18वीं शताब्दी की याद आ जायेगी जब मजदूरों का भरपूर शोषण हुआ करता था। मैं आपसे निवेदन करूं उनमें एक शर्त है कि 5 वर्ष के लिये मजदूर वेतन, महंगाई भत्ता, आदि पर रोक लगायेंगे। एक शर्त है कि तीन वर्ष के लिये बोनस अदायगी पर रोक लगेगी। कुछ विभागों की समाप्ति भी करने की एक शर्त मिल मालिक ने लगायी है। एक प्रमुख शर्त है, उत्पादन को वेतन से जोड़ने की बात कही गयी है। इसके साथ-साथ कुछ विभागों को ठेके पर भी चलाने की बात कही गयी है और सबमें जो निम्न स्तर की शर्त है वह यह है, जो मजदूर रखा जायेगा उनको प्रथम तीन माह की अवधि में 7.50 रुपये दैनिक तनख्वाह होगी और तीन माह के पश्चात् 9 रुपये तनख्वाह होगी। तो इस प्रकार की सबसे असम्मानजनक शर्त रखने वाले मिल मालिक के साथ में किस प्रकार सम्मानजनक तरीके से समझौता हो सकता है.

(5.00 म.प.)

यह विचारणीय बात है। आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी बैठा कर इस मिल को चलाने या अण्डरटेकिंग एक्ट के तहत अपने अधीन लेकर चलाने पर गम्भीरता से विचार करे क्योंकि यह मिल ब्यावर की लाइफ लाइन है। इसमें 1600 मजदूर ही नहीं हैं प्रत्यक्ष रूप से करीब-करीब ब्यावर का व्यापार इस मिल के ऊपर आधारित रहता है। किसी भी प्रकार इस मिल को सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : 15 अगस्त,

(श्री हीरासिंह चौहान)

1983 को यह मिल बन्द हुई। अगर सरकार थोड़ी बहुत भी संवेदनशील होती....

श्रीमती कमला : 15.10 को हुई है। 10वां महीना अगस्त नहीं होता।

श्री हीरासिंह चौहान : अगस्त ही बोला हूं।

श्रीमती कमला : अगस्त नहीं होता, 10वां महीना अगस्त नहीं होता। आठवां महीना होता है।

श्री हीरासिंह चौहान : पिछले 23 महीने से यह मिल बन्द पड़ी है। इस मिल में कम से कम 16 हजार मजदूर हैं....

श्री माणक चन्द डाणी : यह 15 अगस्त है।

श्रीमती कमला : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया उसका स्पष्टीकरण वह कर देंगी उसमें डेट का फर्क है तो। बन्द है बस।

श्रीमती कमला : आपने बराबर देखा है, मैंने इसको वेरिफाई किया है। उन्होंने कहा है, नहीं, यह 10वां महीना है।

श्री माणक चन्द डाणी : माननीय मन्त्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 14 अगस्त को मिल बन्द हुई। उसका नोटिस लगा है। 15 अगस्त के बाद मिल में एक दिन भी काम नहीं हुआ।

श्रीमती कमला : आपने जो कागज दिखाये थे उसके बाद ही मैंने कन्फर्म किया है कि वह 15-10 है।

श्री माणक चन्द डाणी : तो उन अधिकारियों को तुरन्त सस्पेण्ड करें जिन्होंने आपको गलत सूचना दी है।

श्री रमजान खां : 15 अगस्त को मिल बन्द हुई है। यह नोटिस की सर्टिफाइड कॉपी है....

श्रीमती कमला : मैंने आपको जो कहा, 15 अगस्त को नोटिस कर दिया है। दो महीने का समय नोटिस के बाद बन्द होने में लगता है। इसलिये 15-10 का दिन है।

श्री रमजान खां : यह नोटिस है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। सबसे पहले नोटिस दिया गया....

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 14 अगस्त, 1983 को नोटिस दिया गया था। 14.10.83 को मिल बन्द हुई है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन कर रहा था कि 23 महीने से यह मिल बन्द है और 16 हजार मजदूर बेरोजगार पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार थोड़ी बहुत भी संवेदनशील होती मजदूरों के प्रति....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : तो 23

(श्री हीरासिंह चौहान)

महीने बीत गये, 23 महीने में इस मिल को चालू कराने के लिये सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये और सेठ राठी की हठधर्मिता के पीछे राजस्थान सरकार डूब रही है। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष हीरालाल जी देवपुरा जब श्रम मन्त्री थे तब के उनके स्टेटमेंट की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्रम मन्त्री हीरालाल जी देवपुरा ने कहा कि राजस्थान सरकार ब्यावर की कृष्णा मिल को शीघ्र चालू कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इन प्रयत्नों के बावजूद अगर मिल मालिक ने मिल चालू नहीं की तो सरकार इसे अपने नियन्त्रण में ले लेगी अथवा एन. टी. सी. के माध्यम से चलायेगी। आगे मैं और निवेदन करना चाहता हूं, देवपुरा जी ने स्पष्ट किया, राज्य सरकार 50 लाख की गारण्टी देने को तैयार है, मिल से सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त वित्त देने को तैयार है। इन सब साधनों के बावजूद अगर मिल मालिक नहीं चलाता है तो नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन इस मिल को चलायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह एक साल पहले का राजस्थान सरकार के श्रम मन्त्री का स्टेटमेंट है, राजस्थान सरकार के श्रम मन्त्रीजी की इस प्रकार की व्यवस्था है लेकिन पिछले 23 महीनों से इस प्रकार की व्यवस्था के बाद भी मिल बन्द पड़ी है। अगर सरकार थोड़ी बहुत भी संवेदनशील होती और श्रमिकों के प्रति थोड़ी बहुत जागरूक होती तो 16 हजार परिवार, जैसा मेरे भाई रमजान ने कहा कि 16 हजार परिवार बिलकुल बेकार हो गये, उनको खाने-कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्रीमती कमला : 1600।

श्री हीरासिंह चौहान : 1600। सॉरी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस मिल को शीघ्र चालू कराने के लिए सरकार सेठ पर दबाव डाले या इस मिल को अपने नियन्त्रण में ले ले। किसी प्रकार भी इस मिल को चालू करना चाहिये। 23 माह से जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, राठी सेठ किसी प्रकार भी इस मिल को चलाने के प्रति कोई चिन्ता व्यक्त नहीं कर रहा है। वह चलाना ही नहीं चाहता। जिसो शर्त मिल मालिक ने रखी है उसके अनुसार कम से कम पांच साल तक वही वेतन दिया जायेगा जो 1983 में दिया गया है। आगे के इण्डेक्स के बारे में भी कहा गया है, उदाहरण के तौर पर कि 1983 में जो वेतन मिलता है, इण्डेक्स 300 पाइन्ट से 400 पाइन्ट हो जायेगा लेकिन 300 से 400 देगा नहीं वह 325 पाइन्ट मानेगा। अतः पांच साल का जितना महंगाई का इण्डेक्स बढ़ता है उसके अनुसार किसी प्रकार का मजदूरों को फायदा नहीं देना चाहता।

इसी प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं, दूसरी शर्त यह है, एक तो प्रिन्टिंग वाला विभाग और दूसरा मशीनरी वाला विभाग मिला दिया जाय। मिलाने के बाद जो सरप्लस मजदूर होते हैं उसमें सरप्लस मजदूरों की नौकरी लगे या नहीं, मिल में रहें या नहीं उसके प्रति सेठ की कोई चिन्ता नहीं। जबकि यूनियन का यह कहना है कि किसी प्रकार से यह मिल चालू रहनी चाहिये

(श्री हीरासिंह चौहान)

जितने भी मजदूर हैं, सभी इसमें कार्यरत होने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो मिल बन्द की गयी है, सेठ ने अपनी मर्जी से बन्द की है। इस मिल की हालत न खराब थी, न मिल बीमार थी। सभी प्रकार से व्यवस्थित मिल थी लेकिन सेठ ने यह तय कर लिया कि इस मिल को नहीं चलाना है। नहीं चलाने के कारण इन्होंने घाटा बताकर गलत प्रकार से इस मिल को बन्द किया। मेरा तो आप से यही निवेदन है कि सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। इस मिल को शीघ्र चालू कराने के लिए कोई दबाव डालना चाहिये या अपने नियन्त्रण में लेना चाहिये ताकि यह मिल शीघ्र चालू हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन सिंह।

(अनुपस्थित)

लैफ्टिनेण्ट कर्नल प्रताप सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मदनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री बिहारी लालजी पारीक।

श्री बिहारीलाल पारीक : किस पर? इस पर?

श्री उपाध्यक्ष : आपका 127 में नोटिस है शायद। आपका 127 में नोटिस है इस पर।

श्रीमती कमला : इस में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है? नहीं है तो रहने दीजिये। सॉरी बिहारी लाल जी, बिराजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : एक मिनट में कह देता हूं यह बात।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में चिन्ताजनक बात है। जितनी भी बड़ी मिल हैं इनके जो उद्योगपति है उनको दरअसल जब जनता सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और अब उसी लकीर पर हम चल रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, ब्यावर की स्थिति मैं खुद नजदीक से जानता हूं। इसका कारण है। मेरा इन कई करोड़पतियों से सम्बन्ध रहा है। एक हजार आदमियों का जब तक खून नहीं पीते तब तक लखपति नहीं बनते। और लखपति जब बनते हैं....

श्री शोपत सिंह : आपका सम्बन्ध कैसे रहा? चौकीदारी किया है क्या, क्या है?

श्री बिहारीलाल पारीक : शोपत सिंह जी, मैं आपको अकल मानता हूं, काहे को विघ्न डालते हो। करोड़पति जब खून पीते हैं तो आपको विरोध करना चाहिये। माननीय सदस्य उधर वाले और हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे आप उस समय भी विघ्न डाल रहे थे। आपको तो दया आनी चाहिए। कितने करोड़पति खून पीते हैं और हम यहां विधान सभा में बैठकर विरोध किया करते हैं....

श्री शोपत सिंह : क्या आपको आनी चाहिये, हम तो कह रहे हैं।

श्री बिहारी लाल पारीक : हमारा समय नष्ट नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्य, बड़े बुजुर्ग हैं मेरे।

जनता पार्टी का राज आने के बाद इन उद्योगपतियों ने ज्यादा शोषण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यावर की बात मैं ज्यादा जानता हूं। कृष्णा मिल उस समय पनप रही थी। क्यों पनप रही थी? मजदूरों की यूनियन वाले लोग और जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि यह उद्योग चले। नहीं चलने में कई बातें आ गयीं। मैं राज की बातें कह रहा हूं, शोपत सिंहजी साहब, यह यूनियन वाले अपनी छाया में मजदूरों को भड़काना चाहते हैं कि हमारा झण्डा कमजोर नहीं पड़ जाय। यह चाहते हैं कि कांग्रेस का राज है, कहीं कांग्रेस वालों से इन गरीबों का भला नहीं हो जाय। यूनियन वाले नहीं चाहते कि इन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिले। मजदूरों का शोषण यूनियनें कराती हैं। यूनियन की लीडर गलत है। उसको बन्द करना चाहिए। पहले हमारे जोशी साहब मुख्य मन्त्री थे। मेरा ऐसे करोड़पतियों से पाला पड़ा है। समझ लीजिए आप, मैंने कहा कि यह किस तरह से स्ट्राइक कराते हैं। काम चल रहा है, 25 आदमी बाहर होते हैं और कहते हैं कि हजार आदमी बाहर है। जबकि 25 बदमाश होते हैं जो इस उद्योग को चलाने नहीं देना चाहते।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना क्या चाहते हैं यह? कृष्णा मिल के बारे में क्या कहना है आपका, आप वह कहिये।...

श्री बिहारीलाल पारीक : आप उपाध्यक्ष जी से पूछिये। मैं तो उन से निवेदन कर रहा हूं, आप से नहीं। उपाध्यक्षजी की तरफ करके बोलिये कि क्या कहना चाहते हैं। आप से ज्यादा चिन्ता मुझे है।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो भावना व्यक्त कर रहे हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णा मिल की हालत खराब है। जब सरकार की भावना ऐसी कि जितने भी मजदूर हैं उनका हिस्सा इसमें होना चाहिये, हमारी सरकार उनका हिस्सा रखना चाहती है तो निश्चित तरीके से हिस्सा रखें। मजदूर काम नहीं करना चाहते, इसलिये हम चाहते हैं, हमारा सुझाव है निश्चित तरीके से जो गरीब मजदूर गलत रास्ते पर चले गये हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाय और कृष्णा मिल को चलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक टेलीग्राम आया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपको सूचना दे दूं। इस टेलीग्राम में मजदूरों ने जो फैसला किया है। माननीय मंत्री महोदया ने बताया पर मुझे हैरानी इस बात की है कि 2 साल से 16 सौ मजदूर बेकार हैं, परेशान हैं। आप उनके लिये 20 सूत्री प्रोग्राम भी चालू कर देती

(श्री शोपतसिंह)

तो भी शुक्र की बात थी। न आपने उनको तनख्वाह दिलवाई, न आपने उनको ग्रेचुएटी दिलवाई, न आपने उनको बोनस दिलवाया और जो भी बकाया थी वह आपने नहीं दिलवाई। अगर आपकी हिम्मत यह नहीं थी कि सेठ को काबू में कर सकें तो कम से कम बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर, गरीबी की रेखा के नीचे वाले कार्यक्रम के अन्दर जो बेकार हो गये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उन बन्धुआ मजदूरों को ...

श्री मनिकचन्द डाणी : आपकी यूनियन नहीं चलने देती। आपके वहां पर 5 आदमी तो हैं नहीं और आप यहां पर यह बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : आप बन्धुआ मजदूरों की बात करते हैं, उनको मुक्ति दिलवाने की बात करते हैं। और जिस सेठ ने इन सबको बेकार कर दिया, इनको हटा दिया, इनकी जिन्दगी बरबाद कर दी उस सेठ के खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। आपको उस सेठ को जेल में डालना चाहिये। आप इस बात की कोशिश में हैं कि दुबारा सेठ इस मिल को चलाये। अगर आप गलत शर्तों पर इस मिल को चलायेंगे तो उन गरीबों को फिर बरबाद करेंगे। अगर आप सेठ को जेल दे देंगे और कारखाना चलायेंगे तो यह बात आपके हित में है, मेरे हित में नहीं है यह बात। आप जो कहते हैं उसको कुछ करके भी दिखावे। सारे दिन बार बार समाजवाद की, गरीबों की, हरिजनों को, छप्पर वालों की सब की बातें कर जावें और करें कुछ नहीं। उल्टा सेठ उन लोगों को वेदखल करने के लिये नोटिस दे रहा है....

श्री मानिकचन्द डाणी : शोपत सिंह जी, उस करोड़पति सेठ को जेल में डालने से मिल नहीं चलेगी, मिल तो चलाने से चलेगी। आप अपनी यूनियन वालों को समझायें....

श्री शोपत सिंह : महरबानी करके आप चलायें, आप लीडर हैं वहां के। हम तो आपसे कह रहे हैं कि वह चाहे किसी पार्टी के मजदूर हों, उन मजदूरों को बचायें और उस सेठ को जेल भिजवायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रवीण व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, माननीय सदस्य।

श्री प्रणवीर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल मिल काफी अरसे से बन्द पड़ी हुई है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसको अभी गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग घोषित किया है लेकिन फिर भी जो समस्यायें सामने आ रही हैं उन सबसे मैं अवगत हूं। मैं उस बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं कह कर सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री प्रणवीर व्यास)

क्या सरकार राजस्थान के अन्दर टैक्सटाइल कारपोरेशन बनाने के पक्ष में है? क्या सरकार यह चाहती है कि टैक्सटाइल उद्योग जो राजस्थान के अन्दर एक तरह से चरमरा रहे हैं, जिनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, भीलवाड़ा की टैक्सटाइल मिलें ब्यावर की कृष्णा मिल, जयपुर स्पिनिंग मिल और इसी तरह से और दूसरे टैक्सटाइल उद्योगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, आये दिन वहां पर इस तरह की बातें होती रहती हैं, उनके बारे में ऐसा निर्णय लेगी कि राजस्थान के अन्दर टैक्सटाइल उद्योग का आगे क्या भविष्य होगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये एक टैक्सटाइल कारपोरेशन अलग से बनाया जाय। जैसा कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है इस ढंग का कोई प्रावधान सरकार के पास है और सरकार इस समस्या का हल चाहती है तो इसका स्पष्टीकरण किया जाय। वरना मजदूर जो बेकार हुये है वह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत से टैक्सटाइल उद्योग बन्द होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि आपकी गवर्नमेन्ट समाजवाद की बात करती है, यह करती है वह करती है लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यह सरकार प्रजातांत्रिक सरकार है, यह सरकार समाजवादी उसूलों—

श्री शोपत सिंह : सेठों की सरकार है।

श्रीमती कमला : समाजवादी उसूलों को मानने वाली सरकार है लेकिन यह सरकार जो है....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : सेठों की सरकार है।

श्रीमती कमला : आप बोल लीजिये। बीच में बोलने के लिये....

श्री शोपत सिंह : यह भाषण की बात नहीं है। आप यह बतायें....

श्रीमती कमला : यह कोई तरीका नहीं है....

(व्यवधान)

एक सैकिण्ड हुआ नहीं और बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। तो बोल लीजिये आप। आपको समय दिया गया, दो घन्टे बोलें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अपनी बात कह दी। माननीय सदस्य कृपया....

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द डांगी : यह प्रजातांत्रिक सरकार नहीं होती, तो आप यहां पर कैसे आते?

श्रीमती कमला : भाई, सुनने का कष्ट करें।

श्री शोपत सिंह : प्रजातंत्र और समाजवाद की बात करने का यहां कोई मतलब नहीं है। आप विषयान्तर हो रही हैं। यह बतायें कि आप कहना क्या चाहती हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : आप जो बोलेंगे उसका जवाब नहीं देवें क्या ?

श्री शोपत सिंह : आप विषयान्तर हो रही हैं।

श्रीमती कमला : कैसे विषयान्तर हो रही हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री शोपत सिंह : Come to the point.

श्रीमती कमला : आप सुनने की चेष्टा ही नहीं करते, बता रही हूं सुनेंगे तब तो....

एक माननीय सदस्य : अगर यह प्रजातांत्रिक सरकार नहीं होती तो आप लोग चुन कर यहां पर कैसे आते....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बिना इजाजत के कुछ भी बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं और हम रेलेवन्ट बात भी नहीं बोलें।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हमको अधिकार है।

श्रीमती कमला : हमको भी अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य आपको बोलने का अधिकार है तो हमको भी बोलने का अधिकार है, जवाब देने का अधिकार है। उसको सुनने का आपका भी तो कर्तव्य होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब उत्तर आ रहा है तब बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रही हूं कि यह सरकार प्रजातांत्रिक सरकार भी है और समाजवादी उसूलों को मानने वाली सरकार भी है लेकिन यह सरकार कानून से चलने वाली सरकार भी है। यह मर्जी आये जिसको पकड़ कर जेल में डाल दे, मरजी आये जिसको पकड़ कर फांसी लगा दे कानून के विपरीत कार्य करने की बात का इसके अन्दर प्रावधान नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसका यह जवाब भी मैंने दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें इस संदर्भ में उठाई। एक तो यह कि अगर मिल मालिक कोई समझौता नहीं करना चाहता और उस मिल को वापस चलाना नहीं चाहता तो सरकार उसको सिक यूनिक डिक्लेयर करके रिलीफ अण्डरटेकिंग के आधार पर क्यों नहीं ले लेती। मैं कहना चाहती हूं कि इस मिल के अन्दर सरकार का कोई फाइनेन्स इन्वाल्व नहीं है इसलिये सरकार रिलीफ अण्डरटेकिंग में लेने के लिये या सिक अन्डरटेकिंग डिक्लेयर करने के लिये कोई प्रावधान इसमें डाल नहीं सकती।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने यह कही है कि इसको राष्ट्रीय कपड़ा मिल में दे दिया जाय। हमने इस बारे में कोशिश भी

(श्रीमती कमला)

की, बात-चीत भी की और लिखा-पढ़ी भी की लेकिन भारत सरकार की पिछले कुछ वर्षों से यह नीति है कि कोई भी सिक यूनिट को इस प्रकार से राष्ट्रीय कपड़ा मिल में देने के लिये इजाजत नहीं देती। जहां तक स्टेट गवर्नमेन्ट इसको टेकग्रोवर करे और स्टेट गवर्नमेन्ट इसको चलाये, उसके लिये कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तो जरूर कुछ यूनिट्स टेक ग्रोवर करती है। इस सिक यूनिट को लेने के लिये पिछले ग्ररसे में भी भारत सरकार से इस मुद्दे पर भी काफी कुछ रिजर्वेशन टेक हुआ है और कुछ स्टेट का लिया भी है तो उनका अलग केस बना करके किन आधारों पर लिया है, यह मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं है लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भारत सरकार इस प्रकार की यूनिट्स स्वयं अनायास सहज में लेने के लिये कोई प्रोग्राम नहीं रखती है। दो-तीन मुद्दे हैं जिनके कारण हम यह सोचते हैं कि तुरत-फुरत कुछ न कुछ इसका हल निकाला जा सकता है, हमें ऐसा कर लेना चाहिये, यह कर लेना चाहिये यह जो कुछ भी फैक्ट्स हैं वह सरकार के सामने हैं और सरकार को भी जानकारी है लेकिन इसमें सरकार की असमर्थता है इसलिये उसको नहीं कर पाते। जहां तक सरकार ने क्या किया, और क्या नहीं करना चाहती, मुखों मार दिया, इस सदर्भ में जो मैंने पहले कहा, उसके लिए याद दिलाना चाहती हूं और उसके बाद यह भी कहना चाहती हूं अभी जो ग्राई. डी. बी. ग्राई. के साथ बात-चीत हुई है उसमें राज्य सरकार से जो कुछ भी मदद वांछित हो सकती थी उनकी बिजली की कटौती नहीं की जायेगी, जो ड्यूज हैं उनको डेफर किया जायेगा, उनका इन्ट्रेस्ट, सरचार्ज वगैरह वेव किया जायेगा या कुछ गारन्टी देने का जितनी भी बात गवर्नमेन्ट की अपनी तरफ से हो सकती है और देने का ऑफर है। लेकिन कुछ कदम गवर्नमेन्ट ने उठाये हैं एक यह है कि मुकदमे के जरिये से आज उनके माल को सील करा हुआ है और यह कोशिश की जा रही है कि उसके माध्यम से मजदूरों को भुगतान करने की व्यवस्था की जाय। क्योंकि वह अदालत में गये हुए हैं इसलिए इसका फैसला होने से पहले इसको करना सम्भव नहीं है। जो कुछ भी स्थिति है और जो कुछ भी किया जा सकता है, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से मिल मालिकों को प्रेशराइज करके श्रम संगठनों के साथ में उनका समझौता करायें और जो ग्राई. डी. बी. ग्राई. इसको चलाने के लिए अपनी मदद ऑफर कर रही है उसको लें और सरकार उसमें जो कुछ सहयोग दे सकती है वह दे और उसके बाद में मिल को चलाने के लिए कोशिश की जाय। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिलहाल में तुरन्त कोई कार्यवाही, जो सम्भव है, दृष्टिगत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। क्या मन्त्री महोदया यह बतायेंगी कि मिल मालिकों के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और उस कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में क्या गवर्नमेन्ट ने कभी विचार किया?

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो जो सूचना माननीय मन्त्री महोदया ने दी है कि राजस्थान में इन मिलों को अण्डरटेक करें, ऐसा कोई कानून नहीं है, यह सूचना अपनी आथारिटी से बता रही हैं या आपके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इण्डस्ट्रीज सैक्रेटरी या लॉ सैक्रेटरी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो सिक मिल हैं उनको रिलीफ अण्डरटेकिंग के तौर पर अधिग्रहण करने का कोई कानून नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका सचिवालय भी आपको यही कह रहा है कि कोई कानून नहीं है?

श्रीमती कमला : मैंने दो बातें कही। एक बात तो यह कही सिक यूनिट डिक्लेयर करने के लिए जो मुझे बताया दो-तीन बार कन्फर्म करने के बाद में कि जिस यूनिट में गवर्नमेंट के फण्ड्स इन्वाल्व होते हैं उनको हम सिक यूनिट डिक्लेयर कर सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट टेकओवर करे, गवर्नमेंट तभी टेकओवर कर सकती है जब उनकी असेट्स एण्ड लायबिलिटीज असेस करके यह सोच सके कि वह इसको लेना चाहती है, कितना घाटा है कितना मिल सकता है और फिर अधिकृत भी है या नहीं। जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टेक ओवर करने के लिए अधिकृत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया जरूर है जो अपनी पालिसी के तहत इस वक्त में नहीं ले रही है।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से कहना चाहूंगा रिलीफ अण्डरटेकिंग में कोई भी फैक्ट्री

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचंद सुराणा : कोई भी मिल ली जा सकती है। आपको कानूनी अधिकार है चाहे राज्य सरकार का लेने का विचार नहीं हो, यह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सिक इण्डस्ट्री को लेने का नहीं है। सिक इण्डस्ट्री डिक्लेयर करके कुछ रिलीफ मेजर्स उसके लिए घोषित किए जाते हैं और रिलीफ मेजर्स के जरिये उसको रिआयतें देने की कोशिश की जाती है। यह सिक इण्डस्ट्री डिक्लेयर करने के लिए है।

(व्यवधान)

श्री माणक चंद डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जानकारी चाही, आप जवाब दे सकती हैं क्या?

श्रीमती कमला : बीच में बोल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बोलिये आप।

श्रीमती कमला : आप जो पूछ रहे थे उसके बीच में खड़े हो गये इसलिए आपने क्या पूछा वह मुझे समझ नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मिल के विरुद्ध क्या-क्या कानूनी कार्यवाही कर सकती है और उस सम्बन्ध में क्या कभी राज्य सरकार ने विचार किया?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उत्तर आ चुका है।

एक माननीय सदस्य : नहीं आया।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्टेटमेंट में एवर्शन बताये है किस-किस अदालत में, किस किस तरह की क्या क्या कार्यवाही की जा रही है इसके अलावा और कौनसे प्रोसिजरी के तहत में और कौनसे लीगल प्रोविजन्स के तहत में क्या क्या किया जा सकता है इसका अभी तुरन्त ज्ञान नहीं है।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द डागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : देवपुराजी ने स्टेटमेंट दिया था....

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह देवपुराजी ने स्टेटमेंट दिया उस समय शायद यह नीति होगी कि वह लेते होंगे लेकिन अभी भारत सरकार ने इस पर अपनी नीति के मुताबिक बिल्कुल पाबन्दी लगा दी है।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, मजदूर मानने वाले नहीं हैं।

श्री रमजान खां : भारत सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र—

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं आपको बताऊं, उसका भी निवेदन किया...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एज ए वेलफेयर गवर्नमेंट, आखिर 1600 मजदूरों का हित इससे जुड़ा हुआ है बार-बार राज्य सरकार क्या कर रही है। Or what type of Government.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्लोज अप, माननीय सदस्य।

श्री मानक चंद डाणी : माननीय मन्त्रीजी, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और जयपुर मैटल्स को किस अधिनियम के तहत लिया है?

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात की 22 मिलों को जून माह के अन्दर एन. टी. सी. में लेने के लिए आदेश दिये हैं क्या इस सरकार की हिम्मत नहीं है....

(व्यवधान)

क्या एक कृष्णा मिल को एन. टी. सी. के तहत नहीं ले सकती? कुछ तो आश्वासन देना चाहिये, मन्त्री महोदया, नहीं तो रास्ता

(श्री रमजान खां)

रोको आन्दोलन के अन्दर जो गड़बड़ी होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं यह पूछना चाहता हूं। बिल्कुल गोलमाल कैसे कर रहे हैं आप? जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ तो जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री माणक चंद डाणी : माननीय मंत्री महोदया, मुझे तो यह बता दें, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और जयपुर मैटल्स को किस अधिनियम के तहत सिक यूनिट डिक्लेयर किया? अगर राजस्थान में यह कानून नहीं है तो इन दोनों को कैसे डिक्लेयर किया?

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह घण्टी मत बजाओ।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : रास्ता रोको आन्दोलन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : यह सरकार लोगों को आह्वान कर रही है। ब्यावर की मिल को क्यों नहीं ले सकती? ब्यावर के साथ भेदभाव आप क्यों करना चाहते हैं? कांग्रेस (आई) बीती हुई है----

(व्यवधान)

1600 मजदूर उनके बच्चे,....

(व्यवधान)

जवाब दो।

श्री हीरासिंह चौहान : यह एडजोर्नमेंट मोशन दो-तीन दिन पहले का दिया हुआ है....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन का समय खराब करते है, 5 बज गये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला, प्रभारी मन्त्री राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1985 को संशोधित करने के लिये विधेयक को पुरस्थापित करेंगी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण, (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : यह बात नहीं चलेगी, उपाध्यक्ष महोदय। पहले कृष्णा

(श्री रमजान खां)

मिल का जवाब आना चाहिये उसके बाद में दूसरा काम होना चाहिये, 1600 मजदूरों का कौन जिम्मेदार होगा, इसका जवाब चाहिये। अगर रास्ता रोको आन्दोलन होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके आठ हजार बाल बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? आप इसको गोलमाल नहीं कर सकते। कृष्णा मिल को चालू कीजिये। कृष्णा मिल के लिए आश्वासन दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रमजान खां : संशोधन विधेयक नहीं चलेगा। कृष्णा मिल के लिए पहले आश्वासन दिलवाइये, उपाध्यक्षजी, फिर दूसरी कार्यवाही होगी। यह तरीका नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : × × ×

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतो....

(सर्व श्री हीरासिंह चौहान व श्री रमजान खां व सुश्री पुष्पा जैन का बहिर्गमन)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती कमला : सेन्टेन्स के बीच में कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1985) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के पुरःस्थापन के लिए सदन की अनुमति

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले सदन की अनुमति लेना अनिवार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हो गया।

श्रीमती कमला : ले ली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किससे ले ली?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती कमला : हाउस से ले ली है। हां कहा है उसके बाद में अनुमति दी गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यदि इस प्रकार की स्थिति हो और शासन भी उसका लाभ उठाना चाहे तो उस पर मुझे घोर आपत्ति होगी।

(व्यवधान)

घोर आपत्ति होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके खिलाफ में नो कांफिडेन्स भी ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमसे तो को-आपरेशन चाहते हैं और खुद नान को-आपरेशन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो व्यवस्था है उसके अनुसार नियमों की पालना की जाती है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वह इसमें सहयोग करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस बात के लिये आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप बैठे क्यों हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था कर रहे हैं और यह व्यवस्था नहीं है तो और क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो विपक्ष के नेता महोदय को यह कहना चाहूंगा कि जब माननीय सदस्य अव्यवस्था कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सदन में इस तरह के वातावरण में विधेयक को पास कराना चाहें या मन्त्री महोदया विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहें और उसको अनुमति आपने दे दी है तो यह बिलकुल उचित नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे। आप इसको दुबारा रखें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसको दुबारा रखावें।

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे और मन्त्री महोदया ने उत्तर दे दिया उसके बाद में माननीय सदस्य आदेशों की पालना नहीं करते हुए प्रश्न उठायें...

श्री मानिकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन से इसके बारे में इजाजत लेनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार बार इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्यवाही जो पारित हो चुकी है उसको वापस नहीं ली जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : पारित नहीं हुई।

श्री नाथूसिंह : आपको कैसे पता लगा कि पारित हो गयी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही में...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको उचित समझते हैं कि जब विरोध पक्ष में किसी प्रश्न को लेकर उत्तेजना हो आप उसको शान्त करना चाहते हैं और आप उसको शान्त नहीं कर सकते हैं या वो शान्त नहीं होते हैं तो इस मजबूरी के साथ में आपसे विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाही गयी और आपने अनुमति दे दी। क्या आप इसको उचित समझते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अनुचित क्या है। इसमें अनुचित क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अनुचित है विधान सभा में जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठा रहे हों।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न उठा रहे थे वह नियमों में ठीक नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक नहीं था तो पहले आप सदन में व्यवस्था करते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा कि व्यवस्था करने के लिए ही यह किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी कोई व्यवस्था नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता महोदय की जिम्मेदारी क्या है ? आपकी पार्टी की...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी जिम्मेदारी यह रहती है उपाध्यक्ष महोदय, कि निरन्तर आपको सावधान करता रहूं कि इस प्रकार की परिपाटी आप सदन में नहीं डालें और सदन में अशान्ति नहीं फैलावें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सदन में क्या जिम्मेदारी है। क्या आप सदन की व्यवस्थाओं के विपरीत काम करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह गलत बात है। मैं सदन का बहुत कायदा रखता हूं।

(5.35 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आ जाइये इधर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मानिकचंद सुराना : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय क्या कह रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी ब्यावर की कृष्णा मिल्स के संबंध में हाउस में चर्चा चल रही थी उस समय सदन के कुछ माननीय सदस्यों, जो ब्यावर या ब्यावर के निकट रहने वाले हैं, सरकार से उसको चलाने के लिये आश्वासन चाहा; उस वक्त सदन में माननीय सदस्यों में उत्तेजना फैली हुई थी और मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं समझता, जब मजदूर भूखे मर रहे हों तो माननीय सदस्य निश्चित रूप से उत्तेजित होंगे। इसी बीच में उपाध्यक्ष महोदय ने मन्त्री महोदया, जो विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थीं, के आह्वान पर विधेयक पुरःस्थापित करने अनुमति प्राप्त करली बतायी पर हमने नहीं सुना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष . आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत . जब वह पुर.स्थापित करने लगीं तो मैंने आपत्ति उठायी कि विधेयक को पुर.स्थापित करने के लिये सदन से अनुमति लेना आवश्यक है उपाध्यक्ष महोदय, ने अगर अनुमति दे दी है, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रश्न किया तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि न कान में कुछ सुनाई पड़ रहा था न ही किसी के समझ में आ रहा था उस समय अगर विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय तो मुझे आपत्ति है। मैंने यह आपत्ति उठायी, मैं समझता हूं कि ऐसे में किसी को भी जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधेयक को पुरः स्थापिर करने के लिए अनुमति दी तो मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि इस बेन्च वाले कोई माननीय सदस्य इस विधेयक का नाम बतायें कि क्या विधेयक प्रस्तुत किया गया ? वह इसको बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जब उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर बैठे थे तब यह पाइन्ट आफ आर्डर उठाया कि....

(व्यवधान)

(श्री सी. पी. जोशी)

दुबारा विधेयक को पुरःस्थापित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जब चेयर से एक बार व्यवस्था दे दी गयी तो अध्यक्ष महोदय यह एक गलत परम्परा होगा कि उपाध्यक्ष महोदय की दी हुई रूलिंग को रिजेक्ट किया जाय आप उसको, अध्यक्ष महोदय, चेंज करते हैं तो यह एक गलत परम्परा होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि उपाध्यक्ष की रूलिंग को अध्यक्ष निरस्त कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जरा घड़ी की तरफ तो देखिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह): आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मैं सेक्शन 286 के....

श्री अध्यक्ष : मुझे मालुम है। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन से सहयोग करें। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट आफ आर्डर। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)....

मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जब उपाध्यक्षजी ने मन्त्री महोदया का जिस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए नाम पुकारा था, मैंने भी सुना था, विधेयक पुकारा गया, मन्त्री महोदया ने आज्ञा चाही और हां पक्ष और ना पक्ष वाली बात भी हुई, उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति दी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

...और अनुमति देने के बाद दुबारा विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया और विधेयक को पुरःस्थापित किया गया। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय कृपया सहयोग करेंगे। वह स्वयं भी देख रहे हैं, आज काफी बिजनेस भी है। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : यह परम्पराओं के विपरीत होगा। यह गलत परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष : कोई गलत परम्परा नहीं होगी। आर्डर।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा होगी। यहां पर धक्का

(श्री देवीसिंह भाटी)

शाही होगी तो पहले भी वहां पर जबरदस्त घटना हुई थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, दाऊदयालजी, मैं अनुरोध कर रहा हूं, नाथूसिंहजी, चेयर के अनुरोध को शिरोधार्य करें। मैं समझता हूं कि आप इसको शिरोधार्य करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय, बिलकुल शिरोधार्य कर रहा हूं। पर कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाये और उसको अनुमति पाइन्ट आफ आर्डर उठाने की नहीं दी जाय....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार हाउस की व्यवस्था हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया। आपका मतलब यह है कि पाइन्ट आफ आर्डर उठावें उसको मान लिया जाये।

श्री नाथूसिंह : No. Point of order, Sir, I want to say it is right.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपको आज विमाण्ड पारित करनी है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 283 से लेकर 287 तक में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नियमों के अन्दर किसी भी प्रस्ताव को रखने से लेकर उसके पास कराने तक प्रोविजन्स दिये गये हैं उसमें सैक्शन 286 में डिवीजन का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बोलने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : कोई भी बिल सदन में रखा जाता है तो चेयर को यह अधिकार है कि वह हां या ना के लिए पूछे। अगर किसी भी पक्ष से, विरोध पक्ष से ना कहा जाता है....

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : चैलेंज किया जाता है, उसमें डिवीजन कराया जाता है। हमारी तरफ से चैलेंज किया गया है, हमने चैलेंज किया है।

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित करने के लिए आज तक परम्परा नहीं रही है। सदन

(श्री अध्यक्ष)

की कोई परम्परा नहीं रही है, माननीय सदस्य. कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : परम्परा तो रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। कृपया सहयोग करें। अव्यवस्था हो गई तो कैसे काम चलेगा। आसन से सहयोग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन का सहयोग नहीं रहे तो कैसे पार पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : अभी उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे। अगर चेयर सहयोग चाहती है तो चेयर को भी हमें सहयोग करना चाहिए। प्रोसिजर को फालो करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्ययक 1985-86 की द्वितीय अवस्था अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री बजाय के अन्य मंत्री द्वारा मांग प्रस्तुति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पाइंट आफ आर्डर। आपके ध्यान में हम पिछले तीन दिन से लगातार ला रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है, मैंने बात कर ली है, जो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शोपत सिंह जी ने भी किया था, मैंने बात कर ली है। कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह हर दिन हो रहा है। आप देखें कि मांग 41....

श्री अध्यक्ष : नतीजा निकलेगा, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नतीजा यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने मुझ से अनुमति ली है और कहा है कि इस मामले में श्रीमती कमलाजी मूव करेंगी। मुख्य मंत्रीजी कहीं अन्यत्र व्यस्त हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी मूव नहीं करेंगी। विधान सभा की कार्यवाही से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात मानता हूं, वह कहीं अन्यत्र व्यस्त हैं।

श्री शोपत सिंह : यह सदन की गरिमा की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : अगर मुख्य मंत्रीजी व्यस्त हैं तो सदन की अवमानना है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : करोड़ों रुपये के घोटाले हैं सी. एम. नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि इस विभाग में क्या सर्वनाश हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं तो बात समझ में आ सकती है।

श्री शोपत सिंह : लगातार सदन के अन्दर नहीं आये, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह सदन का अपमान कर रहे हैं, जान बूझकर टाल रहे हैं जब से वह सत्र चालू हुआ है वह इसका अपमान कर रहे हैं। मुख्य मंत्री ने यह प्रयत्न नहीं किया कि माननीय सदस्य जो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं उनको सुनें। यह हमारा अपमान है, यह पूरे सदन का अपमान है। इसमें कोई हां पक्ष की बात नहीं, कोई ना पक्ष की बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर सदन का अपमान करना क्यों चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी? यह पता तो लगे कि वह कहां हैं, वह जिन्दा हैं या मर गये। क्या हो गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या बीमारी है, क्या उनको डिसेंट्री है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सुबह से ही उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सदन में दर्शन दुर्लभ हो गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आपके साथी सदस्य बोल रहे हैं, आप सबकी अवमानना करते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपके नेता महोदय खड़े हो जाते हैं, आपके सचेतक महोदय खड़े हो जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सबसे बड़ी अवमानना तो मुख्य मंत्री कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : कम से कम आप यह बता दो कि मुख्य मंत्रीजी के आने की क्या मजबूरी है? यह तो बता बता दो।

श्री अध्यक्ष : मुझ से उन्होंने कहा था।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह क्या कहा था, वह बता दो। क्या कारण है नहीं आने का?

श्री अध्यक्ष : कोई व्यस्तता हो सकती है, मैं नहीं कह सकता।

श्री भंवर लाल शर्मा : क्या व्यस्तता हो सकती है, हम जानना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज, कृपया बैठें, मुख्य मंत्रीजी आ गये।

श्री भवर लाल शर्मा आपने तो कहा था कि अन्यत्र व्यस्त हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अन्यत्र does not mean अन्यत्र out of Jaipur.

श्री भवर लाल शर्मा : He is so busy. He is so busy now he is here.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी Let me say. मैं बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष-महोदय, इसके लिए धन्यवाद कि आपने दूसरा पाइंट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : मुझे धन्यवाद देने से क्या होता है, आप अपनी बात कहिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछले तीन-चार दिन से आपसे यह निवेदन किया जा रहा था कि जो कटौती प्रस्ताव आ रहे हैं इन कटौती प्रस्ताव में हमारे प्रस्ताव ऐड नहीं होते, जो ऐड नहीं होने चाहिये वह उसमें जुड़ जाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे मालूम है, मुझे बता दीजिये, मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हर दिन बताते हैं, आपके कक्ष में आकर। कब तक बताते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष : अगर कहीं कोई बात है तो मैं देख लूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम सुनना चाहते हैं कि यह सदन सुप्रीम है या नहीं। चार दिन हो....

श्री अध्यक्ष : सदन सुप्रीम है इसमें कोई दो राय नहीं है। I will personally look into it. I will personally look into it.

मुख्य मंत्रीजी।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 43—खनिज एवं मांग संख्या 42 उद्योग को प्रस्तुति

श्री हरिदेव जोशी : (मुख्य मंत्री) मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27, 53, 60, 000 रुपये (सत्ताइस करोड़ तिरेपन लाख साठ हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21, 09, 71, 000 रुपये (इक्कीस करोड़ नौ लाख इकहत्तर हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :

1. उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता पर छः माह पश्चात् ब्याज लिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम (श्री डूंगरगढ़)

श्री रामदेव (मूंडवा)

श्री नारायणराम बेड़ा(भोपालगढ़) :

2. डूंगरगढ़ (चूरू) क्षेत्र में नए उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

3. झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में ही फैक्ट्री शेड्स में व भूमि में दुकान व मकान बना लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

4. जिला बांसवाड़ा में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये कर्ज समय पर नहीं देने पर उद्यमियों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

5. बांसवाड़ा जिले में लघु उद्योग खोलने में ढिलाई व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

6. राज्य सरकार की उद्योग नीति के अनुरूप कार्य न होने पर चर्चा के लिये।

7. उद्योग स्थापित करने में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण):

8. उद्योगों में गिरते उत्पादन से चीजों की अनुपलब्धता से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

9. वन विण्डो सिस्टम के अभाव में प्रवासी राजस्थानियों की पूंजी राजस्थान में न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम (लाडनूं) :

10. लघु औद्योगिक इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा जनरेटर सैट्स लगाने के लिये दिये अनुदान की उपयोगिता की जांच नहीं करने से हो रहे दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा):

11. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण और लघु उद्योग विकास पर सरकार द्वारा बहुत कम राशि व्यय किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

12. उद्योगों को दिये गये अनुदान राशि का दुरुपयोग करने के दोषी उद्यमियों के विरुद्ध

(श्री रामचन्द्र जाट)

आवश्यक वसूली करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अहक अली (फतेहपुर) :

13. फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर के औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शीघ्र विकास किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

14. दांता (सीकर) को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जय किशन (दूदू) :

15. राजस्थान के हर जिले में एक बड़ा उद्योग खोले जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

16. राजस्थान के बाहर के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग धन्धे खोलने हेतु और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब लोगों को छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोलने हेतु अधिक ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. गांवों में प्राथमिकता के आधार पर लघु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

20. चौमू क्षेत्र के उद्योग विहार में भूआवंटन में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. चौमू क्षेत्र के उद्योग विहार में प्रस्तावित विकास योजना के ठप्प होने से उद्योगकर्मियों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल (हिण्डोली) :

22. बून्दी जिले में गरीब व बेरोजगार लोगों को रोजगार देने हेतु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह (बहरोड़) :

23. राजस्थान के उद्योगों में तालाबन्दी से आ रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

24. सीकरी में चावल कागज का उद्योग प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़)

25. श्री विजयनगर को इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

26. दी कृष्णा मिल्स प्राईवेट लिमिटेड ब्यावर को पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) :

27. जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ व उपयोगी बनाने पर चर्चा लिये।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) :

28. तिजारा, टपूकड़ा व कोट कासिम को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की पूंजी उद्योगपतियों द्वारा हड़प जाने पर चर्चा के लिये।

30. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रीयों के लगाने से उत्पन्न प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

21. अलवर व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की बन्द पड़ी 70% यूनिटों को पुर्नजिवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. उद्योगों में ऋण देने के समस्त माप दण्डों की अवहेलना कर ऋण वितरण करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम (टीबी) :

33. ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्धमियों को उद्धोग लगाने हेतु अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

34. राज्य में लघु उद्धोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

35. उद्योग विस्तार में आ रहे अवरोध को दूर करने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरि मोहन शर्मा (बून्दी) :

36. बून्दी विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्ति लाल (कोटपूतली) :

37. उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में भारी मात्रा में अनियमिततायें तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला होने एवं उद्धमियों को ऋण देते समय सभी शर्तों का पालन नहीं होने से वसूली में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (हवामहल) :

38. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का वैज्ञानिक आधार पर विकास कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

39. भरतपुर को पिछड़ा औद्धोगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

40. कुटीर एवं लघु उद्धोगों को पर्याप्त ऋण सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये।

41. भरतपुर सिमको उद्धोग में से 1800 मजदूरों का अवैधानिक ले-आफ होने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

42. धौलपुर जिले में बड़े उद्धोग लगाने में राज्य सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रणवीर (भीलवाड़ा) :

43. उद्धोगों के विस्तार में आने वाली कठिनाइयों एवं लघु उद्धोगों में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

44. ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (रायसिंह नगर)

45. औद्योगिक नीति का सरलीकरण नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसरी) :

46. उद्योगों के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. गांवों में कुटीर उद्योगों के विस्तार हेतु उदारता से ऋण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल (जोधपुर) :

48. उद्योगों को के लिये ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. जोधपुर की बीमार औद्योगिक ईकाईयों को सरकार द्वारा अधिग्रहण पर चर्चा के लिये।

50. जोधपुर में उद्योगों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में जोइन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. जोधपुर के उद्योगों को पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी) :

52. एक ही खिड़की पर बिजली-वित्त एवं उद्योग विभाग की स्वीकृति दिये जाने की घोषणा के बावजूद क्रियान्विति ठीक न होने पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (रूपवास) :

53. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में उद्योग व लघु उद्योग खोलने हेतु उद्मियों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शमशुल हसन (कामा) :

54. कामा, नगर पंचायत समिति को औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

55. कोटा में उद्योग से हो रहे जल प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

56. कोटा के उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को नौकरियां दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. राजस्थान के विभिन्न उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागों से बकाया नहीं चुकाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (झाडोल) :

58. उदयपुर जिले के झाडोल, तहसील फलासिया में लघु उद्योगों हेतु अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

59. प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर करीबन पांच हजार व्यक्तियों के कार्य क्षमता वाला उद्योग चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. लघु उद्योग को विकसित करने के लिये परम्परागत शिल्पियों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) :

61. जालोर शहर की ग्रेनाइट फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को हटा दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

62. जालोर जिले का औद्योगिकरण और ग्रेनाइट प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणिक चन्द डाणी (ब्यावर) :

63. ब्यावर उपखण्ड को पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

64. जिला जालोर में रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये।

65. जिला जालोर में कुटीर उद्योग का विकास करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

66. जिला जालोर को पिछड़ा जिला घोषित कर जिले का औद्योगिक विकास करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगांव) :

67. आर. एफ सी. से वाहनो हेतु मिलने वाले ऋणों के सदर्भ में गारंटी कर्ताओं की आर्थिक व व्यापारिक पूंजीगत स्थिति को सर्टिफाई कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. राज्य में विधायकों द्वारा उद्योगों के लिये ऋण पत्र पर जमानत कर्ताओं की आर्थिक व चारित्रिक स्थिति का प्रमाण पत्र दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार

69. जिला डूंगरपुर में उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणिक चन्द्र डाणी (ब्यावर) :

70. डाइंग एवं प्रिन्टिग उद्योगों को पूर्व क्षमता से चलाने के वास्ते उद्यमियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ब्यावर में सरकारी क्षेत्र उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. उद्योगों पर दिया जाने वाला अनुदान समय पर न मिलने से उत्पन्न औद्योगिक अवरोध पर चर्चा के लिये।

73. राजस्थान के लघु उद्योगों को और अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री माणिक चन्द्र डाणी)

74. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज भंडार के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. रीको के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पर शीघ्र उत्पादन छूट देने हेतु चर्चा के लिये।

76. ब्यावर के आसपास के क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. ब्यावर में सिरेमिक सेन्टर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

78. उदयपुर जिले में अधिक उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

79 नमक उद्योग में आयो डाइज नमक उत्पादकों को अन्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डीलरों के शोषण से मुक्त कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भूदर मल (दौसा) :

80. लघु उद्यमियों, गरीब नागरिक व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन न देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मूल चन्द (टोडाभीम) :

81. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के शहर टोडाभीम में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़) :

82. उद्योग लगाने के लिये शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

83. मण्डी रामसिंहपुर में इण्डस्ट्रिज ऐरिया घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

84. श्री विजयनगर मण्डी में इण्डस्ट्रियल एरिया मंजूर करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

85. लघु उद्योग इकाइयों को और अधिक ऋण सुविधा समय पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :

86. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

87. देवली व टोडारायसिंह क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. टोंक में चमड़े के कारखाने में घाटा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं में कटौती करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री नाथू सिंह)

90. जयपुर मेटल्स की जमीन को बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

91. औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में रीको इ. सी. ओ. द्वारा आवंटित भू-खण्डों के अकारण ही आवंटन निरस्त करने पर चर्चा के लिये।

92. जिला बाड़मेर शून्य (जीरो) औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने पर भी राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

93. औद्योगिक क्षेत्र नगर बाड़मेर में समय पर आवश्यक मूल सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लियें।

श्री शिवचरण सिंह (करोली) :

94. राजस्थान में औद्योगिकरण नगण्य होने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिकुमार (रामगंज) .

95. कोटा में लगाए जा रहे उद्योगों को सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

96. कोटा नगर में छोटे उद्योगों को लगाये जाने हेतु भूमि आवंटनों में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार किये जाने पर चर्चा के लिये।

97. कोटा नगर के आर्थिक दृष्टि से कमजोर (सिक यूनिट्स) उद्योगों की स्थिति सुधारे जाने पर चर्चा के लिये।

98. कोटा में रीको के उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से व्यवहार तथा भ्रष्ट तरीके अपनाकर लोगों को परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) .

99. जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति महुआ में उद्योग विभाग द्वारा भूमि अवाप्त कर लिए जाने के बाद भी उद्योग लगाने के लिये पट्टे देकर प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) .

100. फुलेरा क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग गांवों मे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. सांभर में सोडा ऐश का उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।

102. फुलेरा के इण्डस्ट्रीज एरिया को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

103. फुलेरा क्षेत्र में किशनगढ़-रेनवाल में इण्डस्ट्रीज एरिया की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री भूदर मल (दौसा) :

104. दौसा में जयपुर मिनरल डवलपमेंट सोप स्टोन की फैक्ट्री को पुन: खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

105. राज्य के सभी सरकारी उपक्रमों में (पब्लिक अण्डर टेकिंग्स) व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

106. सांगानेर, बगरू व जयपुर की छपाई के लिये एक इन्स्टीट्यूट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राज्य में ईंट भट्टों की दुर्दशा एवं सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. राज्य में साबुन, लघु कुटिर उद्योगों व मकराना के संगमरमर खानों से बिक्रीकर की गलत नीतियों से राज्य की आय में हो रही क्षति के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम (लाडनू) :

109. शिक्षित बेरोजगारों को दी गई सहायता का नागौर जिले में दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

110. लक्ष्मणगढ़ (अलवर), जहां उचित मात्रा में भूमि उपलब्ध है, को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर औद्योगिकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

111. औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के प्रथम एवं द्वितीय चरण में रीको उद्योग क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) :

112. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में उद्योग-धागा मिल, सूती उद्योग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिशं (खानपुर) :

113. प्रदेश के भेरणामन्न उद्योगों को विभाग द्वारा सहायता न देने पर चर्चा के लिये।

114. वित्त निगम द्वारा ड्राईवरों अनुसूचित जाति के लोगों को जीप कार हेतु लोन नहीं देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

115. प्रदेश में अफीम पर आधारित उद्योग न लगाने पर चर्चा के लिये।

116. बड़े उद्योगों के लिए ऋण देने से वित्त निगम के करोड़ों रुपया फंस जाने पर चर्चा के लिये।

117. बेरोजगार स्नातक युवकों का लोन के लिए चयन रिश्वत लेकर करने पर चर्चा के लिये।

118. प्रदेश में अव्यवस्थित घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

119. उदयपुर जिले में पिछले चार वर्षों से उद्योग के नाम पर जमीन एलॉट करवा कर उद्योग नहीं लगाने पर भी जमीन निरस्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सी. पी. जोशी)

120. नाथद्वारा में आर्टिजन-काम्प्लेक्स योजना की क्रियान्विति हेतु इसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. गांव ओडन में विकसित निजी औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली, एवं सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव बगोल में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर जमीन अवाप्ति एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा मे उद्योग विकास हेतु जमीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) :

124. बून्दी जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मूलताना राम (जैसलमेर) :

125. जैसलमेर में उद्योग रहित पिछड़ा जिला घोषित कर 25 प्रतिशत अनुदान के उपरांत अब तक उद्योग नहीं लगने से उत्पन्न असतोष पर चर्चा के लिये।

126. जैसलमेर जिले में बड़े उद्योग नहीं लगने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

127. जैसलमेर जिले में उद्योगों के लिए पानी, बिजली, सड़क व अन्य सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने हेतु पंजिकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. जैसलमेर जिले के रूग्ण उद्योगों को सहायता देकर पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

श्री प्रभुदयाल मीना (लालसोट) :

130. जयपुर जिले की पचायत समिति बस्सी, चाकसू, फागी, सिकराय, दौसा, लालसोट एवं बांदीकुई में औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

131. ग्राम पंचायत रूर द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिये उद्योग विभाग द्वारा उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये।

132. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी, सिकराय, लालसोट, दौसा, बांदीकुई, फागी, चाकसू को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर सभी सुविधाएं सुलभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा):

133. निर्वाचित क्षेत्र फुलेरा में ग्राम स्योदा, त्योद, काजीपुरा, नवरंगपुरा, तेज्यां का बास में नमक क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ (बाली) :

134. ग्रामोद्योग/लघु उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

135. बाली जिला, तहसील बाली के आदिवासी क्षेत्र (भाड़ाक्षेत्र) को उद्योग विलोन क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा के लिये।

136. फालना (जिला-पाली) में द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र हेतु सुरक्षित भूमि को रीको से उद्योग मण्डल फालना को सौंपने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

137. राज्य में उद्योग विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को औद्योगिक दृष्टि से पीछे रखे जाने पर चर्चा के लिये।

138. राज्य में कुटिर उद्योगों को पनपाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

139. बीकानेर में गलीचा उद्योग को विकसित करने में सरकार द्वारा रुचि नहीं लेने तथा जिले के साथ औद्योगिक दृष्टि से भेद-भाव व पक्षपात बरते जाने पर चर्चा के लिये।

140. बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुटिर उद्योग का काम करने वाले लुहार, बरतन बनाने वाले कुम्हार, ठठेरा, बुनकर, चमड़े के जूते बनाने वाले तथा स्वर्णकार आदि व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बीकानेर जिले के गांवों में गृह उद्यमियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (केशोरायपाटन) :

142. लाखेरी सीमेंट उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने से जन स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

143. लाखेरी सीमेंट उद्योग की औद्योगिक नगरी में जन समस्या के समाधान हेतु सीमेंट उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. लाखेरी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल को राज्य सरकार के अधीन लिये जाने पर चर्चा के लिये।

146. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में कृषकों का बकाया पैसा तुरन्त दिया जाने पर चर्चा के लिये।

147. केशवराय पाटन क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :

148. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आवास व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र के श्रमिकों एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यरत लोगों को उत्पन्न होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

149. अलवर उद्योगों के उत्पादन का बाजार में महगा पड़ने तथा व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ने से होने वाली घाटे की स्थिति के औचित्य पर चर्चा के लिये।

150. बिना समुचित जांच एवं लाभ की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा अथवा रीको एवं वित्त निगम द्वारा उद्योगों में हिस्से खरीदे जाने पर जनता के धन का दुरुपयोग कर घाटे में चलने वाले उद्योगों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. वित्तीय संस्थाओं का उद्योगों द्वारा चुकारा न करके ऋण धन का दुरुपयोग करे जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. बड़े उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे गए हिस्सों का प्रतिशत अधिक होते हुए भी उद्योगों का समस्त प्रबन्ध अल्प अंशधारियों के हाथ में देने से उत्पन्न स्थिति के औचित्य पर चर्चा के लिये।

153. रूग्ण उद्योगों के समुचित उपचार के अभाव में बन्द होने पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्जे के कारण नीलामी के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्र में कृषि भूमि सस्ते भाव पर उपलब्ध कराने जिससे उद्योग के कार्य में न लेकर कृषि के कार्य में उपयोग होने के कारण आवंटन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

155. डीग क्षेत्र में रीको के तत्वावधान में एक भी उद्योग चालू नहीं होने से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :

156. उद्योग लगाने हेतु सब्सीडी पिछड़े जिले को नहीं देकर पिछड़े उपखण्डों के आधार पर देने पर चर्चा के लिये।

157. उद्योग लगाने हेतु सिर्फ कृषि अयोग्य भूमि का ही उपयोग करने पर चर्चा के लिये।

158. ब्यावर शहर की कृष्णा मिल्स को चालू करवाने व श्रमिकों को उनकी बकाया राशि के भुगतान पर चर्चा के लिये।

159. उद्योग से सम्बन्धित समस्त समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) :

160. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में रीको की ओर से उद्योग नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिये।

161. अलवर जिले के उद्योगों में जिले के ही बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) :

162. जिला उदयपुर अथवा चित्तौड़गढ़ में सुपरस्मेल्टर शीघ्र ही लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

163. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में बड़ा या छोटा उद्योग लगा कर औद्योगिक अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

164. लघु उद्योग हेतु पिछड़े वर्ग के नागरिकों को दिये जाने वाले ऋण का सही उपयोग नहीं होने पर विभागीय देख-रेख की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल (सिरोही) :

166. सिरोही जिले के उद्यमियों को औद्योगिक सुविधायें जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

167. सिरोही जिले के सरूपगंज में लगे आर. के. ट्यूशान उद्योग को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत न होने पर चार्चा के लिये ।

168. शिवगंज (सिरोही) में उद्योग हेतु अवाप्त भूमि को मुआवजा दिलवाने हेतु चार्चा के लिये ।

168. सिरोही जिले में लगने वाले, सीमेंट उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

169 सिरोही जिले में उद्योग हेतु आवंटित भूमि पर उद्योग समयावधि में नहीं लगाने पर आवंटन रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

170. सिरोही जिले में उद्योग हेतु ऋण की सुविधा जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

171. सिरोही में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अवाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

172. सिरोही जिले में खनिज आधारित सरकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डोन) :

173. हिण्डोन में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ऋषीकेश मीणा (सपोटरा) :

174. सपोटरा क्षेत्र में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

175. राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन में नवम्बर, 1983 से लागू आवरली वेज रेट सिस्टम के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

176. राजस्थान वित्त निगम द्वारा बंद पड़ी इकाइयों को बेचने सम्बन्धी दूषित कार्य प्रणाली पर भी चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती):

177. शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार योजना हेतु चयन समिति में जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

178. नापासर की औद्योगिक बस्ती के विकास के लिये उचित धनराशि स्वीकृत न होने पर चर्चा के लिये।

179. राजस्थान में उद्योगों की धीमी प्रगति में गतिशीलता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु व मध्यम उद्योगों को दिये गये अनुदान का उसी वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. राजस्थान के उद्योगों की रुग्णता को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

182. लघु उद्यमियों द्वारा सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद भी महिनों तक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

183. बीकानेर में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. बीकानेर वूलन मिल को शीघ्र चालू कर उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर मितव्ययता कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 1,00,000 रुपये कम कर दिये जायें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

राजस्थान मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन व राजस्थान ग्रेनाइट व मारबल कार्पोरेशन में घाटा समाप्त करने के सम्बन्ध में मितव्ययता।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल)

1. प्रदेश की खनिज सम्पदा का वैज्ञानिक सर्वे करा कर विदोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

2. खानों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के एकाधिकार को तोड़कर आम लोगों में

(श्री शोपत सिंह)

नीलामी द्वारा क्षेत्रफल दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

3. खनन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

4. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टचार पर चर्चा के लिये।

5. माइका ट्रेड द्वारा की जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

6. खनिज दोहन के मास्टर प्लान के अभाव में हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :

7. खनिज विभाग द्वारा खनन के पट्टे देने में की जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर):

8. ईंट भट्टा, चुनी भट्टा व मिट्टी पत्थर आदि घरेलू उपयोग में लाने पर लगाई गयी पाबन्दी पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

9. भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया व आस-पास के सेन्ड स्टोन-खनन उद्योग में वन एवं खनन क्षेत्र के बाहर राजकीय भूमि पर अवैध खनन कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

10. उदयपुर में अधिक खनिज उद्योग लगाने व खनिज सम्पदा का उपयोग कर बेरोजगारी मिटाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू) :

11. खनिजों के पट्टे व लाइसेंस निष्पक्ष रूप से दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. छोटे-छोटे खनिजों, उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

14. मोरीजा खान व सामोद खान तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. मोरीजा खान उद्योग के बन्द होने से हजारों खान श्रमिकों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) :

16. बूंदी जिले में खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) :

16. खनन विभाग में खनिज दोहन का कार्य सुचारु ढंग से न चलने पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

18. डीग, नगर, सीकरी क्षेत्र में खनन पट्टे सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के नामों से लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) :

19. तहसील अनूपगढ़ के जिप्सम भण्डार के आधार पर यूरिया खाद का कारखाने लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

20. छोटे व्यक्तियों की खानों पर बड़े आदमियों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

21. नसीराबाद में सेरेमिक उद्योग हेतु सुविधा केन्द्र व आधारभूत ढांचा बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा):

22. खनिजों के पट्टे बेनामी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के नाम पर लेकर अन्य लोगों द्वारा नाजायज फायदा उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

23. किसानों की भूमि में निकलने वाली बजरी वगैरहा पर टैक्स बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

24. जिला बांसवाड़ा के आदिवासी हरिजनों को खनन पट्टे न देकर गैर आदिवासियों को पट्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

25. गंगानगर जिले में जिप्सम खनिज उद्योग का स्थानीय लोगों को लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

26. राज्य में प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से नोन टैक्स रेवेन्यु बढ़ाने एव खनिजों पर आधारित उद्योगों के विकास पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

27. राजस्थान में खनिज दोहन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्ति लाल मोदी (कोटपूतली) :

28. खनिज रायल्टी की चोरी को रोकने एवं रायल्टी में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

29 राजस्थान में खनिज उद्योग का समुचित विकास न करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :

30. साधारण खनिज के खनन कार्यों को व्यक्तियों के स्थान पर मजदूरों की सहकारी समितियां बनाकर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर)

31. सूरसागर क्षेत्र के खान क्षेत्र में सड़क पानी, बिजली की भयकर समस्या के निराकरण पर चर्चा के लिये ।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

32. खनिज भण्डार के सर्वेक्षण पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

33. बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बसंघन लक्ष्मीपुरा-डोरा सड़क का खनिज उपयोग हेतु निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुन सिंह (रानीवाड़ा) :

34 खनिज विभाग द्वारा करडा गांव के मजदूरों की सुविधा हेतु खान पर जाने के लिये सड़क सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

35. आर. एस. एम. एम. में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

36. आर. एस. एम. एम. द्वारा खनिज सम्पदा का दोहन करने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

37. बांसवाड़ा, जिले के, खनिज क्षेत्र के खनन पट्टे बांटने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरि मोहन शर्मा (बूंदी) :

38. बूंदी विधान सभा क्षेत्र के खनिज विकास हेतु डोरा-सूतड़ा सड़क का सर्वे वाया कछालिया, कबकपुरा, सूतड़ा तक करने के बारे में चर्चा के लिये ।

39. बूंदी विधान सभा क्षेत्र के खनिज क्षेत्र घनेश्वर से डांको पर सड़क कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

40. एडीशन तहसील इन्द्रगढ़ में उपलब्ध विभिन्न खनिजों का सर्वे कराकर उन पर आधारित उद्योग लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

41. जनजाति क्षेत्र में खनिज पट्टे सवर्ण लोगों को देने की नीति से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

42. खनन कार्य की सर्वे रिपोर्ट को जन साधारण के लिए प्रकाशित करने की आवश्यकता, पर चर्चा के लिये ।

43. रायपुर तहसील जिला पाली में सर्वे किये गये क्षेत्र में खनन कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

44. जिला जालोर में खनिज सर्वेक्षण किया जाकर जिले का खनिज विकास करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

45 राजस्थान स्टेट मांइन्स एण्ड मिनरल्स की झामर कोटड़ा खदान से उत्पादन में निरन्तर हो रहे घाटे के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

46. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में सोप स्टोन के भन्डार के क्षेत्र को स्थानीय नागरिकों को दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

47. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में मारबल की खान के पट्टे स्थानीय नागरिकों को दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार परमार :

48. जिला डूंगरपुर में खनिज क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

49. राज्य के खनिज भण्डारों का सर्वे कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

भूदरमल वर्मा (दौसा) :

50. डगोदा खान के ऊपर ही सोप स्टोन पीसने का उद्योग लग जाने से खान में कार्य करने वाले मजदूरों के जीवन को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

51 जोधपुर में पत्थर खानों के आवंटन में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

52. खनिज विकास निगम द्वारा बाड़मेर जिले में आकली बेटोनाइट परियोजना में घाटे पर चर्चा के लिये ।

53. पत्थर खानों के पास इकट्ठे हुये डम्प को हटाये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) :

54. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

55. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टापर चर्चा के लिये ।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) :

56. रामगंज मण्डी तहसील के खनिज क्षेत्र में खनन पट्टाधारियों द्वारा मजदूरों को सुविधायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

57. बूंदी खनिज अभियन्ता द्वारा पक्षपात कर नियम विरूद्ध खनन पट्टे जारी कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

58 खनिज कार्य हेतु लीज एलाटमेंट की हानि से बूंदी जिला तथा राज्य के अन्य स्थानों में एरिया की दृष्टि से विषमता को दूर किये जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

59. रामगंज मण्डी तथा चेचट क्षेत्र में खनन पट्टा धारियों द्वारा किसानों की कृषि भूमि में मलवा डालने के कारण क्षेत्र के किसानों को होने वाली आर्थिक हानि एवं असुविधा के बारे में चर्चा के लिये।

60. खनिज विभाग बूंदी द्वारा खनिज क्षेत्र में आने वाले मार्गों के रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा) :

61. तहसील फुलेरा के ग्राम डूंगरी खुर्द व डूंगरीकलां के पहाड़ों में लोहा मिला पत्थर होने पर चर्चा के लिये।

62. तहसील फुलेरा के गांवों में किसानों के खेतों में निकलने वाले झाझड़ा पत्थर के मालिकों को सरकार द्वारा परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

63. रिजर्व फोरेस्ट ऐरिया में खनिज पट्टों के आवंटन में पाबन्दी एवं खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कठोर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

64. कोटा जिले की रामगंज मंडी की खदानों पर लगे श्रमिकों के बच्चों के लिये रहने पढ़ाई, चिकित्सालय मनोरंजन के साधन न होने पर चर्चा के लिये।

65. कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में श्रमिक सहकारी समिति को खदान अलाट नहीं करने पर चर्चा के लिये।

66. कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील में अवैध खदानों एवं बड़े खदान मालिकों से नियमानुसार रायल्टी नहीं लेने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

67. आर. एस. एम. एम. में ओवर-बर्डन तथा बेनीफिसियल प्लान्ट हेतु लम्बे समय से खरीदी हुयी मशीनों के उपयोग में नहीं लाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. सचिव स्तर पर लम्बे समय से नाथद्वारा डोलोमाइट क्षेत्र की खनन के पट्टे सम्बन्धी निर्णय नहीं होने से भविष्य में नये खनन पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल चौहान (राजसमन्द) :

69. राजसमन्द में मार्बल खनन के क्षेत्र विकसित करने तथा सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

70. आर. एस. एम. डी. सी के ओवरबर्डन हटाने के ठेके देने में की गयी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुलताना राम (जैसलमेर) :

71. जैसलमेर जिले में खनन मजदूरों का शोषण रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

72. जैसलमेर जिले में खानों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मजदूरों का भयकर शोषण होने पर चर्चा के लिये।

(श्री मुलतानाराम)

73. जैसलमेर जिले में खनिज विकास हेतु सरकार की ग्रोर से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

74. खानों के सुधार कार्यक्रम के ग्रन्तंगत निमोरा, बांसखोह, एवं रासलीका माइन्स को सड़क बनाये जाने के लिये बांसखोह रोड से फर्र वाया निमोरी सम्पर्क सड़क बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

श्री प्रभुदयाल मीणा (लालसोट) :

75. पंचायत समिति सिकराय में पहाड़ घुमणा एवं पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में पहाड़ हुरड़ी, बैनाड़ा, एवं गढ़ में सर्वेक्षण कर खनिज सम्पदा का पता लगाये जा नेके क्रम में चर्चा के लिये।

76. पंचायत समिति सिकराय के क्षेत्र कालाखों पहाड़ी का खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

77. जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय में राणेली पहाड़ के किसानों द्वारा सिंचाई कूप निर्माण हेतु पत्थर स्वयं द्वारा निकाल कर ले जाने वाले किसानों से नाजायज रायल्टी ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

78. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के क्षेत्र में पृथ्वीपुरा पहाड़ लोहा होते हुये भी खनिज विभाग द्वारा खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

79. पंचायत समिति सिकराय में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

80. बांदीकुई तहसील में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा):

81. निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा के ग्राम करणसर, केसाकाबास बंघाल, लूनियावास, रामजीपुरा, सुखालपुरा, सालगराम पुरा, मुडोती, मढाभीमसिंह में निकलने वाले भाखड़ा पत्थर वालों को बढ़ावा देने के लिये चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

82. ग्रनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जन जाति के लोगों को खनिज पट्टे देने में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये :

83. नये खनिज क्षेत्रों की सर्वे जानकारी पंचायत समितियों एवं जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

84. बीकानेर जिले में बजरी, कंकर व ईंट भट्टा ग्रादि को पनपाने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

85. बीकानेर जिले की गांव पलाना में कोयले के बहुत बड़े प्लान्ट को लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

86. बीकानेर जिले की नौखा मण्डी में बजरी, कंकर व ईंट भट्टा बिना खनिज विभाग की लिखित स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से निकाले जाने पर चर्चा के लिये।

87. बीकानेर जिले में जामसर में जिप्सम कम्पनी द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने क्षेत्र के बाहर माल निकालकर खेतों में होकर ले जाने से किसानों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

88. बीकानेर जिले में कोलायत तहसील में धार्मिक तालाब कोलायत की पायतन को माईनिंग विभाग द्वारा ईंट भट्टा करने वाले लोगों को दिये जाने से धार्मिक तालाब के पायतन को खत्म किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) :

89. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग के फालतु पत्थर जनता को मुहैया करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

90. खनिज पत्थर के पर्याप्त मात्रा में होने पर भी नये सीमेन्ट उद्योग न लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

91. लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के खनिज पत्थर के स्थानों को आगे बढ़ाये जाने एवं नये स्थानों की खुदाई किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

92. उद्योगपतियों ने मजदूरों के नाम से पट्टे ले रखे हैं ऐसे बेनामी पट्टे निरस्त करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) :

93. अलवर जिले के सभी पहाड़ व खान उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों के नाम से फर्जी पट्टे लेने पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल मीणा (सराड़ा) :

94. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के गांव बावरमाल में मारबल की खानों में स्थानीय नवयुवकों को खनिज के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. जिला उदयपुर में कई प्रकार की खनन सम्पदाओं जैसे मारबल, सोपस्टोन, घीया पत्थर, लाइम स्टोन आदि का लाभ पिछड़े वर्ग को देकर लाभान्वित किये जाने पर चर्चा के लिये।

96. आर. एस. एम. एम. झामर कोटड़ा की खानों से कच्चे माल की ढुलाई का कार्य क्षेत्र के आदिवासियों को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

97. उदयपुर में स्थित जिंकस्मेल्टर, (जावर माइन्स), हिन्दुस्तान जिंक लि., आर. एस. एम. एम. खनन उद्योगों से राज्य सरकार को मिलने वाली रायल्टी राशि को इन उद्योग के पास के पिछड़े गांवों के विकास में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) :

98. राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को खनन पट्टा नहीं देने की चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

99. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को खनन पट्टा उपलब्ध नहीं कराने की चर्चा के लिये।

100. सिरोही जिले में उपलब्ध अनेक प्रकार के खनिजों का सर्वेक्षण कराने की चर्चा के लिये।

101. सिरोही जिले में खनिज सम्पदा की चोरियां रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. सिरोही जिले के बालदा गांव में टंगस्टन खनिज उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश शर्मा (खानपुर) :

103. कोटा जिले की रामगन्ज मण्डी तहसील में गहरी एवं असुरक्षित खदानों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

104. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. कोटा जिले की रामगन्ज मण्डी तहसील में खदानों की दुर्घटना में दबकर मरने वाले श्रमिकों को मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषीकेश मीणा (सपोटरा) :

106. सपोटरा चुनाव क्षेत्र में खनिजों पर वन विभाग द्वारा किया गया कब्जा हटवाये जाने की चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (झाडोल) :

107. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में खाकड़ एवं थोबावड़ा की सोपस्टोन माइन्स के पट्टे स्थानीय नागरिकों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करोली) :

108. पिछले पांच वर्षों में खनिज विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी कर खनिज सम्पदा को पट्टाधारियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. नीमकाथाना क्षेत्र में वन क्षेत्र एवं भीलवाड़ा के जी.एस.आई. क्षेत्र में खनन कार्य लीज पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. पवाना की लीज, कोटपुतली में नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी का छोड़ा क्षेत्र, गोलेच्छा को दी लीजें व फोरेस्ट कन्जंर्वेशन एक्ट की अवहेलना कर दी लीजों से सरकार को करोड़ों का नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

111. धौलपुर करौली क्षेत्र में पट्टे का नवीनीकरण न होने पर भी अनाधिकृत

(श्री शिवचरण सिंह)

खनन कार्य होने से सरकार को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

112. धौलपुर करौली व कोटा क्षेत्र के सारे खनिज नाकों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

113. गंगानगर जिले में शोरा व सज्जी की लीज व ठेकों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

114. ग्राम रठाना तहसील मावली जिला उदयपुर में गत 5 वर्ष से चल रही अनाधिकृत माइन्स में हो रहे खनन कार्य व वहां स्थित बांध के दोहन से हो रही क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

115. राजस्थान में खनिजों के माध्यम से गैर कर आय बढ़ाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

116. राजस्थान के लाइम स्टोन भण्डारों में एकाधिकार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

117. ग्राम मऊ की डूंगरी में मृत कर्मचारी की पत्नी के नाम से ठेका लेकर मनमानी रायल्टी वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. ग्राम मऊ की डूंगरी में खनिज मजदूरों के बार-बार प्रार्थना पत्र देने पर भी खाली खानों को लीज पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. ग्राम मऊ की डूंगरी के पत्थर ठेका व लीज गलत देने की शिकायतों पर जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. ग्राम मऊ की डूंगरी से किसानों को खुद के कार्य के लिये पत्थर चेजा खोदकर ले जाने की छूट का उपयोग नहीं करने देने पर चर्चा के लिये।

121. ग्राम मऊ की खानों को गलत लीज पर देने व सीमा बन्दी नहीं करने एवं खाली खनिजों का पट्टा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

122. जिला बीकानेर खनिज दोहन करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

123. जिला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में खनिज मजदूरों को लेबर एक्ट के तहत विभाग द्वारा सहुलियत दिलाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

124. बीकानेर में बजरी के अवैध खनन को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

125. मारबल खानों की सड़कों एवं गहरी खानों की चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

श्री प्रभुदयाल मीणा (लालसोट):

126. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में खनिज पर आधारित एक उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पांइट आफ आर्डर। कृपया बैठें।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, सुनिये मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

एक माननीय सदस्य : बहुत सारे पाइंट आफ आर्डर हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप कहिये।

श्री नवरंग सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के साथ 12 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। नो पाइंट आफ आर्डर। यहां डिसकशन नहीं हो सकता। आर्डर प्लीज माननीय, श्री नवरंग सिंह, कृपया बैठें। श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : मांग संख्या 43 खनिज पर मेरे कटौती प्रस्तावों और मैंने जो पूर्व में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उस पर आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है उसको शिरोधार्य करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के पश्चात् रियासतों का विलय हुआ था उससे पूर्व हमारे राजस्थान में खनिज विभाग नाम का कोई अलग विभाग नहीं था। कई रियासतें थीं जोधपुर, उदयपुर जहां माइनिंग का थोड़ा-बहुत काम चलता था। राजस्थान बनने के बाद हिन्दुस्तान की यह पहली स्टेट थी जिसमें माइनिंग का अलग विभाग बनाया गया और इस विभाग की प्रगति के लिए बहुत कोशिश की गई।

(5.48 म.प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति उदासीन)

जिस राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज, फारेस्ट्री, एनीमल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर रिसोर्सेज शामिल है उसमें कुदरत ने हमें मिनरल भी भारी मात्रा में दिया। आजादी के पश्चात् यह कामना की गई थी कि राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने में, विकास के लिए खनिज सम्पदा के माध्यम से कुछ बल मिलेगा। इसके सुधार के लिए कई कानून बने। 1957 में एम. एम. सी. आर. एक्ट आया और 1977 में वह रिवाइज्ड हुआ। जनता पार्टी की जो सरकार आई उसने बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाकर उसमें सुधार करने की कोशिश की। और मिनरल्स लीजेज के ऊपर सीलिंग लगाया। यह आशा की जाती थी, हम लोग यह समझते थे कि अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग, गरीबों के रहनुमा कहलाने वाले लोग कुछ सुधार करेंगे। लेकिन 1980 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो भी इनकी सरकार ने कदम उठाये जिस प्रकार नीतियों का उल्लंघन किया और कानून की

(श्री शिवचरण सिंह)

अवहेलना की उससे मुझे बड़ा आघात लगा। आशा यह थी कि माइनिंग के मामले में राजस्थान मे एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप प्रोग्रेसिव पालिसी लायेगा। लेकिन राजस्थान को जो लाभ उससे मिलने वाला था वह वहीं पीछे चला गया। 1977 मे एम. एम. सी. आर. एक्ट जब रिवाइज किया उसकी मंशा यह थी कि राजस्थान की खनिज सम्पदा को मोनोपोली सिस्टम हटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लाया जाये। जनता पार्टी की सरकार आई उस समय नियम बनाये गये कि माइनर और मेजर मिनरल दोनों में ही प्लाट सिस्टम किया जाये और ज्यादा से ज्यादा लोगों जो रिमोटेस्ट जगलों में रहते हैं, खान पर आधारित हैं मजदूर हैं, को लीज दी जाये। लेकिन 81 के बाद जब फारेस्ट कंजर्वेशन [illegible] आ गया, घोर लापरवाहियां बरती गईं। दो मुख्य मंत्र बदले और दोनों मुख्य मंत्री के समय में किस प्रकार से अनियमितायें बरती गयी हैं उसका मैं खुला चिट्ठा रखना चाहता हूं। राज्य सरकार ने यह जरूर अच्छा किया कि जो भ्रष्ट अधिकारीगण थे, भ्रष्ट डायरेक्टर महोदय थे जिन्होंने खुले रूप मे रिश्वत ली उनको हटाया। मिस्टर श्रीवास्तव थे, वह गये। माइन्स में सुधार आया। एक जो सचिव थे मुख्य मंत्रीजी को उनके घोटाले और हालात मालूम होने के पश्चात उन्होंने उनको हटाया रातोंरात मेरे ख्याल में दिल्ली चले गये होंगे। मैं उनकी कथा बांचता हूं।

इस हाउस के माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको लिस्ट देना चाहता हूं कुछ केसेस की। उन केसेज के बारे में आपको डिटेल दूंगा कि कहां कहां अनियमिततायें हुई हैं, कहां कहां कानूनों को तोड़ा गया है और करोड़ों की धनसम्पदा को कैसे लुटाया गया है। इसके बारे में आप निश्चित तौर पर जब उत्तर देंगे तो मुझे आश्वस्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, 79-80 के अन्दर एक नेशनल लाइम कम्पनी थी जिसकी कोटपुतली के अन्दर दस किलोमीटर की लीज थी उस लीज को सोशल जस्टिस के नाम पर जनता सरकार ने यह पालिसी बनाकर लिया कि हम इसको लेगें और आम आदमियों को देगें। दस किलोमीटर की लीज थी उसको लिया गया। लेने के बाद साढ़े पांच किलो मीटर उसमें से रीको को दिया और बाकी का एरिया को गवर्नमेन्ट ने अपने तरीके पर चलाने के लिए लेने की चेष्टा की। 79-80 में जब गवर्नमेन्ट ने यह ली तो नेशनल लाइम कम्पनी उस जमाने में हाई कोर्ट में गई कि यह हमसे कैसे ली गयी। उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने हाई-कोर्ट के अन्दर अपने रिप्लाई के अन्दर यह जवाब दिया था कि पालिसी आफ सोशल जस्टिस के आधार पर हम इसको लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट के अन्दर राज्य सरकार ने हलफनामा दिया। मैं कांग्रेस के खास उस बेंच पर बैठे रहने वाले लोगों से कह देना चाहता हू कि इसको लिखिये कि आपको पार्टी के लोग जो वरिष्ठतम पदों पर हैं, चुनकर आने वाले आदमी हैं, जो आपकी पालिसी और नीतियां है उनके प्रतीक हैं वह कैसे-कैसे कबाड़ा करते हैं यह आपको बता देना चाहता हूं। आप यहां सदन में न बोलें तो अपनी पार्टी के अन्दर तो

(श्री शिवचरण सिंह)

बोलिये । पार्टी का शुद्धिकरण आपको करना चाहिए....

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, यह आपकी तरफ सकेत करके कहें ।

श्री शिवचरण सिंह : मैं माननीय सभापति जी की तरफ ही कर रहा हूं । आपको तो नहीं कर रहा हूं आप तो घोटालों में सम्मिलित होंगे ।....

श्री बिहारीलाल पारीक : कोई चोर उचक्के थोड़ें ही हैं ।....

श्री सभापति : इधर मुखातिब रहें चेंयर की तरफ ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति जी, एक एफेडेविट दिया गया राज्य सरकार की तरफ से कि हमने यह जो लीज है, इस खान को, नेशनल लाइम कम्पनी को रेस्टोरेशन आफ मोनोपालीज एण्ड ट्रेड एक्ट के अन्तर्गत लिया है । यह एफेडेविट था राज्य सरकार का । इसके पश्चात् इसके कैन्सिलेशन का प्रस्ताव हुआ और 5–9–81 को लीज कैंसिल कर दी गयी । आप अन्दाज कीजिए कैंसिल करने के बाद गवर्नमेन्ट ने पजेशन ले लिया । अब लिया जो माननीय मन्त्रीजी आये श्री प्रद्युम्नसिंह जी होंगे शायद उन दिनों में, वही कलाकार ज्यादा थे । वहां पर 8-9-81 को एक एप्लीकेशन श्री रामेश्वर दयालजी की आई थी । यह रामेश्वर दयाल जी कौन थे ? यह नेशनल लाइम कम्पनी में भागीदार थे । एक नेशनल लाइम कम्पनी थी जिसमें इसी सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य श्री मोदीजी भी भागीदार थे और रामेश्वर दयालजी की बेनामी हिस्सेदारी है । लोक सभा के सदस्य और कांग्रेस के माननीय सदस्य माननीय विष्णुजी भी आज उस गैलेरी में बैठे हुए हैं उन्होंने बेनामी तरीके पर ली है इसको । बेनामी, कोई लिखा पढ़ी नहीं नम्बर दो में है । 14-9-81 को रामेश्वरजी बजाज के नाम से 41। किलोमीटर क्षेत्र का अलाटमेंट कर दिया । यह 14-9-81 को हुआ । 79 के अन्दर जनता पार्टी सरकार ने नियम बनाया उसका एक गजट नोटिफिकेशन है, माननीय सभापति महोदय, कि 150 बाई 150 के प्लाट के आधार पर दिया जायेगा । 83 में कांग्रेस की गवर्नमेन्ट आने के बाद खनिज मन्त्री महोदय ने फिर रिवाइज किया कि 150 बाई 150 का वायेबल नहीं है कोटपूतली तहसील के अन्दर इसलिए 300 बाई 300 के प्लाट देंगे । लेकिन रामेश्वर बजाज, जो नेशनल लाइम कम्पनी का कोई प्रोपराइटर नही था, लीज होल्डर नही था केवल एक पार्टनर मात्र था, को नेगोशियेशन करके 41। किलोमीटर की लीज दे दी । यह कोटपूतली की वह लीज है जिससे आज आर. एम. एम. एम. डी. सी., जो दिवालिया कारपोरेशन है, 40 लाख रुपये का नेट प्रोफिट कमा रहा है । उसके एक कागज की दरख्वास्त पर मन्त्रीजी ने उसको दे दिया । अब उसके बाद क्या होता है । रामेश्वर दयालजी को दी इसलिये नेशनल लाइम कम्पनी ट्रिब्यूनल में गई क्योंकि उनको रिन्यूअल नही दिया गया । वहां से स्टे हो गया ट्रिब्यूनल में जाने के बाद यह तय हो गया कि रीको के माध्यम से रूंगटा को जो 5।। किलोमीटर का इलाका दे दिया गया है उसको तो सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए दे दिया जाये और बाकी के लिए पुर्नविचार राज्य सरकार करे । 41। किलोमीटर क्षेत्र जो बचा रामेश्वर

(श्री शिवचरण सिंह)

दयाल जी ने स्टे होने के बाद उसको भी रीको को दे दिया। एक मामला हाईकोर्ट में गया क्योंकि इसको जो एप्लीकेशन थी, माननीय सभापति महोदय, 6 एप्लीकेशन मेजर में थी और 20 एप्लीकेशन्स माइनर में थीं। तो एक मामला हाई कोर्ट में यह गया कि 150 बाई 150 मीटर की जो गवर्नमेन्ट ने पालिसी बना ली है इसके आधार पर यह क्यों नहीं दिया गया। उसका नोटिफिकेशन हो गया है और इसी आधार पर यह अलाटमेन्ट होना चाहिए था। तो इसमें, हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने फैसला दिया कि गवर्नमेन्ट की जब एक पालिसी है, गवर्नमेन्ट ने गलती की है इसको 150 बाई 150 के प्लॉट के आधार पर देना चाहिए था। उसी सिंगल बैंच का जो फैसला है उसके विरुद्ध वह डी. बी. में गया। डी.बी., हाईकोर्ट ने फैसला यह दिया कि हमको लीगल साइड देखनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखना चाहिए। यहां तक आने के बाद, माननीय सभापति महोदय, अब मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रामेश्वर दयाल जी को 81 के अन्दर जो एरिया दिया गया वह किस आधार पर दिया गया, किन कारणों से दिया गया और कौनसे कानून के अन्तर्गत दिया गया? अब जो पालिसी है 150 बाई 150 के प्लॉट देने के बजाये इस गवर्नमेन्ट ने 300 बाई 300 के प्लॉट की सूरत में कोटपूतली इलाके में माइनर लीज देने के लिए पालिसी रिवाइज की है। यह गजट नोटिफिकेशन की कापी मैं आपको बताना चाहता हूं अगर नहीं मिले तो....

श्री हरिदेव जोशी : हो गया।

श्री शिवचरण सिंह : ... लेकिन मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री कुछ करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : 83 में हुआ है। 83 में हो गया।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : ...इन सारे घोटालों का पता होगा....

श्री हरिदेव जोशी : खो गया क्या?

श्री शिवचरण सिंह : खो नहीं गया है। मेरे पास है, आपको तो मैं बता ही दूंगा।

श्री सभापति : मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं होगा। आप मान लीजिए इसको।

श्री शिवचरण सिंह : लेकिन मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी को इस घोटाले और सारी बात का पता होगा क्योंकि अभी इनका मन जो है वह दूसरी तरफ, शुद्धिकरण की तरफ चल रहा है। तो मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर....

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें।

श्री शिवचरण सिंह : ...मेरी प्रार्थना पर राज्य सरकार गौर करेगी।

श्री सभापति : आप जो कह रहे हैं वह कागज कहां है? खो गया क्या?

श्री शिवचरण सिंह : नहीं गजट की कापी है।

श्री हरिदेव जोशी : ढूंढें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को तीनों गजट की कापियां हैं मेरे पास, पेश कर दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : नाथूसिंह जी ढूंढ लेंगे।

श्री सभापति : आपके साथी ढूंढ रहे हैं। वह मदद कर रहे हैं आपकी। मदद ले लीजिए आप।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापतिजी, इसी किस्म का एक मामला मैं आपकी जानकारी में और लाना चाहता हूं। इसको कहना चाहिए पवाना काण्ड। यह पवाना की एक लीज थी जिसको 1969 के अन्दर सरकार ने लिया था कि इसमें माइनिंग डिपार्टमेन्ट वर्क करेगा। 71 के अन्दर इसको फ्री किया गया और एप्लीकेशन मांगी गयी। इसमें नेशनल लाइम कम्पनी ने माइनर में एप्लाई किया। 6 एप्लीकेशन मेजर में आई जिसमें यह कन्डीशन थी कि सीमेंट फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। गवर्नमेन्ट ने कहा कि जो सीमेन्ट फैक्ट्री लगायेगा उसको हम इस लीज को देंगे। 5 पार्टियों ने मना कर दिया कि सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए वायेबल एरिया नहीं है हम सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लगा सकते। उस समय श्री नन्दलाल जी, जो मांवडे वाले हैं, जो इसी गैंग में शामिल हैं एक ही गैंग के मैम्बर हैं, ने भी एप्लीकेशन दी कि मैं सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। सीमेंट प्लान्ट के लिए नन्दलाल जी को सेंक्शन कर दी। नेशनल लाइम कम्पनी रिवीजन में गयी। सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने लाइम की रिवीजन को खारिज कर दिया। हार गयी और शर्त लगी कि नन्दनालजी सीमेंन्ट फैक्ट्री नहीं लगायेंगे तो लीज केंसिल की जायेगी। यह सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट में जो ऐक ट्रिब्यूनल है उसने फैसला दिया। नेशनल लाइम की रिवीजन तो नहीं मानी लेकिन उन्होंने एक कन्डीशन रख दी कि नन्दलाल अगर इसमें सीमेंट फैक्ट्री नही लगायेगा तो उस हम लीज को कैंसिल कर देंगे। यह रिवीजन में ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया। सीमेन्ट फैक्ट्री क्योंकि नन्दलाल जी ने लगाई नहीं गवर्नमेन्ट ने नोटिस दिया कि सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लगी इसलिए लीज कैंसिल क्यों न कर दी जाये। यह गवर्नमेंट ने नोटिस दिया कि क्यों नहीं तुम्हारी लीज कैंसिल कर दी जाये। तुमने कन्डीशन का वायोलेशन किया है और सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लगाई है इसलिए तुम्हारी लीज क्यों नहीं कैंसिल कर दी जाये। इसके जवाब में यह कहा कि सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लगी, यह लीज हमें माइनर मिनरल में दे दी जाये। यह एप्लीकेशन दे दी, हम सीमेन्ट फैक्ट्री तो नहीं लगा सके हैं मेजर से बदल कर अब हमको माइनर में दे दी जाये। एप्लीकेशन लग गयी।

(6.00 सायं)

सभापति महोदय, गवर्नमेंट ने लीज का 1979 में पजेशन ले लिया। आप देखिये, 79 में जनता पार्टी की सरकार थी उसने लीज कैंन्सिल कर दी। नंदलाल जी रिवीजन में गये और रिवीजन में हार गये। ट्रिब्यूनल में रिवीजन मैं हार गये। हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन नहीं ली। यह बताते हैं किसी तरह से कोटपूतली या कहीं के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां से स्टे ले लिया स्टेटसकोका। राज्य सरकार ने परवाह नहीं की। 79 में वहां पजेशन लेने के बाद भी अनआथोराइज्ड चलाते रहे। राजस्थान सरकार के सामने 6 केसेज आये। एक केस के पीछे 6 केसेज के लिए एक पॉलिसी बनाई और डोडियाल साहब ने प्रपोजल बनाया कि कितने केसेज

(श्री शिवचरण सिंह)

कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। लम्बा चौड़ा नोट बनाकर 6–6 केसे, जिनमें गवर्नमेंट जीतने वाली थी, में लोगों से नेगोसियेशन किया। नेगोस्यियेशन का फैसला किया। लीज में घोटाला देखिये। चार किलोमीटर के एरिया में से डिपाजिट्स बहुत कम एरिया में है। 132 हैक्टेयर के अन्दर डिपाजिट्स हैं। उन्होंने क्या किया 132 हैक्टेयर पर जब सीलिंग वाली सीमा आती है तो पहले इनकी जो एप्लीकेशन माइनर की थी, 150 बाई 150 की कन्डीशन थी, वहां चालाकी चली, गवर्नमेंट को धोखा दिया और अपने पद और पार्टी के लगाव का लाभ उठाया। 150 बाई 150 और 300 बाई 300 के प्लाट की जो कन्डीशन थी उसको ब्रेक कराने के बाद इन्होंने क्या किया? वहां कन्डीशन है 9 हैक्टेयर की लीज होती है इन्होंने लीज ली 32 हैक्टेयर की। जबकि 150 बाई 150 और 300 बाई 300 की ही होती थी। 32 हैक्टेयर होने के कारण से 32 हैक्टेयर का बनता है 3 लाख 20 हजार कुछ, उसके नहीं आने से फिर इन्होंने एक रास्ता निकाला। सारी सरकार इनकी गुलाम बनी बैठी है, सारे अफसर नीचे से ऊपर तक बैठे हैं उसका भी एक कारण है। मैं उस बात को कहना नहीं चाहता और कैसे हुआ....

एक माननीय सदस्य : बता दो।

श्री शिवचरण सिंह : आपको बता दूंगा। बहुत सी बातें हैं कहां तक कथा बाचूंगा।

श्री सभापति : जरा संक्षिप्त कहें, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति जी, मुझे तो इजाजत देनी ही पड़ेगी। देखिये, मैं आपकी भावना को समझ गया आप यह चाहते हैं कि मैं चित्तौड़ और भीलवाड़ा की तरफ मुड़ूं। मैं समझ गया।

श्री सभापति : नहीं, आप सब तरफ बोलें। जरा संक्षेप में कहें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति जी, आपके पड़ोस में भीलवाड़ा के अन्दर एक फर्म है यू. एन. डी. सी. के नाम से। गोलेछा मिनरल्स का एक बहुत बड़ा काम था। जब उसकी सीलिंग में जमीन आई 77 के अन्दर तो वहां पर 10 किलो मीटर का एरिया यू. एन. डी. सी. का अलग रखा गया। यह क्यों रखा गया? उस जमाने में गोलेछा का बहुत जबरदस्त घपला है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप जरा देखें, इस बात को, सुनें, यह नोट करने की बात है। यू. एन. डी. सी. का 10 किलो मीटर का एरिया छोड़ने के बाद बाकी का एरिया छोड़ा तो क्या किया? उस एरिया को फ्री डिक्लेयर नहीं किया, यह क्षेत्र यू.एन.डी.सी. का था, उन्होंने गोलेछा मिनरल्स के नाम से पैरापलाइड की एप्लीकेशन दी जो सोप स्टोन के मुकाबले का एक दूसरा मिनरल है। आप अन्दाज कीजिये, गजट नोटिफिकेशन हुआ नहीं, एरिया डिसाइड हुआ नहीं फिर गोलेछा मिनरल्स के नाम से पैरापलाइड की लीज कैसे दी गई, किन नियमों के तहत दी गई? सैन्ट्रल एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता, माइन्स एण्ड मिनरल्स का जो कानून है उसके अन्तर्गत नहीं आता।

यही नहीं, इनकी एक सिस्टर कन्सर्न है जिसका नाम है जयपुर मिनरल

(श्री शिवचरण सिंह)

डवलपमेंट सिंडिकेट और बताना चाहता हूं, सभापति जी, हमारे मुख्य मन्त्री-जी इसको नोट करेंगे, यह पैरापलाइड की जो लीज दी गई है इसके अन्दर जबरदस्त घोटाला हुआ है। मान लो आज तारीख है 17/17 तारीख के अन्दर एक स्टाम्प खरीदा गया एग्रीमेंट के लिये और 16 को एग्रीमेंट हुआ। वह स्टाम्पड एग्रीमेंट है उसको दिखवा लीजिये। एक दिन बाद स्टाम्प खरीदते हैं और एक दिन पहले की डेट में एग्रीमेंट करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। माइनिंग इन्जीनियर ने परवाह नहीं की, डिपार्टमेंट ने परवाह नहीं की और एक अलग डिपार्टमेंट है इन्सपैक्टर आफ स्टाम्प्स, उसने भी परवाह नहीं की। एक दिन बाद स्टाम्प लिये गये और लीज का एग्रीमेंट किया गया। समय था नहीं, स्टाम्प दूसरे दिन खरीदा, एग्रीमेंट पहले हुआ।

इसी तरह की बातें आपको और बताना चाहता हूं। इन्हीं की एक सिस्टर कन्सर्न है यू. एम. डी. सी.। गोलेछा मिनरल्स और जयपुर मिनरल्स आ गया। अब जयपुर मिनरल्स का रिन्यूअल हुआ है उसकी डेट आफ सैंक्शन है 21-11-81, डेट आफ एग्रीमेंट है 21-1-82। इनका नं. 42 खान 2-1-82। आप अन्दाज कीजिये, यह सारे का सारा एरिया है, अभी एक नियम बनाया है, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आने के बाद हाई लेवल पालिसी निर्धारित हुई कि माइन्स का रिन्यूअल कैसे हो उसके बारे में मैं अर्ज करता हूं। एक लैटर निकला फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आने के बाद डिप्टी सैक्रेटरी गवर्नमेंट आफ राजस्थान का। हाई पावर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ, 17-4-82 का यह डिप्टी सैक्रेटरी का गवर्नमेंट आफ राजस्थान का लैटर है चीफ कनजरवेटर फारेस्ट को, दूसरा डिप्टी सैक्रेटरी माइन्स का है माइनिंग इन्जीनियर को रिन्यूअल की एप्लीकेशन कैसे फार्वर्ड करेगा। यह फार्मूला तय किया कि फारेस्ट वाली लीज किस आधार पर रिन्यूअल करेंगे। इसकी कोई परवाह नहीं की गई, कोई फार्मेलिटीज पूरी नहीं की गई। इन सारे सक्युंलर्स और आर्डर्स का वायोलेशन किया गया। वायोलेशन करने के बाद यह पूरा का पूरा एरिया जयपुर मिनरल डवलपमेंट को लीज पर दिया गया फारेस्ट एक्ट का वायोलेशन करके फारेस्ट एरिया के अन्दर, 82 के अन्दर यह राज्य सरकार का सक्युंलर है कि नहीं दी जायेगी। लेकिन दे दी क्योंकि प्रद्युम्न सिंह के रिश्तेदार थे।

माननीय सभापति जी, अब सुनिये आप, आपको ले चलता हूं दूसरी तरफ। आप बोर हो गये होंगे, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं....

श्री सभापति : जरा संक्षिप्त कहें, और सदस्य भी बोलेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : हम इस सदन में इसीलिये बैठे हैं कि सदन में मांगें पारित हों। माननीय सभापति जी, खेतड़ी के अन्दर एक फर्म है जिसको खड़खड़ की लीज दी गई 24-2-81 को और खरखर है फारेस्ट रेन्ज के अन्दर। गोपीलाल शर्मा को माइका की 3-10-81 को प्रीतमपुरा फारेस्ट रेन्ज में। मोदी मिनरल्स बैराइटीज की लीज 11-10-81 को एक हरिकिशन मित्तल, एक हरिओम मिनरल्स को मार्बल की

(श्री शिवचरण सिंह)

10-2-82 को 19-3-83 को हतानपुर में लिकमैन मेड को। यह जो फर्म आई है इसके मालिक हैं माननीय एम. पी. साहब। इनका एग्रीमेंट अभी हुआ है कहीं चुनाव में गड़बड़ न हो जायें। 19-7-83 को किया गया है।

और सुनिये, सभापति महोदय, यही नहीं है एक हैं श्री हेमचन्द गर्ग, इनका सोप स्टोन का ठेका है। सवाई माधोपुर और जयपुर की बोर्डर पर लालसर फारेस्ट रेन्ज के अन्दर है, जहां लीज है उससे 10 किलो मीटर दूर।

और सुनिये, स्टार एण्ड कम्पनी दिल्ली की है। माइनिंग में लगाव रखने वाले बड़े-बड़े आफिसर, बड़े-बड़े लोग हैं सबके हवाई जहाज के टिकट हैं बड़े बड़े दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हांगकांग के। स्टार एण्ड कम्पनी की सोप स्टोन की लीज है यह गेम सेन्चुरी अलवर में है गेम सेन्चुरी में काम कर रही हैं और अनअथोराइज्ड वर्क चल रहा है। इनकी डैलराइट की लीज चल रही है। यह भी आऊट आफ एरिया 16 किलोमीटर दूर है। एक श्रीमान भूपेन्द्र कुमार कंसल की लीज चल रही है गांव है नागलहिली, अलवर के अन्दर। आऊट आफ एरिया यह भी 10 किलोमीटर दूर है। यह क्यों चल रही, कैसे चल रही है इसका जिक्र बाद में करूंगा। माननीय सभापति महोदय,....

(व्यवधान)

यह आपकी मेहरबानी है मेरे को सुन रहे हैं और लाभ हो रहा है।

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है आप थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : एक झामर-कोटड़ा की बात कहना चाहता हूं। झामर-कोटड़ा में राजस्थान का सबसे ज्यादा मिनरल है। इसमें एक आर. एस. एम. एम. काम करता है और दूसरा आर. एस. एम. डी. सी. काम करता है। माननीय सभापति महोदय, रिपोर्ट देखिये, कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आया है? कास्ट आफ प्रोडक्शन 130 रुपया पर टन बढ़ गया। आप अंदाज कीजिये, कितना भारी इसमें इन्वाल्वमेंट है। आर. एस. एम. डी. सी को चलते कई वर्ष हो गये हैं इस साल भी दस लाख रुपया आर. एस. एम. डी. सी. को दिया जा रहा है। यह तो तब है जब कोटपूतली की लीज लेनी है, चालीस लाख का नेट प्राफिट है। तब दस लाख रुपया आज गवर्नमेंट दे रही है। आर. एस. एम. डी. सी. की स्थिति क्या है? कोटपूतली, गोटन, डूंगला, जालोर, उदयपुर और बांसवाड़ा में आर. एस. एम. डी. सी. के इतने एरिया चल रहे हैं। एक ही राजस्थान स्टेट का ग्रेनाइट और मार्बल कारपोरेशन का काम है उसमें केवल 42 लाख का घाटा हुआ 83-84 के अन्दर। यह ए. जी. की रिपोर्ट में है, जो पेश हुई है। आर. एस. एम. डी. सी. में कैसे-कैसे लोग आते हैं? रुंगटा, फूंगटा, मूंगटा। वह तो गये, वहां चेयरमैन थे, नहीं तो सत्यानाश हो जाता करोड़ों रुपयों का। मैं उनकी बड़ाई की कथा नहीं कर रहा हूं, यहीं की कह रहा हूं, हांगकांग की नहीं कह रहा हूं। सारी बताऊंगा। यह ए. जी. की रिपोर्ट का हवाला है।

(श्री शिवचरण सिंह)

आपको ताज्जुब होगा, आर. एम, एम. एम. इतना बड़ा राजस्थान गवर्नमेंट का अण्डरटेकिंग है उसके अन्दर कितने मजदूर काम करते हैं, करोड़ों की आमद है, वहां पर जो मजदूर हैं उनके लिये पांच कुएं पानी पीने के बने हुए हैं, पानी के बाबत पी. एच. ई. डी. ने रिपोर्ट दे दी कि यह पानी पीने के लायक नहीं है, लोग कुबड़े हो जायेंगे। मजबूर कर रहे हैं वहां के सारे मजदूरों को। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मालूम नहीं होगा, माननीय गुलाबसिंहजी उदयपुर से आते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होगा, उन पांच कुओं का पानी पीने के लिये मजबूर कर रहे हैं। मजदूर वहां के एजीटेट हो रहे हैं लगातार दो साल से। वहां जितने भी घिसे-पिटे रिटायर लोग हैं जिनको कोई सूंघता नहीं है उनको लगा रखा है। कई भटनागर लगा रखे हैं, कई सटनागर लगा रखे हैं। 16 अफसर हैं जो वहां अभ्यास के रूप में खा रहे हैं। वहां पब्लिक लाइजन आफिसर अलग हैं। लेकिन किन किन को कौन कौन ओब्लाइज कर गये, कौन नहीं कर गये, पहले मुख्य मंत्री कर गये होंगे, खुशामद करो और लो हिस्सा, लूट लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें, कई सदस्यों को बोलना है।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आयी है, इनके फारेस्ट के नाके हैं। कोटा बूंदी की तो बात नहीं करता एक ही बात कहना चाहूंगा....

श्री सभापति : एक बात कह कर समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : 107 तो परमानेन्ट नाके हैं। हाउस के सदस्य मुझे कह देंगे, सभापति महोदय, इनके मन की ओर आप देख लो, मन की ओर देख लें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था होती है, सदस्यों की व्यवस्था नहीं होती।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय 142 नाके हैं। 142 नाकों में से मैं आपको एक ही नाके की स्थिति बताता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह नाका कोटा में है जिसका नाम है नामाना। कोटा जिले में है। वहां पर, माननीय सभापति महोदय, 26 अप्रेल, 1985 के पहले 180 गाड़ियां पत्थर की पर डे आती थीं। उसके पश्चात उसकी शिकायत हुई, जांच हुई, विरोध पक्ष के लोगों ने लिखा, सत्ता पक्ष के लोगों ने लिखा। तो 180 के बजाय 230 गाड़ियां पर डे हो गई एक ही दिन में। एक गाड़ी पत्थर की रायल्टी होती है 140 रुपये से 160 रुपया। यह गाड़ियों का, ट्रक का नम्बर है। 26 अप्रेल से पहले प्रतिदिन की रायल्टी थी 180 इनटू 150, यह बैठता है, माननीय सभापति महोदय, 27,000 रुपया पर डे। 26 अप्रेल के बाद प्रतिदिन की रायल्टी हो गई 230 × 150 = 34,500 रुपये। यानी इस नाके से विभाग को पर डे हानि 7500 रुपये की थी। 7500 रुपये प्रतिदिन की हानि थी यह आपके रेकार्ड में है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, रेकार्ड तलब कर लें। एक ही दिन में शिकायत होने के बाद यह डिफरेंस

(श्री शिवचरण सिंह)

आया है। मासिक हानि टोटल हुई है 2,25,000 रुपये की। साल भर के अन्दर हानि हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख नहीं 27 लाख रुपये। 27 लाख रुपये की हानि एक नाके की है, ऐसे नाके 142 हैं। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं डेट दे रहा हूं इसकी जांच करा लीजिये। धौलपुर की तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। धौलपुर के नाके में यहां से बड़ी बात है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, हमने अपना समय इनको दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अन्य सदस्यों को बोलना है। आप संक्षिप्त करें अपनी बात को। आप जितना लंबा चाहे कर सकते हैं, दो घंटे बोल सकते हैं। शार्ट में कहें आप।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, धौलपुर के अन्दर एक फर्म है, किरोड़ीलाल वीरेन्द्रपाल।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उस नाके में तो हानि बता दो ?

श्री शिवचरण सिंह : साहब बता रहा हूं, आपके हित की बात कह रहा हूं। आपकी डिमाण्ड में लाभ होगा, टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, घोटाले कम हो जायेंगे।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, आप कृपा करोगे तो आगे बताऊंगा, यह तो पिछले वालों का लेखा-जोखा है, अब तो गाड़ी सुधार में है।

माननीय सभापति महोदय, एक बेनामी फर्म है—किरोड़ीलाल वीरेन्द्रपाल की। इनका अता-पता नहीं है, मर गये, कहीं निशान नहीं। पावर आफ अटार्नी से बीस साल से मामला चल रहा है। लीज होल्डर, धनी-धोरी का कोई पता नहीं, सारा पावर आफ अटार्नी से चल रहा है। एक दूसरी धौलपुर स्टोन कम्पनी है जिस दिन मैंने बजट भाषण पर बहस में कहा था उस दिन माननीय सदस्य नहीं थे, आज वह भले हैं, अच्छे हैं। आप अन्दाज कीजिये, एक जमाना था मैं कांग्रेस के अन्दर बैठता था, इन्दिराजी की काल आयी कि जो कांग्रेस में सीलिंग में आस्था रखते हों उनको जमीन देनी चाहिये। मैं बैठा हूं, इन कांग्रेस वालों को छोड़ कर क्यों आया हूं ? 112 बीघा जमीन मैंने सरेण्डर की, यह ढाई-ढाई सौ किलोमीटर लेकर बैठे हैं, यह कायके कांग्रेस में हैं, यह तो भ्रष्ट आचरण वाले लोग हैं इसलिये मैं छोड़कर आया हूं।

सवा दो सौ किलोमीटर का एक एरिया है, माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, हण्ड्रेड परसेंट एरिया फारेस्ट के अन्दर है जो किरोड़ीलाल वीरेन्द्रपाल के पास है। करौली के अन्दर 243 फर्मों को नोटिस दिये गये, कि फारेस्ट में चल रहे हैं इनको एक को भी नोटिस नहीं दिया

(श्री शिवचरण सिंह)

जायगा। शत प्रतिशत फारेस्ट के अन्दर है लेकिन डी.एफ.ओ. को ट्रांसफर पर जाना है क्या, माइनिंग इन्जीनियर को पिटना है क्या? आप ताज्जुब करेंगे, मेरे यहां के लोग आये, मेरे यहां के लोगों ने कांग्रेसियों ने पर्चा छपवाया। माननीय मुख्य मन्त्री से जाकर मिले हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास खुद गया और मिला। उन्होंने कहा, मैंने कोई आर्डर नहीं दिया। मैंने कहा, फारेस्ट के अन्दर जो नोटिस सर्व हुए हैं, क्या फारेस्ट में माइन्स चलाने की आपने इजाजत दी है? मुझे उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने नहीं कहा। मैंने उस बात की चर्चा नहीं करनी चाही। धौलपुर के अन्दर फारेस्ट एरिया के अन्दर, डी.एफ.ओ., माइनिंग इन्जीनियर की ड्यूटी है, नोटिस क्यों नहीं दिये? इन पार्टियों को नहीं दिये तो दोष के भागी हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। क्या प्रभावशाली आदमियों पर कानून लागू नहीं होता? क्या उनको छूट दे रखी है? यह राज की स्थिति है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करने की चेष्टा करें। बहुत लम्बा हो गया। आप बहुत लम्बा बोल सकते हैं, मैं जानता हूं। आप समाप्त करने की चेष्टा करें, बाकी सदस्यों को बोलना है।

श्री शिवचरण सिंह: करौली के अन्दर एक फर्म थी मंसूरियाराम की। सिक्स्थ रिन्यूअल का प्रोविजन है और एक प्रोविजन यह है कि सिक्स्थ रिन्यूअल के बाद 6 महीने तक रिन्यूअल की कंडीशन पर वर्किंग परमिशन होती है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री से, परमिशन में कितने रिन्यूअल पैन्डिग चल रहे हैं? 200 चल रहे हैं। 200 पैन्डिग चल रहे हैं जिनके रिन्यूअल को 6 महीने से ऊपर की मियाद हो गई। कानूनन चल नहीं सकते, किसी को अधिकार नहीं है। या तो कैन्सिल कर देने चाहिये थे या रिन्यू कर देने चाहिये थे जो नियम के अन्तर्गत आते है। किसने किया यह काम? माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मालूम नहीं होगा, लेकिन किसने किया? डोडियाल ने। अब वह डोडियाल भाग गये, मैं कहूं किसके खिलाफ। मैं चाहता था कि डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल राजीवजी को भेज दें, अपने रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में....

(व्यवधान)

मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेज होते है उन सब पर वो एक्शन लेते, जैसे भजन लाल के खिलाफ कोई चार्ज लगाया है। पहले गये हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अब वह चार्ज हमको देने वहां जाना पड़ेगा। यहीं से ले जाते, तैयार मिलता वह सारा अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटाना तो साहब यह लीपापोती की बात अलग है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। मुझे मजबूर नहीं करें।

श्री शिवचरण सिंह: एक किस्तूर चन्द का, भौंरीलाल जैन का है। एक-एक बता रहा हूं।

श्री सभापति: आपके पास काफी बोलने का मसाला हो सकता है।

श्री शिवचरण सिंह: माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने के पश्चात् गवर्नमेंट की इजाजत होने के बाद 80 के बाद जो माइनिंग लीज माइनिंग इन्जीनियर ने जिस स्तर पर ली है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह कह दें कि उन्होंने डिस्ओबिडेन्सी की है, कानून का उल्लंघन किया है। यह नियमों के अनुसार नहीं है, मैं बताऊंगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, सस्पेण्ड करें।

इतना कहने के पश्चात् मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो-जो वायोलेशन हुए हैं, उस पर आप एक्शन लें। कानून को जहां-जहां पर लोगों ने तोड़ा है उनके बारे में आप कार्यवाही करें। जो लोग बैकडोर एन्ट्री से माइनिंग लीज हथियाने के चक्कर में अपनी पार्टी और परायी पार्टी से सुविधा लेकर राजस्थान की धन और सम्पदा को लूटना चाहते हैं उनको रोकिये। आप मालिक नहीं हैं, आप कस्टोडियन हैं। आने वाला इतिहास कहेगा कि फलाना आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा उसने बुराइयों को दूर किया, बहुत जमाना चला गया। यह कांग्रेस में अब सारी परिस्थिति है। आज आप सत्ता में हो आपकी ड्यूटी होती है, आपने सत्यनिष्ठा से कसम खाई, आप कस्टोडियन हैं सारे सेटअप के, यह प्रजातंत्र की व्यवस्था है इस व्यवस्था में आयेंगे और चले जायेंगे, जो आदमी काम कर जाऐंगे ठीक तरीके से प्रशासन को चला जाऐंगे तो उनका यश होगा, नाम रहेगा। नमस्कार।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा-रामगढ़): सभापति महोदय, समाज के प्रारंभिक काल में ही आदमी की रोजी-रोटी चलाने के लिए उद्योगों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारम्भ के अन्दर, आदमी खेती से रोजी-रोटी चलाता था पर जब समाज विकसित हुआ और आगे बढ़ा, तो न केवल खेती के विकास के लिए बल्कि अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता महसूस की गई। सभापति महोदय, तब से निरन्तर उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाये गये और आगे बढ़ते गये। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं जब प्रजातन्त्र इस देश में कायम नहीं था तो यह उद्योग जैसे कार्यक्रम केवल कुछ लोगों के हाथ में इस प्रकार सीमित थे जिससे आम लोगों का कल्याण नहीं होता था। जब देश के अन्दर प्रजातन्त्र कायम हुआ, कांग्रेस की सरकार कायम हुई तब उसने अपने घोषित कार्यक्रम, आर्थिक नीति के अनुसार उद्योगों के कार्यक्रम में समाजवाद की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रारम्भ किया और तभी से ऐसी स्थितियां कायम की गई कि उद्योग निरंतर बढ़ते रहें, लोगों को निरंतर इसके जरिए रोजगार मिलता रहे। परन्तु यह भी आवश्यक समझा गया कि उनको निरंकुश नहीं रखेंगे जिस प्रकार से रियासती काल में और अंग्रेजों के जमाने में यह चल रहे थे क्योंकि पूंजीवाद एक इस प्रकार की अपने आप में बुराई लेकर आता है कि यदि इस पर कोई अंकुश नहीं रखा जाय तो यह अपने इतने हाथ पांव फैलाता है कि गरीबों और खास तौर से ऐसे लोगों,

(श्री भेरू'लाल भारद्वाज)

जिनके पास साधन नहीं हैं, को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने आते ही उद्योगों की निरंकुशता पर अंकुश लगाया और अंकुश के जरिए दो प्रकार की बातें कीं। एक तो उद्योगों को बढ़ाने के लिए, फलने-फूलने के लिए तरक्की करने के लिए उनका मापदण्ड और आवश्यक सुविधाएं जुटाईं ताकि वह आगे बढ़ते रहें, साथ में यह भी रखा कि किसी प्रकार वह उसका दुरुपयोग न कर सकें, चाहे कारखाने में काम करने वाले कारिंदे हों, चाहे मजदूर हों अथवा उपभोक्ता लोग हों उनकी उद्योगों के जरिए जो सामान पैदा होता है उसके जरिए लूट न हो, इसको नियंत्रित कर सकें। दूसरा, सभापति महोदय, जब तक प्राइवेट उद्योग इसी प्रकार से चलते रहेंगे और उन्हीं को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित ही हम समाजवाद के कार्यक्रम में इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए यह भी आवश्यक समझा गया कि मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और मूलभूत उद्योग सरकारी स्तर पर चलाये जायें। आज हिन्दुस्तान में जितने भी मूल उद्योग हैं, माननीय सभापति महोदय, चाहे इस्पात का हो, चाहे बिजली का काम ले लीजिए, चाहे अन्य इसी प्रकार के बड़े बड़े काम ले लीजिये इन सभी उद्योग धन्धों का काम राज्य सरकार के स्तर पर चालू किया। इसके दो लाभ हुए। एक तो यह है कि प्राइवेट उद्योगों पर अंकुश लग गया ताकि एक तरफा कोई भी कार्यवाही करके शोषण को आगे नहीं बढ़ा सकें, दूसरे मूलभूत उद्योगों को सरकार के कब्जे में लेने से एक तरीके से इसकी आर्थिक दशा का कंट्रोल हुआ। सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि जब सरकारी उद्योगों की आलोचना की जाती है तो इसमें घाटे की बात सामने आती है। यह बात सही है प्राइवेट उद्योगों के मुकाबले में हमारे सरकारी उद्योग लाभ नहीं कमा सके। इसके दो कारण हैं! एक बात तो यह कि हमने केवल मुनाफा कमाने की दृष्टि से उद्योग स्थापित नहीं किये, मूल बात तो यह है कि यह कोई बिजनेस का काम नहीं है कि केवल हमने व्यापार के लिए सरकारी उद्योग कायम किये हैं। हमने उद्योग शोषणको बचाने और सारी उन वस्तुओं पर कंट्रोल रखने के लिए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार प्राइवेट उद्योगों के अन्दर लोगों का शोषण होता है, उनको तंग किया जाता है, चाहे जब निकाल दिया जाता है, उनको पूरी मजदूरी वेतन आदि और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और इस प्रकार से मुनाफा बचाते हैं यह सरकारी उद्योगों का काम नहीं है। फिर मैं समझता हूं कि कुछ व्यवस्था की खामी से आज सरकारी उद्योगों में घाटा चल रहा है। इसमें हम मुनाफे की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी जो नौकरशाही है जिसको हम इन्चार्ज बना देते हैं सरकारी उद्योगों के लिए असल में वही प्रशिक्षित नहीं होती। सभापति महोदय, आई. ए. एस. एक ऐसी पदवी है जिसको हम सभी कामों के अन्दर सभी बीमारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आई. ए. एस. बैठे हैं किसी दूसरे विभाग में, कल उसको किसी भी उद्योग का इंचार्ज बना कर भेज दिया जाता है। इसलिए हम अब यह बात ध्यान रखने लगे हैं, माननीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने खास तौर से सरकारी उद्धोगों पर ध्यान दिया है और उन्होंने यह भी इंगित कर दिया है कि सर_

(श्री नंदूलाल भारद्वाज)

कारी उद्योग इस प्रकार से इतनी लापरवाही से नहीं चलाये जा सकेंगे और जो भी चल रहे हैं उनमें निश्चित तौर पर सुधार लाना आवश्यक होगा। तो एक तो यह बात है कि हमें सरकारी उद्योगों में ट्रेनिंग दिए हुए और प्रशिक्षित लोगों को प्रबन्ध के अन्दर रखना चाहिए ताकि जो इस तरह की दिक्कतें आज आ रही हैं और कमियां हो रही हैं उसको दूर किया जा सके। सभापति महोदय, एक तीसरे प्रकार का उद्योग भी हमने चालू किया है उद्योगों की तरक्की के लिए, यह है मिश्रित उद्योग जिसके अन्दर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिल कर काम करते हैं। इसके भी अच्छे नतीजे निकले हैं। इसके कारण न केवल इन्तजाम का मामला ठीक बैठता है बल्कि इससे शोषण से बचने में भी लाभ मिलता है इसलिए जो मिश्रित उद्योग हमने चालू किए हैं यह भी उद्योग की शृंखला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

हमारी सरकार ने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नये कार्यक्रम चालू किए हैं। उसमें चूरू और बाड़मेर जिलों को राज्य सरकार के प्रयत्नों से पिछड़े जिलों में घोषित किया गया है। अभी अन्य जो पिछड़े जिले हैं उन की तरह इन दो जिलों को भी 25% केन्द्रीय अनुदान मिलता रहेगा। साथ ही, हमने रीको के जरिए भी राजस्थान के उद्योगों को बढ़ाने की कार्यवाही की है। 160 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा चुकी है और 85-86 के अन्दर रीको के द्वारा 50 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष कार्यक्रम में 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सिरोही, जो नो इंडस्ट्री ज़िला है, में संयुक्त क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से उच्च तकनीक पर आधारित एकस्ट्रा हाइटेंशन इंसुलेटर बनाने की महत्वपूर्ण परियोजना रीको ने लगाई है। माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम को उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। हमने एक प्रकार से शहरों के नजदीक ही उद्योग क्षेत्र लगाने की प्रक्रिया जारी कर रखी है। जयपुर को ही लीजिए जयपुर के नजदीक हमने काफी उद्योग स्थापित किए हैं जिससे काफी दिक्कतें बढ़ती हैं इसलिए इसमें सुधार लाने के लिए भविष्य में हम उद्योग स्थापित करें तो हमको ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर उद्योग के लाइसेंस देने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली और पानी मौजूद है तो कोई कारण नहीं है कि जयपुर की बजाय गावों में उद्योग ठीक ढंग से नहीं चला सकें। वहां बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। गांवों के अन्दर सुविधा भी रहेगी, रोजगार बढ़ेंगे तरक्की होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारी भविष्य में किसी प्रकार के उद्योग के लाइसेंस देते समय यह बात ध्यान में रखें कि किसी प्रकार के ऐसे क्षेत्र के अन्दर लाइसेंस दें ताकि गावों का भी विकास हो सके।

सभापति जी, प्रदेश के उद्योगों के बारे में निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें कई दिक्कतें हैं जैसे अभी वस्त्र उद्योग के बारे में मामला कुछ देर पहले आया था, पाली का मामला आया था। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जो पूंजीपतियों की तरफ से तालाबन्दी की जाती है उस पर हमें और प्रभावशाली ढंग से अंकुश रखना चाहिए। कई बार उलझन आती है कि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कुछ मजदूर संघ मिल कर बेजा हड़ताल से नुकसान पहुंचाते हैं सभापति महोदय, मजदूरों की यूनियन केवल मजदूरों द्वारा चलाई जाती है तो मैं समझता हूं कि मजदूरों के हित का अधिक ध्यान रखती है और किसी प्रकार की बेजा कार्यवाही नहीं करती है पर मुश्किल यह है कि मजदूरों के यूनियन के अन्दर राजनीति घुस जाती है। जो मजदूरों को गुमराह करके उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हड़ताल कराते हैं इससे न केवल उद्योगों के उत्पादन में नुकसान होता है बल्कि मजदूरों को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि मजदूरों के हितों का सरक्षण हमें स्वयं देखना है। यदि किसी प्रकार से मजदूरों के हक असुरक्षित नजर आयें तो हमें खुद को ध्यान रखना चाहिए ताकि हड़तालबाजी का कार्यक्रम न हो। साथ ही, पूंजीपतियों को तालाबंदी के लिए हमको बिल्कुल सख्ती के साथ पाबन्द करना चाहिए। जिस प्रकार पाली के अन्दर कार्यवाही हो रही है, पहले जयपुर में हुई थी, कारखाने इस प्रकार से बिल्कुल बन्द कर देना उचित तरीका नहीं है।

यह जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, माननीय सभापति महोदय, इनमें बिजली की सख्त आवश्यकता है। जैसा कि बिजली की बात पर इस सदन में कई बार विचार किया गया है, बिजली के लिये यद्यपि आगे तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं परन्तु बिजली की बहुत कमी है। तो मैं यह कहता हूं कि उद्योगों को अपनी प्राइवेट जनरेट करने के लिए कहना चाहिए। जैसा कि हमारी सरकार सोच भी रही है, विद्युत का उत्पादन प्राइवेट सैक्टर में हो, इसके लिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार से हमको इजाजत मिलेगी। इस सम्बन्ध में हमको उद्योगपतियों से यह कहना चाहिए कि वे उद्योग के लिए बिजली खुद ही उत्पादित करें। सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में जो बिजली है वह उसको नहीं देनी चाहिए ताकि खेती और दूसरे लघु उद्योगों, छोटे उद्योगों को हम बिजली मुहैया करा सकें। तभी हमारे उद्योगों की प्रगति तेजी से होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग के अन्दर जो हमारी लाइसेंसी प्रणाली है इसका कुछ सरलीकरण होना चाहिए। उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आता है तो कई टेबल पर कई महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं इससे उद्योग लगाने वाले को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए मेरा सुझाव है कि लिमिट समय की होनी चाहिए और कम से कम टेबल होनी चाहिए जिससे जल्दी घूम कर यह कार्यवाही पूरी की जा सकें। हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्होंने न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी उद्योग में नाम कमाया है। हमारी सरकार को चाहिए कि यह हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनको उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया जाय। उनको सारी सुविधाएं जो नियम के हिसाब से ठीक हों, मुहैया करनी चाहिए। हमारे जो जिले शेष रह गये हैं उद्योगों के बारे में उसके बारे में हमें अधिक से अधिक ध्यान देकर सारे जिलों में उद्योग लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जिले आज तक पिछड़े हुए हैं....

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : एक ही मिनट और निवेदन करूंगा कि ये जितने बाहर के लोगों द्वारा उद्योग लगाये जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान में बहुत कम लाभ पहुंचाते हैं और राजस्थान से लाभ ज्यादा उठाते हैं। हम इनको राहत दर पर बिजली देते हैं, राहत दर पर जमीन देते है, राहत दर पर हम इनको सुविधाएं सारी जुटाते हैं और उसके एवज में यह और तो और स्थानीय लोगों को भी मजदूरी नहीं देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं। बाहर से मजदूर लाते हैं और अपना आफिस भी प्रांत से दूर ले जाते हैं इन पर हमको अंकुश लगाना चाहिए कि कोई भी उद्योग राजस्थान में स्थापित हो तो उनको अपना हेड आफिस और अपना कार्यालय राजस्थान में ही रखना पड़ेगा और यहां के लोगों को उनको नौकरी देनी पड़ेगी ताकि राजस्थान के लोगों को अच्छे ढंग से अपने रोजगार के लिए कार्य मिल सके।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : मैं उद्योगों के बारे में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि कुछ उद्योग हमको लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखने चाहिये, जैसे वस्त्र का उद्योग है। ऐसे सामान जो जीवन उपयोगी हैं उनके उद्योग और ज्यादातर गांवों के अन्दर जैसे धोती जोड़ा साड़िया हैं, मलमल और लठ्ठा के थान हैं इस प्रकार के कपड़े का काम हमको लघु उद्योग के लिए, खास तौर से पावरलूम वगैरह के लिए सुरक्षित करना चाहिए ताकि गांवों के अन्दर पावरलूम की व्यवस्था से लोगों को रोजगार मिल सकें। बड़े उद्योगों को हमको हटा देना चाहिए उन पर पाबंदी लगानी चाहिए कि ऐसी नियन्त्रित वस्तुएं नहीं बनायेंगे। छोटे उद्योगों को यह बनाने के लिए पाबन्द किया जाये। इस सम्बन्ध में खादी और ग्रामोद्योग के ऊपर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह खादी और ग्रामोद्योग न केवल हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, बल्कि गांवों के अन्दर रोजगार देने का एक साधन है। जब तक हमारा देश पूर्णतया औद्योगीकृत नहीं हो तब तक हमें छोटे उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : मैं उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई जगह उद्योगों ने वायु, जल को इतना प्रदूषित कर दिया, माननीय सभापति महोदय, कि उससे न केवल पानी के अन्दर रहने वाली मछलियां, पक्षी और दूसरे जानवरों बल्कि पशु और आदमियों में भी बीमारी फैल रही है। आप कोटा के अन्दर देखिये, डी. सी. एम. की जो फैक्ट्री है उसका जहरीला धुआं गैस निकलती है उससे बड़ा नुकसान होता है। प्रदूषण से बहुत से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है हमको उसके ऊपर भी चैक रखना चाहिये।

श्री सभापति : इसका विषय अलग से है, पर्यावरण आयेगा उस दिन आप बोल लीजिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह उद्योग से सम्बन्धित बात है। माननीय सभापति महोदय, उद्योगपति को हम इस प्रकार से खुला छोड़ दें कि सारे वातावरण को दूषित करता रहे ? उसका गन्दा पानी बह कर नदी और नालों में चलता रहे ? सारे नदी नालों का पानी दूषित होने से लोगों का नुकसान होता रहेगा। उसको बन्द करना चाहिए, पाबन्दी लगानी चाहिए। कोई भी उद्योगपति प्रदूषण से बचने के लिए प्लांट पहले लगायें।

श्री सभापति : आप सही कह रहे हैं पर इसका अलग से विषय है आगे।

एक माननीय सदस्य : उन उद्योगपतियों को माननीय भारद्वाज साहब से मिला देंगे।

श्री सभापति :आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप मिला देंगे तो मैं उनको पाबन्द करूंगा कि इस तरह की गड़बड़ी नहीं करें। मोडक के अन्दर सीमेंट प्लांट है उससे भी प्रदूषण होने की बहुत बड़ी शिकायतें हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रदूषण से हमको बचना चाहिए। पाली के लोग शिकायत करते रहते हैं, पाली में प्रदूषण के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं है, सारी स्थिति खराब हो गयी है, खेती की जमीन बिगड़ रही है। इस प्रदूषण से न केवल पानी को नुकसान हुआ बल्कि उस जमीन को भी नुकसान हुआ, जमीन खारीय हो गयी खेती के काम की नहीं रही इसलिए हमको इस ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राख और गन्दा तेल और गन्दा पानी जो प्रदूषण से सम्बन्धित बातें हैं इनको कन्ट्रोल करने के लिए आज की नई तकनीक के हिसाब से उद्योगों को व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वे खुद नहीं करते हों तो उसके लिए सख्ती से पाबंदी के लिए हमको व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि वह उसको पाबन्दी के साथ कर सकें।

मैं आज खनिज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी लाइम स्टोन है। कई जगह खानें हैं। इस प्रकार का लाइम स्टोन है, माननीय सभापति महोदय, कि हमारे यहां मैग्निसियम का प्लांट लगा सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ क्षेत्र में मैग्निसियम प्लांट लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक उद्योग वहां पर चल सके और लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं एक बात यह कहता हूं कि मेरे ही क्षेत्र के अन्दर बड़े बड़े क्षेत्र लोगों ने रिजर्व कर रखे हैं, यह जो 15 किलोमीटर देने की छूट दे रखी है खनिज के अन्दर यह बहुत गलत बात है इससे मानोपोली हो गयी है लोगों की, इसलिए इसको हमको हटाना चाहिए और 150 × 1.0 मीटर के प्लांट गरीब लोगों को ज्यादा देने चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट हो लूंगा।

श्री सभापति : नहीं आप। पहले इधर के सदस्य बोलेंगे उसके बाद आप बोलेंगे।

श्री अब्दुल अजीज।

(व्यवधान)

मैं आपसे बोलने के लिये कह रहा हूं। सबके नाम बोलूंगा मैं। सब लोग शान्त रहें।

श्री अब्दुल अजीज।

(व्यवधान)

सब लोग बोलेंगे। समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको और पूरे सदन को इस बारे में जानकारी देता हूं कि राजस्थान की आमदनी का मुख्य जरिया मिनरल्स है। मिनरल मेटैलिक हो या नान मेटैलिक, मिनरल पर ही हमारी पूरी की पूरी इण्डस्ट्री खड़ी होती है। देश ' लोग जिसमें हम हैं, हमारे मजदूर हैं हमारे टेक्निकल आफिसर्स हैं ये सब के सब काम करते हैं अच्छे सुखी जीवन के लिये। मैं, सभापति महोदय, एक बात आपको बताऊं कि लघु उद्योग और उद्योग यह दो शब्द हमारे सामने हैं। एक मेजर मिनरल और एक माइनर मिनरल। यह मेजर और माइनर अमीर और गरीब के साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ हमारे कारखाने हैं। और जो कुछ हमारे काम करने की बात है यह जो हमारा समाज और हमारी सरकार है तो जिनके पास मिनरल है क्या उनके पास कारखाने होना जरूरी है या जिनके पास कारखाने हैं उनके पास मिनरल होना जरूरी है? यह जो सोशियो इकानमिक पालिसी है उसमें सरकार को तो केवल आय ही लेनी होती है लेकिन इसके पीछे हमारे देश की दिशा, हमारे देश की इकानमी, हमारी आर्थिक नीति यह होनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी दें हम, ज्यादा से ज्यादा जो इन्डस्ट्रीज हैं उनको नयी टेक्नालाजी और विज्ञान के जरिये आगे बढ़ायें और मिनरल, जो रॉ मेटीरियल है, को भी हम नयी टेक्नालाजी के आधार पर आगे बढ़ायें। यह हमें दिशा रखनी है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय एक बात कहना चाहता हूं कि जो परेशानी मेरे क्षेत्र में भी रही है वह है सेन्ट्रल एक्साइज की। सेन्ट्रल एक्साइज का मामला सारा का सारा भारत सरकार से है लेकिन यह बात जरूर मानी जायेगी कि सेन्ट्रल एक्साइज के मामले में जो वित्त मंत्री हैं उनके दिमाग में क्या है, उनका कान्सस क्या है, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा और उनके ब्यूरोक्रेट्स ने दिल्ली में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसको मैं बताता हूं और उस तमाम घटनाचक्र से लघु उद्योग को क्या नुकसान पहुंचा उससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, आठ मई, 1985 के बिल के सम्बन्ध में एक पत्र जनार्दन पुजारी जी का मुझे मिला, 11 मई का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है,

"As you are aware, the Finance Minister has annouced certain duty reliefs for the marble indu-

(श्री ग्रब्दुल ग्रजीज)

stry at the consideration stage of the Finance Bill, 85 oh 8th May, 1985"

8 मई का जिक्र उन्होंने इस खत में किया है

"The rate of duty on marble slabs and tiles has been reduced from Rs. 20/- per square metre to Rs. 10/- per square metre."

दूसरी बात ग्रौर तीसरी बात उन्होंने कही है,

"Marble slaqs and tiles manufactnred with the aid of power not exceeding 10 Horse Power have been completely exempted from excise duty."

यह तीसरी बात कही। ग्रौर चौथा जुमला उनका जो है,

"Besides, a scheme of compound levy has been introduced for marble slabs, manufactured by using conventional gangsaws."

यह श्री जनार्दन पुजारीजी का पत्र है जो स्टेट फाईनेंस मिनिस्टर हैं उनके बयानात को रोशन करता है। सभापति महोदय, मैं ग्राप-को 8 मई के उस बयान से ग्रवगत कराऊं जो वित्त मन्त्रीजी, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी ने बयान दिया। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की यह फोटो कापी मेरे पास है पेज नम्बर 1134 पर उन्होंने कहा।

"मार्बल स्लैब ग्रौर टाइल्स पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 10 रुपये वर्गमीटर शुल्क करने का विचार है। छोटी इकाइयों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा।"

"This is the assurance by the Finance Minister at the floor of the Parliament on 8th May, 1985. जिसका जिक्र स्टेट मिनिस्टर ने ग्रपने पत्र में किया है उसमें यह बात दर्शायी गयी है। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों ग्रौर मैम्बर्स ग्राफ पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि छोटी इकाइयों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा।

श्री सभापति : पर माननीय सदस्य, यह भारत सरकार का मैटर है, यहां तो राजस्थान की बात करनी है।

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : सभापति महोदय, भारत सरकार का मैटर है लेकिन ये जो सरकार है भारत सरकार के ग्रधीन है ग्रौर भारत सरकार के फैसले से हम सब पाबंद है।

श्री सभापति : ग्राप ठीक कह रहे हैं....

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : इससे जो छोटी इकाइयों के लोग मर जाते हैं, उनका नुकसान होता है।

श्री सभापति : परन्तु यह हाउस क्या कर सकता है उसके लिए? गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिये?

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : गवर्नमेंट सब

(श्री अब्दुल अजीज)

कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट ने दो बार अपने सुझाव भेजे हैं भारत सरकार को।

श्री सभापति : हां, सुझाव भेज सकती है।

श्री अब्दुल अजीज : मुख्य मन्त्रीजी इन्चार्ज हैं इण्डस्ट्री और माइन्स के, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से भारत सरकार को मार्बल के सम्बन्ध में दो मशविरे भेजे. एक राय तो यह भेजी कि उत्पादन शुल्क बिल्कुल नहीं लगना चाहिये किसी भी इंडस्ट्री में। पहला तो यह सुझाव आपने भेज दिया। जब आपका सुझाव नहीं माना गया वहां कुछ नहीं चली तो दूसरा सुझाव आपने भेजा कम्पाउण्ड लेवी का। कम्पाउण्ड लेवी में आपने कहा कि 80/- प्रति ब्लेड के हिसाब से लगा दिया जाय। यह दो सुझाव राजस्थान सरकार ने भेजे। सभापति महोदय, कितनी हैसियत वहां आंकी जाती है, कितने भारत सरकार के मोहताज हैं या काबिल समझे गये हैं मैं नहीं जानता। राजस्थान की सरकार का वहां कितना पर्सेन्टेज हैसियत में आता है मैं नहीं जानता इस बात को न ही मुझे पत्र व्यवहार से मुख्य मन्त्रीजी ने यह बताया। खुशामदी के लिए शुक्रिया का पत्र भेज दिया लेकिन जो पब्लिक प्राब्लम है उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी के कार्यालय से मुझे कोई खत नहीं मिला मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर राजीव जी का जिन्होंने मुझे इस खत के जवाब में 30 मार्च को लिखा है। मैं शुक्रगुजार हूं स्टेट मिनिस्टर का भी और रामनिवासजी मिर्धा साहब का भी और मिस्टर भाटीजी, जो हमारे मन्त्रीजी भी हैं, का भी कि उन्होंने भी इस प्राब्लम के बारे में मुख्य मन्त्रीजी को लिखा कि आप इन छोटी इकाइयों को बचाइये। उन्होंने लिखा और उस प्रस्ताव पर गौर किया गया। तो सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित कर रहा था कि भारत सरकार के किसी फैसले से हजारों लोगों की जिन्दगी और दुश्वारी हो जाय और एक भय का वातावरण इण्डस्ट्री में बन जाय फिर क्या रह जाता है। वहां पर लगातार ढाई महीने तक हड़ताल रही और हमने उस हड़ताल के लिए एक राजनैतिक तरीके से काम नहीं किया। देशवासी और देश के हितों की रक्षा के लिए हमने अपना एहतमाद रखते हुए इन्तजार किया कि सच्चाई प्रिवेल करेगी। उसका असर हुआ। यह मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ। आपको जिक्र करने का मेरा जो खास मकसद है इसमें वह यह है कि 8 मई को जो पालियामेंट में बयान दिया उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिये लेकिन नोटिफिकेशन एक्साईज डिपार्टमेंट को 119, 120 और 121 में जारी न हो इसके लिये उन्होंने पूंजीपतियों से सांठ-गांठ की-यह मेरा आरोप है। इस हाउस के अन्दर मेरा आरोप है कि राजस्थान के संगमरमर उद्योग में लगे 50 करोड़ रुपये जो चन्द लोगों के पास हैं जो चन्द राजनैतिक लोगों के पास हैं अमीरों के पास हैं उनकी साजिश से पूरी छोटी इंडस्ट्री पर बहुत भार डाल दिया गया जो कि बड़े लोगों के हथकण्डे थे। इसलिये सभापति महोदय, छोटी इकाइयों क्या हैं इसकी परिभाषा राजस्थान सरकार को करनी होगी। लघु उद्योग क्या है, आपको मैं बताऊं। मुझे यह खत स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट कमीशन ने लिखा है कि मार्बल के लघु उद्योग की इकाइयों के एक्जम्पशन के लिये

(श्री अब्दुल अजीज)

प्राइम मिनिस्टर आफिस से आदेश है और हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसमें रिलिफ मिलेगी। यह पत्र मेरे पास है। मैं कमोबेश चालीस मर्तबा नार्थ ब्लाक फाइनेंस डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता रहा। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का शुक्रगुजार हूं कि रात के 12.30 बजे भी मुझे उन्होंने सुना आफिस के अन्दर मेरी नाराजगी इस बात से है कि जो पालियामेंट में बयान दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कि छोटी इकाइयों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा उसके बाद ये नोटिस कैसे जारी हुए? जब मैंने इसमें एतराज किया और एक बहुत बड़ी शिकायत और 216 रुपये का एक टेलीग्राम प्रधान मंत्री जी को और सबको भेजा तो उसके जवाब में जानकारी हुई और जो चेयरमैन थे रेवेन्यू बोर्ड के उन को हटाया गया उसके बाद में असलियत सामने आयी। मैं राजी व लोचन मिश्रा साहब जो इण्डस्ट्रीज सैक्रेटरी हैं, के पास आया कि How you have come to know. कि दस हार्स पावर से मार्बल स्लेब टाइल बनती हैं? आपके डायरेक्टर और साहब मकराना आये थे, यह रही इतनी बड़ी किताब स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की Mr. Goyal was there as Direcor of Iudustries.

This is a proceedings of industrial clinic on conversion of marble gangsaw machines into dimond gangsaw machines, under modernisation programme, at Makrana-Nagaur Distt., Sept. 26 83, organisad by small industries service institute, Govt. of India Jaipur.

यह किताब, जो है, दर्शायेगी कि लघु इकाइयां क्या हैं? इसमें सारी की सारी पॉलिसी है, सारा लेखा जोखा इसके अन्दर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के दिलो दिमाग को चुस्त करना चाहता हूं यह कह कर के कि आप छोटी इकाइयों को बुरी हालत से बचाइये। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया, 20 रुपये से घटाकर 10 रुपये स्कवायर मीटर रेट की। फिर उन्होंने पांच रुपये कर दी। लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि जो छोटे-छोटे लोग इससे पहले रेत और पानी को कन्वर्जन मशीन से अपना पेट भरते थे वह नयी टैक्नालाजी की वजह से तबाह और बरबाद हो गये। फिर से आर.एफ.सी. के माध्यम से और इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सहयोग से वह वापस खड़े हुए हैं। अब नयी टैक्नालाजी के आधार पर क्या हम उन बड़े उद्योगों के सामने इन छोटे लोगों को रख दें? चित्तौड़गढ़ के अन्दर 80 मशीनें हैं, लोग परेशान हैं। आप देखिए, इन पर कम्पाउण्ड लेवी लगायी गयी, 2000 रुपये पर मन्थ। आप बतायें, 2000 रुपये मन्थ उस रेत और पानी के घरों से कमा नहीं सकता कम्पाउण्ड लेवी क्या देगा? तो इसके मायने तो यह हो गया कि डिफाल्टर साया करके उसको बंद कर दें, खत्म कर दें। आप कानून ऐसा बनायें, जिससे स्माल स्केल इण्डस्ट्री और उसमें लगे लोगों को परेशान न होना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान में मकराना, उदयपुर, राजनगर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, देवली, किशनगढ़ और जोधपुर इन सब

(श्री अब्दुल अजीज)

जगह संगमरमर के छोटे छोटे कारखाने हैं उन कारखानों को जिन्दा रखना है। बड़ी मशीनों के काम के लिए फैसला हो चुका है। 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं लेकिन मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन है कि जो स्माल इकाइयां हैं जिसकी डेफीनेशन उन्होंने यह की कि 10 हार्स पावर से मार्बल स्लेब और टाइल्स अगर बनायेंगे तो कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा, यह ब्यूरोक्रेट्स ने सिर्फ इसलिए किया है कि हम वित्त मन्त्री के बयान को भी सही रख सकें और कौन तो इन कागजों को पढ़ेगा, और कौन देखेगा। बड़ा अजीब सा मजाक है कानून और एथोरेंस और हिन्दुस्तान के तमाम एम. पीज के सामने। मुझे 11 मई को आदरणीय रामनिवास मिर्धा साहब ने एक पत्र लिखा, मैं शार्ट में बता रहा हूं "संगमरमर उद्योग पर भारत सरकार द्वारा कर लगाने से परेशानियां अवश्य बढ़ी हैं, जिसको मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं। संसद ने कुछ संशोधन करके कुछ राहत दी है परन्तु, फिर भी और राहत की आवश्यकता है। इस संबंध में पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक प्रतिवेदन तैयार करके सरकार से फिर बात की जायेगी।

सरकार से बात की गयी है उसका 5 मई, को जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके लिए मैं दाद देता हूं कि 10 रुपये से घटा कर पांच रुपये कर देंगे लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि जो आपने कहा है छोटी इकाई पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा तो छोटी इकाई की डेफीनेशन इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह तय करे, राजस्थान गवर्नमेंट यह कहे। भारत सरकार से, डर किस बात का है आपको ? मैं नहीं जानता कि आप क्यों कर चुप हैं ? 20 लाख रुपये से चलने वाली इकाइयों को स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कहा जाता है। It is at the cost of installation cost. लघु इकाइयों की डेफिनेशन जो मुझे मालूम है जो मेरी जानकारी है, राजीव जी की गवर्नमेंट ने 35 लाख रुपये कर दी। अगर 35 लाख रुपये हो जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर के बयान से तमाम 90 प्रतिशत मार्बल इण्डस्ट्रीज की यूनिट्स एग्जम्प्ट हो जाती हैं। चेयरमैन मिस्टर दत्ता एण्ड मिस्टर मिश्रा ने कहा कि अजीज साहब, यह तो अगर हम कर देंगे, तो फिर आप सभी मुक्त हो जायेंगे। तो मैंने कहा कि आप यह कह दें कि We are imposing excise duty over marble surface whatever dimension it may be. तब तो आपका कानून सही होता। लेकिन एक तरफ आपने यह कह दिया कि छोटी इकाइयों पर नहीं है तो फिर अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान के आला अफसर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं सारे के सारे, मैं जो कह रहा हूं उसकी सच्चाई को देखते हुए भारत से अनुरोध करें कि 10 हार्स पावर से कोई भी मार्बल की इण्डस्ट्री नहीं चलती। जो मार्बल स्लेब और टाइल बनाती है इवन कटिंग मशीन भी नहीं चलती। सब जानते हैं इस बात को Then why this double edged statement ? मुझे अफसोस है, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस अपने खत में लिखते हैं,

'The rate of duty on marble slabs and tiles has been reduced from Rs 20/- to इतना, and marble slabs and tiles manufactured with the aid of power not exceed-

(श्री अब्दुल अजीज)

ing 10 H. P. have been completely exempted from excise duty. किसको यह कह करके वह गुमराह कर रहे हैं ? पूरे भारत को जहां काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह कानून लागू होने वाला है। किस को गुमराह कर रहे हैं ? I am highly sad. मुझे बहुत बड़ा अफसोस है इस कानून के बनने का और इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट के काम करने से। सभापति महोदय, लाखों रुपयों को अफसरों को दिया गया और मिनिस्टर के बयान से डिफरेंट नोटिफिकेशन निकलवाया गया।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अब्दुल अजीज : वह सभापति महोदय, मुझे इस बात का....

श्री सभापति : सारी बात भारत सरकार के सामने बोल रहे हैं आप इससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : किससे ?

श्री सभापति : भारत सरकार से संबंधित बात कही है आपने सारी की सारी।

श्री अब्दुल अजीज : इतने बड़े आसन पर आप बिराजे हुए हैं तमाम राजस्थान की शक्ति ग्रहण कर रखी है, आप अपनी ताकत को आजमाइये, आप सक्षम हैं। आप मंत्री महोदय से कहें कि इस सम्बन्ध में तालमेल करें....

श्री सभापति : मैं जानता हूं। इस बात को सुझाव ही जा सकता है यहां से। जरा शार्ट करें कृपया और भी सदस्य बोलेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : मैं तीसरी पाइन्ट पर आ जाता हूं। तीसरी बात कम्पाउण्ड लेवी की है। सभापति महोदय, जो कम्पाउण्ड लेवी की जो योजना है वह भी इसलिए कही गयी थी कि हमारे यहां राजस्थान से जितने रिप्रेजेन्टेशन लेकर के गये 16 एम. पी.। उन्होंने इस बात को कहा कि मार्बल में क्रेक्स आते हैं, एक्साइज इन्सपेक्टर आयेगा नाप तौल कर नहीं सकेंगे रिश्वतखोरी बढ़ेगी, लिहाजा इसको लम्पसम में ले लीजिये। तो मेरा निवेदन यह है कि यह कम्पाउन्ड लेवी का पाइन्ट इसीलिये आया कि अगर कम्पाउन्ड लेवी कर दी जाती है तो तमाम परेशानियों से छोटी बड़ी दूर हो जाती हैं तो मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, इस इण्डस्ट्री को बचाने के लिये राज्य सरकार पूरी अपनी ताकत और अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए होसले के साथ मिनिस्टर कन्सर्न को कहे आपने यह जो बयान दिया है पार्लियामेंट में उस आधार पर अपनी कारगुजारी कीजिये और उसी आधार पर नोटिफिकेशन को आल्टरेशन कीजिये, मोडिफाई कीजिये। एक तो यह बात है। अब मैं आता हूं—

श्री सभापति : अभी तो एक बात हुई है। काफी लम्बा समय हो गया शार्ट करें कृपया मैं जानता हूं कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं पर कई सदस्यों को बोलना है। थोड़ा शोर्ट में बोलें।

श्री अब्दुल अजीज : मैं तो आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। कुछ क्षमता और शक्ति है मुझ में बोलने की आपकी कृपा से है। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं पर शोर्ट में कह दें बात को यही निवेदन है।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैं आता हूं जिस इण्डस्ट्रीज की बात अभी आपसे कर रहा था, अपील कर रहा था, गुजारिश कर रहा था उस इण्डस्ट्री को खैरख्वाह अगर कोई है तो मार्बल माइन्स है। अगर मार्बल माइन्स नहीं है तो यह इस कदर बातें और सब एजीटेशन, करोड़ों की आमदनी का सालाना बजट की तैयारी सब को सब सिफर होकर रह जायेगी।

सभापति महोदय, इस एक मकराना ही नहीं बल्कि दूर दराज हमारे राजस्थान में जो मार्बल निकलता है उस मार्बल की माइन्स को अप्रोच रोड मिलनी चाहिये। अप्रोच रोड आपने बनायी है, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बनायी हैं पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत बनायी है, लेकिन आज उन तमाम रोड्स की हालत है खस्ता है। जगह जगह से टूटी हुयी है। एक बार हम ने बजट में उसको पास कर दिया तो दुबारा कोई अण्डरटेकिंग नहीं है उसका पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट या दूसरा डिपार्टमेंट जो माइन्स की रोड हैं उनको नहीं देखता। हैवी ट्रक्स वहां से पास होते हैं

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने कहा था एक माननीय सदस्य 10 मिनट बोलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब मैं घंटी बजा रहा हूं आपकी बातें सही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनें बार बार कहते है, आप अपनी बात को कायम रखिये।

श्री सभापति : कायम रख रहा हूं। मैंने उनको टोक दिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले है, इधर के बोलने वाले हैं और उधर के बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : मैंने उनको टोक दिया है दसवें मिनट पर। अब यह खत्म कर रहे हैं। कृपया समाप्त करें जल्दी।

श्री अब्दुल अजीज : बात चाहे वह कहें या मैं कहूं एक ही है।

श्री सभापति : बात एक नहीं है सब सदस्य अपनी अपनी बात कहेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : इनको तो खुश होना चाहिये।

श्री सभापति : आप शार्ट में कहें। आपने भूमिका बनाई, 50 मिनट तो उसमें लग गया।

श्री अब्दुल अजीज : मैं अप्रोच रोड की बात कह रहा था। दूसरी बात मैं कह रहा था जो मार्बल माइन्स हैं मकराना को विशेष तौर से और राजनगर की तरफ जो अभी नयी टेक्नालाजी आयी है उसमें कम्प्रेसर यूज होते हैं, यही फरमा रहा था कि जाते जाते गहराई में चले गये हैं और पानी आने लगा है तो गहरी खानों के एक तो कोलेप्स होने का खतरा है।

(7.00 रात्रि)

इस बात को गौर से देखिये कि सपोर्टिंग पिलर्स हैं वह कभी हटाये नहीं जाते,

(श्री अब्दुल अजीज)

अक्सर होता क्या है, माइन ओनर कोशिश में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल निकालूं तो उससे माइन अनसेफर हो जाती हैं। सभापति महोदय, माइन्स अनसेफर हो जाती हैं, आदमी की लाइफ खतरे में हो जाती है, वहां मजदूर मरते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से यह अनुरोध करता हूं कि जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं, चाहे वह कहीं भी हों, मार्बल माइन्स या जैसी भी माइन्स हों उसके लिये जरूरी है कि सपोर्टिंग पिलर्स की हिफाजत की जाय जो कि गार्ड कहलाती है, जो कि ऊपर के ओवर बर्डन को रोके रहती हैं। अगर हम इस बीच के किसी हिस्से को हटा देंगे तो ऊपर बर्डन जितना भी रहता है उसको नुकसान पहुंचता है और उससे यकायक जान और माल का खतरा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अब्दुल अजीज : एक बस जरा सा। Demarking of marble mines is must. हम यह जानते हैं कि सब खानें गहरी जायेंगी, उसमें पानी आयेगा। सरकार के सहयोग से जो जोइंट प्राब्लम हो, खानें गहरी से गहरी हों, मुझे डी. आर मेहता साहब ने बताया था दिल्ली में, he was secretary mines, कि सोलर सिस्टम से हम मार्बल माइन्स के लिये पम्प दें तो ज्यादा अच्छा होगा। This is good Suggestion. तो मैं निवेदन करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर माइन्स डिपार्टमेंट खुद ऐसे डिवाइस को काम में ले और एक प्रदर्शन करे ताकि हम लोग उससे लाभान्वित हों और इस समस्या का समाधान कर सकें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

छुट पुट बातों की तो मैं शिकायत करना नहीं चाहता।

श्री सभापति : हां बाकी सदस्य कहेंगे आपकी बात।

श्री अब्दुल अजीज : जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

(7.00 सायं)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, उद्योग व खनिज की मांग पर अपनी बात रखने से पहले मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं नीति वह होनी है जिसके बारे में हम पहले से कल्पना करें। हमारे राजस्थान प्रदेश की जो जियामाफिकल कन्डीशन है उसको यदि हम आधार मानें तो पिछले 35 साल में जिस तरह औद्योगिक एक्सपान्शन राजस्थान के अन्दर हुआ वह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान के अन्दर कोई उद्योग नीति लागू नहीं थी। आज हम देखते हैं, माननीय सभापति महोदय, कोटा के अन्दर रेपिड एक्सपान्शन हुआ है इण्डस्ट्रीज का जिस तरह मार्बल के बारे में माननीय सदस्य बोले, उनके वहां प्राब्लम आई उसके बाद हमने कुछ तैयारियां प्रारम्भ कीं। आज राजसमन्द के अन्दर जो मार्बल का क्षेत्र डवलप हुआ है, उसके डवलपमेंट के लिये जो इनफ्रास्ट्रेक्चर हमको डवलप करना चाहिये वह डवलप नहीं कर पाये। आज अलवर के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हुआ जिसके कारण वहां पर सोशियो इकानामिक प्राब्लम

(श्री सी .पी. जोशी)

क्रियेट होने आई वह सब इस बात को बताती है कि पिछले 35 साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर कोई औद्योगिक नीति लागू नहीं थी। राजस्थान के अन्दर जो इन्स्टीट्यूशन हमने चालू किये, चाहे वह रीको हो, चाहे आर.एफ.सी. हो, चाहे और कोई इन्स्टीट्यूशन हो, यह इन्स्टीट्यूशन राजस्थान के अन्दर केवल मात्र चन्द उद्योगपतियों, जो राजस्थान के बाहर रहते थे, को अपनी नीड कैटर करने के लिये ब्यूरोक्रेटस और इण्डस्ट्रियलिस्ट का मिला-जुला कार्य था, राजस्थान में इन्डस्ट्री का एक्सपान्शन अपने स्वार्थ के लिये हो सके इसकी तैयारी थी लेकिन भविष्य में क्या होना चाहिये इसकी हमने तैयारी नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारा मैक्सीमम इन्वेस्टमेंट राजस्थान कैनाल के अन्दर हुआ है लेकिन आने वाले 25-30 वर्ष के अन्दर जिस तरह का एग्रोप्रोडक्ट वहां पर डवलप होगा उसके लिये राजस्थान के इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास कोई तैयारी नहीं है कि उसके बाई प्रोडक्ट के लिये हम किस तरह की इण्डस्ट्रीज डवलप करें। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान के अन्दर कोई उद्योग नीति लागू नहीं है लेकिन एक नीति जरूर लागू है, माननीय सभापति महोदय, जितने भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं इनका मैनेजमेंट करने के लिये राजस्थान के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वह कभी माइन्स के अन्दर आ जायेंगे, कभी वह ट्रांसपोर्ट में चले जायेंगे, कभी वह इण्डस्ट्रीज में चले जायेंगे। चन्द ब्यूरोक्रेट के लिये अपना एक्स्ट्रा सोर्स आफ इनकम करने का कोई माध्यम है तो वह आर.एफ.सी. है या रीको है इसके अलावा राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल एक्सपान्शन करने के लिये, माननीय सभापति महोदय, मेरी अपनी मान्यता है कि इस डिपार्टमेंट के पास कोई तरीका नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात को सोचें 35 साल के अनुभव से कि आने वाले 35 साल में राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हम किस तरह से करना चाहेंगे। यह राजस्थान का सौभाग्य है, माननीय सभापति महोदय, इस मिट्टी से पैदा होने वाला आदमी दुनिया के कोने-कोने में जाकर धन्धा कर रहा है। और धन्धा ही नहीं कर रहा बल्कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके अनुभव का हमें लाभ उठाना चाहिये। चन्द ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के आधार पर अगर हम राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट करना चाहें, माननीय सभापति महोदय, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। अगर इस दृष्टि से हम देखें, माननीय सभापति महोदय तो इस राजस्थान में इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये इण्डस्ट्रियल मैप तैयार करने की आवश्यकता है। हम अगले दस साल के अन्दर राजस्थान कैनाल एरिया में किस तरह की इण्डस्ट्रीज डवलप करना चाहते हैं, जोधपुर में किस तरह की इण्डस्ट्रीज डवलप करना चाहते हैं और उदयपुर में हिली प्लेस है वहां रहने वाले आदिवासी भाइयों को किस तरह का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट करके हम एम्पलायमेंट देना चाहते हैं यह सोचें तब तो जाकर हम इसका फायदा उठा पायेंगे अन्यथा, माननीय सभापति, महोदय, जिस

(श्री सी. पी. जोशी)

इण्डस्ट्रियल पालिसी की हम बात कर रहे हैं, जो औद्योगिक नीति की हम बात कर रहे हैं, जितने करोड़ की राशियां हम सदन से पास करवाना चाहते हैं उससे इस राजस्थान का कोई भला नहीं हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि आगे आने वाले दस वर्ष के अन्दर किस क्षेत्र के अन्दर डवलपमेंट करना चाहते हैं जो राजस्थान की जियोग्राफिकल कन्डीशन है, जो आपने डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं, सोशली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आपने बना रखे हैं, नान बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आपने अलग बना रखे हैं, यह मानना भी न्याय नहीं है आज आवश्यकता इस बात की है, माननीय सभापति महोदय, कि हमको एक तहसील को यूनिट मानना पड़ेगा, हम तहसील को यूनिट न भी मानें तो एस.डी.एम. हैडक्वार्टर को यूनिट मानें, जो बैकवर्ड की जांच करने का हमारा क्राइटेरिया है वह किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नाम पर आप करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर इण्डस्ट्रीज का एक्सपान्शन हो रहा है वह अन-इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन है। कोटा डिस्ट्रिक्ट में इण्डीस्ट्रयल डवलपमेंट होता है पर कोटा के आस-पास पड़ने वाले जितने गांव हैं वहां इण्डीस्ट्रयल डवलपमेंट नहीं है, अजमेर प्रोपर के अन्दर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो सकता है पर केकड़ी और इसके आसपास में इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं है, उदयपुर प्रापर में आपका इण्डस्ट्रिल डवलपमेंट हो सकता है लेकिन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के आस-पास जालौर, कोटड़ा व फलासिया में इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं हो सकता। आपका जो क्राइट एरिया है वह क्राइटे एरिया ठीक ढंग का नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप सोचें। जो बैकवर्ड डिक्लेयर करने का क्राइटेएरिया है उसमें डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करना ठीक नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हम इस क्राइटेरिया को बदलने के लिये भारत सरकार को रिक्वेस्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते है इस बात को कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सैक्टर है उसके अन्दर एक मोटा अन्तर है। वह अन्तर है केवल मात्र एफीशिएंसी का। हमारे ब्यूरोक्रेट यहां पर डिटर मिन करें किसको कितना लोन मिलेगा किसको कितना नहीं मिलेगा और हम आमाम कलकत्ता और बम्बई के लोगों से कहें इण्डस्ट्रियलिस्ट यहां पर आयें। जिस राजस्थान के पास दस साल के अन्दर बिजली कितनी होगी कितनी हम नीड कैटर कर पायेंगे इसका मैप नहीं है फिर हर साल भले ही आप बम्बई जाइये और कलकत्ता जाइये और लोगों को इन्वाइट कीजिये कि आप पधारिये राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये, इससे कोई फायदा नहीं होगा मैं थोड़ा सा यह जानना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, 9-10-83 को राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन में राजस्थान के एक प्रवासी ने एक डायमनड कटर लगाने की एक स्कीम राजस्थान सरकार के सामने सबमिट की, रजत स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड उदयपुर ने 9-10-83 को आज माननीय सभापति महोदय, दो साल हो गये है किन्तु इस इण्डस्ट्रीज को केवल मात्र इसलिए लोन नहीं मिला की रीको के एक अफसर जो प्रोजेक्ट का नेगोसियेशन करने गये थे उसमें

(श्री सी. पी. जोशी)

सॉइड बैड होता है, माननीय सभापति महोदय, साइट बैड You know very well. साइट बैड की नीड को केटर नहीं कर सके। 9-10-83 से लगाकर आज दिन तक इस आदमी, जो राजस्थान का रहने वाला है और बाहर बिजनेस करता है, को रीको नेलो न फाइनल नहीं किया इण्डस्ट्रिज को लोन देने की जो कण्डीशंस हैं और ट्रेड है वह चंद ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में सौंप रखा है जिनके साइड बैड है, उनकी नीड को केटर नहीं कर सकते तब तक आप जाकर लोन नहीं ले सकते। फिर किस तरह से आप कहेंगे कि राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है इसलिये मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके इण्डस्ट्रिज डवलपमेंट करिये सारा जो आपका पैटर्न है रीको, आर. एफ. सी. के मैनजमेंट का उसमें परिवर्तन करिये, ब्यूरोक्रेट की जगह आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इनका इन्चार्ज बनाइये, चैयरमैन बनाइये। दूसरा राजस्थान के बाहर जो बिजनेसमैन है उनको नामिनेट करिये। आज आर. एफ. सी. के अन्दर बिजनेस का कोई नामिनी नहीं है, रीको के अन्दर बिजनेस का कोई नामिनी नहीं है। डायरेक्टर, इण्डस्ट्रिज सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज, फाइनेन्स सैक्रेटरी यह तीन चार सैक्रेटरी मिलकर राजस्थान का इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कर पायेंगे और जो आदमी इस माटी से पैदा होने के बाद 35 साल तक उड़ीसा, बिहार, बंगाल, गोहाटी में बिजनेस करे, बिजनेस के बारे में जिसका एक्यूमेन हो उसको रीको में रिप्रजेन्टेशन नहीं देना चाहिये तो फिर कैसे राजस्थान का इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट हो पायेगा ?

माननीय सभापति महोदय, गुजरात में यह कोशिश की गई गुजरात पहला स्टेट है जहां पर फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अन्दर एक नान ब्यूरोक्रेट को इन्चार्ज बनाया है। क्या राजस्थान में गवर्नमेंट हिम्मत नहीं कर सकती ? क्या हमारे पास एक्सपर्टस नहीं हैं ? मार्बल में जो अच्छी तरह से सारी बातें जानते हैं, एक फारफेट के अंदर जो सभी बात जानते हैं जो यह जानते हैं कि इसका एक्सपान्शन किस तरह से हो सकता है। उन लोगों की सेवायें आप लेना नहीं चाहते अगर उन लोगों की सेवायें आप ले लेंगे, माननीय सभापति महोदय, तो राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीज ठीक ढंग से लग पायेंगे तो जो साइड बैड है, माननीय सभापति महोदय, वह पूरी नहीं होगी। आज पालिटिकल एकाउण्टेबिलिटि के नाते हाउस के अंदर यह पूछते हैं कि मंत्री महोदय ने यह कह दिया, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पिछले 35 साल में जो जो भी ब्यूरोक्रेट आर. एफ. सी. और रीको के अंदर रहे हैं उनकी पूंजी की जांच करवाई जाये जो एक्स्ट्रा इनकम है उसकी जांच करवाई जाये तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, इस तरह की स्थिति कैसे बन गयी। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं जिस स्टेट के अंदर इकानामिकल इण्डस्ट्रीज डवलप करने के लिये हम इस आधार को नहीं मानेंगे तो यह आधार आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये ठीक नहीं हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में अगले दस साल में हम अपनी नीड्स

(श्री सी. पी. जोशी)

को कैटर नहीं कर पायेंगे। माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम अपनी एग्रीकल्चर की 31.20 प्रतिशत नीड को कैटर कर रहे हैं। अगले 5 साल के अंदर हम जिस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते है वह हमारे राजस्थान की नीड को पूरा नहीं करेगा। अगले पांच साल के अंदर राजस्थान के अंदर कितनी इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं किस तरह से बिजली को उपयोग में ले पायेगे पहले आप यह निर्णय कीजिये। राजस्थान में रहने वाले एग्रीकल्चरिस्ट्स की नीड्स को कैटर करना है तो अगले दस साल तक राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं। आप मेहरबानी करके एक ही काम करिये, जितनी बिजली जनरेट करेंगे उस बिजली से हम एग्रीकल्चरिस्ट्स की नीड्स को पूरा करेंगे। यदि यह नहीं कर पाये तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम आगे के पांच सालों में कितनी बिजली को सरप्लस कर पायेगे जो इण्डस्ट्री के उपयोग में आयेगी और कितनी आप एग्रीकल्चर के उपयोग में लेंगे। यह भी फिगर आज विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। कितना रॉ-मैटीरियल जो हमें उपलब्ध हो रहा है उसका उपयोग कर....

(7.12 रात्रि)

(श्री मोहन छंगाणी, सभापति, पदासीन)

पायेंगे यह भी इसके पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैक्लेन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इन्टरप्रिन्योर का कन्सेप्ट स्टार्ट किया। यह इन्टरप्रिन्योर का जो कन्सेप्ट हैं, माननीय सभापति महोदय, इस के आधार पर भारत सरकार ने यह एजेन्सियां क्रियेट की हैं लोन देने की। उस मनोवैज्ञानिक ने एक बात कही थी, इन्टरप्रिन्योर इम्बॉर्न होता है, इसकी कुछ करेक्टरस्टिक्स होती हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है। भारत के अन्दर काफी उसके आधार पर स्टडी की। इन्टरप्रिन्योर है एक्टीविटीज को आइडेण्टिफाई करने के बाद कि यह इन्टरप्रिन्योर है या नहीं, उसकी इकानॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करने के लिये फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स लोन दें तो एक अच्छा, वायेबल यूनिट बन सकता है। राजस्थान सरकार के अन्दर एस. आई. एस. की यूनिट है। इन्टरप्रिन्योर्स को आइडेण्टिफाई कैसे करें इसके ऊपर जो आपके ब्यूरोक्रेट्स की व्हिम है वह व्हिम राजस्थान में इन्टरप्रिन्योर को जनरेट नहीं कर सकती। हम इन्टरप्रिन्योर एक्टीविटीज को ग्रोथ देना चाहते हैं, यह जरूर कहते हैं हम। मैं भी मनोविज्ञान का छात्र हूं, माननीय सभापति महोदय, मुझे भी मोका मिला है मैक्लेन से मिलने का, मैं कहना चाहता हूं, जिस मैक्लेन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एस. आई. एस. यूनिट्स के आधार पर यह काम करवाया है तो पहले हम आइडेण्टिफाई करेंगे इन्टरप्रिन्योर्स को। इन्टरप्रिन्योर्स का वह आइडेन्टिफिकेशन आज दिन तक हम ठीक ढंग से नहीं कर पाये। हम रिपोर्ट करना चाहते हैं इस बात को, यह आर. एफ. सी. की रिपोर्ट दी है हमने, हमने डिकेड में एक आध काम किया है, यह हमने कन्टीन्युएशन में लिस्ट दी है, माननीय सभापति महोदय, आप आंकड़े देखेंगे, 25 करोड़ रुपए का घाटा है। यह 1983-84 का रिकार्ड है। जितनी 163 यूनिट सिक यूनिट है, यह भी एक आर. एफ. सी. की बात कहना चाहता हूं, माननीय सभापित महोदय,

(श्री सी. पी. जोशी)

केवल मात्र आप से कहना चाहता हूं, यह जो औद्योगिक एक्सपान्शन है यह राजस्थान के अन्दर हमारे स्टेट के जितने फाइनेन्शियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके आधार पर ढग से काम करें, हमारे जितने लोग इण्डस्ट्रीज में इन्वाल्व हैं उनकी सेवाओं का उपयोग लें तो हम अच्छे ढग से इण्डस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं।

हम इसके साथ यह भी कहेंगे, माननीय सभापति महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अन्दर है वह आंकड़ा भी बड़ा आश्चर्यजनक है। सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट का इन्वेस्टमेण्ट राजस्थान के अन्दर कुछ भी नहीं हो और हमारी जो मिनेरल वैल्थ है उसके अन्दर ब्यूरोक्रेट्स पास कर दें कि हम लीज देते हैं आपको? पांच हजार करोड़ रुपए का, माननीय सभापति महोदय, आगूचा के अन्दर मिनरल पोटेन्शल है। एक ब्यूरोक्रेट से मांइनिंग करा कर हमने भारत सरकार को अधिकार दे दिया कि वह मिनरल को लीज पर लेकर लीज देगा। माननीय सभापति महोदय, पोस्टेरिटी इस बात को इवेल्यूएट करेगी। यदि हम आज भी इक्विटी शेयर का कन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहें कि जितनी पूंजी हम लगायेंगे उतनी पूंजी भारत सरकार लगायेगी तो आने वाले दस साल में राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन पिछले 35 साल में राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स ने सारे मिनरल वैल्थ को भारत सरकार को लीज के नाम पर दे दिया। दो-तीन लाख रुपये की रायल्टी हर महीना हमारे पास आती है। यदि हम इसको इक्विटी शेयर के अन्दर कन्वर्ट कर देते तो, माननीय सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अलग होता। आज गुजरात के अन्दर यह कर रखा है। गुजरात के अन्दर जितना मिनरल वैल्थ है उन्होंने भारत सरकार को कह रखा है, हम इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके एम्प्लायमेण्ट में, उसके कण्ट्रोल के अन्दर स्टेट की हिस्सेदारी होती है। लेकिन राजस्थान के अन्दर चाहे हिन्दुस्तान जिंक हो, चाहे खेतड़ी हो, चाहे आने वाला आगूचा का प्रोजेक्ट हो जिसके हमने लाइसेन्स प्रणाली पर भारत सरकार को अधिकार दे दिये उसके एम्प्लायमेंट में, उसके रिक्रूटमेंट में हमारा कोई रोल नहीं रहा। हालत यह होगी, कि राजस्थान से निकलने वाली वैल्थ, यहां से निकलने वाली पूंजी, यहां से निकलने वाला लड़का सड़क पर घूमेगा और वहां पर एम्प्लायमेंट मिलेगा राजस्थान से बाहर के आदमियों को। हम किस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते है, माननीय सभापति महोदय? मैं चाहूंगा यदि इस स्थिति को रोका नहीं तो हम, हमारे जैसे जो नौजवान हैं वह एक बहुत बड़ा आन्दोलन करेंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, कोटा के अन्दर एक चौथाई आदमी राजस्थान के बाहर का आ गया है, अलवर के अन्दर एक चौथाई आदमी राजस्थान के बाहर का आ गया है। आज अगर इस तरह से स्थिति पैदा करते रहेंगे तो लोगों के लिए एम्प्लायमेण्ट की स्थिति पैदा नहीं कर पायेंगे। यह सारे काम इसलिए हो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, कि हम अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाये कि राजस्थान से निकलने वाले मिनरल के ऊपर हम भारत सरकार को लीज नहीं देंगे, हम भारत सरकार को उसे इक्विटी

(श्री सी पी. जोशी)

शेयर में कन्वर्ट कराने के लिए बाध्य करेंगे। आज हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन आज के 10 साल बाद इक्विटी शेयर के आधार पर जितना पैसा हमारा बनेगा उतना पैसा भारत सरकार का बनेगा, उसके एम्प्लायमैण्ट और उसके नियन्त्रण पर हमारा अधिकार होगा तब, मैं समझता हूं, हम इसका उपयोग ठीक ढग से कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर की एफीशियैन्सी के बारे में ज्यादा कहना नहीं है। आज मैं जानता हूं कि राजकीय उपक्रम की मांग नहीं है लेकिन राजकीय उपक्रम के अन्दर भी अंशदान रीको का या आर. एफ. सी. का है। जोइन्ट सैक्टर का उदाहरण देना चाहता हूं, मैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोइन्ट सैक्टर का प्रोजेक्ट लगा हुआ है एडवांस पेपर मिल। इसको सिक यूनिट डिक्लेयर कर दिया। यह एक मिस है इसको भी मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। जो इण्डस्ट्रियलिस्ट अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहता है, यूनिट आदि वायबल भी हो तो एक नोटिस दे देता है कि मेरी यूनिट सिक हैं और सिक यूनिट के नाम पर उसके जितने बैनिफिट्स हैं, उसके पिछले पेमेण्ट डैफर हो जाते हैं, उसका लोन लाग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्कीम के आधार पर पिछले पांच के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, जितनी भी यूनिट्स सिक डिक्लेयर हुई हैं, मेरा यह आरोप है, वह सब यूनिट वायबल यूनिट थीं पर केवल मात्र, जब एक मालिक ने दूसरे को बेचा तो उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने एक काम किया कि उस यूनिट को सिक डिक्लेयर कर दिया और आज हम कहते हैं कि सब सिक यूनिट को हम वायबल करना चाहते हैं। कितनी एस आई.एस. की यूनिट्स हैं, जो बहुत छोटे आर्टिजन हैं जिनको हमने लोन दिया उनको हमने वायबल किया? उनके लिए हमारा कोई इण्ट्रेस्ट नहीं है। जाइन्ट सैक्टर में हम पैसा इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वह आदमी उस फैक्ट्री को बेच दे, फैक्ट्री को बेचने के बाद उसे सिक यूनिट डिक्लेयर कराकर खुद फायदा उठा लें तो यह राजस्थान के गाढ़े पसीने की कमाई है इसका बहुत बड़ा मिसएप्रोप्रिएशन है। मैं कहना चाहता हूं आज ईमानदारी के साथ कि जितने भी सिक यूनिट डिक्लेयर हुए हैं उदयपुर के अन्दर यह तभी डिक्लेयर हुए हैं जब एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपनी पूंजी बेची। तब उसने सिक यूनिट डिक्लेयर कराकर राजस्थान के फाइनेन्सेज को बॉरो किया है। बॉरो किया है अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय जब जवाब दें तब यह बतायें कि जाइन्ट सैक्टर की कितनी यूनिट को आपने सिक यूनिट डिक्लेयर किया। मेरा यह आरोप है कि सिक यूनिट डिक्लेयर करने के पहले उस यूनिट में प्रोडक्शन होता था केवल मात्र तब बन्द हुआ जब एक आदमी से दूसरे आदमी का मैनेजमेण्ट बदला। उदाहरण है नाथद्वारा की एडवांस पेपर मिल जाइन्ट सैक्टर का एक करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था वह वायबल था, प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन डालमिया ने बेचा गट्टानी को तब गट्टानीजी ने उसका फायदा लेने के लिए कि क्या-क्या फायदा मिल सकता है, उस वायबल यूनिट को डिक्लेयर कर दिया

(श्री सी पी. जोशी)

सिक यूनिट और आज बॉम्बे के एक तीसरे आदमी ने उसको खरीद लिया। आपकी यूनिट सिक और उस आदमी ने उसको खरीद लिया। सारे एडवान्टेज उसको मिलेंगे। पुराना पेमेण्ट, बिजली का जो पेमेण्ट है वह मांग देकर 12-15 साल का। कम पूंजी लगाकर वह आदमी अपनी हैसियत बना लेगा। यह हम आर.एफ.सी. और रीको से सिक यूनिट पर काम करना चाहते है, मैं समझता हूं, यह स्थिति ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अन्य सदस्यों की और मांगें हैं. मुझे कुछ बात कहनी है मिनरल के बारे में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, माननीय सभापति महोदय, आर.एस-एमएम और आर एस.एम डी सी. के बारे में मै ज्यादा कहूं, ठीक भी नहीं है। चीफ सैक्रेटरी राजस्थान का, माननीय सभापति महोदय, उस आर.एस.एम.एम. का चेयरमैन था। जिस चीफ सैक्रेटरी की अकाउन्टेबिलिटी है आर.एस.एम.एम. के अन्दर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, उस चीफ सैक्रेटरी ने आर.एस.एम एम क्या है, किस जगह है, कभी जाकर देखा नहीं। चीफ सैक्रेटरी जिस आर.एस.एम.एम. का चेयरमैन हो उसमें उसके नीचे काम करने वाला मातहत एम. डी. की कोई हिम्मत होगी कि वह काम नहीं करेगा। यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, माननीय सभापति महोदय। यदि आर.एस.एम.एम. को वायबल करना है, उससे ठीक ढंग से काम करवाना है तो आपको बदलना पड़ेगा कि चीफ सैक्रेटरी उसका चेयरमैन न हो। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है आर.एस.एम.-एम. का बोर्ड देखें आप। चीफ सैक्रेटरी वहां का चेयरमैन, चीफ सैक्रेटरी उस जगह पर जाय नहीं और वहां पर आपका आई. ए. एस. इन्चार्ज है। वहां पर ओवर बर्डन कैसे हट रहा है? ओवर बर्डन हटाने की मशीनें कितनी आ गयी हैं? डिपार्टमैण्टल कितना ओवर बर्डन हटा रहे हैं हम, प्राइवेट सैक्टर को हमने कितना ओवर बर्डन हटाने का काम दिया है? यह सब काम करने के बाद एक नया काम कर दिया हमने, माननीय सभापति महोदय, आर.एस.एम. डी.सी. नयी चीज बना दी। आर.एस.एम. डी.सी. भी वही काम कर रही है जो आर.एस एम.एम. कर रही है लेकिन वह काम कर रहे हैं राजस्थान की बहुत पैसे की मशीनें डम्प करके प्राइवेट लोगों से ओवर बर्डन हटवा रहे हैं क्योंकि वन इज टू सिक्स या ऐट का,जो रेश्यो उस हिसाब से ओवर बर्डन हमने हटाया नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह मिनरल एक दिन में पैदा नहीं होता। यह कोई पेड़ नहीं है, ट्री प्लाण्ट प्रोग्राम नहीं है कि इसको उगा दो तो पेड़ उग जायेंगे। बरसों से यह मिनरल बनते हैं। मेरा आरोप है, माननीय सभापति महोदय, हाई ग्रेड का जो ओर था वह हाई ग्रेड का रॉक फॉस्फेट हमने वहां से हटा दिया। आज लो ग्रेड का बचा हुआ रॉक फॉस्फेट है। आप किस तरह से उसे अकाउण्ट में ले जाते है? बैलेंस शीट जो आपकी है वह बैलेंस शीट फ्रॉड है। रॉक फॉस्फेट में आपकी मोनोपोली है उसके पैसे आप हर साल बढ़ा देते हैं। पैसे बढ़ने के दो कारण हैं। हमने एक लीक आउट किया है। माननीय सभापति महोदय, आप

(श्री सी. पी. जोशी)

हमारे इलाके में आये होंगे। वहां पर रोक फॉस्फेट के ओवर बर्डन के अन्दर धूला हटाना है। पी.यू.सी. के मैम्बर की हैसियत से हमें भी वहां जाने का मौका मिला है, हमने जाकर देखा, भई, क्या काम है, कितना बड़ा धूला हटाना है? भाई, वहां आदिवासी आदमी हैं हजार, दस-हजार आदमी काम पर लगा दो, धूला हटाकर खोद कर निकालना है, एक जगह से धूला हटाकर दूसरे जगह डालना है। वह काम हम नहीं करेंगे क्योंकि मैन पावर इन्वॉल्व हो जायेगी। मैन पावर में तो कमीशन नहीं मिलता है इसलिए हमने करोड़ों रुपए की मशीनें मंगाई, डम्पर मंगाये। वह ऑटोमैटिक डम्पर वहां पर धूले को हटा कर दूसरी जगह डालते हैं और वह आदिवासी खड़ा-खड़ा देख रहा है कि मेरे को भी रोजगार की सुविधा उपलब्ध की जाती। जिस जगह यह व्यवस्था नहीं हो सके उस जगह हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय आर.एम एम.एम. में जो ओवर बर्डन निकल रहा है उसकी कॉस्ट क्या है और आर.एस.एम. डी.सी में ओवर बर्डन हट रहा है उसकी कॉस्ट क्या है? दोनों के अन्दर अन्तर है यह स्थिति किस तरह से बन रही है? आर. एस.एम.डी.सी. में भी हमने एक काम किया है, चीफ सैक्रेटरी यहां का इन्चार्ज है इसलिए आर.एस.एम.डी.सी. में भी एक ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप मन्त्री थे, एक ट्रान्सफर करते थे तो विधान सभा में हल्ला होता था कि ट्रान्सफर कर दिया धमाल हो गयी। और यह ब्यूरोक्रेट्स करोड़ों रुपए घर ले जाय इनकी अकाउण्टेबिलिटी कुछ नहीं है। इनकी थीसिंग है। कितनी मेहनत कर पायेगा, कितना काम कर पायेगा, मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को कामर्शियल एक्टीविटीज का चेयरमैन नहीं बनाया जाय। आपको काउन्टर चैक करना है, ठीक बात है आप ऐसा करिये, जितने आपको जन-प्रतिनिधि रखने हैं, जितने बिजनेस के आदमी रखने हैं उनसे काउन्टर चैक हो जायेगा। फाइनेन्स का मामला है, अकाउन्टस मैनटेन करना है फाइनेन्स सैक्रेटरी कर लेगा, आपका डारेक्टर इन्डस्ट्रीज लग जायगा लेकिन चेयरमैन जो है पॉलिसी वह बनायेगा और पॉलिसी क्या बनायेगा? चीफ सैक्रेटरी एग्जामिनेशन में बैठेगा उसको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज नहीं खरीदनी है। लाखों करोड़ों रुपयों की मशीनें खरीद कर हमने डम्प कर दी। मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय. आर.एस.एम.एम. ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, यह आपको भी मालूम है। सभापति महोदय, जितना मिनरल वैल्थ हमारे यहां अवेलेबल है राजस्थान के अन्दर उसका साइन्टिफिक सर्वे डिपार्टमेन्ट के पास आज नहीं है कि कितनी मिनरल वैल्थ अवेलेबल है। हमारे यहां का आदमी जाय और ड्राफ्ट्समैन को यह कहे कि यहां पर मिनरल्स अवेलेबल है उसकी लीज लगावे और उसके बाद में सब काम हो जायेगा, सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे पिछले 20 साल के अन्दर जितने आदमी माइन्स डिपार्टमेंट के अन्दर एल.डी.सी., यू.डी.सी ड्राफ्ट्समैन थे उन सबके पास में लीज है। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं उन सब के पास मे राजस्थान में माइन्स की लीज है। यह

(श्री सी. पी. जोशी)

आरोप है मेरा, माननीय सभापति महोदय, पिछले 15-20 साल में जितने आदमी माइन्स डिपार्टमेन्ट के अन्दर ड्राफ्ट्समैन या ऑफिस सुपरिण्टेण्डेण्ट थे या माइन्स इन्जीनियर थे उन सबके भाई भतीजों के नाम से माइन्स हैं। माइन्स की कस्टोडियन राजस्थान सरकार के पास साइन्टिफिक मैप नहीं और सारे मिनरल वैल्थ की उनके नाम से लीज करवा रखी है और चाहते हैं कि राजस्थान में मिनरल्स का डवलपमेन्ट हो। यह किस प्रकार से डवलपमेन्ट होगा ?

सभापति महोदय, आप घण्टी बजायेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, यह फोस्टेरिटी इस बात का उल्लेख करेगी जो हो चुका उसके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आज यह कहूं इन नामों के व्यक्तियों को हटा दें, ऐसा कर दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं जो खाना था वह खा गया, बाकी बचा उसका सवाल नहीं अब बचा ही क्या है जो खायेगा पर एक बात जरूर, माननीय सभापति महोदय, ध्यान में रहे कि पिछले जो हमारे अनुभव हैं उसको आधार मानकर हम कोई सबक लें और आगे आने वाले वर्षों के लिये हम कोई चीज प्लान कर सकें तब तो हमारा डिमान्ड में भाग लेना ठीक होगा। माननीय सभापति महोदय, जितने आपकी राजकीय उपक्रम हैं जिनमें आर. एफ. सी. और रीको के नाम से ऋण ले रहे हैं उनका तो भगवान ही मालिक है, जितना नहीं किया उतना ठीक है लेकिन आज कारपोरेशन्स की हालत यह है, यह कारपोरेशन्स जिस तरह काम कर रहे हैं, आपका राजस्थान रोडवेज जिसमें पैसेंजर्स का किराया बढ़ा दिया, ठीक ढंग से चल रहा है और दूसरी व्यवस्था कर लेंगे आप लेकिन यह पब्लिक मनी का मिस यूज है। मैं आज इसके सिवाय कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज राजकीय उपक्रम की डिमाण्ड नहीं है इसलिये मैं नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, जिस स्टेट के पास इन एडवान्स प्लानिंग नहीं हो कन्डिसिव एनवायरमेन्ट आफ क्लाइमेट क्रियेट करने के लिये राजस्थान सबसे आइडल जगह है, आज सबसे ज्यादा पीसफुल स्टेट के हिसाब से देखा जाय तो राजस्थान है, यहां के आदमी जीवट हैं, यहां के आदमी ठीक हैं ऐसी स्थिति में हमने एडवान्स प्लानिंग नहीं किया। जितने बाहर से आने वाले हमारे लोग हैं, चाहे गोहाटी में हैं, चाहे बंगाल में हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं उन्हें जो असुविधा पैदा हो रही है उनको अल्टीमेटली राजस्थान में आना होगा। उनके आने वाली स्थिति का फायदा उठाने के लिये हमको एडवान्स में प्लान करना पड़ेगा यदि हमने एडवान्स प्लान नहीं किया, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट नहीं किया, बिजली उपलब्ध कराने की हमने कोशिश नहीं की, किस एरिया में कितनी इण्डस्ट्रीज लगानी हैं इसका अगर हमारे पास मैप नहीं है और भारत सरकार से सेन्ट्रल इन्वेस्मेंट कितना हो इण्डस्ट्रीज के बारे में, ऐसे को नहीं बढ़ा पाये, सभापति महोदय, तो आने वाले 10 साल में हम डिमाण्ड को चाहे डिस्कस कर लें लेकिन राजस्थान के अन्दर उद्योग और मिनरल्स के हिसाब से हम डवलपमेंट नहीं कर पायेंगे और ये दोनों ही चीजें सभापति महोदय, मैं और मेरी उम्र के लोगों के लिये बहुत जरूरी है। एम्पलायमेंट के ऊपर तो राज्य सरकार ने बैन लगा

(श्री सी. पी. जोशी)

रखा है, मितव्ययता है इसलिये नौकरी तो देंगे नहीं आप। नौकरी आप दे नहीं पाओ, इण्डस्ट्रीज में हम सफल नहीं कर सकें, तो एक सोशियल इकानामिक प्राब्लम क्रियेट हो जायेगी इसलिये हम यह महसूस करते है कि एक सख्त औद्योगिक नीति बनाई जाय। सभापति महोदय, मिनरल्स के आधार पर और राजस्थान सरकार की जो रीको के माध्यम से मदद करने की नीति है यह दोनों ही स्थिति आगे आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या का निदान कर सकती है प्रोवाइडेड आपके पास एडवान्स प्लानिंग हो। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पिछला जो हमारा अनुभव है उसका लाभ लेकर इस उद्योग की नीति को हम बना पायेंगे और मिनरल वेल्थ का ठीक ठीक हम उपयोग कर पायेंगे।

आपने जो अवसर दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मुक्तिलालजी मोदी। कृपया संक्षेप में बोलें। और यह मैं आपसे नम्रता से निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप आसन पर विराजते हैं तब ही इनको अवसर मिलता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री मुक्तिलालजी को बोलने दें।

श्री शोपत सिंह : यह आपकी पार्टी के है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : पार्टी की बात को छोड़ो।

उद्योग की जो डिमाण्ड है मैं आपसे, माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं कि उद्योग के अन्दर आज रीको और राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन दो अलग चीज बनाई है सरकार ने और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट अलग है। मैं सरकार से निवेदन करना करना चाहता हूं कि तीन चीज अलग न रखें, एक चीज रखें। आज रीको हो या फाइनेन्स कारपोरेशन हो या इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट हो, तीनों अलग अलग लाइसेन्स देते हैं। कोई राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन से लोन लेता है, कोई रीको से लोन ले लेता है। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट लाइसेन्स देता है और कोटा तय करता है।

माननीय सभापतिजी, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि आज फाइनेन्स कारपोरेशन को जो रुपया मिलता है वह राजस्थान सरकार की गारन्टी से मिलता है, रीको को जो पैसा मिलता है वह राजस्थान सरकार की गारन्टी से मिलता है। आज फाइनेन्स कारपोरेशन के उन आफिसर्स की वजह से जो आफिसर तो बन गये हैं लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह जो इण्डिस्ट्रीयल एरिया बनाया है उसमें एक सी इण्डस्ट्री की परमिशन 6 आदमियों को दे दी माननीय सभापति महोदय, जो कि चलने वाली नहीं है उस इलाके के अन्दर जबकि एक इण्डस्ट्री की आवश्यकता है, तो वह लोग यह सोचें, इस बात पर विचार होना चाहिये, सभापतिजी कि वह रुपया किसका है? वह यह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

समझते हैं कि यह रुपया हमारा नहीं है। अगर वह ग्राफिसर यह सोचें कि यह रुपया हमारा है तो वह 6 इण्डस्ट्रीज को परमिशन नहीं देंगे। सभापतिजी, राजस्थान के अन्दर भले ही वह बिजली की कमी से हो, भले ही वह दूसरी कमी से हो आपकी ग्राज 50 परसेन्ट इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी है। इण्डस्ट्रियल एरिया जो बनाते हैं मैं इसलिये भी उनके खिलाफ हूं कि वहां पर यूनियनबाजी होती है और बिजली भी पूरी उपलब्ध नहीं होती है। वहां पर सड़क उपलब्ध नहीं होती है, पानी की उपलब्धि नहीं होती है, रहने के साधन उपलब्ध नहीं होते है। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, गांव के लोग शहरों में ग्रा रहे हैं और शहरों में बस रहे हैं। जैसे जयपुर में विश्वकर्मा में इण्डस्ट्रीज लगाई, इंजीनियरों को पैसा दिया, लाखों किसानों की जमीन को एक्वायर किया और लाखों-करोड़ों रुपया दिया ग्राज, उसके ग्रन्दर काफी इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं, यूनियन बाजी फेल हो गई और गांव के लोग उठ उठ कर ग्रा गये। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है उसको वही पर इण्डस्ट्रीज के लिये सब सुविधायें दें और वही पर इण्डस्ट्री लगे तो गांव खाली नहीं होंगे। ग्राज, माननीय सभापतिजी ग्राप चलकर के देख लीजिये राजस्थान के ग्रन्दर जहां 2 लाख की पापूलेशन थी जयपुर की, ग्राज 14 लाख की पापूलेशन है। कोई कहता है कि साहब सड़क नहीं है कोई कहता है पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फलाणा नहीं है, ढिकाणा नहीं है। इसी प्रकार की उदयपुर की हालत है, जोधपुर की हालत है ग्रौर दूसरी जगहों की हालत है। मैं यह कहना चाहता हूं सभापतिजी, ग्रापके जरिये कि सरकार इन सारी बातों को देखे, सोचें ग्रौर विचारें। उसके बाद में इन इण्डस्ट्रीज को परमिशन दे।

मेरे इलाके के ग्रन्दर एक स्वदेशी सीमेन्ट फैक्ट्री लगाई। उस स्वदेशी सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में मैंने कई चिट्ठी लिखी हैं सरकार को। मेरे इलाके में वह मजदूरों को मजदूरी नहीं देती है ग्रौर इलाके के लोगों को ग्राफिस के काम नहीं देती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, उसको रीको ने लीज दी है 35 मैट्रिक टन की ग्रौर सस्ता लाइमस्टोन देते हैं। वह 2 सौ टन की सीमेन्ट फैक्ट्री है ग्रौर उसने वायदा किया था 6 सौ टन की सीमेन्ट फैक्ट्री लगायेंगे। ग्राज वह बाजार भाव पर सीमेन्ट बेचती है ग्रौर इलाके के लोगों को सीमेन्ट न देकर के जयपुर में बेचती है। बाजार में वह बेचते हैं तो कण्ट्रोल रेट से बेचनी चाहिये, यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं। उस फैक्ट्री में 6 करोड़ रुपया लगा जब कि सरकार ने 11 करोड़ रुपया दिया। उस पूंजीपति को अपने पास से एक पैसा नहीं लगाना पड़ा। उसने मजदूरों का पेमेन्ट नहीं किया। जिनसे मशीनरी खरीदी उनका पेमेन्ट बाकी है। सरकार इस बात को सोचे, उस पूंजीपति को जो रुपया दिया है 11 करोड़, यह 11 करोड़ की फैक्ट्री नहीं है। मैं ग्रापको माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं....

श्री नाथूसिंह : किसकी है, नाम बताइये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रुंगटा की है। किशोर रुंगटा। मैं आपको बताऊं, माननीय सभापति जी, कि राजस्थान के अन्दर जब तक पुराने ढांचे को सरकार नहीं बदलेगी और समाजवाद नहीं लायेगी तब तक राजस्थान की उन्नति नहीं होने वाली है। मैं माइन्स के लिए, खनिज के लिए बताना चाहता हूं ....

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, आज राजस्थान के अन्दर जितना करोड़ रुपया खनिज की रायल्टी का आता है उस का आठ गुना रुपया सरकार के पास आ सकता है। माननीय सभापतिजी, सरकार के जो एक्ट हैं, सरकार के जो कानून हैं, आज के 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष पहले बनाये थे वा के वो ही कानून आज चलते हैं। मैं आपको, माननीय सभापतिजी, बताना चाहता हूं कि बिल्डिंग स्टोन हो या सैण्ड स्टोन हो या लाइम स्टोन हो या मार्बल हो, एक लीज मेरे नाम से, एक लीज बहिन के नाम से, एक दूसरे भाई के नाम से, बाप के नाम से अलग और बेटे के नाम से अलग तो माननीय सभापतिजी, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सारी चीज जांच करके इस लीज को देना चाहिये जियोलांजिकल सर्वे होना चाहिये और जियोलांजिकल सर्वे की रिपोर्ट आने पर लीज देनी चाहिये। राजस्थान सरकार ने और हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया, मेरे पास फैसले की कापी मोजूद है, आप देख लीजिये, हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि राजस्थान के अन्दर लाइम स्टोन और मार्बल के छोटे-छोटे प्लाट दिये जायं बड़े प्लाट नहीं दिये जाय। फैसला होने के बावजूद भी माननीय सभापतिजी, राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े प्लाट दिये प्लाट देने से मोनोपोली हो जाती है। माननीय सभापतिजी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी? 15 किलोमीटर का जो कानून है हम उस कानून को नहीं बदलेंगे? हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद भी कानून को नहीं बदला सरकार ने। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज जो बड़े-बड़े लीज होल्डर हैं....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सोजत के अन्दर हैं, गोटन के अन्दर हैं माननीय सभापतिजी, देखिये, सरकार का फायदा बताऊंगा, घाटे की चीज नहीं बताऊंगा....

श्री सभापति : इसीलिए आप बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां। जो आज बड़े बड़े लीज होल्डर हैं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एकाध के नाम बताओ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, सोजत में है, गोटन में है, कोटपूतली में है, नीम का थाना में है, कोटा में है।

श्री शिवचरण सिंह : गोटन में राजेश मोटर्स ने लिया है वही बता दो।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी मैं राजस्थान सरकार से कहता हूं, मैंने एक पूंजीपति से कहा कि ग्राज इतना बड़ा एरिया ले रखा है उसकी रायल्टी कितनी देते हो। सेक्रेटरी साहब के सामने बैठे थे, ग्राज के पांच-सात वर्ष पहले मैंने कहा—

श्री शिवचरण सिंह : विष्णु मोदी ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : विष्णु मोदी नहीं था, सोबर्न का था।

श्री सभापति : डिस्टर्ब मत करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने कहा, ग्राप जितनी रायल्टी देते हैं उसकी बीस गुनी रायल्टी मैं ग्रापको देता हूं। ग्राप बीस गुनी रायल्टी सरकार को क्यों नहीं देते, इसमें इतना बड़ा प्रोफिट होता है। कोयला कण्ट्रोल रेट का, उसके बाद चूना महंगा बेचते हो, लाइमस्टोन की चोरी करते हो ग्रौर उसके बाद भी सरकार को फायदा नहीं देते। माननीय सभापतिजी, रायल्टी की चोरी से सरकार को इनकमटैक्स का नुकसान होगा; सैल्स टैक्स का नुकसान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रायल्टी का तो होगा ही, मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड का नुकसान होगा ग्रेचुएटी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यह, माननीय सभापतिजी, मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनिये, माननीय सभापतिजी, पांच मिनट ग्रौर बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पांच मिनट नहीं, ग्राप दो मिनट में...

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट। माननीय सभापतिजी, मैं ग्रापको यह भी बताना चाहता हूं कि ग्राज राजस्थान सरकार के पास मिनरल है नहीं ग्रौर राजस्थान में लीज दी जा रही है। जो मिनरल है राजस्थान के ग्रन्दर उसको जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जब तक सर्टिफाई नहीं करा लें कि यह मिनरल है तब तक राजस्थान सरकार लीज किसी को नहीं दे।

दूसरी बात, माननीय सभापतिजी, यह कहना चाहता हूं कि लीज धौलपुर में केंसल कर दी जाती है, करोड़ों रुपयों की लीज है उसके बाद ग्रफसर मिल करके उसको स्टे दिला देते हैं। माननीय सभापतिजी, यह सारा का सारा काम क्यों हो रहा है ? सरकार एक लीज को केंसल कर देती है फिर उसको क्यों देती है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार बेईमान है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोटपुतली के ग्रन्दर मैं ग्रापको बताना चाहता हूं पांच तारीख को नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी की लीज को केंसल किया। 7 तारीख को एक एप्लीकेशन ग्राई, माननीय सभापतिजी, 8 तारीख की उसकी मियाद थी, मेरे पास

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कागज है, कब्जा आठ तारीख को सरकार ने दिया। आपके पास कोई चीज है नहीं, पांच बजे कब्जा लिया, माननीय सभापतिजी, हाई कोर्ट के अन्दर मन्जूर किया है गवर्नमेंट एडवोकेट ने, पांच बजे कब्जा लिया, 8 तारीख को एप्लीकेशन आई। 9 तारीख को किरन काटेज की एप्लीकेशन आई मैं आपसे कहना चाहता हूं उस 8 तारीख को एप्लीकेशन रीको की आई, स्वदेशी सीमेंट की आई और दूसरे-दूसरे लोगों की आई। माननीय सभापतिजी, रामेश्वर बजाज की माइनर मिनरल के नाम से एप्लीकेशन आई। जब इनके पास में लीज नहीं है कब्जा देने के लिए पार्टी को, तो आपने लीज कैसे दी 8 तारीख को, मेरी यह समझ में नहीं आता। ये मेरे पास कागज मौजूद हैं, हाई कोर्ट के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में। कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनिये, माननीय सभापति महोदय, मैं इतनी जबरदस्त बात बता रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप शीघ्र बताइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब सरकार के पास लीज ही नहीं है, सरकार के पास कोई चीज है ही नहीं फिर लीज सेंक्शन कर दे। और अब क्या है? अब फिर हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट वालों ने केन्सल कर दिया। फिर डी. बी. में गये, डी. बी. वालों ने कैसे भी करके उनको कह दिया कि यह मामला है एप्लीकेशन ठीक है। ठीक तो है पर सरकार क्या करती है। सरकार को चाहिए कि जो गलत चीज की है, सरकार ने जो गलती की है उसको सुधारे।

यह सेंक्शन नहीं देंगे और अगर दे देंगे तो सरकार को कितना नुकसान होता है यह भी मैं सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं। इस लीज को देने से 20 लाख रुपये की कमाई माइन्स डिपार्टमेंट को होती है। अगर इसको आर. एस. एम. डी. सी. को दें तो जो आर. एस. एम. डी. सी. को घाटा होता है उसमें 20 की कमी होगी। अभी 20 लाख रुपये का घाटा आर. एस. एम. डी. सी. को हो रहा है इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एम. डी. सी. को वह लीज देनी चाहिये नहीं तो आप रीको को दस किलोमीटर की लीज दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। अब समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। काफी जानकारी आपने दे दी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, नई बात बताऊंगा, पुरानी नहीं।

आज राजस्थान के अन्दर मेजर मिनरल सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पास है ही नहीं। सभापति महोदय, मेजर मिनरल की लीज लेते हैं वह है ही नहीं। लाइम स्टोन, मार्बल, डोलोमाइट मैजर मनरल हैं। मैं यह कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, डोलोमाइट, लाइम स्टोन, मार्बल बेस मिनरल है. यह जियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट में है सभापति महोदय, मेजर मिनरल कोई भी कितना ही ले लेगा एरिया यों तो फिर मोनोपोली हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार को यह सारा देखना पड़ेगा, राजस्थान को सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनो तो सही, सुनो मेरी बात।

एक बात बता रहा हूं आज राजस्थान सरकार को यह देखना पड़ेगा कि इस तरह के गलत आर्डर्स कर दिये हैं पहले उनको केन्सल करें। उन आर्डर्स को देखना पड़ेगा। सभापति महोदय, सरकार ने जो गलतियां की हैं पहले, वह आगे नहीं करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं माननीय सदस्यों को, सभापति महोदय यह बताना चाहूंगा कि किस तरह से लोग....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय, राजस्थान में आप टैक्स मत लगाओ अकेले मिनरल्स से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप कृपया, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

राकफासफेट और टंगस्टन के बारे में सरकार को कहना चाहता हूं। राजस्थान मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन आपने बना रखा है मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह अलग अलग कार्पोरेशन बना रखे हैं वह नौकरी देने के लिये काम करते हैं, तो, सभापति महोदय, यह तो हमारी सरकार को लौस है। हमारा खून पसीने का पैसा आप यों ही लुटाते जा रहे हैं इसलिए इस कार्पोरेशन को बन्द किया जाय और ऐसे जो खर्च हैं उनको कम किया जाय।

श्री सभापति : सुश्री गिरिजा व्यास।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगी। सभापति महोदय, राजस्थान में

(सुश्री गिरिजा व्यास)

आज इतनी खनिज सम्पदा है कि यदि इसकी ओर समुचित ध्यान दिया जाय तो राजस्थान के विकास के लिये और आर्थिक दृष्टि से उसकी पूर्ति के लिए केवल खनिज सम्पदा ही पर्याप्त है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन को आगाह करना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है। विभाग से राजस्थान को जितना पैसा खनिज सम्पदा से मिलना चाहिये उतना नहीं मिला। राजस्थान सरकार को इन्होंने एक प्रकार से चीट किया है। इस संदर्भ में उदयपुर स्थित आर. एम. एम. से सम्बन्धित खानों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ वर्षों पहले यह कहा जाता रहा था कि राजस्थान के एस्टीमेटेड बजट का 90 प्रतिशत यह खान पूरा कर देंगी लेकिन अभी पिछले पांच वर्षों से जो कुछ उसमें हुआ है उससे एक बात सामने आई कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण प्रोफिट गोइंग कनसर्न जो थीं वह राजस्थान के लिये व्हाइट एलीफैन्ट बन कर रह गयीं।

माननीय सभापतिजी, आर. एस. एम. एम. की झामर कोटड़ा माइन्स का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है। राक फास्फेट की खान पूरे इण्डिया की 40 प्रतिशत जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका खनन पूरा नहीं हो पाया। राक फास्फेट का उत्पादन कम हुआ इसलिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च कर राक फास्फेट को आयात करना पड़ रहा है। महोदय, मैं आंकड़े देना चाहूंगी, 1983-84 में 23 लाख 63 हजार टन राक फास्फेट का खनन हुआ और 84-85 में यह घट कर 18 लाख 50 हजार टन रह गया। इस प्रकार से इसमें 18 प्रतिशत का घाटा रहा। फिर भी जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें हमको प्राफिट बताया गया। 27 करोड़ का जो प्राफिट था। वह 84-85 में बढ़ कर 37 करोड़ हो गया इसलिए राजस्थान सरकार को सन्तोष हो गया। सभापतिजी, राज्य सरकार की आंखों पर पट्टी बांध करके कुछ अधिकारियों ने उसके साथ धोखा-धड़ी की है। इस वर्ष घोषणा की थी आर. एस. एम. एम. ने कि वार्षिक एस्टीमेटेड उत्पादन 6 लाख होगा। लेकिन पिछले तीन महीनों में जो उत्पादन हुआ उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, एक लाख 20 हजार टन का उत्पादन हुआ। इसमें 20 हजार टन की तो शार्टेज हुई इससे तीन करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार को घाटा हुआ यह तो हुई घाटे की बात।

जब हमारे देश के किसानों के साथ धोखाधड़ी इस कन्सर्न ने की इस बात को भी मैं आपसे कहना चाहती हूं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए पहले तीन महीनों का पीरियड काफी कुशल होता है। इन तीन महीनों में फर्टिलाइजर फैक्ट्री काफी उत्पादन करके फर्टिलाइजर देती है पर इन्होंने इस ट्रस्ट को चीट किया और हमारे किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। महोदयजी, यह बात आज किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि सेन्ट्रल जोन राक फास्फेट पर 100 प्रतिशत लेते हैं लेकिन राक फास्फेट पूरा नहीं मिलने के कारण इस प्रकार एक प्रकार से चीट किया है जबकि हमारे देश के प्रधान मन्त्रीजी देश में अधिक उत्पादन की बात कर

(सुश्री गिरिजा व्यास)

रहे हैं। इस कनसर्न ने वास्तव में घोखाधड़ी की है जो कि सरकार की आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। महोदयजी, मैं इस सन्दर्भ में कान्ट्रेरी रिबेट की बात कहना चाहती हूं। यदि कोई कम्पनी 65 हजार टन राक फास्टेट खरीदती है तो उसको दस हजार टन का रिबेट मिलता है इस को कान्ट्रेरी रिबेट कहा जाता है। महोदयजी, यह रिकार्ड पर है कि एक डी. सी. एम. कनसर्न है उस डी. सी. एम. कनसर्न के पास पैसा नहीं होने के कारण कुछ महीनों तक डी. सी. एम. ने पैसा जमा नहीं करवाया फिर भी इस कनसर्न को 65 हजार टन का कोटा पूरा करने के लिए उधारी पर दिया जिससे कि उसको रिबेट मिलती है। उसे दस हजार टन की रिबेट मिले यह मामला पी. यू. सी और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के पास है इसलिए इस सन्दर्भ में मैं अधिक कहना नहीं चाहती हूं। राज्य सरकार और मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगी कि इस सन्दर्भ में जांच करवायें।

श्रोवरबर्डन की बात मेरे साथी विधायकों ने कही थी। इस सम्बन्ध में भी कुछ जो ठेकेदार उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं उसके लिये मैं यहां कहना चाहती हूं प्रबन्धकों ने काफी घोखाधड़ी और काफी घोटाले किये हैं। एक कनसर्न द्वारा लैलेण्ड की चेसिस और कुछ टम्पर्स बेचे जाने के बारे में यह मामला है इसकी ओर ध्यान दें।

इसके अलावा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो 55 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं उनके लिये भी वहां आरामगाह बना दिया गया। उनको पिछले वर्षों में वापस अपाइन्टमेंट दे दिया है। कुछ लोग हिन्दुस्तान जिन्क में रिटायर हो गये थे, महोदय, उनको वापस ले लिया गया। महोदय, हमारे यहां एक तरफ तो युवा एक्सपर्ट्स को काम देने की बात है दूसरी तरफ इस तरह से एक्सपर्ट कह कर उनको वापस लिया गया है तो यह उन युवा लोगों के साथ विश्वासघात है।

महोदयजी, जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। वर्कर्स के वेलफेयर का यहां पर मुद्दा उठाया गया था पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो कोई स्कूल है झामर कोटड़ा में और न ही पेयजल की व्यवस्था ठीक है। उनको जो पेयजल मिल रहा है वह गन्दा मिल रहा है। वह पानी पीने के लायक नहीं है और अधिकारियों ने कहा कि पानी ठीक है। पी. ए. सी. की रिपोर्ट में एनेक्सचर बी में यह कहा गया है कि पानी जो पीने के लिये दिया जा रहा है वह पीने के योग्य नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। यदि वर्किंग कम्पनी की बैक बोन है तो आफिसर ब्रेन सैल्स है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी ग्रेड रिवाइज नहीं हुई है। उनमें से अधिकांश अभी भी मैक्सीमम पर पहुंचे हुए हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी इस प्रकार की जो कनसर्न हैं वह जो हमारा बजट घाटा है उसकी आपूर्ति कर सकती हैं, हमारे बजट को एक नई दिशा, नया आयाम दे सकती हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में एक नई दिशा दे सकती हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चा-

(सुश्री गिरिजा व्यास)

हूंगी और मुख्य मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस प्रकार को कंसर्न पर ध्यान दें। जैसा स्वप्न था, जैसा सपना देखा गया था माननीय सुखाड़ियाजी ने कि राजस्थान की आर्थिक पूर्ति 90 प्रतिशत यह कंसर्न कर देगी, वह स्वप्न साकार हो सके इस पर आप ध्यान दें। इतनी बात कह कर मैं समाप्त करती हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मानिकचन्दजी सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान के उद्योग और खनिज विभाग की मांगे मंजूरी के लिए इस सदन के सामने हैं। सभापति महोदय, अब समय आ गया है जब कि राज्य सरकार उद्योग और खनिज की प्रगति में आत्म सन्तुष्टि की भावना कागृत करे और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हम कहां खड़े हैं इस बात का जरा जायजा लें। प्रगति निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष के आंकड़ों में प्रत्येक कारपोरेशन में हमको कुछ न कुछ नजर आयेगी क्योंकि आखिर राजस्थान सरकार करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खर्च करती है। इसलिये पिछले वर्ष के मुकाबले हमने चार लाख रुपये कमा लिए, पांच लाख रुपये ज्यादा कमा लिये, हमने कुछ इण्डस्ट्रियल स्टेट बना लो, हमने कोई दो हजार एकड़ जमीन अवाप्त कर ली, हमने कोई 600 एकड़ प्लाट आवंटित कर दिये, यह मापदण्ड नहीं है औद्योगिक प्रगति में, न यह मापदण्ड है औद्योगिक वातावरण में। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमको मुकाबला करना पड़ेगा कि आज पश्चिम बंगाल के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। हमें इस बात का मुकाबला करना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में औद्योगिक वातावरण के मुकाबले राजस्थान कहां खड़ा है। पश्चिम बंगाल जहां वामपन्थी सरकार है, सभापति महोदय, जहां पर यह कहा जाता था कि इण्डस्ट्रियल क्लाईमेट बिलकुल खत्म हो गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज सबसे ज्यादा बड़े उद्योग और बड़े उद्योगपति वापस पश्चिम बंगाल और कलकत्ता में जा रहे हैं। 650 करोड़ का पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट वहां लग रहा है। राम प्रसाद, जो हिन्दुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, के नेतृत्व में, उसकी देखरेख में आज वामपन्थी सरकार वह पेट्रोकेमिकल्स कारखाना साढ़े छः सौ करोड़ रुपये का लगा रही है। आज वामपन्थी सरकार ने हल्दिया, जो कलकत्ता से साठ किलोमीटर दूर है में आठ सौ करोड़ का विनियोजन करने की व्यवस्था की है। उन्होंने बड़े-बड़े नये इलेक्ट्रानिक उद्योगों को आकर्षित किया और वातावरण में परिवर्तन लाया गया। उस परिवर्तन के मुकाबले आप देखें कि राजस्थान में हम कितने बड़े उद्योगों को ला रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ रुपये का विनियोजन राजस्थान में हो रहा है। यदि पश्चिम बंगाल हमसे औद्योगिक प्रगति में आज भी तेज है तो निश्चित रूप से हम पिछड़ते जायेंगे, गुजरात से पिछड़ते जायेंगे, पंजाब और हरियाणा से भी पिछड़ते जायेंगे। इसलिये प्रश्न यह है, सभापति महोदय, दूसरे प्रान्तों की प्रगति के मुकाबले हम कितनी प्रगति कर रहे हैं हमको इस बात से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन विचारों के साथ में और जिन भावनाओं के साथ में राजस्थान में रीको क्

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जन्म हुआ, राजस्थान में रीको जो पहले रिमइको था उसको रीको अलग से बनाया गया, आर. एस. एम. डी. सी. अलग बनाया गया, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह जो कारपोरेशन बड़े बड़े बनाये गये उसका आंकलन उसका, मूल्यांकन निश्चित रूप से करने का समय आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज आर. एस. एम. डी. सी के पास में चार करोड़ बासठ लाख की पूंजी राज्य सरकार की है और उसका मुनाफा कितना है? कोई 18 लाख। यानि चार प्रतिशत। यह मुनाफा किन परिस्थितियों में है? यह मुनाफा इन परिस्थितियों में है कि लाइम स्टोन के डिपाजिट के सैंकड़ों वर्ग किलोमीटर को लीजें आज आर एस. एम. डी सी. के पास है। ऐसा कौन सा मिनरल है जो आर. एस. एम. डी. सी के पास नहीं है। राजस्थान सरकार के पास जितने मिनरल्स हैं वह सबके सब आर. एस. एम. डी. सी. के पास हैं, सिर्फ दो जिप्सम और राक, फास्फेट राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स के पास हैं। इसके अलावा आज आर. एस एम. डी. सी. के पास कोई सम्पत्ति है वह उसकी सम्पत्ति है। वह राजस्थान सरकार की सम्पत्ति नहीं है, आर. एस. एम. डी. सी. की सम्पत्ति है। चार करोड़ बासठ लाख रुपये की पूंजी, राजस्थान का बड़ा खनिज का भण्डार उनके पास है और मुनाफा हमें देते हैं चार प्रतिशत इससे आंकना होगा कि आर. एस. एम. डी. सी. को आगे क्या करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आर. एस. एम. डी. सी. के पास जो खनिज भण्डार है, मैं व्यक्तिगत पूंजीपतियों का हामी नहीं हूं, किसी भी मामले में, चाहे वह आर. एस एम. डी. सी. ठीक चल रही हो, जो कमियां हैं वे सुझाव दूंगा, लेकिन मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता एक समाजवादी होने के नाते कि किसी बड़े पूंजीपति को लाकर उसका अध्यक्ष बना दीजिये और राजस्थान की खनिज सम्पति किसी पूंजीपति को सुपुर्द कर दीजिये ताकि राजस्थान सरकार को 18 लाख की बजाय एक करोड़ रुपये मिलें। मैं एक करोड़ के लिए राजस्थान की खनिज सम्पत्ति को किसी पूंजीपति के यहां रहन करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं राजस्थान सरकार से निश्चित रूप से चाहूंगा कि वह इस बात को गहराई से दुबारा विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। टाप एडमिनिस्ट्रेटर रख रहे हैं, आज एक करोड़ का खर्चा सिर्फ वेतनों में लगे, मजदूरी में नहीं, सिर्फ वेतनों में 97 लाख रुपये लगे, जहां टाप एडमिनिस्ट्रेशन होगा निश्चित रूप से वहां पूंजी का मुनाफा नहीं हो सकता। मैं आर. एस. एम. डी. सी के अधिकारियों से जानना चाहता हूं क्या कारण है कि हिन्दुस्तान में व्यक्तिगत जितने भी बड़ी केपिटलस की कंसर्न हैं आज वह 20-25 प्रतिशत का डिवीडेन्ट डिक्लेयर करती हैं, बोनस के शेयर जारी करती हैं लेकिन हमारी आर. एस. एम. डी. सी. ने राज्य सरकार को 18 लाख रुपये मुनाफा देकर जो कुछ ज्ञापन जारी किया लगता है कि वह संतुष्ट है लेकिन स्थिति क्या है? आर. एस. एम. डी. सी की स्थिति यह है, इनकी रिपोर्ट के पेज 13 पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने निश्चित रूप से इस रिपोर्ट को देखा होगा, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हैं कि फिक्स्ड असेट्स का रजिस्टर have not been

(श्री मानिक चन्द सुराना)

maintained in the most of the units of the company. बहुत सी यूनिटों में फिक्स्ड असेट्स का रजिस्टर मेनटेन नहीं किया जाता और ब्रांचेज में Assets registers have been maintained full particulars including quantitative details and situations of fixed assets have not been indicated. करोड़ों कम्पनियां चल रही हैं, करोड़ों रुपयों का खर्च कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर में फिक्स्ड असेट्स दर्ज नहीं कर सकते। किस तरह से कम्पनी चलती है आगे और भी सभापति महोदय, physical verificaton of raw material finished goods stores and sparesas not been conducted by the management. प्रबन्धकों ने कोई फिजीकल वेरिफिकेशन रा-मेटिरियल्स का, फिनीश्ड गुड्स का, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का कभी नहीं किया। जिस तरीके से वेरिफिकेशन किया है आई विटनेस, आई एस्टीमेट से गिन लिया गया है कि क्या चीज कितनी है, मात्रा कितनी है, टंगस्टन में है तो कितनी है आई से देख लिया कि हजार टन, लाख टन माल पड़ा है और लिख दिया कि इतना माल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े अधिकारी हैं इतने बड़े अकाउंटस आफिसर हैं, इतने एक्सपर्ट लोग हैं और उनके ऊपर आई. ए. एस. अफसर हैं जो इसकी अध्यक्षता करते रहे, पहले इसकी अध्यक्षता डोंडियाल ने की, अब बैरवा आ गये, शायद बैरवा ने चार्ज भी नहीं लिया, ले लिया, मेरा कभी काम नहीं पड़ता, इसलिये यह फंक्शन किस तरह का है जिसकी रिपोर्ट में आप लिखते हैं कि फिजीकल वेरिफिकेशन के रजिस्टर नहीं हैं, इंद्राज नहीं है और कभी स्पेयर्स एन्ड स्टाक का जायजा नहीं लिया। आंखों से देखकर लिख दिया।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा भण्डार राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स के पास में रॉक फास्फेट का है, जिस पर बहुत चर्चा हुई। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, सभापति महोदय, मैं उन पर दुबारा चर्चा नहीं करूंगा। करीब साढ़े छः करोड़ रुपये का विनियोजन आज आर. एस. एम. डी. सी. का हो रहा है। चार करोड़ साठ लाख की पूंजी आपकी और बाकी दो करोड़ की दूसरी है। उसमें साढ़े छः करोड़ का विनियोजन हो रहा है....

(8.00 रात्रि)

और इसमें हमको मुनाफा कितना? 1 करोड़ 19 लाख का मुनाफा। इसमें जिप्सम भी है, राक फास्फेट भी है और सेलोनाइट भी है राक फास्फेट में मोनोपाली है राजस्थान की, स्थिति, सभापति महोदय, क्या है? देश के कुल उत्पादन का 86 पर्सेन्ट राक फास्फेट राजस्थान में है। जितनी मांग है देश में उसका 25.85 पर्सेन्ट राक फास्फेट राजस्थान में है। मोनोपाली है हमारी राक फास्फेट की और उस पर, सभापति महोदय, 6।। करोड़ लगाकर मुनाफा सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख का है। मैं इस बात से परिचित हूं जैसा अभी उदयपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि पिछले वर्ष राक फास्फेट की बिक्री से साढ़े सैंतीस करोड़ आये क्योंकि आर. एस. एम. एम. एक फिक्स्ड रेट पर राज्य सरकार को राक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

फास्फेट बेचता है और उसके ऊपर के रुपये राज्य सरकार को आते हैं। 83-84 में 27॥ करोड़ आये, 84-85 में 37॥ करोड़ आये लेकिन यह 27॥ करोड़ और 37॥ करोड़ 83-84; 84-85 में आर. एस. एम. एम. की काबलियत के नहीं है वह उस मिनरल के हैं। इसलिए यह 37॥ करोड़ आ रहे हैं या 27॥ करोड़ आ रहे है इसमें मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 6 करोड़ की पूंजी लगाकर आपका जो एड-मिनिस्ट्रेशन है वहां का, कितने स्पेयर्स है, आप किस तरह से फंक्शनिंग करते है, कितना स्टाफ है ? 1100 का स्टाफ है और करोड़ों की मशीनें हैं, सभापति महोदय। 11 करोड़ 90 लाख के करीब की मशीनें हैं आर. एस. एम. में। मैं, सभापति महोदय, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं 50-50 लाख के इलेक्ट्रिक डम्पर्स बेकार हैं। डम्प कर दिये गये हैं। उनका उपयोग नहीं है। यहीं, आर. एस. एम. एम. 45 पर्सेन्ट ऐसा माल पैदा करता है वह ठेकेदारों के माध्यम से आज भी करवा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं, सभापति महोदय, यह जो आई. ए. एस. चेयरमैन हैं उनसे कि क्या यह कानूनन है कि राज्य सरकार ने आपको जहां बैठाया है आप वहां कान्ट्रैक्ट सिस्टम चला रहे हैं बड़े बड़े कार्पोरेशन में ? क्या यह कानून के द्वारा सम्मत है ? क्या भारत सरकार ने ऐसी कान्ट्रैक्टरशिप, कानून के द्वारा खतम नहीं कर दी है ? भारत सरकार चाहे कानून बना दे कि ठेकेदारी नहीं चलेगी लेकिन इसके बावजूद हमारे कार्पोरेशन में क्योंकि आई. ए. एस. के द्वारा मेन्ड है मुझे मिला नहीं है, सभापति महोदय, आई. ए. एस. से लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रूल ग्राफ ला जिनको कायम रखना है उनका फर्ज यह है कि भारत सरकार के कानूनों की अवहेलना नहीं करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कान्ट्रैक्टरशिप आपसे आर. एस. एम. एम. में चला रखा है इसको खतम कीजिए। 1100 की जो भर्ती वहां कर रखी है स्टाफ की, यदि हाइली मैकेनाइज्ड है यह माइन्स और जहां 11 करोड़ के उपकरण हैं, औजार हैं, इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं, मशीनें हैं तो 1100 के स्टाफ की जरूरत नहीं है। 1100 कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, आज वहां 550-600 कर्मचारियों से काम चल सकता है लेकिन कई राजनैतिक कारणों से आप वहां छटनी नहीं कर रहे हैं और इस कार्पोरेशन में जो मुनाफा हो सकता है सम्भव है उस मुनाफे को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मामलों में सिर्फ राजनैतिक लगावों से भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा यदि राज्य के संसाधनों की हमको वास्तव में चिंता है तो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वापस मैं आर. एस. एम. डी. सी. की जिक्र करता हूं लाइम-स्टोन के डिपाजिट्स राजस्थान में हैं। सीकर, झुंझुनू और नागौर में भी बहुत जगह पर हैं, सिरोही में है, जैसलमेर में नये डिपाजिट्स मिल रहे हैं, सभापति महोदय, 450 स्क्वायर किलोमीटर में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया, माननीय शिवचरण सिंह जी ने उठाया, माननीय मुक्तिलाल जी मोदी ने उठाया, माननीय श्री डी.पी. जोशी साहब ने उठाया। राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी कि 150 बाई 150 वर्ग मीटर से अधिक की हम लीज नहीं देंगे। कुछ एरियाज के लिए राजस्थान सरकार ने दुबारा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कहा कि हम 300 बाई 300 वर्ग मीटर की लीज देंगे। चलिये, कुछ जिलों में आप 300 बाई 300 वर्ग मीटर की लीज दीजिए लेकिन किसी एक मामले जिसमें रीको मांग रहा है लीज को, नेशनल लाइम स्टोन के मामले में, जो लीज नेशनल लाइम स्टोन के पास में थी आपने 5।। किलोमीटर की लीज रीको को दे दी और 4।। स्क्वायर किलोमीटर की लीज किसी एक व्यक्ति को दे दी रामेश्वर दयाल को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह व्यक्ति का सवाल नहीं है वह सवाल नीतियों का है। यदि हमने कानून बनाया और हमने छोटे आदमियों को खनन कार्यों में आगे बढ़ने के लिए नीति बनाई, चाहे सन् 79 में बनाई, चाहे आपने सन् 83 में बनाई, मैं कहना चाहता हूं कि उस नीति का कार्यान्वियन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला यदि किसी बड़े आदमी के पक्ष में हो गया है मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि सुप्रिम कोर्ट में जाये वह और इसकी अपील करे क्योंकि यदि आपने इस मामले में अपील नहीं की तो वापस राजस्थान के खनिज उद्योग में बड़े पूंजिपतियों के लिए रास्ता खुल जायेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय कोई फैसला राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बिलकुल विरुद्ध, राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध डिक्टेट नहीं कर सकता कि राजस्थान में लीज कितनी स्क्वायर मीटर में होगी। यह फैसला राज्य सरकार को नीतिगत तौर पर करना है। नोटिफिकेशन मौजूद है। हाई कोर्ट भी यदि बड़े पूंजीपतियों के असर में आ गया है तो सुप्रिम कोर्ट खुला है वहां जायें और अपील करें। राज्य सरकार आज भी रीको को यदि लीज दे देती है 4।। स्क्वायर किलोमीटर की तो निश्चित रूप से न उसमें सुप्रिम कोर्ट इन्टरफियर कर सकता है, न हाई कोर्ट इन्टरफियर कर सकता है। अभी तक जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट से फैसला कराया है उसके पक्ष में कभी लीज का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। राज्य सरकार अपना मन बदल सकती है और राज्य सरकार आज भी कह सकती है कि रीको देंगे, हम इस व्यक्ति को लीज नहीं देंगे।

सभापति महोदय, बहरोड़ में आपने 20 कारखाने छोटे सीमेन्ट के लगाये। सभापति महोदय, पूरी भी लिस्ट है मेरे पास में। 3 कारखाने 100 टी. पी. डी. के बहरोड़ में आ रहे है, 2 कारखाने 50 टी. पी. डी. के आ रहे हैं और करीब 15-16 कारखाने 20 टी. पी. डी. के आ रहे हैं और सब को आर. एस. एम. डी. सी. ने कहा है कि हम आपको लाइम स्टोन देंगे। लाइम स्टोन देंगे इस बात का एग्रीमेंट है इन 20 उद्योगों, जिनमें 3 करोड़ की पूंजी रीको की लगी है, आई. डी. बी. आई. की लगी है, में से कुछ कारखाने बनकर तैयार हो गये हैं और कुछ बनने के प्रोसेस में हैं यदि रीको को आपने लीज नहीं दी यह 4।। किलो मीटर की तो 20 कारखाने जो बहरोड़ के हैं आज मैं कहना चाहता हूं कि इनको लाइम स्टोन प्रोपर मिल नहीं पायेगा और यदि इनको लाइम स्टोन नहीं मिलेगा तो सीमेन्ट के 20 मिनी कारखाने बिलकुल बरबाद हो जायेंगे और रीको की तीन करोड़ की पूंजी उसमें बरबाद हो जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं ठेकेदारों का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नाम लेकर नहीं कहना चाहता, सभापति महोदय. लेकिन सीकर और झुंझुनू में एक ही बड़े परिवार की लीज है 100 स्क्वायर किलो मीटर की लीज। आज उन्होंने राज्य सरकार से ले ली है। मैनुपुलेट कर ले ली है, प्रयत्न से ले ली है, चाहे अपनी अकल से ले ली है उस 100 स्क्वायर किलो मीटर की लीज को। राज्य सरकार को निश्चित रूप से आंकलन करके नियमों में कुछ कमी है तो नियमों को बदलना चाहिए, यह आवश्यक नहीं कि एक ही परिवार के कुछ लोग लीज लेकर 100 स्क्वायर किलो मीटर पर कब्जा कर लेंगे और राजस्थान की खनिज सम्पदा कुछ घरों में ही बन्द रख दी जायेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों ने यह कह कर सीमेन्ट के कारखाने बनाये कि हमारे पास तो पहले से ही लीज मौजूद है लाइम स्टोन की और एरिया है। इन लघु उद्योगपतियों ने प्रोजेक्ट दिया तो कहा कि मेरे पास बहुत लाइम स्टोन का एरिया मौजूद है। यह कह कर सीमेन्ट के कारखाने की इजाजत ले ली और, सभापति महोदय, जब इजाजत मिल गया तो 20 किलो मीटर का एरिया राज्य सरकार से और 10 किलो मीटर का एरिया और उन्होंने इसी नाम से ले लिया कि हम तो सीमेन्ट का कारखाना लगायेंगे। पहले यह कह कर ले लिया कि मेरे पास लाइम स्टोन के भण्डार हैं और जब कारखाने की इजाजत मिल गयी तो 10 किलो मीटर और ले लिया। इसी प्रकार से इस ग्रुप के पास 100 किलो मीटर के जो लाइम स्टोन के भण्डार हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार चाहे तो हम पूरी लिस्ट देंगे और हम निवेदन करेंगे कि इसमें निश्चित रूप से कानून में संशोधन करके भी एक घर में 100 स्क्वायर किलो मीटर की लीज नहीं जानी चाहिए।

सभापति महोदय, कुछ और मुद्दे हैं राजस्थान वित्त निगम के बारे में। मैं आज उलाहना नहीं देना चाहता वित्त निगम को। आज तो मैं राज्य सरकार को उलाहना देना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये आपने लोगों को बुला दिया, 15 पर्सेन्ट हम सब्सिडी देंगे, कहीं कह दिया इसमें 20 पर्सेन्ट देंगे और कहीं कह दिया 10 पर्सेन्ट देंगे एक लाख की आबादी के ऊपर के शहरों में। हमने एक नीति बनाई थी जनता राज में, एक लाख के ऊपर के शहर में कारखाना लगेगा तो भी 10 पर्सेन्ट उसको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन सभापति महोदय, स्थिति क्या है? पौने तीन करोड़ रुपया आर.एफ.सी. का आज राज्य सरकार रोक कर बैठी है। क्यों नहीं देती सब्सिडी का रुपया? सब्सिडी कौन दे रहा है? राज्य सरकार की घोषणा है इण्डस्ट्रियल पालिसी राज्य सरकार की है हम देंगे सब्सिडी। आर. एफ. सी. से दिलवा दिया। बैंकों से आर. एफ. सी. ने उधार लिया लेकिन पुनर्भरण की चिन्ता राज्य सरकार को नहीं और नतीजा क्या है? पौने तीन करोड़ रुपया ब्याज किसको लगता है? सभापति महोदय, ब्याज का भागीदार कौन है? रुपया दे नहीं रही राज्य सरकार लेकिन भुगत रहे हैं उद्योगपति छोटे या बड़े जिन्होंने राजस्थान में कारखाने लगाये हैं क्योंकि वित्त निगम कहता है, सभापति महोदय, कि 6 महीने तक यदि राज्य सरकार ने पुनर्भरण नहीं किया तब तक हम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ब्याज नहीं लेंगे और 6 महीने पुनर्भरण नहीं किया तो उद्योगपति छोटे या मोटे जो भी हों उन पर ब्याज लगेगा। रुपया देती है राज्य सरकार दण्ड भुगते या तो आर. एफ. सी. या छोटे उद्योगपति, स्माल इण्डस्ट्रियलिस्ट्स या मीडियम इण्डस्ट्रियलिस्ट्स। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं जो हमारे जो नीतिगत कमिटमेंट्स हैं आज माननीय मंत्री जी उन नीतिगत कमिटमेंट्स को हर प्रकार से पूरा करें। आर. एफ. सी. राज्य सरकार की है उद्योगों को आगे बढ़ायेंगे। सभापति महोदय, इनको आगे बढ़ाने का पेज 6 पर जिक्र है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिएग्जामिनेशन की पालिसी है इसमें तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल की देरी हुई है। यह औद्योगिक वातावरण को नष्ट करने की शुरूआत है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इस वातावरण को यदि बनाये रखना है तो जो हमारे कमिटमेंट्स हैं छोटे और बड़े उद्योगपतियों से निश्चित रूप से उनको पूरा करना है। आर. एफ. सी. यदि लोन देती है हमारी तरफ से सब्सिडी देती है तो उस सब्सिडी को आर. एफ सी. को तत्काल देना चाहिये।

सभापति महोदय, रीको के संबन्ध में निवेदन करना चाहूंगा इस रीको के द्वारा राजस्थान में 14-14।। करोड़ रुपये का विनियोजन एक साल में कर रहे हैं। औद्योगिक बस्तियां बनाई हैं। 161 औद्योगिक बस्तियां बनाई गई रीको कहता है। सबसे बड़ी उद्योग की संस्था रीको है, मीडियम इण्डस्ट्रीज को लेने देने की संस्था है। इसका प्रतिवेदन, सभापति महोदय, साइक्लोस्टाइल होकर चार पेज का विधायकों को वितरित कर दिया है। वित्त निगम का छप कर आया है, दूसरे कारपोरेशन्स का छप कर आया है लेकिन कम से कम सूचना विधायकों को दी जाये इसलिए चार पेज का सरसरी नोट रीको ने सर्क्युलेट कर दिया। कर दिया इस नोट में इस वर्ष 603 प्लाट आवंटित किये, गये। जो उपलब्धि है रीको की 603 प्लाट आवंटित किये, 379 नये उद्योगों ने उत्पादन प्रारम्भ किया। 379 उद्योग शुरू हुए और 603 को इन्होंने आवंटित किया। 7 करोड़ रुपया औद्योगिक बस्तियों को आगे बढ़ाने में लगाया है। सभापति महोदय, राजस्थान में 161 औद्योगिक बस्तियों में से 74 औद्योगिक बस्तियां ढाई साल में जनता राज की देन है। 74 औद्योगिक बस्तियां जनता राज ने स्थापित कीं छोटे-छोटे जिलों में। नापासर बीकानेर जिले में एक औद्योगिक बस्ती बनाई गई जनता राज में, आज उसका हाल यह है, सभापति महोदय पाइप का कनेक्शन नहीं है उस औद्योगिक बस्ती में जो 7 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आज जहां वह 5।। करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है उसके बावजूद पाइप लाइन नहीं। उद्योग चलेंगे कैसे यदि पानी की सुविधा नहीं होगी, बिजली की सुविधा नहीं होगी, मैं जानना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि रीको की रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष में यह आना चाहिये किस किस जगह प्लाट आवंटित किये, कौन-कौनसी औद्योगिक बस्तियां बनाई गई कितनी लम्बी सड़कें बनाई गई, कितने लम्बे वायर्स और इलैक्ट्रिसिटी के पोल्स डाले गये, कितनी बस्तियां आपन विद्युतीकृत की। इसकी पूरी डिटेल्स विधायकों को मिलनी चाहिये। यह नहीं कि हम अफसरों के जाकर चक्कर काटें। उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिये जिसमें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सारी बातों का विवरण हो, सभापति महोदय।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान में देश की 45 प्रतिशत ऊन है। राज्य सरकार ने कभी यह सोचा कि इस 45 प्रतिशत ऊन में से कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन धागे के रूप में हो जाता है और कितने प्रतिशत ऊन हमारी बाहर जाती है। हम औद्योगिक प्रगति जो करना चाहते हैं उसके लिये मैटीरियल जो हमारे पास है हम उसी को बेस बनायें तो राजस्थान को आगे बढ़ा सकेंगे। रॉक फास्फेट को बेस बनायेंगे तो खनिज को आगे बढ़ा सकेंगे, ऊन को बेस बनायेंगे तो धागे और होजरी प्रोडक्ट्स को राजस्थान में आगे बढ़ा सकेंगे। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, रीको से भी कहना चहता हूं कि राजस्थान में बीकानेर जोधपुर, नागौर और बाड़मेर जहां पर कि ऊन का उत्पादन है इन सब जगह पर जैसे लुधियाना में छोटे-छोटे कॉटेज इण्डस्ट्रीज से होजरी ट्रेड, होजरी इण्डस्ट्रीज पनपी है हमें खुद अक्ल नहीं हो तो उसकी नकल करके उनके निष्कर्ष से सीख करके, उनके टैक्निकल नो-हाउ को चैक करके लोगों को रोजगार देने के लिये, दस हजार में एक आदमी को, एक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। होजरी का ट्रेड पनते, ऊन का धागा राजस्थान में होजरी का प्रोडक्ट बन जाये तो इस में पैसा लगाइये। रीको के द्वारा टैक्निकल नो-हाउ का इन्तजाम किया गया तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर उद्योगों की महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

सभापति महोदय, स्टेट अण्डरटेकिंग्स के मामले में मैं आज कहना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि जिन स्टेट अण्डरटेकिंग्स को इतना हजारों-करोड़ों रुपया कुल मिलाकर फुंक रहा है यदि हम चला नहीं सकते तो हम इनको डिस्पोज आफ कर दें, हम चला सकते हैं उनको तो, उनमें पूंजी लगा दें। सभापति महोदय, आज रॉक बेनिफिशियेशन में 150 करोड़ का यदि पूंजी विनियोजन किया जाये तो 90 करोड़ रुपया फारेन एक्सचेन्ज का जो देश को जाता है वह हमको बचेगा और राजस्थान की सरकार को जो आज 37 करोड़ रुपये की आमदनी है वह सीधी 37 करोड़ से 111 करोड़ पर जायेगी। हमको राजस्थान में 50 करोड़ का संसाधन इंदिरा नहर से मिलता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि रॉक फास्फेट से जब हमको 37 करोड़ की आमदनी है हम उसे 111 साल उपयोग नहीं करें, 50 करोड़ के संसाधन से आज 150 करोड़ का रॉक बेनिफिशियेशन का प्लांट राजस्थान में लगा सकते हैं। हम कहीं से भी संसाधान जुटायें आज तो एक रुपये पर तीन रुपया आई.डी.बी.आई. देती है, 150 करोड़ रुपये में 37½ करोड़ रुपया उद्योग नाते लगाकर यह उद्योग लग सकते हैं। सभापति महोदय, 37½ करोड़ रुपयों में 20 करोड़ रुपया भारत सरकार लगायेगी, 17½ करोड़ रुपया राज्य सरकार लगाये या आधा लगाये भारत सरकार का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्टेट अण्डरटेकिंग में राजस्थान में 2 प्रतिशत है, आज राज्य सरकार भी भारत सरकार को दबाव दे कि इस प्लांट पर हमारे साथ आयें, राज्य सरकार के साथ समाधन करायें। भारत सरकार 20-25 करोड़ रुपये के संसाधन हमको दे सकती है क्योंकि फारेन एक्सचेन्ज 90 करोड़ रुपया उनका भी बचेगा, राजस्थान की आमदनी भी बढ़ सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आपको अपने ही साधनों का विकास करना है राक फासफेट का बेनिफिशियेशन, प्लांट लगाकर जो लो क्वालिटी है उसको हाई क्वालिटी का बनायें, हमारे लिये अपूर्व भण्डार और रुपयों के साधन खुले पड़े हैं, सवाल है मन बनाने का, ससाधन जुटाने का और फिजूलखर्ची समाप्त करके करोड़ों रुपये की आमदनी करने का।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुक्तिलाल मोदी ने मुझे कहा है कि एक बात वे भूल गये पाइराइट्स का कारखाने के लिये सलादीपुर में 50 लाख रुपया भारत सरकार ने लगाया है लेकिन आज तक वह पाइराइट्स का कारखाना चालू नहीं हुआ। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दें। यह भी कहना चाहूंगा कि बीकानेर की स्टेट वूलन मिल है उसका कोई झगड़ा चल रहा है हमने किसी को लीज दी उससे विवाद चल रहा है, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीकानेर शहर में 250 पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे लोगों को स्टेट वूलन मिल में रोजगार मिल सकता है। बहुत सी रिपोर्ट आ गई कि लाडनूं का कारखाना नहीं चल रहा है स्टेट वूलन मिल का, चूरू का नहीं चल रहा है, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, चूरू का भी कारखाना चलेगा, लाडनूं का भी चलेगा, बीकानेर का भी चलेगा सिर्फ ओ. पी. बिहारी जैसे ईमानदार अधिकारियों को छांटने की, लगाने की जरूरत है। जब स्टेट वूलन मिल में ओ.पी. बिहारी सर्वेसर्वा थे, वहां जनरल मैनेजर थे, बीकानेर की यह मिल मुनाफे में थी। राज्य सरकार जानती है कौन अधिकारी ईमानदार है, आज भी है राज्य सरकार के पास। जो बेइमान होंगे 20 पर्सेंट 30 पर्सेंट होंगे 40 पर्सेंट होगे फिर भी 10 पर्सेंट या 15 पर्सेंट ईमानदार लोगों की कमी नहीं है इसलिये सरकार ऐसे लोगों को छांटे और ऐसी स्टेट वूलन मिल जो निरन्तर घाटे में चल रही हैं उनमें लगाये। क्षमता की कमी नहीं है अधिकारियों में, क्षमता है राज्य सरकार यदि उनको मौका दे और अपना मन भी साफ बनाये कि हमको यह चीज बेचनी नहीं है, इनसे हमको लोगों को रोजगार देना है और इनको मुनाफे में चलाना है। तो मैं चाहूंगा दुबारा राज्य सरकार एक्सपेरीमेंट करे, परीक्षण करे। यह जो कारखाने बन्द पड़े हुए हैं

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समाप्त ही करूंगा, सभापति महोदय। अन्त में, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर बीकानेर शहर, खास तौर पर जयपुर शहर में बड़े-बड़े उद्योग हैं, जैसे टैक्सटन मीटर, जय ड्रिक्स, जिन्होंने एक हजार बीघा जमीन पर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कब्जा कर रखा है। टोंक रोड एक तरफ है, जवाहर लाल नेहरू मार्ग दूसरी तरफ है उसके बीच में एक हजार बीघा जमीन पर आज उनका कब्जा है। उन्होंने निर्माण कितने पर कर रखा है? जय ड्रिक्स जो चल रहा है, नोवा कोला वालों का सिर्फ एक हजार बीघा में से दो बीघा जमीन पर उन्होंने कन्स्ट्रक्शन कर रखा होगा। टेक्मटन मोटर का कारखाना बन्द पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण दिया है यह तो, ऐसे बड़े उद्योगों के पास जो हजारों एकड़, पांच सौ एकड़, तीन सौ एकड़, दो सौ एकड़ जमीन है आप नये उद्योगों के लिये इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिये उसको एक्वायर करिये। कोई कानून बनायें या तो वहां तीन साल में सामान बनायें और न बनायें तो निश्चित रूप से उनकी भूमि को अवाप्त किया जाय ताकि नये उद्योगों को वहां आने का मौका मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आज के युग में भी पांच सौ और हजार एकड़ उनको रखने दिया और एक और दो बीघा पर अपना कारखाना चलायें तो निश्चित रूप से यही नतीजा होगा। राज्य सरकार को धोखा देने के लिये इसी जय ड्रिक्स और महावीरप्रसाद जयपुरिया ने कह दिया कि मैं एक शिक्षण संस्था खोलूंगा, कह दिया कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा। चेरिटेबल इन्स्टीटयूशन के नाम पर राज्य सरकार को धोखा देकर उस जमीन का एग्जेम्पशन करा कर, अवाप्ति के जो नोटिस दिये गये है अवाप्ति से मुक्त करने के लिये नये चेरिटेबल इन्स्टीटयूशन फर्जी बना लिये। उनके द्वारा राज्य सरकार को धोखा देकर एग्जेम्पशन लेना करना, एक्वायर लैण्ड को डिएक्वायर करने के लिये नोटिफिकेशन जारी करना, इस तरह की जो कार्यवाही बड़े उद्योगों द्वारा की जाती है, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर में सैकड़ों नये उद्योगों को लाने के लिये इस तरह की भूमियां अवाप्त की जाय। इस तरह जो गलत चेरिटेबल इन्स्टीटयूशन के नाम पर एग्जेम्पशन लेकर करते हैं उससे राज्य सरकार को सतर्क और आगाह रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं राज्य सरकार इन सब मुद्दों पर विचार करेगी और राजस्थान के औद्योगिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री बिहारी लाल।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल): सभापति महोदय, अरावली की उपत्यिका में सुशोभित राजस्थान प्रदेश का जो खनिज भण्डार है वास्तव में, यह विधाता यानी प्रकृति की देन है। राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं।

(व्यवधान)

मैं कुछ भी हूं।

यह बात सही है कि नये खनिजों की खोज करना, खनिज सम्पदा हेतु महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करना, कई महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करना हमारी सरकार ने शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय सदस्य अभी कई

(श्री बिहारीलाल पारीक)

अफसरों पर कई एलीगेशन लगा रहे थे। मैं समझता हूं, अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिये, जिन अच्छे अफसरों ने अच्छा काम किया उनकी बात भी करनी चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं है। अपन कोई सारे ही सीख कर थोड़े आये हैं। खनिज की बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद नहीं था, बंजारा नाम की एक जाति थी जो कलकत्ता तक यहां से कई मिनरल भिजवाया करती थी। आज कई मिनरलों पर चर्चा हुई, माइका मिनरल पर चर्चा नहीं हुई, मैं उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लाइम स्टोन, मार्बल और अनेक मिनरल पर चर्चा आयी, माइका मिनरल पर चर्चा नहीं आयी। सभापति महोदय, पूरे संसार का 80 प्रतिशत हिन्दुस्तान में बिहार, मद्रास और राजस्थान तीन प्रान्तों में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा मांडल में होता है। मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां सबसे ज्यादा होता है। आप हिसाब देख लीजिये, आंकड़े देख लीजिये।

श्री सभापति : और वह भी सोग्रेड।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, कविता की डिमाण्ड पर आ जाइये।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं उस पर भी आ रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो वह भी सुना दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं अच्छी बात कहूंगा, कविता में भी अच्छी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सहयोग करें जिससे मैं मेरी बात भी करूं और मैं कह सकूं यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह वास्तविक बात है, मांडल क्षेत्र में माइका ज्यादा होता है। हिन्दुस्तान में संसार भर के हिसाब से देख लीजिये, जैसे 20 सूत्री प्रोग्राम में हिन्दुस्तान में हमारा प्रदेश फर्स्ट रहा है, उसी तरह से माइका का उद्योग मांडल में फर्स्ट है। स्थिति क्या बनी ? 77 में देश के दुर्भाग्य की बात यह रही कि जनता पार्टी का राज आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है 77 से पहले जो कानून तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो अभी हरिदेव जोशी हैं, ने लागू किये वही जनता पार्टी ने किये। अभी तारीफ कर रहे थे लोग कि जनता सरकार ने ऐसे कानून बनाये जिसके खातिर बढ़िया हो गया और कांग्रेस आया और सत्यानाश हो गया। यह बात नहीं है। अच्छी बात कहनी चाहिये थी। शिवचरणजी बोल रहे थे, दे तो जानता नहीं था, मालूम पड़ा कि कांग्रेस में ही थे पहले। पता ही नहीं पड़ा कांग्रेस में थे। दल बदलू लोगों ने ही तो सारा मामला डुबोया, यह सारा सत्यनाश हुआ है देश का। कभी इधर कभी उधर, उनको ध्यान नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आदमी को एक तरफ मजबूत रहना चाहिये चाहे किधर भी रहे। मैं कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कभी कभी अच्छी बात कहते हैं तो मैं तारीफ करता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो। हमारे मुख्य मंत्री नाराज थोड़े ही होते है, राजीव गांधी नाराज थोड़े ही होते है। वह जानते है अच्छी बात कहने के लिये लोगों ने हमको चुनकर भेजा है और हमको अच्छी बात कहनी चाहिये। शिवचरणजी, मुक्तिलालजी

(श्री बिहारीलाल पारीक)

मोदी बोलते तो अच्छा है पर उनका मामला मुझे लगा कहीं भारी इन्ट्रेस्टेड है, अफसरों से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं इसलिये कई निराधार बातें कह रहे थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था। मैं मेरे क्षेत्र की बात पहले कह देता हूं।

श्री सभापति : आप अपने विषय पर आइये।

श्री बिहारीलाल पारीक : सही सर, सही सर। तो निवेदन यह है, सभापति महोदय, भीलवाड़ा में माइका माइन्स में करीब 20 हजार आदमी काम करते थे, आज देखा जाय तो सौ-डेढ़ सौ आदमी काम करते हैं। यह जनता पार्टि के जमाने की स्थिति रही है। मैं यूं बताना चाहता हूं कि सब काम इन्होंने उल्टा किया। क्या किया? जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिनको हमारे जोशीजी ने हटाया, उनको रख लिया। जो अच्छे अफसर हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ आज तक, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी अफसरों पर आप एलीगेशन लगा रहे थे, अच्छे अफसर तो पीछे रह गये क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने 77 से अनेकानेक घोटाले किये, जिनको तत्कालीन मुख्य मंत्री ने हटाया, वह चाहते थे प्रदेश की प्रगति हो और अच्छे अफसर लगें, इन्होंने यह किया कि उन भ्रष्ट लोगों को वापस रख लिया। यह पहला अड़गा इन्होंने किया कि उनको वापस रख लिया। वापस रखने से हुआ यह कि अच्छे अफसर आज लाइन में नहीं रह सके। इससे क्या हुआ? यह उद्योगों की बात कह रहे थे इस तरह की नीतियां हो गई और यूं हो गई कानून की तो वही बात बतायेंगे जो कानून के कीड़े हैं, जो लोग जानते हैं, मैं यह कहना चाह रहा था विकास की गति खानों में कम नहीं हुई। जब हमारा देश आजाद नहीं था तब हजारों लोग काम करते थे, आज मशीनों से काम होता है। आज माइन्स में अण्डर ग्राउण्ड काम के लिये 15-15, 20-20, 25-25 लेवल की खानें चल रही हैं। मार्बल का खाने लोग चलाते हैं उसमें भी मशीनें लगी हुई हैं। यह किसकी देन है? इस विकास की गति को हमारे अफसरों जन प्रतिनिधियों ने मिल कर एक दिशा दी है और दिशा देने से हमारी माइन्स मैकेनाइज्ड हुई है। आज जो हम हजार दो हजार फीट से मलबा निकालते हैं डवलपमेंट करने के लिये पहले वह काम मजदूरों द्वारा लिया करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर अन्दर मर जाते थे उनका नाम निशान नहीं रहता था लेकिन आज माइन्स सेफ्टी के लिये अलग लोग हैं, इंडियन ब्यूरो अलग है, डी. एम. सी. अलग है, माइन्स इंजीनियर अलग हैं, फोरमैन अलग हैं। तो ऐसी ऐसी स्थितियां कर दी है ज्यों ज्यों स्थिति बढ़ती गई त्यों त्यों सारी व्यवस्थाएं बढ़ती गई इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सारी स्थिति कांग्रेस सरकार की देन है इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सारी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी प्रगति के लिए अच्छी व्यवस्था की इसमें किसी प्रकार का मीनमेख नहीं है। शुरू शुरू में मुक्तिलालजी मोदी और शिवचरण सिंहजी ने एक बड़ी जोरदार बात कही ...

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मेरी बात पर आ रहा हूं। उन्होंने कोटपुतली खान के 10 वर्ग किलोमीटर की बात कही। जो 10 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, सभापति महोदय, मुझे भी जानकारी थी 77 में कानून बना हमारे जोशी जी ने बनाया था और उसका इंप्लीमेंटेशन इन्होंने किया और 83 में कानून बना वह भी हमारी सरकार ने बनाया। कितनी अच्छी बातें थीं वह तो नहीं कही इन्होंने। मुझे लगता है माइन्स होल्डर है ये दोनों भी। इन्होंने अपनी बात कही। वह बिलकुल निराधार थी। बजाज वाली बात कही। बजाज मुक्तिलालजी मोदी के भाई के पार्टनर थे। 12 लाख में एरिया उन्होंने बेचा उसके बाद में उनका झगड़ा चला, हाई कोर्ट में गए, बजाजजी उसमें जीत गये और जीतने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने समझौता किया। समझौता इसलिये हुआ कि झगड़ा बढ़ाने की बजाय हम यहा पर कारखाना लगाना चाहते हैं। तो सरकार और बजाज दोनों ने मिलकर कारखाना चलाया। हमारी सरकार का भी काम चल रहा है, उनका भी चल रहा है।

श्री शिवचरणसिंह : कारखाना कहां लगाया, जरा बता दीजिए ?

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मिनट में आ रहा हूं। हमने अपनी बात सुनी है जहां अपना स्वार्थ नहीं होता, हम हमारी बात भी कहना चाहते हैं....

श्री शिवचरण सिंह : कारखाना कहां लगाया, जरा बताइये आप ?

(व्यवधान)

आपको लिख कर दे दिया, नोट बना कर × × × बनकर आ गए आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगाना गलत है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इसको एक्सपंज किया जाय, आप एक सदस्य को × × × बोल रहे हैं। This is most objectionable. Should be expunged

श्री सभापति : यह रिमार्क एक्सपंज कर दीजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं आपकी कृपा से नहीं आया हूं मैं तो जनता की कृपा से चुन कर आया हूं और अपनी बात यहां कहना चाहता हूं। अपनी बात कहने को स्वतंत्र हूं आपने कई एलीगेशन लगाऐ जो निराधार थे, जो आपको नहीं लगाने चाहिए थे। आपने इस तरह की निराधार बातें कहीं।

श्री शिवचरण सिंह : कौन से एलीगेशन ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आपको एलीगेशन का जवाब देना है, स्पष्ट रूप से जवाब दीजिये। निराधार हैं, आधार है, कौन से निराधार हैं ? शीघ्र समाप्त कीजिए। आप जो भी आइटम निराधार हैं इसकी बजाय एक एक आइटम जिसके बारे में एलीगेशन को गलत मानते हैं उनको बताइए।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं कह रहा हूं मुक्तिलाल जी मोदी के भाई यहां से उच्च न्यायालय में गए और वहां पर हार गए। हार जाने के बाद....

श्री सभापति : आप जो एलीगेशन है उनको स्पष्ट कर दीजिए। उसको रिफ्यूट करना चाहते हैं ? उसको बताइए आप।

श्री बिहारीलाल पारीक : उन्होंने जो भी बातें बताई, सारी निराधार है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए आप जो अपनी बात कहनी है उस पर आइए।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह रहा था कि हमारे इस बजट में आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए हमने कई नए कदम उठाने पर विचार किया है। मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी से, माइन्स मिनिस्टर से कि इसमें राजस्थान खनिज विपुल राज्य है किन्तु हमारी खनिज संपदा के दोहन से मिलने वाले राजस्व, माइनर मिनरल पर मिलने वाली रायल्टी, अधिशुल्क पहले सीमित था अब बढ़ा दिया है, मैं चाहूंगा उसको और बढ़ाया जाय। माइका माइनिंग पर आ रहा हूं, शिवचरणजी ने गड़बड़ कर दिया, मैं कह रहा था कि माइका माइनिंग पर जो सरफेस रेट बढ़ा दिया गया....

श्री सभापति : माइका माइनिंग पर आपके 12 हजार मजदूर एक टाइम में काम करते थे, आज 700 मजदूर काम करते हैं। आपका तो लो ग्रेड माइका है। अब आप कहिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, एक-एक माइन्स में 800-800, 700-700 काम करते थे, आज की तारीख में उनकी हालत बड़ी खराब है। यह बात सही है कि इंडियन ब्यूरो एक हमारे सलाहकार हैं और इंडियन ब्यूरो को चाहिए कि वह सलाह दें। जितनी माइन्स हैं वे मैकेनाइज्ड नहीं हैं। माइका माइनिंग उद्योग नहीं माना है, मैं एक निवेदन करता हूं कि माइका माइनिंग को उद्योग नहीं मानने से माइका माइनिंग करने वालों को कहीं से लोन नहीं मिलता। इतनी अच्छी मिनरल है जिसमें फारेन करंसी आती है, जो फारेन जाता है, उस पर लोन नहीं मिले तो वह उद्योग कैसे चलेगा ? यह उद्योग ठप्प होने का मेन कारण यही है। न आर. एफ. सी. लोन देती है, न बैंक लोन देते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि माइका का धन्धा ठप्प नहीं हो। आज भीलवाड़ा से 80% माइका बिहार को सप्लाई होता था और बिहार से आगे जाता था। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर लोन नहीं मिलने से माइका माइनिंग ठप्प हो गई। माइका में—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आधा घंटा ले चुके हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं तो पांच मिनट ही नहीं बोला।

श्री सभापति : मैं तो टाइम लिखता हूं।

श्री दीनबंधु वर्मा : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य के कहने का मतलब

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

यह है कि भीलवाड़ा, उदयपुर डिवीजन और राजस्थान के अन्दर माइका का उद्योग बहुत ही कमजोर स्थिति में चल रहा है। इनका मानस और इनका जो चिन्तन है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस बिन्दु पर कहना चाहते हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ और जैसा आपने फरमाया, 12 हजार मजदूर थे वे 700 रह गये। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार फूड में सपोर्ट प्राइस देते हैं उसी तरह से माइका में सपोर्ट प्राइस देने की कोशिश करें तो माइका उद्योग राजस्थान में जो समाप्त होने जा रहा है उसको बड़ा बल मिलेगा।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, वास्तव में इसके सुधार के लिए पहले पेट्रोल दिया जाता था मशीनरी दी जाती थी और माइनिंग डिपार्टमेंट से कई तरह की सहायता मिलती थी अब वह बहुत कम मिलती है। मैंने उसमें देखा है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माइका की चोरी करता होगा और चोरी करके ईंटें बनाता होगा। यह हालत है इसकी।

श्री बिहारीलाल पारीक : यह बात निराधार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रहने दीजिए इनको। आप शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : जिनको यह अनुभव है वे चोरी की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप समाप्त करें। आप ध्यान ही मत दें, अपनी बात कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : This is a very serious charge.

श्री सभापति : आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको छोड़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बात तो देखिए, साहब, आपके लिए कहा गया कि आप माइका की चोरी करते हैं और आप सुने जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जानते हैं—

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : He should refute it.

श्री बिहारीलाल पारीक : इनके भाई ने 12 लाख में खान बेची बजाज को फिर तकलीफ हुई तो कह दिया। बाकी मैं न तो चोरी करता था....

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त कीजिए। काफी आपने रिफ्यूट कर दिया। अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

आप कृपया समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : 12 लाख में किसने ली यह तो बतायें? जिससे इन्कम टैक्स वाले तो पकड़ेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नये नये आये हैं इनको कहने दीजिए। माननीय मुक्तिलालजी मोदी, आप बैठ जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदस्य इस प्रकार की बात हाउस में कहते हैं। × × × आदमी आये हैं, मैं कहता हूं × × × बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप किसी पर गलत बात न लगाइए।

(व्यवधान)

माननीय मुक्तिलालजी मोदी जो बोल गए उसको एक्सपंज कर दिया जाय। माननीय मुक्तिलालजी ने × × × का आरोप लगाया माननीय बिहारीलालजी पर वह एक्सपंज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं अर्ज कर रहा हूं विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर कानूनी पट्टाधारी हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे पास बहुत मसाला है, बोलूंगा तो बड़ा लम्बा जायगा....

श्री सभापति : अब तो माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, मुझे याद आ गया, मुझे पता है आप घण्टी बजायेंगे। मैं सिर्फ दो तीन मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक बात बताऊं, मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्यों को नाराज क्यों करूं, अभी तो हम आजाद हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेज भाग्यो अर प्रजातन्त्र आग्यो, अंग्रेज भाग्यो प्रजातन्त्र आग्यो. पांव न भरयो एक, जिम्मेदारी आप पर खूब है सभी मिल कर रहज्यो एक। मैं तो एकता की बात कह रहा हूं फिर भी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय आपके विरोधी के सुझाव क्या हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : जिस तरह से यह जो हमारी सम्पदा है, खनन सम्पदा कहीं नहीं है....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा पांच मिनट का समय....

श्री सभापति : आप समाप्त करिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो....

श्री सभापति : मैं आज्ञा नहीं दे सकता। कृपया आप समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : दो मिनट में। सभापति जी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, संक्षेप में ही मेरी बात कह कर समाप्त करूंगा। उद्योगों के ऊपर एक बात भी नहीं कही मैंने। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगों के लिए भी, मैं समझता हूं, हमारी सरकार कुछ कसर नहीं रख रहा है। शिक्षित बेरोजगार योजना हमारी इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत दी। बेरोजगारी कैसे मिट सकें इसके लिए मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। शिक्षित बेरोजगार योजना में जितने भी लोगों का चयन करते हैं पंचायत समिति में उसमें एक गड़बड़ी है वह यह है कि बैंक लोन देते नहीं। बैंकों के पास जो भी बेरोजगार जाता है, यह जो आंकड़े बताये है मैं समझता हूं कई जगह लोन मिला होगा लेकिन मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, कई लोगों को उसमें पैसा मिला नहीं। मैं निवेदन करूंगा इसकी अच्छी व्यवस्था की जाय और जनप्रतिनिधियों को इसमें मेम्बर बनाया जाय ताकि हम लोग अच्छा सुझाव दे सकें। शिक्षित बेरोजगार जितने भी हैं, नवयुवक जितने भी हैं जिनको रोजगार चाहिए और अच्छी सरकार की यह व्यवस्था है अगर उनको अच्छी तरह से पैसा मिलता है तो मैं समझता हूं निश्चित तौर से अच्छा लाभ मिलेगा। यह मेरा एक सुझाव था।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मिनट निवेदन है।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आप आधे घण्टे से भी अधिक बोल चुके हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं यह कह रहा था....

श्री सभापति : नहीं गलत बात है, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : कि नगरपालिकाओं में जो उद्योग लगाते हैं, सभापति महोदय, इसके अन्दर पट्टे देने की प्रक्रिया है। उद्योग लगाने वाला आदमी जाता है गांवों में पंचायत में, नगरपालिका में तो उदयपुर के जो टाउन प्लानर हैं हमको उनसे इजाजत लेनी पड़ती है और वे राय देते हैं। यह बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाता है। जब तक यह होता है कि कारखाना लगाने वाले की मंशा चेन्ज हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा इसको थोड़ा कम किया जाय और उद्योग के लिए एक ही खिड़की

(श्री बिहारीलाल पारीक)

पर काम हो जाये । जैसी कि सरकार ने घोषणा की थी एक ही खिड़की पर बिजली विद्युत एवं उद्योग विभाग की स्वीकृति एक ही जगह हो जानी चाहिए । ऐसा माईनिंग में भी होना चाहिए । माईनिंग में क्या होता है ? सैंक्शन भीलवाड़ा से डी. एम. जी. के यहां से होती है उसके बाद में चिट्ठी लम्बी चली जाती है । इसलिए मैं चाहूंगा सैंक्शन की पूरी प्रक्रिया एक ही खिड़की पर करने से छोटे आदमी को जल्दी ही उसकी स्वीकृति मिल सकती है जैसी कि सरकार की मंशा है । जितने पिछड़े हुए लोग हैं, जितने श्रमिक लोग हैं इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रम में वायदा किया गया है कि लोगों को ज्यादा लाभ मिले, हम इस प्रक्रिया को अपनायेंगे । कई दिन पट्टे में लग जाते हैं, बिजली में लग जाते हैं । पट्टे ले नहीं पाते । मेरा यह निवेदन है कि मैं तीन बातें कहना चाहता हूं, सभापति महोदय,....

श्री सभापति : अब लास्ट । आप स्थान ग्रहण करें । बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं यही बात कह करके....

श्री सभापति : मेरा नम्र निवेदन है कि आप समाप्त करें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मीनारायण जी किसान ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर ।

माननीय सभापति महोदय, अभी जब बिहारीलालजी बोल रहे थे तो माननीय मुक्तिलालजी मोदी ने उनको यह कहा कि ये माननीय सदस्य × × × हैं, ये × × × करते हैं और ये वकील हैं, × × × यहां अन्ट सन्ट बातें करते हैं, गलत बात करते हैं । सुनिये, यह बात अगर सही है, ये चार्ज सही है....

श्री सभापति : ये रिमार्क्स एक्सपंज हो गये । मुक्तिलालजी ने कहा वे एक्सपंज हो गये और जो इन्होंने एस्पर्शन लगाये थे वे भी एक्सपंज हो गये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक्सपंज आप कर दें पर....

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये × × × हैं....

श्री सभापति : देखिये, माननीय मुक्तिलालजी मोदी, आप यह कहना चाहते हैं, आप अगर किसी माननीय सदस्य पर एस्पर्शन लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं तो आप लिख कर दीजिए । लिख कर दीजिये । आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं यह गलत बात है कि एक नियमों का पालन करें....

श्री मुक्तिलाल मोदी : पाइंट आफ आर्डर ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री सभापति : ग्राप बैठ जायें। इसमें कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है। माननीय लक्ष्मीनारायण जी किसान।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो एक निवेदन यह है कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मुक्तिलाल जी ने जो कहा ग्रौर उन्होंने जो कहा मुक्तिलाल जी को वापस, वे सब एक्सपंज कर दिये गये।

श्री शिवचरण सिंह : वो तो ××× को किया था एक्सपंज ग्रापने।

श्री सभापति : वो भी एक्सपंज हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रापने भले ही एक्सपंज कर दिया हो, यह ग्रापका ग्रधिकार है लेकिन जो चार्ज....

श्री सभापति : देखिये, ग्रापके भी माननीय सदस्य काफी बोलने वाले हैं। हरिकुमार जी बैठे हैं पास में।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा एक निवेदन है कि इस सदन में बोलने वालों का नम्बर चल रहा है उस क्रम के हिसाब से बी जे पी का नम्बर मेरा ग्राता है।

श्री सभापति: लक्ष्मीनारायणजी किसान को मैंने पुकार लिया। ग्राप को-ग्रापरेट कीजिये। उसके बाद ग्राप बोल लें, कोई खास बात नहीं है। ग्रब ग्राप को सब को मौका दिया जायेगा। माननीय लक्ष्मीनारायणजी किसान।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मुक्तिलालजी ने ग्रगर ××× शब्द कहा, वे ग्रगर साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने, माननीय सदस्य, एक व्यवस्था दे दी है ग्रगर कोई माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

मुक्तिलालजी मोदी, ग्राप कृपया बैठ जाइये। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा): माननीय सभापतिजी, ग्रापकी मार्फत मैं राजस्थान सरकार का ध्यान गांवों में लगने वाले उद्योग धन्धों की ग्रोर दिलाना चाहता हूं क्योंकि शहरों में जो तीन-चार प्रतिशत लोग हैं उनके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ सरकार को बतलाया है ग्रौर ध्यान दिलाया है। मैं तो सिर्फ गांवों की बात ग्रापकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में ग्रधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है ग्रौर गांवों में मुख्य धन्धा खेती है। खेती के धन्धे की ग्राज इतनी हालत खराब हो गयी है कि लोगों की दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही है ग्रौर लोगों को दो टाइम रोटी भी मिलनी मुश्किल हो गयी है क्योंकि ग्राबादी बढ़ रही है, जमीन वैसी की वैसी है। उससे जो पैदा होने वाली पैदावार है वह सारी

××× शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रभिलोपित किये गये।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

को सारी पानी और बिजली पर आधारित है। पानी और बिजली सरकार के अधीन है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांव स्तर पर और पंचायत स्तर पर रोजमर्रा काम में आने वाली चीज का उद्योग धंधा लगायें। शिक्षित बेरोजगार और अन्त्योदय में जिनको गरीबी के रेखा से नीचे मानकर चयन किया है उन लोगों को ऊंट गाड़ी और गधा देने के बजाय अगर इनकी गरीबी मिटानी है तो गांवों में छोटे छोटे उद्योग लगाये जायें। उद्योग धन्धों पर मार्जिन गांवों में 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है उसको बढ़ा कर मेरी राय से 40 पर्सेन्ट तक वहां उनको सब्सिडी दी जाये। 25 हार्स पावर तक की मोटर लगाकर कोई धंधा गांवों में करे उसको सभी तरह से टैक्सों में छूट दी जाय ताकि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब जनता की हालत ठीक हो, उनको दो टाइम रोटी और कपड़ा मिल सके, यह मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है।

मैं आपको इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र सांभर में चल रहे उद्योग धन्धों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सांभर क्षेत्र में फुलेरा और रेनवाल औद्योगिक एरिया घोषित किए गये हैं। वे एरिया जनता पार्टी के शासन में घोषित किए गये थे उन दोनों एरिया में ऐसी हालत सरकार ने कर रखी है कि उनको आज तक पनपने नहीं दिया। फुलेरा औद्योगिक एरिया ऐसी जगह पर कायम किया गया है जो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, टीलों पर बनाया गया है और वहां पर जयपुर से अधिक रेट 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकर भू-खण्ड आवंटित किये हैं। उबड़ खाबड़ क्षेत्र था और टीले थे उन्हीं के ऊपर सड़क बना दी गयी। इससे मजदूरों को सामान लाने में भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ बिजली की लाइनें ठीक नहीं खींची गयी हैं। वहां एक पानी का ट्यूबवैल लगाया गया था उसकी हालत यह है कि आज उसमें 50 हजार रुपया सरकार का लगने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। फुलेरा जैसे एरिया, जहां अत्यधिक मात्रा में पानी है, में ट्यूबवैल ऐसी जगह पर लगा दिया गया जहां से पानी नहीं आ रहा है उस एरिया में मात्र पांच-छः उद्योग धन्धे लगे हैं जिनको भी सरकार हरेस कर रही है। कहीं तो वित्त निगम उनको ऋण नहीं दे रहा है, कहीं विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है, कहीं पर पानी की समस्या है। वहां पर एक जय अम्बे कृषि यंत्रालय है उस पर बिना मतलब 3700 रुपये टैक्स के लगा दिये, उसने जरा सी एक दीवार खींच दी और जो उद्योग विभाग के अधिकारी सरकार के वहां मौजूद थे उन्होंने उसको मैप में न बताकर बाद में उसको परेशान करना टैक्स लाना शुरू कर दिया वहां नगर पालिका का टैक्स अत्यधिक है। इस प्रकार की हालत कर रखी है जिससे एरिया पनप नहीं रहा है। वैसी की वैसी हालत किशनगढ़-रेनवाल की है। ऐसी जगह पर औद्योगिक एरिया कायम किया है, ऐसी जमीन ली गयी है जहां आज की तारीख में बरसात हो रही है और तीन फीट ऊपर पानी चल रहा है। ऐसी हालत में एक ही उद्योग धंधा वहां लग सका है। क्योंकि ऐसी जगह जहां पानी बहता है पानी बहने की जगह कौन उद्योग लगा सकेगा, कौन अपनी पूंजी लगा सकेगा। वैसे सरकार के पास गांव का आदमी

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

कितनी ही बार चक्कर लगाये, उद्योग विभाग, वित्त निगम के सैकड़ों चक्कर काटने के बाद भी उसको ऋण नहीं मिलेगा और सब्सिडी नहीं मिलेगी। वित्त निगम का प्रोसिजर ही इतना लम्बा है कि ऋण लेने के लिये बाहर गांव का आदमी आते-आते 50 चक्कर लगाकर हार कर घर बैठ जाता है यह हालत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है, जहां सरकार ने वायदे किये थे, अधिकारियों ने वायदे किये थे कि इसकी उंचाई कायम करेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी का इन्तजाम होगा लेकिन आज तक इन्तजाम नहीं किया बल्कि लोगों ने वहां पर जो पैसा भू-खण्ड का जमा कराया था 1/4 राशि, उसको जब्त कर लिया गया है। सरकार ने सुविधा नहीं दी, लोगों ने जो 1/4 हिस्सा जमा कराया था कि धन्धा कैसे भी लगा दें वह पैसा भी सरकार, ने उद्योग विभाग ने जब्त कर लिया। तो सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी और उल्टे उद्योग लगाने वालों पर यह दण्ड लगा दिया।

इसके साथ साथ मैं आपको यह बताऊं कि सांभर क्षेत्र में सांभर झील में नमक का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। वहां के नमक से पैदा होने वाले प्रोडक्ट उससे बनने वाले प्रोडक्ट के सहायक धन्धों को वहां कायम करें। सोडा एश का कारखाना लगाने की कितने वर्षों से योजना चल रही है। वह सरकार ने कायम नहीं किया वरना कितने हजारों मजदूर लगते, कितने लोग धन्धों में लगते। सांभर झील के आस पास काश्तकारों की जो जमीन है वह बेकार है उसमें खेती नहीं होती है आसपास के गांवों के वह लोग भी, जिनकी आबादी 20 हजार है, काश्त की जमीन में नमक निकालना चाहते हैं लेकिन सरकार का कोई ऐसा नियम है कि एक माइल या दो माइल में कोई इजाजत नहीं देमे। काश्तकारों की जमीन है, खातेदारी राइट्स हैं उनके पट्टे हैं इसलिए सब जगह खेतों की जमीन में नमक निकालते हैं और उनको उद्योग में परिवर्तित करा लेते हैं लेकिन फुलेरा तहसील में आने वाले पांच-सात गांवों जोधा, काजीपुरा आदि हैं उनको इजाजत नहीं दी जा रही है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा पत्थर निकलता है मेरे ख्याल से वह सारे राजस्थान में उस एक जगह निकलता है जिसको जाफरी पत्थर कहते हैं। वह पत्थर नहीं होता है वह आधा मिट्टी का पत्थर होता है और मिट्टी के कच्चे मकान बनाने के काम में आता है। कच्चे मकानों के काम आने वाले पत्थर को खनिज के नियमों में ले रखा है। वह ज्यादातर अक्सर काश्तकारों के खेत में निकलता है मेरा तो आपसे निवेदन है कि उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं है। आमदनी किसी प्रकार की खनिज विभाग को होती हो तो भले ही रखा जाय लेकिन एक नये पैसे की आमदनी नहीं है। एक खनिज निगम की वजह से गांव का पटवारी तहसीलदार और क्लेक्टर हमेशा इन लोगों, जो पत्थर अपनी जमीन से निकालते हैं, नोटिस देता है पैनल्टी लगाता है इस प्रकार की कार्यवाही चलती रहती है जिससे क्षेत्र के काश्तकार परेशान हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

करना चाहता हूं इस जाभोर पत्थर को खनिज नियम से मुक्त करायें। इससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है खाली गरीब लोग अपनी जमीनों से निकालकर अपने मकान के काम में लेते हैं। यह बेचने के काम में नहीं आता है, दूसरी कोई चीज भी इससे नहीं बनती है।

इसके साथ साथ आपसे एक निवेदन करू, गांव से उद्योग धन्धों के लिए छोटे उद्योग धन्धों के लिये ट्रेनिंग सैन्टर खोला जाय जिससे लोगों को ट्रेनिंग मिले और गांव के लोग भी अपने उद्योग धन्धे लगा सकें। ग्रामीण क्षेत्र में भी औद्योगिक एरिया कायम किया जाय।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा गांवों में मुख्य धन्धा है खेती का। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करू कि खेती का धन्धा आज इतनी खराब हालत में है कि इसको भी उद्योग में शामिल करें। तो यह निवेदन करता हूं कि गांव के स्तर पर कारखाने लगाकर गरीब जनता का उत्थान करें। यही मेरा निवेदन है।

मेरी तीन बातें हैं उन्हें पुनः आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि गांवों में खेती को उद्योग में शामिल करें और उद्योग के ट्रेनिंग सैन्टर जगह-जगह कायम करें ताकि लोग जो बेरोजगार हैं वे उद्योग धन्धा लगा सकें, धन्धा कर सकें। तीसरा मेरा निवेदन है, गांवों में जो जाभोर पत्थर राजस्थान में उस एक जगह निकलता है उसको खनिज के नियमों से मुक्त किया जाय। इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : माननीय सभापति महोदय, आज जिन डिमाण्डस पर विचार कर रहे हैं, खनिज और उद्योग इस प्रकार की डिमाण्डस हैं कि अगर सरकार प्रमाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ इन दोनों विभागों का कार्य करें तो आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी स्टेट में आता है किन्तु राजस्थान में 55 प्रतिशत भाग रेगिस्तान होने के कारण देश की आबादी का 4.76 % भाग ही राजस्थान में बसता है। मैं सोचता हूं कि यही कारण रहा होगा जिससे केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को आर्थिक मदद देने में हमेशा कोताही बरती है। केन्द्रीय सरकार की ओर से चाहे हम उद्योगों के लिये मदद लें, चाहे और प्रकार की मदद लें हमेशा राजस्थान के साथ भेदभाव होता रहा है। जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त निगम है उसके द्वारा भी राजस्थान के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे दिल्ली की सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के साथ कोई अन्याय किया हो, राजस्थान की सरकार स्वयं कोताही बरतती हो किन्तु राजस्थान के अन्दर प्रकृति ने वह सम्पदा दी है, वह साधन दिये हैं कि यदि उस सम्पदा और साधनों का हम ईमानदारी से उपयोग

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

करें तो मैं समझता हूं कि हम को केन्द्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होगी । राजस्थान प्रदेश के अन्दर प्राकृतिक सम्पदायें हैं मैन पावर की कोई कमी नहीं है । सभापति महोदय, मैन पावर भी काफी है और उसके साथ-साथ उद्योग को चलाने के लिये तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है जैसा हमारे मित्र नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस राजस्थान की भूमि ने उद्योग को चलाने वाली इस प्रकार की प्रतिभाओं को जन्म दिया है,

(9.00 रात्रि)

इस प्रकार के व्यापारियों को जन्म दिया है जिनकी व्यापारिक, औद्योगिक कार्यकुशलता की धाक आज विश्व में जमने लगी है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब उद्योगों को चलाने के लिये हमारे पास प्राकृतिक सम्पदा है, हमारे पास साधन हैं, हमारे पास मैन पावर है और हमारे पास उद्योगों को चलाने के लिए योग्य व्यक्ति है, फिर हम उद्योग की दृष्टि से क्यों नहीं तरक्की कर पाये ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी योजनायें बनीं, सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम तय किये गये उद्योगों के लिए उनकी पूर्णरूप से अवहेलना की गयी है । यह इसी का परिणाम है, माननीय सभापति महोदय, कि अभी थोड़ी देर पहले कृष्णा मिल का जिक्र आया । 15.10.83 से कृष्णा मिल बन्द है । बहुत बड़ी चर्चा हुई । मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन ऐसी ही स्थिति हमारे लाड़पुरा से आने वाले सदस्य बतायेंगे कि कोटा के अन्दर सुदर्शन टैक्सटाइल की होने जा रही है । आपकी कृष्णा मिल में तो 1600 मजदूरों का सवाल था, आज कोटा की सुदर्शन मिल के अन्दर चार हजार मजदूरों की रोटी-रोजी का सवाल है जो बन्द होने जा रही है । मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उस मिल को सिक मिल घोषित करके राज्य सरकार क्या करने जा रही है कोटा के अन्दर ?

इतना ही नहीं, पिछले चार-पांच वर्षों से एक नया ट्रेंड, नया काम राइस मिल्स का चला था कोटा के अन्दर, पहले राइस मिल्स लगे लेकिन पिछले चार वर्षों से वे राइस मिल्स भी मरणासन्न हैं । उनको पैड्डी नहीं मिल पाती । पानी होने के बावजूद भी नहर से उनको पानी नहीं दिया जाता । आज कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जो राइस की सबसे बड़ी मंडी थी वह मंडी, माननीय सभापति महोदय, पूर्णतया समाप्त होने जा रही है । मैं राज्य सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राइस मंडी को जिन्दा रखने के लिये, उन राइस उद्योगों को जिन्दा रखने के लिए विचार करें । बड़ी मुश्किल से जो राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये, माननीय सभापति महोदय, बाहर से लोग आते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि बाहर के लोगों में, बाहर के उद्योगपतियों में कोई चार्म नहीं रहा है । राजस्थान सरकार सहूलियत देने के नाम पर उनसे वायदे करके मुकर जाती है । यहां आ करके, अभी मुक्तिलालजी मोदी बता रहे थे, लेबर प्राब्लम्स आ जाती हैं, कई प्रकार की प्राब्लम्स उद्योगपतियों के सामने आती हैं । राजस्थान के अन्दर आज बाहर का उद्योगपति आ करके अपना व्यवसाय

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

जमाने में अब, माननीय सभापति महोदय, डरने लगा है। इसके ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कोटा की राइस. मिल्स ही नहीं कोटा में जितने भी इण्डस्ट्रियल एरिया हैं उन इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर आज अगर आप सर्वे करेंगे, जानकारी लेंगे; माननीय मुख्य मन्त्री यहां विराज रहे हैं तो 75 प्रतिशत लघु उद्योग और मध्यम उद्योग खतम हो गये हैं। उन 75 प्रतिशत लघु उद्योगों के अन्दर आज कम से कम पच्चीसों टेक्नोक्रेट्स होंगे जिनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उद्योग समाप्त हो जाने के बाद उनको रीको का पैसा देना है, आर. एफ. सी. का पैसा देना है, मजदूर उनकी जान खाता है लेकिन सरकार, वे क्यों बीमार हैं, उनकी स्थिति क्यों इस प्रकार की है इस पर विचार करने को तैयार नहीं है तो आज मैंने कोटा के दो तीन उद्योगों का आपसे जिक्र किया। यही स्थिति राजस्थान के दूसरे माननीय सदस्यों ने बताई। मेवाड़ टेक्सटाइल की बात कही। सब जगह ऐसी स्थिति है लेकिन राज्य सरकार ने उद्योगों के नाम पर रीको को बैठा दिया, आर. एफ. सी. को बैठा दिया, बड़ी बड़ी इन्स्टीट्यूशन्स खड़ी कर दी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा।

मैं कोटा की बात करता हूं। आज रीको को जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक प्लांट का आपको अलाटमेंट नहीं होगा, प्लांट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मेरे पास रिकार्ड मौजूद है, कहें तो बता सकता हूं। रामगंज मंडी, कुदायना इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर दो इण्डस्ट्रियलिस्ट, दो फैक्ट्री लगाने वाले आज भी डेढ़-दो लाख रुपया खर्च करके जयपुर के चक्कर काट रहे हैं लेकिन रीको के वहां पर जो नुमाइन्दे बैठे हुए हैं वे पैसा मांग रहे हैं। आप पैसा नहीं देंगे तो आपको रीको का प्लाट नहीं मिलेगा। चाहे मुख्य मन्त्रीजी खुश हों कि रीको के माध्यम से हम बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं लेकिन नीचे जाकर देखिये, छोटे-छोटे उद्योगपतियों का खून चूसने के लिये रीको के अधिकारी बैठे हुए हैं। आप आर. एफ. सी. की बात करिये वहां भी इसी प्रकार की स्थिति है। उद्योग लगाने वाला पैसा लेने के लिए जायेगा तो किसके पास जायेगा? बैंक्स के पास। जिक्र करूंगा अभी जिनकी चर्चा यह कर रहे थे कि स्वरोजगार योजना में और नगर परिषद से 6-6 हजार के लोन दिये जाते हैं इन लोन्स को देने के लिये बैंक अधिकारी पहले कमीशन लेते हैं बाद में बात करते हैं तो सभापति महोदय, आप उम्मीद करेंगे कि ये किसी उद्योग को बिना किसी पैसा के कर्ज दे देते होंगे। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाने के वास्ते, माननीय सभापति महोदय, हमको अर्थ को जुटाना पड़ेगा। अर्थ के लिए आपको रीको, आर. एफ सी., बैंक्स को ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने के लिये उनके करप्शन को दूर करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे।

दूसरा, उद्योग लगाने के लिये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है रॉ-मैटीरियल की। हमारे राजस्थान के अन्दर उद्योगपति को रॉ-मैटीरियल नहीं मिल पाता है। कभी सीमेन्ट की कमी आती है, कभी आयरन की कमी आती है, कभी रॉ-मैटीरियल की कमी आती है। उद्योगपति

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई सुनने के लिये नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि तीसरी आवश्यकता इसके लिये होती है इलैक्ट्रिक की सभापति महोदय, आज दिन में भी चर्चा आयी थी और पहले भी चर्चा आयी है जहां तक उद्योगों को बिजली देने की बात है, उद्योगों पर 80-80 प्रतिशत तक का कट कर दिया जाता है। जैसा आज ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हुए भाई भी बता रहे थे कि आर. एस. ई. बी. के अन्दर जितनी मनमानी आपको देखने को मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। को 1.80 लाख यूनिट्स के अगेंस्ट में केवल मात्र 67 हजार यूनिट बिजली आर. एस. ई. बी. दे पाती है। स्थिति यह है, जैसा अन्य मेरे साथियों ने बताया इस प्रकार के जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके अन्दर पब्लिक और इंडस्ट्रियलिस्ट के नुमाइंदे जाना चाहते है, जैसा मैंने कट की बात कही थी, आर.एस.-ई.बी. में इसी तरह के कंजूमर्स....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : और पावर शार्टेज की दिक्कत है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अभी तो मैंने शुरू किया है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपने शुरू में ही दस मिनट ले लिये हुजूर।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर एस. ई. बी. की सबसे बड़ी बीमारी है वह है मिनिमम चार्जेज की। बिजली आप चार घंटे भी न देंगे लेकिन आप मिनिमम चार्जेज का बिल दो हजार का उसको पकड़ा देंगे चाहे बिजली सौ रुपये की खर्च की हो। तो यह मिनिमम चार्जेज की बीमारी खतम करके इंडस्ट्रियलिस्ट से एक्चुअल जो चार्जेज आता है वही चार्जेज लिया जाना चाहिये तब उनको राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों को पनपाने के लिये, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जो मैंने चार आर्म्स बताये हैं वो आर्म्स आर. एस. ई. बी. रीको, आर.एफ.सी., रॉ मेटीरियल, इन चार आर्म्स की अगर आप व्यवस्था कर दें तो राजस्थान कभी यह नहीं कह सकता कि....

(9.08 रात्रि)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के अन्दर उद्योग नहीं पनप पायेगा।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहता हूं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जैसा अन्य सदस्य बोल रहे थे, माइन्स के बारे में जो बोल रहे थे, उन्होंने बताया था कि लिंक रोड्स की बड़ी आवश्यकता है। आज अगर हम राजस्थान को उद्योग की दृष्टि से आगे लाना चाहते हैं, हम राजस्थान को बढ़ाना चाहते हैं, 35 वर्षों में राजस्थान के अन्दर हम मीटरी गेज से ब्राड गेज नहीं कर सके, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि चाहे

(श्री हरिकुमार औचित्य)

हमारी सरकार को कितना ही जोर लगाना पड़े, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बड़ी सरकार हमारी जयपुर में है उतनी बड़ी सरकार दिल्ली में भी है वही 5-7 मिनिस्टर दिल्ली में हैं, एक सरकार वहां भी बैठी हुई है उस सरकार को हिम्मत के साथ दिल्ली के दरबार में बोलने की शक्ति दे कि वे राजस्थान की समस्याओं के लिये लड़ें। नाथद्वारा से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि केन्द्र सरकार की राजस्थान का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो उसमें कितना प्रतिशत लगाना पड़ता है। केवल मात्र केन्द्र सरकार का दो प्रतिशत लगता है। दो प्रतिशत पूंजी केन्द्र सरकार ने राजस्थान के अन्दर लगायी है। आखिरकार इसका कारण क्या है? हम दिल्ली में अपनी बात कह नहीं सकते। हम अपनी बात मनवाने के लिये दिल्ली पर दबाव नहीं डाल सकते तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये जो चार आर्म हैं इनका सामंजस्य बैठा करके जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग में काम करना चाहते हैं इस प्रकार के लोगों को सहयोग देना पड़ेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। इस सैशन में भी चर्चा आई और उस सैशन में भी चर्चा आयी. मैं आलोचना नहीं करता लेकिन जब विरोध होता है तो राजस्थान कैनाल और कृषि, के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमको अपने कंसेप्ट्स को बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। माननीय महोदय, आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र यह जितने भी स्टेट्स आगे बढ़ पाये हैं इनके बढ़ने का कारण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग रहे हैं। कृषि नहीं रही है। आज हम 35 साल से खेती कर रहे हैं, 20 साल से कृषि कर रहे हैं लेकिन एक किसान जो 24 घण्टे अपने खेत में पसीना बहाकर काम करता है उसके पहनने को कपड़ा नहीं है, वह अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता आठ घण्टे मिल में काम करने वाले मजदूर के घर टेप रिकार्डर, ट्रान्जिस्टर, स्कूटर सब मिलेगा। आखिरकार हमने जो स्थिति पैदा कर दी है, मैं यह नहीं कहता, आप राजस्थान कैनाल बनाइये 200-400 करोड़ रुपए लगाकर लेकिन आपको उद्योगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह ठीक है हमारी खेती होने लगेगी, अनाज पैदा होने लगेगा लेकिन आप बेरोजगारी को नहीं मिटा पायेंगे, आप देश के अन्दर सम्पन्नता नहीं ला पायेंगे, प्रदेश को सम्पन्न नहीं बना पायेंगे। सम्पन्न बनाने के लिए जब तक आप उद्योगों पर ध्यान नहीं देंगे, उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब तक प्रदेश के अन्दर सम्पन्नता नहीं आ पायेगी। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अन्दर आप उद्योग लगाना चाहें तो जोधपुर जैसलमेर रीजन के अन्दर जैसलमेर का मैं आप से जिक्र करूं। जैसलमेर के अन्दर राजकेन, राजस्थान कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन ने सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बात कही थी। इसी राजकेन के अध्यक्ष ने जोधपुर, पाली, बालोतरा में छपाई और रंगाई के उद्योग पनपाने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ आप एक एक कर चलिये राजस्थान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

बचता जहां सरकार ईमानदारी के साथ अगर चाहे तो उद्योग नहीं लग सकते हों, उद्योग नहीं पनप सकते हों। बीकानेर के अन्दर चले जाइये। अभी माननीय सुराणाजी बता रहे थे कि वहां पर सरकार और प्रयत्न करे तो ऊन का उद्योग ज्यादा बढ़ सकता है, ऊन के छोटे-छोटे कारखाने लग सकते हैं। इसी प्रकार आप इधर आ जाइये उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली—यह सब तो सैण्ड स्टोन और लाइम स्टोन के भण्डार से भरे पड़े हैं। कोटा-चित्तौड़ लाइन की भूमिका जनता राज में प्रारम्भ हुई, कोटा-चित्तौड़ लाइन बनने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यह क्षेत्र सीमेण्ट उत्पादन में एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। 5 लाख टन सीमेण्ट पर डे यहां पर प्रोडक्शन होगा। इसके लिए आपको रेलवे लाइन भी डालनी पड़ेगी, इसके लिए आपको उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। मैं आप से पूछना चाहता हूं यहां पर सब माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ऐसा कौनसा शहर है जिसे रेल से लिंक नहीं किया हो और वह पूरी तरक्की कर पाया हो। मुझे पता है, मेरे क्षेत्र झालावाड़ और बून्दी के मेरे खयाल से 20-20, 25-25 साल तक मन्त्री रहे हैं, झालावाड़ से महाराजा हरिश्चन्द्र रहे और इधर पण्डित बृज सुन्दरजी रहे लेकिन बाजार में चले जाओ वहां पर आज भी कौवे बोलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार योजना बनाये कि राजस्थान का कोई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ऐसा बाकी नहीं बचना चाहिए जो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हो। रेल लाइन से जुड़े बिना हम उद्योगों की तरक्की नहीं कर सकते।

एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उद्योग लगाने के साथ-साथ। जैसे कोटा, अलवर अन्य स्थानों के नाम लिये गये, एक ही स्थान पर आप बड़े-बड़े उद्योग लगायेंगे उस से गांव की बेरोजगारी नहीं मिटेगी, हमको उद्योग लगाने के लिए विलेज बेस्ड इण्डस्ट्रीज पर ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग जो बड़े कस्बों में लग सकें, अच्छी आबादी के गांव में लग सकें वह लगने से शहर की ओर भागने वाली भीड़ खतम होगी, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। खेती हमारे राजस्थान के अन्दर मामूली व्यवसाय रह गया है, खेती करने के बाद जो समय बचता है उस समय में वह छोटे-मोटे कुटीर उद्योग करके काम चला सकेंगे। इसलिये मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विलेज बेस्ड इण्डस्ट्री के ऊपर विशेष ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन आप से माइन्स के बारे में करना चाहूंगा क्योंकि मेरा क्षेत्र माइन्स का क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको सूक्ष्म में कह दें।

एक माननीय सदस्य : समय बहुत हो रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अगर आपकी घड़ी फास्ट हो गयी तो मुझे क्या कहना है।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

तो मैं आप से निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, माइन्स के बारे में। कोटा और बून्दी रीजन के अन्दर माइन्स का काम काफी है। मेरे पास वह कागज अभी नहीं मिल रहा है जिसके अन्दर सरकार और इन्जीनियरों ने मिलीभगत करके जो डीम्ड फॉरेस्ट एरियाज थे उन एरियाज के अन्दर भी खानों का अलॉटमैण्ट कर दिया है। रामेश्वर के नाम से एप्लीकेशन ली गयी। और उसको जो माइन्स एरिया था उसमें खान का अलॉटमैण्ट सिफारिश के आधार पर अम्बाबाड़ी, जो डीम्ड फॉरेस्ट एरिया है, से सात किलोमीटर दूर कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा हमारे चीफ सैक्रेटरी बैठते हैं जयपुर के अन्दर, आज तो वह चले गये लेकिन उनका दखल बून्दी में भी है। एक पुण्य प्रताप सिंह हैं जो दिल्ली के किसी मन्त्री का रिश्तेदार है। केवल मात्र मुख्य सचिव की सिफारिश के कारण चीफ सैक्रेटरी के इशारे पर 176 एप्लीकेशन्स, जो नियमानुसार थी, को, रद्द करके उस पुण्य प्रताप सिंह जो दिल्ली के आलीशान एयरकण्डीशन्ड कमरों में बैठा हुआ है, को वहां खान दे दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूं। बून्दी एक ऐसा क्षेत्र है माइन्स का, जहां पर प्लॉट सिस्टम है 60 × 120 के आप दो से ज्यादा प्लॉट नहीं ले सकते लेकिन जैसा कि अभी चारों तरफ से दोनों पक्ष के लोग बता रहे थे, यहां हमारे राजस्थान के अन्दर ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जो 200 किलोमीटर लम्बे एरिया की खानों पर कब्जा किये बैठे हैं। आपके पास फुटकर में जानकारी आयी थी। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा और वह जानकारी जो आपके पास फुटकर में आयी उसे थोक में बता दूंगा। जो जिक्र माननीय साथी कर रहे थे, किशन मोदी एवं उनके परिवार के लोगों ने सीकर, झुन्झुनू और बांसवाड़ा में माइनर और मेजर मिनरल्स के नाम से सारी की सारी खानें ले रखी हैं। सीकर और झुन्झुनू में तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका ही आधिपत्य है, इनका ही साम्राज्य बना हुआ है। यह पहले मेजर मिनरल के नाम से वहां क्षेत्र ले लेते हैं और बाद में उसके अन्दर माइनर मिनरल्स निकालते रहते हैं। जैसे लाइम स्टोन, मार्बल उसके अन्दर आता है। इस प्रकार यह स्वीकृत करा कर सारे क्षेत्र के ऊपर अपना आधिपत्य बनाये रखते हैं। बांसवाड़ा में पांच किलोमीटर का एरिया है, जैसा मुक्तिलालजी मोदी बता रहे थे, डोलोमाइट लेण्ड ले रखा है जबकि डोलोमाइट है ही नहीं। इस एरिया में मार्बल है। वह लोग मार्बल निकाल रहे हैं और लीज मन्जूर करा रखी है डोलोमाइट के नाम से। इसी प्रकार से इसी पार्टी ने अपना अधिकारिक हिस्सा जमा रखा है अधिकारियों से मिलकर। मैं चार्ज नहीं लगाता लेकिन हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों से मिलकर उनका प्रभुत्व, एकाधिकार उस एरिया में बना रहे यह उनका षड्यन्त्र रहता है और किसी व्यक्ति को लीज नहीं देने देते।

एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताऊं 14-1-1983 को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके छोटे-छोटे प्लाट काटने के लिए आवेदन मांगे। नीमकाथाना से 175, कोटपूतली से 125 आवेदन आये

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

किन्तु इस मोनोपोली होल्डर्स मोदी कम्पनी ने यह प्रार्थना पत्र रद्द करवा कर सारे के सारे अपने नाम करवा लिये। कोई प्लॉट किसी आदमी को नहीं मिल पाया। सरकार को धोखा देने के लिए जन लघु उद्योग सीमेण्ट फैक्ट्री का नाम लेकर 10 किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर इन लोगों के पास मार्बल, लाइम स्टोन का 100 किलोमीटर का एरिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं आप से और निवेदन कर रहा था। नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी, जिसका बार-बार जिक्र आया, लाइम स्टोन की लीज 8-9-81 को समाप्त हो रही थी, सरकार ने इस कम्पनी को नवीनीकरण के लिए इन्कार कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बस दो मिनट लूंगा। बस यह खतम हो जाय। दो चार इसकी जानकारी हो जाये।

सरकार ने यह कहा कि हम इस क्षेत्र को सीमेण्ट फैक्ट्री लगाने के लिए लेना चाहते हैं। 7-9-81 को सीमेण्ट फैक्ट्री लगाने के लिए प्रतिभा चटर्जी ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन सरकार ने उसे नजर अन्दाज करके 8-9-81 को रीको तथा रामेश्वर प्रसाद बजाज, जिसकी बड़ी चर्चा चली, प्रार्थना पत्र लेकर उनको अलॉट कर दिया। साढ़े पांच किलोमीटर तो दिया इन्होंने रीको को और साढ़े चार किलोमीटर दिया रामेश्वर प्रसाद बजाज को। वह जमीन थी सीमेण्ट फैक्ट्री के लिये, सरकार ने 7-9-81 को कहा था लेकिन रामेश्वर प्रसाद को जो साढ़े 4 किलोमीटर जमीन दी वह दी माइनर मिनरल के वास्ते। रामेश्वर प्रसाद बजाज को दी गई जमीन के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जैसी पहले आपको जानकारी दी गई। हाई कोर्ट ने रीको को दी गई भूमि को तो ठीक माना लेकिन रामेश्वर प्रसाद बजाज के अलॉटमेन्ट को गलत मानकर निरस्त कर दिया। रामेश्वर प्रसाद बजाज ने डबल बेंच में इसके लिये अपील की और डबल बेंच ने रामेश्वर प्रसाद बजाज के आदेश को बहाल रखा। इसी प्रसंग में दो पार्टीज के. एन. काटजू और नेशनल लाइम स्टोन की याचिकायें भी विचाराधीन थीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रामेश्वर प्रसाद बजाज के सम्बन्ध में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला पब्लिक इन्ट्रेस्ट में दिया था तो जैसा भाई मानिकजी बता रहे थे, यह जो एप्लीकेशन्स के. एन. काटजू और नेशनल लाइम स्टोन की उसके आधार उस जमीन को, उस प्लाट को सरकार अपने पास रख सकती थी या फिर यह सारा 10 किलोमीटर का एरिया रीको को भी दे सकती थी, जो सरकार की एजेन्सी थी लेकिन केवल मात्र एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये उसे लीज दी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन कर दूं इसी क्षेत्र में 3-4 वर्षों के अन्दर आर.एस.एम.डी.सी. ने 20 लाख रुपया कमाया और 20 लाख रुपये की इसी क्षेत्र से खनिज विभाग को भी आय

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हुई है। इस प्रकार के निर्णय लेकर विभाग के द्वारा सरकार को जो क्षति पहुंचाई गई है, एक आदमी की मोनोपोली को कायम रखा गया है इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये। इस प्रकार के गलत काम, इस प्रकार की मोनोपोली जो लोग खड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आर.एस.एम.डी.सी. ने लगभग 20 लोगों को सीमेन्ट प्लाट इस क्षेत्र में चूना देने का एग्रीमेन्ट करके प्लाट कराये। इसी क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम ने 3 करोड़ रुपया लगा रखा है, 5–7 फैक्ट्रीज करोड़ों रुपयों में बन कर तैयार हो गई हैं, लेकिन उनको लाइम स्टोन नहीं मिलेगा क्योंकि लाइम स्टोन का अधिकार उस मोदी कम्पनी को, रामेश्वर प्रसाद बजाज की कम्पनी को चला गया है और ये फैक्ट्रीज चलने के पहले ही मर जायेंगी, इन फैक्ट्रीज की भ्रूण हत्या हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की प्रगति के लिये ईमानदारी से विचार करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो खनिज विभाग के अन्दर कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप चोरों को पकड़ लो। मेरे ख्याल से ग्यारह सौ ग्यारह पाइन्ट सेमफिंग लाख की इन्कम बताई है, डेढ़ करोड़ रुपया, मैं आपसे निवेदन करू, रामगंज मण्डी तहसील से रायल्टी का होता है और यह जब होता है जब कि वहां पर चोर बैठे हुये हैं। बड़े बड़े करोड़पति माइन्स होल्डर्स से वे लोग मिले हुये हैं। आधी रायल्टी भी वसूल नहीं होती है। अण्डर बिलिंग होता है, सेल्स टैक्स की चोरी होती है, मिनरल की चोरी होती है और सरकार को वहां पर रुपये में दो आने ही मिल पाता है।

(व्यवधान)

किसी पर भी मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आखिरकार यह जो रुपये में चार आना सरकार को मिल रहा है और बारह आना जाता है बाहर, माइन्स डिपार्टमेंट में आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदार आफिसर बैठाये जायं। माइन्स विभाग के अन्दर अगर आपने ईमानदारी बरती, ईमानदारी के साथ लोगों को ठेके दिये, किसी प्रकार के चन्दे के नाम पर सौदा नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूंगा। हमारे बूंदी के अन्दर एक माइन्स के इन्जीनियर ऐसे आ गये थे अब तो वह सस्पैण्ड हो गये लेकिन हर काम में वह यह कहते थे कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री और मैं दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। मेरे गुरु भी सिवाणा में है और उनके गुरु भी सिवाणा में हैं, मेरा कोई कुछ

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

नहीं बिगाड़ सकता। वह जो मैंने आपको बात बताई कि डेन्स फॉरेस्ट में जमीन अलाट कर देना और मुख्य सचिव के इशारे पर 176 लोगों की एप्लीकेशन्स केन्सल करके उनके चहते पुण्य प्रतापसिंह को अलाटमेंट कर देना, यह सारे के सारे घपले उन्होंने किये। मैं तो आज यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े अफसरों की ओर मत देखो, ये हैं जो तो आप को दिख रहे हैं, आप तो ओवरसियर, इंजीनियर्स और असिस्टेन्ट इंजीनियर्स बैठे हुये हैं ना इनके बंगले और मकान जाकर देख लो 15-15 हजार रुपये के सोफा सैट्स है जो आपको और हमको देखने को नहीं मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बजट का चौथा हिस्सा घाटा जितना है केवल मात्र यह खनिज विभाग पूरा कर सकता है, बशर्ते कि खनिज सम्पदा का दोहन ईमानदारी से हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे पट्टाधारियों के लिये हमने मशीनें लगा रखी हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने गरीब पट्टाधारी हैं, जिनके लिये आपने साधन जुटाये हैं, उनको आपने बुलडोजर्स दिये हैं? मशीनें दी हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : किसी को नहीं दी हैं। केवल मात्र बड़े-बड़े लोग वह उठा देते हैं। उनको आर्थिक सहायता की बात कही है, खनिज विभाग ने अपनी रिपोर्ट में। गरीब व्यक्ति को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। मेरी यह मान्यता है कि दो लाख रुपया, तीन लाख रुपया लगाये बिना तो कोई खान चला ही नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : गरीब आदमी कैसे चलायेगा खान को? यह सब बड़े-बड़े आदमी हैं, पूंजीपति है, जो रीको आर. एफ. सी. और इन सबके माध्यम से फायदा उठाते हैं और हमारी सरकार बैठी देखती रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का औद्योगीकरण तेजी से होगा तब हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र की लाइन में जाकर खड़े होंगे। लेकिन यह सारा काम हमको दृढ़ निश्चय और ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा।

आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42 और 43 जो खनिज और उद्योग के बारे में जो प्रस्तुत की गई है पर बोलना चाहता हूं।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर डिविजन के भू-गर्भ में खनिज पदार्थ भरा हुआ है उससे वहां पर वहां के लोगों का वहां के मजदूर का निर्वाह हो सकता है। मैं आपके द्वारा सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर जिले में अधिकतर बाहर के लोग आकर मार्बल का पट्टा लेते हैं। हमारे वहां आदिवासी काफी पढ़े लिखे हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह लोग अप्लाई करते हैं यह विभाग की जानकारी में है, सरकार की जानकारी में है लेकिन उन बेरोजगार लोगों को खान के पट्टे नहीं दिये जाते हैं। बड़ी मुश्किल से पट्टे का फार्म पास करवा लेते हैं तो आगे जाकर फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उन्हें पट्टा नहीं देने के कई कारण होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसे केस हैं। 1983-84 में बेरोजगार आदिवासियों ने अपने धन्धे को चलाने के लिए विभाग को अप्लाई किया था, फार्म भरवाये थे लेकिन एक भी आदमी का फार्म पास नहीं हुआ। दूसरे लोगों जिनके पास पैसा होता है, को पट्टा दिया जाता है। तो जब हम मानते हैं कि जिस क्षेत्र में हमारी अमानत है जहां पर हम मजदूरी कर सकते हैं, जिस आधार पर हम रह सकते हैं और हमारे बाल बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं उस जगह पर हमको पट्टा क्यों देते हैं? कई तरह के मार्बल है। पिंक मार्बल है, व्हाइट मार्बल है कई तरह के हैं। सारे के सारे एरिया में बम्बई से लोग आकर बैठे हुये हैं, और कहीं बाहर के आकर बैठे हैं लेकिन उन गरीब आदिवासियों को, वहां के रहने वाले बेरोजगारों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कोई नियम बनाये। जिस प्रकार से भारत सरकार और हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर कहा है, 'पिछड़े को पहले', इस बात पर सरकार अगर ध्यान देगी तो काफी जो वहां के लोग बेरोजगार हैं उनके लिये रोजगार हो सकता है, वह अपना निर्वाह कर सकते हैं। और तो कहीं वह जा नहीं सकते। इसलिए मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले उन लोगों को खनन् का पट्टा उस एरिया के अन्दर दें, मार्बल का पट्टा दें। ग्रीन मार्बल का पट्टा दें, व्हाइट का दें, जिस तरह का देना है दें सबसे पहले वहां के रहने वाले लोगों को, आदिवासियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। सबसे पहले उनके अधिकार की बात है।

मैं साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर में मांडो की पाल के अन्दर खेतान नाम के हमारे सेठजी, जो बम्बई के रहने वाले हैं, की 4 खाने चल रही हैं। वहां पर बन्द जंगल के अन्दर बाउण्ड्री बनी हुई है। उसके अन्दर आदिवासियों ने एप्लाई किया था, मैं उनके नाम बता सकता हूं। एक पन्नालाल नाम करके है वह हायर सेकण्डरी है। पन्नालाल, हीरालाल, लछमन, भगवान ने भी अप्लाई किया था, की सबसे पहले फार्म भरा था लेकिन सरकार ने देखा यह तो जंगलात की बाउण्ड्री में है इसलिए नियमानुसार उनको नहीं मिल सकता। मैं मानता हूं लेकिन खेतान जो बम्बई को सेठ है, करोड़पति सेठ है को सात बीघा में सात

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

प्लाट दे दिये गये। सात एरिया उनको दिये गये किन्तु बेरोजगारों को किसी को नहीं दिया गया। तो इसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर एरिया में बहुत बड़ी खान मिली है जिसमें तीन हजार लेबर एक टाइम में काम करते थे दो पाली में। डूंगरपुर मांडो की पाल के जिस कारखाने में मशीनें पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट की, लाखों रुपया लगा हुआ है उसे उन्होंने बन्द करके वहां पर लोगों को बेरोजगार किया है। वह माइन बन्द है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी तरह से उस माइन को चालू करें ताकि उधर के आदिवासियों को रोजी-रोटी मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर जिले में डेढ़ बीघा-दो बीघा जमीन है और पहाड़ों को काटकर फिर खेत बनाये जा रहे है। हमारे रोजगार के लिए आप व्यवस्था नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो हम जिस तरह से पिछड़े हुए हैं, जिस तरह से कमजोर हैं, हमारी आर्थिक हालत में हम सुधार नहीं कर सकते, हमारे बाल-बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हमारे बाल-बच्चों को हम आगे ला नहीं सकते यह हमारी स्थिति है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नियमानुसार हमारी योजना के आधार पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। यदि आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सही तरीके से काम करना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे उदयपुर जिले में स्वर्गीय वर्मा साहब थे और सुखाडिया साहब थे उस टाइम पर उनका एक प्लान था कि मेरे आदिवासियों को किस तरह से रोटी-रोजी मिल सके उनकी तरक्की किस प्रकार से हो। उनका एक प्लान यह था कि तहसीलों के अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में औद्योगिक साधन बना करके लघु उद्योग खोले जाय ताकि मजदूरी करके अपना पेट पालन कर सकें, अपनी आर्थिक हालत सुधार सकें। लेकिन यह सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस सारे प्लान को जो सुखाड़ियाजी अधूरा छोड़कर गये हैं, इसको आप जब तक हाथ में नहीं लेंगे, योजनान्तर्गत नहीं चलेंगे तो हमारे आदिवासियों के लिये जो भावना थी, जो उनकी मनोकामना थी, उनकी इच्छा थी वह पूरी नहीं होगी। हम वहां के रहने वाले तो यही मानते हैं कि वर्माजी और सुखाड़ियाजी की यह कल्पना थी, उनकी यह इच्छा थी कि इन लोगों को रोजी-रोटी मिल सके इनकी आर्थिक हालत ठीक हो सके। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र बना करके उनको सही ढंग से चलाया जाय तो हम अपना निर्वाह कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया के कई लोग गुजरात चले गये! हमारे पास जमीन तो है नहीं, जनसंख्या अधिक हुई है, बारिश होती है तो मक्का हो जाती है इसके अलावा हमारे पास साधन नहीं। इस साल गुजरात में सबके सब छोरे भाग गये, सबके सब लेबर भाग गये। तो हम इस तरह बैठे हुए हैं कि एक टाइम रोटी आई, एक टाइम नहीं आई। हमारी हालत बहुत खराब है। हम मानते हैं कि

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

हमारी स्थिति खराब है। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी तरफ विशेष ध्यान दें। जो सरकार की योजना-न्तर्गत रुपया आ रहा है; भारत सरकार जो सब्सिडी उद्योगों के लिये दे रही है उसको हमको सही देना चाहिये, हिसाब से देना चाहिये सरकार देख करके हमारी आर्थिक स्थिति सुधारे तो सुधर सकती है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभारी हूं जो मेरे को टाइम दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43 के सन्दर्भ में मैं निवेदन करूं उसके पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि उद्योगों के बाबत जो भी चिन्तन हमारा है उसके बारे में विशेषज्ञों की राय तो खूब आ चुकी लेकिन बेरोजगार नोजवान प्रान्त का और जन साधारण राजस्थानी क्या सोचता है वह बात मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के लिये नई नीति उद्योग बगैर किसी इन्तजार के बनाई जानी चाहिये। देश में कई प्रान्तों जैसा माननीय लूणकरणसर से आये विधायक महोदय ने बताया, हमसे ज्यादा प्रगतिशील है। आज सरकार अगर कोई प्रगतिशील कदम उठाये और उद्योग नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की हिम्मत करे तो यह बहुत बढ़िया बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके सन्दर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि उद्योगों में एक तो श्रमिकों को हिस्सेदार होना चाहिये। आज जितनी हड़ताल होती हैं, जितने लाक आउट होते है ये समस्याएं बहुत कुछ हल हो सकती हैं बशर्ते आज श्रमिकों का हिस्सा उस उद्योग मे हो, उस संस्थान में हो।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने प्रान्त में, क्या वजह है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हमारे जो उद्योगपति हैं जिनको विशेष ज्ञान भी हैं व्यापार में, वह दूसरे प्रान्तों में पूंजी लगाते हैं अपनी बुद्धि लगाते हैं और वह प्रान्त अग्रणी हैं। तो क्या यह वजह है कि हमारे प्रान्त में उनको यह वातावरण नहीं मिलता कि वह अपनी पूंजी यहां लगाकर ज्यादा उद्योग लगा सकें। इससे कितना ही रोजगार बढ़ेगा और कितने ही हमारे प्रान्त के लिए संसाधन बढ़ेंगे। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारे सामने आई है अब तक वह यह है कि नौकरशाही की तरफ से उनको विशेष तरीके से परेशान किया जाता है और ऐसे-ऐसे चरणों असुविधायें जाती है कि वह कोई नया उद्योग नहीं बढ़ाई बढ़ा सकें।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी उद्योग के सन्दर्भ में, पूरे राजस्थान की चर्चा विस्तार से आ चुकी है लेकिन भरतपुर, जो दिल्ली के नजदीक पड़ता है, हरियाणा के नजदीक पड़ता है, उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है, व्यापारियों, उद्योगपतियों, मजदूरों को बहुत ज्यादा काम्पीटिशन झेलना पड़ता है वहां कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे कि भरतपुर के जनपथ में तरक्की हो सके। उद्योगों के तौर पर सिर्फ तीन उद्योग आज वहां है, एक

(श्री सम्पत सिंह)

तो सिमको फैक्ट्री है, एक डालमिया डेबरी उद्योग है और एक परफेक्ट पोट्रीज है जो मध्यप्रदेश के किसी उद्योगपति की है। हमारे प्रान्त के जो उद्योगपति हैं वह अपने संस्थानों को खतम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कभी तो मजदूरों की समस्या से, कभी दूसरी समस्याओं से। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसा बढ़ावा मिलना चाहिये कि जो रा मैटीरियल भरतपुर में है उसकी मार्फत कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगे जिससे न सिर्फ हमारे प्रान्त की बात बढ़े बल्कि भरतपुर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हालांकि घोषित नहीं है सरकार की तरफ से, एक तो घोषित हो पिछड़ा हुआ क्षेत्र औद्योगिक तरीके से और दूसरा उसमें उन्नति हो।

चौथा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर में जितने भी वायदे किये गये, पहला यह था कि ड्राई पोर्ट बनेगा, फिर यह हुआ कि स्टील यार्ड बनेगा उसके बाद यह हुआ कि रेलवे लाइन जोड़ी जायगी औद्योगिक क्षेत्रों से मतलब अलवर से। लेकिन ये तीनों ही चीजें अभी अधरभूल में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिये जितनी जल्दी हो सके, अपनी सुविधा के हिसाब से ही सही, उसका जल्दी प्रयास किया जाना चाहिये। डालमिया पर न मालूम कितना कर बकाया है। डालमिया की क्या शर्त तय हुई थी जिस वक्त उद्योग के लिए जमीन दी गई थी और सरकार की तरफ से पूंजी की मदद दी गई? न तो इसका पता और मजदूरों के साथ क्या हुआ न इसका पता। आपके भरतपुर का जो उप-भोक्ता है उसको दूध नहीं मिलता कुनैन लेने के लिए भी। सारा दूध और उससे बनी हुई चीजें बाहर जा रही हैं दिल्ली और आगरा की तरफ। तो उसके लिए वह शर्त रखी रही। वैगन फैक्ट्री में दोनों भाइयों का झगड़ा है, एल. एन. बिड़ला और के. के. बिड़ला का। माननीय उजलाजी और मानिक ने स्थगन प्रस्ताव रखा था कि 1600 मजदूरों को छटनी के कगार पर खड़ा कर रखा है। माननीय विद्या पाठक ने भी इस बात के लिये एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कि इसमें आज 1600 मजदूर छंटनी के कगार पर बैठे हुए हैं। तो इस बाबत राजस्थान सरकार और खास तौर से मन्त्री महोदय ध्यान दें।

पांचवां, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रीको को खास तौर से जनपथ डीग के लिए बनाया गया था पर वहां पर एक भी संस्थान चालू नहीं हुआ है, न व्यक्तिगत और न सार्वजनिक। रीको में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है जैसा वहां के उद्योग-पति और छोटे-छोटे व्यापारियों ने कहा कि इसकी मियाद कम है। इसकी मियाद 50-60 हजार रुपये ही है तो इसमें कौनसा उपक्रम खोले। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी मियाद को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाय ताकि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां पर औद्योगिक संस्थान के लिए लोग आयें और अपना व्यापार बढ़ा सकें।

छठा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आम आदमी जो आज सोचता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बेरोजगार क्या सोचता है, साधारण आदमी क्या सोचता है, उसकी

(श्री सम्पत सिंह)

मंशा क्या है। जो विश्वविद्यालय शहर हैं और राजस्थानी शहर हैं उनमें कम से कम उद्योग लगाने की मोहलत होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जयपुर या दिल्ली जैसे कैपीटल टाउन में बड़ी लेबर प्राब्लम है और पिछड़े इलाके में जहां आपको सस्ता लेबर मिलता है वहां पर उद्योग नहीं लगाए जाते हैं। इसलिए, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाय। इसके बाद में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज रीको में बड़ी धांधली है। वह जनता पार्टी के समय में शुरू हुआ था। पता नहीं किस पूर्वाग्रह के कारण उसको एनकरेज नहीं किया जा रहा है। रीको के बाबत मैं मन्त्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह ध्यान दें। एक संस्था पिछड़े क्षेत्र के लिये चलाई गई थी उसके बाद में उसको जितना बढ़ावा मिलना चाहिये था उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आज हरियाणा के पास अलवर में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर रीको के कारण काफी इमदादें मिल रही है। लेकिन डीग, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कम्पीटीशन मथुरा और आगरा की इण्डस्ट्रीज से होता है उसको जो इमदाद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इसलिए इसको नये तरीके से देखा जाय। एक अर्से से वहां पर जमीन दी जा चुकी है पर वहां पर कोई भी उद्योग चालू नहीं हुआ है।

आठवीं बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो उद्योग नीति है उसमें विज्ञापन की नीति है। आज उद्योगपति, बिजनेसमैन विज्ञापन पर जो खर्चा करता है उसको उत्पादन में जोड़ दिया जाता है। उस के बारे में मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से कीमतों में बड़ा भारी फर्क पड़ जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह बात कतई वाजिब नहीं है। विज्ञापन का जितना खर्चा होता है उसको उत्पादन में नहीं जोड़ा जाना चाहिये। यह उद्योग नीति उपभोक्ता के लिये फायदेमन्द होगी।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज के वैज्ञानिक तरीके और सार्वभौमिक सिद्धांत पर उत्पादन के साधनों पर किसी भी मुल्क में जिस तबके के लोगों का कब्जा है उन्हीं के मुताबिक कानून बनेगा। आज हम देख रहे हैं और यह चर्चा चली जबसे मांग पर बहस शुरू हुई है ब्योरेवार बताया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने हमारे यहां की खनिज सम्पदा पर कब्जा कर रखा है और तमाम उद्योगपतियों के कब्जा करने का नतीजा यह हुआ कि वही लोग राजनीति के अन्दर हैं वही लोग प्रशासन में हैं, वही लोग देश के शीर्ष स्थानों पर हैं और आम आदमी 80 प्रतिशत हैं, उनमें भयंकर आक्रोश है, गरीबी है। मैंने यह बात शुरू में कही थी उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में ही नहीं, यह पहल तो करें प्रगतिशील विचारों का होने के नाते उद्योग नीति में परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों पर आम आदमी का कब्जा होना चाहिये बजाय एक दो परिवार या चार छह परिवारों के। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं सरकार में उनको मेरे जैसे सदस्य को यह सभी बातें कहना और यह मशविरा देना अच्छा नहीं लगता, यह तो, उपाध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है जैसे

(श्री सम्पत सिंह)

कि सूरज को दीपक दिखाना फिर भी बेरोजगारों की जो मंशा है, उनकी बात सरकार तक पहुंचा रहा हू ।

खनिज सम्पदा जो हमारी है उसके बारे में भी मैं थोड़ा संक्षेप में अर्ज करना चाहता सबसे पहली चीज जो आदमी के मन में खटकती है वह यह है कि जितने भी उद्योगपति हैं वह इन खनिज सम्पदाओं पर कब्जा किये हुए बैठे हैं सोसायटी बनाकर उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने सुना कि एक ही आदमी इन पर कब्जा किये हुए है तो इन लोगों ने सोसाइटीज बनाकर लीज ले ली । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही वेग और फर्जी सोसाइटी बनी हुई हैं । आज उनमें एक अध्यक्ष तो नामजद होता है व्यक्तिगत बाकी सारे बेनामी होते हैं और वही लोग उसका फायदा ले रहे हैं । उदाहरण के तौर पर कोई भी आप देख लीजिये या तो वह किसी हरिजन के नाम पर लीज ली होगी या किसी शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर होगी या कोई आदिवासी के नाम पर होगी । तमाम बिजनेसमैन, जो बिजनेस एकल हैं के पास है उनका कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है । यह ओपन सीक्रेट है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बेनामी लीज चल रही है । सरकार की तरफ से फौरन इनको बन्द किया जाय और इनको सख्ती से बन्द किया जाय ।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में चार तरह की खनिज सम्पदा है । एक तो खान सेड़ा की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । दूसरी सीलीका में कपूरा से ताजपुर में सैण्ड स्टोन है । वहां पर एक ही व्यक्ति कब्जा किये हुए है उसका नाम है ललिता प्रसाद इसके पास सैण्ड स्टोन की लीज है । इतनी प्रेसियम चीज है कि इस इलाके के अगर किसी गरीब को अपनी रसोई बनानी हो तो उसको भी दस पट्टी लेनी पड़ेगी । आम उपभोक्ता की चीज एक आदमी के पास चली आ रही है, ललिताप्रसाद के पास । उसके उपरान्त कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने पर्सनली उनकी लीज बढ़ाई सारे रूल्स का वायोलेशन करके। फोरेस्ट की जमीन थी उन सब नियमों को तोड़ा इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि पता नहीं क्या बात थी जिसके कारण हमारे मुख्य मन्त्री जी ने व्यक्तिगत तौर से उनको ओब्लाइज किया है ।

(व्यवधान)

जी हक तो उनका ही बनता है और जब राजा ही नहीं रहे तो आप भी नहीं रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सम्पत सिंह : चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह रेन्ज की बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मुश्किल से दो-चार मिनट लगेंगे । एक कन्जोरी लाइन में पहाड़ ताल घाट का पहाड़ है जिसमें ब्लैक स्टोन है, हार्ड खण्डहर है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोग अरसे से कब्जा किये हुए हैं । काफी अरसा हो गया, पता नहीं क्या बात है बार-बार इन्क्वायरी हो रही है पर वह आउट नहीं होता कि वह कौन है, कोई राजनीतिज्ञ है या कोई सेठ बिजनेसमैन है । जैसा कि निवेदन किया कि कमजोर वर्ग

(श्री सम्पत सिंह)

का तॉल्लुक रहे पर वह न तो कमजोर वर्ग का आदमी है, न शिड्यूल्ड कास्ट का है, न ही मजदूर वर्ग का है। रिकार्ड में हथौड़ा चलाने वाला के नाम से लीज दी हुई है पर वह सेठ 15-20 साल से चला आ रहा है और उस प्लाट पर बैठा है जो कि हजार गुना ज्यादा है। जहां तक नजर जाती है वहा तक उसने अपना बता रखा है।

माइनर मिनरल के बारे में किसानों को छूट के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पांच रुपया, उपाध्यक्ष महोदय, अपने मकान बनाने के लिए पत्थर की रायल्टी के पैसे जमा कराने पड़ते हैं तब पत्थर मिलता है लेकिन यह बेनामी पट्टे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है अगर ध्यान दे तो यह बीमारी मिट सकती है। प्रोविडेण्ट फण्ड से बचने के लिए कमजोर लोगों के नाम पर पट्टे ले लिये हैं। मिनिमम वेजेज से बचने के लिये, कमजोर और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग बता रखे हैं। बोनस एक्ट से बचने के लिए, माइन्स सेफ्टी एक्ट से बचने के लिए सबसे ज्यादा आपके आयकर से बचने के लिए गरीब लोगों के नाम बता रखे हैं। अगर सरकार अपनी बुद्धि कौशल से काम करे तो रास्ता निकाल सकती है और जो भी बेनामी ट्रांजेक्शन है उनके पट्टों को समाप्त किया जा सकता है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह है लीज सिस्टम के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रिमिटिव सोसायटी की याद दिलाती है। जैसे राजा लोग जागीर बख्शते थे उसी तरह आज के राजा हैं चाहे यह डेमोक्रेटिक ही सही पर हालात यही हैं वह भी अपने नुमाइन्दों को अपनी पसन्दगी के लोगों को जागीर बख्शते हैं ये लीज दे रहे हैं। यह आज के जमाने में हर्गिज काबिले बर्दाश्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट वर्किंग होना चाहिये कि कितने लेबर हैं, कितने राजस्थान में लोग हैं जो काम करते हैं उनको पेमेण्ट किया जाय जिससे हमारी बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या मिटेगी और यह आज जो बिचौलिये आ चुके हैं उनका खात्मा होगा। यह सोसायटी के लिये कैन्सर है जो खतम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के मुख्य मन्त्री जी मजबूरी में जो आज पीने के पानी पर टैक्स लगाते हैं या बिजली पर टैक्स लगाते हैं वह इस फिजूलखर्ची को रोक दें तो इस किल्लत को खतम किया जा सकता है। अगर यह हो गया तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में 16 के.वी. है जिसमें बड़ा फरेब हुआ है। आठ लाख का फरेब हुआ है उसके फरेब की जांच की जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस.एम.डी.सी. ने जितनी लीज दी है चाहे नीम का थाना हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे कोई और हो उद्योग विभाग ने जो लीज दी उनको लोगों ने सब लेट कर दिया। सब लेट करने का कहीं कानून में प्रावधान नहीं है, कैसे रोजमर्रा वायलेट हो रहे हैं कानून, कैसे वह उनको सबलेट कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रेंगिंग कांट्रेक्ट की वजह से हुआ है इसकी जांच की जाये।

(श्री सम्पत सिंह)

आखिर में निवेदन करूंगा यह जो रेवेन्यू का लास हो रहा है खनिज की वजह से उसके बहुत सारे कारण हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे और उसको रोके।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं संक्षेप में सिर्फ दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। फारेस्ट का क्या हो रहा है? लीज नहीं दी जबकि वहां कोई पेड़ नहीं है, वन नहीं है। ऐसी जगह लीज दे दी जाये तो सरकार को आमदनी ही होगी। उनको यह धोखा रहता है कि कल हमारी लीज रहे या नहीं। हरी पहाड़ी को खतम कर रहे है खनिज सम्पदा के लिये। अगर उनमें सुरक्षा की भावना हो तो वह धीरे-धीरे उस प्रोड्यूम को निकालें। लेकिन उनमें असुरक्षा की भावना है इसलिए बड़े-बड़े खनिजों को वह एक साथ में निकालने की हवस में खतम किये जा रहे हैं हमारी सम्पदा को। इससे रेवेन्यू भी बचेगा और वेस्टेज भी बचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : अगर यह शर्त इम्पोज करने लग जाए, मान लीजिये, मुझे लीज दे दी तो वह मुझ पर बंदिश लगा दें आपको 100 पेड़ अपने प्लाट पर लगाने पड़ेंगे, हजार पेड़ लगाने पड़ेंगे और जितनी आमदनी होगी उस तरह से, वह सरकार की होगी, फलदार वृक्ष होगा तो उसकी आमदनी अलावा में होगी तो इससे रेवेन्यू लास हो रहा है व बचेगा और पेड़ भी बचेगा। पर्यावरण की समस्या भी कुछ न कुछ हल होगी ही।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : आखिर में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आयोडाइट के उत्पादन के लिए यह जो शोषण हो रहा है उसको रोका जाये। दूसरे प्रान्तों में जो हो रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाये। चाहे वह नमक हो। हालांकि केन्द्र से सम्बन्धित है। हमारा प्रोड्यूम फिर भी उसको रोका जाये। इससे राजस्थान की जनता लाभान्वित होगी। संक्षेप में निवेदन करूं कि जितने भी आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं उद्योग और खनिज में, आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार कहिये, चाहे मुख्य मन्त्री महोदय हरिदेव जोशी की सरकार कहिये, उनके रहनुमाओं की सरकार कहिये, सारा राजस्थान इन चीजों को याद करेगा। हमारी आमदनी मे रातों-रात आनन फानन में फर्क पड़ सकता है लेकिन राजनीतिक सोच को बदलना पड़ेगा, यही मेरा निवेदन है।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ परिहार।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग एवं मांग संख्या 43 खनिज के विषय पर मुझे आपने चर्चा की अनुमति दी है, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भारत देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। हमारे देश की नीति है कि हमारे देश में उद्योग बढ़ें, उत्पादन बढ़े और हमारे देश की जो उत्पादित वस्तुएं हैं वह सस्ती और सुलभ मिलती रहें। वैसे यह भी कहा गया कि Be indian by indian हम देश में

(श्री रघुनाथ परिहार)

उत्पादित वस्तुओं को ही खरीदें, काम में लायें ताकि उससे हमारी उत्पादकता बढ़े। मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि वैसे आपने इस वित्तीय वर्ष में उद्योगों और खनिज के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान रखा है, बड़े उद्योगों के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और आदिवासी क्षेत्र भी मेरे क्षेत्र से लगता हुआ है, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिलों का जो औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है उसमें पाली जिला दुर्भाग्य से महरूम रह गया है, हमारा वर्गीकरण "ब" श्रेणी में किया गया है। पाली जिले में एक कपड़े की मिल, उम्मेद मिल के नाम से है और पर कैपिटा इनकम इस मिल में उत्पादन के अनुसार हमारे पाली की मांडी जाती है इसलिये हमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला माना गया है। पाली शहर से मेरा क्षेत्र 125–150 किलोमीटर पड़ता है। माडा योजना के अन्तर्गत मेरा पाली विधान सभा क्षेत्र है उसमें चालीस गांव हैं वह भी इस श्रेणी से प्रभावित होते हैं। मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एक जिले में एक मिल हो तो उसकी सजा पूरे जिले को क्यों भुगतनी पड़े, हमारे आदिवासी भाइयों को क्यों भुगतनी पड़े। वहां वह बेरोजगार बैठे हैं। वह अपने गांव में लघु कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं। छोटे-छोटे शिल्पी, चमड़े का काम करने वाले, लुहार और हाथकरघा चलाने वाले लोग अपने-अपने घरों में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। जो श्रेणी वर्गीकरण किया गया है उसका कुप्रभाव हमारे जिले में पड़ रहा है और उसके लाभ से वह वंचित हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी जिले सिरोही को "अ" श्रेणी में रखा गया है। वहां पच्चीस प्रतिशत तक का अनुदान निर्माण में, मशीनरी में और सारे एस्टेब्लिशमेन्ट में उनको दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार के यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसी वर्ष 1985 में उद्योगों को कई तरह की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। एस. टी. के लोगों को कम से कम ब्याज की दर पर ऋण, अनुदान की राशि, बिजली पर छूट और आक्ट्राय पर छूट आदि इस तरह की कई सुविधायें देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। यह कदम उठाने से आशा है कि हमारे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो रियायतें दी हैं उद्योग विभाग के अधिकारीगण अथवा उद्योग मन्त्रीजी इस बात के लिए भले ही खुश हो सकते हैं कि हमने आक्ट्राय, चुंगी से मुक्त कर दिया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां नई नगरपालिकायें बनी हैं वहां उद्योग लगाने पर पांच साल तक उनको चुंगी की छूट दी है इससे नगरपालिकाओं के कंधों पर भार पड़ रहा है और वाह-वाही उद्योग विभाग लूट रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जितना चुंगी कर बनता है उद्योग विभाग का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और उतनी राशि राज्य सरकार को उद्योग विभाग से लेकर नगरपालिकाओं को मुआवजे के तौर पर देनी चाहिए। नगरपालिका जो अभी शैशव अवस्था में है उसकी विकास योजनायें हैं, पानी-बिजली की योजना है, सड़कों की, नालों की, शौचालयों की योजना है, वह पैसा अपने विकास में

(श्री रघुनाथ परिहार)

लगायेंगी। शहरी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए वह पैसा उनको मिलता रहे।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, इस उद्योग विहीन आदिवासी क्षेत्र को माडा का क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। वहां कई ऐसे उद्यमी हैं जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जन जाति के जो बेरोजगार हजारों की तादाद में हैं वह वहां रोजगार पा सकते हैं और उनकी रोजगार की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की यह नीति रही है और जब भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी बम्बई, पूना, मद्रास कलकत्ता पधारते हैं तब वहां जो राजस्थान के प्रवासी हैं उनसे मिलकर राजस्थान में उद्योग लगाने की बात करते हैं, उनको सुविधा देने के लिए आश्वासन देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं गोरवाड़ का क्षेत्र अथवा पाली जिला के हजारों प्रवासियों ने गुजरात, बम्बई, दक्षिण भारत और मद्रास में अपने उद्योग लगाये हुए हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है जिन्होंने राजस्थान में उद्योग लगाये थे चाहे फालना में हो, चाहे रानी में हो, चाहे पाली शहर में हों उन्होंने अपने उद्योगों को वहां से छोड़कर दक्षिण भारत में उद्योग लगा लिये हैं। आज भी वे जब हमारे बीच में आते हैं तो बताते हैं कि हम गुजरात में जाना ज्यादा पसन्द करते हैं। उनसे पूछा कि क्या बात है वहां पर तो उन्होंने कहा कि उन राज्यों में हर जिला स्तर पर ऐसे प्रकोष्ठ कायम किये हुए हैं जहां उद्योग अधिकारीगण नये उद्यमियों को ढूंढते हैं, सर्वे कराते हैं। इन्टरप्रिन्योर्स नये उद्योग लगाना चाहते हैं उनके आंकड़े मौजूद हैं। उनके पास औद्योगिक स्कीम लेकर आते हैं वहां के अधिकारी जबकि यहां दुर्भाग्य की बात है जन-प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के अधिकारीगण के पास है, उद्यमी पहुंचते हैं और वह अधिकारियों से बात करते हैं तो वह अधिकारीगण समझते है कि उनके लिए कोई नया मामला लेकर आये हैं। जब तक यह नीति नहीं बदलेगी हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी गांव-गांव में नहीं घूमेंगे, वहां पर जो प्राकृतिक पैदावार होती है उससे क्या चीज बन सकती है, कौन से कुटीर गृह उद्योग लग सकते हैं ऐसी योजना बनाकर उद्योग विभाग के अधिकारीगण हमारी पंचायत समितियों की बैठकों, जिला परिषद् की बैठकों में सर्वे रिपोर्ट नहीं देंगे, खनिज की रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आयेगी

(10.00 रात्रि)

जब तक हमारे दिमाग में यह नहीं आयेगा कि हमारे पड़ौस के गांव में, हमारे पड़ौस के पहाड़ में, हमारे नदी के उस किनारे जो चीज उपलब्ध है उसका विकास करके रोजगार के लिए साधन हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में बैठकर हम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय हमें उत्पादन बढ़ाने, रोजगार देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये का इनवेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। क्यों हमारे राजस्थान के लोग दूसरे प्रान्तों में उद्योग लगाने के लिए लालायित रहते

(श्री रघुनाथ परिहार)

है ? एक ही प्रकोष्ठ एक ही ऐसी कमेटी हो कि जिला स्तर पर बैठकर वही तो जमीन के मामले का फैसला करे, वही नक्शे बनाये, वही तकनीकी गाइडेन्स दे और वही कमेटी हमें बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करायें। एक ही कार्यालय में एक ही भवन में, एक ही बिल्डिंग में हमारी सारी सुविधायें उपलब्ध होंगी तभी हम मानेंगे कि हमें राजस्थान में सुविधा इस प्रकार से उपलब्ध होती है। हमारे उद्यमियों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा।

मैं आपको जो प्रशासनिक असुविधायें हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियम बने हुए हैं। उसमें जो धारा 2 है उसमें आज से दस साल पूर्व धारा 2 ए जोड़ी गयी और उसमें यह प्रोविजन रखा गया कि किसी भी उद्यमी, किसी भी खातेदार, कृषक ने अपनी भूमि, जो नगरीय क्षेत्र में है, को अकृषि कार्य में लिया है तो एक एकड़ तक 1500 रुपया वह प्रीमियम भरेगा। ग्रामीण क्षेत्र में है तो 500 रुपया प्रति एकड़ वह प्रीमियम भरेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले हैं कि लोगों ने पैसे भर दिये हैं, दस-दस साल पन्द्रह-पन्द्रह साल हो गए मगर हमें लीज डीड नहीं मिली। लीज डीड नहीं मिलने के क्या कुप्रभाव होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? हमें आर. एफ. सी. से लोन नहीं मिलता, हमें बैंक से लोन नहीं मिलता। वह लीज पट्टा हमारे लिए प्रवरा है। वह सम्पत्ति का टाइटल है, डाकूमेंट है जिसके माध्यम से हम ऋण लेकर हमारे उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और रेवेन्यू एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि एक उद्यमी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में से न्यूनतम 500 गज तक भूमि उद्योग कार्य हेतु परिवर्तित कर सकता है, वाणिज्य कार्यों के लिए परिवर्तित कर सकता है। मगर आप देखेंगे कि उसके लिए भी हमें लीज डीड लेने के लिए जिलाधीश के यहां जाना पड़ेगा। पटवारी से लेकर गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर तक हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हमारी स्वयं की वही भूमि हम गांवों में उद्योग लगाने के लिए काम में लेना चाहते हैं, हम रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं और हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपसे निवेदन करूंगा कि लीज डीड के मामले में, प्रशासनिक मामले में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, स्टाम्प ड्यूटी का अवमूल्यन, आफिसर्स के सिगनेचर्स, ड्राफ्ट नहीं मिले, उसका प्रारूप आपको नहीं मिले और आपको वकील करना पड़े इससे ज्यादा शर्म की बात मैं तो कहूंगा कि एक उद्यमी के लिए नहीं हो सकती है। इतनी प्रशासनिक दिक्कतें हैं कि आदमी हैरान हो जाता है, तंग हो जाता है। पंजीकरण के लिए हालांकि समितियों के स्तर पर एक इन्सपेक्टर के पद की स्थापना की गयी है। वह फार्म भरा देता है, वह आपकी तकनीकी रिपोर्ट भी तैयार करता है मगर हमारे उस पंजीयन में वर्षों लग जाते हैं। क्या स्कीम है, कब उसको कच्चे माल का परमिट मिलेगा, कब सीमेंट मिलेगी, लोहा मिलेगा, यह र मिलेगा, यह सारी प्रक्रिया इतने अन्धकार में है कि उद्योग लगाने वाला दो साल तक तो दफ्तरों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से फिरता रहता है

(श्री रघुनाथ परिहार)

और उसका दिल ऊब जाता है। उसे गारन्टी नहीं कि उसे बिजली के कनेक्शन कब मिलेगा। उसे यह गारन्टी नहीं कि उसको परमिट कब मिलेगा। इस तरह यह प्रशासनिक असुविधायें हैं। मैं तो कहूंगा प्रशासनिक अड़चनें हमारे उद्योग में बहुत बड़ी बाधक हैं और इसी कारण से हम पीछे रह रहे हैं। राजस्थान में यह सुविधायें जब तक दूसरे प्रान्तों के मुकाबले नहीं बढ़ेंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यू. पी. में अलीगढ़ में बैठे हुए हर घर में ताले बनते हैं बढ़िया से बढ़िया, अच्छे-अच्छे सामान बनते हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण में शोलापुर में हैंडलूम की बैड शीट्स चादरें कितनी अच्छी-अच्छी बनती हैं और वह बनकर हमारे राजस्थान में आती हैं। तो क्या हम उन प्रान्तों की तरह जो वहां के गांव के कुटीर उद्योग चल रहे हैं हमारे गांवों में भी घर बैठे दो दो लूम लगाकर हैंडलूम या पावरलूम लगाकर हमारे बच्चों का जीवन पाल सकेंगे? क्या हम एक ऐसी तस्वीर राजस्थान की दूसरे प्रान्तों के मुकाबले बना सकेंगे? इसके लिए हमें सोचना पढ़ेगा और गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक शिक्षित बेरोजगार की योजना लागू की गयी है। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिराजी, जो हमारे देश की प्रधान मन्त्री थीं, वर्ष 1984 में यह योजना प्रारम्भ की। इसमें शिक्षित बेरोजगारों को 25 हजार तक की राशि दी जाती है जिसमें 25 प्रतिशत तक अनुदान बैंकों के माध्यम से दिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में।

श्री रघुनाथ परिहार : इस प्रक्रिया में जो प्रशासनिक कठिनाइयां हैं वह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मुझे करीब सवा तीन साल तक पंचायत समिति वाली का प्रधान रहने का भी मौका मिला है। इस योजना का, आप देखेंगे, श्रीमान, जिले में कितना टार्गेट है। कब चयन होगा, कौन चयन करेगा समितियां, जिला परिषदें और विधायक किसी को कोई सूचना नहीं है। जितने भी लोगों को बैंक से ऋण मिला है हमने चुपके से जानकारी से ज्ञात किया है वह पैसे वाले लोगों को मिला है जिनके मां बाप इन्कम टैक्स भरते हैं और जिनके बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। उन्हीं के पुत्रों को और पोतों को वह ऋण मिला है। तो इस प्रकार से हमारे ऐसे लोग जो गांवों में ट्राइसम की योजना में सीखे बैठे हैं, जो आई. टी. आई. का प्रशिक्षण लिए हुए बैठे हैं, इन को लाभ नहीं मिला है। तो इस योजना में भी हमें प्रशासनिक सुधार करना पड़ेगा। जब चयन होता है तब उसमें संबंधित प्रमुख और विधायक बैठें। मैं तो आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तर पर अगर 500 का टार्गेट फिक्स किया गया है तो आबादी के अनुसार पंचायत समितिवार वह लाभ बांटा जाना चाहिए। बेरोजगारी सब जगह है। सब जगह रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रक्रिया में भी बहुत ही सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लघु उद्योग निगम द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण की योजनायें चलाई जा रही हैं चाहे वह दरी पट्टी की हो, चाहे गलीचे की हो। कई तरह की हैं। लघु उद्योग निगम की रिपोर्ट दी गयी है उसमें

(श्री रघुनाथ परिहार)

बताया गया है कि हम 60 रुपया प्रति माह निर्वाह भत्ता देते हैं ऐसे लोगों को जब कि आई. टी. आई. द्वारा 150 रुपया मिलता है। तो उन्हें भी यह निर्वाह भत्ता उनके बराबर करना चाहिए इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आदिवासी क्षेत्र मेरी वाली पंचायत समिति में है उसमें प्रधान की हैसियत से ट्राइसम योजना में 200 महिलाओं को हाथकरघा और अम्बर चरखा का प्रशिक्षण दिलाया है। 75 रुपया माहवार उनको देते थे तब तक तो उन्होंने काम किया उसके बाद जो अम्बर चर्खा का प्रशिक्षण उन्होंने दिया था वह आज अम्बर चरखे उनके घरों में पड़े हैं। आदिवासी क्षेत्र में कौन तो उनकी रुई की पोनी दे और कौन उनका कच्चा माल खरीदे। ऐसी अव्यवस्था है कि प्रशिक्षण लिए हुए लोग भी आज अपने घरों में बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत हाथकरघा निगम की स्थापना की गयी है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस निगम के अधिकारी मेरे क्षेत्र में पहुंचे और आज जो 200 महिलायें अम्बर चरखा चलाना सीखे हुए बैठी हैं उनको किसी योजना में रोजगार दें तो वह बहुत ही आभारी रहेंगी।

आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रीको एक बहुत बड़े उद्योग से सम्बन्धित काम्पलेक्स है। रीको के बिना उद्योग नहीं लग सकते ...

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में।

श्री रघुनाथ परिहार : रीको के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वाली में फालना एक बहुत बड़ा पुराना औद्योगिक केन्द्र है। स्वर्गीय हरिश्चन्द्र जी माथुर के नाम से उसकी स्थापना हुई और केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने उसका शिलान्यास सन् 1960 में किया था। आज उद्योग विभाग की कृपा से वहां 60-70 इकाइयां कार्य कर रही हैं। 200 बीघा जमीन का एक दूसरा चरण स्थापित करने के लिए भूमि भी जिलाधीश ने रीको को दी है। उसके भविष्य का मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल हो गई करीब 300 आदमियों ने पांच पांच सौ रुपये की राशि जमा करा दी। पता नहीं आज उस जमीन की नपनी हुई या नहीं, सर्वे हुआ या नहीं, नक्शे बने या नहीं? पता नहीं, जैसे पंचवर्षीय योजना सरकार बनाती है, वैसे ही रीको भी अपनी नपाई की और नक्शे को पचवर्षीय योजना बनाता है क्या? हमें पता नहीं, हमारे नये उद्यमियों को कब प्लाट मिलेंगे, कब वह फाइनन्स की सुविधा करेंगे और कब हम आगे बढ़ेंगे? इस तरह से यह काम जो हाथ में लेते हैं अगर उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो वास्तव में उन्हें काम हाथ में नहीं लेने चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे फालना में उद्योग मण्डल है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। सस्ती से सस्ती जमीन देकर सड़कें बनाई हैं, बिजली की योजना बनाते हैं और आज 60-70 उद्योग वहां चल रहे हैं।

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारीगण तुरन्त ही इस भूमि फालना उद्योग मण्डल क

(श्री रघुनाथ परिहार)

सुपुर्द करें। हमारे क्षेत्र में रोजगार खुलें तो यह हमें बहुत बड़ी सुविधा होगी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब मैं खनिज के पाइंट पर कहना चाहूंगा कि खनिज के विपुल भण्डार राजस्थान में हैं। हमारा अरावली पहाड़ का जो क्षेत्र है सिरोही से और उदयपुर से लगता हुआ वह 70, 80 किलोमीटर तक लम्बा है। उसका सही सर्वे नहीं हुआ है। कई तरह के खनिज का लाभ हम उससे ले सकते हैं यदि उनकी उचित सर्वे कराई जाय और उसकी हमें जानकारी दी जाय।

इसके साथ श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। अभी 6-6-85 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे उस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में हुई जहां कि वेलगम माइन्स हैं जो कैलशियम का पत्थर निकालते हैं। वहां एक ट्रक मजदूरों को लेकर जा रहा था उसके उलटने से 8 मजदूर मर गये और करीब 70 घायल हुए। अब तक किसी की कम्पनी के, माइन्स के मालिक ने सुध-बुध तक नहीं ली। मैं मौके पर पहुंचा, उनको अस्पताल ले गया। हमारे विकास अधिकारी और प्रधान मौके पर पहुंचे। हमने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया, उन्होंने तुरन्त ही 38 हजार की राशि उन लोगों के मुआवजे के तौर पर मुख्य मन्त्री कोष से दी। राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां भी उद्योग चलते हों, जहां भी खनिज माइन्स चलती हैं जिन उद्योगों में 10-10, 12-12 साल के बच्चे काम करते हैं उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, उनको मस्टर रोल पर और हाजरी लिस्ट पर नहीं लिया जाता है, ऐसे उद्योगों की भी जांच की जाय और जो उनके खून की कमाई का पैसा वे इकट्ठा करते हैं दुर्घटना होने पर लोगों को मुआवजा दिया जाय और सहयोग दिया जाय।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर आपको धन्यवाद करता हूं।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज खनिज के बारे में काफी चर्चा हुई। हमारे यहां करीब करीब जी. एस. आई. ने 8 हजार करोड़ से अधिक खनिज सम्पदा का असेसमेंट किया है। आज रॉक फास्फेट पर काफी चर्चा हुई और सुश्री गिरिजा व्यास ने काफी मसले उठाये। आज जिस हालत में रॉक फास्फेट गुजर रहा है उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसका कुछ न कुछ हल निकाला जाय। यह काफी पुरानी बात है जो हमने सदन में बड़े जोरों से उठाई थी सलादीपुरा के पाइराइट और राक फास्फेट के बारे में। फास्फेट बेनिफिसियेशन प्लांट भी नहीं लगा था उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, हम प्लानिंग कमीशन के उस समय के वाइस चेयरमैन डी. पी. धर से भी मिले थे। पार्लियामेंट की पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी को भी इन्वाइट किया था सलादीपुरा में। उस समय यह बात चली थी कि राक फास्फेट और पाइराइट पर बेस्ड कोई बहुत बड़े रूप

(श्री मोहन छंगाणी)

में एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर का कारखाना चलाया जाय। यह सही है कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति कभी भी सही नहीं रही। उस वक्त भी यह बात उठी कि अगर राक फास्फेट को हमने फर्टिलाइजर प्लांट का पार्ट बना दिया तो राजस्थान सरकार को जो रेवेन्यू राक फास्फेट से मिल रहा है वह मिल नहीं पायेगी। इसी कारण राक फास्फेट और पाइराइट को मिलाकर सलादीपुरा में जो 500 करोड़ के करीब का फर्टिलाईजर प्लांट डाला जा रहा था जिसके करीब करीब श्री डी. पी. धर ने मन्जूरी दे दी थी, राजस्थान सरकार के द्वारा इसका दोहन और उससे रेवेन्यू के कारण उससे आमदनी के कारण यह राक फास्फेट उनको नहीं दिया गया, कारखाना नहीं डाला गया। उस समय जिस चीज का डर था इस तरह राक फास्फेट का एक्सप्लायटेशन होगा तो राक फास्फेट की यही हालत होने वाली है, वह खस्ता हालत में रहेगा और हम एक बड़े फास्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट से पूरे के पूरे वंचित रह जायेंगे। अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम राक फास्फेट और सलादीपुरा के पाइराइट, जिसका कोई दोहन नहीं हो रहा है, के बारे में कोई निश्चित नीति बनायें। अब भी जरूरी है, ओ. एन. जी. सी. राजस्थान सरकार को बार बार कह रही है कि आप कोई न कोई ऐसी तजवीज करो ताकि गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट वगैरह लग सकें। उसके लिए कम से कम राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिये ताकि राक फास्फेट की जो हालत है जो अपने पास करीब करीब मोनोपोली की तरह है वह छुड़ाई जा सके। सवाईमाधोपुर में बड़े बड़े प्लांट लग सकते हैं। गैस बेस्ड जो भी प्लांट लगने चाहिये इण्डस्ट्री लगनी चाहिये उसके बारे में एसेंबली पहल करनी चाहिये दिल्ली सरकार के पास और ओ एन. जी. सी. के पास ताकि बड़े से बड़ा गैस का हिस्सा ले सकें। उसके बारे में राजस्थान सरकार जिस तरह से पहल कर रही है वह निश्चित तौर से उपाध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। उसमें न तो जोश है। न कोई सपना है इंण्डस्ट्रियलाइजेशन का। हमारे पास वित्तीय साधन भी नहीं हैं कि हम अपने यूनिट ज्यादा करें। तो कम से कम हमारा हिस्सा सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट का जो भी मिलता है वह ज्यादा से ज्यादा हो सके यह मैं नहीं मान रहा कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट से ही डवलपमेंट होता है। यह जो धारणा चल रही है इसको मैं नहीं मानता। सैन्ट्रल इन्वेस्टमेंट हालांकि बिहार में बहुत है फिर भी एम्पलायमेंट और उसके जो साधन होने चाहिये वहां नहीं सुधरे। फिर भी अपने यहां कोशिश करके जितने अपने यूनिट लगा सकें, गैस बेस्ड यूनिट लगा सकें, क्योंकि जैसा आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ने बताया था कि सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक हम बिजली का पूरा उत्पादन नहीं कर पायेंगे, न सैल्फ सफीशियेंट होंगे और अन्त तक जो हमारे पास 26 या 27 प्रतिशत पीक पीरियड की जरूरत है उसमें कमी रहेगी। इसलिये मैं आपके द्वारा नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम राक फास्फेट और पाइराइट के बारे में कोई न कोइ नीति निर्धारित करें।

पहली बात दूसरी बात 8 हजार करोड़

(श्री मोहन छंगाणी)

का अपने पास है ही और 1500-1600 करोड़ का जिप्सम है। जिप्सम आधारित उद्योग कोई भी खुल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं खुल रहे हैं कि पहली बात तो जिप्सम का जो पर्सेन्टेज होना चाहिये कुछ माइन्स हमने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को दे रखी थीं उसका उपयोग भी अब बन्द हो गया है। अब 1500-1600 करोड़ का जिप्सम या तो फर्टिलाइजर में काम में आ सकता है या सोइल कन्डीशनिंग के काम में आ सकता है। उसके बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। हमारा लो ग्रेड का जिप्सम है। उसको बेनिफिसियेशन के जरिये अच्छे ग्रेड का बनाया जा सकता है जो अच्छे ग्रेड्स की माइन्स हैं जैसे मोहनगढ़ व गैरह को 99 पर्सेन्ट की माइन्स हैं उसको दूसरी तरह से उपयोग लाया जा सकता है। इस बेनिफिसियेशन प्लांट की टैक्नालाजी के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। सिर्फ रोमानिया और इटली में यह टैक्नालाजी है। उसका कम से कम यहां प्रयोग करें जब कि हमारे इटली के साथ काफी अच्छे संबंध सुधरे हैं। यहां तक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने इटली को ठेके पर दिये हैं बावजूद हमारी सारी क्षमता होने के तो अब इटली से इटली की जो यह जिप्सम की टैक्नालाजी है राजस्थान में लाई जाय ताकि हम जिप्सम का उपयोग कर सकें।

दूसरी बात यह है सोइल कण्डीशनिंग के रूप में प्लानिंग कमीशन ने कई ऐसी स्टडीज की है वह सारी की सारी जो वाटर लाग सोइल हैं, जिनकी इनफर्टिलिटी काफी हाई है उसमें जिप्सम का प्रयोग हो सकता है पर चूंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह काफी कास्टली है इसलिये इसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन का जो रिक्लेमेशन का प्रोग्राम है वाटर लाग सोइल का या खराब सोइल का उसमें अपना जिप्सम काम आ सके चाहे बेनिफिसियेशन के बाद काम आये चाहे जैसा है वैसा ही काम आये इसके लिये भी राजस्थान सरकार को कुछ न कुछ योजना बनानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, 8 हजार करोड़ में बहुत सारे माइनर और मेजर मिनरल हैं। इस बीच मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे आज ही सूचना मिली है कि यहां से जियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया का सारा का सारा स्टाफ और आफिस गुजरात जा रहा है। यह करीब करीब तय हो चुका है कि जी. एस. आई. शीघ्र ही जयपुर से अपना स्थानान्तरण कहीं न कहीं गुजरात में कर देगी। उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ जमीन मांगी थी रिहायशी मकानों के लिये और आफिस के लिये। अगर वह जमीन रिहायशी मकानों के लिये, आफिस के लिये राजस्थान सरकार देने में सक्षम नहीं है तो वह जल्दी से जल्दी जी एस - आई. का आफिस यहां से गुजरात ले जायेंगे। इससे हमें बहुत बड़ी हानी होगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिये ताकि जी. एस. आई, का आफिस यहां बना रहे। उनको जो भी जमीन की आवश्यकता है जो उन्होंने निवेदन किया है उसके हिसाब से उनको अलाटमेंट की सुविधा कराई जाय। जी. एस. आई. योगदान अपने मिनरल्स के शोध और बताने में काफी रहा है। आज जी एस. आई. का का आफिस यहां से चला जायेगा तो राज-

(श्री मोहन छगाणी)

स्थान राज्य को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिये जल्दी से जल्दी राज्य सरकार उनसे मिलकर बातचीत करें, बातचीत करके उनको जो भी जमीन चाहिये उस जमीन के अलाटमेंट की व्यवस्था करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने जो जमीन मांगी है उसके लिये भी पैसा लगा कर आफिस बनाने के लिये मकान बनाने के लिए सहयोग करने को तैयार है. हमारी सरकार पैसा लगाने में सक्षम नहीं है जमीन देने में तो कम से कम सक्षम है। इसलिये राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बुनियादी बात यह है कि आज एकाधिकार की चर्चा बहुत चली और एकाधिकार निश्चित तौर पर खराब है। यह भी एक इलूजन है इस राजनैतिक इलूजन में कहूंगा, एकाधिकार अगर हमारा हो जाय तो समाजवाद आ जाता है। यह एकाधिकार हमारा समाजवाद नहीं लाता कम से कम किसी संस्था का सरकारीकरण करता है आज आर एस. एम. डी. सी. में जो भी व्यक्ति वे भी अच्छे हैं उसमें मुझे नहीं पड़ना है। पर आर. एम डी. सी. में या दूसरी जगह जो भी लीजेज आप देते हैं या आर.एस.एम.डी.सी. को जो भी मिनरल आपने दिये हैं उनका दोहन नहीं हो पायेगा। मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री सेमुसल ने कही थी, जब लंदन में बिजली आ गई, उसके पहले वहां मोमबत्ती के कारखाने लगते थे, मोमबत्ती का बड़ा भारी उद्योग था, सैकड़ों आदमी लाखों पोण्ड करोड़ों पौण्ड के उस मोमबत्ती उद्योग में लगे थे। जब बिजली लंदन में फैलने लगी तो उनके लिये मुश्किल हो गई कि अब क्या करें तो उन्होंने एक पिटीशन दी इंगलैण्ड के राजा को कि साहब ये हजारों आदमी और करोड़ों रुपया लाखों आदमी जिस उद्योग में लगे हुये हैं वह उद्योग अब ठप्प होने वाला है क्योंकि बिजली फैल जायेगी इसलिये आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप आज का आज यह आर्डर दे दें की सारे लंदन के मकानों में कोई भी खिड़की बिना परदे के नहीं रहे और सूरज की रोशनी नहीं आ पाये। अगर यह आप आर्डर देंगे लंदन में तब हमारा उद्योग पनप पायेगा। नहीं तो सारा उद्योग ठप्प हो जायेगा करोड़ों की पूंजी ठप्प हो जायेगी। तो इसलिये विकास कि प्रक्रिया में एकाधिकार की जो भावना है वह हमेशा उसको रोकती है यह मैं मानता हूं आर, एस. एम. डी. सी. में कैसे अफसर हैं कैसे नहीं इस बात में मैं जाना नहीं चाहता हूं। यह बात हो सकती है कि आर. एम. डी. सी. या ऐसे संस्थान चलाने के लिये कोई न कोई ट्रेनिंग होने चाहिये। अच्छे पढ़े लिखे, जो उस उद्योग में प्रशिक्षित हों, को उस उद्योग में लगाना चाहिये। यह एक राय है आई. ए. एस. आफिसर्स, जो जनरल्स के नाम से माने जाते हैं, को आप हर मर्ज की दवा समझते हैं, आज मुन्नालाल जी गोयल इण्डस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं कल हम उनको एनीमल हजबेन्ड्री में लगा देते हैं कोई ट्रेनिंग लेता है प्लानिंग की उसको हम उन विभाग में लगा देते हैं। इस तरह के मामले हमारे यहां हमेशा बनते रहते हैं पर इस बात में मैं नहीं जाता, मैं तो यह चाहता हूं कि जो भी मोनोपोली एकाधिकारवाद जहां भी पनपे उसको तोड़ना चाहिये चाहे व्यक्ति का हो चाहे सरकारी संस्था का हो। आज हमने चालीस साल के अनुभव से यह पाया है कि जिस भी संस्था का हमने सरकारी करण

(श्री मोहन छंगाणी)

किया है वह संस्था उस आब्जेक्ट के लिये कभी केटेलिस्ट नहीं बन पाई। यह हमारी निश्चित मान्यता है और आज हमारे अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कितने ही अच्छे अफसर लगा दो चाहे आनन्द मोहन लाल जी लगे हों, कैसे अफसर हैं इसके बारे मे यहां चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में नही जाता, कैसे भी अफसर आप लगादो वह अफसर उस केटेलिस्ट को उस आब्जेक्टिव प्राप्त करने के योग्य बना पायेंगे, सक्षम बना पायेंगे, यह मूल में भी धारणा इल्ज्यूरी है, यह असत्य है, यह मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी एकाधिकार चाहे आर. एस. एम. डी. सी को दिया हो, चाहे किन्हीं चंद व्यक्तियों को दिया हो उसको तोड़ना चाहिये।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो आज समाजवादी धारणा फैल रही है छोटे छोटे आदमियों को दे दिये जायं खनन पट्टे, यह कितनी सही है, कितनी सत्य है, इसको भी एक्जीमन करना चाहिये क्योंकि आज जहां उद्योग पनपें वहां पहला केटेलिस्ट एंटरप्रीन्योर रहा है, स्किल रहा है। जहां स्किल नहीं है वहां कभी भी उद्योग नहीं पनपे। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने जो इण्डस्ट्रियल सैन्टर खोले हैं जिसमें से 74 जनता पार्टी ने खोले है, यह पनार्नाडिस की योजना थी, इसमे कितने सफल रहे यह तो आप आंक सकते हैं, ओसिया मे इण्डस्ट्रियल सैन्टर खुला हुआ है, मैं रोज जाता हूं वहां पाटिया लगा हुआ है, मेरी पंचायत समिति में खुला हुआ है, पर जहां एण्टरप्रीन्योर नही है, जहां स्किल नहीं हो जहां कोई उत्पादन के साधन अपने आप पनपे नहीं हों किसी भी तरह का इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं फैल सकता। मैं अपने अनुभव की, उपाध्यक्ष महोदय, बात कहना चाहूंगा कि फलौदी में नमक क्षेत्र है। नमक क्षेत्र में सरकार ने एक पैसा भी नहीं लगाया। नमक था, एन्टरप्रीन्योर थे पूंजी अपने आप आ गयी। एन्टरप्रीन्योर पूंजी कैसे प्राप्त करता है, यह उसकी स्कील पर डिपेन्ड करता है। भले ही राज्य सरकार कितना भी इन्वेस्ट करे। आज मैं मानता हूं फाइनेन्स कारपोरेशन उस उद्योग को बढ़ाने के लिये पैसा देता है, जैसे माननीय सम्पत सिंह जी ने बात कही आयोडाइजेशन प्लांट के लिये आज आर. एफ. सी. काफी मदद कर रहा है, उसमें फिलअप आता है, उसमें तेजी आती है यह बात जरूर है पर बुनियादी जो शुरूआत हुई उद्योग की, आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, वहां बिजली नही पहुंची है बावजूद इसके की 33 के. वी. की लाइन वहां पहुंच गई पर बिजली की व्यवस्था नहीं, वहां रोड की व्यवस्था नहीं जिसके उपरान्त फलौदी का नमक उद्योग अपने आप अपनी स्कील के आधार पर अपनी हिम्मत और साहस के आधार पर पनपा है। आज आइडोइजेशन प्लांट के लिये हम पंचवर्षीय योजना में कह रहे हैं कि 1989–90 तक सारी की सारी नमक की जो खपत है जो कंजम्पशन है उतना आयोडाइजेशन कर देंगे, इस बारे में कोई न कोई प्लांट में वे चलें, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिये मदद करें, उसमे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसके लिए मदद करें। यह बात सब जगह है। आज सांभर का एरिया है, दूसरा एरिया है, जहां भी हो इस बारे में कोई न कोई समुचित आधार बनाकर किस तरह से उस उद्योग को

(श्री मोहन छंगाणी)

बढ़ावा दिया जा सकता है. कहां कहां बोटलनेक है उसको तोड़ा जा, सकता है। इसके लिए प्रयास करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे आज जो इण्डस्ट्री के बारे में बात चल रही है यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी पालिटिक्स भी काफी मैनेजमेंट के आधार पर चल रही है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज जो भी मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं वह सिद्धांत पालिटिक्स में लागू होना शुरू हो गये हैं। कम्पयूटर यह तय करता है कि कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस क्षेत्र में पॉलिटिक्स एक्टीविटी कैसी होनी चाहिये, कैसी नहीं होनी चाहिये। यह सौभाग्य मैं मानता हूं। पर जो पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट चल रहा है उसको परकोलेट करके कम से कम इण्डस्ट्री में लाया जाना चाहिये। अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट इण्डस्ट्री में आता है तो इण्डस्ट्रियलाइजेशन की शुरूआत अच्छी रहेगी, यह मेरी मान्यता है। महाराष्ट्र में जब 12 फाइनेंसियल, इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन खुले तब वहां पहला सिद्धांत लागू किया था सारे के सारे अहमदाबाद के मैनेजमेंट ट्रेनी वहां लगाये जायेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी लगाने के बाद उसकी जो शुरूआत हुई वह शुरूआत निश्चित तौर पर अच्छी थी। उसने महाराष्ट्र के इण्डस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह नहीं था कि आई.ए.एस. आफिसर खराब है पर आई. ए. एस. आफिसर हर एक आदमी हर काम कर सकता है, इस सिद्धांत को अब तो तिलांजलि देनी चाहिये। तिलांजलि देकर आज चाहे आर. एस. एम. डी. सी. हो, चाहे कोई भी उद्योग का संस्थान हो, उसमें हमको मैनेजमेंट के अच्छे ट्रेनी, सक्षम अधिकारी इस तरह के लगाने चाहिये ताकि इण्डस्ट्री की जो भी प्राब्लेम हों उसको समझ सकें। इण्डस्ट्रियलाइजेशन जो राजस्थान में नहीं हो रहा है, उसका सबसे बुनियादी कारण है कि हमारे जो उद्योग हैं, उनमें पैसा कम आता है, प्राइस कम आती है, प्रोडक्टिविटी कम आती है। आप सारे इण्डस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास देखें राजस्थान का, छोटी मोटी इण्डस्ट्री खुली, जिसका या तो रा-मैटीरियल दुगुनी कीमत में ब्लैक में बिकता था या ऐसी रॉ-मैटीरियल था जिसका दोहन करने के बाद, कीमत कमाई जा सकती थी। उनका उद्देश्य पैसा कमाना था। इसलिए जब भी एक उद्योग लगाता है, मैं यह जो कहता हूं अनुभव के आधार पर बात कहता हूं, जब प्राइस कम आती है इण्डस्ट्री में और प्रोडक्टिविटी नहीं कम आती है तो इण्डस्ट्रियलाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता। जब तक इस फंदे को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक इण्डस्ट्रियलाइजेशन की बात करना महज गुनाह होगा। आज जितनी इण्डस्ट्री लगी हुई हैं, जितने सीमेन्ट के पट्टे मिले उसमें अगर कीमतें अच्छी आती हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। प्राईस अच्छी आती है तो शायद वह उत्पादन करेंगे भी नहीं क्योंकि ड्यूअल प्राइजेज में ब्लैक में बेच देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट की हालत यह है. मसलन हमने 100 टन का सीमेंट का कोटा एक इण्डस्ट्री को दिया अगर वह 50 टन में ही मुनाफा कमा लेती है तो 50 टन उसको उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह का जो प्राईस मैकेनिज्म चल रहा है, ड्यूअल प्राइसेस सिस्टम चल रहा है, रॉ-मैटीरियल की की कास्ट हो उसी में इण्डस्ट्री डाली जाय,

(श्री मोहन छंगाणी)

उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाय, इस तरह की अगर धारणा रही और इस आधार पर सारे काम चलते रहे तो राजस्थान में कभी भी इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आज समय आ गया है जब राज्य सरकार अपनी निर्धारित इण्डस्ट्रियल नीति और खनन की नीति बनाये। उसके आधार हमारे अनुभव के आधार पर होने चाहिये। हम अनुभव को झुठलायें नहीं, अनुभव के आधार पर नीति का निर्माण होना चाहिये। कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कहां नहीं करना है, इस बारे में निश्चित मान्यता बना करके... अब जो हरिदेवजी जोशी की सरकार आई है तो सरकार को नई नीति देकर खनन के बारे में सुधार करने चाहिए, इतना ही निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा एक और कहना चाहूंगा 1–2 मिनट में। अभी एक माननीय मेरे साथी मोहनप्रकाशजी ने धौलपुर के बारे में बात कही। धौलपुर के बारे में इसलिए कहूंगा कि आज आगरा में यू. पी. की सरकार ने फाउंडरी स्थापित करने की स्वीकृति दी है। हमारे यहां 15 फाउंडरी धौलपुर में डालने के लिए 15 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इन आवेदन पत्रों को इसलिए स्वीकार नहीं करें कि आई. डी. बी. आई. और जो लोनिंग एजेंसीज हैं वे लोन नहीं दे रही हैं। अगर हमारे धौलपुर का इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो हमको सुविधा देनी चाहिए, जो भी उलझनें आती हैं उनको दूर करना चाहिए ताकि धौलपुर में कम से कम 15 नहीं तो 12, 14 फाउंडरी स्थापित हों, कुछ व्यापार बढ़े।

दूसरी बात वह कहना चाहूंगा जो मोहनप्रकाशजी ने भी बताई। इस इण्डस्ट्री जिसमें पानी का उपयोग होता है, का जब मेन कपोनेंट ही पानी हो, कोटा के माननीय सदस्य बैठे हैं कोटा में पाल्युशन का लेबल बढ़ गया है, अब और इण्डस्ट्री डालेंगे तो पाल्युशन और बढ़ जाएगा। पाल्युशन के खिलाफ हम कोई लड़ाई नहीं लडते सिर्फ बहस ही करते हैं। इसलिए चम्बल में काफी पानी है उस पर आधारित धौलपुर में उद्योग स्थापित किए जाय, उसके लिए सुविधा दी जाय और उनकी मदद की जाय। इतना ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय जो बुनियादी बातें हैं उनको सोचें और सी. एम. को बतावें और आगे कोई न कोई नीति का निर्धारण करें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से चर्चा समाप्त की जाय, साढ़े दस बज गए।

श्री भवरलाल शर्मा : मात्र दो व्यक्ति बोलना चाहते हैं, अगर 5-5 मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों ने खाना नहीं खाया है, कुछ खाकर आए हैं, जो खाकर नहीं आये हैं उनको परेशानी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंहजी। समाप्त करें? माननीय मंत्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब रोगों की एक ही दवा, एक ही ठेका सब डिपार्टमेंट का, जवाब श्रीमती कमलाजी देंगी।

श्रीमती कमला : आपको इसमें क्या तकलीफ है। आपके भी दो-चार जनें बार-बार उठ कर क्यों बोलते हैं।

श्री शोपत सिंह : आपकी सेहत का ज्यादा ख्याल है, हम इस तरह जुल्म बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री मोहन छंगाणी : अकेली महिला भार उठा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय मंत्री महोदय, को कम्पलीमेंट दिया है कि सब रोगों की एक ही दवा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब मुख्य-मन्त्री महोदय ने मांग रखी है तो उत्तर कमलाजी कैसे देंगी।

श्रीमती कमला : मैं इजाजत ले रही हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं दोनों मांगों का जवाब दूंगी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल ऐसी व्यवस्था हो चुकी है।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्रीजी हाउस का मजाक बना रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते यहां पर ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मांग जब उन्हीं ने रखी है तो जवाब उनको देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर मानें तो कमलाजी को इजाजत दे दी जाय

(10.36 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आ गए, अब तो मुख्य मन्त्री जी को सुनेंगे साहब।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने माइन्स डिपार्टमेंट और इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, कई बातें इण्डविजुअल हुई है और बहुत सी बातें राजस्थान के विकास के लिहाज से कही गई हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जनरल स्पीच।

श्री हरिदेव जोशी : पर्टिकुलर स्पीच की मुझे आदत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि खनिज के लिहाज से राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। उसके विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की खनिज प्राप्त होती है। अकेले मार्बल को ले लीजिए जितने शेड्स मार्बल के राजस्थान में प्राप्त होते है भारत का कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जिसमें इतने शेड्स का मार्बल प्राप्त होता हो। ठीक उसी प्रकार से लाइम स्टोन के लिहाज से राजस्थान देश के रिचेस्ट पार्ट में से एक है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर लाइम स्टोन का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाय तो राजस्थान हिन्दुस्तान में सीमेंट प्रोड्यूस करने वाली स्टेट्स में सबसे बड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से नॉन फेरस मेटल में राजस्थान हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक है। आवश्यकता

(श्री हरिदेव जोशी)

इस बात की है कि इन सब को एक्स प्लाइड किया जाय। पिछले 25-30 वर्षों में एक ढांचा, एक स्वरूप बन गया है इन सबको काम में लेने का। जो विभागीय विवरण प्रसारित किया गया है उसको माननीय सदस्यों ने देखा होगा। पिछले वर्ष में जो स्वरूप राजस्थान के मिनरल्स का आया है, इससे माननीय सदस्य सहमत होंगे कि राजस्थान ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किया है। शायद राजस्थान हिन्दुस्तान के राज्यों में पहला है जिसने बड़े पैमाने पर ज्योलोजिकल सर्वे करके, मैपिंग करके आम आदमी के समक्ष ज्योलोजिकल डाटा रखा है। अगर गैस और आयल मिल गए तो राजस्थान के मिनरल्स में यह दो चीजें और एड हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, रॉक फास्फेट के मिलने के बाद में हमारे मिनरल्स के अन्दर एक नया एडीशन हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस दिशा में जो प्रयत्न राजस्थान में हुए हैं, माननीय सदस्य उनकी तारीफ ही करेंगे। एक जमाना था, जब रियासतों के जमाने में पूरी रियासत का ठेका दे दिया जाता था। उसके बाद इसको सिस्टेमेटाइज किया गया और यह कोशिश की गई है कि कम से कम क्षेत्र अधिक से अधिक एरियाज के अन्दर दिया जाय। ताकि एक प्रकार की मॉनोपाली नहीं रहे। इस चीज को कुछ माननीय सदस्यों ने सराहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे प्रकार की राय व्यक्त की है। पिछले वर्षों में आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो लाइम स्टोन मिलता था उसका सिस्टम दूसरी प्रकार का था, दूसरा स्टोन जो मिलता था उसका सिस्टम दूसरी प्रकार का था। उन दोनों को ठीक करने की कोशिश की है।

इसी प्रकार से सैंड स्टोन को ले लीजिये। सैंड स्टोन अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग होता था उसको भी सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की है। मार्बल केवल मकराना में सीमित था अब उसका क्षेत्र बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में राजस्थान हिन्दुस्तान के मार्बल प्रोड्यूस करने वाले क्षेत्रों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, इसकी मशीन राजस्थान में लगी हुई है। इन वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान में इतना विकास और किसी प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ। इसलिए जिन लोगों ने एक गलतफहमी फिगर राजस्थान के मिनरल्स के बाबत रखी है मैं समझता हूं कि वे इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जहां कॉपर बेस्ड इण्डस्ट्री हिन्दुस्तान के अन्दर लगी है। इसी प्रकार से राजस्थान पहला राज्य है जहां जिंक बेस्ड इण्डस्ट्री लगीं। और आज उनका विकास हुआ है। अब यह देखने की जरूरत है कि ये कोशिश किसने की? राज्य सरकार ने। ये सारे ज्योलोजिकल सर्वे सामने रख कर के उस दिशा में प्रयत्न किए गये। माननीय सदस्यों को मालूम होगा, रॉक फास्फेट का इतना बड़ा भण्डार है राजस्थान में, आखिर यह किसने किया? एक जमाना था जब माइन्स डिपार्टमेंट की आमदनी कुछ थोड़ी सी थी। यह विभाग जो आज है इसका एक चौथाई भी विभाग नहीं था। इसकी आमदनी बढ़ी

(श्री हरिदेव जोशी)

है, इसका स्कोप बढ़ा है। एक जमाने में नदी की सेंड बहुत बड़ी हमारी आमदनी का स्रोत समझा जाता था। आज रॉक फास्फेट, मारबल कॉपर जिनके लेड ये अहमियत रखते हैं और आज मैं ऐसा समझता हूं, आने वाले पांच वर्षों के बाद में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो लाइसेंस और लेटर ऑफ इन्टेंट इश्यू किए गये हैं ये अगर पार पड़ गये तो राजस्थान हिन्दुस्तान में यह प्रोड्यूस करने वाले सबसे बड़े राज्य के रूप में सामने आयेगा। सिर्फ हमारी कोशिश करने की जरूरत है, इन्फास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, पावर की स्थिति को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। ये दूसरे प्रकार के हालात हैं। मगर पॉटेन्शियलिटी क्रिएट कर दी है, वह पॉटेन्शियलिटी इतनी है कि राज्य सरकार उसके ऊपर गौरव कर सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक आध ने लीजेज लेने बाबत बात कही। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने जिन सब केसेज को देखा, खास करके एक-दो को देखा है। मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले के इधर या उधर नहीं जायेंगे। इसलिए जो रेफरेंस माननीय सदस्यों ने यहां दिये कि अमुक कांग्रेस में इनका अमुक प्रकार का है, अमुक कांग्रेस में इनका अमुक प्रकार का है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रेस्टेशन के अन्दर इनकी बातें नहीं कह करके तथ्यों पर आधारित बात कहनी चाहिए....

... (व्यवधान)

आपको तो बहुत अवसर है, पूरे दिन ही अपनी बात को कहते रहते हैं मुझे तो अभी कहना है।

इसी प्रकार से....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। व्यवधान नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पुरानी धौलपुर स्टेट की एक लीज के बारे में एक माननीय सदस्य ने यहां चर्चा की। यह बात सही है कि एक जमाना था जब पूरी को पूरी रियासत का मिनरल एक अमुक पार्टी को दिया हुआ था। मगर यह राज्य सरकार का प्रयत्न है और उनको कम, कम, कम करके दिया गया है। आज आपको शिकायत किस बात की। जो पालिसी राज्य सरकार ने अख्तियार की उससे राज्य सरकार बेबल डविएट हुई है। आपको बुरा लगता है इस बात से कि क्यों इनके पास में है। तो यह तो एक प्रोफेशनल राइवलरी है। इसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजस्थान के उद्योगों बाबत बात कही गयी। इन वर्षों में राजस्थान के औद्योगिकीकरण के लिये इम्पीटस देने के लिए पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने कोशिश की है। अपनी हैसियत के अनुसार हमने उन्हें कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि इस सदन के अन्दर आज उद्योगों को सुविधा देने की बात भी कही जाने लगी है। वरना किसी जमाने में जब हम किसी उद्योग को सुविधा देने की बात करते थे तो इन्हीं बैंचेज के ऊपर बैठ करके

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्य यह कहा करते थे कि ये जो उद्योगपतियों के लोग गये हैं और कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं आज मुबारकबाद देता हूं। एक आध बार शासन में आ जाने के बाद दृष्टिकोण में फर्क आता है और यह मालूम पड़ता है कि अहमियत क्या है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय सदस्य यह कहने लगे कि केवल खेती के ऊपर आधारित अर्थ व्यवस्था काम नहीं देगी। आपको उद्योग का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगा, आप अपने दृष्टिकोण को और भी व्यापक करें और यह सोचने की कोशिश करें कि एक आध दृष्टिकोण काम नहीं देता है न समाज को आगे बढ़ाता है। जब तक हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा, जब तक हम सबके लिए नहीं सोचने लगेंगे तब तक यह मुश्किल है। मगर मुश्किल यह है कि हम अपने दायरे में, सीमित दायरे में सोचने की कोशिश करते हैं और उस सीमित दायरे के अन्दर अपने फैसले कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले एक दो वर्षों से बिजली की कमी के कारण उद्योगों को धक्का लगा है। मुझे इससे कहीं कोई इन्कार नहीं कि उद्योगों को भी धक्का लगा है, खेती को भी धक्का लगा और राजस्थान की प्रोस्पेरिटी को भी धक्का लगा। हमारी यह कोशिश है कि जो कमी रहती है उस कमी को पूरा किया जाय। मैं देखता हूं, परीक्षा तो इस बात में है कि आप इसको कमी कहते हैं जिस कारण से उद्योग पिछड़ा है। यह कहते हैं पर उस कमी को दूर करने के लिए आप कितनी मदद करते हैं, अथवा आपकी सहानुभूति केवल मगर के आंसुओं की तरह से है कि आप राजस्थान का विकास चाहते हैं अथवा जो हम प्रयत्न करते हैं उन प्रयत्नों के अन्दर भागीदार होना चाहते हैं। अगर आप इन प्रयत्नों के अन्दर भागीदार होना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सही तथ्यों को स्वीकार कीजिये और स्वीकार करके यह कोशिश कीजिये कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था सुधरें, राजस्थान के अन्दर बिजली की व्यवस्था सुधरें। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बिजली की कमी है वह कमी दूर होवे ऐसी कोशिश होवें जिससे राजस्थान के अन्दर बिजली का उत्पादन बढ़ सके, खेती का उत्पादन भी बढ़े, उद्योग का उत्पादन भी बढ़े और राजस्थान विकास की तरफ अग्रसर होवे। मगर मीठा मैं खाउं और कड़वा थूं-थूं कर दूं। इससे काम चल नहीं सकता। यह चल नहीं सकता। आपको यह स्वीकार था....

श्री शोपत सिंह : आपका कड़वा कौन सा है।

श्री हरिदेव जोशी : कड़वा तो मेरे लिए छोड़ दीजिये और मिठाई-मिठाई आप खा जाइये तो डायबिटीज होगी, यह ध्यान रखियेगा....

श्री शोपत सिंह : डायबिटीज का तो आपके लिए है। आप किसी को मौका देते ही नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो ग्रग्रादमी ग्रकेला मीठा मीठा खाने की कोशिश करता है उसी परिणाम क्या होता है, यह छगाणी साहब से पूछो।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो ग्रापके साथ में खाया है।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, यह सर्वज्ञात चीज है, राजस्थान का ग्रगर विकास चाहते हैं, राजस्थान का ग्रौद्योगीकरण चाहते हैं, ग्रौद्योगीकरण का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मगर इसमें भी भावुकता से काम नहीं चलेगा। इसमें भावुकता से काम नहीं चलता है। ग्रापके हाथ में शासन ग्राया। ग्रापने क्या किया, सारे राजस्थान भर में इण्डस्ट्रियल एरिया कायम करने की कोशिश की, किसानों की जमीनें ले ली एक्वायर कर के ग्रौद्योगिक क्षेत्र कायम किया। दरख्वास्तें थी नहीं, सर्वे नहीं था, पोटेंशियलिटी क्या है, मालूम नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, मालूम नहीं ग्रौर इण्डस्ट्रियल एरिया कायम कर दिया। ग्राज पोजिशन क्या है? लाखों रुपयों की हजारों बीघा जमीन किसानों से लेकर, एक्वायर करके रख ली। हजारों बीघा एक्वायर करने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया कायम कर दिया। इण्डस्ट्रीज कहीं नहीं, बिजली नहीं, सड़कें कहीं नहीं, ग्रौर जो ग्रावश्यकता होती है वह वहीं नहीं। इस प्रकार से उद्योग नहीं लगते हैं। उद्योग लगते हैं कन्सन्ट्रेटेड एरिया में जिनको ग्राप फोकल पाइंटस कहते हैं, उन फोकल पाइंटस को डवलप किया जाय, उनके ग्रन्दर सारी सुविधायें उपलब्ध कीजिए ग्रौर कोशिश किजिए कि वहां पर उद्योग स्थापित हो।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि पिछले 4–5 वर्षों में 1980 के बाद जो कोशिश राजस्थान की सरकार ने की है उससे ग्रौद्योगिक क्षेत्रों के ग्रन्दर एक प्रकार का विश्वास स्थापित हुग्रा। यह कहना गलत है कि ग्रौद्योगिक क्षेत्रों के ग्रन्दर निराशा स्थापित हुयी है। मैं यह कह सकता हूं कि ग्राज भी राजस्थान में लोग ग्राना चाहते हैं। ग्राज भी राजस्थान में रजिस्ट्रेशन की संख्या गिन लें मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ उद्योग बंद भी हुए होंगे लेकिन उद्योग एक कारण से ही बंद नहीं होते हैं। ग्राज दिन मे कृष्णा मिल के बावत जो लम्बी बहस हुयी, ग्रध्यक्ष महोदय उसके बारे मे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैंने सारी बहस को सुना। दो मिल सिक हुयी मैवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा ग्रौर कृष्णा मिल, ब्यावर ब्यावर के एम. एल. ए. यहां बैठे हुए हैं ग्रौर भीलवाड़ा के एम. एल. ए. बैठे हुए हैं। डेढ़ दिन मैंने लगाया भीलवाड़ा मैवाड़ टैक्सटाईल मिल के लिए। मैं शुक्र गुजार हूं लेबर लीडर्स का जिन्होंने सहयोग करके इसको रिवाइव करने के लिए सरकार को सहयोग दिया। ग्राज उनका केस रिवाइवल बैंक के पास चला गया। मुझे यह ग्राशा है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को भीलवाड़ा को जल्दी से जल्दी वापस शुरू किया जा सकेगा। मगर कोई लीडरशिप कोग्रापरेट न करे ग्रौर यह समझे नहीं कि इण्डस्ट्रीज किस प्रकार से वापस रिवाइव हो सकती है उसका दोष ग्राप किस के ऊपर लादना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : सेठ को बरी कर दो।

श्री हरिदेव जोशी : ग्रापको सोचना होगा कि जिस स्ट्रक्चर के ग्रन्दर, जिस ढांचे के ग्रन्दर ग्राप काम कर रहे हैं उसके ग्रन्दर जो लोनिंग एजेंसीज हैं उन लोनिंग एजेंसीज

(श्री हरिदेव जोशी)

को इस बात का विश्वास आपको दिलाना पड़ता है कि यह वापस अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। अगर यह उद्योग अपने पांव पर खड़ा होगा, यह विश्वास दिला देंगे तो वह लोनिंग एजेंसी आपकी मदद को आयेगी हम यह आशा करके चलते है कि कृष्णा मिल के लोग इस चीज को महसूस करेंगे। हमारी ओर से कृष्णा मिल को जो भी मदद हो सकेगी हम करने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मिस्टर दीक्षित, जो उस बैंच के चेयरमैन हैं, आये थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे मुक्त कंठ से कहा, राज्य सरकार जो कुछ भी कर सकती थी मेवाड़ टैक्सटाइल मिल भीलवाड़ा के लिए और कृष्णा मिल के लिए अपनी ओर से उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मैं इसके लिये राज्य सरकार को बधाई देता हूं। यहां से अफसर गये हुए हैं कलकत्ता। कलकत्ता में मीटिंग चल रही है, मिस्टर काबड़िया और दूसरे अफसर वहां गये हुए हैं। हम आशा करके चलते हैं कि कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सीमेंट के अन्दर राजस्थान पायोनियरिंग का काम कर रहा है ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल फाइबर पैदा करने के अन्दर, धागा पैदा करने के अन्दर भी राजस्थान पायोनियरिंग का काम कर रहा है। आप देखते हैं कि इन पिछले वर्षों में इतनी मिलें कैसे आयीं, कौन लोग इनको लाये। मोनोपोलिस्ट नहीं लाये हैं। मिडियम श्रेणी के लोग, क्योंकि मोनोपोली एक्ट के तहत बड़े लोगों को लायसेंस नहीं दिया गया था, लाये हैं। इन लोगों ने खड़े किये हैं और आज राजस्थान का इसके अन्दर नाम है। तो राजस्थान के अन्दर जो टेलेंटेड हैं उनका हम उपयोग करना चाहते हैं। आप भीलवाड़ा को ले लीजिए, डूंगरपुर ऋषभदेव, उदयपुर, बहरोड़ को ले लीजिए आज जो राजस्थान में मिलें सामने आयी। उनमें से एक भी मल्टी मिलियनर नहीं है। उन लोगों में से है जिन्हें हम साधारण, मध्यम श्रेणी और नीची श्रेणी के लोग कहते हैं। ये वो ही लोग हैं जो किसी जमाने में करोड़पति सेठ के यहां पर मुनीमगिरी करते थे। मगर राज्य सरकार ने इन टैक्नोक्रेट्स को पिक-अप किया, लायसेंस दिये, उनको आगे आकर सहायता दी वह सहायता दी जो हम आम आदमी को नहीं देते हैं। टैक्नोक्रेट को सहायता देकर आज आगे लाये हैं। यह राजस्थान ही है, राजस्थान सरकार ही है जिसने हिन्दुस्तान के अन्दर यह काम करके दिखाया है, मल्टी मिलियनर्स को एक तरफ रखकर टैक्नोक्रेट को रखकर के, लाइसेंस देकर के उनके जरिये मिल को कायम कराया है। तो इस प्रकार राजस्थान को आप एप्रिशियेट करें या न करें, आप यह समझते हैं अपोजिशन का काम आलोचना करना है मेहरबानी करके आप इसमें गहराई में जाकर देखने की कोशिश कीजिये कि किस सरकार ने इस प्रकार का काम किया है। केवल राजस्थान की सरकार है जिसने इस प्रकार के काम को हाथ में लिया। आज इसका परिणाम यह है कि राजस्थान की टैक्सटाइल मिल्स दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा अच्छी हालत में है कम्पेरेटिवली। एक मात्र कारण यह है कि कुछ ऐसे लोग, जो डिवोटेट थे, को इस काम में लाये और इन्होंने काम को किया।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि पावर में हम आज ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम कह सकें कि जितनी चाहेंगे उतनी पावर देंगे। इसलिए हम उन इण्डस्ट्रीज, जो बहुत पावर कजन्यूम करती हैं, को बढ़ाना नहीं चाहते हैं हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं जो लेस पावर कन्ज्यूम करती है और ज्यादा आदमियों को खपा सकती है, ज्यादा रोजगार दे सकती हैं। ऐसी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आज हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो टैक्सटाइल मिल्स अपने आपको मोडर्नाइज्ड करना चाहती हैं उनको हम सहयोग देकर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इस प्रकार से उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

कोआपरेटिव सैक्टर में इण्डस्ट्रीज आयी हमारा यह प्रयत्न है कि एक प्रकार से मैन पावर डवलप किया जाय जो कि सिविल सर्विस में से नहीं है, अगर मार्केट के लोगों को लेने की जरूरत हो तो मैनेजरियल हमारी केपेसिटी बढ़ायी जाय।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज और काटेज इण्डस्ट्रीज में इन पिछले वर्षों में काफी तरक्की हुई है। आपने देखा होगा जो विवरण आपके बीच में प्रसारित हुआ उस प्रसारित विवरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर काटन माने सूती खादी का बढ़ाव उतना नहीं हुआ जितना ऊनी खादी का हुआ। आज से 10 वर्ष के पहले के खादी उद्योग को देखने की कोशिश करें तो ऊनी खादी उद्योग का कोई नाम नहीं था, इन पिछले वर्षों में ऊन उद्योग बढ़ा है। गांवों में इस प्रकार का काम मिला है। धीरे-धीरे सब दिशाओं के अन्दर एक प्रकार का प्रयत्न किया। काटेज इण्डस्ट्रीज को ले लीजिए। आज जितने राष्ट्रपति अवार्ड हमारे आर्टिजन को मिले हैं बहुत कम राज्यों को उतने मिले होंगे। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे स्थिति है और वह स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार ने, कॉटेज इण्डस्ट्रीज को, आर्टिजन्स को मदद देने की कोशिश की है, अपने पांवों पर खड़ा करने की कोशिश की है।

(11.00 रात्रि)

आज मैं ऐसा समझता हूं कि अगर यह और अधिक ढंग से हो जाय तो ये काटेज इन्डस्ट्रीज और विलेज इन्डस्ट्रीज और अधिक बढ़ सकती है अध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों को सहयोग देने के लिए पंचायत समिति स्तर तक एक प्रकार का आर्गनाइजेशन बनाया गया है। आज कोशिश यह की गयी है हम उसके अन्दर पूरी तरह से सफल हुए हों, ऐसा मैं नहीं मानता, मगर बन वे जो पौलिसी हमने अख्तियार की है धीरे-धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर जो कार्यालय हैं इन सबको समन्वित करके यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उन सबका सहयोग मिले। राज्य सरकार की ओर से उनको काम मिले।

अध्यक्ष महोदय, आर. एफ. सी. के बारे में, रीको के बारे में, और उनके बारे में भी यहां पर कहा गया है। इंडिविजुअल केसेज के अन्दर मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं मगर जिन माननीय सदस्यों ने इसकी बाबत में कुछ कहा है, मेरे पास में उन सारों के

(श्री हरिदेव जोशी)

नोट हैं, उनकी गहराई के अन्दर जाने की कोशिश करूंगा। मैं एक ही विश्वास माननीय सदस्यों को और सदन को दिलाना चाहता हूं कि रीको और आर. एफ सी. दरअसल में सर्विस कर सकें, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो मगर उससे कहीं भी अड़चन पैदा होती है तो राजस्थान की कुसेवा है। एक जमाना था, जब हमारे इंडस्ट्रीज आफिसर के पास में कोई आदमी जाता था एन्टरप्रन्योर्स, मैं खुद कहा करता हूं वे आखिर यह समझते थे कि मेरी जेब से कोई निकाल कर ले जाने वाला मेरे पास में आ करके खड़ा हो गया है यह ऐप्रोच था। हमारे अधिकारियों का ऐप्रोच यह होना चाहिये कि जो आदमी मेरे पास में आया है वह यह संतोष ले करके जाय कि अगर एक उद्योग मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूं तो राजस्थान के अन्दर 5 आदमियों को किसी प्रकार का रोजगार दिलाने का काम मैं अपने हाथ से करूंगा। यह ऐप्रोच हमारा जब तक नहीं होगा तब तक हम राजस्थान के अन्दर सही ढग से औद्योगिकरण कर नहीं सकेंगे। कई कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करना चाहते हैं मगर, अध्यक्ष महोदय, एक चीज बहुत साफ है और वह यह है कि अगर अच्छे चलने वाले घोड़े को भी हम खच्चर कहने लगे तो पता नहीं उसके कान के अन्दर यह बात चढ़ हो जाय कि मुझे खच्चर कहा जाता है तो वह भी खच्चर की तरह से चलना सीख जाता है। इसलिये हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम अपने मानस को ठीक रखें। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री शोपत सिंह : कहीं सारे घोड़े को खच्चर ही न बना लें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो नहीं माना है।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मध्य रात्रि होने को है मैं अपनी बात को लम्बा नहीं करना चाहता। मैं संक्षेप में एक ही कहना चाहता हूं और वह यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे एक ही निवेदन करना है कि चाहे माइन्स डिपार्टमेंट की मांगों के सिलसिले में हो, चाहे, इंडस्ट्रीज की मांगों के सिलसिले में हो, जो कमियां आपने दर्शायी हैं उन कमियों में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। यह प्रयत्न करेंगे कि आपकी बात का जायजा लेकर अगर कहीं कोई खराबी सामने आवे तो उसको ठीक करें। इंडिविजुअल केसेज के अन्दर मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लीजेज देने स्वीकार करने और अस्वीकार करने के सम्बन्ध में कल ही मेरे पास हाई कोर्ट के केस के सिलसिले में प्रभावित व्यक्ति आये और मुझसे कहने लगे आप न्याय करो। जब मैंने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको न्याय मानूं या नहीं मानूं, तो कहने लगे कि यह न्याय नहीं है। हाईकोर्ट ने न्याय नहीं किया। अब इस प्रकार की जिनकी न्याय की डेफिनेशन है उसको मैं कभी कंविन्स नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिये चित भी मेरी है और पुट भी मेरी है। मै चित को चित मानता हूं और पुट को पुट मानता हूं। इसलिये अगर इसके लिये किसी को कोई

(श्री हरिदेव जोशी)

मिला है तो मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। मेरे पास नीचे से ले करके ऊपर तक फाइल स्क्रीनिंग हो करके आती है तो मैं ऐसा समझता हूं दस आदियों ने एक फाइल का स्क्रीनिंग किया है और उन्होंने कहा है कि ए को नहीं बी को दो। मैं बी के ऊपर दस्तखत कर देता हूं कि मेरी कांशंस क्लीयर है कि बी पर दस्तखत किये हैं वह सही किये हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लेना। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चंद सुराना : चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारी बात सुनी नहीं है बहस का जवाब बिना सुने हुए दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें आप।

श्री मानिक चंद सुराना : मैं इस पर स्पष्टीकरण पूछूंगा....

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा दिमाग बिल्कुल ओपन है। अगर कोई करेक्शन मुझे सुझाता है तो उसी ओपन दिमाग से मैं उसको देख करके, सुन करके समझने की कोशिश करूंगा। यही विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचंद सुराना। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस बात की ओर तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह स्वीकृत नीति अख्तियार कर रखी है कि हम खनन पट्टे 150 × 150 और कुछ जिलों में 300 × 300 मीटर का देंगे। यदि किसी मामले में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को 4.5 किलोमीटर की लीज देना भी जायज मान लिया है तो राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसे फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। यदि वह अपील नहीं की गयी तो जो नीति आज तक सन् 1979 से लगातार चल रही है पिछले 6 वर्षों में जिस नीति को अख्तियार करके हमने छोटे लोगों को खनन पट्टों में आगे बढ़ाने की नीति बनायी है उस सारी की सारी नीति का रीवर्सल हो जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले रोज सुप्रीम कोर्ट में रीवर्स होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंगल बैंच ने फैसला दिया है राज्य सरकार के हक में और उस व्यक्ति के खिलाफ और डिविजनल बैंच ने फैसला दे दिया है उस व्यक्ति के पक्ष में। सवाल है, रीको को दस किलोमीटर की लीज देनी है क्योंकि रीको ने उस दस किलोमीटर का खनन पट्टा मांगा है। राज्य सरकार ने उसको बायफरकेट करके 5.5 किलोमीटर की लीज तो रीको को दी है, 4.5 की एक व्यक्ति को दी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को अन्तिम नहीं माना जाय। आवश्यकता हो तो अपील की जाय। इसमें अपील की आवश्यकता इसलिये नहीं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जब तक लीज पट्टा रजिस्टर नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कराती है, राज्य सरकार को छूट है कि वह अपनी भूमि को रीको को दे और रीको को देकर उस व्यक्ति को 45 किलोमीटर की लीज देने से बिल्कुल हटे ताकि हमारी नीति का रीवर्सल नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री हरिदेव जोशी : एक-एक का अर्ज कर दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा वरना मैं भूल जाऊंगा, उत्तर ठीक नहीं दे पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस फैसले की बात कह रहे हैं और किस का क्या कह रहे हैं? मैंने तो संक्षेप में एक ही बात कह दी है कि इस प्रकार के जितने भी रेफरेंसेज आते हैं उनकी बाबत में कह सकता हूं और कहता हूं, मैं ओपन माईंड से सब के ऊपर विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज। कृपया बैठें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, जो खनिज मन्त्री भी हैं, कृपया यह बतायें कि भारत सरकार को मार्बल की छोटी इकाइयों के सम्बन्ध में आपने सिफारिश की थी, उसका क्या हुआ? आपने अपनी पूरी तकरीर में कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया, बड़ी खूबसूरती से तमाम जवाबात दिये हैं, जनरलाइज करके दिया है, कोई स्पेसिफिक बात का उत्तर न आपने लिखित में भिजवाया, न ही अभी दिया है। कृपया इसके ऊपर आप मुझे संतुष्ट करें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो कहना था वह आप पढ़ करके हाऊस में सुना चुके हैं इसलिए मेरे कहने को कुछ रह ही नहीं गया है। भारत सरकार ने जो फैसला दिया उसको आपने पढ़ करके सुना दिया। गलत है क्या, आपने पूरा पढ़ करके सुना दिया, मुझे क्या कहने को बाकी रह जाता है?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य। श्री घनश्याम तिवाड़ी....

श्री अब्दुल अजीज : क्या सिफारिस की है यह तो सदन को बतायें कि....

श्री हरिदेव जोशी : आप जानते हैं कि मैंने क्या सिफारिश की, वह आपके हाथ में लिख करके दे दी।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने क्या सिफारिश की, वह आपने कापी देख ली।

श्री अध्यक्ष : बैठें कृपया।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने जो फैसला किया उसको आपने यहां पर पढ़ करके सुना दिया। मेरे पास में क्या रह जाता है कहने को।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय छंगाणी साहब ने सीकर जिले के सलादीपुरा के खाद कारखाने के लिये कहा, और भी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया, कटमोशन दिये । छठी पंचवर्षीय योजना में भी चर्चा थी । इस बार न तो बजट के भाषण में, न आज मुख्य मन्त्रीजी ने सलादीपुरा के खाद कारखाने के बारे कुछ कहा । सीकर जिले में कोई विकास नहीं हुआ है । और बहुत लम्बे समय से उसकी मांग थी । टैक्निकल रिपोर्ट उसकी आ गयी, प्रोजेक्ट तैयार हो गयी उसके बाद में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सलादीपुरा के खाद कारखाने के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देता जाऊं एक एक का तो जवाब उचित आवेगा ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस मैंने जो भाषण दिया था उस समय इसका उत्तर दे दिया था वह यह था कि राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्न करती रही है कि सलादीपुरा में पायराइट के आधार पर कारखाना लगाया जाय । यह आज से नहीं वर्षों से हमारी नीति है, वर्षों से हम प्रयत्न करते रहे हैं । अगर आपके पास भारत सरकार और एम. पीज. को जो चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, उनकी कापी दफ्तर के अन्दर हैं तो उसमें देखेंगे कि उसके अन्दर मैंने उसके बाबत भी लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह ।

श्री शिवचरण सिंह : आपने जो अभी उत्तर दिया, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक बिहारीलाल-निगोसिया के केस में हाई कोर्ट से फैसला और हुआ है । उन्होंने इस बात को माना है कि गवर्नमेंट की जो छोटे प्लाट देने की पॉलिसी है, ठीक आधार पर वह प्लाट दिये जायें । नम्बर वन ।

नम्बर दो, यह डी बी का जो फैसला हुआ है इस फैसले में भी यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का काम लॉ साइड देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और पालिसी साइड देखने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है । तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी नीति है वह देखने का काम बाकी रह गया । उसी पर न्याय आधारित करेगा ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें ।

श्री शिवचरण सिंह : एक मेरा प्रश्न और है । क्योंकि आपने मेरे ही प्रश्न का जवाब दिया था ।

धौलपुर के बारे में जो आपने फरमाया, क्या मैं आप के उत्तर से यह आशा करूं कि वहां पर जो आपने सीलिंग लिमिट लगायी है उसकी कार्यान्विति होगी ?

तीसरा मेरा एक प्रश्न और है....

श्री हरिदेव जोशी : अभी तो आप कह रहे थे दो, तीसरे पर फिर आ गये ।

श्री शिवचरण सिंह एक और है, सर । इससे ताल्लुक नहीं है ।

जिंक स्मेल्टर का जो प्लाण्ट है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिंक कितना हम रॉ

(श्री शिवचरण सिंह)

मेटीरियल के रूप में इम्पोर्ट करते हैं? बस।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे चुका हूं, मुझे अभी और कुछ नहीं एड करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि जो एक्ट बना है उस एक्ट के अन्दर माइनर मिनरल कन्सेशन रूल जो बने है उसके अन्दर, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, जो 15 किलोमीटर का एरिया एक व्यक्ति को देने का प्रावधान है उसको कम करने के लिए एक्ट के अन्दर कोई ऐसा संशोधन पायेंगे जिससे कि छोटी लीज दी जायं और 15-10-5 किलोमीटर के एरियाज नही दिये जाय? ऐसा इसमे प्रावधान करेंगे क्या?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोई स्वीपिंग जवाब नहीं दे सकता। जो पॉलिसीज समय-समय पर निर्धारित होती हैं उसका पालन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, से कहना चाहता हूं, जो अभी उन्होने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा फोकल पॉइन्ट, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह जरा स्पष्ट करें कि औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान के अन्दर फोकल पॉइन्ट के नाम पर कमल की ही खेती होती रहेगी या राजस्थान के अन्दर जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक रूप से बढ़ने के लिए कोई विशेष अवसर के सिद्धांत पर किसी तरह की वह योजना बनायेंगे क्या उनकी यह नीति है या कमल की ही खेती इस प्रान्त में होती रहेगी?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का विकास हमारा भविष्य है। मगर एक बात स्वीकार की जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए कि पूरे राजस्थान में एक साथ उद्योग लग जायं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती। कोटा में उद्योग शुरू-शुरू में क्यों लगे? इसलिए लगे कि ब्रॉड गेज था, वातावरण था, पास में नागदा और दूसरी जगहों में किसी प्रकार की क्लाइमेट थी। तो जहां पर औद्योगिक वातावरण नहीं होता है, चाहे कितनी सुविधायें दें लें वहां औद्योगिकरण नहीं हो पाता। इसलिए हम अगर यह चाहें कि आज राजाखेड़ा के अन्दर कोई उद्योग लग जाय तो किसी स्थिति के अन्दर मुझे कठिन मालूम पड़ता है।

श्री मोहन प्रकाश : क्योंकि वहां के मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री दूसरे हुआ करते थे।

श्री हरिदेव जोशी : जब आप न मानो मेरी बात को। मगर समझ की बात यही है....

श्री मोहन प्रकाश : मुख्य मन्त्री जी, बड़ी रेलवे लाइन, पानी, बिजली, जितनी सुविधायें कोटा में हैं उससे एक सुविधा भी कम धौलपुर जिले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा, भरतपुर की अपनी जो स्थिति है, मथुरा और आगरा से नजदीक होने के कारण वहां बड़ा भारी कम्पटीशन देखना पड़ता है उद्योग में। क्या मुख्य मन्त्री जी वहां पर ड्राई पोर्ट या स्टील यार्ड बनाने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करने का विचार रखते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कार्यवाही चल रही है।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यहां से जी. एस. आई. का आफिस गुजरात जा रहा है। अगर उनको जमीन नहीं मिली तो शीघ्र ही चला जायेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जी. एस. आई. का आफिस यहां जयपुर में ही रखा जाय। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जमीन देने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही मुख्य मन्त्री जी करें।

श्री हरिदेव जोशी : जी एस. आई. का दफ्तर यहां से नहीं जाय, इसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी, आपका उत्तर सुना उस से ऐसा लगा राजस्थान में औद्योगीकरण का कोई वातावरण नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : आज तो पाला दोनों का ही बराबर था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। राजस्थान में अधिक से अधिक उद्योग लगें इस सम्बन्ध में आपको उद्योगपतियों को कुछ कहने का कोई आधार है क्या ? जहां बिजली की कमी है, ब्रॉड गेज लाइन की कमी है, और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या कोई पॉइन्टेड ऐसी बात आप बता सकते हैं जिसके आधार पर उद्योगपति यह समझें कि राजस्थान में उद्योग लगाने का वातावरण बना हुआ है, हमें राजस्थान में उद्योग लगाने चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : उद्योगपति तो ऐसा मानते हैं। मुझ से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि आप अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन उद्योग नहीं और उद्योगपति मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बता दूं कि राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में जितने लैटर आफ इन्टेंट मिले हैं उनके परमेंट लाइसेंस केवल 17 पर्सेण्ट ने लिये हैं। जिन 17 पर्सेण्ट लोगों ने लाइसेंस लिये हैं उनमें से केवल 3 पर्सेण्ट लोगों ने उद्योग लगाये हैं। क्या आप इसको औद्योगिक वातावरण बताते हैं ? आप कहते हो उद्योगपति हमसे मिलते हैं तो उद्योगपति आप से मिलें, क्या बातचीत करें इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उद्योगपति राजस्थान में उद्योग लगायें इससे हमारा मतलब है। उद्योग से आपकी सांठगांठ के बारे मुझे क्या कमेण्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी तो कोई सांठगांठ नहीं है जिनकी हो वह जानें। मैं तो एक बात कहता हूं और वह यह कि उद्योगपति जब मुझसे बात करते हैं, मैं कहता हूं, बिजली ज्यादा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फास्ट्रक्चर बढ़े, हम यह कोशिश कर रहे हैं, हम यह कोशिश कर रहें है कि जो सुविधायें बीच में बन्द कर दी गयी थीं, वह बढ़ायी जायं। यह भी प्रयत्न किया जाय कि उद्योग राजस्थान के अन्दर लगे। मगर एक बात स्वीकार की जानी चाहिए कि जब तक सभी लोग मिलकर राजस्थान के अन्दर इन्फास्ट्रक्चर में मदद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। राजस्थान में पांच वर्षों में जितने लैटर आॅफ इण्टेंड मिले उसमें से केवल 17 पर्सेण्ट ने लाइसेंस लिये। जिन 17 पर्सेण्ट लोगों ने लाइसेंस लिये उनमें से 3 पर्सेण्ट ने उद्योग लगाये। क्या यह राजस्थान की विफलता नहीं है। जवाब दीजिए इसका। उद्योगपति मिल रहे हैं लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने उस समय पलिसी अख्तियार की हो और हमने उसको टाल दिया हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे वक्त में तो लैचेण्ड का कारखाना लगा....

श्री हरिदेव जोशी : यह आपने लगाया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दीजिये, पड़ाड़िया जी ने लगाया था या शिवचरण जी माथुर ने लगाया। बोलिये।

मांग संख्या 42 व 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,0971.00 रुपये (इक्कीस करोड़ नौ लाख इकहत्तर रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 42 पारित की गई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,53,60,000 रुपये (सत्ताइस करोड़ तिरेपन लाख साठ

(श्री अध्यक्ष)

हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

माँग संख्या 43 पारित की गई।

सदन की बैठक कल गुरुवार दिनांक 18 जुलाई, 1985 मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: 28 जुलाई नहीं 18 जुलाई।

श्री अध्यक्ष: मैं दुबारा बोल देता हूं मैंने 18 जुलाई ही बोला है।

सदन की बैठक कल, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1985 मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 11.21 बजे गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 तक के स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

(1) वार्ड नं. एक-13 पोल पर तार खींचा गया	3250.00
(2) वार्ड नं. दो-31 पोल पर तार खींचा गया	7550.00
(3) वार्ड नं. तीन-24 पोल पर तार खींचा गया एक पोल नया लगाया गया	6908.00
(4) वार्ड नं. पांच-6 पोल पर तार खींचा गया	1500.00
(5) वार्ड नं. सात-11 पोलों पर तार खींचा गया	2950.00
(6) वार्ड नं. आठ-12 पोल पर तार खींचा गया	3000.00
(7) वार्ड नं. दस-10 पोल पर तार खींचा गया	2500.00
	27658.00

परिशिष्ट-2

तालिका 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि का विवरण

(क) वर्ष 1985-86	उपलब्धि का महिना	अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि (मेगावाट)
1. माही जल विद्युत गृह-I 25 मेगावाट को दो	अक्टूबर, 1985	50.00
कुल "क"		50.00
(ख) वर्ष 1986-87		
1. अनूपगढ़ लघुपन विद्युत		
विद्युत गृह-I	अक्टूबर, 1986	4.50
विद्युत गृह-II	मार्च, 1987	4.50
2. कोटा तापीय चरण II प्रथम इकाई	मार्च, 1987	210.00
		219.00
(ग) वर्ष 1987-88		
1. रामगढ़ गैस तापीय	दिसंबर, 1987	3.00
2. कोटा तापीय चरण II (द्वितीय इकाई)	दिसम्बर, 1987	210.00
3. मांगरोल लघु पन विद्युत	सितम्बर, 1987	6.00
4. सूरतगढ़ ,, ,,	मार्च, 1988	4.00
5. दाई मुख्य नहर माही-I	दिसम्बर, 1987	0.80
6. दाई मुख्य नहर माही-II	दिसम्बर, 1987	0.165
7. इटावा लघु पन विद्युत	दिसम्बर, 1987	0.500
8. जालूवाला ,, ,,	मार्च, 1988	0.090
9. नाचना ,, ,,	मार्च, 1988	0.175
10. सिंगरोली तापीय (500 मेगावाट की प्रथम इकाई में हिस्सा)		88.24

1	2	3
11. नरोरा अणु विद्युत गृह (आंवटन)		47.00
	कुल "ग"	339.960
(घ) वर्ष 1988-89		
1. माही जल विद्युत गृह–II		
प्रथम इकाई	अक्टूबर, 1988	45.00
द्वितीय इकाई	दिसम्बर, 1988	45.00
2. विरसलपुर लघु पन विद्युत	मई, 1988	01.35
3. पूगल ,, ,,	अगस्त, 1988	2.15
4. चारण वाला लघुपन विद्युत	अगस्त, 1988	2.00
5. खारा ,, ,,	दिसंबर, 1988	0.185
6. जयसमन्द ,, ,,	मार्च, 1989	1.15
7. सुल्ताना ,, ,,	मार्च, 1989	1.175
8. फुलासर ,, ,,	मार्च, 1989	0.400
9. रीहन्द तापीय (आवंटन)		100.00
10. सिंगरोली तापीय (500 मेगावाट की द्वितीय ईकाई में हिस्सा)		88.24
	कुल "घ"	286.365
(च) वर्ष 1989–90		
1. जाखम लघुपन विद्युत	जून, 1989	9.00
2. माउंट आबू ,, ,,	मार्च, 1990	10.00
3. चमेरा पन विद्युत (आवंटन)	मार्च, 1990	12.00
	कुल "च"	31.00

सातवीं योजना के दौरान कुल वृद्धि (क से च तक) 946.62 मेगावाट

सातवीं योजना के आरम्भ में अधिष्ठापित क्षमता 1713.16 मेगावाट

सातवीं योजना के अंत में अधिष्ठापित क्षमता 2659.78 मेगावाट

तालिका "ख"

नये प्रस्तावित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जो कि राजस्थान राज्य में स्थित होंगे

क्र. सं.	विद्युत उत्पाद परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत	परियोजना का वर्तमान स्तर
1.	पलाना ताप विद्युत केन्द्र	2 × 60 = 120 मे. वा.	रु. 297 करोड़	योजना आयोग के समक्ष पूंजी विनियोजना स्वीकृति के लिये विचाराधीन
2.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र चरण-2	1 × 210 = 210 मै. वा.	रु. 180.09 करोड़	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन
3.	सूरतगढ़ ताप ,, ,,	2 × 210 = 420 ,,	रु. 464.93 करोड़	,, ,, ,, ,,
4.	धौलपुर ताप विद्युत केन्द्र	2 × 210 = 420 ,,	रु. 648.11 करोड़	,, ,, ,, ,,
5.	चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र	2 × 210 = 420 ,,	रु. 451.81 करोड़	,, ,, ,, ,,
6.	माण्डलगढ़ ताप विद्युत केन्द्र	3 × 210 = 630 ,,	रु. 554.74 करोड़	,, ,, ,, ,,

तालिका "ग"

वर्ष 1980–81 से वर्ष 1984–85 तक राज्य को विभिन्न स्त्रोतों से मिली बिजली एवं उपभोक्ताओं द्वारा किया गया कुल बिजली उपभोग का विवरण

(दस लाख यूनिट में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (प्रसामयिक)
1.	स्त्रोत्र-वार ऊर्जा उपलब्धि					
(अ)	ऊर्जा उत्पादन (शुद्ध) (राज्य का हिस्सा)					
	(क) भाखड़ा	879.143	924 948	1040.266	1061.661	911.952
	(ख) ब्यास	1231.312	1416.637	1353.722	1411.632	1309.758
	(ग) चम्बल	474.169	487.335	'414.286	425.003	634.163
	(घ) सतपुड़ा	707.268	621.912	659.394	700.899	556.639
	(ङ) स्थानीय विद्युत गृहों से	31.803	23.044	12.302	9.858	10.920
	(च) कोटा थर्मल	—	—	3.097	473.141	952.171
	कुल	3313.695	3473.886	3483.067	4082.194	4375.593

1	2	3	4		5	6
(ब)	क्रय की गई ऊर्जा	1404.044	1345.868	1455.249	1931.364	1871.176
	(i) रा. अणु विद्युत गृह से	1050.980	870.015	391.605	967.269	841.200
	(ii) सिगरौली	—	—	72.200	476.206	569.746
	(iii) अन्य राज्यों/तन्त्रों से	353.064	475.853	991.444	487.889	460.230
(स)	वितरण के लिए कुल उपलब्ध ऊर्जा	4717.739	4819.754	4938.316	6013.558	6246.769
(द)	राज्य के बाहर विक्रय एवं तन्त्र क्षति	1788.778	1688.353	1669.527	1884.848	1944.035
2.	राज्य में उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग	2928.961	3131.401	3268.819	4148.710	4302.734

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले के चिकित्सीय संस्थानों में स्टाफ की पूर्ति

339. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, एडपोस्ट स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस में पूरा मेडिकल स्टाफ है, एवं किस-किस में मेडिकल स्टाफ कब से व क्यों नहीं है ? आम आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने व परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये उनमें मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ठ "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है। प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ती करना सम्भव होगा।

सूचना

क्र सं.	पंचायत समिति का नाम	एडपोस्ट का नाम	उच्चीकृत उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र का नाम
1	2	3	4	5
1.	बाड़मेर	बाछड़ाऊ	सनावड़ा	सिहाणी
				लीलसर
				खुडीन
				रानीगांव
				सनावड़ा
				रागरिया
				तारातरा
				नादू

1	2	3	4	5
				जसाई
				बाठिया
				बिन्दा का पार
				सणाऊ
				देरासर
2.	शिव	—	हरसाणी	हरसाणी
				गड्रारोड
				बालेवा
				उन्डू
				देवका
				नीम्बला
				मिराब
				कावमीर
				सूखावकलों
				जय सिन्दर
3.	बाछला	सवाई पदमसिंह	कानोड़	भाख
				परेऊ
				हीर की ढाणी
				हुडा की ढाणी
				गिडा
				भाडवा
				भाडपुरा
				सन्तरा
				कानोड
				भूलका
				भीमली

1	2	3	4	5
4.	सिवाना	बयाना	खण्डप	करमावास
		नई कोटडी		मोबुलसर
				मेली
				कोटडी
				खण्डप
				पादरू
				मज्जल
				इन्दुराणा
				राखी
				जेठन्तरी
				थिडस
				रातडी
				बम्बोकाबाडा
5.	बालोतरा	टापरा	कल्याणपुरा	बीतनोड
				कुडीबाडा
				दुदवा
				कालेवा
				सरवडी
				कल्याणपुरा
				कुडी
				थब
				कोरणा
				टापरा
				बलाऊ
				मोदावास
				बडनामा

1	2	3	4	5
6.	घोरीमन्ना	—	भाखरपुरा	भाखरपुरा
			गंगासरा	पीपराली
			लुहारवा	उडासर
			उडासर	किसारणिया
			पीपराली	शोभाला
				धुनियां
				लुहारवा
				मांगता
				गादेवी
				नगर
				राजासरवता
				भीमथल
				भेरूडी
				केकड
				लूनवा जागीर
7.	सिणधरी	रावतसर	होडू	चाडो की ढाणी
			चाडो की ढाणी	नोक
			छोट	नीम्बलकोट
8.	चोहटन	बाखासर	घनाऊ	लेतराड
		शोभाला	मिठडाऊ	शोभाला
			सोता	ददूसर
				सारला
				बीजासर
				बीजराड
				घनाऊ
				आलमसर
				सांबा

1	2	3	4	5
				बडला
				बावडी कलां
				कोनरा
				फागलिया
				सरूपेकातला
				साता
				मिठका तला
				थानिया
				बिठडाउ

परिशिष्ठ "ख"—1 से सम्बन्धित सूचनाँ

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	उप केन्द्रों का नाम	प्रसाविका के पद की स्थिति	कब से रिक्त
1.	बाड़मेर	सिहानीं	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से
		सीलसर	रिक्त है।	"
		खूसीन	उपलब्ध है/कार्यरत	
		रानी गांव	कार्यरत है।	
		सनावड़ा	कार्यरत है।	
		गागरिया	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से
		वारातरा	रिक्त है।	"
		मादू	रिक्त है।	"
		जसोई	कार्यरत है।	
		बांठिया	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से

1	2	3	4	5
		बिन्दा का पार	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से
		सणाऊ	,,	,,
		देरासर	,,	,,
2.	शिव	हरसाणी	,,	,,
		गडरारोड	,,	,,
		बालेबा	,,	,,
		उन्डू	,,	,,
		देवका	,,	,,
		नीम्बर्ला	कार्यरत है।	
		गिराव	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से
		काश्मीर	,,	,,
		सुखावला	,,	,,
		जयसिन्दर	,,	,,
3.	बायतू	भारू	,,	,,
		परेऊ	,,	,,
		हीरे की ढाणी	,,	,,
		हुडा की ढाणी	,,	,,
		गिडा	,,	,,
		आडवी	कार्यरत है।	
		माडपुरा	,,	
		सन्तरा	,,	
		कानोड	रिक्त है।	2 से 3 वर्ष से
		मूलतो	,,	,,
		भोमजी	,,	,,
4.	सिवाना	करमाबास	कार्यरत है।	
		मोबलसर	,,	
		मेली	,,	

1	2	3	4	5
		कोटडी	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		खण्डप	कार्यरत है	
		पादरू	"	
		मजल	"	
		इन्दराणा	"	
		राखी	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		जेठन्तरी	कार्यरत है	
		ढिढस	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		रातडी	"	"
		बाम्बोकावाड़ा	कार्यरत है	
5.	बालोतरा	कीतनोद	"	
		बुडीवाडा	"	
		दूदवा	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		कालेवा	"	"
		सरवडी	"	"
		कल्याणपुरा	कार्यरत है	
		कूडी	"	
		थेव	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		कोरणा	कार्यरत है	
		टापरा	"	
		बलाऊ	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		थोदावास	"	"
		वडनामा	"	"
6.	धोरीमन्ना	भाखरपुरा	"	"
		पीपराली	"	"
		उडासर	"	"
		किसारसिया	"	"
		धोधाली	"	"

1	2	3	4	5
		धूनियां	कार्यरत है	
		लूहारवा	,,	
		मांगता	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		गादेवी	,,	,,
		मगर	कार्यरत है	
		राजासरखता	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		भीमथल	,,	,,
		भेरडी	,,	,,
		केकड	,,	,,
		लूनवा जागीर	,,	,,
7.	सिणधरी	चाडों की ढाणी	कार्यरत है	
		नोक	,,	
		नीम्बलकोट	,,	
		नोखडा	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		पायलाकलां	कार्यरत है	
		बांड	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		इंडालो	कार्यरत है	
		भाटाला	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		मगने की ढाणी	,,	,,
		गोलियाजेठमाल	,,	,,
		चवा	कार्यरत है	
		छोटू	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		सरली	,,	,,
8.	चोहटने	नेतराड	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		शोभाला	,,	,,
		देदूसर	कार्यरत है	
		सारला	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से

1	2	3	4	6
		बीजासर	कार्यरत है	
		बीजराड	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		धनाऊ	,,	,,
		आलमसर	कार्यरत है	
		सांवा	रिक्त है	2 से 3 वर्ष से
		बडला	,,	,,
		बावडी कलां	,,	,,
		कोनरा	,,	,,
		फागलिया	,,	,,
		सरूपकातला	,,	,,
		सांता	,,	,,
		मीठंकतला	,,	,,
		धोनिया	,,	,,
		मिठड़ाऊ	,,	,,

सूचना

एडपोस्ट

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	एडपोस्ट का नाम	पद का नाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से वर्ष
1.	बाड़मेर	बाछडाऊ	कम्पाण्डर श्रेणी-II	1	1	1980
2.	बायतू	सवाईपदमसिंह	प्रसाविका	1	1	1980
3.	सिन्दरी	रावतसर	प्रसाविका	1	1	1984
4.	चोहटन	सैंभाला	कम्पाण्डर श्रेणी-2	1	1	1982-83
			प्रसाविका	1	1	,,

सूचना

उच्चीकृत उप केन्द्र

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	उच्चीकृत केन्द्र का नाम	पद का नाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से
1.	बाड़मेर	सनावडा	मेलनर्स ग्रेड-I	1	1	नवम्बर, 84
2.	शिव	हरसाणी	,,	1	1	नवम्बर, 84
3.	बायतू	कानोड	,,	1	1	अक्टूबर, 84
4.	सिवाना	खाण्डप	,,	1	1	नवम्बर, 84
5.	बालोतरा	कल्याणपुरा	,,	1	1	नवम्बर, 84
6.	धोरीमन्ना	भाखरपुरा	,,	1	1	जनवरी, 85
		गंगासरा	,,	1	1	जनवरी, 85
		लुहारवा	,,	1	1	मार्च, 85
		उडासर	,,	1	1	मार्च, 85
		पिपरासर	,,	1	1	मार्च, 85
7.	सिन्दरी	होडू	,,	1	1	जनवरी, 85
		चाढों की ढाणी	,,	1	1	अक्टूबर, 85
		छोटू	,,	1	1	जनवरी, 85
		चवा	,,	1	1	मार्च, 85
		आडेल	,,	1	1	जनवरी, 85
		नोख	,,	1	1	जनवरी, 85
8.	चोहटन	धनाऊ	,,	1	1	जनवरी, 85
		मिठडाऊ	,,	1	1	जनवरी, 85
		साता	,,	1	1	जनवरी, 85

पशुपालन विभाग में च. श्रे. कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता

310. **श्री सम्पत सिंह (नगर)** : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में विगत 3 वर्ष में 100 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित तरीकों से नियुक्ति की गई है? कृपया ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है? यदि हां, तो कितनों को? कृपया सूची सदन पटल पर रखें। कुछ कर्मचारियों को ही निकाने की क्या वजह रही?

(3) इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी दोषी पाये गये, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल 22 व्यक्तियों की नियुक्ति वर्ष 1982 से 1984 के दौरान अनियमित तरीके से किया जाना पाया गया है सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सभी 22 अनियमित तरीके से नियुक्त व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया है। जो सूची "क" में दर्शाया गया है।

(3) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

सूची "क"

नामों की सूची

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति करने की तिथि	नियुक्ति निरस्त करने की तिथि
	वर्ष 1982		
1–	श्री पूर्णमल/जेठाराम	7–2–82	4–11–82
2–	;; हरिकेश/रामकुमार	7–2–82	4–11–82
3–	,, विजय सिंह/रामचन्द्र	4–9–82	7–10–82

1	2	3	4
		वर्ष 1983	
4-	श्री रामकरण	मार्च, 1983	31-5-83
5-	„ लक्ष्मीनारायण	„	„
6-	„ सुनेर सिंह	„	„
7-	„ मूल चन्द्र	„	„
		वर्ष 1984	
8-	„ हेमराम/कलजी	16-2-82	26-3-84
9-	„ कुन्जीलाल/नावजी	„	„
10-	„ कांतिलाल/कानजी	„	„
11-	„ जगदीश/धनजी	„	„
12-	„ लक्ष्मणसिंह/तेजसिंह	„	„
13-	„ सोमा/बजा	„	„
14-	„ लल्लूसिंह/श्री केशरसिंह	„	„
15-	„ सोहनलाल/मंगल जी	„	„
16-	„ रामदेव/भोरीलाल	अप्रेल, 1984	31-5-84
17-	„ लल्लूप्रसाद/सूरजमल	„	„
18-	„ सूरजनारायण/छीतरमल	„	„
19-	„ हरिप्रसाद/चौथूराम	„	„
20-	„ कालूराम/रामनाथ	„	„
21-	„ हीरालाल/राम भरोसे	„	„
22-	„ सत्यप्रकाश/रामकरण	„	„

बिना शुल्क कृषि भूमि की किस्म में परिवर्तन

341. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की भांति कृषि भूमि को अकृषि भूमि, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण टैक्स लगाये बिना परिवर्तित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) हां ।

(2) अभी विचाराधीन है ।

धौलपुर जिले हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना

342. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार धौलपुर लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार धौलपुर जिले में किसी नवीन सिंचाई योजना के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वित्तीय साधनों की उपलब्धि न होने से ।

(2) जी हां । धौलपुर लिफ्ट वृहद स्कीम के अतिरिक्त एक मध्यम योजना "लोअर पार्वती सिंचाई योजना" एवं चार लघु सिंचाई योजनाऐं 'मदनपुर मोखारी बांध", "टके का लाल," म्होरी बांध" और खानपुरा बांध विचाराधीन है परन्तु अभी इनके निर्माण का समय बताना सम्भव नहीं है ।

ग्राम कुशालपुरा की डिस्पेन्सरी में स्टाफ

343. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे:-

(1) क्या पाली जिले के ग्राम कुशालपुरा में गत वर्ष राजकीय डिस्पेन्सरी स्वीकृत हुई थी ? क्या उक्त डिस्पेन्सरी में एक नर्स व एक अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है ?

(2) क्या चिकित्सा अधिकारी व कम्पाउन्डर की नियुक्ति हेतु बार-बार निवेदन करने पर भी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त पदाधिकारी उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम कुशालपुरा में वर्ष 1984-85 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया था जिसमें एक डाक्टर, एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका, एक नर्स तथा एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पदस्थापन कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है। कम्पाउण्डर का पद प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होते ही भर दिया जायेगा।

घाटोल (बांसवाड़ा) में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे

344. **श्री नवनीतलाल निनामा** (घाटोल) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन विभाग द्वारा किसानों को आवंटित की गई भूमि को राजस्व विभाग में दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है ?

(2) घाटोल जिला बांसवाड़ा में कहां-कहां किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा किसानों को भूमि आवंटित नहीं की जाती है।

(2) जी हां विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

घाटोल रेंज में वन भूमि पर अतिक्रमण की सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हे. मे.) जिस पर अतिक्रमण किया गया
1.	श्री रकमा खानिया नि. मुहवाल	जयपुर जोगीमाल	3 बीघा
2.	,, कैरेग रूपा ,,	,,	
3.	,, कानजी जीवणा ,,	,,	2 ,,
4.	,, देवा चमना ,,	,,	4 ,,
5.	,, नागजी चमना ,,	,,	5 ,,
6.	,, जीवला चमना ,,	,,	2 ,,

1	2		3	4
7.	श्री अगरीया बेस्ता खेडलीपाडा		जगमेर जोगीमाल	4 बीघा
8.	,, नागगी चमना	,,	,,	2 ,,
9.	,, नन्दलाल गल जी	,,	,,	4 ,,
10.	,, वीरजी वारिया	,,	,,	10 ,,
11.	,, माना हुरदारिया	,,	,,	2 ,,
12.	,, दौला दुधिया	,,	,,	3 ,,
13.	,, सूरजमल नारायण	,,	,,	6 ,,
14.	,, बीजा हुकरिया नि. बडिया		,,	2 ,,
15.	" हुकींया नालु	,,	"	2 "
16.	,, लालू गौतमा	,,	"	8 ,,
17.	" लक्ष्मण हुलिया	,,	,,	3 "
18.	" जालमा नगला	,,	,,	2 "
19.	,, थावरा रामा	"	,,	1 ,,
20.	,, राजेंग मंगला	,,	,,	2 "
21.	" अमरा चमना नि. घाटोल		,,	5 "
22.	" रूपा गोतिया	,,	,,	5 "
	,, कालिया मगजी	"	,,	5 "
	" जीवा नारिया	,,	"	5 ,,
	" हरजी नारिया	"	,,	5 "
22.	,, रकमा रामा नि. खेडली पाला नफर 3 सम्भु लकमा, अमरिया		"	7 "
23.	,, कालिया धुलिया नि. खेडली पाडा		,,	2 ,,
24.	" हीरा मागजी			
	,, भीमा बागला खेडली पाडा		,,	4 ,,
25.	" परथु कुशाला बजा, नानजी, हुकरु, बीजा	,,	"	8 ,,
26.	" वेरजी भरीया वाचाकोटा सवजी		,,	31 "

1	2	3	4
	नागजी, पुरघु		
27.	श्री जीवला कमरिया नि. जाम्बोई	जगमेर जोगीमाल	8 बीघा
28.	,, रावजी गोतिया "	,,	4 "
29.	,, रामा वेस्ता नि. लीवापड़ा " नागजी, खातु, परघु अमरा, कोदर, ,, हकरिया, हेमता, वीरजी, थारिया " जीथा, नोतम, रूपा		15 ,,
30.	" कानजी गोमजी, नई आबाद, कुचननिया	"	4 "
31.	" खातिया वेजा नि. गोरछा	"	डेढ़ बीघा
32.	,, वालजी रकमा	,,	2 "
33.	,, कमजी गोतिया	"	2 "
34.	" लब बिठना वालिया गोतिया	,,	4 ,,
35.	,, वजा कालिया, गौतम कानजी गोरछा	,,	8 "
36.	,, कुशाला हकरिया नि. गोरछा	"	2 ,,
37.	,, रकमा वेजा, नानका कालिया	,,	3 "
38.	,, ठकार, रूपा लेम्बा रूपा "	,,	16 "
39.	" लालू दोला "	"	2 ,,
40.	" तेलिया पारगी ,,	,,	4 ,,
41.	,, जंगला लालू नि. नरोतों की गोंज " कानजीलाल, नरूवा लाल	,,	12 ,,
42.	" वेस्ता हकरिया ,,	,,	5 "
43.	,, देवला माधजी, रंगजी रतना "	"	7 ,,
44.	,, विठला डोलिया नि. भगड़ा	"	2 ,,
45.	,, जीवणा रकमा नि. मै.	,,	2 ,,
46.	,, लालू जीवणा नि. भ.	"	7 "
47.	" नगजी देलिया नि. ,,	"	5 ,,

1	2		3	4
48.	श्री गोतिया जीवणा	नि. भ.	जगमेर जोगीमाल	4 बीघा
49.	,, खोमजी गोतमा	,,	"	8 ,,
50.	,, जीवणा कालिया	,,	"	7 ,,
51.	,, धनजी खानिया	"	"	5 ,,
52.	" घुलिया लखमा	"	,,	4 "
53.	" नरुवा हरदार	"	,,	7 "
54.	,, धरमा कचरु	,, पटोड़ा	,,	4 "
55.	" धनिया नागा	"	,,	5 ,,
56.	" मगला कचरु	नि. कटोड़ा	"	5 ,,
57.	,, बदिया बालेग	"	,,	11 "
58.	" नारिया धीरिया जाम्बोई		,,	4 ,,
59.	" लैम्बा जीवा कालापेत		,,	7 "
60.	" पूंजा हीरा	"	,,	8 ,,
61.	" खानिया दलिया	"	,,	10 ,,
62.	" हरदारिया जीवणा	"	"	6 ,,
63.	" जीवणा बालेग	,,	,,	8 "
64.	" धुरिया नागा	,,	,,	5 ,,
65.	" शम्भूलाल फुलजी	"	,,	8 ,,
66.	,, नाथू हरदारिया		,,	5 ,,
67.	,, मलिया दल		,,	5 "
68.	,, हरदरिया दला		,,	10 "
69	,, हिरिया लालमा	नि. जाम्वोई	"	5 ,,
70,	,, बागला लाल	नि. जाम्बोई		
	,, लालेग, लक्ष्मण, रूपजी, अमरिया		,,	16 ,,
71.	,, गौतिया वालिया	नि. जाम्बोई		
	,, लालू अमरिया	"	,,	15 ,,

1	2		3	4
72.	श्री जीवणा मानिग			
	,, हरमा, मावजी		जगमेर जोगीमाल	13 बीघा
73.	,, जीवणा मानिक			
	" रूपजी, देवा, नाना, मावजी		"	15 "
74.	,, जीवणवनिया	नि. जाम्बोई		
	,, खमजी रतना	,,	,,	10 "
75.	,, राजेगमावेग			
	,, अमरिया, बसीया, पूंजा	"	"	18 ,,
76.	, रममा गोतिया	नि. जाम्बोई		
	', नाथ, सूर्यकरण प्रचन्द	,,	"	21 ,,
77.	,, रूप बदिया	नि. गोज	"	5 ,,
78.	,, बैलिया कानिया	"	,,	15 "
	थावरा, दीपा			
79.	" रंगजी कालिया	,,	"	2 "
80.	" रकमा जीवला	,,	"	5 ,,
81.	" फुलजी गोखिया	नि. अजगरिया		
	पाडा		"	4 "
82.	,, कमजी राम	नि. नई आबादी		
	कुवनया	"	"	3 ,,
83.	,, ईश्वर लाल			
	" धन जी लगला		,,	6 "
84.	" फूलजी दोतिया	नि. अजगरियापाडा	"	2 ,,
85.	,, नारिया गोतिया	नि. गुलाबपुरा	,,	12 "
	" दीतिया हूरदारिया	"	,,	
86.	,, अर्जद हमीरा	"	,,	20 ,,
	,, राजेग जीवणा	"	"	6 "

1	2		3	4
87.	श्री रूपा बीजिया हरजी बिजीया	नि. लाम्बाबाटा	जगमेर जोगीमाल	6 बीघा
88.	,, नाथू वालेंग	,,	,,	1 ,,
89.	" मोतिया जीवरणा	,,	"	3 "
90.	रकमा रूपा घारली जीमला	,,	"	4 ,,
91.	,, कालिया बीजिया मंगला, नुरु धुलजी	,,	,,	8 ,,
92.	" रकमा जीवरण		,,	1 "
93.	,, देवजी रंगीया	,, रूपजी मंगला	,,	2 "
94.	" खातिया हेमला	" जोरजी हरका	,,	7 ,,
95.	,, चौखला जीवरणा	"	,,	6 ,,
96.	" गौतम जीवरणा	,, हेरजी दलिया	,,	4 "
97.	,, कचरु मोगजी, लालू नाकला	"	,,	5 "
98.	,, रालेंग मोतिया	,,	"	3 ,,
99.	" दीतिया नारजी, जीवरणा कचरु		,,	4 ,,
100.	,, हेरजी मोगजी	,, नफर 2 ,,	,,	13 ,,
101.	,, धनजी पूंजा	,,	,,	3 ,,
102.	,, नारिया विठला	,, कानजी नानजी	,,	8 ,,
103.	,, राम फुलजी, नानका फजवी	नि. गुलाबपुरा	,,	16 ,,
104.	,, धुलिया फुलिया	,,	,,	12 ,,
105.	,, मोतिया प्रतापनानु नाथिया		,,	12 ,,
106.	,, हवजी दीवला नि. गुलाबपुरा ,, लक्ष्मरण कालिया नि. अमरथुन		,,	16 ,,
107.	,, वेस्ता धनजी नि. बाडुगन		,,	2 ,,
108.	,, नवला धुलिया	,,	,,	2 ,,

1	2	3	4
109.	श्री रंगजी जीवला नि. गुलाबपुरा		
	,, हवजी जीवला ,,	जगमेर जोगी माल	19 बीघा
110.	,, बाबूलाल नाथु नि. नई आबादी कुचनया		
	,, रूपा नाथु ,,	,,	9 ,,
111.	,, मोहन कालिया नि. घाडीपाड़ा		
	,, रंगजी बदिया ,,	,,	4 ,,
112.	श्री नाकड़ा थावरा नि. नई आबादी कुवानिया	जगमेर जोगी-माल	10 बीघा
	,, विठला भोगजी ,,		
113.	,, रकमा मंगला, जीवला भोगजी ,,	,,	4 ,,
114.	,, लालू मंगला नि. गयापाडा	,,	7 ,,
115.	,, बाग हीरा नई आबादी कुचनया	,,	4 ,,
	,, बाल जी गोतम ,,		
116.	,, कानजी मंगला ,,	,,	3 ,,
117.	,, खातु बर्जेग नि, भगतपुरा	,,	4 ,,
118.	,, लाल हरजी नि. अजगरियापाडा	,,	3 ,,
119.	,, राजेग नाकु नि. लाम्बाकाटा	,,	4 ,,
120.	,, खानिया, गमना, कानजी, लसिया, दीतिया, नाथु शकर		
120.	,, मंगला रूपा नि. वनाला	,,	8 ,,
121.	,, जीलणा, मंजा, कालिया, डेवचंद, धनजी,		
	,, रकमा, देवा		
121.	,, लक्ष्मण नगजी नि. लाम्बाकाटा	,,	5 ,,
122.	,, रूपा नारिया नि. अमरथुन	,,	5 ,,
	देलिया, गोतम		
123.	,, मोतिया हकरिया नि. नई आबादी कुमानिया	,,	3 ,,
124.	,, दलजी नगजी नि. अमरथुन	,,	3 ,,

1	2	3	4
125.	श्री हकरिया धनिया नि. नई आबादी कुचननिया जगमेर जोगी माल 4 बीघा		
126.	,, लालू हकरिदा नि. घाटे की नाल	,,	10 ,,
127.	,, नारायण कचरू नि. नई आबादी कुचानिया	,,	2 ,,
128.	,, सम्भडा हुकदिया ,,	,,	3 ,,
	गौतन, देवजी, बेस्ता		
129.	,, लक्ष्मण दलिया नि. बड़ा	सतबिड़िया	3 ,,
130.	,, पूंजीया गांग जी नि. बोरदा	,,	1 ,,
131.	,, लालू नाग जी ,,	,,	2 ,,
132.	,, धुलिया बेस्ता नि. खडनकाड	,,	2 ,,
133.	,, जीवणा मैग जी		
133.	,, रतना बालेग नि. बस्सी	,,	1 ,,
134.	,, नाथु पेमा नि. टामटिया	,,	2 ,,
135.	,, धारिया देवा नि. देलपाडा	,,	4 ,,
136.	,, वजीया लालू नि. कनपुरा	,,	7 ,,
137.	,, बेस्ता वीर जी ,,	,,	4 ,,
138.	,, नाथु वेसिया, नि. बांसी	,,	डेढ़ बीघा
139.	,, वालजी रूपा नि. दौलतसिंह की गढ़ी	,,	3 ,,
149.	,, लालजी पुजा नि. खडनवाड	,,	5 ,,
	पुनिया, वागजी, कानिया		
141.	,, नगजी दीपा नि. लखेरिया	भागतोल	8 ,,
	,, जीवणा, कमला, रंगजी, हेमता, भेमजी		
142.	,, केरेगें धुलिया नि. लखेरिया	,,	1 ,,
143.	,, धनजी जीवा झरकनिया	,,	4 ,,
144.	,, धनजी खानिया नि. लखेरिया	,,	7 ,,
145.	,, मोगजी हेरिया ,,	,,	4 ,,
146.	,, भागीया वक्ता ,,	,,	4 ,,
147.	,, हुकरू नारियम ,,	,,	2 ,,

1	2	3	4
148.	श्री कमजी गौतम नि. हमीरगढ़	वड़िता हिलेज	2 बीघा
149.	,, केसिया रामा नि. टोडी	,,	2 ,,
150.	,, जीवला, हमीरा नि. बोरपीवाटा	,,	5 ,,
	कुरजी कोदरिया नि. वड़िता	,,	
151.	,, तलिया ओंकार नि. बोरपीवाटा	,,	12 ,,
	कालिया चमना नि. वड़िता	,,	
152.	,, कालिया हमला नि. वड़िता	,,	3 ,,
153.	,, वजेराम राजेंग ,,	,,	4 ,,
154.	,, हुडिया राजेंग ,, भेरिया राजेंग	,,	3 ,,
155.	,, जोरिया मंगलिया	,,	2 ,,
156.	,, मनिया हमीरा ,,	,,	3 ,,
157.	,, ओकारिया कमला	,,	1 ,,
158.	,, कमला नवला नि. डूंगर	,,	2 ,,
159.	,, हीरिया नाथु नि. जावदा	,,	1 ,,
160.	,, कोदर चोखला नाडका हकरू नेमजी-चोखला	,,	4 ,,
161.	,, हीरा हकरू	,,	साढ़े सात बीघा
	सवजी नाथुलमिया हकरू, हमरिया ,,	,,	
162.	,, फुलिया लालोया नि. हमेलापाड़ा	,,	1 ,,
163.	,, बिजीया ओंकारियां ,,	,,	2 ,,
164.	,, रंगुडा रामा नि. हमेलापाडा		
	दावजी हीरा नारिया हरिया	,,	6 ,,
165.	,, नारिया वेस्ता नि. पाखली खेड़ा	,,	2 ,,
166.	,, घुलिया मोगा नि. कन्टाव	,,	3 ,,
167.	,, घनिया कचदिया नि. टोड़ी	,,	2 ,,
168.	,, घनजी मोलिया नि. नाकमी का गढ़	रोहाल उन्डवेला	2 ,,
169.	,, घुलिया देवला नि. जगपुरा	उम्रझला पठारा	4 ,,
170.	,, राइया घुलिया नि. जगपुरा	,,	4 ,,

1	2	3	4
171.	श्री कैशिया रूपा नि. टाण्डापाड़ा	उमरझला पठाला	2 बीघा
172.	,, मंगला गोलिया नि. जगपुरा	,,	1 ,,
173.	,, होलिया उदिया नि. मुन्दवाई नायला ठदिया ,,	,,	3 ,,
174.	,, भाणिया हैम्ला नि. जगपुरा कानिया रूकीया ,,	,,	7 ,,
175.	,, चोखला हेमला ,, थापरिया हेमला	,,	10 ,,
176.	,, नाथु हेमल नि. जगपुरा	,,	5 ,,
177.	,, जगा होमजी नि. पाचमहुड़ी	,,	4 ,,
178.	,, दोपला गोतमा ,,	,,	4 ,,
179.	,, मनजी मंगलिया नि. अमरपुरा	,,	4 ,,
180.	,, केवजीपालिया नि मकनपुरा हुरजीनाथिया, समुडापुजिया	,,	12 ,,
181,	,, धुलिया हरदारिया नि. तरताई	,,	1 ,,
182.	,, ठदिया जमा नि. गडपाडा	,,	4 ,,
183.	,, गैवा धारिया नि. मुण्डवाई	,,	9 ,,
184.	,, हकरिया मनजी नि. भरियाखाडा	,,	4 ,,
185.	,, नगजी मावजी भरपोरपाडा	,,	6 ,,
186.	,, भगवानिया देवजी नि. हकपाड़ा हवला धनजी	,,	4 ,,
187.	,, रकमा हैरिया नि. ओढवाला, मंगला रूप	,,	4 ,,
188.	,, चीखला वेलिया नि. हान्डूक चरना बिठला वेलिया	,,	6 ,,
189.	,, भेरिया गौतिया नि. जगपुरा	,,	2 ,,
190.	,, खातिया जोखिया, कमजी, देवजी,		

1	2	3	4
	श्री कचरू, कोमा, किंकिया, माणजी, नाथु भाणजी नि. मकनपुरा	उमरझला पठारा	44 बीघा
191.	,, नाथु डालमा नि. मकनपुरा जीवणा, कानजी	,,	5 ,,
192.	,, फुलिया राजेग नि. मकनपुरा, केसिया कमजी, खोमनी, बाबुडा, नगजी, जीवणा घनजी, गलजी	,,	साढ़े बाइस बीघा
193.	,, देवरिया ग्रमला नि. मकनपुरा कंसिया, वैसोस्या, मेगजी, बादिया, धरमा, दलजी, धुलिया, कोदर	,,	साढ़े तिरानवें बीघा
194.	,, रूपा हरजी नि. चरना मुण्डवई धुलिया नगला, देवला	,,	9 ,,
195.	,, कालिया बदिया ,,	,,	डेढ़ बीघा
196.	,, मेमजी गागजी नि. चरना मुण्डवई	,,	1 ,,
197.	,, पुनिया मोगला ,,	,,	ढाई बीघा
198.	,, वालिया बेसिया ,,	,,	1 ,,
199.	,, रतना मोगला ,,	,,	2 ,,
200.	,, महमूदखां सुलेमानखां नि झाझोर	,,	2 ,,
201.	,, लालजी पेमा, जगपुरा	चितलिया मन्डेला	4 ,,
202.	,, खानिया मुंगिया ,,	गरजिया मगरा	17 ,,
203.	,, जीवला मेमला दूदका	,,	16 ,,
204.	,, रकमा लालिया ,, चोखला हांमला	,,	4 ,,
205.	,, केसिया देमला निवासी जगपुरा	,,	5 ,,
206.	,, वीरजी वर्जोगिया नि. मुखिया	,,	1 ,,

1	2	3	4
207.	श्री नाथू लाल नि. बावनपाडा	भायेर वारदा	5 बीघा
208.	,, रकमा लाला ,,	,,	4 ,,
209.	,, वागा मावजी	,,	4 ,,
210.	,, हुरजी धुलजी ,,	,,	4 ,,
211.	,, देवजी पूना ,,	,,	5 ,,
212.	,, जलवा जीवा ,,	,,	5 ,,
213.	,, रूपला जीवला नि. सुरपुर मनजी, केसिया, भेरिया	,,	12 ,,
2.4.	,, केसिया मोगजा निवासी डागल	,,	ढाई बीघा
215.	,, रकमा केसिया ,,	,,	1 ,,

कुल योग 1257 बीघा
या 201.12 हैक्टेयर

वीडियो कोचेज

345. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में इस समय ऐसे कितने 'वीडियो कोच' हैं जिन्हें राज्य सरकार ने परमिट दे रखे हैं ?

(2) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये वीडियो कोच राष्ट्रीकृत मार्गों पर अनाधिकृत रूप से सवारियों को ले जाने का काम करते हैं ?

(3) यदि हां, तो इससे राज्य सरकार को यात्री कर की प्रति वर्ष कितनी हानि होती है, तथा इसे रोकने के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में 55 आल इण्डिया टयूरिस्ट परमिट और 300 आल राजस्थान संविदा अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये हुए हैं। इनमें से कितने वाहनों में वीडियो लगे हुये हैं इसकी जानकारी नहीं है।

(2) जी हां। कुछ बसें अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघन करके राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत रूप से चलती हैं।

(3) यह वाहन संविदा वाहन के रूप में कर दे रहे हैं।

युवा वर्ष के उत्थान के कार्यक्रम

346. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री अशरफ अली (फतेहपुर) : क्या मंत्रीमंडल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भारत सरकार ने भी वर्ष 1985 को युवा वर्ष के रूप में स्वीकार किया है ?

(2) युवा वर्ष में राजस्थान सरकार युवकों के उत्थान के लिये क्या कार्यक्रम हाथ में लेना चाहती है, और बीते हुए डेढ़ सौ दिनों में सरकार ने युवकों के कल्याण के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) युवा वर्ष के 3 सत्रों-सहभागिता, विकास तथा शान्ति के अनुसरण में राज्य सरकार ने पूरे वर्ष के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समारोहों की एक रूपरेखा तैयार कर ली है और जिलाधीश की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला स्तर की समिति का गठन किया है। पिछले दिनों किये गये कार्यक्रम का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

दिनांक 12 जनवरी "स्वामी विवेकानन्द जन्म दिवस" के अवसर पर युवा वर्ष का प्रारम्भ किया गया और 12-1-85 से 19-1-85 तक पूरे राज्य में राष्ट्रीय युवा दिवस एवं राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तर पर युवा मार्ग दर्शन एवं युवा चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अवधि में राज्य के नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा युवा रैलियां, विचार-विमर्श, श्रमदान, खेलकूद विशेषज्ञ वार्तायें एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेलकूद, सामूहिक गीत, प्रदर्शनियां, श्रमदान, रक्तदान आदि कार्य किये गये। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा भी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, खेल शिविर लगाये गये एवं ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर हर जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिससे विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकत्रियों, खिलाड़ियों एवं अनुसूचित जाति व जन-जाति के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया। इस समिति का सदस्य सचिव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया गया। इन समितियों द्वारा प्रति माह बैठक का आयोजन किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित माहवार कार्यक्रम के अनुसरण में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। एन. सी. सी. विभाग द्वारा भी कई प्रकार के कार्यक्रम किये गये। एन. सी. सी. के छात्रों ने जोधपुर, बीकानेर और जालोर जिला मुख्यालयों पर रक्तदान किया, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर में वृक्षारोपण किया, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया, बचत खाते खुलवाये और सफाई अभियान चलाये। इसी प्रकार भारत स्काउट एवं गाइड्स के लड़के एवं लड़कियों ने कई तरह से सामाजिक कार्य किये और सामाजिक चेतना जगाने हेतु रेलियां निकाली।

सहकारी गोदाम हेतु आबादी क्षेत्र में भूमि का पट्टा

348. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1978 से 1980 के बीच ग्राम पंचायत देवली, आऊवा, तहसील मारवाड़ जंक्शन ने ग्राम देवली, आऊवा में सहकारी गोदाम हेतु आबादी क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति देवली, आऊवा को भूमि का पट्टा दिया ? यदि हां, तो कब व कितने क्षेत्र का; किस जगह का ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष ने गोदाम का निर्माण कार्य शुरू किया है ? यदि हां, तो कब व किस जगह ?

(3) प्रश्न के भाग 2 में बन रहा गोदाम क्या प्रश्न के भाग (1) में ग्राम पंचायत द्वारा गोदाम हेतु दी गई भूमि पर ही है, या अन्य जगह ? यदि अन्य जगह है, तो क्यों ? यह जगह ग्राम की मुख्य आबादी से कितनी दूर है, तथा क्या बीच में नदी है ?

(4) क्या सहकारी गोदाम को पंचायत द्वारा दी गई जमीन अभी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कब्जे में है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। गोदाम का निर्माण कार्य शीघ्र बैंक द्वारा ठेके पर बाफना एण्ड कम्पनी से दिनांक 13.2.85 को प्रारम्भ करवाया गया। गोदाम सरपंच देवली द्वारा फरवरी, 1985 में आवंटित परिवर्तित भूमि पर 5000 वर्ग फुट पर बनाया गया है।

(3) यह गोदाम परिवर्तित भूमि खण्ड पर बना है। क्योंकि पूर्व में अलाट शुदा भूमि बाद में पंचायत द्वारा चिकित्सा विभाग को दे दी गई तथा उस पर चिकित्सा विभाग का भवन बन चुका है। यह भूमि आबादी के बिल्कुल करीब है।

(4) जी हां। फरवरी, 85 में आवंटित भूमि पर गोदाम बन चुकी है तथा सहकारी समिति को सौंप दिया गया है।

कोटा ताप परियोजना

350. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा ताप बिजली घर के दूसरे चरण में कुल कितने मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रावधान था तथा इस पर कुल कितनी रकम खर्च की जानी थी ?

(2) उक्त योजना पर काम कब से प्रारम्भ कर कब तक उसे पूर्ण किया जाना था, तथा उस पर प्रति वर्ष खर्च किये जाने वाली रकम में से कितनी रकम खर्च की गई ?

(3) कोटा तापीय परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब से प्रारम्भ किया गया ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(4) द्वितीय चरण का कार्य कब तक कितने समय में पूरा करने का लक्ष्य है, तथा इस प्रकार की तापीय परियोजना को पूरा करने का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का निर्धारित मापदण्ड क्या है ?

(5) इस परियोजना में कितने खर्च की सम्भावना है, और कितना निर्धारित किया है, तथा अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? इस वर्ष कितना रुपया दिये जाने का प्रावधान है, और कितना दिया जा चुका है ?

(6) क्या यह सही है कि काम की प्रगति को देखते हुए उक्त योजना का काम समय पर पूर्ण होने की आशा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार योजना के महत्व को देखते हुए इसे समय पर पूरा करने के आदेश प्रदान करेगी ?

(8) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार के उपक्रमों, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, इन्स्ट्रूमेंट लि द्वारा रुपयों के भुगतान के अभाव में माल की सप्लाई बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस प्रतिष्ठान का कितना-कितना बकाया है ?

(9) समय पर पर्याप्त रुपया न देने के कारण प्रोजेक्ट की कुल कितनी कीमत बढ़ गई है तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने तक कितना धन अधिक लगने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) कोटा तापीय परियोजना के द्वितीय चरण में 2 × 210 कुल 420 मेगावाट विद्युत क्षमता की मशीनें लगाने का प्रावधान है। योजना आयोग द्वारा इसके निर्माण पर 133.78 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि वर्ष 1977-78 के मूल्यों को आधार मानकर अनुमानित की गई थी। वर्तमान कीमतों के आधार पर इस परियोजना पर संशोधित लागत 450 करोड़ रुपये अनुमानित है।

(2) योजना आयोग ने द्वितीय चरण के कार्य को राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल करके वर्ष 1980-81 से कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था। दोनों इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 1985-86 में पूर्ण किया जाना था। योजना आयोग का वर्किंग ग्रुप (पावर)

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजना आयोग द्वारा निर्धारित राशि	मण्डल द्वारा बजट प्रावधान	खर्च की गई राशि
1980-81	200	400.00	412.31
1981-82	1300	400.00	654.56
1982-83	1200	1200.00	1044 00
1983-84	2000	1366.00	1449 00
1984-85	2430	3000.00	3080 80
योग	7130	6366.00	6640 67

(ऊर्जा मन्त्री)

प्रत्येक परियोजना के कार्य की जांच कर प्रत्येक वर्ष खर्च की जाने वाली रकम निर्धारित करता है। कोटा तापीय परियोजना के लिए निर्धारित व खर्च की गई रकम वर्षवार निम्न है :-

(3) जी हां, कोटा तापीय परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ होकर प्रगति पर है।

(4) कोटा तापीय परियोजना (द्वितीय चरण) की प्रथम इकाई को मार्च, 87 एवं द्वितीय इकाई को दिसम्बर, 1987 तक चालू करने का लक्ष्य है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित माइल स्टोन चार्ट के अनुसार इस प्रकार की तापीय परियोजना की इकाई बायलर एवं टरबो जनरेटर के क्रय आदेश देने को जीरो डेट मान कर 48 माह के बाद कामर्शियल आपरेशन में आनी चाहिए।

(5) वर्तमान कीमतों के आधार पर इस परियोजना पर संशोधित लागत 450 करोड़ रुपये अनुमानित है। संशोधित वित्तीय अनुमान लागत रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित राशि एवं मण्डल द्वारा आवंटित बजट प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में 60 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट प्रावधान है एवं माह अप्रेल, 1985 से जून, 1985 तक 165 लाख रुपये परियोजना को दिया जा चुका है।

(6) चूंकि योजना आयोग द्वारा निर्धारित राशि कोटा तापीय परियोजना द्वितीय चरण को वित्तीय साधनों की कमी के कारण नहीं दी जा सकी, अतः दोनों इकाइयों का निर्माण कार्य जो कि वर्ष 1985-86 में पूर्ण होना था, कुछ आगे के लिए खिसक गया।

(7) योजना का कार्य समय पर पूरा करने के लिये राज्य सरकार व विद्युत मण्डल प्रयत्नशील है।

(8) जी नहीं। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड एवं मैसर्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा सामान की सप्लाई बन्द नहीं की गई है। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, के 36,99,45,927, 32 रुपये के बिल अभी तक पेन्डिंग है। मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा परियोजना के लिए सामान सप्लाई प्रारम्भ करने का कार्यक्रम अभी नहीं था। अतः भुगतान बकाया होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(9) योजना आयोग द्वारा माह अक्टूबर, 1980 में इस परियोजना के निर्माण पर 133.78 करोड़ रुपया खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की थी जो कि वर्ष 1977-78 के मूल्यों को आधार मानकर अनुमानित की गई थी। वर्तमान कीमतों के आधार पर संशोधित लागत 450 करोड़ रुपये अनुमानित है।

बीकानेर जिले के स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में प्रतिनियुक्त स्टाफ

351. **श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में कितने स्वास्थ्य उप-केन्द्र है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) जिले के कितने स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का स्टाफ बीकानेर शहर में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने अब इस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करके ग्रामीण स्वास्थ्य उप-केन्द्रों पर वापस स्टाफ के स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कृपया उक्त निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार भविष्य में ग्रामीण स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का स्टाफ शहरों पर प्रतिनियुक्ति पर लगाने की मनाही करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

(2) केवल एक उप-केन्द्र उदासर में भवन व्यवस्था न होने के कारण वहां की एक प्रसाविका बीकानेर शहर में प्रतिनियुक्ति पर है। भवन मिलते ही प्रसाविका को उदासर उप केन्द्र पर लगाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां, आदेश प्रसारित हो चुके हैं।

सूची

जिले का नाम	तहसील का नाम	चिकित्सा पक्ष में स्वीकृत उप केन्द्र का नाम	परिवार कल्याण पक्ष में स्वीकृत उप-केन्द्र का नाम
बीकानेर	बीकानेर	1. मुंडसर	1. कानासर
		2. करनीसर	2. सन्तासर
		3. शरेरा	3. जयमलसर
		4. 14 बीडी	4. केसरदेसर
			5. उदासर
	कोलायत	5. दियातरा	6. खारी
		6. सियाना	7. नोखडा
		7, हददा	8. टोकला
			9. नगरासर
			10. खीदासर

1	2	3	4
	नोखा	8. सारूडा	11. ग्रामटसर
		9. पांचू	12. सापुरा
		10. देसलसर	13. किसनासर
		11. घरनोक	14. बेरासर
		12. मोरावाना	15. थावरिया
		13. मेनसर	
	लूनकरनसर	14. कुम्माना	16 मोटोलाई
		15. कोनाताई	17. केला
		16. घीरेरा	18. शेखसर
			19. जेतपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DIRECTORATE OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES (FW)

RAJASTHAN JAIPUR.

No. Plan/Dev/84/1822 Dated 18th June, 1984.

ORDER

1. All the Chief Medical & Health Officers.
2. All the Dy. Chief Medical & Health officers (FW)

It is hereby ordered that deputation of all A.N. Ms. from sub centres, aid posts, dispensaries and P.H Cs. should be cancelled immediately. This step will ensure more sub-cecntres to be manned by the A.N.M. spared from urban Institutions. Action taken be intimated to the undersigned by 30th June, 1984 positively The State Govt. will be moved to initiate dispilirary action against such who

fail to comply these instructions. It has also come to the notice of the Directorate that A. N M. have been deputed by Chief Medical and health Officers in Distt and sub-districts level hospitals such deputation be cancelled immediately. The above steps are to de taken urgently as State Govt, is anxious to ensure functioning of sub centres as per guide line receipt from Govt. of India.

Kindly intimate action taken per return of post.

Sd/-

Director of Medical and Health
Services (FW) Rajasthan, Jaipur.

No. Plan/Dev./84/1822 Dated 18-6-84.

1 Copy to the Secretary to the Govt, Medical & Public Health Department, Rajasthan. Jaipur.

2. Copy forwarded to the Zonal Dy. Director of Medical & Health Services, Jaipur/Kota/Bikaner/Jodhpur/Udaipur to Kindly ensure compliance of the above orders and to intimate action taken and No. of spered ANMs relived for sub centres

3. All Officers of this Directorate.

Sd/-

Director of Medical & Health
Services, Rajasthan, Jaipur.

अलवर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ

352. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. द्वारा डेयरी संघ को एक जुलाई, 1984 से 31 मई, 1985 तक कितना दूध सप्लाई किया गया ?

(2) अलवर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. द्वारा उक्त काल में प्राथमिक सहकारी समितियों को कितना भुगतान किस-किस समिति को किया गया, तथा किस किस समिति का कितना-कितना शेष है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) दूध के बजाय खट्टा तथा दही के भाव से किस-किस प्राथमिक समिति को किस किस माह में कितना भुगतान किया गया ?

(4) उक्त काल में किस-किस माह में कितना दूध खट्टा तथा दही में परिवर्तित हो गया तथा क्यों ? कृपया प्रत्येक माह का विवरण सदन पटल पर रखें।

(5) दूध के खट्टा तथा दही होने से प्राथमिक समितियों को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

उत्तर

(1) अलवर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. द्वारा डेयरी संयंत्र को माह जुलाई, 1984 से 31 मई, 1985 तक कुल 1,17,22,875 किलो दूध सप्लाई किया गया।

(2) अलवर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ द्वारा उक्त काल में दुग्ध समितियों को कुल 3,40,20,064 रुपये 84 पैसे का भुगतान किया गया है। किसी भी दुग्ध समिति का भुगतान शेष नहीं है। समितियों की सूची तालिका 'क' पर संलग्न हैं।

(3) खट्टा एवं दही के भाव से दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को माह-वार किये गये भुगतान का विवरण तालिका "ख" पर सलग्न हैं।

(4) विवरण तालिका 'ग" पर सलग्न हैं।

(5) दूध के खट्टा एवं दही होने के कारण माह जुलाई, 1984 से मार्च 1985 तक दुग्ध उत्पादन समितियों को 2,06,288.24 रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, कुम्हेर के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

353. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित गांव थरावर, उसरानी, बरताई, जहांगीरपुर, पिचूमर व रामनगर की जलदाय योजना 31 मार्च, 1985 तक पूरी की जाकर उक्त गांवों को पीने का पानी प्रदाय करने का लक्ष्य था ?

(श्री नत्थीसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव में केवल पाइके लाइनें डाली गई हैं, लेकिन अभी तक उक्त गांवों को पानी नहीं पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इन गांवों को पानी नियमित रुप से दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) पाईप लाईन का कार्य प्रगति पर है, ग्राम उसरानी, एवं घरावर को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है, शेष गांवों को धन उपलब्ध के अनुसार कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

ब्यावर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना

354. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ब्यावर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कोर्ट स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पहले भी ब्यावर में ए. डी जे. कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि ब्यावर में बनने वाली ए डी. जे. कोर्ट को अजमेर में स्थापित कर दिया गया था ?

उत्तर

(1) जी हां, ब्यावर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं तथा वित्त विभाग द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव भी बजट में सम्मिलित कर लिया गया है । इस संबंधी नोटिफिकेशन, राजस्थान विधान सभा द्वारा बजट पारित किये जाने पर ही जारी किया जा सकेगा ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह सही नहीं है कि ब्यावर में स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय को अजमेर में स्थापित किया गया ।

पेशेवर दाइयां

355. **नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) कितनी पेशेवर दाइयों को सन् 1977 से प्रशिक्षण दिया गया है ? सत्रानुसार कृपया संख्या सदन पटल पर रखें ।

(2) इन दाइयों को विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवायी गयी है ?

(3) इन दाइयों द्वारा प्रति वर्ष कितनी प्रसूतियां करवायी जाती हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) पेशेवर दाइयों का प्रशिक्षण सन् 1976-77 से प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष वार प्रशिक्षित दाइयों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रशिक्षित दाइयों की संख्या
1976-77	118
1977-78	3620
1978-79	4417
1979-80	2872
1980-81	2572
1981-82	2507
1982-83	960
1983-84	1120
1984-85	1167

(2) इन दाइयों को एक माह के प्रशिक्षण के दौरान 300/- रुपये स्टाईफण्ड और प्रशिक्षण के बाद एक दाई किट निःशुल्क दिया जाता है। उनके द्वारा कराये गये प्रसव पूर्व पंजीकरण करवाने का 3/- रुपये एवं 2/- रुपये प्रति केस की दर से (प्रसव बाद पंजीकृत कराने पर) अनुदान राशि देने का प्रावधान है।

(3) गत दो वर्षों में प्रशिक्षित दाईयों द्वारा निम्न प्रसूतियां करवाई गई है :—

वर्ष	प्रसूतियां
1983-84	4701
1984-85	3851

सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, बून्दी

356. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सहकारी अधिनियम के तहत दी बून्दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, बून्दी को प्रति वर्ष आम सभा बुलाना आवश्यक है ?

(2) उक्त बैंक द्वारा कितने वर्षों से यह आम सभा नहीं बुलाई गई है, और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत 4 वर्षों से आम सभा नहीं हुई हैं। बैंक के उपनियमों के अनुसार आम सभा बुलाने का उत्तरदायित्व संचालक मण्डल/प्रबन्ध संचालक का हैं।

(3) यदि संचालक मण्डल/प्रबन्ध संचालक आम सभा नहीं बुलाते है तो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 30 (1) के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी समितियां को आम सभा बुलाने का अधिकार है। जिसके लिये पंजीयक द्वारा आम सभा बुलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों से आम सभा नहीं बुलाने बाबत स्पष्टीकरण मांगा जा रहा हैं।

मेहतर गृह निर्माण सहकारी समिति, चन्द्रघटा, कोटा को भू-आवंटन

357. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में स्थित साबरमती कालोनी में क्या कोई भूमि नगर विकास न्यास द्वारा मेहतर गृह निर्माण सहकारी समिति, चन्द्रघटा कोटा को दी गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी किस भाव पर दी गई थी ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन मय साइट प्लान व पट्टे खुर्दबुर्द करदी गई ? यदि हां, तो क्या खुर्दबुर्द करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नगर विकास न्यास के किसी अधिकारी एवं जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी ? दोषी व्यक्ति के नाम व पता जमीन के रकबे व इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना कृपया सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त जमीन में कुछ भूखण्ड मेहतर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, चन्द्रघटा, कोटा ने कुछ व्यक्तियों को आवंटित की थी। इनमें से 12 व्यक्तियों के अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। इनके नाम क्षेत्रफल व की गई कार्यवाही की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण का सर्वे कराया जा रहा है।

अतिक्रमियों की सूची :—

क्रमांक	नाम अतिक्रमी	अतिक्रमण क्षेत्रफल	नोटिस जारी एवं दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्रीमती पुष्पा बाई पत्नि श्री किशन लाल कोली	20 × 50 व. फट	170/22-3.85	कार्यवाही जेरकार
2.	श्री भैरूलाल कारीगर पुत्र श्री लल्लूराम कोली	1184	188/1-4-85	-,,-
3.	श्री बाबूराम कोली पुत्र सुक्खा कोली	180	182/1-4-85	-,,-

1	2	3	4	5
4.	श्री नन्दलाल कोली पुत्र धन्नालाल	1000	507/28-8-84 149/1-4-85	-,,-
5.	श्रीमती अकलीमा उर्फ मन्जु पत्नि अब्दुल हक	360	186/1-4-85	-,,-
6.	प्रहलाद कुमार हरिजन पुत्र बोगडियाराम	180	1023/28-2-85	कार्यवाही समाप्त पट्टा न्यास द्वारा जारी किया गया।
7.	श्री मदन लाल पुत्र रघुनाथ	240	10-11/26-2-85	कार्यवाही जेरकार हैं।
8.	राजेश कुमार पुत्र बाबूलाल कोली	1000	506/28-8-84 194/2-4-85	-,,-
9.	श्री ईश्वर लाल पुत्र सावरिया कोली	360	508/28-884 138/15-3-85	-,,-
10.	हरिश चन्द्र पुत्र रामलाल	1000	167/22-3-85	-,,-
11.	परमा नन्द पुत्र गोविन्द लाल	1000	597/12-12-84	-,,-
12.	नन्द लाल पुत्र नारायण	1000	598/12-12-84	-,,-

अग्निकाण्डों में प्रभावित व्यक्तियों को राहत

358. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कितने अग्निकाण्ड हुए, तथा उसमें कुल क्षति कितनी हुई ?

(2) राज्य सरकार ने उक्त अग्नि-काण्डों के संदर्भ में राहत बतौर कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की ?

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में 10917 अग्निकाण्ड हुए तथा उसमें कुल 14,37,47,424 रु. की क्षति हुई।

(2) राज्य सरकार ने उक्त अग्नि-काण्डों के संदर्भ में बतौर राहत 58,08,598 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

किशनगंज क्षेत्र के चिकित्सालय

359. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगन्ज) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगन्ज में किस-किस श्रेणी के चिकित्सालय है ? इन चिकित्सालयों में कितने प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने रिक्त हैं और क्यों ?

(2) गत तीन वर्षों में आंगनबाडी परियोजना के लिए चिकित्सा विभाग का कितना बजट आवंटित हुआ ? इन परियोजनाओं के लिए कितने पद सृजित हैं ? उन से कितने रिक्त है ? रिक्त है, तो क्यों, और कितने डेपूटेशन पर अन्यत्र नियुक्त है ?

(3) गत 2 वर्षों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किन-किन तिथि को कितनी आंगन बाडी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो नहीं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किशनगन्ज विधान सभा क्षेत्र में निम्न चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत है :—

1. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, केलवाड़ा 1 ।

2. प्रा. स्वा. केन्द्र, किशनगन्ज 1 ।

3. डिस्पेंसरी-बोहत घट्टाघट्टी शाहबाद, मंचरगढ़ 4 ।

4. एडपोस्ट–नारगढ़, समरनिया, कस्बा थाना 3 ।

5. उपकेन्द्र (उच्चीकृत) देवरी, अमबाड़ा 2 ।

इन संस्थाओं हेतु स्वीकृत तथा रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) गत तीन वर्षों में आंगनवाड़ी परियोजना के लिए चिकित्सा विभाग को 3.29 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया तथा इस परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1–सी.ए एस	1	1	–
2–एल.एच.वी.	2	2	–
3–ए.एन.एम.	4	4	–

(3) गत 2 वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करने की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	डाक्टर	कुल निरीक्षण दिवस
1.	डॉ गगाधर मित्तल	124 दिवस
2.	डॉ. आर.एस. गुप्ता	216 दिवस
3.	डॉ. पी.सी आचार्य	25 दिवस
4.	डॉ. महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव	85 दिवस
5.	डॉ. बी.डी. नागर	66 दिवस

नाम व पद	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद संख्या	कारण
1. सी. ए. एस.	12	–	–
2. मेलनर्स श्रेणी I	5	2	पद पदोन्नति से भरने है। पदोन्नति की प्रक्रिया चालू है।
3. मेल नर्स श्रेणी II	12	1	स्थानान्तरण के कारण
4. स्टाफ नर्स	1	–	–
5. रेडियोग्राफर	1	1	केलवाड़ा में एक्स-रे मशीन न होने के कारण
6. वाहन चालक	2	1	मेडिकल साईड वाहन न होने के कारण
7. लेब टेक्नीशियन	2	–	–
8. स्वास्थ्य निरीक्षक	2	–	–
9- महिला स्वा. दर्शिका	6	3	प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में
10. प्रसाविका	32	3	
11. वरिष्ठ लिपिक	2	1	
12. वार्ड बॉय	23	1	स्थानान्तरण के कारण
13. हरिजन	8	–	–
14. खण्ड शिक्षा प्रसारक	1	–	–
15. संगणक	1	–	–
16. सेक्टर सुपरवाईजर	6	–	–
17. नर्स दाई	1	1	डाईंग केडर होने के कारण.

केन्द्रीय सहकारी बैंक, चूरू

360. **श्री ग्यारसीलाल** (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक के कौन-कौन कब-कब से पदाधिकारी हैं ?

(2) बैंक की इस वर्ष कितने प्रतिशत की बकाया की वसूली हुई है ?

(3) बैंक का अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक में जिलाधीश चूरू दिनांक 1-6-84 से बैंक के प्रशासक हैं।

(2) इस वर्ष बैंक के मांग के बकाया ऋणों का वसूली प्रतिशत 51.70 प्रतिशत रहा है।

(3) दिनांक 1-3-85 को बैंक के पास उसकी अनुपालना रिपोर्ट विचाराधीन है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के "अ" भाग एवं अंतिम लेखों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर परिषद् हनुमानगढ़ के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

361. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ नगर परिषद् में कुल सदस्यों की संख्या 18 फरवरी, 1985 को कितनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि 19 फरवरी, 1985 के बाद नगर परिषद् हनुमानगढ़ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखे जाने के बाद तीन नगर पार्षदों को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां तो निलम्बन की सूचना सदस्यों को कब दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि 17 नगर पार्षदों द्वारा मुख्य मंत्री जी को चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ नगरपरिषद में 18 फरवरी, 85 को सदस्यों की संख्या 22 थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जांच कराली गई है, जो परीक्षणाधीन है।

जमुवारामगढ़ क्षेत्र में विश्राम गृहों का निर्माण

362. **वैद्य भैरूलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक भी विश्राम गृह नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि अधिकांश

(श्री मैरूंलाल भारद्वाज)

चुनाव क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर विश्राम गृह व डाक बंगले बने हुये हैं ?

(2) क्या सरकार जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर निकट भविष्य में विश्राम गृह बनाये जाने का विचार रखती है :—

(1) बांध जमवारामगढ़

(2) नेशनल हाइवे रोड चंदवाजी

(3) मेड (तहसील विराटनगर)

उत्तर

(1) जी हां। जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई विश्राम गृह नहीं है और वहां विश्राम गृह निर्माण हेतु कोई स्वीकृति भी नहीं है। कई अन्य चुनाव क्षेत्रों में विश्राम गृह या डाक बंगले बने हुए हैं।

(2) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-7-1985)

सेटेलाइट व रेफरल अस्पतालों का स्टाफ

33. श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे:–

(1) राज्य में विगत 5 वर्षों में कितने सेटेलाइट व रेफरल अस्पताल कहां कहां खोले गये हैं ? इनमें कितने अस्पताल कहां–कहां चालू हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन अस्पतालों के लिए विभिन्न पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो किन–किन अस्पतालों में किन–किन पदों के कर्मचारी लगा दिये हैं और किन–किन अस्पतालों में किन–किन पदों के कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं ?

(3) ऐसे अस्पताल कहां–कहां चालू नहीं हुए हैं, और क्या उनके लिए स्वीकृत स्टाफ से अन्यत्र काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में विगत पांच वर्षों में खोले गये सेटेलाइट व रेफरल अस्पतालों का ब्यौरा निम्न प्रकार है। इनमें से शास्त्रीनगर (जयपुर शहर) के सेटेलाइट अस्पताल के अलावा अन्य सभी स्थानों पर सेटेलाइट एवं रेफरल अस्पताल प्रारम्भिक रूप से कार्य कर रहे हैं :–

क्र. सं.	जिले का नाम	स्थान का नाम	वर्ष
1	2	3	4

सैटेलाइट अस्पताल

1-	जयपुर	1. शास्त्रीनगर	84-85
		2. सेठी कालोनी	"
2-	जोधपुर	3. पावटा	"
3-	उदयपुर	4. हिरनमगरी	"
4-	भीलवाड़ा	5. शाहपुरा	"

रेफरल अस्पताल (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर) की सूची :

1-	अजमेर	1. पीसांगन	82-83
		2. केकड़ी	84-85
		3. पुष्कर	"
2-	अलवर	4. बहरोड	"
		5. किशनगढ़ बास	"
		6. राजगढ़	"
3-	बांसवाड़ा	7. कुशलगढ़	80-81
4-	बाड़मेर	8. चोहटन	82-83
5-	भरतपुर	9. बयाना	83-84
		10. डीग	"
		11. भुसावर	"
		12. नगर	"
6-	भीलवाड़ा	13. गुलाबपुरा	84-85
		14. गंगापुर	"
7-	बीकानेर	15. नोखा	"

1	2	3	4
8-	बूंदी	16. कापरेन	82-83
		17. नैनवा	84-85
9-	चित्तौड़गढ़	18. निम्बाहेड़ा	"
		19. बेगू	"
		20. कपासन	"
10-	चूरू	21. राजगढ़	"
11-	डूंगरपुर	22. सांगवाड़ा	80-81
12-	धौलपुर	23. बाड़ी	83-84
13-	श्रीगंगानगर	24. रायसिंहनगर	"
		25. नोहर	84-85
		26. सूरतगढ़	"
		27. सादुलशहर	"
		28. श्रीकरणपुर	"
14-	जयपुर	29. दौसा	"
15-	झालावाड़	30. पिडवा	82-83
		31. अकलेरा	84-85
16-	झुंझुनू	32. उदयपुरवाटी	82-83
17-	जोधपुर	33. बालेसर	"
		34. पिपाडशहर	83-84
		35. ओपालगढ़	"
		36. बिलाड़ा	84-85
18-	कोटा	37. मोडक	"
		38. अटरू	83-84
19-	नागौर	39. जायल	84-85
		40. मेड़तासिटी	"

1	2	3	4
20-	पाली	41. जैतारण	84-85
		42. बाली	,,
21-	सवाईमाधोपुर	43. गंगापुर	83-84
		44. मुण्डावर	,,
		45. बोली	,,
		46. हिण्डोन	84-85
		47. मासलपुर	,,
22-	सिरोही	48. माउण्ट आबू	83-84
23-	सीकर	49. श्रीमाधोपुर	84-85
		50. नीमकाथाना	,,
		51. फतेहपुर	,,
24-	टोंक	52. मालपुरा	,,
25-	उदयपुर	53. आमेट	82-83
		54. सलूम्बर	83-84
		55. भिण्डर	8[illegible]-85
		56. राजसमंद	,,
		57. भीम	,,
		58. झाडौल	,,

(2) जी हां, सेटेलाइट व रेफरल अस्पताल (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कम्यूनिटी हैल्थ सेन्टर) में पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत व रिक्त पदों की जिलेवार व संस्थावार सूची (परिशिष्ठ "स") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जहां-जहां ऐसे अस्पताल पूर्ण रुपेण कार्य नहीं कर रहे हैं उसके निम्न कारण हैं:-

(1) भवन की उचित व्यवस्था नहीं होना।

(2) प्रशिक्षित पैरा मेडीकल स्टाफ का अभाव।

पिछले पांच वर्षों (1980-81 से 1984-85) में खोले गये रेफरल/सेटलाइट अस्पतालों में स्वीकृत व रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	जिला व स्थान का नाम	क. बि.		चिकित्सक		सिस्टर		मेलनर्स -I		मेलनर्स -II		स्टाफ नर्स		टेक्नी.		रेडियो ग्राफर		लैब. टेक्नी.		व. लि.		क. लि.		च.श्रे.क./वार्ड बाय	
		स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**अजमेर**																								
1.	पीसांगन	–	–	4	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
2.	केकड़ी	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
3.	पुष्कर	–	–	2	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	5	–
2.	**अलवर**																								
4.	बहरोड़	–	–	2	–	1	–	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–
5.	किशनगढ़ बास	–	–	2	–	–	–	2	–	3	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1
6.	राजगढ़	–	–	2	–	1	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3. बांसवाड़ा																									
	7. कुशलगढ़	–	–	3	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	4	–
4. बाड़मेर																									
	8. चोहटन	–	–	4	3	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	4	–
5. भरतपुर																									
	9. मुसावर	–	–	4	1	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	6	–
	10. बयाना	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
	11. नगर	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
	12. डीग	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
6. भीलवाड़ा																									
	13. गुलाबपुरा	–	–	2	–	1	1	2	1	2	2	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	3	–
	14. गंगापुर	–	–	2	–	1	1	1	1	3	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7. बीकानेर																									
	15. नोखा	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	2	2
8. बूंदी																									
	16. नैमवा	–	–	2	2	1	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–
	17. कापरेन	–	–	4	2	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	4	1
9. चित्तौड़गढ़																									
	18. निम्बेहड़ा	–	–	2	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	19. बेंगू	–	–	2	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
	20. कपासन	–	–	1	–	1	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
10. चूरू																									
	21. राजगढ़	–	–	3	1	1	–	2	–	3	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	2	–
11 डूंगरपुर																									
	22. सागवाड़ा	2	–	2	–	1	1	2	–	–	–	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	10	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12. धौलपुर																									
	23. बाड़ी	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
13. श्रीगंगानगर																									
	24. रायसिंहनगर	–	–	4	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	6	3
	25. नोहर	–	–	2	–	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
	26. सूरतगढ़	–	–	2	1	1	1	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	4	4
	27. श्रीकरनपुर	–	–	2	–	–	–	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4
14. जयपुर																									
	28. दौसा	–	–	2	–	1	1	2	2	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	2	–
15. झालावाड़																									
	29. पिड़ावा	–	–	4	2	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16.	झुंझुनू																								
31.	उदयपुरवाटी	–	–	4	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
17.	जोधपुर																								
32.	बालेसर	–	–	4	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	4	–
33.	पिपाड़शहर	–	–	4	–	–	–	1	1	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	6	–
34.	भोपालगढ़	–	–	4	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	6	–
35.	बिलाड़ा	–	–	2	–	1	–	2	1	2	2	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	4	4
18.	कोटा																								
38.	मोडक	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	6	6
37.	प्रटरू	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	6	6
19.	नागौर																								
38	जायले	–	–	3	–	–	–	2	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	5	–
39.	मेड़तासिटी	–	–	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20. पाली																									
	40. जैतारण	–	–	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	4	4
	41, बाली	–	–	2	2	–	–	2	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
21. सवाईमाधोपुर																									
	42. हिण्डौन	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	6	3
	43. मुण्डावर	–	–	4	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	6	2
	44. बोली	–	–	4	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	1	6	2
	45. गंगापुर	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	6	–
	46. मासलपुर	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	6	3
22. सिरोही																									
	47. माउन्ट आबू	–	–	4	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	1	6	5
23. सीकर																									
	48. नीमकाथाना	–	–	2	1	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	49. श्रीमाधोपुर	--	--	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	--	--	--	--	1	--	1	--	1	1	7	6
	50. फतेहपुर	--	--	2	--	1	1	2	2	3	1	2	2	--	--	1	--	1	--	1	--	1	1	5	5
24. टोंक																									
	51. मालपुरा	--	--	1	1	1	1	1	1	1	--	2	1	--	--	--	--	1	--	1	--	1	1	5	--
25. उदयपुर																									
	52. आमेट	--	--	4	--	--	--	1	--	2	--	1	--	--	--	1	1	1	--	1	1	1	--	4	--
	53. सलूम्बर	--	--	4	--	--	--	1	--	2	--	1	--	--	--	1	1	1	--	1	1	1	1	6	--
	54. भिण्डर	--	--	2	--	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--	1	--	1	--	1	1	--	--	4	4
	55. राजसमंद	--	--	2	1	1	1	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	5	1
	56. भीम	--	--	2	2	--	--	2	1	2	2	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	5	5
	57. सराडा	--	--	4	4	--	--	1	1	4	4	1	1	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6
सेटेलाइट अस्पताल																									
	1. शास्त्रीनगर, जयपुर	4	10	1	2	2	4	4	10	9	10	10	1	--	2	2	3	--	--	--	--	1	1	37	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	2. सेठी कालोनी, जयपुर	4	–	10	--	2	2	4	4	10	5	10	10	1	--	2	2	3	--	1	--	1	1	37	9
	3. शहपुरा (भीलवाड़ा)	4	2	10	8	2	2	4	4	10	10	10	4	1	–	2	2	3	1	1	--	1	–	37	–
	4. पावटा (जोधपुर)	4	–	10	1	2	2	4	4	10	–	10	4	1	–	2	2	3	–	1	–	1	--	37	13
	5. हिरनमगरी (उदयपुर)	4	–	10	4	2	2	4	4	10	7	10	7	1	--	2	2	3	1	1	–	1	1	37	34
	योग :	22	2	198	46	31	24	98	62	153	76	103	59	5	--	41	22	61	4	50	15	52	27	429	153

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 412 की सूची

ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के नाम की सूची

ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के नाम जिन्हें राष्ट्रीय एन. पी. एव उत्तर क्षेत्र (एन. जेड.) परमिट जारी किये गये हैं–

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र (एन. पी.)

1. न्यू सेठी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर।
2. अरावली रोड़ लाइन्स, जोधपुर।
3. जगत एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
4. तोशनीवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
5. अमर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
6. दिपेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
7. चौधरी रोड़वेज, बीकानेर।

उत्तरी क्षेत्र (एन. जेड.)

1. अमर अकबर ट्रांसपोर्ट, जयपुर।
2. लक्ष्मी रोड़वेज, जयपुर।
3. न्यू सेठी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर।
4. कपूर फ्रेट केरियर, जोधपुर।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
सी-11, सूर्य निकेतन, सवाई जयसिंह हाइवे, जयपुर-302006

क्रय विक्रय संघ/हैण्डलिंग एजेन्टों में 31 मार्च, 1982 तक की बकाया राशि की सूची :-

			रु. पै.
1.	राजस्थान राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	अलवर	28,684.97
2	,, ,,	पाली	4,119.81
3.	क्रय-विक्रय संघ	कोटा	4,489.18
4.	,, ,,	चित्तोडगढ़	29,233.19
5.	,, ,,	अनूपगढ़	3,51,140.92
6.	,, ,,	जालौर	2,24,310.39
7.	,, ,,	पाली	58,896.96
8.	,, ,,	भीनमाल	4,508.69
9.	,, ,,	बालोतरा	758.15
10.	,, ,,	हनुमानगढ़	39,764.66
11.	,, ,,	कांकरोली	13,774.16
12.	,, ,,	झुंझनू	471.13
13.	,, ,,	सीकर	78,499.92
14.	,, ,,	टोंक	97,739.13
15.	,, ,,	चूरू	41,496.45
16.	,, ,,	बांसवाड़ा	14,145.22
17	,, ,,	भरतपुर	39,595.55
18.	,, ,,	गंगापुरसिटी	8,591.14
19.	मै एग्रो सेल्स एण्ड मैन्यू. कम्पनी	मेड़तासिटी	13,329.39
20.	क्रय-विक्रय संघ	सुमेरपुर	12,371.71
21.	,, ,,	डूंगरपुर	11,24,651.66

1	2	3	4
22.	क्रय-विक्रय संघ	हिण्डोनसिटी	1,93,056.72
23.	,, ,,	जोधपुर	1,53,415.61
24.	,, ,,	धोलपुर	37,999.26
25.	,, ,,	जयपुर	19,526.79
26.	भण्डार गृह निगम	जोधपुर	1,03,456 87
27.	,, ,,	फतेहनगर	10,286.95
28.	क्रय-विक्रय संघ	भीलवाड़ा	51,277.90
29.	,, ,,	उदयपुर	4,461 11
30.	,, ,,	नागोर	32,123.21
		कुल	27,96,176.80

बीज उत्पादकों में बकाया राशि के बारे में

बीज उत्पादकों में वर्ष 1983 तक आधार बीज की मुख्यतया निम्न धन राशि बकाया है।

(1)	कोटा	3,36,177.00	(रुपये)
(2)	जयपुर	23,418.00	,,
(3)	जोधपुर	1,28,968.00	,,

इस धन राशि को वसूल करने के लिये निम्न कारगर कदम उठाये गये :-

(1) कृषि विभाग के माध्यम से वितरित बीज की वसूली के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखे गये एवं निदेशक कृषि विभाग को भी सूचित किया गया।

(2) सम्बन्धित बीज उत्पादकों से भी सीधा सम्पर्क किया गया व कानूनी तौर पर नोटिस भी दिये गये। नोटिस अब भी दिये जा रहे हैं।

(3) जिन स्थानों पर बीज उत्पादक संघ बने हुए हैं वहां संघ के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) वर्ष 1984-85 से निगम ने आधार बीज नगद राशि पर ही देना शुरू किया व अब उधार नहीं दिया जा रहा है।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं. 422 की सूची

आयुर्वेद विभाग की निविदा विज्ञप्ति दिनांक 28–12–83 में हींग (आई. पी. टेस्ट) के लिए निविदाताओं के नाम प्राप्ति दिनांक में दी गयी शर्तों का विवरण :–

क्र. सं.	नाम व्यापारी	निविदा प्राप्ति दिनांक	निविदा में दी गयी शर्तें
1.	रामगोपाल शर्मा एण्ड कं., जयपुर	27-1-84	1. प्रथम तथा द्वितीय दरें एक माह तक मान्य होगी । 2. माल सप्लाई का भुगतान 15 दिन में करना होगा । 3. हमारे द्वारा डबल बारदाना माल के साथ जावेगा उसको वापिस करना होगा, औरीजनल बारदाना ही दिया जावेगा । 4. कानूनी विवाद का क्षेत्र अजमेर न होकर जयपुर होगा । 5. टेण्डर मनी को सुरक्षा मनी में माना जावेगा ।
2.	श्री नाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर ।	27-1-84	
3.	सन्तोष फार्मेस्युटिकल ग्वालियर ।	27-1-84	1. कुछ की हींग, सत्सनाभ प्राकृतिक उपज है । इसके सेम्पल संलग्न किये हैं जिनको तकनीकी अधिकारी को बताया जावे तथा बैठक के समय उन्हें बुलाया जावे । 2. आदेश देने के लिये दरें 30 दिन तक खुली है ।

1	2	3	4
			3. हमने जो क्वालिटी कोट की हैं उसमें बन्धे हुए हैं तथा विभाग को एक लोट में पूरा आदेश देना होगा।
			4. आदेश के दिनांक 30 दिन में सामग्री देवे।
			5. हम लेट सप्लाई/नोन सप्लाई के लिए 3 प्रतिशत जुर्माना ही देंगे (सुरक्षा राशि के बराबर)।
			6. माल सप्लाई के 15 दिन में भुगतान करना होगा।
4.	विनायक स्टोर, अजमेर।	27-1-84	1. भाग टेण्डर खुलने के दिनांक से 25 दिन के लिए वैद्य है उसके बाद पूछना होगा।
			2. कोई भी आइटम स्वीकृत नहीं होने पर निविदा राशि एक माह में लोटानी होगी।
			3. यदि जरूरत पड़े तो निविदा राशि को सुरक्षा में मानकर बाकी राशि लोटानी पड़ेगी।
			4. आदेश प्रति 45 दिन में दो अथवा जरूरत पड़े तो 3 टुकड़ों में सप्लाई होगी। नोन सप्लाई या लेट सप्लाई पर पैनल्टी देय नहीं होगी।
			5. माल सात दिन में पास करना होगा अन्यथा माल पास मान लिया जावेगा।

1	2	3	4
			6. माल का भुगतान पास होने के 7 दिन में करना होगा अन्यथा 18 प्रतिशत ब्याज माल सप्लाई की दिनांक से वसूल किया जावेगा।
			7. कोई भी माल सप्लाई के विवाद में पड़ जाने पर नोन सप्लाई अथवा लेट सप्लाई पैनल्टी हम देने को बाध्य नहीं होंगे।
			8. शर्तों के कारण टेण्डर रिजेक्ट करने से पहले हमसे वार्ता करलें हम शर्तों में रद्दोबदल कर सकते हैं।

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : लेखा/3/क्रय/83-84/ 1 दिनांक 28-12-83

अल्पकालीन निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 1983–84 (30.6.84 तक) के लिये आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत संचालित रसायनशालाओं के उपयोगार्थ निम्न संभागों में सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

भाग–क : मानव उपयोगी औषधियां/जड़ीबूटियां।

संभाग	नाम निविदा	निविदा अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	निविदा फार्म शुल्क
क-I	आयुर्वेदिक औषधियां (जड़ीबूटियां व किराये का सामान)	5.00	50.00
क-III	आई. पी. बी. पी. औषधियां (जैसे नीलगिरी तेल, कलमीशोरा, हींग, कुटकी, नीलाथोथा, वत्सनाभ, सोडाबाईकार्ब आदि) (केवल वे ही व्यापारी निविदा भरें जिनके पास ड्रग्ज लाइसेन्स उपलब्ध हों)	4.40	50.00

प्रत्येक सम्भाग की निविदा का मूल्य उनके सम्मुख अंकित है। व्यापारी एक अथवा एक से अधिक संभागों की निविदा दे सकते हैं। निविदा फार्म मय शर्तों के व्यक्तिगत रूप से नगद अथवा मनीआर्डर अथवा पोस्टल आर्डर, सदस्य-सचिव, स्टोर परचेज कमेटी, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के नाम भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा फार्म विक्रय/क्रय करने की अन्तिम तिथि 27.1.84 को दोपहर 12 बजे तक एवं निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि 27.1.84 को सायं: 4 बजे तक रखी गयी हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 28.1.84 को प्रात: 11.30 बजे उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (आयुर्वेद) सचिवालय के कक्ष में खोली जावेगी।

ह0/-

(एल. एन. पुरोहित)
सदस्य सचिव एवं लेखाधिकारी
निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

अल्पकालीन जनरल टेण्डर वर्ष 1983-84

भाग क—3 आई. पी. बी. पी. की औषधियां

क. सं.	आ. सं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर: शब्दों में	दर: अंकों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2	नीलगिरी तेल (आई पी 1975)	80	अजमेर	प्रतिकिलो	97.00	अक्षरे सतानवे रुपये
2.	2	कलमी शोरा (आई पी 1975)	170	अजमेर	,,	25.00	अक्षरे पच्चीस रुपया
3.	3	कुटकी (आई पी 1975)	1400	अजमेर	,,	55.00	अक्षरे पच्चपन रुपया
4.	4	नीला थोथा (आई पी 1975)	115	अजमेर	,,	35.00	अक्षरे पैंतीस रुपया
5.	5	बत्सनाभ (आई पी 1975)	275	अजमेर	,,	55.00	अक्षरे पच्चपन रुपया
6.	6	हींग डलीदार (आई पी 1975)	1110	अजमेर	,,	315.00	अक्षरे तीन सौ पन्द्रह रुपया
7.	7	सोडा बाईकार्ब (आई पी 1975)	7100	अजमेर	,,	7.15	अक्षरे रु. सात एवं पैसा पन्द्रह

नोट :—निविदा के साथ निविदा राशि 4000.00 (चार हजार मात्र) जमा करनी होगी।

ह०/-
भगवान सहाय
(सील) फोर रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी
हस्ताक्षर निविदा दाता

363

अल्पकालीन जनरल टेण्डर वर्ष 1983-84

भाग क—3 आई. पी. बी. पी. की औषधियां

क्र. सं.	भा.सं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						शब्दों में	अंकों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	नीलगिरी तेल (आईपी 1975)	80	अजमेर	प्रतिकिलो	87.00	सत्यासी रुपया मात्र
2.	2	कमली शोरा (आईपी 1975)	170	अजमेर	,,	21.00	इक्कीस रुपया मात्र
3.	3	कुटकी (आई.पी. 1975)	1400	अजमेर	,,	63.00	तरेसठ रुपया मात्र
4.	4	नीला थोथा (आई.पी. 1975)	115	अजमेर	,,	30.00	तीस रुपये मात्र
5.	5	वत्सनाम (आई.पी. 1975)	275	अजमेर	,,	60.00	साठ रुपया मात्र
6.	6	हींग डलीदार (आईपी 1975)	1110	अजमेर	,,	365.00	तीन सौ पैंसठ मात्र
7.	7	सोडा बाई.कार्ब (आईपी 1975)	7100	अजमेर	,,	7.50	सात रुपया पचास पैसा

नोट :—निविदा के साथ निविदा राशि 4000.00 (चार हजार मात्र) जमा करानी होगी।

वास्ते श्री नाथ मेडीकल एण्ड
(सील) जनरल स्टोर
ह०/-
गोपीनन्द
हस्ताक्षर निविदा दाता
मैनेजर/पार्टनर

364

अल्पकालीन जनरल टेण्डर वर्ष 1983-84

भाग क-3 आई. पी. बी. पी. की औषधियां

क्र. सं.	आ. सं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	नीलगिरी तैल (आई.पी. 1975)	80	अजमेर	प्रतिकिलो	95.00	P.L. Rs' Ninty five only
2.	2	कलमी शोरा (आई.पी.1985)	170	"	"	30.00	Rs. Thirty only.
3.	3	कुटकी (आई.पी. 1975)	1400	"	"	61.00	Rs. Sixty one only.
4.	4	नीला थोथा (आई.पी. 1975)	115	"	"	38.00	Rs. Thirty Eight only.
5.	5	वत्सनाभ (आई.पी. 1975)	275	"	"	51.00	Rs. Fifty one only.
6.	6	हींग डलीदार (आई पी. 1975)	1110	"	"	325.00	Rs Three hundred Twenty five only
7.	7	सोडा बाई कार्ब (आई.पी. 1975)	7100	"	"	6.90	Rs. Six Paisa ninty only.

नोट :— निविदा के साथ निविदा राशि 4000.00 (चार हजार मात्र) जमा करानी होगी।

ह/--
हस्ताक्षर निविदा दाता
Santosh Pharmaceuticals
Daulat ganj Gwalior-1

अल्पकालीन जनरल टेण्डर वर्ष 1983—84

भाग क—3 आई. पी. पी. पी. की औषधियां

क.सं.	आ.सं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी दी जावेगी	दर की इकाई	दर शब्दों में	दर अंकों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	नीलगिरी तेल (आईपी 1975)	80	अजमेर	प्रतिकिलो	पिचासी रुपया	85
2	2	कलमी शोरा (आईपी 1975)	170	अजमेर	,,	पन्द्रह रुपये पचास पैसे	15.50
3.	3	कुटकी (आईपी 1975)	1400	अजमेर	,,	इक्यावन रुपये पचपन रुपये	51.00 नमूने के अनुसार 55.00 आई. पी. बी. पी.
4.	4	नीला थोथा (आईपी 1975	115	अजमेर	,,	चवदह रुपये पचास पैसे	14-50
5.	5	वंसलोचन (आईपी 1975)	275	अजमेर	,,	नो रेट	नो रेट

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6	हींग डलीदार (आईपी 1975)	1110	अजमेर	प्रतिकिलो	चार सौ पच्चीस रुपये	425.00
7.	7	सोडा बाईकार्ब (आईपी 1975)	7100	अजमेर	,,	चार रुपये पचपन पैसे	4.55

नोट:—निविदा के साथ निविदा राशि 4000.00 (चार हजार मात्र) जमा करानी होगी।

नोट:—हमारी शर्तें साथ में हमारे पत्र पर अलग संलग्न
उसी के अनुसार हमारा टेण्डर माना जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता

फोर विनायक स्टोर
एसडी/-
प्रोपाइटर

फोर विनायक स्टोर्स
एसडी/-
प्रोपाइटर

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक लेखा-3 ( ) ( ) 17487-91 दिनांक 23-8-84

मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

विषय :- जनरल टेण्डर/अल्पकालीन निविदा वर्ष 83-84 के क्रय आदेश।

उपरोक्त विषय में आपको आदेश दिये जाते हैं कि अल्पकालीन निविदा वर्ष 83-84 में आपके नाम स्वीकृत औषधियों की सप्लाई संलग्न सूची के अनुसार रुपया 302400.00 (शब्दों में) तीन लाख दो हजार चार सौ रुपया मात्र सम्बन्धित रसायनशालाओं में उनके सामने अंकित मात्रा में उत्तम माल एवं विभागीय नमूने के अनुसार क्रय आदेश दिनांक 30-9-84 तक की अवधि में करने का श्रम करें।

निश्चित अवधि में उत्तम माल सप्लाई नहीं करने की अवस्था में निविदा वर्ष 83-84 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ह./-
निदेशक

क्रमांक लेखा-3 ( ) ( ) दिनांक :

प्रतिलिपि :—

1. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएं, राजस्थान, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आयकर/बिक्रीकर अधिकारी, जयपुर।

ह./—
निदेशक

अल्पकालीन निविदा वर्ष 1983-84

मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर

भाग (क) III.

क्र.सं.	आ.नं.	नाम औषधि	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	अनुमानिक मात्रा	दर	राशि
1.	6	हींग डलीदार (आईपी. 1975)	अजमेर	960 किलो	315.00 प्रतिकिलो	302400.00
					योग :—	202400.00

नोट :— उपरोक्त सामग्री 30-9-84 से पूर्व सप्लाई करना आवश्यक होगा। फर्म की निम्ननिजी शर्तें स्वीकार की गई हैं।

1. माल स्थानीय क्रय समिति द्वारा पास होने पर भुगतान 15 दिन में करने का प्रयास किया जावेगा।
2. ओरिजनल बारदाने के अलावा सुरक्षा के लिये लगाये गये बारदाने को लोटाने की शर्तें मान्य की गई।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई निजी शर्त मान्य नहीं की गई हैं।

ह./

निदेशक

हींग से बनी औषधियां, उनकी मात्रा, निर्मित दिनांक एवं वितरण का विवरण

क्र.सं.	नाम रसायन	हींग की मात्रा जो डाली गयी (किलो में)	निर्माण दिनांक	मात्रा निर्मित औषधि (किलो में)	वितरण केन्द्र जहां औषधि सप्लाई की गयी
1.	हब्बे हाजिम	3.000	1-5-85	132.250	पाली, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, एवं स. मा.
2.	हिंग्वाष्टक चूर्ण	380.000	10-4-85	2927.750	2927.750 किलो हिंग्वाष्टक चूर्ण में से 2800.000 किलो का पैकिंग किया जा रहा है जो बाद पैकिंग वितरण कर दिया जावेगा 127.750 किलो जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर, पाली, सिरोही व जोधपुर को वितरण कर दिया गया है।
3.	अग्निसंदीपन चूर्ण	20.000	9-5-85	1451.950	पाली, जयपुर, सिरोही, सीकर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर।

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची)

सूची जहां पर दवाइयों की दुकानें नहीं हैं।

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	नाम संस्थान 3	
1.	टोंक	1. प्रा. स्वा. केन्द्र,	माण्डोलाई
		2. डिस्पेन्सरी	पराना
		3. ,,	ननेर
		4. ,,	बर्वास
		5, ,,	खरडा
		6. ,,	बम्राकला
		7. ,,	सिरस
		8. ,,	चनानी
		9. ,,	चान्दसेन
2.	भरतपुर	1. डिस्पेन्सरी,	बांसी
		2. ,,	घाटा
		3. ,,	ग्रम्हवाद
		4. ,,	मुकिमानगर
		5. ,,	मिठार
		6. ,,	अलीपुर
		7. ,,	बिजवारी
		8. ,,	हुन्तरा
		9. ,,	सरसैना
		10. ,,	रन्धीरगढ़
		11. ,,	जोवद
		12. ,,	धनवाडा
		13. ,,	सिधाडा
		14. ,,	धूरसानी
		15. ,,	बरालीछार
		16. ,,	बहनेरा
		17. ,,	पूपरेरा
		18. ,,	कोरेर

1	2	3	
20.	चिकसाना	19. डिस्पेन्सरी	बन्द बरेठा
		21. प्रा. स्वा. केन्द्र,	अजान
3.	बांसवाडा	1. प्रा. स्वा. केन्द्र,	छोटा डूंगरा
		2. ,,	सरेरी
		3. ,,	घलीवया
		4. ,,	भीमपुर
		5. ,,	खमेरा
		6. ,,	गोपीनाथ का गढा
		7. ,,	छिन्छ
		8. ,,	नोगामा
		9. लघु स्वा. केन्द्र,	घन्टाली
		10. ,,	शेरगढ
		11. ,,	कलामेला
		12. ,,	गागरतलाई
		13. राज. डिस्पेन्सरी	जालान
		14. ,,	मोकमपुरा
		15. ,,	बोरी
		16. ,,	सज्जनगढ़
		17. ,,	कसारबाड़ी
		18. ,,	भगड़ा
		19. ,,	छोटी सरवा
		20. ,,	दानपुर
		21. ,,	पीपलखूंट
		22. ,,	सल्लोपाट
		23. ,,	चान्दरबाड़ा
		24. ,,	ताम्बेसरा
		25. ,,	चन्दुजी का गढा
	कोटा	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	अंपला
		2. ,,	पीपल्दा (रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस)
		3. ,,	बामला
		4. डिस्पेन्सरी	घटाघटी

1	2	3	
		5. डिस्पेन्सरी	भाटोन
		6. ,,	कोटड़ी
		7. ,,	अयाना
		8. ,,	सुन्दलक
		9. ,,	कोयला
		10. ,,	बनियानी
		11. ,,	ताथेड़
		12. ,,	कंजेड (कुन्जेड)
		13. ,,	कुन्दनपुर
		14. ,,	सालपुरा
		15. ,,	तकरावदा
		16. ,,	पलायथा
		17. ,,	सकतपुरा (रेस्ट्रि-क्शन लाइसेन्स)
		18. ,,	डीपरी ,,
	श्री गंगानगर	1 प्रा. स्वा. केन्द्र,	ख्यालीलाला
		2. राजकीय डिस्पेन्सरी	बुडसर
		3. ,,	उतरावास
		4. ,,	घोलियाल
6.	ब्यावर (अजमेर)	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	करकेडी
		2. ,,	बाघसूरी
		3. राजकीय डिस्पेन्सरी	रजियावास
		4. ,,	बड़ा खेड़ा
		5. ,,	बांतड़ा
		6. ,,	बुधवाड़ा
		7. ,,	करनोज
		8. ,,	गगवाना
		9. ,,	कुचिल
		10. ,,	गढियान
		11. ,,	बोराब
		12. ,,	फतेहगढ़
		13. ,,	तिहारी,

1	2	3	
		14. राजकीय डिस्पेन्सरी	चान्दनवाड़ा
		15. ,,	टांटोती
		16. ,,	जूनिवा
		17. ,,	पार
		18. ,,	पान्हेडा
		19. ,,	देवलियांकला
		20. ,,	जालियां-।।
		21. ,,	रामगढ़
7.	जालौर	1. राज. चिकित्सालय	मालवाडा
		2. राज. डिस्पेन्सरी	पाथेडी
		3. ,,	मण्डावला
		4. ,	बागोडा
		5. ,,	हरजी
		6. ,,	सरह
		7. ,,	घानशा
		8. ,,	भाद्राजून
		9. ,,	पादरली
		10. प्रा. स्वा. केन्द्र	मांडोलीनगर
		11. ,,	चांदनवाडी
		12. ,,	केशवाना
		13. ,,	गोदन
8.	बूंदी	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	दबलाना
		2. ,,	तलवास
		3. ,,	लाम्बाखोट
		4. राजकीय डिस्पेन्सरी	डावी
		5. ,,	माटून्दा
		6. ,,	बड़ा नया गांव
9.	चूरू (मुख्यालय रतनगढ़)	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	फूलासर
		2. ,,	खुडी
		3. ,,	घीरवास
		4. ,,	बिग्गा

1	2	3	
9.	चूरू (मुख्यालय रतनगढ़)	5. राजकीय डिस्पेन्सरी	वाय
		6. ,,	चाड़वास
		7. ,,	ददेरवा
		8. ,,	जोड़ी
		9. ,,	जेन्सीसर
		10 ,,	लखासर
		11. ,,	लोहराखाब
		12. ,,	बेरसरिया
		13. ,,	सिमला
		14. ,,	सोमासी
		15. ,,	सडबड़ी
		16. ,,	टिडियासर
		17. ,,	तोलियासर
		18. ,,	दुलचासर
		19. ,,	भेसली
10.	धौलपुर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	गोपालपुर
		2. ,,	विरोदा
		3. राजकीय डिस्पेन्सरी	बरेह
		4. ,,	जसपुरा
		5. ,,	बीपरपुर
		6. ,,	पंगगांव
		7. ,,	चित्तौड़ा
		8. ,,	बद्रीका
		9. ,,	खानपुर
		10. ,,	कंचनपुरा
		11. ,,	अब्दुलपुरा
		12. ,,	अंगाई
		13. ,,	बरोली
11.	भीलवाड़ा	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	आमली
		2. ,,	श्यामपुर
		3. राजकीय डिस्पेन्सरी	सुवाना
		4. ,,	ब्राम्हणो की सरेरी

1	2	3	
11.	भीलवाड़ा	5. राजकीय डिस्पेन्सरी	अंटाली
		6 ,,	रजियास
		7. ,,	सांगरिया
		8. ,,	आमरवासी
		9. ,,	कोरडा
		10. ,,	चान्दराय
		11. ,,	सिगोली
		12. ,,	भानपुरा
		13. ,,	डाबला
		14. ,,	रुपाहेली
12.	सवाई माधोपुर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	हाडोती
		2. राजकीय डिस्पेन्सरी	फतेहपुर
		3. ,,	केलादेवी
		4. ,,	कंचनपुर
		5. ,,	नारोली डांग
		6. ,,	कांचरोदा
		7. ,,	लिवाली
		8. ,,	मेंहदीपुर बालाजी
		9. ,,	मेहस्वा
		10. ,,	मूंडिया
		11. ,,	रसीदपुर
		11. ,,	कोट
		23. ,,	सांथा
		14. ग्रा. प. क. केन्द्र	पीलोदा
		15. ,,	झारेडी
13.	जयपुर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	भोनावास
		2. राजकीय डिस्पेंसरी	बनेठी
		3. ,,	बडनगर
		4. ,,	गोनेडा
		5. ,,	कादेडा
		6. ,,	बडियालकलां
		7. ,,	मरवा

1	2	3		
13.	जयपुर	8.	राजकीय डिस्पेंसरी	कल्याणपुरा कलां
		9.	,,	गुढा सुरजन
		10.	,,	बड़वा
		11.	,,	पांछूडाला
14.	बीकानेर	1.	राजकीय डिस्पेंसरी	कूदसमू
		2.	,,	हिम्मतसर
		3.	,,	परसिहसर
		4.	,,	पूगल
		5.	,,	नौरंगदेसर
		6.	,,	जैमलसरसर
		7.	,,	महाजन
		8.	,,	बज्जू
		9.	,,	मढियाला
		10.	,,	लालगढ
15.	झालावाड़	1.	,,	रौछवा
		2.	,,	गंगधार
		3.	,,	बनाबद
		4.	,,	बहीखेडा
		5.	,,	जावर
16.	उदयपुर	1.	प्रा. स्वा. केन्द्र	मोडी
		2.	,,	रिन्छेड
		3.	,,	कोटडा
		4.	,,	डबोक
		5.	,,	धाटा
		6.	,,	शिशेडा
		7.	,,	सिगला
		8.	,,	डोडी
		9.	,,	पलोदडा
		10.	,,	बाई
		11.	,,	पारनवा
		12.	,,	बावलवाडा
		13.	,,	देवपुरा

1	2	3	
16.	उदयपुर	14. प्रा. स्वा. केन्द्र	देकरिया
		15. राजकीय डिस्पेंसरी	सरदारगढ
		16. ,,	जिलोला
		17. ,,	बार
		18. ,,	लोसिंग
		19. ,,	गिलुण्ड
		20. ,,	कुम्राचल
		21. ,,	कुरंज
		22. ,,	पीपली अहिराय
		23. ,,	चन्देसरा
		24. ,,	भडबोर
		25. ,,	दिवेर
		26. ,,	उथरदा
		27. ,,	जुडा
		28. ,,	पई
		29. ,,	देवला
		30. ,,	सयतडा
		31. ,,	भवराना
		32. ,,	सकरोदा
17.	सीकर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	ताजसर
		2. ,,	होद
		3. ,,	झाडली
		4. ,,	फतेहपुरा
		5. राजकीय डिस्पेंसरी	फागलवा
		6. ,,	काशी का वास
		7. ,,	डोकन
		8. ,,	दसंढन
		9. ,,	गाडोदा
		10. ,,	जेसवा
		11. ,,	मेहराली
18.	अलवर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	ऊंटवाल
		2. ,,	मौजपुर
		3. ,, जिन्दोली	जिन्दोली

1	2	3	
18.	अलवर	4. प्रा. स्वा, केन्द्र	भगेरी कलां
		5. राजकीय डिस्पेंसरी	पिढ़वाड़ चौहान
		6. ,,	बहतुकला
		7. ,,	डेरा शाहपुर
		8. ,,	गढ़ी सवाई राम
		9. ,,	जखराना
		10. ,,	जौडिया
		11. ,,	जामडोली
		12. ,,	मालवाड़ी
		13. ,,	मुडनकलां
		14. ,,	भाजरा
		15. ,,	नीमूचना
		16. ,,	नागलबानी
		17. ,,	सकट (सकट)
		18. ,,	सिहाली कलां
		19. प्रा. प. क. केन्द्र	इस्माईलपुरा
		20. ,,	गुढा चुरानी
		21. ,,	खत्तारपुर
19.	पाली	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	बादाई
		2. ,,	गोगुदा
		3. राजकीय डिस्पेंसरी	गुन्दोज
		4. ,,	अटपडा
		5. ,,	गिरी
		6. ,,	ब्याली
		7. ,,	बेण्डा
		8. ,,	बावरा
		9. ,,	बागोल
		10. ,,	बेडकला
		11. ,,	भीमाना
		12. ऐड पोस्ट	सरदार समन्द
20.	सिरोही	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	दातराई
		2. राजकीय डिस्पेन्सरी	पाडवी
		3. ,,	तंवरी

1	2	3	
20.	सिरोही	4. राजकीय डिस्पेंसरी	सोलर
		5. ,,	देलदर
		6. ,,	अनार
21.	बाड़मेर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	पादरु
		2. ,,	मंडोली
		3. ,,	पालरु
		4. ,,	नोखडा
		5. ,,	गिराव
		6. ,,	मारडवा
		7. राजकीय डिस्पेन्सरी	बटाडू
		8. ,,	कबास
		9. ,,	सेडवा
		10. ,,	बालासर
		11. ,,	गांधव
		12. ,,	भियाड
		13. ,,	पटोदी
		14. ,,	थोब
		15. ,,	जसोल
		16. ,,	बिसाला
		17. ,,	रमणिया
		18. ,,	अजीत
		19. ,,	राखी
		20. ,,	दाखा
		21. प्रा. प. क. केन्द्र	सरनू, भोमरी
22.	नागौर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	नोखाचन्दावता
		2. ,,	पादूखुर्द
		3. ,,	पातवास
		4. राजकीय डिस्पेंसरी	श्री बालाजी
		5. ,,	गुढा भगवानदास
		6. ,,	बनवरला
		7. ,,	जवाला
		8. ,,	पुदलोता
		9. ,,	बरसिया

1	2	3	
22.	नागौर	10. राजकीय डिस्पेंसरी	पांचवा
		11. ,,	लेडी
		12. ,,	बल्दू
		13. ,,	काथोली
		14. प्रा. प. क. केन्द्र	हरलोलाब
23.	डूंगरपुर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	ओवरी
		2. राजकीय डिस्पेंसरी	सरोदा
		3. ,,	क्षीरेश्वर
		4. ,,	विलियाबडगामा
		5. ,,	वडवा
		6. ,,	रास्ता
		7. ,,	कुम्रा
		8. ,,	बासी
		9. ,,	फलोज
		10. ,,	सावली
		11. ,,	गेजी
		12. ,,	पिंडवाडा
		13. ,,	देवल
24.	जैसलमेर	1. प्रा. स्वा. केन्द्र	नाचना
		2. ,,	लाठी
		3. ,,	सांगड
		4. ,,	देवीकोट
		5. राजकीय डिस्पेंसरी	फलसूंड
		6. ,,	भनियाना
		7. ,,	मोहनगढ़
		8. ,,	सम

झुन्झुनू, जोधपुर, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। जो संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न सं. 431 की सूची

1–6–85 से 30–6–85 तक

क्र. सं.	दिनांक	स्थान, जहां आग लगी	सम्बन्धित व्यक्ति का नाम
1.	2-6-85	कब्रिस्तान	1. श्री बोदूराम पुत्र श्री कजोड़
2.	3-6-85	नेहरू बाजार	2. ,, नृसिंह
3.	6-6-85	जय प्रकाश कालोनी	1. ,, अब्दुल हमीद पु. मुइनुद्दीन
			2. ,, अमीश पुत्र अब्दुल
			3. ,, नजर मोहम्मद पु. अ. रफूक
			4. ,, शहीद अली पु. मो. अली
4.	13-6-85	हाजी कालोनी	1. ,, मुन्ना पु. समसुद्दीन
5.	18-6-85	सुभाष नगर	1. ,, मो. इस्माइल पु. फकीर मो.
			2. ,, रहमत पु, ईद मोहम्मद
			3. ,, समसुद्दीन पु. खेर मोहम्मद
6.	19-6-85	ज्योती नगर	1. ,, आनन्द प्रकाश पु. रामजीलाल
7.	22-6-85	बस्सी सीतारामपुरा	1. ,, लक्ष्मणसिंह पु. रामसिंह
			2. ,, शब्बीर सिंह पु. रामसिंह
			3. ,, जगदीश सिंह पु. रामसिंह
			4. ,, माल सिंह पु. रिशपाल सिंह
8.	30-6-85	कठपुतली कालोनी, कच्ची बस्ती	1. ,, वेदपाल पु. कालूराम
1.	1/5/85	मन्दाता नगर	श्री इस्लाम पु. श्री इकराम
2.			,, अजीज पु. श्री हजीर
3.			,, निजाममुद्दीन पु. श्री कुतुमुदीन
4.			,, ग्यासुदीन पु. कुतुमुदीन
5.			,, देवा पु. अ. मजीद

1	2	3	4
6.		श्री सलमा पु. म्र. गफूर	
7.		,, रहूक पु. म्र. गफूर	
8.		,, सहीदन/फजलू रहमान	
9.		,, फतीमा।मतीता	
10.		,, रामाजो—	
11.		,, राधामोहन/कन्हैयालाल	
12.		,, मो. खां पु. गुलाब खां	
13.		,, सीताराम बाई-	
14.		,, रामेश्वर पु. रामनारायण	
15.		,, हनुमान—	
16.		म्रफीस पु बहीद खां	
17.		,, मेहरा—	
18.		,, चन्दन सिंह पु. लाल सिंह	
19.		,, रतन सिंह पु. लाल सिंह	
20.		,, रामू नाई पु. श्योनाथ	
21.		,, बीदामी/श्योनाथ	
22.		,, शाबीर खां/महमूद खां	
23.		,, सागीर-मकबूल	
24.		,, मजीद-गफूर	
25.		,, रशीदा-हाजी जी	
26.		,, नसरूद्दीन-सुल्तान	
27.		,, लक्ष्मीनारायण-	
28.		,, बाबो-मल्ला	
29.		,, पूरण नाई/सम्पत नाई	
30.		,, छुटन खां/कालेखां	
31.		,, रफीक खां/रशीद खां	

1	2	3	4
32.			,, बानो साला-मुन्ना खां
33.			,, शबीर खां/मुन्ना खां
34.			,, इरफान/सुल्तान
35.			,, आरिफ अली/सुल्तान
36.			,, आवेद-
37.			,, अकबाल-
38.			,, पं. लक्ष्मीनारायण लाटरी वाला
39.			,, गोपाल/लक्ष्मीनारायण
40.			,, सुरेश-
41.			,, अंजु म. मीणा/
42.			,, मोरसिंह/मानसिंह
43.			,, हरी/रामनारायण
44.			,, नोवरतन/रूपनारायण
45.			,, लूणसिंह/
46.			,, जयदीश/मोतीलाल
47.			,, ईशराद/शकूर
48.			,, हमीदा बानो/
49.			,, गफार/शकूर खां
50.			,, लतीफ/गफूर खां
51.			,, महफूज बानो/
52.			,, मोहन
53.			,, सत्यनारायण/रामनारायण
54.			,, महमूद खां/मेहताब खां
55.			,, सलीम खां/महमूद खां
2.	2/5/85	लालकोठी कच्ची बस्ती	1. श्री कजोड़/नारायण 2. ,, रामचन्द्र/लालूराम

1	2	3	4
3.	6/5/85	टीला नं 1 कच्ची बस्ती जवाहरनगर	1. श्री गंगाराम/
4.	605/85	टीला नं. 2 कच्ची बस्ती जवाहरनगर	1. ,, राजेन्द्र/बाबूसिंह
5.	9/5/85	बजाजनगर कच्ची बस्ती	1. ,, भौरीलाल/मेवाराम 2. ,, नाथूराम/भौरीलाल
6.	12/5/85	न्यू सांगानेर रोड	1. ,, गोपाल/पन्ना 2. ,, कल्याणसहायक/रामचन्द्र
7.	13/5/85	झालाना डूंगरी	1. ,, सीताराम/रामनारायण नाई
8.	14/5/85	भोपजी का डेरा	1. ,, बंशी/नारूसिंह
9.	16/5/85	मीठी कोठी सूरजपोल	1. ,, नारायण/गणेशनारायण
10.	17/5/85	ग्राम चिरतौना तह. आमेर	1. ,, श्योबक्ष/सुखदेव 2. ,, भोरीलाल/नारायण 3. ,, देवाराम/नारायण 4. ,, रामू/मुन्ना 5. ,, वेणा/मुन्ना
11.	19/5/85	करतारपुरा कच्ची बस्ती	1. ,, पूरणमल/महादेव 2. ,, गणेशी/लादूराम
12.	19/5/85	खातीपुरा	1. ,, बाबूलाल/घासीलाल 2. ,, भंवरलाल/सीताराम
13.	20/5/85	करतारपुरा कच्ची बस्ती	1. ,, रमजान/आसम खां 2. ,, बद्री/मणोजी 3. ,, गोपी/छीतर 4. ,, कल्याण/छीतर 5. ,, रामप्रसाद/बजरंगा 6. ,, रामदेव/रामपाल

1	2	3	4
			7. श्री पोलू/प्रताप
			8. ,, सूवा/मीठालाल
			9. ,, गजानन्द/दूला
			10. ,, मो. खां/अलानूर
			11. ,, छोटा/नन्दा
			12. ,, शंकर/हनुमान
			13. ,, रामकरण/देवा
			14. ,, नन्दा/दूला
			15. ,, रामअवतार/श्रवण
			16. ,, मोहन/दूला
			17. ,, काना/भूरा
			18. ,, भंवरलाल/नन्दा
			19. ,, बजरंगा/लादू
			20. ,, कजोड़/सुवालाल
			21. ,, रामकिशन/पोलू
			22. ,, गोपाल/घासी
			23. ,, रामपाल/बीजाराम
			24. ,, रामनिवास/गोविन्दा
			25. ,, नाथू/रामनिवास
			26 ,, गोपाल/हजारी
			27. ,, भूरा/मो.
			28. ,, गणपत/काना
			29. ,, मदद/रामचन्द्र
			30. ,, किशन/घासी
			31. ,, नाथू/मांगीलाल
			32. ,, लालाराम/बंशी
			33. ,, प्रहलाद/भूरा

1	2	3	4
			34. श्री रामप्रसाद/हजारी
14.	25/5/85	कचरा बस्ती घाटगेट	1. ,, अब्दुल/हरफूल खां
			2. ,, खातुन बेवा/नूर मो.
			3. ,, मो. आसिफ/मो. यूसूफ
			4. ,, हमीदा बेगम—
			5. ,, मौसमअली/अहमद
			6. ,, गफूर/रसूला
			7. ,, मजरन/गुलाब
			8. ,, गुलाब/सबराती
			9. ,, इमामुदीन/गुलाम
			10. ,, शमीमउल्लाह/अबीउल्लाह
			11. ,, पप्पू/गुलाब
			12. ,, यासीन/गुलाब
			13. ,, लालीदेवी/
			14. ,, सूरदास/चोकाराम
			15. ,, मुन्ना/छोटे खां
			16, ,, जीवनराम/किशनलाल
			17. ,, नाथूराम/बन्नाराम
			18. ,, गोविन्दराम/चुन्नीलाल
			19. ,, मन्ना खां/मंजू खां
15.	27-5-85	न्यू सांगानेर रोड जमना डेयरी के पास	1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री नाथू
			2. श्री बाबूलाल पुत्र श्री लालचंद
			3. श्री
16.	30-5-85	कब्रिस्तान कच्ची बस्ती	1. श्री गफ्फार पुत्र मुमताज
			2. श्री ईशाद-मुमताज
			3. ,, अयूब/मुमताज
			4. ,, बरकत मुमताज

1	2	3	4

1-4-85 से 30-4-85 तक की सूची

क. सं.	दिनांक	बस्ती का नाम जहां आग लगी	सबंधित व्यक्ति का नाम
1.	6-4-85	जवाहरनगर कच्ची बस्ती	1. श्री बुद्धाराम पुत्र श्री बंशीलाल
			2. ,, जगदीश/भौरीलाल
			3. ,, जीतपाल/महादेव
2.	9-4-85	हाजी कालोनी	4. ,, रसीद/रफीक
3.	9-4-85	नाहरी का नाका शांति कालोनी	1. ,, लालाराम/रामचंद्र
4.	11-4-85	सांगानेर रोड	1. ,, सुवालाल/पुनाराम
			2. ,, लालाराम/महादेव
			3. ,, पुनीराम/कानाराम
5.	14-4-85	नटराज नागर	1. ,, चरणलाल/चौथमल
			2. ,, रामसिंह
6.	14-4-85	कागदीवाड़ा	1. ,, गैंदीलाल/सोहनलाल
			2. ,, कजोड/ईश्वर
			3. ,, शंकरलाल/लादूराम
7.	16-4-85	नाहरी का नाका भट्टा बस्ती	1. ,, जगदीश/महादेव
			2. ,, भवरलाल/गिरधारी
			3. ,, डालचंद/मूलचंद
			4. ,, कैलाश/रामलाल
			5. ,, रामनारायण/फलाराम
			6. ,, लालचंद/नारायणलाल
			7. ,, सन्नूखां/नूरमोहम्मद

1	2	3	4
			8. श्री मो. रफीक/इस्माईल
			9. ,, खैराती/इद्रूखां
			10. ,, फकरूद्दी/मो. खां
			11. ,, छुट्टन खां/इन्दुखां
			12. ,, छोटाखां/ग्रलादीनखां
			13. ,, मोतीराम/नानगराम
			14. ,, श्योनारायण/सीताराम
			15. ,, मोहनलाल/गिरधारीलाल
			16. ,, मोहनलाल/छोटूराम
			17. ,, सत्तार/ग्रन्नू खां
			18. ,, बाबूखां/बसीताखां
			19. ,, रामकरण/देवाराम
			20. ,, कालूराम/सूरजराम
			21. ,, मदनलाल/देवीराम
			22. ,, भोरीदेवी पत्नी नारायण
			23. भैरूराम/सेडूराम
			24. साघूराम/नानगराम
			25. हनुमानसहाय/प्रभात
			26. सुन्दरीबाई पत्नि भौंरीलाल
			27. श्रीमती किरणदेवी पत्नि बंशीधर
8.	18-4-85	हसनपुरा कच्ची बस्ती	1. श्री हनुमानसहायक/रामचन्द्र मीणा
9.	23-4-85	मा. रीज. इंजि. कालेज के सामने क. बस्ती	1. ,, गोपाल/रामदेव 2. ,, रामलाल/ग्रोंकार
10.	24-5-85	सांगानेर	1. ,, घनश्याम/घन्नाराम
11.	25-4-85	सुशीलपुरा	1. ,, कानाराम/मोतीलाल

1	2	3	4
12.	25-4-85	अमृतपुरी	1. श्री गफूर/शकूर
13.	27-4-85	अमानीशाह क. बस्ती	1. „ कैलाश/गोपी 2. „ नानगराम/गोपी
14.	28-4-85	ग्राम रहलाना	1. „ तेजा/ओंकार 2. „ लादू/दूला
15.	30-4-85	सांगानेर	1. „ रामजी लाल/गोविन्द राम 1. लक्ष्मीनारायण/गोविंदराम
16.	30-4-85	बंत्र की घाटी	1. छोटीलाल/नेनूराम माली

क्र. सं.	दिनांक अग्निकाण्ड	नाम बस्ती	मुखिया का नाम	स्वीकृत राशि
1.	7-3-85	जे. पी. कालोनी आमेर रोड, जयपुर	श्री गफूर/घासी खां	375/-
2.	„	„ „	„ मोहम्मदशकील/अ. रहमान	500/-
3.	„	„ „	„ भौरी लाल/गोविंदा	450/-
4.	„	„ „	„ नारायण/भौरी लाल	300/-
5.	15-3-85	भट्टा बस्ती नाहरी का नाका	„ गफ्फार/नाथू	350/-
6.	„	„ „	„ कल्लू/गफूर	300/-
7.	„	„ „	„ अजमततुल्ला/नीथामल	450/-
8.	„	„ „	„ यूनूस/नूर मोहम्मद	225/-
9.	30-3-85	आमागढ़ महात्मा गांधी कच्ची बस्ती	„ कल्याण सहाय/बालदास	365/-
10.	„	„ „	„ शोकत अली/पीरू खाँ	300/-
11.	„	„ „	„ गुरुमोहन/बलवंत सिंह	225/-
12.	„	„ „	„ धन्नादास/नाथूदास	450/-

1	2	3	4	
13.	6-4-85	जवाहर नगर क. ब. टीला नम्बर चार	,, बुद्धाराम/बशीनाथ	225/-
14.	,,	,, ,,	,, जगदीश/भौरीलाल	190/-
15.	10-3-85	बंजारा बस्ती	श्रीमती आनन्दी बेवा मदनलाल	150/-
16.	16-4-85	शिवाजी नगर क. ब.	,, सायरा/फजरूदीन	150/-
17.	,,	,, ,,	,, भौरीदेवी/नारायण	75/-
18.	,,	,, ,,	,, गंगादेवी/जगदीश	300/-
19.	,,	,, ,,	,, रमजान/सनूखा	225/-
20.	,,	,, ,,	,, समसादी/खेराती खाँ	200/-
21.	,,	,, ,,	श्रीमती बिमला देवी/कैलाशचन्द	150/-
22.	,,	,, ,,	,, विमला देवी/डालचंद	300/-
23.	,,	,, ,,	,, शान्ति देवी/रामनारायण	260/-
24.	,,	,, ,,	,,मथुरादेवी/भबरलाल	300/-
25.	2-5-85	भोजपुरा क. बस्ती	श्री कजोड/नारायण	225/-
26.	,,	,, ,,	,, रामचन्द्र/लालूराम	500/-
27.	26-5-85	भट्टा बस्ती हाउसिंग बोर्ड	श्रीमती मजीदन/अलादीनखाँ	300/-
28.	,,	,, ,,	,, जाहीरा हनीफ खाँ	375/-

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न सं. 433 की सूची

स्वीकृत ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या
1	2	3
1.	झीमरी	1
2.	खेरली गोदासिया	3
3.	बखेरा	2
4.	भुडिया	6
5.	कोहारी	23
6.	नयागांव कलां	27
7.	हारनगर	58
8.	सीतपुर	61
9.	साघपुरा	64
10.	नियारी	94
11.	कलसारा	95
12.	अद्दाह	99
13.	मदानपुर	103
14.	अरोड़ा	105
15.	मोरतालाब	108
16.	बंगासपुरा	118
17.	गजुना	125
18.	बान कूकारा	129
19.	तेरसूमा	130

1	2	3
20.	पिलूपुरा	145
21.	नगला होटा	147
22.	पुरा हरलाल	156
23.	कोट	168
24.	सिछरवालिया	171
25.	शेखपुर	5
26.	फारसो	18
27.	नगला खसफहान	2
28.	नगला किशन वल्लभ	30
29.	नगला रूपराम	32
30.	नगला तिरखा	33
31.	मंचोली	35
32.	नबोली	36
33.	तालीमपुर	37
34.	जसवत नगर	38
35.	पिपली	40
36.	मिलाकपुर	41
37.	बिराहाटा	42
38.	सबाला	43
39.	रिचहोली	44
40.	बाओली	47
41.	चाक नवेली	49
42.	नगला निरभान	51
43.	नगला पुरोहित	52
44.	नगला छीतरिया	53
45.	सिदयानी	54
46.	नगला चिरख	55

1	2	3
47.	नगला झूमरी	62
48.	नदी गांव	63
49.	बारोदा	68
50.	खारिया	71
51.	सूपा	73
52.	पुरा बाखेरा	75
53.	हावा सराया	77
54.	भुराकी	78
55.	नया गांव खुर्द	84
56.	काछरा	85
57.	केर	91
58.	छीखेरा	97
59.	शारोडा	100
60.	पिपरी	101
61.	खूट खेरा	102
62.	महावीर	104
63.	इमादपुर	106
64.	छहाल	113
65.	सुल्तानपुर	117
66.	पाली डुंग	124
67.	तरबीजपुर	126
68.	मंगरीम कलां	128
69.	खेरी डंग	135
70.	तोटवाड़ा	140
71.	सरायभामपुरा	143
72.	घादरेन	147

1	2	3
73.	रारारी	148
74.	काखारी	149
75.	म्यवालो	150
76.	जसवार	151
77.	कापुरा मुलाका	152
78..	कापूरा	153
79.	घूरारी	155
80.	भूमानी	157
81.	शाहपुरा	159
82.	सिउपुरा	158
83.	पोपलपरा	163
84.	सुरतीपुरा	164
85.	दरबाराना	165
86.	कानी	169
87.	जबसोरा	170
88.	सामतगढ़	173
89.	इतबेरा	98
90.	धजना	166
91.	बोरेली	17
92.	कुनकुटा	19
93.	जारगा	8
94.	तुलसीपुरा	44
95.	हुरखूपुरा	47
96.	जसेमपुर	28

परिशिष्ट--10

अतारांकित प्रश्न संख्या 442 की सूची

वर्ष 1982–83 से वर्ष 1984–85 की अवधि में यात्री सुविधाओं पर खर्च की गयी राशि का विवरण

क्र. स.	वर्ष	खर्च की गई राशि (लाखों में)	कार्य का विवरण
1.	1982–83	9.72	सब स्टेण्ड/बुकिंग कार्यालयों/शौचालय/मूत्रालय यात्री प्रतीक्षालय के सामन्य रख रखाव/सफाई/मरम्मत/धुलाई/सफेदी पर, नल बिजली की उचित व्यवस्था पर, पीने के पानी की टंकिया बनवाने आदि पर बुकिंग कार्यालय के निर्माण आदि पर
2.	1983–84	3.05	सीमेंट की बेंचे, शौचालय/मूत्रालय की सामान्य मरम्मत, सेप्टी टैंक की सफाई, लाइट की व्यवस्था, बिजली फिटिंग, सफाई, सफेदी, वाटर पम्प सप्लाई, यात्री प्रतिक्षालय की मरम्मत आदि ।
3.	1884–85	6.21	पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, टाइम टेबिल, साइन बोर्ड, शौचालय/मूत्रालय की सफाई, विद्युत सयंत्रों आदि की मरम्मत ।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 को सूची

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र जिला बीकानेर में
वन विभाग को गत 15 वर्षों में दी गई भूमि की सूची।

क्र. सं.	नाम गांव/चक नम्बर	वन विभाग को दी गई भूमि (एकड़ में)
	तहसील उपनिवेशन, बीकानेर	
1.	मेहरासर	421
	तहसील उपनिवेशन, कोलायत नम्बर 2	
2.	बीठनोक	113
	तहसील उपनिवेशन कोलायत नम्बर 1	
3.	गोडू	372
4.	अमरपुरा	17302
		17674
	तहसील उप निदेशक, लूनकरणसर,	
5.	चक नं. 7 सी-लडी	185
6.	रोझाबारानी	4328
7.	सहनीवाला	2645
8.	चक 14 के.-ल.डी.	250
9.	आर.डी. 239 से 700	8124
10.	चक नं. 2 मके-म	466
11.	चक नं. 2- लकेडी	852
12.	चक न. 14 लकेडी	250
13.	हरियासर	3209
	योग	20309
	तहसील उपनिवेशन, छतरगढ़ नम्बर 1	
1.	1 डी. ल.	450
2.	2 डी ल.	1166
3.	4 डी. ल.	878
4.	1 स.-ल. डी	366
5.	9 स. ल. डी.	373

1	2	3
6.	1 टी. म.	206
7.	3 टी' म.	350
8.	4 ,,	459
9.	5 ,,	1181
10.	2 जी.-म.	684
11.	3 ,,	271
12.	4 ,,	303
13.	5 ,,	544
14.	9 ,,	256
15.	3 जेड. डब्लू.-म.	256
16.	5 ,, ,,	272
17.	3 के. डब्लू.-स.-म.	319
18.	6 ,, ,,	225
19.	7 ,, ,,	125
20.	2 बी.पी.-मडी.	269
21.	6 स.-म.	393
22.	7 ,,	362
23.	8 ,,	530
24.	9 ,,	1040
25.	4 म-म.	472
26.	1 के.-म.	426
27.	2 ,,	971
28.	1 -म.	3743
29.	2 ,,	918
30.	1 आर.-म.	348
31.	2 आर.-म.	1237
32.	7 म.-ल. डी.	219
33.	9 एम.-ल.डी.	81
34.	13 ,,	285
35.	14 ,,	423
36.	2 म.-म.	374
37.	2 के.-म.	251
38.	1 आर.-जे. डी.	549
39.	2 ,,	114
40.	3 आर.जे.डी.	6 7
41.	30 ए.-म.	41
42.	1 के.पी.डी.	174
43.	8 पी.-सडी	680
44.	9 ,,	920
45.	1 के.-नडी.	964
46.	2 ,,	508
47.	1 जेड.डब्ल्यू.एस.एम.	631
48.	1 जेड.डब्ल्यू.एम.	525
49.	12 एस.-लडी.	497
50.	13 ,,	1825
51.	6 डी एल.एम.	1003
52.	3 आर. एम.	575
53.	6 जी. एम.	827
54.	8 ,,	1106
55.	4 डी.-ल-म.	925
56.	7 जी.एम.	972
	योग	34,303

तहसील उपनिवेशन पूगल

1.	19 के. जे. डी.	3657
2.	20 ,,	582
3.	21 ,,	803
4.	22 ,,	702
5.	31 ,,	652
6.	36 ,,	522
7.	38 ,,	656
8.	40 ,,	802
9.	41 ,,	982
10.	42 ,,	774
11.	43 ,,	1282

1	2	3
12.	1 एच. डब्लू. एम. I	852
13.	,, II	655
14.	3 एम.टी.एम.	1202
15.	4 ,,	1006
16.	5 ,,	593
17.	10 डी.डब्लू.डी.	546
18.	12 ,,	804
19.	14 ,,	577
20	15 ,,	847
21.	16 ,,	764
22.	18 पी.बी.	652
23.	187 आर.डी.	1004
24.	198 ,,	587
25.	2 के'एल.डी.	954
26.	4 ,,	1105
27.	8 बी.एल.डी.	1297
28.	9 ,,	761
29.	11 ,,	505
30.	12 ,,	624
31.	1 एस.एल.एम.	476
32.	3 ,,	1011
33.	4 पी.डब्लू.एम.	1707
34.	30 के.वाई.डी.	525
35.	15 के.जे.डी.	700
36.	7 बी.एल.डी.	846
37.	11 पी.बी.	212
38.	31 के.वाई.डी.	1327
39.	117 आर.डी.	478
40.	1 ए.जे.एम.	427
41.	6 बी.एल.डी.	1612
42	5 ,,	421
43.	4 ,,	2403
	योग :—	38,894

उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ 2

1	2	3
1.	आर.डी. 604-900 आर-म-ल	1675
2.	,, 610-200	1800
3.	रानेवाला	450
4.	लूनखां	300
5.	6. डी.के.डी.	600
6.	10 ,,	170
7.	2 म डब्लू-म.	203
8.	6 लके.डी.	80
9.	आर.डी. 629-750	173
10	आर.डी. 610-200	2100
11.	आर.डी. 109-	803
12.	19 बी.डी.	394
13.	5 ,,	506
14.	7 ,,	201
15.	9 ,,	560
16.	5 सडी.डब्लू-म.	800
17.	5 एस.जे.एम.	7827
18.	15 के पी.डी.	1920
19.	5 एस.जे.-म.	7827
20.	12 के. नडी	300
21.	13. ,,	503
22.	18 ,,	304
23.	20 ,,	1730
24.	1 के डब्लयू.-म. I	340
25.	1 ,, II	206
26.	2 ,, (—)	604
27.	2 ,, (बी)	330
28	6 डी.ओ -ल	521
29.	7 ,,	210
30.	8 ,,	812
31.	9 ,,	380

299

1	2	3
32.	10 डी.ग्रो.ल.	205
33.	11 ,,	531
34.	12 ,,	1220
35.	1 एस.जे.–म.	1140
36.	2 ,,	3190
37.	3 ,,	2400
38.	4 ,,	1690
39.	4 ल.के.–म.	4390
40.	1 के.वाई.डी.	2390
41.	2 ल.के.डी.	1570
42.	1 डी.के.डी.	2290
43.	6 के.के.म.	370
44.	7 ,,	1983
45.	8 ,,	2420
46.	6 के.जे.डी.	422
47.	4 के.डब्ल्यू.–म.	188
48.	26 बी.डी.	15
49.	27 बी.डी.	923
50.	11 के.जे.डी.	2028
	योग :	64,194 क.ड.

परिशिष्ट-12

तालिका "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची

सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि का विवरण

(क) वर्ष 1985-86	उपलब्धि का महिना	अधिष्ठापित क्षमता की वृद्धि (मेगावाट)
1. माही जल विद्युत गृह-I 25 मेगावाट की दो इकाइयां।	अक्टूबर, 1985	50.00
	कुल "क"	50.00
(ख) वर्ष 1986-87		
1. अनूपगढ़ लघुपन विद्युत		
विद्युत गृह-I	अक्टूबर, 1986	4.50
विद्युत गृह-II	मार्च, 1987	4.50
2. कोटा तापीय चरण-II प्रथम इकाई	मार्च, 1987	210.00
		219.00
(ग) वर्ष 1987-88		
1. रामगढ़ गैस तापीय	दिसम्बर, 1987	3.00
2. कोटा तापीय चरण-II (द्वितीय इकाई)	दिसम्बर, 1987	210.00
3. मांगरोल लघु पन विद्युत	सितम्बर, 1987	6.00
4. सूरतगढ़ ,, ,,	मार्च, 1988	4.00
5. दाई मुख्य नहर माही-I	दिसम्बर, 1987	0.80
6. दाई ,, ,, -II	,, ,,	0.165
7. इटावा लघु पन विद्युत	,, ,,	0.500
8. जालूवाला ,, ,,	मार्च, 1988	0.090
9. नाचना ,, ,,	,, ,,	0.175
10. सिगरोली तापीय (500 मेगावाट की प्रथम इकाई में हिस्सा)		88.24

1	2	3	4
11.	नरोरा अणु विद्युत गृह (आवटन)		47.00
		कुल "ग"	359.970
(घ)	वर्ष 1988-89		
1.	माही जल विद्युत गृह-II		
	प्रथम इकाई	अक्टूबर, 1988	45.00
	द्वितीय ,,	दिसम्बर, 1988	45.00
2.	बिरसलपुर लघु पन विद्युत	मई, 1988	01.35
3.	पूगल ,, ,,	अगस्त, 1988	2.15
4.	चारण वाला ,, ,,	,, ,,	2.00
5.	खारा ,, ,,	दिसम्बर, 1988	0.185
6.	जयसमन्द ,, ,,	मार्च, 1989	1.15
7.	सुल्ताना ,, ,,	,, ,,	1.175
8.	फूलासर ,, ,,	,, ,,	0.400
9.	रीहन्द तापीय (आवंटन)		100.00
10.	सिंगरोली तापीय (500 मेगावाट की द्वितीय इकाई में हिस्सा)		88.24
		कुल "घ"	286.65
(च)	वर्ष 1989-90		
1.	जाखम लघुपन विद्युत	जून, 1989	9.00
2.	माउन्ट आबू लघुपन विद्युत	मार्च, 1990	10.00
3.	चमेरा पन विद्युत (आवंटन)		12.00
		कुल "च"	31.00

सातवीं योजना के दौरान कुल वृद्धि (क से च तक) 946.62 मेगावाट

सातवीं योजना के आरम्भ में अधिष्ठापित क्षमता 1713.16 मेगावाट

सातवीं योजना के अन्त में अधिष्ठापित क्षमता 2659.78 मेगावाट

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न सं. 452 की सूची

परिशिष्ट—(1)

सूची खातादारान जिनको मुआवजा भुगतान किया गया है बस्सी मुख्य नहर चैन नं. 0 से 320

क्र.सं.	नाम खातादारान	रकम
1	2	3
1.	श्री काशीराम पिता लखमा भील	2000
2.	श्री सोहन पिता लखमा भील	237
3.	श्री रामनारायण पिता माणक चन्द भाट	79
4.	श्री सोहन पिता माणक चन्द भाट	2370
5.	श्री गोवल पिता रूपा धावल	632
		1185
6.	श्री भगवान पिता लाला धाकड़	1422
		971.25
		79.00
7.	श्री भगवानिया नाथूराम पिता नन्दा भील	158.00
		790.00
		79.00
8.	श्री नारायण लखमा सोहन पिता मोती धाकड़	138.75
		237.00
9.	श्री कूका पिता देवा धाकल	200 00
		832.50
		693.75
		693.75
		1100 00
10.	श्री भागा पिता देवा धाकड़	832.50
		158.00
		693.50

1	2	3
11.	श्री गोपी पिता देवा धावड़	832.50
		948.00
12.	श्री होकमा पिता बलदेव तेली	1110.00
13.	श्री मोहनदास पिता भूरा दास बैरागी	971.25
		277.50
14.	श्री बालू डालू प्रभू पिता किशना धावड़	1337.50
		2031.25
15.	श्री कूका पिता चम्पा लाल ब्राम्हण	800.00
16.	श्री रामचन्द्र पिता काशीराम नाई	555 00
		693.75
17	श्री उदयराम शंकर लाल पिता मगना नाई	1387.50
18.	श्री गंगा पिता नंदा धोबी	693.75
19.	श्री मांगीलाल पिता केशा धोबी	1248.75
20.	श्री रूपा पिता सूखा धोबी	693.75
21.	श्री लालू पिता धीमा धावड़	2497.50
22.	श्री उदा पिता हीरा खाती	1665
23.	श्री वैणा पिता हीरा खाती	832.50
24.	श्री नानूराम पिता रामा धावड़	555
25.	श्री मु. ग्न्सी बेवा प्यारा धावड़	416.25
26.	श्री उदा पिता नन्दा धाकड़	277.50
		832.50
27.	मु. हरजू बेवा उमेदा धाकड़	693 75
28.	नानूराम गिरधारी पिता नाथूराम धावड़	711.00
29.	प्यारा नारायण पिता रामा कुमार	200.00
		1106 00
30.	बालू पिता नाना कुमार	1580
31.	मोती पिता जमना धावड़	1975

1	2	3
32.	देवीया गंगा पिता सोराम 1/2 केला पिता भूरा 1/2 बोला	2370
33.	चुन्नीलाल पिता नारू रेगर	711
34.	रामा पिता नारू रेगर	474 600
35.	नारू पिता सूखा रेगर	832.50
36.	श्री गोवल मोती पिता प्रताप रेगर	1816.50 135.00
37.	श्री तारा पिता नोला रेगर	2595.00 90.00
38.	होकमा नाथीया नामजी पिता हेमा रेगर	225.00
39.	घोसा मांगीलाल पिता केला रेगर	360.00
40.	प्रभु पिता कालू जाट	90.00 405.00 25.00 7605.00
41.	श्री हरकलाल पिता छोगा राम महाजन	1125
42.	भमर लाल पिता पृथ्वीराज ब्राम्हण	900
43.	मोहनलाल पिता रामचन्द ब्राम्हण	450 00 50.00 4500.00
44.	देवी लाल डालचन्द पिता नाना रेगर	1800.00
45.	मांगी डालचन्द्र पिता भूरा लाल ब्राम्हण	1038 778.50 1038.00
46.	भैरू पिता उदा माली	2925 1800
47.	श्री मोहनलाल पिता भूरालाल सुथार	1125 1125

1	2	3
48.	श्रीमती फूल कुमारी पत्नी नरेन्द्र सिंह राजपूत	1297.50 2076
49.	शंकर लाल गोरी लाल बद्रीलाल बसन्ती लाल पिता गिरधारी लाल ब्राम्हण	259.50
50.	गोखर पिता टेका भोई	600.00
51.	देवीलाल श्यामलाल पिता भंवर लाल तेली	1100
52.	बालू पिता मानू भोई	50.00 50.00
53.	मागिया पिता गोमा भोई	660 00
54.	मोहन डालू पिता देवा भोई	550.00
55.	सोहन लाल जमना पिता काशीराम ब्राम्हण	2600.00 3114 00 900 00 2400.00
56.	उदा पिता गंगा भोई	585.00
57.	देवा पिता खेमा भोई	135.00 1200.00 630.00
58.	हीरा पिता किशना भोई	720
59.	बालू पिता मांगू भोई दादा बालू	360.00
60.	धला पिता नोला भोई	625.00
61.	चूनी मेवा भूगिया हरिजन	550.00
62.	श्री नारायण पिता चन्दू हरिजन	50 00
63.	लाली पत्नि हीरा गूजर	390 00
64.	उदा पिता भैरू गूजर	180 00
65.	लाली पत्नि हीरा गूजर 1/2 उदा पिता भैरा गूजर 1/2	75.00
66.	जयराम पिता नाथू रेगर	519.00

1	2	3
67.	जमना लाल पिता देवी लाल ब्राम्हण	1557.00
68.	शकरलाल हरलाल कन्हैयालाल नानालाल	1100.00
	पिता खेमा तेली	1400.00
		135.00
		1125.00
69.	फतहसिंह पिता बिशन सिंह राजपूत	3892.50
		5892.50
		50.00
70.	श्री कृष्ण पिता हर लाल ब्राम्हण	1350
		1575.00
		90-00
71.	राजमल रतनलाल पिता मथुरा लाल सुनार	519.00
		25.00
		5449.50
72.	बालीया पिता चतरा तेली	1297.50
		3114.00
		519.00
73.	श्री बाबू भाना पिता चतरा तेली	778.50
		2595.00
		2595.00
74.	नन्दराम पिता बिलासी राम महाजन	2076.00
75.	छीतरमल पिता बालूराम महाजन	1116.50
76.	मांगी लाल पिता प्रभू सुनार	1038.00
		3633.00
77.	बालू पिता सोराम तेली	3633.00
		187.00
78.	जमना लाल टोड़लाल पिता फतहलाल ब्राम्हण	25.00
		3633.00
		45.00
79.	हीरा पिता बालू भाट	4200.00
80.	नारू पिता मेरा भोई	3600.00
		240.00
81.	नूर मुहम्मद हनीफ पिता इब्राहीम मुसलमान	3373.50
		4152.00
82.	हीरालाल पिता बिलासी राम ब्राम्हण	3200.00

(407)

1	2	3
83.	श्रीमती गगाबाई पत्नि पन्ना लाल ब्राम्हण	1760.00
84.	बन्ना पिता किशना खटीक	9225.00
		495.00
85.	कन्हैया लाल पिता रामचन्द ब्राम्हण	50.00
		60.00
		3150 00
		259 50
		180.00
		180.00
86.	श्री प्रभुलाल पिता मेगा तेली	1125
		135.00
87.	श्री भैरूलाल पिता हजारी लाल ब्राम्हण	3373.50
		180.00
नेाडिया माइनर		
88.	कु० लाली पत्नी हीरा गूजर	150.00
89.	चन्दन मल पिता लक्ष्मीचन्द महाजन	210 00
90.	हरलाल पिता रामकिशन महाजन	1540
91.	अब्दुल गनी अब्दुल गफूर अब्दुल हमीद	1210.00
92.	कालू प्रभू पिता शंकर दरोगा	240.00
93.	मोहम्मद इशाक पिता अब्दुल रहमान	240.00
94.	सुखलाल पिता रामसुख भाट फोत होने से पत्नी बादाम बाई	240 00
95.	लक्षमा पिता मोती ठाकरी भील	80 00
96.	मु. अब्दुल बाई पत्नी अब्दुल रहमान अन्सारी मोमीन	440 00
97.	गिरधारी पिता दयाराम लखारा	700.00
		500 00
98.	मांगीदास पिता चतुरभुज दास बैरागी	1200.00
99.	धनसिंह पिता ऊंकार सिंह राजपूत	
	कुल योग—	203063.45

410

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 453 की सूची

सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों की सूची जो उनके नाम के सम्मुख अंकित आवासों में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं तथा जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में आवास-गृह रिक्त करवाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

क्र. सं.	नाम	आवासगृह संख्या	दिनांक जिसमें अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं।
1	2	3	4
1.	श्री बृजमोहन मिश्रा	एफ–9, गांधीनगर, जयपुर।	1.10.1982
2.	,, के. एन. भटनागर	जी–783, गांधीनगर, जयपुर।	1.5.1983
3.	श्री के. आर. लधानी	एफ–711, गांधीनगर, जयपुर।	1.5.1984
4.	श्री नन्दकिशोर शर्मा	एफ–100, गांधीनगर, जयपुर।	1.9.1979
5.	श्री विशम्भर प्रसाद पांडे	एफ-927, गांधीनगर, जयपुर।	1.5.1983
6.	श्री वी. के. शर्मा	एफ–924, गांधीनगर, जयपुर।	1.8.1982

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 455 की प्रति)

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

नम्बर 59

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 149, जा. फो. थाने पर चाक होती है)

थाना बानसूर जिला अलवर राजस्थान

जुर्म नं. (सुर्खी में) 48/81 तारीख और वक्त बकुवा 19.4.81 1.30. पी. एम. करीब

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय बकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
दिनांक 31.5. 85 समय 10 30 पी.एम. रपट न. 1374	कार्यालय ए. ई. एन. आर. एस. ई. बी. बानसूर घगनद पश्चिम व फासला 1 फर्लांग थाने से	जरिये डाक सोसन

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान	नाम और सकूनत मल्जिमाल (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल, अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकद्दमा
अरुणकुमार जैन पुत्र भानुकुमार जैन मकान न. 126, मोती डूंगरी एक्स.ई.एन.आर. एस ई.बी. अलवर उम्र 35 साल	जी.बी उपाध्यक्ष नं. (2) भगवान सहाय खण्डेलवाल स्टोरकीपर प्रह्लाद शर्मा हैल्पर आर. एस.ई बी. बानसूर	फरजी रिकार्ड तैयार कर या धोखा देकर भारी रकम का गबन करना धारा सं. 40· /420/407/ 408/120 बी. ता. हि.	तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर होरा मुकदमा कायम पर तफ्तीश शुरू की गई आडिट के बाद रिपोर्ट दी है।	

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

रिपोर्ट जुबानी

थानाधिकारी थाना बानसूर विषय-प्रश्न, सूचना बाबत गबन आदि कुल रकम 11,35,688/- रुपये बतितसिले सिमेंट पोल या ट्रांसफारमर तहत धारा 409/407/420/462/120 ता. हि.। महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता बानसूर के कार्यालय के स्टोर में वर्ष 1985 में 8 मीटर व साढ़े सात मीटर लम्बे सीमेंट के पोल जिनकी संख्या 388 या 197 है या जिनकी कीमत क्रमश: 84,/96 25740/- रुपये होती है यह सप्लाई करने वाली फर्मों से भौतिक सत्यापन करने पर प्राप्त होना नहीं पाया गया इसी प्रकार वास्तव में एक ट्रांसफारमर 11/4 के. वी. इ. ए. के जिसकी कीमत 11330/- रुपये होती है सी. एस. पी. वर्गन कनिष्ठ अभियन्ता की मांग पर उनको इश्यू किया गया था परन्तु स्टोर कीपर ने उसे वहां पर 2 ट्रांसफारमर कह इश्यू दिखाया है। इसी प्रकार श्री बी. एस. वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता या ट्रांसफारम 11/4 के. वी. 25 के. वी. ए' जिनकी कीमत 14420/- रुपये होती है रिकार्ड में झूठे इश्यू दिखाये गये हैं। जबकि वास्तव में ना तो उन्होंने मांग वही की और ना भी उन्हें यह ट्रांसफारमर दिये गये श्री अरुण कुमार जैन एकाउन्ट आफीसर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बानसूर अलवरद्वारा की गई रिपोर्ट पर धारा 409/467/468/420/120 बी. ता. हि. के तहत हुये अपराधी का पता लगता है मूल ऑडिट रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। उक्त अपराध की आपराधिक षड़यन्त्र में सर्व श्री जी. बी. उपाध्याय सहायक अभियन्ता, भगवान सहाय, खण्डेलवाल, स्टोर कीपर, प्रहलादस्वरुप वर्मा हैल्पर बानसूर का ततथाया उद्योग अलवर ओबराय उद्योग औद्योगिक क्षेत्र अलवर के द्वारा किया गया है। मूल रिपोर्ट प्रेषित है। कानूनी कार्यवाही की जाये भवदीय एस. डी./- अरुण कुमार जैन 31-5-81 अधिषाशी अभियन्ता आर. इ. एस. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अलवर।

कार्यवाही पुलिस

तस्दीक की जाती है कि उपरोक्त मजमून की तहरीरी (टाइप शुदा रिपोर्ट) श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री भानु कुमार जैन निवासी 26मोती डूंगरी अलवर हाल अधिषाशी अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अलवर उम्र 35 साल ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल शब्द ब शब्द की गई पढ़ कर सुनाई हैं सही स्वीकार कर अपने इजहार किये। मजमून रिपोर्ट से जुर्म दफा 409/467/468/420/120 बी ता. हि. का घटित होना पाया जाता है। अत: मु. न 48/81 ब दफा मजदूर ने कायम किया जाकर मा. एस. एच. ओ. छोटूसिंह मसरुफ तफ्तीश हुआ। एस. आर. की प्रतियां नियमानुसार प्रेषित की गई एक प्रति प्रार्थी को दी गई। एस. डो छोटूसिंह एस. एज. जी थाना अलवर 31-5-81 एस. डी. अरुणकुमार जैन 31-5-81.

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न सं. 458 का पत्र

नवरंग सिंह,
सदस्य

राजस्थान विधान सभा

लोकदल कार्यालय
नवलगढ़ (झुंझुनू)
2/444, मालवीयनगर
जयपुर।

श्री सामन्त जी,

झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति को कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने की कार्यवाही हुई है लेकिन अब मुझे जानकारी मिली है कि इस पंचायत समिति से कृषि विस्तार कार्यक्रम को यह कह कर हटाया जा रहा है कि बजट नहीं है जो सौतेला व्यवहार है जिसका यहां के किसानों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

नवलगढ़ पंचायत समिति सम्पन्न कृषि क्षेत्र है तथा यहां कृषि विस्तार की काफी गुंजाइश है।

अतः लेख है कि इस पंचायत समिति में कृषि विस्तार कार्यक्रम को जारी रखा जावे तथा वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करवाने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

(नवरंग सिंह)
सदस्य
राजस्थान विधान सभा
(नवलगढ़ क्षेत्र)

श्री डी. सी. सामन्त,
निदेशक,
कृषि विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न सं. 92 की सूची

चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवास हेतु पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की वर्षवार संख्या

वर्ष	संख्या
1	2
1965	9
1966	6
1967	8
1968	7
1969	7
1970	9
1971	7
1972	11
1973	13
1974	7
1975	8
1976	10
1977	11
1978	26
1979	65
1980	109
1981	97
1982	160
1983	147
1984	149
31.3.85	42

पचम श्रेणी राजकीय ग्रावास हेतु पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की वर्षवार संख्या

वर्ष 1	संख्या 2
1964	24
1965	23
1966	18
1967	18
1968	28
1969	23
1970	29
1971	37
1972	33
1973	65
1974	42
1975	50
1976	56
1977	67
1978	80
1979	178
1980	340
1981	348
1982	376
1983	339
1984	457
31.3.85	85

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जिला/उप खण्ड तहसील मुख्यालयों पर आवासों के निर्माणों का विवरण—

क्र. सं.	विवरण	टाउन की संख्या		प्रत्येक केन्द्र पर निर्माण किये जाने वाले वर्गीकृत आवासों की संख्या	
1	2	3		4	
1–	जयपुर	1	प्रथम		8
			द्वितीय		24
			तृतीय		36
			चतुर्थ		96
			पंचम		96
2–	क्षेत्रीय स्तर	5	तृतीय	8 × 5 =	40
	(अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा)	5	चतुर्थ	8 × 5 =	40
3–	जयपुर एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अतिरिक्त जिला मुख्यालयों पर।	21	तृतीय	8 × 21 =	168
4–	उप खण्ड मुख्यालयों पर	83	चतुर्थ	6 × 83 =	498
5–	तहसील मुख्यालयों पर	200	चतुर्थ	4 × 200 =	800
6–	तहसील मुख्यालयों से निम्न स्तर पर		चतुर्थ		100
				योग—	1906

417 (415)

गत 5 वर्षों में जिन्हें बिना पारी राजकीय आवास आवंटित किया गया है, उसकी सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	आवास संख्या	आदेश संख्या एवं दिनांक	सक्षम अधिकारी	विवरण
1	2	3	4	5	5
1.	श्री सी. बी. एल. माथुर अति. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर ।	28-ए, हीराबाग, जयपुर ।	एफ. 1(29) साप्र/2/79 दि. 30-11-81	मुख्य मंत्री महोदय	श्री सी. बी. एल. माथुर, अति. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (भवन व पथ) जयपुर को मुख्य मंत्री महोदय के आदेशानुसार आवास आवंटित किया गया ।
2.	श्री हनुमान सहाय, निजी सहायक, मुख्य मंत्री राजस्थान, जयपुर ।	एफ-781, गांधीनगर, जयपुर ।	एफ. 1(60)साप्र/2/80 दि. 29-12-81	मुख्य मंत्री महोदय	श्री हनुमान सहाय, निजी सहायक, मुख्य मंत्री को इनके कठिन कार्य को देखते हुए बिना पारी राजकीय आवास आवंटित किया गया ।
3.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, संगणक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	श्री णी-5/60; गांधीनगर, जयपुर	एफ. 1(83)साप्र/2/77 दि. 28-5-82	मुख्य मंत्री महोदय	राजकीय आवास संख्या एफ-984 गांधीनगर में अपने पिता के साथ

1	2	3	4	5	6
	निदेशालय, जयपुर ।				निवास कर रहा था । इनके पिता सेवानिवृत हो गये किन्तु वह नियमानुसार राजकीय आवास के पात्र नहीं थे । माननीय मुख्य-मन्त्री जी के आदेशों से नियमों में छूट दी जाकर इन्हें आवास संख्या 5/60 गांधीनगर आवंटित किया गया ।
4.	कुमारी कुसुम शर्मा, क.लि. राजकीय कन्या विद्यालय, घाटगेट, जयपुर ।	एफ-414, गांधीनगर, जयपुर ।	एफ. 1(49)साप्र/2/81 दि. 2-6-82	मुख्य मंत्री महोदय	यह अपने पिता के साथ उक्त आवास में निवास कर रही थी इनके पिता की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई इनको भी नियमों में छूट दी जाकर उक्त आवास में रहने की अनुमति माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आदेशों से दी गई है ।

1	2	3	4	5	6
5.	श्री सुरेन्द्र व्यास, क. लेखाकार वरिष्ठ जिला उप शिक्षा अधिकारी (छात्रायें) जयपुर प्रथम ।	एफ-55, गांधीनगर, जयपुर ।	एफ 1 (49) साप्र/2/80 दि. 20-10-83	मुख्य मंत्री महोदय	यह अपने पिता के साथ उक्त आवास में निवास कर रहे थे । इनके पिताजी सेवानिवृत हो गये । नियमों में छूट दी जाकर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के आदेशानुसार इन्हें उक्त आवास आवंटित किया गया ।
6.	श्री विष्णुदत्त शर्मा, क.लि. जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर ।	औ-676, गांधीनगर जयपुर ।	एफ. 1(39)साप्र/2/83 दि. 1-2-83	मुख्य सचिव महोदय	यह आवास श्री राधामोहन शर्मा के नाम आवंटित था । श्री राधा मोहन सेवानिवृत हो गये इन्होंने उक्त आवास को अपने लड़के श्री भंवरलाल शर्मा जोकि उसी विभाग में कार्यरत थे के नाम आवंटित करने हेतु निवेदन किया किन्तु इस बीच इनके यह पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा की मृत्यु हो गई

1	2	3	4	5	6
					इन्होंने उक्त आवास इनके दूसरे पुत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा के नाम आवंटित करने हेतु निवेदन किया। मुख्य सचिव महोदय की सहमति से यह आवास इन्हें आवंटित किया गया।
7.	श्री रामसिंह पुत्र श्री जगूसिंह, वाहन चालक, मोटर गैराज, जयपुर	एच-586, गांधीनगर, जयपुर।	एफ. 1(60)ताप्र/2/80 दि. 7-3-84	मुख्य मंत्री महोदय	श्री रामसिंह, वाहन चालक, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का वाहन चलाते थे इनके कठिन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने, इन्हें बिना पारी राजकीय आवास आवंटित करने के आदेश दिये।

1	2	3	4	5	6
8.	श्री एस.के. त्रिवेदी, वरि. लेखाकार, मेडिकल विभाग, जयपुर।	"डी" ब्लाक, गांधीनगर, जयपुर।	एफ. 1(31)साप्र/2/79 दि. 21-1-85	मुख्य मंत्री महोदय	श्री त्रिवेदी का काफी समय से जयपुर में पदस्थापन था किन्तु श्री त्रिवेदी प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण आवास प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। इनका पदस्थापन चिकित्सा विभाग में हो जाने से इन्हें राजकीय आवास माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार बिना पारी आवंटित किया गया।
9.	श्री कन्हैयालाल, वाहन चालक, मोटर गैराज, जयपुर।	जी-839, गांधीनगर, जयपुर।	एफ. 1(4)साप्र/2/85 दि. 9-1-85	मुख्य सचिव महोदय	श्री कन्हैयालाल, वाहन चालक, मुख्य सचिव महोदय का वाहन चला रहे हैं। इनके कठिन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें मान-

1	2	3	4	5	6
					नीय मुख्य सचिव ने बिना बारी आवास आवंटित करने के आदेश प्रदान किये ।
10.	श्री अशोक कुमार माथुर, सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर	जी-809, गांधीनगर, जयपुर ।	एफ. 1(62)आप्र/2/85 दि. 10-6-85	मुख्य मंत्री महोदय	आवास संख्या जी-809, गांधी-नगर इनके भाई श्री ओम प्रकाश माथुर के नाम आवंटित था। श्री ओम प्रकाश की सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई इनकी दयनीय पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए यह आवास इनके छोटे भाई श्री अशोक कुमार माथुर को आवंटित किये जाने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आदेश दिये थे ।

(५२१)

सेवानिवृत अनाधिकृत आधिवासियों की सूची एवं कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	आवास संख्या	नाम व पद	विवरण
1.	ई-18, गांधीनगर, जयपुर	श्री आई. दानसिंह, सेवानिवृत निदेशक समाज कल्याण विभाग राज., जयपुर	श्री सिंह के खिलाफ सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद विचाराधीन है।
2.	एच., ब्लाक, एम. आई. ई. सी. जयपुर।	श्री ओमदत्त शर्मा, सेवानिवृत उप शासन सचिव	श्री शर्मा के खिलाफ सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद विचाराधीन है।
3.	ई-11, गांधीनगर, जयपुर	श्री आर. एन. भार्गव सेवानिवृत उप शासन सचिव	सहायक अभियन्ता के पास कब्जा प्राप्त करने की कार्यवा ी विचाराधीन है।
4.	एफ-9, गांधीनगर, जयपुर	श्री वृजमोहन मिश्रा सेवा निवृत सहायक	बेदखली की कार्यवाही सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।
5.	जी-78 3 गांधीनगर, जयपुर।	श्री के. एन. भटनागर, सेवानिवृत वरिष्ठ लिपिक	श्री भटनागर के विरुद्ध सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद विचाराधीन है।
6.	ई-2, गांधीनगर, जयपुर	श्री के. एल. झा. सेवानिवृत उप शासन सचिव	सम्पदा अधिकारी ने सहायक अभियन्ता को कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर दिया है, कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही सहायक अभियन्ता द्वारा अमल में लाई जायेगी।

1	2	3	4
7.	एफ-711, गांधीनगर, जयपुर	श्री के. आर. लधानी, सेवानिवृत प्रधीक्षक	जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 28-5-85 तक रहने की अनुमति प्रदान की है।
8.	एफ-100 गांधीनगर, जयपुर	श्री नवलकिशोर शर्मा, सेवानिवृत वरिष्ठ लिपिक	मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
9.	एफ-927, गांधीनगर, जयपुर	श्री विशम्भरदयाल पाण्डे, सेवानिवृत वरिष्ठ लिपिक	सम्पदा अधिकारी ने सहायक अभियन्ता कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर दिया है, कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही सहायक अभियन्ता के द्वारा अमल मे लायी जा रही है।
10.	एफ-924, गांधीनगर, जयपुर	श्री बी. के. शर्मा, सेवानिवृत लेखाकार।	बेदखली कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
11.	एम. आई सी "जी" ब्लाक	श्री रामस्वरूप शर्मा, सेवानिवृत निजी सचिव, मंत्री।	दिनांक 26-2-85 से अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।
12.	2/16, गांधीनगर, जयपुर	श्री ओम प्रकाश भार्गव, सेवानिवृत	दिनांक 1-7-85 से आवास में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं बेदखली कार्यवाही की जा रही है।